दशम माला, खंड 7, अंक 17

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1991
22 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 7 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1991/21 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
14	13	"अध्यत्र" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िये ।
40	नीचे से पंक्ति 11	"श्री पाला के० एम० मैथ्यू" के स्थान पर "श्री पाला के एम० मैथ्यू" पढ़िये ।
127	नीचे से पंक्ति 7	शीर्षक में "जारी" शब्द निकाल दीजिए ।
131	3	"श्री जे० चोक्का" के स्थान पर "श्री जे० चोक्का राव" पढ़िये ।
133	नीचे से प्रथम पंक्ति	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
138	नीचे से पंक्ति 5	"(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
140	10, 14	"(ग)" और "(च)" के स्थान पर "(ख)" और "(ग)" पढ़िये तथा (ग) के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
148	6	"(क)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
157	नीचे से पंक्ति 2 तथा 8	"(ख)" के स्थान पर (ङ) तथा "शर्मा" के स्थान पर "वर्मा" पढ़िये ।
158	8	"शर्मा" के स्थान पर "वर्मा" पढ़िये ।
159	6	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।

175	नीचे से पंक्ति 9	"(घ)" के स्थान पर (ङ) पढ़िये ।
245	नीचे से पंक्ति प्रथम	प्रश्न संख्या "3788" के स्थान पर "3783" पढ़िये ।
290	नीचे से पंक्ति 7,12	"एल0टी0स0" के स्थान पर "संख्या एल0टी0" पढ़िये ।
291	3,9,15,21, 27	एल0टी0स0 के स्थान पर संख्या एल0टी0" पढ़िये ।
292	3,11,20,31	एल0टी0स0 के स्थान पर "संख्या एल0टी0" पढ़िये।
293	7	एल0टी0स0 के स्थान पर "संख्या एल0टी0" पढ़िये ।
300	19	"एल0टी0911" के स्थान पर "एल0टी0961" पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 17, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1991/22 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 325 से 330	1—27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—290
तारांकित प्रश्न संख्या : 331 से 344	27—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3598 से 3789, 3791 से 3799 और 3801 से 3828	37—290
सभा पटल पर रखे गए पत्र	290—304
राज्य सभा से सन्देश	304
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	304
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	
प्राक्कलन समिति	304—305
पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
लोक लेखा समिति	305
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
सभा का कार्य	305—309
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92—प्रस्तुत	
श्री शांता राम पोतदुखे	309

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	310—340 और 377—428
(एक) आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोतरी के सन्दर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति	
श्री एस० बी० चव्हाण	310—317
(दो) कावेरी जल विवाद	317—340 और 377—428
श्री वी० धनंजय कुमार	318
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	325
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स	330
प्रो० के० वेंकटगिरि गौड	332
श्री जी० माडे गौडा	334
श्री पी० जी० नारायणन	336
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	339 और 377
श्री पी० वी० नरसिंह राव	382
श्री एच० डी० देवगौड़ा	383
श्री ए० अशोकराज	397
श्री के० वी० तंग्काबालू	399
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	401
श्री मणि शंकर अय्यर	403
श्री वी० कृष्ण राव	407
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	410
श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन	411
श्री डी० के० नायकर	413
श्री अन्बारासु इरा	416
श्री एस० बी० सिदनाल	418
श्री के० एच० मुनियप्पा	420
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा	421
श्री डी० पंडियन	423
श्री विद्याचरण शुक्ल	424

विषय	पृष्ठ

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

टाइम्स आफ इण्डिया समाचारपत्र समूह

श्री पी० ए० संगमा 340—344

जाति संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प 345—377

श्री पाला के० एम० मैथ्यू 345

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल 346

श्री मंजय लाल 347

श्री तेज नारायण सिंह 348

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 350

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 353

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव 357

प्रो० प्रेम धूमल 359

श्री विश्वनाथ शास्त्री 361

कुमारी फ्रिडा तोपनो 364

श्री नीतीश कुमार 366

श्री प्रेम चन्द राम 370

श्री मदन लाल खुराना 372

श्री सीता राम केसरी 374

लोक सभा

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1991/22 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी ऋण के लिए मानदंड

[अनुवाद]

*325. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं और लघु उद्योग एककों के लिए विदेशी ऋण लेने हेतु मानदण्डों को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार ने, निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए अपने आप चुकता होने वाले विदेशी करेंसी ऋणों के सम्बन्ध में आर्थिक कार्य विभाग के पूर्व अनुमोदन को समाप्त करके एक स्वचालित प्रक्रिया लागू करने के लिए 7 नवम्बर, 1991 को पहले ही मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं ।

इसके अलावा उन निर्यातोन्मुख परियोजनाओं जो इस स्वचालित प्रक्रिया का लाभ नहीं उठाना चाहती हैं, के लिए एक विकल्पों की सूची की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुक्त विदेशी मुद्रा जारी करना, वाणिज्यिक ऋण, निर्यात ऋण और पट्टे पर वित्तपोषण शामिल हैं। इसे परिशिष्ट "ख" में उपलब्ध दिनांक 8 दिसम्बर, 1991 के विस्तृत मार्गनिर्देशों में स्पष्ट किया गया है ।

लघु इकाइयों की पूंजीगत आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूंजीगत वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में नवम्बर, 1991 में घोषित छूट की भारतीय रिजर्व बैंक की नीति में, समुचित व्यवस्था है । पहले, उनकी आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं मुक्त विदेशी मुद्रा जारी करने के माध्यम से पूरी होने की आशा

की जाती है, जिसके लिए 50 लाख रुपए की सीमा तक की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई है। दूसरे यदि आयातक 360 दिन के संभरक ऋण की व्यवस्था करने में समर्थ होता है तो 100 लाख रुपए मूल्य तक की पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सीधे ही अनुमति देगा।

परिशिष्ठ-क

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के अपने आप चुकता होने वाले विदेशी करेंसी ऋणों के शोधन के लिए स्वचालित प्रक्रिया

उद्देश्य :

(1) निर्यात क्षमता के तेजी से विस्तारण के लिए सुविधा देने।

(2) वाणिज्यिक लेन-देनों में कम से कम प्रशासनिक हस्तक्षेप।

(3) मार्गनिर्देश तैयार करके पारदर्शिता और सामंजस्य लागू करना और प्रत्येक मामले के अनुमोदन से बचना।

पात्रता :

(1) यह सुविधा निर्यातोन्मुख परियोजनाओं द्वारा उपयोग तक सीमित होगी। इस परिभाषा में न केवल शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां, ई० पी० जेड० इकाइयां आदि शामिल होंगी अपितु सभी परियोजनाएं, जिनकी निर्यात क्षमता है, शामिल होंगी। जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है, केवल ऐसी परियोजनाओं पर, जो निवल विदेशी मुद्रा अर्जन कर रही हैं जो कि विदेशी मुद्रा ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त है, विचार किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निवल विदेशी मुद्रा आय नहीं है, तो परियोजना वित्तपोषित किए जा रहे साधनों के अलावा अन्य साधनों से विदेशी मुद्रा आय का निगम अस्तित्व होते हुए भी, पात्र नहीं होंगी।

(2) निर्यात क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विद्यमान इकाइयों का व्यय और आधुनिकीकरण भी पात्र होगा।

ऋणों का प्रयोजन :

(1) पूंजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्री और संघटकों के आयात को वित्तपोषित करने और लागू आयात वित्त प्रणाली के अनुसार प्रौद्योगिकी अदायगियां।

(2) परियोजना की रुपए सम्बन्धी आवश्यकताओं—स्थानीय लागत को वित्तपोषित करने के लिए।

राशि :

परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार ।

ऋण का स्रोत :

कोई प्रतिबन्ध नहीं । बैंकों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी/अनिवासी भारतीय इक्विटी धारकों, सहयोगकर्ता, खरीददार अथवा अन्तर विदेशी/अनिवासी भारतीय वैयक्तिक और निगम अस्तित्वों के पास अवधि पहुंच की अनुमति ।

ब्याज की दर :

अधिकतम अनुमत ब्याज की दर, ऋण की करेंसी में मूल दर अथवा छः महीने की मुक्त दर जिसमें 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष जोड़ा जाएगा, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी । तथापि, अधिकतम सीमा अन्त: ब्याज दर के विकल्पों की परिकल्पना नहीं करती है ।

ऋण की करेंसी :

कोई प्रतिबन्ध नहीं, हालांकि अन्तः करेंसी विकल्पों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

परिपक्वता :

न्यूनतम परिपक्वता अवधि छः मासिक वापसी-अदायगियों के साथ दो वर्ष होगी तथापि, अधिकतम परिपक्वता सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, जिसे ऋणकर्ता द्वारा नकद प्राप्ति सम्भावनाओं के आधार पर समायोजित किया जा सकता है ।

ऋण परिशोधन :

ऋण की वापसी-अदायगी निर्यातक की निवल विदेशी मुद्रा अर्जनों की उपलब्धता के अधीन होगी, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है और प्रेषण से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकृत डीलर द्वारा सत्यापित किया गया है । तथापि, ब्याज की अदायगी इस प्रतिबन्ध के बिना अनुमत्य होगी ।

पूर्व-भुगतान :

ऋण-दस्तावेज में दण्ड के बिना उधारकर्ता के विकल्प पर पूर्व-भुगतान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए । न्यूनतम परिपक्वता के अधीन वापसी-अदायगी में वृद्धि भी निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया है और प्राधिकृत डीलर द्वारा सत्यापित किया गया है ।

चूक/दण्डस्वरूप ब्याज की दर :

सामान्य दर से अधिकतम 2 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी ।

प्रतिभूति :

किसी भारतीय बैंक, भारतीय विकासात्मक वित्तीय संस्था अथवा किसी विदेशी बैंक के भारतीय कार्यालय से किसी गारंटी की अनुमति नहीं होगी। परिसम्पत्तियों पर प्रभार के लिए परियोजना को वित्तपोषित करने वाले भारतीय बैंकर/भारतीय विकासात्मक वित्तीय संस्था से सिफारिश और अनुमति आवश्यक होगी।

ऋण अनुमोदन प्रक्रियाएं :

(1) आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

(2) ऋणकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऋण को पंजीकृत करवाना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का अनौपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचालितता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को पर्याप्त तेजी से निपटाया जा रहा है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमोदन की शक्तियां देने के लिए कदम उठाएगा।

(4) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण करारों के रिकार्ड की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया अनुमोदन मनोनीत प्राधिकृत डीलर के माध्यम से लेन-देन करने के लिए पर्याप्त होगा।

(5) ब्याज अथवा ऋण की वापसी-अदायगी के प्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, जिसे प्राधिकृत डीलर द्वारा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के आवश्यक सत्यापन के आधार पर मनोनीत प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से किया जाएगा।

(6) भारतीय रिजर्व बैंक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा और प्राधिकृत डीलर को सूचित करेगा।

परिवीक्षण तंत्र :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुमोदनों की प्रतियां विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग, आर्थिक कार्य-विभाग को भेजी जाएंगी ताकि आर्थिक कार्य विभाग के ई० सी० बी० प्रभाग द्वारा सी० एस० डी० आर० एम० प्रणालियों पर रखे जा रहे विदेशी वाणिज्यिक ऋण के आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जा सके।

(2) केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक मास की 5 तारीख को ऋणकर्ता, ऋणदाता, ऋण महत्व संख्या, राशि, ब्याज की दर, परिपक्वता, चूक/दण्डस्वरूप ब्याज की दर आदि का ब्यौरा देते हुए पूर्ववर्ती मास के दौरान जारी किए ऋण अनुमोदनों का समेकित निवरण ऋण-वार मासिक ब्यौरे देगा।

(3) प्रत्येक वर्ष में अप्रैल और अक्तूबर में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और आर्थिक कार्य विभाग के ई० सी० बी० प्रभाग के बीच छमाही समायोजन किया जाएगा ।

कार्यान्वयन :

(1) संशोधित प्रक्रिया, मार्गनिर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

परिशिष्ट-ख

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

ई० सी० बी० प्रभाग

निर्यातोन्मुख परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए संशोधित मार्गनिर्देश

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों, एफ० टी० जेड०/ई० पी० जेड० की इकाइयां और एक्जिम नीति के पैरा 197 द्वारा आरोपित निर्यात दायित्व के तहत संचालित इकाइयां अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों की सूची के लिए पात्र बनी रहेंगी ।

ये संशोधित मार्ग-निर्देश पहले दिनांक 19-3-1991 को जारी मार्ग-निर्देशों का अतिक्रमण करेंगे ।

1. 2 करोड़ अमरीकी डालर और उससे कम राशि की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं

(क) दिनांक 7-11-91 की मार्ग-निर्देश अनुसूची के अनुसार अपने आप चुकता होने वाले ऋण के लिए स्वत: निकासी ।

(ख) विदेशी इक्विटी के तहत विस्तारण ।

(ग) जहां आवश्यकता 50 लाख से अधिक न हो वहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का जारी किया जाना ।

(घ) जहां आवश्यकता 50 लाख रुपए और 100 लाख रुपए के बीच में हो वहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक वर्षीय ऋण/पूर्तिकर्ता ऋण ।

(ङ) 100 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता की स्थिति में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष ई० सी० बी०, निर्यात ऋण, छह महीने की पुन: अदायगी सहित कम से कम 2 वर्षीय त्वरित परिपक्वता अथवा 5 वर्षीय परिपक्वता पर पट्टे पर वित्तपोषण ।

(च) निर्यात वित्तपोषण के मामले में जो सामान्यत: आयात का केवल 85 प्रतिशत तक है शेष 15 प्रतिशत के अन्तर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा जारी

करके अथवा एक वर्षीय ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना प्राधिकारी चाहें तो इस अन्तर को विदेशी इक्विटी द्वारा भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

(छ) भारतीय बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा 15 करोड़ रुपए के मूल्य तक की गारंटी व्यवस्था से सम्बद्ध पहले की सीमाएं अब संशोधित करके 2 करोड़ अमरीकी डालर कर दी गयी हैं।

2 करोड़ अमरीकी डालर से अधिक की राशि की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के लिए

2. जिन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं 2 करोड़ अमरीकी डालर से बढ़ जाती हैं, वहां वित्तीय व्यवस्था का स्रोत निम्न प्रकार होगा :—

(क) विदेशी इक्विटी;

(ख) दिनांक 7-11-91 को जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपने आप चुकता ऋण;

(ग) उपरोक्त 'क' और 'ख' का मिश्रण; और

(घ) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तय किए गए अन्य वित्तीय स्रोत।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो स्टेटमेंट सभा-पटल पर रखा गया है, उसे हमने पढ़ लिया है परन्तु मुझे इसमें कुछ बातों को लेकर परेशानी है। परेशानी यह है कि आपने दो स्टेटमेंट्स इसमें दी हैं और दोनों के साथ जो अपैन्डिसाइजेज दी हैं, उनमें से एक है :—

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के स्वतः खत्म होने वाले विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरी के लिए स्वचालित प्रक्रिया।

और दूसरी है :—

निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा देने की आवश्यकताओं के लिए संशोधित मार्ग-निर्देश।

[हिन्दी]

इन दोनों में, आप जिस प्रकार एक खुली छूट दे रहे हैं, मुझे इसमें चिन्ता यह है कि ओवर-इन्वाईसिंग के मामले को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि सारे आटोमैटिक क्लियरेंस की जहां आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 50 लाख रुपए का आटोमैटिक क्लियरेंस आप दे रहे हों, लेकिन पेप्सी कोला का ताजा उदाहरण हमारे सामने है। इसी सदन के अन्दर दो-तीन महीने पहले हमने उसे उठाया था कि कैसे विदेश से जो मशीनरी यहां पर लायी गयी, उसका दाम उन्होंने दो गुना और तीन गुना तक करके यहां से विदेशी मुद्रा ले जाने का काम किया। इस प्रकार आप जो आटोमैटिक सारा मामला कर रहे हैं,

इसमें ओवर-इन्वाइसिंग को रोकने का आपके पास क्या उपाय है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष जी, यह सुविधा इसलिए दी गयी है ताकि जो छोटे कारोबार में लगे लोग हैं, यदि वे 50 लाख रुपए तक का आयात करना चाहते हैं, खासतौर से कोई कैपिटल गुड्स या मशीनरी वगैरह विदेश से मंगवाना चाहते हैं, उन्हें वह मंगवाने में सुविधा रहे। उन्हें इसके लिए वित्त मन्त्रालय में आने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे सीधे रिजर्व बैंक के पास जा सकें और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया उन्हें वह सामान मंगाने की इजाजत दे दे। इस प्रकार की जो बात कही जाती है कि लोग जब फौरेन एक्सचेंज की इन्वाइसिंग करेंगे तो उसमें कुछ गड़बड़ी करेंगे, वह अलग मुद्दा है। यह सुविधा सिर्फ इसलिए दी गयी है ताकि आयात में परेशानी न हो और छोटे कारोबार में लगे, छोटे व्यापारी 50 लाख रुपए तक का माल विदेश से आयात कर सकें, इम्पोर्ट कर सकें और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। ऐसी सुविधा केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही उन्हें मिल जाए। इसमें, मैं समझता हूं कि इस तरह की अनियमितता नहीं होगी बल्कि इसमें मौनिटरिंग का भी इन्तजाम है, रिजर्व बैंक के पास तथा वित्त मन्त्रालय में भी। जिसे भी इस तरह की ऑटोमैटिक क्लियरेंस दी जाएगी, जिन्हें यह सुविधा दी जा रही है, जिसके अन्तर्गत वे स्वतः 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हैं, उन सब की मौनिटरिंग की जाएगी और जो लोग इस तरह की गड़बड़ी करेंगे, ओवर-इन्वाइसिंग करेंगे या अण्डर इन्वाइसिंग करेंगे, उसके लिए हमारे दूसरे अंग हैं, आयकर के अन्दर, रिवैन्यू के अण्डर, दूसरे विभाग हैं एन्फोर्समेंट के, आयकर के, जिनके द्वारा ऐसी चीजों की जांच-पड़ताल अलग से की जाती है। मगर यह सुविधा आयात में सहूलियत रहे, इसीलिए दी गयी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, बात साफ नहीं हुई, मैं इस मामले में सफाई चाहता हूं। आपने जो 50 लाख रुपए तक की बात की, यहां तो एक करोड़ रुपए तक का कैपिटल गुड्स भी कोई व्यक्ति ला सकता है। इस मामले में मुझे सफाई चाहिए क्योंकि एक करोड़ रुपए तक का कैपिटल गुड्स जब आप देश के अन्दर ला सकते हैं—अगेन्स्ट सप्लायर क्रैडिट—तो सप्लायर क्रैडिट के अन्तर्गत एक करोड़ रुपए तक का कैपिटल गुड्स लाते वक्त, अगर किसी व्यक्ति ने केवल 50 लाख रुपए मूल्य का कैपिटल गुड्स लाने का काम किया और आपसे एक करोड़ रुपए का क्लियरेंस ले लिया, किसी भी प्रकार का क्लियरेंस चैक आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से खुली छूट है, इस प्रकार आप उसके ऊपर कैसे निगरानी और नियंत्रण रखेंगे ? यह समस्या मुझे सामने नजर आती है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 50 लाख रुपए का उल्लेख किया था। यदि हम पूरे विवरण को देखें तो हम पायेंगे कि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। पहली सुविधा यह थी कि 50 लाख रुपए तक के आने की सुविधा जिसमें फ्री फॉरेन एक्सचेंज की जो जरूरत होगी वह रिजर्व बैंक देगा और 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक, यह भी छोटे उद्योग के बीच ही माना गया है। इसमें इस आधार पर दिया जायेगा कि जो एक साल तक की अवधि के लिए अपने क्रैडिट का, अपने ऋण का इन्तजाम करेगा और अपने निर्यात की आमदनी से उसका भुगतान कर सकेगा उनको एक करोड़ तक की सुविधा दी जायेगी। यह जो कहा जाता है कि 50 लाख की या एक करोड़ की सुविधा ले लेंगे और 50 लाख का माल बनायेंगे, यह बात नहीं होगी। जो सारा माल आता है उसकी सारी चैकिंग होती है। हम जिस सुविधा की बात कर रहे हैं, वह केवल विदेशी मुद्रा की सुविधा की बात है और जहां तक अन्य चैकिंग करने की व्यवस्था है आयकर में और कस्टम एक्साइज में, वह सुविधा रहेगी। जो कैपिटल गुड्स लायेंगे, उसके सभी कागजों की जांच-पड़ताल की जायेगी और रिजर्व बैंक का भी इसमें मॉनिटरिंग सैल होगा। विदेशी आयात की जो अभी दिक्कत हो गई थी जो 19 मार्च 1991 को

सब प्रकार का आयात बन्द कर दिया था, इसके बाद हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। इसकी सुविधा छोटे लोग लेते रहे हैं। पहले जो नियम 19 मार्च 1991 तक थे, उस समय छोटे उद्योगों के लिए कोई भिन्न रास्ते नहीं थे, सब की एक ही श्रेणी मानी गई थी। अब सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए अलग से सुविधा दी है जिससे छोटी चीजों का आयात करने वालों को विशेष असुविधायें न हों।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मुझे मन्त्री जी की बात कोई जचती नहीं है लेकिन मैं अगला प्रश्न पूछना चाहता हूं। पेप्सी कोला का नाम लेना ठीक नहीं लगता है क्योंकि पेप्सी ही नहीं है, सैकड़ों कम्पनियां इस प्रकार लगातार लूट करती रही हैं, अब उनको और लूट करने की छूट मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप देने जा रहे हैं लेकिन अभी वह और बरबादी करेंगे इस देश की, यह मेरे मन की परेशानी है। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यहां कहा कि

[अनुवाद]

ऋणों की पुनः अदायगी कुल विदेशी मुद्रा की आय की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

यानी जो-जो कम्पनियां इस नये नियम के अन्तर्गत कर्ज लेंगे तो वे कर्ज और उसके ऊपर का ब्याज वापस लेने के लिए और अपना खुद का जो माल वे निर्यात करेंगे उससे विदेशी मुद्रा कमाएंगे और फिर उसी से पैसा वापस दिया जाएगा। चिन्ता मेरी यह है कि ऐसे अनेक अनुभव हम लोगों ने देखे हैं कि इजाजत इस तरह से ली जाती है, बाहर से चीजें लायी जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि माल सब-स्टैंडर्ड है। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं जैसे कि कारखाने में हड़ताल हो सकती है या और दिक्कत हो सकती है, ऐसे में वह पैसा देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या भारत सरकार अंततोगत्वा, मैं यह नहीं कह रहा हूं, इस क्षण, लेकिन अंततोगत्वा यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि इस प्रकार विदेशों से चीजें लाकर फिर विदेश निर्यात करने के लिए असमर्थ हुए लोगों का जो विदेशी कर्ज है, क्या उसे आप अपने ऊपर लेंगे और अगर नहीं लेंगे तो इसके अन्तिम नतीजे क्या होंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारे व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जिम्मेदार व्यवसायी हैं और कई चीजें मंगाते हैं और इस शर्त पर मंगाते हैं कि 50 लाख से एक करोड़ रुपए की मुद्रा के साथ उन चीजों का आयात करेंगे, जिसका निर्यात करेंगे। अधिकांशतः हमने देखा है कि ऐसे लोग अपना जो कमिटमेंट है, या जो शर्त है, उसकी पूर्ति करते हैं। केवल संदेह के आधार पर हम ऐसी बात सोचें कि वे गड़बड़ी करेंगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत अधिक है। ऐसी किसी खास गड़बड़ी का कोई केस अगर माननीय सदस्य के पास हो तो वह हमें बताएं। अभी हमने 7 नवम्बर को इसमें परिवर्तन किया है। उसके बाद कोई एक भी ऐसा छोटा व्यापारी आया हो जिसने गड़बड़ी किया हो तो हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। हम उनको सुविधा जरूर देंगे जिससे छोटे व्यवसायी बाहर से आयात कर सकें और निर्यात भी कर सकें। फिर उससे जो आमदनी होगी, उससे जो कर्ज लेंगे, उसकी वह पूर्ति करेंगे, हम समझते हैं, सरकार की इसमें यह धारणा है कि हम व्यापार को, खासतौर से निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाएं और हम जानते हैं कि निर्यात में हमारे छोटे व्यापारियों का अंश बहुत बड़ा है इसलिए इसके माध्यम

से छोटे व्यापारी भी निर्यात कर सकें, उनको खासतौर से इस सुविधा का प्रावधान किया गया है और इसके द्वारा वे निर्यात को अधिक से अधिक कर सकेंगे। कोई भी यदि स्पेसिफिक गड़बड़ी होगी तो मैंने बताया कि मोनेटरिंग का नियंत्रण का कक्ष बना होगा, मन्त्रालय में और रिजर्व बैंक में लेकिन इसके बाद भी किसी माननीय सदस्य के ध्यान में कोई बात आई तो उस पर हम विशेष कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : यह सर्वविदित है कि पहले ही काफी अधिक विदेशी ऋण, आंतरिक ऋण की अदायगी करनी है। मैं माननीय वित्त मन्त्री से विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि विद्यमान विदेशी ऋण पर जी० डी० पी० और जी० एन० पी० की प्रतिशतता क्या है और क्या सरकार भविष्य में इस सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार करेगी ताकि विदेशी ऋण पर निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक विदेशी ऋण की बात है वे भिन्न हैं। हमारे पास परियोजनावार चीजों का पूरा ब्योरा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम यह दे सकते हैं। हमारे पास परियोजनावार जानकारी है। इंग्लैंड, स्वीडन जैसे कतिपय देश और अन्य देश हमें सहायता देते हैं और यहां से यह सहायता बिना कोई शर्त दी जाती है अर्थात यह ब्याज सहित दी जाती है। हमें लम्बे समय के लिए आई० डी० ए० सहायता मिलती है जिसमें हमें आमतौर पर 50 वर्षों के लिए कोई ब्याज नहीं देना होता है। हमें तो केवल 0.75% सेवा प्रभार देना होता है। अन्य मामलों में भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋणों की शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं। किसी देश के द्वारा ऋण और सहायता अपने आर्थिक विकास के लिए ली जाती है। यह तो राष्ट्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, प्रश्न बहुत साधारण है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जी० डी० पी० में विदेशी ऋण का क्या प्रतिशत है।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : पिछले वर्ष के अन्त की तरह अनिवासी भारतीयों के ऋण के सहित देश पर कुल बाहरी ऋण हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने आयात-निर्यात और वित्त का एक प्रारूप यहां प्रस्तुत किया, झा साहब के प्रश्न में। मैं एक बहुत सिम्पल सी दिक्कत की ओर आपसे ध्यान चाहता हूं। हमारे यहां लघु उद्योग-धन्धे होते हैं और जो बीट्स, मोती होती है, वह बाहर विदेशों को सप्लाई होता है, इसकी लागत 55 रुपया होती है और सप्लायर इसको 35 रुपए किलो में विदेशों को भेजता है और विदेशों से जो आयात करता है, मोती में लगने वाले मैटीरियल का आयात करता है तो 130 परसेण्ट सीमा शुल्क उस पर बचाता है, आपकी पालिसी के मुताबिक। सारे के सारे उद्योग-धन्धे ठप्प पड़ गए हैं, क्योंकि, सामान कम कीमत पर बाहर भेजा जाता है और उसकी लागत यहां ज्यादा होती है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आयात और निर्यात के इस मामले में जो सीमा शुल्क

छोड़कर बाहर से जो कच्चे माल का खपत के लिए सामान मंगाए जाते हैं, उन सामानों का यहां पर भारी मात्रा में ब्लैक इस नीति के मुताबिक होता है, इसको कैसे आप रोकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें आता है ? क्या यह प्रश्न इससे निकलता है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो मन्त्री जी जानें। हम इसको और क्लियर कर दें, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : अगर चाहें तो उत्तर दे दें। आप प्रश्न पूछिएगा। यह इससे निकलता नहीं है, तो भी अगर मन्त्री जी बोलने के लिए तैयार हैं तो मैं मौका दे देता हूं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से निकलता नहीं लेकिन हम सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि मोती के आयात और निर्यात के संबंध में इन्होंने जो अभी विवरण दिया है, उसके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने पर हम उचित कार्रवाई करेंगे, यह हमारा आश्वासन है कि जो छोटे लोग मोती जमा करते हैं···हमको अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति भी देखनी पड़ती है, निर्यात में, जो हमारा बाहर से दूसरों से कंपीटिशन है उसको ध्यान में रखकर कभी-कभी जितनी हमारी लागत है उतनी ही नहीं होती है इसलिए हम शुल्क से छूट देते हैं। लेकिन जो आपने खासतौर से इसके विषय में कहा है उस पर हम अच्छी तरह से गौर करेंगे और सदस्य महोदय को बतलाएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं और यदि कोई गुन्जाइश सीमा शुल्क या दूसरी तरह के छूट देने की है तो उस पर हम गौर करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये सभी आश्वासन सभा में दिए गए हैं।

(व्यवधान)

रुपए के अवमूल्यन का निर्यात और आयात पर प्रभाव

*326. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात और आयात पर रुपए के अवमूल्यन के प्रभाव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो रुपए के अवमूल्यन के बाद 15 नवम्बर, 1991 तक निर्यात और आयात में डालरों के रूप में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई;

(ग) क्या रुपए के अवमूल्यन का उन देशों के साथ हमारे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनको हम रुपयों में भुगतान करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के साथ अपने व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। लेकिन इस बारे में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि निर्यात न केवल अवमूल्यन पर निर्भर करता है बल्कि वह विश्व के व्यापार वातावरण, घरेलू उत्पादन, निर्यात हेतु बेशी माल उपलब्ध कराने, निर्यात उत्पादन के लिए आयातित नाजुक कच्चे माल तथा पूंजीगत माल की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता आदि जैसे अनेक अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। इसी तरह आयात का सम्बन्ध भी आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, जरूरी मदों के घरेलू उत्पादन में गिरावट, औद्योगिक क्रिया-कलापों, आदि से होता है। इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि अवमूल्यन से होने वाला प्रभाव तत्काल प्रतीत नहीं होता है बल्कि उसमें समय लगता है।

(ख) भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े अप्रैल-सितम्बर, 1991 तक के लिए उपलब्ध हैं। जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1991 के महीनों और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के लिए निर्यात एवं आयात के तुलनात्मक महीनावार आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

निर्यात

माह	(मिलियन अमरीकी डालर)		
	1990-91	1991-92	%वृद्धि
जुलाई			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1139	1200	+5.4
रुपया भुगतान क्षेत्र	303	101	—66.7
अगस्त			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1192	1257	+5.5
रुपया भुगतान क्षेत्र	254	86	—66.1
सितम्बर			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1160	1280	+10.3
रुपया भुगतान क्षेत्र	279	132	—52.7

आयात

माह	1990	1991-92	%वृद्धि
जुलाई	1713	1326	—12.6
अगस्त	1906	1505	—21.0
सितम्बर	2116	1528	—27.8

(ग) जी, नहीं।

(घ) निर्यात के बारे में हमारी भावी कार्य नीति न केवल सोवियत संघ के साथ व्यापार से सम्बन्धित है बल्कि उसके गणराज्यों चैकोस्लोवाकिया और रोमानिया जैसे रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार से भी सम्बन्धित है। हमारी भावी निर्यात कार्य नीति में निम्नलिखित मौलिक बातें शामिल हैं :—बदले हुए आर्थिक वातावरण में अधिकाधिक विपणन पर बल देना, नई संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से व्यापार ढांचे का विविधीकरण, व्यापारिक उपक्रमों के स्तर पर सीधे संपर्क बढ़ाना, संयुक्त उद्यमों जैसे सहयोग के नए तरीकों पर अपेक्षतया अधिक बल देना, उपभोक्ता अधिमानों पर अधिक ध्यान देना, क्वालिटी और कीमतें आदि।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, क्योंकि रुपए के अवमूल्यन के कारण सामान्य मुद्रा क्षेत्र निर्यातकों को अपने निर्यात पर अच्छा पैसा मिल रहा है अतः उन्हें मिलने वाला नकद प्रतिपूरक समर्थन हटा लेना न्यायोचित है। लेकिन रुपया मुद्रा क्षेत्र निर्यातकों को नीति में परिवर्तन के कारण काफी हानि उठानी पड़ रही है। इनमें से कुछ निर्यातकों के साथ मशीनों के निर्माण और परियोजनाओं के सम्बन्ध में अवमूल्यन से पहले स्थाई अनुबन्ध थे उन्होंने इस नीति में परिवर्तन से पहले समझौता कर लिया। क्या सरकार इन निर्यातकों को किसी तरह मुआवजा देने पर विचार करेगी ? या क्या वे रुपए मुद्रा क्षेत्र के निर्यातकों को मिलने वाली सुविधाओं को देने की अनुमति देंगे ताकि अवमूल्यन से पहले तथा नीति परिवर्तन से पहले दी जाने वाली सुविधा का फायदा उठा सकें ?

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, परिवर्तित नीति के तहत निर्यातकों को सामान्य मुद्रा क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र के लिए एक्जिम स्क्रिप्स उपलब्ध हैं। अतः निर्यातकों को रुपया भुगतान क्षेत्र के लिए भी एक्जिम स्क्रिप्स उपलब्ध है। तथापि, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का मुद्दा यह है कि सी० सी० एस० सुविधा को हटाने से रुपया भुगतान क्षेत्र के निर्यातकों को शायद सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातकों से ज्यादा नुकसान होगा। फिर भी अवमूल्यन से सोवियत संघ और रुपया मुद्रा क्षेत्र के अन्य देशों में ज्यादा रुपया उपलब्ध हो जाने से हमारे निर्यातक निर्यात मूल्य पर पुनर्विचार कर इसे बढ़ा सकते है। हमारे नोटिस में यह बात आई है कि कुछ निर्यातकों ने इस मूल्य के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक पुनर्विचार किया है। इसमें कुछ अनिश्चित मामले हो रहे है। हम उन्हें जो कुछ संभव है दे सकते है सिवाय इस बात के कि इस वक्त रुपया भुगतान क्षेत्र बहुत अनिश्चित लग रहा है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और इसे अन्तिम रूप दे रहे हैं कि सोवियत संघ और अन्य देशों में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति रहेगी। हम समझते हैं कि अगले वर्ष के शुरू में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। हम इस सम्बन्ध में कोई भी अनिश्चित मामले ले सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उन्हें केवल रुपया मुद्रा क्षेत्र के देशों में एक्जिम स्क्रिप्स उपलब्ध हैं। अधिकांश आयात जैसे मशीनें और अन्य चीजें सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों से होता है। क्या माननीय मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि जो एक्जिम स्क्रिप्स उनके पास उपलब्ध है अर्थात् रुपया मुद्रा क्षेत्र के है उन्हें सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों में भी प्रयोग करने की अनुमति दी जाए?

श्री सलमान खुर्शीद : इस समय तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस तरह के किसी निर्णय से जो अड़चनें आ सकती हैं उन्हें भी देखना है। हम इस वक्त कई तरीकों से इस बात को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो लोग रुपया मुद्रा क्षेत्रों से निर्यात कर रहे हैं वह सामान्य मुद्रा क्षेत्र में भी अपना निर्यात करें ताकि हमें कुछ विदेशी मुद्रा की आय हो तथा एक्जिम स्क्रिप्स भी सामान्य मुद्रा क्षेत्र पर लागू हो।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो वक्तव्य दिया गया है उसमें विदेशी व्यापार में अवमूल्यन के बाद काफी गिरावट हुई है। तो कब तक सरकार समझती है कि इसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि कुछ तो आंकलन किया होगा, जब अवमूल्यन किया जा रहा है। क्योंकि अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी का। विदेशी मुद्रा अर्जन की बात कब तक सरकार के केलकुलेशन में है और अवमूल्यन के बाद विदेश-व्यापार में बढ़ोतरी हुई है या नहीं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

दूसरी बात मैं खासतौर से सोवियत संघ के बारे में रूपीज ट्रेड के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1 डालर 26 रुपए के बराबर है, अगर मनमोहन सिंह जी ने इसको और आगे नहीं बढ़ा दिया है तो 1 डालर 45 रूबल के बराबर है और 1 रूबल 1 रुपए के बराबर है। इस तरह से यह जो देश का शोषण हो रहा है' इस बारे में सरकार क्या कर रही है और हमारे निर्यातकों को सरकार किस तरह से प्रोटेक्शन देगी। सरकार का इस पर चिंतन क्या है।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब उन्होंने दे दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : ऐसा नहीं है, यह काम कोई पार्टी नहीं कर सकती है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

नहीं महोदय, ये पार्टियां पुनर्विचार करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, मैं तो शुरू में ही कहूंगा कि भारत का निर्यात कई कारणों से गिरा है। इस सरकार के सत्ता में आने के समय कड़े आयात प्रतिबन्धों के कारण निर्यात पर भी प्रभाव पड़ा। इस सरकार के सत्ता में आने पर नई नीति पुरःस्थापित की गई और फिर कई कदम उठाए गए। आज हमारी स्थिति यह है कि निर्यात कम वाली स्थिति में बदलाव आया है और इसमें गति आनी शुरू हो गई है।

हमें निश्चित रुख देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हमें विश्वास है कि अगले वर्ष के शुरू में हम इस सभा को निर्यात के बारे में अच्छी खबर सुनाएंगे। रुपया-रूबल आदान-प्रदान दर और रुपया

भुगतान क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्र के बाहर हैं । वित्त मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं और उसी क्षेत्र के लिए लम्बे समय तक वार्ता आवश्यक है। हम सभी इस बारे में चिंतित हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सोवियत संघ हमारा अच्छा मित्र है और भविष्य में जो भी चर्चा हम करें इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए करें ।

डा० देवी प्रसाद पाल : अध्यक्ष महोदय, अवमूल्यन करने का एक मुख्य उद्देश्य देश में निर्यात व्यापार को बढ़ाना है । निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण बनाया गया है । अवमूल्यन की नीति के फलस्वरूप क्या सरकार की अब यह नीति है कि निर्यात निरीक्षण अभिकरण को समाप्त किया जाए जिसने अब तक अच्छी किस्म की वस्तुएं निर्यात करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है ? ऐसा करने से देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा । अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात निरीक्षण अभिकरण को समाप्त किया जा रहा है और यदि ऐसा है तो क्या जो कर्मचारी अतिरिक्त कर्मचारियों की श्रेणी में आ पाएंगे उन्हें सेवा में रखा जाएगा···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी प्रसाद, क्या यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है ? मन्त्री महोदय यदि आपके पास उत्तर है तो कृपया उत्तर दीजिए ।

श्री सलमान खुर्शीद : जबकि यह इस प्रश्न के बारे में नहीं है फिर भी निरीक्षण के बारे में हमारी नीति पर अवमूल्यन का कोई प्रभाव नहीं है । निरीक्षण के बारे में हमारी नीति निर्यातकों के साथ-साथ आयातकों की इच्छा पर निर्भर करती है । निर्यातकों और आयातकों की वर्षों से यह इच्छा रही है कि हमें निरीक्षण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । निर्यातकों और आयातकों की इच्छा है कि निर्धारित मानक ऐसे होने चाहिए कि वे उन्हें पूरा कर सकें । हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं । सरकार की नीति यह है जहां तक सम्भव हो सके बाजार शक्तियों और व्यक्ति विशेष को अपनी पसन्द बतानी चाहिए और जनहित में जहां भी आवश्यक हो वहां निरीक्षण किया जाए ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, रुपया भुगतान क्षेत्र एक जटिल प्रश्न है । रुपया-रूबल आदान-प्रदान दर के मुद्दे को मन्त्री महोदय ने वित्त मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में डाल दिया है और यही जटिलता का मुद्दा है । क्या सरकार ने इस पहलू की जांच की है कि हमें सोवियत संघ को लगभग 20,000 या 30,000 रुपयों का भुगतान करना है । वे अभी भी सोवियत संघ के प्रतिनिधि राष्ट्र हैं और उस प्रतिनिधि राष्ट्र को भारत को 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं । जैसाकि सोवियत संघ और भारत के बीच में होता रहा है कि वस्तु विनिमय द्वारा और केपटिव व्यापार द्वारा यह 20,000 करोड़ रुपए या 30,000 करोड़ रुपए धीरे-धीरे कम हो जाएंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस केपटिव व्यापार के लिए अनेक भारतीय उद्यमियों ने सोवियत संघ और पूर्वी ब्लाक के बाजारों के लिए अपने उद्योगों का संवर्धन किया है, भारत के विरुद्ध 20,000 करोड़ रुपए से 30,000 रुपए तक बकाया ऋण को कम करने के लिए इन उद्योगों का नवीकरण करने के लिए सरकार का कौन सा समयबद्ध कार्यक्रम है और रुपया-रूबल आदान-प्रदान की व्यवहार्य दर निश्चित करने के लिए क्या नीति है ।

श्री सलमान खुर्शीद : माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की व्यापार योजना बनाई जाती है । भारत-रूस के बीच व्यापार से सम्बन्धित अगले वर्ष की व्यापार नीति को अन्तिम रूप

अभी दिया जाना है। हमें सोवियत संघ की ओर से सुविधाजनक तारीखें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उनकी आंतरिक समस्याएं भी हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा प्रश्न वार्षिक व्यापार योजना के बारे में नहीं है।

श्री सलमान खुर्शीद : माननीय सदस्य कृपया मुझे अपना उत्तर पूरा करने दें।

वार्षिक व्यापार योजना व्यापार नियमों के परिप्रेक्ष्य में बनती है और वार्षिक व्यापार योजना बनाते समय तकनीकी ऋण व्यवस्थाओं के साथ-साथ सभी ऋणों को ध्यान में रखा जाता है। पिछले साल हमारी समस्या यह थी कि सोवियत संघ कुछ उन दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया था जो उसे व्यापार योजना के अन्तर्गत पूरे करने थे। हमारे तकनीकी ऋण ठीक से चल रहे थे इसीलिए हमारी गति धीमी रही। हमारा केवल यह कहना है कि हमें व्यापार योजना सीमाओं के भीतर सीमित रहना चाहिए और उसके बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए। दीर्घावधि योजना बनाने के लिए हमें सोवियत संघ के साथ बातचीत करनी होगी। मेरा विचार है कि यह आवश्यक है कि पहले सोवियत संघ अपनी दीर्घावधि योजना बनाए और बाद में हम मिलकर संयुक्त दीर्घावधि योजना बनाएंगे।

श्री ई० अहमद : सरकार के यह सभी कार्य निर्यात को बढ़ाने तथा आर्थिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हैं। लेकिन वास्तव में अनेक निर्यातक हैं जो इस देश के लिए रुपया भुगतान क्षेत्र में भी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। सरकार की अवमूल्यन नीति के बाद से उन्हें बहुत से नुकसान हुआ क्योंकि विदेशों में जिनके साथ उनके व्यापार समझौते थे वे उन्हें अवमूल्यन पूर्व दरों पर भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। जो निर्यातक निर्यात क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें अब बहुत घाटा हो रहा है क्योंकि सरकार ने विशेषरूप से वस्त्र क्षेत्र में नई नीति अपनाई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक मामले पर विचार करेगी और उन्हें...

अध्यक्ष महोदय : श्री दिग्विजय सिंह ने भी यहां प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर दे दिया गया है। अब कृपया शीघ्र अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ई० अहमद : मेरा निवेदन है कि क्या इसी कारण रुपया भुगतान क्षेत्र के इन निर्यातकों को हानि हो रही है? मेरा प्रश्न इस पहलू के सम्बन्ध में है।

श्री सलमान खुर्शीद : माननीय सदस्य को मेरा यह उत्तर है कि किसी वर्ग द्वारा किए गए उचित प्रयासों के लिए सरकार पूरा समर्थन देती है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रुपए के अवमूल्यन के कारण हमें निर्यात में कितने रुपए की अधिक आमदनी हुई तथा अवमूल्यन के कारण कर्ज, सूद और मूल के भुगतान के लिए कितने रुपए की अदायगी करनी पड़ेगी?

अध्यक्ष महोदय : इसका भी जवाब दिया है इन्होंने, मन्त्री जी यदि जवाब देना चाहें तो वे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : इस बारे में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वास्तविक आंकड़े वर्ष के अन्त में उपलब्ध होंगे। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि अवमूल्यन के बाद और अवमूल्यन के अलावा उठाए गए नीति सम्बन्धी अन्य कारणों से निर्यात कम हो गया था और अभी इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि रुपए का अवमूल्यन हो जाने और देश में कपासका अच्छा उत्पादन होने के कारण क्या सरकार ने अधिक कपास और सूती धागों, विशेषकर लम्बे अत्यधिक लम्बे रेशों वाले कपास का अधिक निर्यात किया और क्या सरकार इससे अधिक विदेशी पूंजी अर्जित कर सकी। यदि ऐसा है, तो इसका क्या परिणाम रहा और सरकार द्वारा लम्बे रेशेदार और अधिक लम्बे रेशेदार कपास और सूती धागों का निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निर्यात पर रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव के सम्बन्ध में है, न कि कपास के निर्यात के बारे में। मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार मैं यह बता सकता हूं कि अप्रैल-सितम्बर, 1989 के दौरान सूती वस्त्रों और सूती धागों के निर्यात का प्रतिशत बढ़कर :8.9 प्रतिशत हो गया है।

ये जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं वे कपास के वस्त्रों और सूती धागों के सम्बन्ध में हैं। यदि माननीय सदस्य विशेषरूप से कपास और सूती धागों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यह जानकारी बाद में दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित उत्तर दे सकते हैं।

पिछड़े राज्यों में परियोजनाएं

*327. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों में ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रही है जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गईं; और

(ग) आठवीं योजना-अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार द्वार प्राप्त विदेशी सहायता को समस्त अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों के केन्द्रीय पूल में डाल दिया जाता है तथा उसे हमारी योजना प्राथमिकताओं के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में आबंटित किया जाता है। तथापि, योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उचित हिस्सा दिया जाए।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान परियोजना की संख्या		
	1988-89	1989-90	1990-91
आंध्र प्रदेश	1	3	4
गुजरात	—	1	—
कर्नाटक	4	5	—
केरल	1	—	—
मध्य प्रदेश	3	—	—
महाराष्ट्र	1	1	1
उड़ीसा	2	1	—
पंजाब	—	2	—
राजस्थान	1	3	—
तमिलनाडु	3	5	3
उत्तर प्रदेश	2	1	4
पश्चिमी बंगाल	2	—	3
बहु राज्य	2	—	8
जोड़ :	22	22	23

(ग) योजना अवधि के दौरान कुल निवेश परिव्यय और उपलब्ध आंतरिक संसाधनों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी संसाधन जुटाए जाते हैं। सहायता की राशि हमारी प्रतिवर्ष सहायता आवश्यकताओं ओर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता स्थिति पर निर्भर करेगी। 1 अप्रैल, 1992 से शुरू होने वाली आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस प्रकार इस स्थिति में आठवीं योजना अवधि के दौरान अपेक्षित विदेशी सहायता की अनुमानित मात्रा और स्वरूप बताना सम्भव नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल में, जिसमें दाता, चाहे वह कोई देश हो, या कोई वित्तीय संस्था, वे निवेश के क्षेत्र को निर्धारित करने में अपने प्राधिकार का उपयोग करना चाहते हैं और चूंकि अब नई आर्थिक नीति के तहत जो उदारीकरण और अविनियमन की नीति भी बनाई गई है, तो क्या ऐसे चुनीदा क्षेत्रों में जिसमें विशेष सहायता की आवश्यकता है, वित्त मन्त्रालय विदेशी अनुदानो और सहायता को नियन्त्रित या निर्देशित कर सकता है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सरकार की यह नीति है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में हमें पूंजीगत माल, मशीन, कल-पुर्जे, कुछ आवश्यक कच्चे माल के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों जैसी वस्तुओं के लिए विदेशी सहायता मिलती है ।

सहायता कार्यक्रम के तहत हमारे पास कई मामलों में जैसे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में विदेशों द्वारा कार्यक्रम दिए जाते हैं । इसलिए विदेशी आदाताओं की किसी विशिष्ट शर्त को ही मानने का विकल्प नहीं रह जाता । वस्तुतः उन्हें ही उन क्षेत्रों का पता लगाना है जिनमें कोई देश विशेष या सहायता देने वाला देश हमारे देश को सहायता देने का इच्छुक है और जिनमें सामान्य शर्तें लागू होती हों । ऐसी बात नहीं कि हमने सारी शर्तें वापस ले ली हैं । ऐसी बात नहीं है । कुछ ही मामलों में छूट दी गई हैं । इक्विटी में निवेश के मामले में सभा पटल पर अलग से ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : उस मामले में विशिष्ट श्रेणी वाले राज्य जैसे पूर्वोत्तर राज्य और पर्वतीय राज्यों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विकास के लिए सहायता देने आदि की योजनाएं हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं से भी आपको विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण मिलता है । क्या सरकार ने राजस्थान और कच्छ के रेगिस्तानी क्षेत्र को रियायती दरों पर विकासीय निधियां और ऋण आदि दिलाने के लिए, उन्हें विशिष्ट क्षेत्र की श्रेणी में रखने और पर्वतीय क्षेत्रों के समान दर्जा देने सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलू की भी जांच की है ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक आयोजना का सम्बन्ध है, हमने गाडगिल फार्मूला में कुछ परिवर्तन किया जिसके आधार पर सहायता दी जाती है । (**व्यवधान**) मैं विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों की चर्चा करने जा रहा हूं । धनराशि के आवंटन के लिए हमारे पास आधारभूत मानदण्ड हैं । जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है, वह हमें हमारी कुल योजना की कुल आवश्यकता और देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही दी जाती है । शेष कमी को विदेशी सहायता से पूरा किया जाता है । वे अलग तरह की होती हैं जिसका उल्लेख हमने पहले किया है । पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमारे पास विशेष मानदण्ड हैं । उन सात या नौ राज्यों को विशेष सहायता दी जाती है । विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए हम आवंटन और विशेष सहायता देने के सम्बन्ध में खासतौर पर विचार करते हैं । जैसाकि मैंने कहा कि सामान्य आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र की परियोजनाओं को सहायता देंगे । यदि जानकारी आपके पास है तो दें, अन्यथा लिखित में भेज दें ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : भारत सरकार विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों और राजस्थान के मरु क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती रही है । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना का उल्लेख करे, तो सरकार द्वारा उस पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा ।

श्री अयूब खां : जानबे सदर मोहतरम, जैसाकि आप जानते हैं कि सवाल पिछड़े राज्यों के सम्बन्ध में है और राजस्थान पिछड़े राज्यों में आता है और राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसका योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह आपस में ही लड़कर चल रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की जो आऊटसटैंडिंग प्राजेक्ट्स बिजली और सिंचाई के बारे में हैं, इन्दिरा गांधी कैनाल, पिलानी बिजली घर एवं पानी की भयंकर समस्या को मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय सरकार उन स्कीमों को लेगी या नहीं क्योंकि मुझे खेद होता है कि आपने राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य को इसमें शामिल नहीं किया है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आईए···

श्री अयूब खां : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन प्रोजेक्ट्स में राजस्थान को हिस्सा देंगे या नहीं ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : जहां तक राजस्थान का सवाल है, पिछले साल विदेशी सहायता में आई हुई राशि में से राजस्थान को एलोकेशन 12.44 करोड़ रुपया दिया गया। इस साल का जो एलोकेशन का प्रबन्ध किया गया है, वह 26 करोड़ का है, उसमें से 11.76 करोड़ दिया गया है। यदि नयी योजना के सम्बन्ध में, चाहे वह सिंचाई की हो, हिल एरिया की हो, डेजर्ट एरिया की हो, यदि राजस्थान सरकार उन प्रस्तावों को 8वीं योजना में अपने स्टेट की प्लान में केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगी तो केन्द्रीय सरकार का प्लानिंग कमीशन उस पर विचार करेगा और प्राथमिकता के आधार पर उनको विशेष स्थान और महत्व दिया जाएगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछड़े राज्यों को विदेशी सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में किया गया है। अभी इस देश में सबसे पिछड़ा राज्य अगर कोई है तो वह बिहार है और बिहार में कृषि बाढ़ से प्रभावित होती है। नेपाल की तराई में···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है और आप कुछ पूछ रहे हैं। प्रश्न तो बैकवर्ड एरियाज में फारेन एड देने के लिए है···आप प्रश्न पर आईए, आप सीधे पूछिए कि बिहार के लिए फारेन एड दे रहे हैं या नहीं ?

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लिए बिहार में फारेन एड दी जा रही है और बिजली, शिक्षा, उद्योग के क्षेत्र में भी 8वीं योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता देने के लिए बिहार को प्राथमिकता देंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष जी, जहां तक प्रतिवर्ष विदेशी सहायता का सवाल है, बिहार में कई प्राजेक्ट चालू हैं, उनके लिए आवश्यक राशि का प्रावधान इस साल भी किया गया है। जहां तक आपके बाढ़ग्रस्त इलाकों और बिजली का—इन दोनों का प्रश्न कहा गया है, यदि राज्य सरकार कोई खास योजना बाढ़ के क्षेत्र के लिए या अपनी राज्य की योजना में या वार्षिक योजना में या 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यदि प्रावधान करें और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजें तो उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री विश्वेश्वर भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हरिजन—आदिवासी बाहुल्य और पिछड़ा प्रदेश है। पिछले दो वर्षों में उसे किसी भी प्रकार की किसी योजना के लिए विदेशी धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या माननीय मन्त्री महोदय आठवीं योजना में जो मध्य प्रदेश द्वारा अनुमोदित सेन्ट्रल गवर्नमेंट को योजना भेजी जाएगी, उसके लिए राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसमें दो बातें हैं। पहले कहा गया कि कुछ नहीं दिया गया, मगर वह नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, सेन्ट्रल एसिस्टेन्स फार एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए मध्य प्रदेश में 1990-91 में 111 करोड़ रुपए का प्रावधान था जिसमें से 46 करोड़ 13 लाख रुपए का उपयोग किया गया था, उन्हें दिया गया था। इसी प्रकार चालू साल के लिए 1991-92 के लिए 133 करोड़ रुपए का प्रावधान है और उसमें से 21 करोड़ 22 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। आगे के लिए जो प्रस्ताव आएंगे, उसके सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात

[अनुवाद]

*328. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के निर्यात की प्रक्रिया को हाल ही में सरल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से देश हमारे देश से चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के प्रमुख आयातक हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-बासमती चावल और कुछ अन्य खाद्यान्नों को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है और इनके निर्यात की अनुमति कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा जारी किए जाने वाले पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाणपत्र के अधीन है। निर्यात लाइसेंस लेने की अब कोई जरूरत नहीं है।

(ग) सऊदी अरब, यू० ए० ई०, कुवैत, बहरीन और जार्डन आदि मध्यपूर्व के देश भारत से खाद्यान्न का आयात करने वाले प्रमुख देश हैं। इनके अतिरिक्त, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश, डी० पी० आर० कोरिया और नेपाल भी काफी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करते हैं।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली : अध्यक्ष महोदय, मूलतः कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत निर्यात हेतु मुख्यतः मूल उत्पादों पर ही निर्भर है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निर्यात योग्य चावल के निर्यात के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

श्री सलमान खुर्शीद : नई निर्यात नीति में कृषि उत्पादों को 'विशेष बल क्षेत्र' के रूप में स्वीकार

किया गया है। नई निर्यात नीति के अन्तर्गत लागू की गयी 'एक्जिम स्क्रीप्स' योजना कृषि निर्यातकों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुई है। चूंकि वस्तुतः कृषि उत्पादों में किसी भी आयातित आदान का उपयोग नहीं किया जाता, एक्जिम स्क्रीप्स का दिया जाना कृषीय निर्यातकों को दिया जाने वाला बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है और इन निर्यातकों में चावल के निर्यातक भी शामिल हैं।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या आर्थिक सुधारों के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के मांग में कोई बढ़ोतरी हुई है ?

श्री सलमान खुर्शीद : नई आर्थिक नीतियों को लागू किए जाने और रुपए के अवमूल्यन से पूर्व विश्व बाजार में भारतीय चावल की न कोई मांग थी न ही वह स्पर्धा में था। भारतीय चावल की कीमतें अब बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो गयी हैं इसलिए पूरे विश्व में भारतीय चावल की अत्यधिक मांग है। फिर भी मूल रूप से घरेलू आवश्यकताओं के कारण और यह सुनिश्चित किए जाने के कारण कि निर्यात के कारण कहीं घरेलू कीमतें न बढ़ जाएं, इस वर्ष निर्यात हेतु सिर्फ 7 लाख टन का कोटा उपलब्ध कराया गया था।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बासमती चावल के अलावा और कौन-कौन से चावलों का निर्यात भारत द्वारा कौन-कौन से देशों को किया जाता है ?

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शीद : मैं यह दुहरा दूं कि सर्वाधिक मध्य पूर्वीय देशों···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बासमती चावल के अलावा दूसरे कौन से प्रकार के चावलों का निर्यात किया जाता है, यह पूछा है।

श्री सलमान खुर्शीद : बुनियादी तौर पर जो चावल की डिमांड इस वक्त ज्यादा है, वह बासमती को छोड़कर है। इस समय पूरे विश्व में हमारी बासमती चावल के लिए डिमांड नहीं है बल्कि नॉन बाससती चावल की ज्यादा डिमांड है। उसमें अलग-अलग वैराइटी के चावल जाया करते हैं। चावल की जिन वैराइटीज की इस वक्त काफी डिमांड है—वे हैं—पी० आर० 106, आई० आर० 64, गौरव और पंजाब नं० वन।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे अपने लिखित उत्तर के साथ-साथ पूरक प्रश्नों के उत्तर में 'मध्य पूर्व' शब्द को 'पश्चिम एशिया' करने से सम्बन्धित संशोधन लाए। पूर्ववर्ती शब्द का उपयोग अपने देश में हम राजनीतिक कारणों से करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, यह अनुरोध और सुझाव ऐसे माननीय सदस्य ने दिया है जो भारत की विदेश नीति के अच्छे जानकार हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि चावल के साथ-साथ चीनी भी बहुत जरूरी चीज है, इस देश में जिसका उत्पादन काफी मात्रा में होता है। हमारे यहां तो चीनी का उत्पादन काफी है, मगर पूरे देश की दृष्टि से देखा जाए तो काफी मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के आभूषण उद्योग परिसर

+

***329. श्री रमेश चन्द्र तोमर :**
श्रीमती महेन्द्र कुमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख आभूषण उद्योग परिसरों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को ऐसे कुछ और उद्योग परिसरों की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन उद्योग परिसरों को कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन परिसरों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) एम० एम० टी० सी० ने झंडेवालान में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख आभूषण विनिर्माण कंप्लैक्स स्थापित किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एम० एम० टी० सी० ने कलकत्ता में साल्ट लेक एरिया के एक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख कंप्लैक्स स्थापित करने के लिए भूमि ली है। भवन-निर्माण और बुनियादी-संरचना संबंधी सुविधाओं के पूरा होने के बाद तीन वर्ष में इस कंप्लैक्स के तैयार हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि झण्डेवालान में सोने के आभूषण निर्यात करने के लिए हन्ड्रेड परसेंट निर्यातोन्मुख केन्द्र कब खोला गया और उससे निर्यात पर क्या असर पड़ा। इसके अलावा एम० एम० टी० सी० ने सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन-कौन सी स्कीम्स चलाई हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : सबसे पहले 1988 में झण्डेवालान में यह काम्पलैक्ट सैट-अप किया गया था और 1988 से लेकर 1990 तक इसका निर्यात निरन्तर बढ़ता गया है। शुरू में 5 करोड़ के लगभग था जब कि इस वर्ष हमें आशा है कि यह 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, इसमें काफी सुविधाएं दी गयी हैं—एम० एम० टी० सी० की तरफ से गोल्ड दिया जाता है। उन्हें इतनी सुविधा भी दी गयी है कि डायरैक्टली वे अपने लिए गोल्ड का इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी एक नई पौलिसी गोल्ड की और आयी है, जिसमें इन यूनिट्स के अलावा, डी० टी० ए० यानी डौमैस्टिक टैरिफ एरिया में, ऐसी यूनिट्स को कुछ सुविधाएं गोल्ड इम्पोर्ट करने के लिए दी गयी हैं ताकि ज्यादा गोल्ड ज्यूलरी का निर्यात किया जा सके।

डा० रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतवर्ष का, सोने के आभूषणों के निर्यात में कितने फीसदी भाग है।

श्री सलमान खुर्शीद : अभी तो, यह समझ लीजिए कि बहुत माइक्रोस्कोपिक हिस्सा है, बहुत बड़ी मार्केट है। इसीलिए हम लोग इसे एक थ्रस्ट एरिया समझकर, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे बढ़ावा दिया जाए। सबसे ज्यादा निर्यात की उम्मीद हमें गोल्ड के क्षेत्र में है। डायमण्ड के क्षेत्र में तो हम पहले से ही काफी निर्यात करते हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, सोने की चर्चा तो इस समय हो रही है परन्तु मैं चर्चा को उस विषय की ओर मोड़ना चाहता हूं, जिसकी तरफ शायद अभी तक माननीय मन्त्री जी का ध्यान नहीं गया होगा। वह यह है कि हमारे बिहार में सीप के आभूषण काफी बनते हैं परन्तु सीप के आभूषणों के निर्यात के लिए अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने जा रही है, जिसके जरिए बिहार में सीप से बनने वाले आभूषणों के निर्यात को सुविधा प्रदान की जा सके।

श्री सलमान खुर्शीद : यह सवाल चूंकि सोने के आभूषणों के निर्यात से भिन्न है, इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहां से जो भी वस्तु हमें निर्यात के लिए मिल सकती है, उसे हम पूरी सुविधा देने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य से गुजारिश करूंगा कि उनके पास जो सूचना हो, उसे वे हमारे पास भिजवाएं ताकि हम उस पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, सबसे ज्यादा निर्यात मुम्बई से किया जाता है। अधिकांश आभूषण निर्माता मुम्बई और इसके समीपवर्ती नगर सूरत तथा गुजरात के अन्य क्षेत्रों में हैं। पहले भी एक चर्चा

हुई थी कि मुम्बई में बांद्रा के निकट एक परिसर की स्थापना की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसा इस कारण है क्योंकि उत्तर में इस परिसर का जिक्र नहीं है।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, इसी प्रकार के परिसर की स्थापना अन्य स्थान पर करने की कोशिश हमने की है। हमने सूरत और जयपुर में इसकी स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर अनुक्रिया अच्छी नहीं रही। आज भी हम यह चाहते हैं, यदि अच्छे किस्म के आभूषण के 20-25 निर्माता इस क्षेत्र में प्रस्ताव करते हैं तो हमें उस प्रस्ताव पर विचार करके बहुत ही खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में जो आभूषण बनाने की पुश्तैनी कला थी उसमें कमी आई है? क्या यह बात भी सही है कि सरकार ने जर्मनी, जापान और इटली से समझौता करके आभूषण बनाने की मशीनें मंगायी हैं जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तक आभूषण के बारे में सवाल हो रहा था। मैं पीतल उद्योग के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह ज्वैलरी के बारे में है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : पीतल के बर्तन मिर्जापुर में···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : यह बर्तनों का नहीं है, यह आभूषणों का सवाल है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर आभूषण पहन कर लोग जी सकते हैं तो मैं बर्तन का सवाल उठाना बंद कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह बात भाषण में कहिए, क्वश्चन में न कहिए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाईए।

(**व्यवधान**)*

इलेक्ट्रानिक और राडार विकास संस्थान की अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

[हिन्दी]

*330. **श्रीमती सुषमा महाजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या इलेक्ट्रानिक राडार विकास संस्थान द्वारा शुरू की गई तीन अनुसंधान और विकास परियोजनाएं बीच में ही बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और उन पर कितका धन खर्च किया गया;

(ग) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे अन्य संस्थानों के साथ कोई समन्वय रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। सम्बन्धित प्रयोगशाला का नाम इलेक्ट्रानिक एवं राडार विकास स्थापना, बंगलौर है।

(ख) मुख्य कारण ये थे :—

(एक) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास क्षमता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य हासिल किया जा चुका था।

(दो) उत्पादन एजेंसियां इसी प्रकार की प्रणालियों के विकास में लगी थीं।

(तीन) वित्तीय संसाधनों को अधिक प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में लगाने की आवश्यकता थी।

स्वीकृत 7.24 करोड़ रुपए की राशि में से कुल 3.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जो तीन योजनाएं हैं, उसमें से पहली राडार के विकास के बारे में थी, दूसरी शस्त्र खोजने वाली प्रणाली की उप-प्रणाली का विकास करने और उसमें शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर का विकास करने की थी और तीसरी मैप डिजिटाइजर और डिसप्ले प्रणाली के बारे में थी। मैंने अपने प्रश्न "सी" में पूछा था कि क्या कोआर्डिनेशन है ? उसके जवाब में कहा था कि हां, कोआर्डिनेशन है और दूसरी संस्थाओं में ऐसी योजनायें बनती हैं, अनुसंधान होता है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि सी० ए० जी० की रिपोर्ट में क्वोट किया है कि पहली योजना के बारे में अप्रैल 1989 तक

[अनुवाद]

"एल० आर० डी० ई० को इस परियोजना की जानकारी तक नहीं थी।"

[हिन्दी]

दूसरी योजना के बारे में भी वही टिप्पणी की गई है कि 1983 में योजना बनाई गई थी और 1988 में इसके क्लोजर की अनुमति मांगी गई थी, इस आधार पर कि दूसरे पब्लिक सेक्टर के द्वारा इसी प्रकार से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अनुसंधान किया जा रहा है···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यह कहा गया कि कोआर्डिनेशन हैं तो क्या सी० ए० जी० की इस इन्क्वायरी के आधार पर किस प्रकार के कोआर्डिनेशन की बात करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : सरकार डी० आर० डी० ई० के इन तीन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखाकार की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार जानती है और सरकार ने नियंत्रक-महालेखाकार को अपना जवाब भेज दिया है।

श्री जसवंत सिंह : इन टिप्पणियों पर सरकार ने यह उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आप कहते हैं कि कोआर्डिनेशन है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार . मैं उत्तर दे रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि कि यह सम्मानीय सभा इसकी सराहना करेगी। अधिकांश रक्षा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जो स्थिति है, उससे विशेषरूप से 'अग्रणी प्रौद्योगिकियों' में एक प्रकार का अन्तर्जात खतरा है। इनके परिणाम के बारे में सर्वदा पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है और हमें इसे स्वीकार करना है और इसकी व्यवस्था करनी है। डी० आर० डी० सी० की एक प्रणाली है जिसके द्वारा कुछ परियोजनाओं में बीच-बीच में सुधार किया जाता है और कुछ को पहले ही बन्द कर दिया जाता है। एक मानदण्ड के अनुसार इन परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। ये वे परियोजनायें होती हैं जिनका लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका होता है, वे परियोजनाएं भी हैं जहां कि रक्षा सम्बन्धी प्राथमिकतायें और उनके उपयोग प्रयोक्ता की आवश्यकतायें ही बदल दी गई हैं, फिर उस प्रकार की परियोजनायें भी हैं जिनमें कि विभिन्न अड़चनों और कठिनाइयों के कारण वांछनीय परिणाम और लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है और ऐसी भी परियोजनायें हैं जिन्हें स्पर्धातियुक्त सक्षम परियोजनायें कहा जाता है, जिनमें कि मूल प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली गई हैं। इसलिए इन तीन परियोजनाओं, अर्थात नौसैनिक रडार परियोजना, वीपन फाइण्डर सिस्टम के लिए इन्टरसेप्ट ट्रांसरिसीवर की उच्च शक्ति निम्न संभाव्यता और मैप डिजिटाइजर और डिस्प्ले सिस्टम को कुछ कारणों से पहले ही बन्द कर दिया गया है और हमने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी का अनुकूल जवाब दे दिया है। महोदय, जहां तक समन्वय के सम्बन्ध में सदस्यों के प्रश्न की बात है तो समन्वय प्रक्रिया बहुत ही प्रभावकारी हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इलेक्ट्रानिकी के मामले में डी० आर० डी० ई० परियोजनाओं पर भारत सरकार के अन्य सभी अनुसंधान और विकास

संगठनों के प्रतिनिधि की बतौर इलेक्ट्रानिकी विकास पैनल द्वारा निरन्तर इस पर पुनर्विचार किया गया है। इन संगठनों की बैठक निरन्तर होती रहती है और इनमें समन्वय बना रहता है। यह एक नैरंतारिक प्रक्रिया है। सरकार इस सम्माननीय सभा को और माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहेगी कि उचित कारणों से इन परियोजनाओं को बन्द कर दिया गया था और धनराशि खर्च करने की जगह हम इस अनावश्यक खर्च को बन्द कर जोकि इन परियोजनाओं के जारी रहने पर सरकार को वहन करना पड़ता, धन की बचत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मूलतः मेरी बात यह थी कि कोआर्डिनेशन न होने के कारण तीन करोड़ रुपए हमारे खर्च हो गए हैं। आज यह भी बात ठीक है कि अनुसंधान जितनी ज्यादा संस्थाओं के द्वारा होता है, विकास उतनी अच्छी गति से हो सकता हैं, यह बात मानी जा सकती है। लेकिन कई बार ओवर-लैपिंग होने के कारण कठिनाई आती है। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री जी के पास आज ऐसी कोई स्टडी करने की कोई प्रणाली है कि कितने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके साथ अनुसंधान भी चल रहे हैं क्योंकि मेरी जानकारी में आज भी नान मैग्नेटिक स्टील स्ट्रक्चरल इंक्लयुडिंग वल्व वार्स के विकास की जो बात हो रही है उसमें इसी प्रकार का घाटा उठाना पड़ रहा है क्या ऐसी स्टडी की व्यवस्था की है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जहां योजनायें चल रही हैं तो इसका आपस में तालमेल बैठाने की कुछ योजना बनाई है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : रक्षा मन्त्रालय में रक्षा-अनुसंधान विकास संगठन रक्षा बलों और हमारे रक्षा उत्पादन स्थापनाओं के बीच बहुत ही प्रभावकारी और वैज्ञानिक प्रकार का समन्वयता है। यह पूर्णतः संभव है कि समान प्रकार के अनुसंधान देश के अन्य वैज्ञानिक संगठनों में भी किए जा रहे हों लेकिन वे अनुसंधान कुछ भिन्न प्रकार के हैं। उनकी योजनाओं में थोड़ी बहुत समानता हो सकती है और अनेक व्यवसायिक अनुसंधान संगठन भी सुस्पष्ट कारणों की वजह से उस अनुसंधान के विकास के परिणाम को नहीं दे सकते हैं। इसलिए पूरा तालमेल बनना संभव नहीं है। वास्तव में समान विषय पर समानान्तर अनुसंधान के पक्ष में तर्क दिया जाता है क्योंकि कुछ अनुसंधान दल को सफलता मिल सकती है और कुछ को नहीं भी मिल सकती है। फिर भी माननीय सदस्य के मुद्दे पर उचित चर्चा की गई है। उनमें समन्वय है जिसमें हम निरन्तर सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र की सहायता

*331. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र को विभिन्न योजनाओं के लिए गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता देने के लिए जीवन बीमा निगम विचार कर रहा है और इस हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए)

योजनायें	वर्ष 1989-90 के दौरान निवेश	वर्ष 1990-91 के दौरान निवेश
1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	4.53	4.50
2. भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र	2.57	7.78
3. राज्य वित्तीय/औद्योगिक विकास/औद्योगिक निवेश निगम/आई० सी० आई० सी० आई० बाण्ड और शेयर	2.50	3.75
निम्नलिखित को ऋण :		
4. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को	2.50	1.32
5. शीर्ष सरकारी आवास वित्त समितियों, आवास बोर्डों और अन्य प्राधिकरणों को	26.33	30.00
6. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि को	52.98	37.52
7. राज्य बिजली बोर्ड	69.31	71.13
8. औद्योगिक क्षेत्र	0.53	0.68
9. राज्य सड़क परिवहन निगम	9.68	5.12
जोड़ :	170.93	161.80

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए इस समय विचाराधीन योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

योजनाएं	
1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	12.00
2. बिजली बोर्ड बांड, भूति विकास बैंक ऋण पत्र, राज्य वित्तीय निगमों आदि के बाण्ड शेयर	10.00
को/के लिए ऋण :	
3. राज्य सरकार को आवास के लिए	14.35
4. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति	15.00
5. जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं	48.43
6. राज्य बिजली बोर्ड	23.24
7. सहकारी औद्योगिक क्षेत्र	1.00
8. राज्य सड़क परिवहन निगम	5.63
जोड़ :	119.65

बासमती से भिन्न किस्म के चावल का निर्यात

*332. **श्री जीवन शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती से भिन्न किस्म के चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में सरकार को अखिल भारतीय चावल निर्यातक संगठन से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार को न तो ऐसे किसी फोरम की जानकारी है और न ही ऐसे किसी फोरम से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर्थिक नीतियों में परिवर्तन

[अनुवाद]

*333. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उदार बनाई गई आर्थिक नीतियों का, जिनमें लाइसेंसों और परमिटों को समाप्त किया जाना भी शामिल है, मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उदारता के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अब तक आए ठोस सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में आर्थिक नीतियों में यदि कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार जून के पश्चात् लागू किए गए नीति सम्बन्धी प्रोत्साहनों के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव की लगातार परिवीक्षा कर रही है। अर्थव्यवस्था पर इन उपायों के पूर्ण प्रभाव को बताना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन अब तक प्राप्त हुए परिणामों से कतिपय क्षेत्रों में स्पष्ट सुधार प्रकट होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाए रखने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। विदेशी मुद्रा भण्डारों में भी काफी अधिक वृद्धि हुई है। हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गिरवी रखे गए सोने को तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहले बेचे गए सोने को भी छुड़ाने में सक्षम हुए हैं। अगस्त में 16.7 प्रतिशत के शीर्ष स्तर से मुद्रास्फीति की दर में भी कुछ कमी आई है जो 14 प्रतिशत के लगभग है, फिर भी, मुद्रास्फीति अभी तक काफी उच्च स्तर पर बनी हुई है। व्यापार और औद्योगिक नीति में हुए संरचनात्मक सुधारों से भी आगामी 18 महीनों के दौरान अनुकूल प्रभाव बना रहेगा।

(ग) सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और उभरती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप जब कभी आवश्यक होगा तो नीतियों में परिवर्तन करने की घोषणा की जाएगी।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रक्रियाएं तथा प्रौद्योगिकियां

***324. श्री प्रफुल पटेल :**
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) ने अनेक नयी प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिनका हस्तांतरण निजी क्षेत्र के उद्योगों को किया जा रहा है;

(ख) क्या इन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है अथवा अन्य किसी संगठन के माध्यम से; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों को कितनी प्रक्रियाओं का हस्तान्तरण किया गया और उनका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सीधे ही तथा राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) सातवीं योजना-अवधि में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रौद्योगिकियों को निजी क्षेत्र के उद्योगों को हस्तांतरित किया गया है। प्रौद्योगिकियों का विषयवार विवरण इस प्रकार है :—

विषय	हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों की संख्या
इलेक्ट्रॉनिकी एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन	63
मैकेनिकल इन्जीनियरी	16
विशेष वाहन	7
धातु विज्ञान	5
रासायनिक प्रक्रियाएं	24
भोजन प्रौद्योगिकी	27
वस्त्र एवं प्राकृतिक वास की मदें	6
जल शोधक	5

जहाजों के लिए निर्जल गोदी की सुविधाएं

*335. श्री हरि किशोर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जहाजों के लिए निर्जल गोदी की सुविधाएं सीमित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मद पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस सुविधा का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) जहाजों की मरम्मत के लिए 1990-91 के दौरान 147.47 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च की गई।

(ग) और (घ) जहां मरम्मत उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है और सरकार अपने

नियन्त्रण में नई सुविधाएं सृजित करने के बजाय राज्य सरकारों से प्रोत्साहन सम्बन्धी सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र की नई इकाईयों को प्रोत्साहित करना पसन्द करेगी ।

विदेशी ऋण लेने के लिए दिशा-निर्देश

*336. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक इस सुविधा का लाभ उठाने वालों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसे कोई मार्गदर्शी-सिद्धान्त तैयार नहीं किए जा रहे हैं, जो विशिष्ट रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन के बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी ऋण लेने हेतु अनुमति दे सकें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूंजी निर्गम नियंत्रक की शक्तियां और कृत्य

*337. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियंत्रक की शक्तियों और कृत्यों में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां देने का विचार है ताकि विदेशी कम्पनियां अपनी इक्विटी पूंजी बढ़ा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन विचाराधीन है ।

सोने और चांदी का आयात

*338. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह नाममात्र का सीमा-शुल्क लगाकर सोने और चांदी के निर्बाध आयात की अनुमति दे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन धातुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कुछ मुद्राओं और बहुमूल्य धातुओं के आयात और निर्यात पर प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में, फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने अपने "फेरा में संशोधन" शीर्षक के ज्ञापन में यह सुझाव दिया है कि इन प्रतिबन्धों को तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि एक्जिम स्क्रिपों का त्याग नहीं कर दिया जाता है। सरकार, अर्थव्यवस्था, व्यापार सन्तुलन और विदेशी मुद्रा दबावों की वर्तमान स्थिति में एक्जिम स्क्रिपों के बदले सोने और चांदी के आयात की अनुमति देना व्यवहार्य नहीं समझती है।

(ग) सरकार नहीं समझती कि सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि चिन्ता का विषय है, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं। इसलिए इन धातुओं की कीमतों में वृद्धि को नियन्त्रण में रखने के लिए विशेष उपाय किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उरूग्वे दौर की व्यापार-वार्ता

*339. **श्री रवि राय :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि उरूग्वे दौर की व्यापार-वार्ता, जो इस समय अन्तिम चरण में है, के निष्कर्ष विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इस वार्ता के निष्कर्ष विकासशील देशों के पक्ष में जायें?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) 18 नवम्बर, 1991 को नई दिल्ली में विश्व अर्थव्यवस्था फोरम की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य राज्य मंत्री ने इस बात की आशंका व्यक्त की कि शायद व्यापार वार्ताओं के उरूग्वे दौर का परिणाम विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत अथवा निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने बताया कि भारत उरूग्वे दौर में रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है, लेकिन उरूग्वे दौर में विकासशील देशों के हितों पर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वस्त्र के क्षेत्र में, बहु-रेशा प्रबन्ध को उदार बनाये बिना 17 महीने तक जारी रखने का निर्णय इस बात का स्पष्ट संकेत है कि विकासशील देशों के हितों को नकारा जा रहा है। भारत इन वार्ताओं में दृढ़ता से अपने हितों की रक्षा करता रहा है।

भारत जोर देकर अपने इस विचार को भी व्यक्त करता रहा है कि इसमें सफल होने के लिए उरूग्वे दौर का समापन एक ऐसे सन्तुलित पैकेज के रूप में होना चाहिए जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों का हित परिलक्षित हो।

वस्त्र सम्बन्धी वार्ताओं में हम एम० एफ० ए० को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा बाजार

प्रवेश को उदार बनाने की प्रक्रिया को विश्वसनीय और अर्थपूर्ण बनाए जाने की बात पर जोर देते रहे हैं। नियम बनाए-जाने के क्षेत्र में भारत अन्य भागीदारों के साथ, एक गैर-विभेदकारी सुरक्षा करार का प्रबल समर्थक रहा है। पाटन-रोधी और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क उपायों के क्षेत्र में हम स्पष्ट बहुराष्ट्रीय नियमों के लिए दबाव देते रहे हैं ताकि ऐसे उपायों से पड़ने वाले व्यापार उत्पीड़न प्रभावों से बचा जा सके। हम बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं (ट्रिप्स) की वार्ताओं में सक्रिय भाग लेते रहे हैं ताकि हम उचित कीमतों पर खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा सुलभ कराए जाने के मुद्दे पर अपना मंतव्य व्यक्त कर सकें। सेवा के क्षेत्र में हमें आशा है कि हमारे देश के चुनिन्दा सेवा क्षेत्रों में प्रवेश के बदले हमें विभिन्न क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वालों के अस्थायी आवागमन के लिए बाजार सुलभ हो सकेंगे।

आर्थिक संकट

[हिन्दी]

*340. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री** 26 जुलाई और 2 अगस्त, 1991 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 702 और 1432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने और देश को विदेशी ऋणों/सहायता से मुक्त करने हेतु किन कारगर उपायों पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : सरकार ने पहले से ही व्यापारिक, औद्योगिक और सरकारी क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों सहित विनिमय दर समायोजन, राजकोषीय अनुशासन को कायम रखने तथा सख्त मौद्रिक नीति जैसे बृहत-आर्थिक स्थिरीकरण के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन नीतियों से कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि होने तथा वृद्धि की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और उससे उच्च स्तर के निर्यातों और समग्र वृद्धि के लिए एक ठोस आधार मिलने की सम्भावना है। विदेशी मुद्रा के भण्डारों और व्यापार सन्तुलन के स्तरों से हाल ही की प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि इन नीतियों का समग्र प्रभाव अनुकूल ही रहा है। उभरती हुई आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण जरूरत पड़ने पर और आगे कदम उठाए जाएंगे।

निर्यातोन्मुखी धागा मिलें

*341. **श्री बलराज पासी :**

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान निर्यातोन्मुखी धागा मिलों को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और निर्यातोन्मुखी धागा मिलें स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये मिलें किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख यार्न एककों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत यार्न के निर्यात निम्नोक्त अनुसार हुए हैं :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1988-89	17.15
1989-90	35.10
1990-91	37.74 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख एककों की स्थापना उद्यमियों की इच्छा अनुसार ऐसे स्थान पर की जा सकती है जोकि सरकार की स्थान सम्बन्धी नीति के अध्यधीन हो।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को भरना

***342. श्री छेदी पासवान :**
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, बोर्डों और अन्य संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापार मेले

***343. श्री काशीराम राणा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयोजित मेलों में कितने देशों ने भाग लिया;

(ख) क्या इन मेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का व्यापार मेलों के प्रति और अधिक देशों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा आयोजित मेलों में भाग वाले देशों की संख्या निम्नलिखित रही :—

1989	74 देश
1990	71 देश
1991	63 देश

पिछले कुछ वर्षों में टी० एफ० ए० आई० द्वारा आयोजित व्यापार मेलों में विदेशों की भागीदारी कम हुई है जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) इस दौरान अनेक देश आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजरते रहे हैं। इन कठिनाइयों में विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि शामिल है। इसके कारण संभव है कि मेलों में भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(2) संसार भर में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कि अलग-अलग देशों को विश्व-भर में आयोजित मेलों में इच्छित भागीदारी का चुनाव करने की सुविधा मिल गई और हमारे मेलों में भागीदारी कम हो गई।

(3) भारत में 1989 से 1991 के मध्य तक राजनीतिक स्थिति तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति अनिश्चित रही।

(घ) निम्नलिखित उपायों से भारत में व्यापार मेलों में विदेशी भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी :—

(1) वर्तमान सरकार ने उद्योग—संयुक्त उद्यम और वस्तुओं के निर्माण-आधार स्थापित करने के लिए जो उदार नीतियां शुरू की हैं उनका विदेशों में प्रचार किया जा रहा है ताकि विदेशी कम्पनियों को भारत के व्यापार मेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिले।

(2) भारत में प्रदर्शित माल के निपटान के लिए विशेष आयात मेला-कोटा में वृद्धि।

(3) विदेशी में स्थित भारतीय दूतावासों आदि के जरिए और भारत में स्थित विदेशी दूतावासों के जरिए अधिक सम्पर्क और आपसी क्रियाकलाप।

उड़ीसा को सड़क परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

[अनुवाद]

***344. डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कतिपय सड़क परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु ऋण-सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में एक्सप्रेस मार्गों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए/विचार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) बातचीत के पश्चात 80 करोड़ रु० की प्रारंभिक लागत की राउरकेला-संबलपुर राज्य राजमार्ग (164 कि०मी०) सुधार परियोजना को दूसरे एशियाई विकास बैंक राजमार्ग ऋण के अंतर्गत जिस पर बैंक के साथ पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, शामिल कर लिया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव न तो प्राप्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

3598. **श्री राम नाईक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स आफ इण्डिया, मुम्बई" में "लूपहोल्स इन एविडेंस एक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए कानून विधेयक पेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक पेश किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां। निर्णय के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इस समय साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा तकनीकी सहायता

[हिन्दी]

3599. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक भारत को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत को एशियाई विकास बैंक द्वारा अब तक प्रदान की गई तकनीकी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एशियाई विकास बैंक से भारत को तकनीकी सहायता

परियोजना के नाम	राशि (अमरीकी डालर)
1	2
1. सड़क सुधार	75,000
2. पत्तन और नौवहन क्षेत्र अध्ययन	500,000
3. भारतीय एक्रीलिक्स लिमिटेड	22,000
4. वित्तीय क्षेत्र प्रोफाइल अध्ययन	48,500
5. पटरी प्रबन्ध	490,000
6. एक्सप्रेसवे सिस्टम प्लानिंग	260,000
7. बिजली क्षेत्र ऋण	50,000
8. डी० ओ० टी० के लिए प्रबन्ध प्रशिक्षण	390,000
9. पी० आई० जे० एफ० केबिल के लिए डी० ओ० टी० विनिर्दिष्टियों का अध्ययन	90,000
10. औद्योगिक इंजीनियरिंग स्टेन्डर्ड्स और लागत निर्धारण प्रणाली का अध्ययन	270,000
11. द्वितीय सड़क	100,000
12. आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रचालन सुधार सहायता	1,000,000
13. कोयला-प्रज्वलित बिजली उत्पादन से लिए राष्ट्रीय पर्यावरणिक प्रबन्ध कार्यक्रम	664,000
14. बम्बई पत्तनों के लिए प्रशासन और वित्तीय सहायता	600,000
15. पोत मरम्मत सुविधाओं का विकास	400,000
16. वडोदरा-बम्बई एक्सप्रेसवे	600,000
17. तमिलनाडु बिजली बोर्ड प्रचालनात्मक सुधार	740,000
18. पर्यावरणिक परिवीक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	490,000

1	2
19. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पटरी और प्रबन्ध	760,000
20. तुरन्त मार्ग (एक्सप्रेसवे) के वित्तपोषण, निर्माण व प्रचालन में निजी और क्षेत्र भागीदारी	500,000
2'. सड़क निर्माण उद्योग	340,000
22. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र प्रचालनों की समीक्षा	100,000
23. वडोदरा-बम्बई एक्सप्रेसवे (अनुपूरक)	250,000

कारों के लिए पेट्रोल पर व्यय

[अनुवाद]

3600. श्री के० चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च अधिकारियों को दी गई कारों के लिए पेट्रोल पर भारी धनराशि खर्च करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी लागत पर ईंधन प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त करने एवं सरकारी वाहनों का उपयोग करने के पात्र अधिकारियों को वाहन भत्ते का भुगतान करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) सरकारी कार्यालयों में स्टाफ कारों का इस्तेमाल स्टाफ कार नियमों द्वारा शासित होता है। न तो प्रत्येक अधिकारी के लिए किए गए खर्च का कोई अलग से रिकार्ड रखा जाता है और न ही मंत्रालयों/विभागों में स्टाफ कारों के लिए पेट्रोल, उनके रख-रखाव आदि पर होने वाले व्यय के आंकड़े किसी एक स्थान पर रखे जाते हैं। तथापि, ऐसे अनुदेश विद्यमान हैं जिनके द्वारा सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

मुख्य पत्तनों पर कन्टेनर ट्रैफिक

3601. श्री विजय नवल पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मुख्य पत्तनों पर कन्टेनर यातायात का प्रतिशत/वृद्धि क्या रही;

(ख) क्या छोटे जहाजों के मालिकों को खाली कन्टेनर प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) कन्टेनर यातायात को बढ़ावा देने के लिए अन्य कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी महापत्तनों में सम्बन्धित वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में कन्टेनर ट्रैफिक में हुई प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है :—

1988-89	7.6%
1989-90	17.0%
1990-91	7.0%

(ख) यह प्रश्न सम्भवतः खाली कन्टेनरों की उपलब्धता से सम्बन्धित है। कंटेनर यातायात में असंतुलन के कारण जहाज मालिकों को खाली कंटेनर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, इसके फलस्वरूप यूरोपीय पत्तनों में खाली कंटेनर जमा हो जाते हैं और भारतीय पत्तनों में उनका अभाव हो जाता है।

(ग) विदेशी पत्तनों सहित अन्य पत्तनों से कंटेनरों की रिपोजीशनिंग करके खाली कन्टेनर सुलभ कराए जाते हैं।

(घ) कंटेनर ट्रैफिक में तेजी लाने के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं 24 स्थानों पर कंटेनर हैंडलिंग सुविधाएं बनाई गई हैं। पत्तन प्रयोक्ताओं और चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक व्यापार संवर्द्धन बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ग्रुप-77 की मंत्रिस्तरीय बैठक

3602. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नवम्बर, 1991 के दौरान तेहरान में हुई ग्रुप-77 की सातवीं मन्त्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया था ताकि वह आगामी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलना-VIII के सम्बन्ध में अपना रुख स्पष्ट कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में विकासशील देशों ने सर्वसम्मत रूप से क्या राय प्रकट की थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत ने अंकटाड-VIII की तैयारी के सिलसिले में तहरान में 19 से 23 नवम्बर, 1991 तक आयोजित ग्रुप-77 की 7वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।

इस बैठक में "विकास हेतु नई सांझेदारी की ओर" नामक एक घोषणा-पत्र पारित किया गया और विकास संसाधनों, अन्तराष्ट्रीय व्यापार, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और सेवा-व्यापार के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीत सहयोग हेतु ग्रुप-77 के एक स्थायी मंच को अन्तिम रूप दिया गया। इन मुद्दों पर अब कोलम्बिया में फरवरी, *1992 में आयोजित होने वाले अकटाड-VIII में विचार-विमर्श किया जाएगा।*

2. तेहरान घोषणा-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि विकास हेतु नई सांझेदारी की बात अवश्य ही परिणाममूलक तथा वास्तविक हो और टकराव से रहित हो, जो पारस्परिक हित पर आधारित हो और इस घोषणा-पत्र का सर्वेस मुख्य लक्ष्य यह है कि विशिष्ट मुद्दों के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति को धीरे-धीरे प्रगाढ़ बनाकर ऐसे ठोस समझौते किए जाएं जिन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके लिए अन्त एक ऐसी कार्य प्रणाली स्थापि की जानी चाहिए जो कि सहमत कार्यों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करा सके और इस बात की मानीटरिंग कर सके कि उक्त कार्रवाई किस सीमा तक हो पाई है। वार्ता का मुख्य विषय यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई और बहुराष्ट्रीय सहयोग प्रगाढ़ हो ताकि मजबूत, सुरक्षित और न्यायसंगत विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और विशेष रूप से विकासशील देशों में आर्थिक उन्नति, प्रौद्योगिकीय क्षमता तथा निरंतर विकास की गति तेज हो सके।

3. तेहरान घोषणा-पत्र और मंत्रिस्तरीय बैठक में जिस स्थायी मंच को अन्तिम रूप दिया गया वह सहभागी देशों में हुई सहमति का ही परिणाम है और भारत इस सहमति में भागीदार है।

विदेशी ऋण

[हिन्दी]

3603. **श्री गोविन्दराव निकाम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार विदेशों से ऋण ले रही है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों से ऋण लेने के स्थान पर देश में ही बचत को प्रोत्साहन देकर संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेशों/विदेशी संस्थाओं से ऋण मुख्यतः हमारी राष्ट्रीय योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न परियोजना और परियोजना—भिन्न कार्यक्रमों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लिए जाते हैं। सरकार विदेशी ऋणों को स्वदेशी प्रयासों द्वारा संसाधन जुटाने का विकल्प नहीं मानती तथा सरकार ने राजस्व प्राप्तियो और स्वदेशी बचतों में सुधार करने, तथा अनावश्यक और निम्न प्राथमिकता वाले व्यय को समाप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

इस सम्बन्ध में किए गए महत्वपूर्ण उपायों का ब्योरा 24 जुलाई, 1991 को प्रस्तुत लोक सभा में किए गए वित्त मन्त्री के बजट भाषण में दिया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर के विकास सम्बन्धी अध्ययन

[अनुवाद]

3604. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वस्त्र मंत्री 27 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर के विकास हेतु किए गए अध्ययन के अन्तर्गत किन-किन गांवों को सम्मिलित किया गया; और

(ख) गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर के विकास हेतु वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) देश में ओक टसर का विकास करने के लिए वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम प्रौद्योगिकी को विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय टसर अनुसन्धान केन्द्रों ने इस समय रेशम-कीट प्रजनन तथा आनुवंशिकी, फिजियोलोजी, कीट-विज्ञान तथा विकृति विज्ञान, परपोषी पादप तथा रीलिंग और कताई के क्षेत्रों में कुछ चुनिन्दा परियोजनाएं शुरू की हैं ।

विवरण

गढ़वाल क्षेत्र में ओक टसर का विकास करने के लिए विशिष्ट ग्रामों को अभिज्ञात करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण के दौरान कवर किए गए ग्रामों के नामों को दर्शाने वाली सूची

जिला	खण्ड	ग्राम
1	2	3
पौड़ी	दुगड्डा	चन्द्रा, चन्द्रा पल्ला, दुली, कोटा गांव, धुरताल ।
	धांगु	लवाड, सुसयाम, बराई गांव, धार गांव पखोल, आमगुंडा, भजनी, सिलोनी, बोलू स्याम ।
	जहरीखाल	जहरीखाल, यू० एम० विद्यालय जहरीखाल लेंसडौन ।

1	2	3
	कजलीखाल	अडवानी, कांसखेत, पापली, नयाना, गंगोदघर, नांगसीन, मुंडानेश्वर, चिलोनी, चिमोली ।
	कोटी	खण्डियायूसेन, ओजली, दपाहूसेन, बिनपड़ी, कोला, धमाना, जमलाखल ।
	पौड़ी	निप्पनी, गोट, रावतगांव, रेताली, रतमली, रैंलीचली, छोपड़ा, बुवाखल, गडली बयमवर्दी, बाली डोम श्रीकोटी, बर्सुली, टकेर, किवाड़ी, तहपालिया गांव, बोमसुरी, विजयाड़ी, मनकोठी, तहलाक, धाना ।
	पाओ	भरोदा, उजली पिडौली, पयान, भाटी गांव, सरना, ग्वादीगार, सवरोई, भसोड़ा, सिरकरा ।
	खुषू	खेंडाखाल, बारेंगना, कटेखाल, पिदुन्दी खुषू, कोडगी, गोवाद, चबर्खाल, कचुली, पोखरी, कदूर, बगूली ।
चमोली देवाल		बुरा करनाता, वान, मनबोली, दिदना, कुलिंग ।
	नारायनाबाधर	आसेदरिसमली, जुमेर, सिदी दुंगरी, रेस चोपाला ।
	करण प्रयाग	सैनजी, सिजंगी, रिबमोली, किमोली, परखोली, जैनीसोन, छोरासोन ।
	गैरसेन	सरकोट, पखड़ी, सुरीन गढ़, मरोड़ा, कालीमती, दिवालीखा, सलीयाना, गुवाद, अनवराया, बुखाली, पंचाली, भुमसा, दिलांगी, घसपेष धारगढ़, गैरह ।
	अगस्तमुनी	डंगर, बदुके, जोला, बासुकेदार, वादव ।
	उखीमठ	किमाहा, उखीमठ, बंजपनी, मंगोली, मक्कू, देदा, लुबानी, साल्या, तुलगा, अद्राबदा, लवाड़ा, संकरी, देवार, गुप्तकाशी, नाला, रूद्रपुर, धरवार, दयुना, बुरेदा, खुमेरा,

1	2	3
		बजासून, टाइडी, बद्ररू, नयलासु, हिडगी, नारायण, सीतापुर ।
	पोखड़ी	पपेखरी बाजली, देवार, उखण्ड, खानौ, गुनीयाला, मंगियाला, बिसाल, देवास्तन, कुंगारे, तुदली, किमोडा, रूताला, रादुवा, बचली, बुरक्षान, प्याला, रूदीयाम, नोटा, मोहनखाल, चन्द्रानगर ।
	दसौली	किरोली, गदोरा, मायापुर, कमीयार, सिसेन, मंडाल, सिलोनली, अनुसुया, हावा-कोटी, पेरेंगना, गोपेस्वार, गंगोल गांव, ग्वाद, समार, पपरदीयाना, रौली, देवार, बिंगरादा, गायर, तंगसा, दोमदी रूम्दरी, पछेर ।
	जोशीमठ	रविग्राम, परसारी, जोशीमठ, पगंडु, सालूद, बरोसी, लंगसी ।
टेहरी	फकोट	फकोट, सिरखाड़, पिण्डी, मैसूर, चमोलगांव, दुयाधर ।
	धातोधार	वॉल, जड़ीपनी, दुंगली, सनगांव, खरेट, कोयी बयोलंगी, उजाग्रान, बिखोन, लेनगढ़ ।
	जखोली	सुरसनयागांव, तयोंकर, घरदा, बुवाना, कोटीमर गांव, धनिया, पक्की खुंजी, उदाना, गोरमी, नखेत, दोहली, पदीयार गांव, पापायली, भाखेदर ।
उत्तरकाशी	टेहरी पुराला	तलाल गांव, नगजाल, सुदीयार गांव, बढ़ोयाल गांव, रियूड़ी, वाया, नौरी, कुमोला, कुरांत, पुनैली ।
	नवगांव	कफनौला, हिमरौल, गायर, तोलयूका, दरसायु, लियान, लवामी, पालका, धरी, भर्तीधा, क्वादी, भटिया, कृष्ण, तुंलका, विगासी ।
	दुंदा	पछड़ी, मक्षगांव, चिनानगांव बयालगांव, न्यातीधामरी, सान्ता गांव, बयारा गांव, मक्षाजोल्ड, बी पलौनी ।

पंजाब नेशनल बैंक में मृत्यु दावों के मामलों का निपटान

3605. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की मृत्यु दावों के मामलों का शीघ्र निपटान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो महीनों के दौरान बैंक के मुख्यालय को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है उन सभी कर्मचारियों के मामलों में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए उसकी एक योजना है तथा ऐसे दावों के मामलों को शीघ्र निपटाया जाता है । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि गत दो माह के दौरान बैंक के मुख्यालय द्वारा प्राप्त सभी 24 दावों को निपटा दिया गया है ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, कोई और कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

अखबारी कागज की खरीद

3606. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा अमेरिका से गत वर्ष की तुलना में 25 से 40 प्रतिशत से कम दर पर अखबारी कागज खरीदने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए; और

(ग) इस वर्ष किए गए विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले अलग-अलग किस्मों के अखबारी कागजों की दरें गत दो वर्षों के दौरान खरीदे गए अखबारी कागज की तुलना में कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के दौरान अखबारी कागज खरीद की न्यूनतम सी० आई० एफ० कीमतों की तुलना में एस० टी० सी० ने अक्तूबर, 1991 में चरबद्ध ढंग से खरीद करके यू० एस० डालर के रूप में सी० आई० एफ० कीमत लगभग 1 [illegible] प्रतिशत (स्टैण्डर्ड) तथा लगभग 14 प्रतिशत (ग्लेज्ड) कम कीमत पर अखबारी कागज खरीदने में सफलता प्राप्त की है ।

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान एस० टी० सी० द्वारा जी० सी० एस० की गई खरीद की औसत सी० आई० एफ० लागत रुपए प्रति एस० टी० में नीचे दी गई

है :—

वर्ष	स्टैण्डर्ड	ग्लेज्ड
1989-90	10,559	13,?68
1990-91	10,909	14,949
1991-92		
(अप्रैल-मई ''61)	12,744	17,440
अक्तूबर, ''91	10,318	14,965

(सी० आई० एफ० अवमूल्यन पूर्व डालर रुपया दरें)

(सी० आई० एफ० कीमतें संविदा की तारीख को विनिमय की दरों पर आधारित हैं)

जहांगीर नजराना सिक्का

3607. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग ग्यारह किलोग्राम वजन के सोने के विख्यात जहांगीर नजराना सिक्के को वापस लेने के लिए जिसे स्वर्गीय निजाम सात के उत्तराधिकारी, शहजादे मुकर्रम जाह ने इन्डो-सूइज बैंक जेनेवा में जमा कर उसके बदले ऋण लिया था, कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि इस देश से कैसे ले जाया गया;

(ग) क्या इससे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 का उल्लंघन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पुरातत्व महत्व का जहांगीर नजराना सिक्का 9 नवम्बर, 1987 को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन अन्ततः इसे बेचा नहीं जा सका, क्योंकि उच्चतम बोली प्रारक्षित मूल्य से कम थी। भारतीय राजदूतावास, बर्न (स्विट्जरलैण्ड) संबंधित स्विस विभागों अर्थात् फैडरल डिपार्टमेंट आफ जस्टिस एण्ड पुलिस से, यह पता लगाने के लिए कि उक्त सिक्के को कैसे वापस लाया जा सकता है सम्पर्क बनाए हुए है।

(ख) सूचित किया गया है कि उक्त सिक्का देश से बाहर चोरी-छिपे ले जाया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 380 के साथ पठित धारा 120-ख और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 25(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अधीन मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस मामले में किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है।

बाहरी रिंग रोड को चौड़ा करना

[हिन्दी]

3608. श्री भगवान शंकर रावत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष से दिल्ली में बाहरी रिंग रोड को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संवैधानिक रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव की है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा सभी सड़कों/पुलों की जिम्मेदारी अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। संदर्भाधीन सड़क राज्य सड़क है और दिल्ली प्रशासन इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार, बाहरी रिंग रोड पर सड़क ओवर-ब्रिज संख्या 22 से नेहरू प्लेस तक के खण्ड को छोड़कर बाहरी रिंग रोड को चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है। तथापि, चौड़े किए गए खंड में बिटूमिनस कार्य चल रहा है जिसके जून, 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। जहां तक सड़क ओवर ब्रिज संख्या 22 से नेहरू प्लेस तक के खंड का सम्बन्ध है कार्य को अभी मन्जूरी दी जानी है। मंजूरी दिए जाने की तारीख से 1½ वर्ष के अन्दर इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है।

हथकरघा रेशम वस्त्र उद्योग कांचीपुरम के बुनकरों से ज्ञापन

[अनुवाद]

3609. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांचीपुरम, तमिलनाडु में हथकरघा रेशम वस्त्र उद्योग में कार्यरत बुनकरों के प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) कांचीपुरम, तमिलनाडु के रेशम हथकरघा बुनकरों का मुख्य अनुरोध यही है कि सरकार कच्चे रेशम की कमी को दूर करने तथा उसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे रेशम का आयात करे।

(ग) सरकार 200 टन कच्चे रेशम का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

दुग्ध उत्पादों का आयात

3610. श्री नवल किशोर राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया;

(ग) क्या कुछ आयातित दुग्ध उत्पादों का निर्यात भी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादों का आयात किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयात किए गए दुग्ध उत्पादों की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (000" मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1988-89	33.1	77.23
1989-90	13.1	56.83
1990-91	1.1	3.66

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पादों के व्यावसायिक आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

3611. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को उड़ीसा में लघु उद्योगों से कितने ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनपर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या ये बैंक लघु उद्योगों को समय पर ऋण नहीं दे रहे हैं और कई उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान उसने उड़ीसा में 9.53 लघु उद्योग एककों को कुल 28 करोड़ रुपए के ऋण/अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किए हैं, जो गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत शुरू किए गए 2117 लघु उद्योग एककों को 2.97 करोड़ रुपए की ऋण राशि के अतिरिक्त हैं। इसके अलावा, उड़ीसा में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को कुल 11.35 करोड़ रुपए की धनराशि के ऋण स्वीकृत किए गए, जिसमें गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋण भी शामिल हैं।

(ख) यह सही नहीं है, कि ये बैंक उड़ीसा में लघु उद्योगों को विशेषरूप से समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिसके कारण उनमें रुग्णता आती है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सैनिक स्कूलों में प्रवेश

3612. **श्री बी० देवराजन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सैनिक स्कूलों में नौवीं कक्षा में प्रवेश देने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि सशस्त्र सेनाओं में जीवन-वृत्ति के लिए और अधिक प्रतिभाओं का आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूलों में प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को और अधिक अवसर देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित शैक्षणिक अध्ययन दल ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि सैनिक स्कूलों में कुछ कक्षाओं में बहु-माध्यमों से भर्ती करने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। यह सिफारिश रक्षा मन्त्रालय के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सैनिक स्कूलों में प्रवेश से लिए उम्मीदवारों को उपलब्ध अवसरों की संख्या में वृद्धि करने से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए उनको उपलब्ध अवसरों में तदनुसार कमी आ जाएगी।

"नाबार्ड" द्वारा मध्य प्रदेश को पुनर्वित्त सहायता

3613. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न वाणिज्यिक सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई;

(ख) राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त ऋण सीमाएं क्या हैं तथा उनका कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है;

(ग) बैंकों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के सर्वाधिक पिछड़े तथा निर्धन आदिवासी क्षेत्रों के लाभार्थ उपर्युक्त पुनर्वित्त सहायता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया गया;

(घ) क्या "नाबार्ड" ने इसकी सहायता से निर्धन आदिवासियों को मिलने वाले लाभों का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

	1989-89 (जुलाई—मार्च)	1989-90 (अप्रैल—मार्च)	1990-91 (अप्रैल—मार्च)
वाणिज्यिक बैंक	4003	4326	7135
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2172	2590	2172
भूमि विकास बैंक	2280	3911	3358
राज्य सहकारी बैंक	688	1082	866
कुल :	9123	11,889	13,531

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की गई ऋण सीमाएं और 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के पिछले तीन सहकारिता

वर्षों के दौरान उनका प्रतिशत उपयोग नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

सहकारिता वर्ष	मंजूर की गई सीमा की राशि	आहरित राशि	उपयोग का प्रतिशत
1988-89	1560.27	785.29	50.32
1989-90	1567.27	654.78	41.78
1990-91	1439.60	742.93	51.61

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उसकी पुनर्वित्त सहायता से सम्बन्धित जनसंख्या/क्षेत्र श्रेणी-वार आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस मामले में उन्होंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

नशीले पदार्थों की बढ़ती हुई तस्करी पर पाकिस्तान से वार्ता

3614. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी के मामले पर हाल ही में पाकिस्तान सरकार से कोई वार्ता की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु दोनों सरकारें क्या उपाय करने पर सहमत हो गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सीमा पार से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना आदान-प्रदान करने तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के उन मामलों की जांच करने के लिए जिनका प्रशाखन भारत और पाकिस्तान में है, द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए इस्लामाबाद में 30 तथा 31 जुलाई, 1991 को दोनों देशों के मादक द्रव्य प्रवर्तन अधिकारियों के बीच विस्तृत रूप से बातचीत हुई थी। चूंकि भारत में जब्त की गई हेरोइन तथा हशीश की भारी मात्रा की तस्करी अथवा पारगमन पाकिस्तान से भारत में होता है, विशिष्ट आपराधिक मामलों तथा अपराधियों, व्यावसायिक स्तर के ऐसे आदान-प्रदान से दोनों में किसी एक देश के स्वापक कानून प्रवर्तन के लिए सहायता मिलने की सम्भावना है। ये समझौता हुआ है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रत्यक्ष तथा सूचना और आसूचना का शीघ्र संचालन किसी एक देश के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा डाक अथवा संचार से किया जाएगा

तथा दोनों पक्ष व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के लिए आगामी बैठक दिल्ली में फरवरी, 1992 में आयोजित करेंगे ।

निर्यातोन्मुख एककों द्वारा निर्यात

3615. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रुपए में कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात प्रोसेसिंग जोनों द्वारा उक्त अवधि के दौरान लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य		निर्यात	
	निर्यात संसाधन क्षेत्र	निर्यातोन्मुख एकक	निर्यात संसाधन क्षेत्र	निर्यातोन्मुख एकक
1988-89	428.50	निर्धारित नहीं	516.52	461
1989-90	605.00	निर्धारित नहीं	732.08	605
1990-91	850.00	निर्धारित नहीं	982.72	527 (अनन्तिम)
योग :	1883.50	निर्धारित नहीं	2231.72	1593

भारत-तंजानिया संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

3616. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तंजानिया के सहयोग से कुछ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी॰ चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धि दर

[हिन्दी]

3617. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों की वापसी करने और विदेशी मुद्रा की कमी के परिणामस्वरूप देश की वृद्धि दर गिरने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 का अनुमानित व्यापार घाटा क्या है और हम पर कितना घरेलू तथा विदेशी ऋण बाकी है और उस पर इस समय कितना ब्याज देय है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) देश की विकास दर पर ऋणों की वापसी अदायगी का सीमान्त प्रभाव होने की संभावना है, क्योंकि उधार को अल्प सीमाओं में रखा जा रहा हैं। यदि इसे निर्यात निष्पादन को मजबूत बनाने के उपायों द्वारा कम न किया जाए तो विदेशी मुद्रा की कमी का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, सरकार का विदेशी मुद्रा की कमी को तेज निर्यात अभियान द्वारा निपटने का प्रस्ताव है, ताकि हमारे विकास लक्ष्यों के लिए कोई खतरा न हो सके।

(ग) 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा हमारे निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा तथा आयातों का स्तर हम अपने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति को देखते हुए बनाए रख सकते हैं। तथापि, आशा है कि चालू वर्ष का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के व्यापार घाटे, अर्थात् 15,142 करोड़ रुपए की तुलना में कम होगा। 1991-92 के लिए अनुमानित आंतरिक और बाह्य ऋण की सीमा जिस में ब्याज अदायगी भी शामिल है, नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	निवल ऋण	ब्याज अदायगी
आंतरिक	38,545	24,770
बाह्य*	4,224	2,702

*सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही खातों में बाह्य सहायता शामिल है।

विदेशी बैंक

[अनुवाद]

3618. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 को भारत में विदेशी बैंकों की संख्या कितनी थी और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या विदेशी बैंकों की जमा में अन्तर-वार्षिक वृद्धि ऋण तथा लाभ बैंक-वार राष्ट्रीय बैंकों से ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी बैंकों की जमा में बैंक-वार अंतर-वार्षिक वृद्धि ऋण तथा लाभ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी बैंक स्टाक बाजार में स्टाकों की खरीद-फरोक्त में लगे हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन बैंकों की स्टाक एक्सचेंज सम्बन्धी गतिविधियों को नियंत्रित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में विदेशी बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) मार्च, 1989, 1990 और 1991 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए विदेशी बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवल लाभों का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि विदेशी बैंक स्टाक एक्सचेंजों में स्वयं ही स्टॉकों की खरीद-फरोक्त में लगे हैं या नहीं। अलबत्ता, ये बैंक अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबन्ध प्रदान करते रहे हैं और पोर्टफोलियो ग्राहकों की ओर से ये बैंक स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉकों की खरीद-फरोक्त करते रहे हैं।

विवरण-I

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं

बैंक का नाम		शाखाओं की संख्या
1		2
(1)	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	3

1		2
(2)	अल्गेमेन बैंक नीदरलैंड एन० वी०	3
(3)	आबू धाबी कमर्सियल बैंक लि०	1
(4)	ए एन जेड ग्रिडलेज बैंक	56
(5)	बैंक आफ अमेरिका एन०टी० एण्ड एस०ए०	4
(6)	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडिल ईस्ट	1
(7)	बैंक आफ टोकियो लि०	3
(8)	बैंक नेशनल डी पेरिस	5
(9)	बैंक आफ ओमान लि०	1
(10)	बैंक इन्डो स्यूज	1
(11)	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कमर्सियल इण्टरनैशनल (ओवरसीज) लि०	1*
(12)	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1
(13)	बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत बी० एस० सी०	1
(14)	सिटी बैंक	6
(15)	क्रेडिट ल्योनियस	1
(16)	ड्यूस बैंक	2
(17)	हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि०	20
(18)	द मित्सूई तैयो कोसे बैंक लि०	1
(19)	ओमान इण्टरनैशनल बैंक ए० ए० ओ०	1
(20)	सोसाइटी जनरल	1
(21)	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	24
(22)	सोनाली बैंक	1
(23)	सनवा बैंक लि०	1
(24)	बारक्लेज बैंक पी०एल०सी०	1
	जोड़ :	140

*6-7-1991 परिचालन निलम्बित कर दिया गया है ।

विवरण-II

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	को समाप्त वित्त वर्ष	जमाराशियां	अग्रिम	कुल लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस	1989	523.95	334.95	11.30
	बैंक लि०	1990	876.10	504 80	28.07
		1991	784.56	609.30	22.42
2.	ए० बी०एन० आमरो बैंक	1989	88.33	62 29	2.58
	एन०वी० नीदरलैंड	1990	92.68	70.62	2.61
		1991	176.44	81.40	5.50
3.	अबू धाबी कमर्शियल	1989	29.33	19.25	0.32
	बैंक लि०	1980	39.94	24.53	0.31
		1991	54.64	22.05	0.32
4.	ए०एन०जेड० ग्रिंडलेज	1989	1414.77	720.04	24.76
	बैंक पी०एल०सी०	1990	1949.80	794.42	35.34
		1991	2598.73	1115.61	34.10
5.	बैंक आफ अमेरिका एन०टी०	1989	475.59	542.35	12.15
	एंड एस०ए०	1990	688.09	867.47	28.42
		1991	706.14	1049.22	22.08
6.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडिल	1989	173.74	77.08	2 75
	ईस्ट	1990	227.99	110.77	4.43
		1991	369.30	176.15	5.43
7.	बैंक आफ टोकिओ लि०	1989	173.67	148.45	0.35
		1990	261.50	169.80	(—) 5.98
		1991	362.51	231.32	6.05
8.	बैंक नेशनल डी पेरिश	1989	143.90	121.39	1.22
		1990	161.49	184.61	5.40
		1991	159.35	94.68	1.93

1	2	3	4	5	6
9.	बैंक आफ ओमान लि०	1989	72.29	41.60	0.71
		1990	98.91	64.83	1.49
		1991	127.77	66.81	0.59
10.	बैंक इंडो स्यूज	1989	85.08	67.95	2.40
		1990	117.48	69.70	2.86
		1991	122.23	52.22	2.76
11.	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि०	1989	310.28	217.39	3.37
		1990	365.17	230.62	3.05
		1991	380.93	184.87	5.24
12.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1989	18.25	28.66	0.50
		1990	42.57	42.68	1.34
		1991	44.62	44.67	1.72
13.	बैंक आफ बहरीन एवं कुवैत बी०एस०सी०	1989	7.23	2.55	0.10
		1990	65.09	46.21	0.34
		1991	113.00	54.37	1.50
14.	सीटी बैंक एन० ए०	1989	1295.40	793.06	24.21
		1990	1764.43	997.20	32.53
		1991	2641.61	1944.62	58.61
15.	क्रेडिट ल्योनियस	1990	95.20	20.38	(—) 0.39
		1991	251.66	93.20	4.46
16.	ड्यूस बैंक	1989	97.37	77.03	1.08
		1990	284.07	194.34	3.35
		1991	336.85	203.25	6.68
17.	हांगकांग एण्ड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लि०	1989	782.04	560.46	17.82
		1990	865.54	557.63	15.75
		1991	1055.44	608.66	14.66
18.	द मित्सुई तैयो कोबे बैंक लि०	1989	15 57	23.57	0.88
		1990	79.18	48.01	1.26
		1991	109.07	59.99	2.05

1	2	3	4	5	6
19.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस० ए० ओ०	1989	44.86	46.18	2.07
		1990	102.75	73.79	3.33
		1991	121.79	99.58	2.84
20.	सोसाइटी जनरेल	1989	64.59	57.57	0.82
		1990	103.27	61.33	1.10
		1991	152.26	75.23	1.87
21.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1989	607.98	408.73	6.91
		1990	749.90	519.35	28.85
		1991	1043.09	813.47	31.18
22.	सोनाली बैंक	1989	7.72	2.49	0.43
		1990	12.62	2.57	—
		1991	9.52	3.26	0.31
23.	बारक्लेज बैंक पी० एल० सी०	1991	7.82	5.30	(—) 0.81
24.	सनवा बैंक लि०	1991	N.A.	N.A.	N.A.

छावनी क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण हेतु मानदंड

[हिन्दी]

3619. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों की उस भूमि को जो व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों के कब्जे में है, रक्षा के प्रयोजनार्थ अधिग्रहण करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में इन मानदंडों में कोई छूट दी गई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जब किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता पड़ने की संभावना होती है तो सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत उस भूमि का अर्जन करती है। छावनी क्षेत्रों में जो भूमि भूतपूर्व सैनिकों के कब्जे में है या अन्य किसी श्रेणी के लोगों के स्वामित्व में है उसे अर्जित करने का कोई अलग मानदण्ड नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।]

दिल्ली में व्यापार मेला

[अनुवाद]

3620. श्री श्री० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सफल रहा;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या थी;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यापार मेलों की अवधि केवल एक या दो सप्ताह से बढ़ाकर एक माह से भी अधिक तक बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को कुछ राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में व्यापार मेले आयोजित करने के लिए कोई अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 14-2 नवम्बर, 1991 तक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मेले की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी :—

1. 17 अन्य देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर और 7 देशों ने कम्पनी स्तर पर भाग लिया।

2. 27 राज्यों/संघीय क्षेत्रों, 7 केन्द्रिय मन्त्रालयों और 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, 327 कम्पनियों ने भाग लिया। सबको मिलाकर विभिन्न पेवेलियनों तथा राज्य पेवेलियनों में करीब 3000 कम्पनियों ने भाग लिया।

3. निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रदर्शन :—

(1) कृषि मशीनें, उपकरण तथा तकनीक।

(2) पेट्रोकेमिकल, रसायन तथा उर्वरक मशीन/उपकरण तथा तकनीक।

(3) कृषि के लिए रासायनिक निवेश।

(4) अच्छा जीवन निर्वाह।

(5) स्वास्थ्य और क्षमता।

(6) खिलौने।

(7) भवन सामग्री और तकनीक।

(8) ऊर्जा संरक्षण।

(9) घड़ियां और दीवार घड़ियां ।

(10) लेखाचित्र-कला और डिजाइनें ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को कर्नाटक सरकार से बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय रेशम मेला आयोजित करने के बारे में निवेदन प्राप्त हुआ है ।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा इसका विवरण तैयार किया जा रहा है ।

बैंकिंग क्षेत्र में पदोन्नित में अवसर

3621. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कोई व्यक्ति केवल रोजगार के लिए भर्ती नहीं किया जाता है अपितु पूरी जीवन वृत्ति क लिए भर्ती किया जाता है और उस व्यक्ति को पदोन्नति का अवसर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों को निर्धारित अंतराल के बाद पदोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1987 की सिविल अपील सं० 3967 (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य बनाम के० जी० एस० भट्ट एवं अन्य) में इस प्रकार का निर्णय दिया है ।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक में लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में तथा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नतियां, पदोन्नति नीति/सेवा विनियमों के अनुसार की जाती हैं । सामान्यतः लिपिकीय कर्मचारी कनिष्ठ प्रबन्धन वेतनमान के लिए अधिकारी संवर्ग में मैरिट चैनिल के आधार पर 2 से 5 वर्षों की सेवा के पश्चात तथा बरीयता चैनिल के अनुसार 6 से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र हैं । कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I से उच्च प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान VII तक में पदोन्नति सम्बन्धित सेवा विनियमों के तहत निर्धारित की गयी है ।

केरल में आयकर की बकाया राशि

3622. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अनेक कम्पनियों, फर्मों, व्यापारियों और व्यक्तियों की ओर आयकर की लाखों रुपए की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों, व्यक्तियों आदि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 1991 तक की स्थिति के अनुसार राज्य में कम्पनियों, फर्मों, व्यक्तियों आदि के ऐसे 940 मामले थे, जिनमें प्रत्येक में एक लाख रु० से अधिक की आयकर की मांग बकाया थी। इन मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

	संख्या	दिनांक 30-9-1991 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग (करोड़ रु० में)
(i) कम्पनियां	119	22.23
(ii) व्यष्टि तथा अन्य गैर कम्पनी निर्धारिती	821	52.44
योग :	940	74.67

इन मामलों की एक बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अलग-अलग मामले में बकाया मांग को एकत्रित करके उसे बता पाना व्यावहारिक नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी मामले—विशेष के बारे में कोई सूचना चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ग) बकाया कर की वसूली के लिए आयकर कानून के अधीन अनुमत्य कार्यवाही किए जाने के अलावा बकाया कर की वसूली के निमित्त निरन्तर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं। विधायी कार्यवाहियों में ये शामिल हैं :—समुचित मामलों में अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाना; बैंक खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए प्रानिशी आदेश जारी करना; कर वसूली अधिकारियों द्वारा कर-वसूली विवरण-पत्र तैयार किया जाना ताकि वे परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री के माध्यम वसूली कर सकें; चूककर्ता की सम्पत्ति की प्रबंध-व्यवस्था के लिए प्रापक नियुक्त करना; चूककर्ताओं को गिरफ्तार करना आदि। प्रशासनिक तौर पर, बकाया मांगों में कमी लाने के लिए कार्य—योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा वसूली की प्रगति पर विविध स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। जिन मामलों में बड़ी-बड़ी मांगें बकाया होती हैं, उनमें कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा डोजियर-रिपोर्टें भेजनी अपेक्षित होती हैं, जिनमें करों की वसूली में हुई प्रगति का उल्लेख करना होता है; और इन रिपोर्टों की समीक्षा आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर की जाती है। चूंकि मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है, इसलिए अपीलों को शीघ्र निपटान करने के लिए भी उपाए किए गए हैं।

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय में अनियमितताएं

3623. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री साईमन मराण्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा बरती गई अनियमितताओं की बहुत सी घटनाएं जिनके बारे में गत दो वर्षों के दौरान समाचार-पत्रों में समय-समय पर समाचार प्रकाशित हुई हैं, सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यकरण में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कुछ समाचारपत्रों में दवा फर्मों के पंजीकरण को समाप्त करने से सम्बन्धित रिपोर्टें सरकार के नोटिस में आई हैं । इस मामले की विधिवत जांच की गई किन्तु किसी प्रकार की अनियमितता का पता नहीं चला ।

(ग) सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसी प्रकार की जांच के आदेश दिए जाएं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश में धन लाया जाना

3624. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग और व्यापार (विभिन्न प्रतिभूतियों में पूंजी निवेश सहित), बैंक जमाराशियों, बांडों की खरीद और नकद राशि प्रेषण के रूप में अलग-अलग कितना धन स्वदेश भेजा गया;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार बड़ी राशि में धनागमन को नियंत्रित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी समस्या का सामना नहीं किया ।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

(I) 30-7-1991 से 31-10-1991 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीय निवेश के लिए सिद्धान्त रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत अनुमोदन आंकड़ों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	(करोड़ रुपए)
(i) शेयरों/ऋण-पत्रों में प्रत्यक्ष निवेश	
(क) प्रत्यावर्तन-आधार :—	
40 प्रतिशत स्कीम	48.92
74 प्रतिशत स्कीम	—
(ख) गैर-प्रत्यावर्तन-आधार :—	
(ii) पोर्टफोलिओ निवेश स्कीम	
(क) प्रत्यावर्तन-आधार	0.21 }*
(ख) गैर-प्रत्यावर्तन-आधार	0.05 }*
(iii) भारतीय कम्पनियों में निक्षेप	
(क) प्रत्यावर्तन-आधार	0.04
(ख) गैर-प्रत्यावर्तन-आधार	0.53

*कुछ बैंकों से अभी आंकड़े प्राप्त होने हैं।

(II) जुलाई, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के लिए प्राधिकृत डीलरों के पास अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों के शेष निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

(सभी शेष करोड़ रुपए में)

माह (के अन्तिम शुक्रवार तक)	अनिवासी (बाह्य) खाते	
	खातों की संख्या (000)	शेष (रु०)
जुलाई, 1991*	2833	7490
अगस्त, 1991*	2829	7581
सितम्बर, 1991*	2834	7592
अक्तूबर, 1991*	2834	7595

*अनिवासी बाह्य आंकड़े अनन्तिम हैं।

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते

माह	अम० डालर में शेष	समतुल्य रुपए	पौंड स्टर्लिंग में शेष	समतुल्य रुपए	ड्यूश मार्क में शेष	समतुल्य रुपए	जापान येन में शेष	समतुल्य रुपए	सकल वि०मु० अ० (समतुल्य रुपए)
जुलाई, 1991	491.0	12638	19.4	841	62.6	924	3257.4	610	15013
अगस्त, 1991	473.4	12307	23.2	1014	60.8	904	3221.8	613	14828
सितम्बर, 1991	458.8	11844	27.0	1218	55.8	865	2720.8	528	14455
अक्तूबर, 1991	442.2	11469	31.0	1397	47.4	736	2735.5	542	14144

(III) 9-12-1991 तक "विदेशी विनिमय (उन्मुक्ति) स्कीम 1991 में प्रेषणाएं" तथा भारत विकास बांडों के अन्तर्गत प्राप्त कुल प्रेषणाएं निम्न प्रकार से हैं:—

भारत विकास बांड=अमरीकी डालर 308.00 मिलियन

रबड़ की खेती

3625. **श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ की खेती का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और इस कार्य के लिए किन-किन राज्यों को चुना गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ की खेती के विस्तार के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, प० बंगाल, मध्य प्रदेश (बस्तर जिला), अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और महाराष्ट्र (कोंकण जिला) को शामिल करते हुए 80,000 हैक्टेयर के लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है।

पंजीकृत कम्पनियों को ऋण

3626. **श्री एम० कृष्ण स्वामी :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी पंजीकृत कम्पनियों को एक करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए गए हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां ब्याज तथा मूलधन की नियमित रूप से अदायगी कर रही हैं;

(ग) ऋणों की अदायगी में कितनी कम्पनियों को दोषी पाया गया है;

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्राप्त करने वाली एवं वापसी अदायगी के मामले में चूक करने वाली पंजीकृत कम्पनियों की संख्या निम्नानुसार है :—

	31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार	
	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या	चूक करने वाली कम्पनियों की संख्या
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	840	98
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1348	42
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम	707	8
निर्यात आयात बैंक	40	शून्य
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	93	29

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना एकत्र नहीं करता। अलबत्ता, उसने सूचित किया है कि मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष में 1227 उधारकर्ता तथा मार्च, 1991 की समाप्त वर्ष में 1351 उधारकर्ता थे जिनके पास बैंकिंग प्रणाली से 5 करोड़ रुपए और अधिक की कार्यशील पूंजी सीमाएं तथा 2 करोड़ रुपए और अधिक के सावधि ऋण थे।

(घ) सामान्यतता, वित्तीय संस्थाओं द्वारा देय राशियों की वसूली एक निरंतर प्रक्रिया है जो तयशुदा वसूली अनुसूची के अनुसार की जाती है। जिन मामलों में वसूली असंभव समझी जाती है, उनमें बंधक रखी गई परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से और गारण्टीदाताओं, यदि कोई हों, के खिलाफ समुचित आवश्यक कानूनी कार्रवाई करके देयराशियों की वसूली के लिए सम्बन्द्ध कानूनों के अन्तर्गत सिविल मुकदमें भी दायर किए जाते हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के मामले, समुचित पुनर्वास अथवा पुनरुद्वार की योजनाएं तैयार एवं लागू करने के वास्ते इसके पास भेज दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

3627. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से कितने प्रशिक्षण केन्द्र बन्द हो गए हैं और इनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ नए गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावित केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को गलीचा बुनाई में प्रशिक्षित किया गया है और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें कितनी राशि के ऋण/अनुदान दिए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग परिपूर्ण होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से 32 प्रशिक्षण केन्द्रों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

इस समय उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) प्राइमरी प्रशिक्षण केन्द्र	92
(2) उच्च प्रशिक्षण केन्द्र	60
(3) वाशिंग एवं फिनिशिंग प्रशिक्षण केन्द्र	4
योग :	156

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1988-89	3231
1989-90	2658
1990-91	2712

स्व: रोजगार योजना के अन्तर्गत इन कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को ऋण/अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है ।

कारवाड़ में नेवी के लिए एअर बेस

[अनुवाद]

3628. श्री आर० जीवरत्नम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारवाड़ में नेवी के लिए एअर बेस के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है;

(ख) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या उन लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है जिनकी भूमि का इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कुल कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या प्रभावित लोगों को रोजगार भी दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) कारवाड़ में नौसेना के लिए वायुयान बेस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, कारवाड़ में प्रस्तावित नौसैनिक बेस के विकास संबंधी बृहत योजना में नौसैनिक वायुयान बेस की आवश्यकता को शामिल कर लिया गया है। इस योजना के अनुसार नौसैनिक वायु स्टेशन संबंधी निर्माण कार्य परियोजना के तीसरे चरण में शुरू किया जाएगा। इस पर आगे चलकर तत्कालीन वास्तविक आवश्यकताओं की समीक्षा करने, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ।

केरल में जीवन बीमा निगम का शाखा कार्यालय खोलना

3629. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल के विभिन्न हिस्सों में जीवन बीमा निगम के कुल कितने कार्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केरल में खोले जाने वाले जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय केरल के विभिन्न हिस्सों में भारतीय जीवन निगम के 73 शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में भारतीय जीवन बीमा निगम के 5 शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया था; जिन्हें खोला जा चुका है और इन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

शाखा का नाम	डिवीजन	जिला
त्रिचूर-II	इर्नाकुलम्	त्रिचूर
इर्नाकुलम शहर	इर्नाकुलम	इर्नाकुलम
रमनट्टुकारा	कोजीकोड	मलप्पुरक तथा कोजीकोड का भाग
तिरूवनन्तपुरम शहर शाखा-V	त्रिवेन्द्रम	तिरूवनन्तपुरम
कोट्टायम (सी० ए० बी०)	त्रिवेन्द्रम	कोट्टायम

वर्ष 1992-93 के दौरान निगम के नए शाखा कार्यालय खोलने की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वित्तीय एवं धन सम्बन्धी नीतियों का प्रभाव

3630. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आरम्भ की गई वित्तीय एवं धन-संबंधी नीतियों के वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य-प्रणाली में स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रता में कटौती की गई है जिसके कारण वित्तीय एवं धन-संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए वांछित परिणामों की प्राप्ति में बाधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अभी तक अपनाए गए मौद्रिक और राजकोषीय नीति समायोजन, हाल ही में सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न वृहत-आर्थिक स्थिरीकरण नीतियों और संरचनात्मक सुधारों को समर्थन देने के लिए किए गए हैं। इन सब उपायों से

कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होने और उच्च औद्योगिक तथा समग्र विकास को एक सुदृढ़ नींव प्रदान करने की आशा है। यद्यपि, इन उपायों के पूर्व प्रभाव का मूल्यांकन करना निःसंदेह बहुत जल्दबाजी होगी, फिर भी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में अभी से ही हाल के सप्ताहों में सुधार दिखाई देने लगा है जो 3 दिसम्बर, 1991 को बढ़कर 7242 करोड़ रुपए हो गया है।

(ख) और (ग) मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को तैयार करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है।

गुजरात में किसानों को ऋण

3631. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा 1991 में 31 अक्टूबर तक गुजरात के जामनगर राजकोट और भावनगर जिलों में अनुसूचित बैंकों द्वारा किसानों को कितनी धनराशि के ऋण दिए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे कितनी राशि के ऋण की वसूली की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टाक एक्सचेंजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सदस्य नामजद करना

3632. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का स्टाक एक्सचेंजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सदस्य नामजद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों का मनोनयन नहीं करती। स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों का चयन और प्रवेश सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंजों के संगम-अनुच्छेदों/नियमों द्वारा अधिशासित होते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंक आफ बड़ौदा की अलवर शाखा में नकली मुद्रा कोड

[हिन्दी]

3633. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा की अलवर शाखा से दो विदेशी, जिन्होंने स्वयं को केन्या का नागरिक बताया था, नकली डालरों के बदले भारतीय मुद्रा लेकर भाग गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि दिनांक 4 तथा 7 अक्टूबर, 1991 को उसकी अलवर शाखा में कीनिया के नागरिकों के रूप में दो विदेशी आए और 43,350 रुपए के बराबर 1700 अमरीकी डालर के करेंसी नोटों का विनिमय किया। अलवर शाखा द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु करेंसी नोटों को नई दिल्ली स्थित बैंक की विदेशी शाखा में प्रस्तुत किए जाने पर यह पता चला कि नोट असली नहीं थे। अलवर शाखा ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1991 को स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज करा दी थी।

राष्ट्रीय बैंकों के रिक्त पदों को भरना

[अनुवाद]

3634. श्री टी० जे० अंजलोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बैंकों में विभिन्न श्रेणियों के कितने पदों को 1990 तथा 1991 में 31 अक्तूबर, 1991 तक भरा गया है तथा राज्य-वार और बैंक-वार अभी भी कितने पद रिक्त हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मुम्बई में बन्द पड़ी तथा रुग्ण कपड़ा मिलें

3635. श्री राम कापसे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की ओर से मुम्बई में बन्द पड़ी तथा रुग्ण कपड़ा मिलों की समस्या के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(क) सरकार ने अर्थक्षम पाई गई बन्द पड़ी/रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए पैकेज

बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक नौडीय अभिकरण की स्थापना की है। इसके साथ ही सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिए निषेधात्मक, सुधारात्मक तथा उपचारी उपाय सुनिश्चित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वितीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) की स्थापना भी की है। सरकार द्वारा किसी रुग्ण एकक का अधिग्रहण कर लेने अथवा राष्ट्रीयकरण करने से रुग्ण उद्योग की समस्या का निवारण नहीं हो जाता।

सोवियत संघ के साथ व्यापार नयाचार

3636. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के मध्य 1992 के लिए व्यापार नयाचार में विलम्ब हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 10 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार 1991 के लिए व्यापार नयाचार के निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) वार्षिक भारत-सोवियत व्यापार संलेखों को सामान्यतः पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के आखिर में अन्तिम रूप दिया जाता है। सोवियत संघ के संघ और गणराज्यों के बीच अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार उत्तरदायित्वों को पुनः निर्धारित करने के कारण सोवियत संघ में आन्तरिक स्थिति अस्थिर और अनिश्चित हो गई है। तथापि, 1992 व्यापार संलेख को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) व्यापार-योजना प्रावधानों की तुलना में वर्ष 1991 में भारत-सोवियत व्यापार के नवीनतम आंकड़े संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए हैं :—

(मिलियन रुपयों में)

	व्यापार योजना प्रावधान	वास्तविक जनवरी-सितम्बर, 1991
निर्यात :	50810	28494
	43300	18454

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़े केवल जनवरी-सितम्बर, 1991 अवधि के लिए उपलब्ध हैं। अतः 10 नवम्बर, 1991 की स्थिति के लिए राज्यवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

यूरोपीय समुदाय का निवेश

3637. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने देश में यूरोपीय समुदाय के निवेश को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह समझौता कब तक लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आयात-निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यूरोपीय समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय निवेश साझीदार वित्तीय संस्था योजना के अन्तर्गत यूरोपीय समुदाय के साथ रूपरेखागत करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में संयुक्त उद्यमों में निवेश इन तीन वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। ये निवेश मुख्यतया लघु और मध्यम क्षेत्रों में किए जाएंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों का वरिष्ठताक्रम

3638. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को दिए गए वरिष्ठताक्रम के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को वरिष्ठताक्रम का लाभ देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग प्रभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को परामर्श दिया है कि वे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 26 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या 9/20/69-स्थापना (सी) के पैरा 6 में निर्दिष्ट शर्तों के प्रावधानों के अनुसार फिर से नियुक्त किए गए पात्र भूतपूर्व ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० को पहले की तारीख से वरीयता तथा वेतनमान निर्धारण का लाभ प्रदान करें। सभी बैंकों ने पात्र भूतपूर्व ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० को इस प्रकार के लाभ प्रदान कर दिए हैं। परन्तु, यह प्रश्न कि भारतीय स्टेट बैंक के पुनर्नियुक्त भूतपूर्व ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० को इस प्रकार दिए गए लाभ उक्त अधिसूचना के पैरा 6(क) के अन्तर्गत हों अथवा 6(ख) के अनुसार हों, इस मामले में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग जांच कर रहा है।

कोडीन फास्फेट का आयात

[हिन्दी]

3639. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोडीन फास्फेट का आयात किया जाता है इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(ख) देश में कोडीन फास्फेट का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या कोडीन फास्फेट की आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो कोडीन फास्फेट का आयात करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई और देश में निर्मित की गई कोडीन फास्फेट की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	कोडीन फास्फेट की मात्रा	
	आयातित (कि०ग्रा० में)	देश में निर्मित (कि०ग्रा० में)
1986-87	1000	4434
1987-88	4000	5000
1988-89	4000	6896
1989-90	9000	6716
1990-91	9000	7738

कोडीन फास्फेट का आयात अफीम के बदले में वस्तु-विनिमय व्यापार के अन्तर्गत किया जाता है और इस तरह से विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं की जाती है।

देश में कोडीन फास्फेट का निर्माण नीमच और गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम एण्ड अल्कालायड संयंत्रों में अफीम से किया जाता है। संयंत्रों की क्षमता और इस उत्पाद को पुनः प्राप्त करने की उनकी कार्य-कुशलता कोडीन फास्फेट की सम्पूर्ण घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में सीमान्त कारक हैं।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में लेसर नियन्त्रित तकनीक

[अनुवाद]

3640. श्री अन्ना जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने लेसर नियन्त्रित तकनीक में कोई उपलब्धि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके पास यह तकनीक मौजूद है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने लेजर मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों का विकास किया है जिनका नाम लेजर डेजिग्नेटर और लेजर सीकर/गाइडेंस किट है ।

(ग) प्रकाशित साहित्य के अनुसार यह प्रौद्योगिकी अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन तथा इजराइल के पास है ।

करवार पत्तन को सीमा-शुल्क पत्तन घोषित करना

3641. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को करवार पत्तन को सीमा-शुल्क पत्तन घोषित किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में स्थित कारवाड़ पत्तन को दिनांक 19-5-1973 को सीमा-शुल्क पत्तन घोषित किया गया था । प्रारम्भ में इस पत्तन से केवल चुनिन्दा वस्तुओं का आयात और निर्यात अनुमत किया जाता था । जनवरी 1990 में कर्नाटक राज्य से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें कारवाड़ पत्तन से अतिरिक्त वस्तुओं के आयात और निर्यात की अनुमति देने के लिए कहा गया था । इसकी जांच की गई थी और उन वस्तुओं के लिए स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि व्यापार तथा उद्योग को उनकी आवश्यकता थी ।

आर्थिक अपराध न्यायालय, एर्णाकुलम में लम्बित मामले

3642. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम में स्थित आर्थिक अपराध न्यायालय में आर्थिक अपराध के वर्षवार कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) इन मामलों के तेजी से निपटान हेतु क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए तिरुअनन्तपुरम में एक और आर्थिक अपराध न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1986 से नवम्बर, 1991 तक एर्णाकुलम में आर्थिक अपराधों के न्यायालय में आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वर्ण नियन्त्रण एवं

सीमा-शुल्क, अधिनियमों से सम्बन्धित अपराधों के लम्बित पड़े मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1986	39
1987	59
1988	100
1989	117
1990	192
1991 नवम्बर तक	68

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकारी परामर्शदात्रियों (काउन्सिलों) के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाया हुआ है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में पारम्परिक हस्तशिल्प के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता

3643. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में पारम्परिक हस्तशिल्प के संरक्षण हेतु दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना किस तारीख को भेजी थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से वाराणसी में जरी उत्पादन में एक प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ग) 12 नवम्बर, 1991

(घ) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम से कहा गया है कि वह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित करने के लिए वाराणसी में जरी उत्पादन में प्रशिक्षण की एक व्यापक योजना तैयार करें ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत निर्यातकों के विरुद्ध क्षेपण-रोधी कार्यवाही

3644. श्री गुरुदास कामत :
श्री मोरेश्वर सावे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत पर वस्त्रों का क्षेपन करने का आरोप लगाया है और पालियेस्टर, धागे के भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध क्षेपनरोधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) क्षेपनरोधी कार्रवाइयां उन निर्यातक कम्पनियों के खिलाफ की जाती हैं जिन पर अपने माल का क्षेपन करने की आशंका होती है। यूरोपीय समुदाय के आयोग ने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ताईवान, इण्डोनेशिया, भारत और तुर्की में उत्पन्न होने वाले कुछ निश्चित पालियस्टर यार्न के ई० ई० सी० में आयात के खिलाफ मार्च, 1990 में क्षेपनरोधी कार्रवाई शुरू की थी। 27 सितम्बर, 1991 को यूरोपीय समुदाय ने ताईवान, इण्डोनेशिया, भारत, चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की में उत्पन्न होने वाले कुछ निश्चित पालियस्टर यार्न के आयात पर अनन्तिम क्षेपनरोधी शुल्क लगाया था। भारत के मामले में 21 भारतीय निर्यातक कम्पनियों में से प्रत्येक पर लगे क्षेपनरोधी शुल्क का आकलन किया गया जो 2% से 11% के बीच है।

क्षेपनरोधी शुल्क लगाने के पक्ष में ई० ई० सी० ने जो तर्क दिए वे निम्नलिखित हैं :—(1) सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा क्षेपित आयातों के कारण ई० सी० उद्योग में सामग्री का नुकसान रहा और (2) यह कि सम्बन्धित कम्पनियां कीमत कटौती में लगी थी।

क्षेपनरोधी शुल्क अनन्तिम है, अन्तिम नहीं।

उत्तर प्रदेश में कचलाघाट में नदी पर पुल का निर्माण

[हिन्दी]

3645. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदायूं जिले की सीमा से बहने वाली नदी पर कचलाघाट में पुल का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य परिवहन मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम-प्रधान सेवाओं के निर्यात हेतु बाजार उपलब्ध कराने के अमेरिका के साथ समझौता

[अनुवाद]

3646. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवाओं में बहुपक्षीय सामान्य व्यापार समझौते के अन्तर्गत अमरीका के साथ किसी सन्धि पर बातचीत कर रही है ताकि श्रम प्रधान सेवाओं के निर्यात हेतु बाजार उपलब्ध कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सेवा-व्यापार से संबंधित उरुग्वे दौर की वार्ताओं में इस बात की परिकल्पना की गई है कि सभी सहभागी अपने-अपने हित के विभिन्न सेवा-क्षेत्रों के बाजार सुलभ कराने के बारे में आपस में ही वार्ता करेंगे। इन वार्ताओं में संयुक्त राज्य अमरीका और ई०ई०सी० भी भाग ले रहे हैं। भारत ने अन्य सहभागियों से यह अनुरोध किया है कि वे भारत को व्यावसायिक सेवाओं, कंप्यूटर से संबद्ध सेवाओं, अन्य व्यापार सेवाओं स्वास्थ्य से संबद्ध तथा सामाजिक सेवाओं, पर्यटन, यात्रा एवं विलासिता सेवाओं, शिक्षा सेवाओं और रेलवे की परिवहन सेवाओं के लिए अपने बाजार सुलभ कराएं। इन क्षेत्रों में भारत यह अनुरोध कर रहा है कि वास्तविक व्यक्तियों के आने-जाने पर जो प्रतिबन्ध हैं उनमें छूट दी जाए ताकि भारतीय सेवादाता कुछ ऐसे विशेष कार्यकुशल कार्मिक श्रेणियों का पता लगा सकें जोकि विदेशी बाजारों में 3-5 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर निवास कर सकें। यह अनुरोध सूची सभी सहभागियों को सम्बोधित की गई है।

ऐसी धारणा है कि बाजार सुलभ कराने के बारे में सहभागियों में द्विपक्षी वार्ताएं होंगी जिनमें भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका और भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वार्ताएं भी शामिल हैं।

सहकारी कताई मिलों की स्थापना

[हिन्दी]

3647. **श्री प्रभाकर सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सहकारी कताई मिलें स्थापित की गई; और

(ख) वे राज्यवार किन-किन स्थानों पर हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 29 सहकारी कताई मिलें स्थापित की गयीं ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।

विवरण

राज्य	मिलों की संख्या	स्थिति
आंध्र प्रदेश	1	बादुमेंदला, कुरनूल
असम	1	गुवाहाटी
बिहार	3	सभी तीनों पटना में
कर्नाटक	1	सौंवती
केरल	2	करेमकोड क्याइलोन, त्रिचूर
मध्य प्रदेश	1	खरगोन
महाराष्ट्र	8	धुले, दो मिलें, मालकपुर इठलकरंजी, साखरखेरदा, जलगांव, माधा, वर्धा
उड़ीसा	2	किरई और कटक
पंजाब	2	संगरूर और जालंधर
राजस्थान	1	भीलवाड़ा में गंगापुर
उत्तर प्रदेश	7	अमरोहा, बहेरी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, मऊ, ऐमा, बहादुरगंज, सीतापुर
योग :	29	

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

[अनुवाद]

3648. श्री राम बदन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर की विभिन्न शाखाओं के कुछ अधिकारियों के बारे में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अद्यतन कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उनसे जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों और विदेशी सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर नेत्रवती नदी पर पुल का निर्माण

3649. **श्री वी० धनंजय कुमार :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 2 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पानेमंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर नेत्रवती नदी पर एक नये दोहरे मार्ग वाले पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1991-92 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पुल एवं इसके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 981.23 लाख रु० है। अनुमानित लागत के मंजूर होने के पश्चात् 1991-92 के दौरान निर्माण-कार्यों के लिए अपेक्षित राशि रिलीज की जाएगी।

पत्तन न्यासों में भर्ती

3650. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पत्तन न्यासों में भर्ती करने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती के लिए कोटा रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) वर्ष 1986 से मद्रास पत्तन न्यास में खिलाड़ियों के लिए कोटे के आधार पर कितनी नियुक्तियां की गयीं; और

(घ) उनका ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) खेल कूद कोटे के तहत नियुक्ति के लिए कोई तदनुरूप विशिष्ट स्कीम मौजूद नहीं है। इस विषय पर भारत सरकार के अनुदेशों के आधार पर अलग-अलग पत्तनों ने मानदण्ड/दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(ग) वर्ष 1986 से आज तक ऐसी 241 नियुक्तियां की गई हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1986 से खेल कूद कोटे के माध्यम से की गई नियुक्तियों के ग्रेड-वार ब्यौरे का विवरण

		श्रेणी-II	श्रेणी-III					श्रेणी-I
वर्ष	जोड़	सहायक अभियंता/ यांत्रिकी/ (सिविल)	लिपिक	निर्माण कार्य लिपिक	सहायक शेड मास्टर	स्पेशल मैकेनिक	रासी	मजदूर
1986	53	—	16	25	—	—	3	9
1987	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	45	1	17	15	—	2	2	8
1989	19	—	8	4	—	—	1	6
1990	35	2	5	16	1	—	4	7
1991	89*	2	21	22	1	3	1	39

* मौजूदा टीमों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त कबड्डी और वालीबाल के खेलों में महिलाओं की दो नई टीमें बनाई गई हैं।

पत्तन न्यासों को कम्पनियों में बदलना

3651. श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्तन न्यासों को कम्पनियों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) महा-पत्तन न्यासों को केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कंपनियों अथवा निगमों में बदलने का एक प्रस्ताव है। यह परिकल्पना की जाती है कि इस तरह का संघबद्ध प्रबन्ध जैसे कम्पनी अथवा निगम, पत्तनों के प्रशासन के लिए संगठन का एक उपयुक्त रूप होगा।

(घ) यह कहना कठिन है कि इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3652. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन द्वारा फाइल की गई 1989 की रिट अर्जी सं 1022 के उत्तर में 13-11-91 को दिए गए निर्णय के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की साध्यता की समीक्षा करनी चाहिए। इस निर्णय के समापन भाग में उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए और भारत संघ को इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस विषय की समीक्षा की जा रही है।

धनराशि का तथाकथित अनधिकृत अन्तरण

3653. **श्री छोटूभाई गामीत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1985 के दौरान भारी धनराशि के तथाकथित अनधिकृत अन्तरण के लिए 11 व्यक्तियों को नजरबन्द करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को उच्च-स्तरीय जांच-पड़ताल करने वाली समिति ने यथावत् मंजूरी दे दी थी;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को वास्तव में नजरबन्द किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि नजरबन्दी के आदेश समय पर लागू नहीं किए जा सके, अतः यह निर्णय लिया गया था कि नजरबन्दी आदेशों की तामील न की जाए और उसके स्थान पर प्रवर्तन निदेशालय को अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करने के लिए सुझाव दिया।

(ङ) इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां पहले ही वर्ष 1986 में आरम्भ कर दी गई थीं।

मत्स्य नौकाओं की दुर्घटनाएं

3654. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खुले सागर में भारत की मत्स्य नौकाओं, यात्री जहाजों और मालवाही जहाजों की कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा कितने जलपोतों का बीमा किया गया था;

(ग) क्या मालिकों को उनके दावों के निपटान के लिए कोई सरकारी सहायता दी गई थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में अभी भी कितने मामले लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुले सागर में जिन दुर्घटनाओं के कारण भारतीय पोतों की हानि हुई उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

	1988	1989	1990
फिशिंग वेजल्ज	34	68	62
यात्री जहाज	शून्य	शून्य	शून्य
कार्गो वैजल्ज	1	—	—

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

राज्यों को सहायता अनुदान

3655. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए नए सिद्धांत और आधार बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक राज्य को 1991-92 के दौरान कितनी राशि का सहायता अनुदान दिया;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को यदि कोई सहायता अनुदान देना शेष है, तो वह कितना है; और

(घ) राज्य सरकारों को पूरी सहायता अनुदान राशि न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) इस समय राज्यों को सहायता अनुदान 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दिया जाता है। राज्यों को राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, जिसमें ऋण और अनुदान शामिल होते हैं, संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है। राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए कोई नया सिद्धांत तैयार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर सेलम के निकट बाईपास रोड पर ऊपरी पुल का निर्माण

3656. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर सेलम के निकट बाईपास रोड पर ऊपरी पुल का निर्माण किस तारीख तक कर दिया जाएगा;

(ख) इस कार्य को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग स० 47 पर सेलम के निकट बाईपास पर सड़कोपरि पुल पहले ही पूरा हो चुका है। पहुंच-मार्गों से सम्बन्धित कार्य का पहला ठेका, ठेकेदार की असफलता के कारण समाप्त कर दिया गया था और कार्य किसी एजेंसी को दिया जाना था। इसके फरवरी, 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

आंध्र प्रदेश में समूह बैंक योजना

3657. **प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समूह बैंक योजना के अन्तर्गत अस्थाई काउन्टर चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में अस्थाई आधार पर बैंक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आंध्रा बैंक के 33 समूह (कलस्टर) कार्यालय और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के 11 सेटलाइट कार्यालय कार्यरत हैं ।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रत्येक जिले में पहचान किए गए केन्द्रों की सूची आवश्यक कागजातों के साथ उस जिले के अग्रणी बैंक को दी जाती है । सभी बैंकों से प्राप्त सूची को समेकित करने के पश्चात् अग्रणी बैंक उसे जिला-कलेक्टर के पास सिफारिश करने और सम्बन्धित राज्य सरकार के मार्फत भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज देता है । शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है । अतः आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित किए जाने हेतु अपेक्षित समूह सेटलाइट कार्यालयों की संख्या या खोली जाने वाली नई शाखाओं की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है ।

लाइसेंसिंग तथा निर्यात नीतियों को उदार बनाना

3658. **प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के साथ भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में लाइसेंसिंग तथा निर्यात नीतियों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात की स्थिति कौन-कौन से क्षेत्रों में सुधर गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां । सरकार ने हाल में लाइसेंसिंग और निर्यात नीतियों को उदार बनाया है ।

(ख) (i) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के सम्बन्ध में आयात एवं निर्यात नीति 1990-93, खंड I में किए गए भारी परिवर्तनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में उपलब्ध है ।

(ii) इसी तरह आयात एवं निर्यात नीति 1990-93, खंड 2 में किए गए परिवर्तनों के संबंध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

"कुल 116 मदें" प्रतिबन्धित, गुणावगुण, उच्चतम सीमा, खुला सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) और आयात एवं निर्यात नीति, 1990-93, (खंड-2) की सरणीबद्ध सूचियां आदि जैसी विभिन्न सूचियों के दायरे से निकाल दी गई हैं और उनके निर्यात की अनुमति विनियंत्रित आधार पर बिना किसी लाइसेंसिंग या अन्य औपचारिकताओं के दे दी गई है। उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

सूची का नाम	विनियंत्रित मदों की संख्या
1. प्रतिबन्धित सूची	41
2. गुणावगुण सूची	25
3. उच्चतम सीमा सूची	19
4. खुला सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) सूची	18
5. गैर-सरणीबद्ध सूची	13
योग :	116

गुणावगुण, उच्चतम सीमा सूची और सरणीबद्ध सूचियों में से 20 मदें खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) में डाल दी गई हैं।

इन मदों की एक सूची संलग्न विवरण-II पर उपलब्ध है।

(ग) अगस्त-सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान जिन प्रमुख वस्तु क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है, उनमें मसाले, साधित खाद्य, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं सम्बन्धित उत्पाद, इंजीनियरी माल, वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन आदि शामिल हैं।

विवरण-I

भुगतान संतुलन की गिरती हुई स्थिति के सन्दर्भ में सरकार ने निर्यात पर अधिकतम बल देने के लिए एक नई व्यापार नीति की घोषणा की थी। यह भी घोषित किया गया था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति और प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक होंगे। अब से आगे निर्यात सम्बन्धी आयातों के लिए प्रतिपूर्ति लाभ मुख्य साधन होंगे। उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप नीति/प्रक्रिया में निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं :—

प्रतिपूर्ति दरों में एक-रूपता

(1) धातु आधारित हस्तशिल्पों, समाचार पत्र/जर्नलों/पत्रिकाएं/उदभाषित सिनमेटोग्राफिक फिल्मों तथा रत्न/

आभूषण क्षेत्र जो पहले की तरह यथा अनुज्ञेय उच्चतर प्रतिपूर्ति लाभ सतत रूप से उठाते रहेंगे, को छोड़कर सभी निर्यात उत्पादों पर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क की 30% प्रतिपूर्ति की समान दर होगी। इसके अतिरिक्त मछली तथा मत्स्य उत्पाद, कृषि उत्पाद, औषधि, इलेट्रानिकी उत्पाद, उच्च प्रौद्योगिकीय इंजीनियरी उत्पाद जैसे कुछ अधिसूचित निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यातक 30% के सामान्य प्रतिपूर्ति लाभ के अतिरिक्त निर्यात के जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य के 10% की दर से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति लाभ के पात्र हैं। इससे ऐसे निर्यातकों को अधिकतम प्रोत्साहन मिलेगा जिनके आयात की गति कृषिगत निर्यात की तरह धीमी हो।

प्रतिपूर्ति हकदारी के मुद्दे सामान्य मुद्रा क्षेत्र के आयात तथा रुपया भुगतान क्षेत्र के आयातों के बीच अन्तर

(2) अब से आगे सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी० सी० ए०) तथा रुपया भुगतान क्षेत्र (आर० पी० ए०) से किए जाने वाले निर्यात। रुपया भुगतान देशों में निर्यात के मामले में, जहां निर्यात की अधिप्राप्ति मुक्त विदेशी मुद्रा में हो, आयात प्रतिपूर्ति का लाभ सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यातों के समान होंगे जो क्रमशः सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र से इस्तेमाल हेतु आयात-प्रतिपूर्ति का लाभ उठाएंगे। इससे निर्यातकों को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में अधिक निर्यात करने तथा अधिक अपेक्षित विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

'आर० ई० पी०" शब्दावली का "एक्जिम स्क्रिप" में परिवर्तन

(3) "आर० ई० पी०" शब्दावली, यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति पुस्तक (खंड-1 और -2) तथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1 और 2) में जहां कहीं भी हो, को "एक्जिम स्क्रिप" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

सेवा निर्यात के क्षेत्र में विस्तार

(4) निर्यात सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया है जिसमें निवासी भारतीय वस्तुविदों और डिजाइनरों, वस्त्र डिजाइनरों, कलाकारों, वकीलों, डाक्टरों, सनदी लेखाकारों, प्रबन्ध परामर्शदाताओं, इंजीनियरी तथा तकनीकी परामर्शदाताओं, आर्थिक परामर्शदाताओं तथा द्वारा निर्यात की गई या विदेश में दी गई अन्य सेवाएं तथा निवासी भारतीयों द्वारा निर्यात की गई या निवासी भारतीयों द्वारा विदेश में दी गई या निर्यात की गई अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

सेवा निर्यातों, पर प्रतिपूर्ति की दर में वृद्धि	(5) सेवा निर्यातों की प्रतिपूर्ति दर निबल विदेशी मुद्रा के 10% से बढ़ाकर निबल विदेशी मुद्रा के 30% तक कर दी गई है। इससे प्रशिक्षित भारतीय व्यवसायिकों को अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी सेवा क्षेत्र में उतरने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
एक्जिम स्क्रिप/अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप/विशेष अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप के मुद्दे अनुज्ञेय गैर खुले सामान्य लाइसेंस की पूंजीगत्त माल के आयात हेतु उदारीकरण	(6) एक्जिम स्क्रिपों/अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिपों/विशेष अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिपों को अनुज्ञेय गैर खुले सामान्य लाइसेंस के पूंजीगत माल, जिनमें उनके यंत्र तथा सहायक उपकरण तथा तुलन उपकरण शामिल हैं, के देशी निकासी तथा विज्ञापन प्रक्रिया के बिना ही आयात करने के लिए बिना किसी ऊपरी मूल्य सीमा के प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सुविधा स्वयं के और/या प्राप्त किए गए स्क्रिपों के मद्दे उपलब्ध हैं।
विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के भुगतान के प्रति एक्जिम स्क्रिपों को लौटाना	(7) निर्धारित शर्तों के अध्यधीन एक्जिम स्क्रिपों को विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के भुगतान के प्रति लौटा करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सीमाशुल्क बंधपत्रों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विशेष प्रतिपूर्ति निर्यातक	(8) प्रस्तावित सीमाशुल्क बंधपत्र के अन्तर्गत कार्य कर रहे निर्यातकों के लिए विशेष प्रतिपूर्ति की दर को प्राप्त किए गए मूल्य वर्धन के 10% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया है।
तराशे और परिष्कृत किए गए हीरों और स्वर्ण/चांदी के आभूषणों के निर्यात पर अमरीकी डालर के रूप में निर्यात अधिप्राप्ति।	(9) तराशे और परिष्कृत हीरों और स्वर्ण/चांदी के आभूषणों के निर्यात करने के लिए अब अमरीकी डालर में निर्यात दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा तराशे और परिष्कृत हीरों के निर्यात पर एक्जिम स्क्रिप की दरें 8 स्लेबों से घटाकर 5 स्लेब कर दी गई है।
आर० ई० पी० लाइसेंसों पर खुले सामान्य लाइसेंसों की मदों का आयात करने के लिए ढील	(10) 3-7-91 तक किए गए निर्यातों पर अभी जारी किए जाने वाले अथवा पहले से जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंस नीति के परिशिष्ट-6 की सूची 10 और भाग 1 सूची 8 में सूचीबद्ध खुले सामान्य लाइसेंस की मदों की सुविधा की अनुमति चार जुलाई 1991 से किए गए निर्यात पर अर्जित की गई "एक्जिम स्क्रिप" पर दी जा चुकी है। अतः यह आर० ई० पी० लाइसेंसों और एक्जिम स्क्रिप के बीच समानता लाएगी जो अनिवार्य रूप से अपने उपयोग के लिए खुले सामान्य लाइसेंस की

मदों के आयात के लिए आर० ई० पी० उपयोग करने से सम्बद्ध है।

"एक्जिम स्क्रिप" के रूप में मंजूर किए जाने वाले प्रतिपूर्ति लाभ

(11) लाइसेंस का प्रपत्र अब सरलीकृत रूप में संशोधित कर दिया गया है जिसे "एक्जिम स्क्रिप" के रूप में जाना जाएगा। "स्क्रिप" की एक ही प्रति अब मुद्रा नियंत्रण तथा सीमाशुल्क निकासी दोनों का काम करेगी। इससे "स्क्रिप" का मुक्त व्यापार तथा बैंकों तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों के स्तर पर सुलभ संचालन भी हो सकेगा।

"एक्जिम स्क्रिप" जारी करने की सरलतम प्रक्रिया

(12) अब मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को ये अनुदेश दिए जा चुके हैं कि वे किसी निर्यातक द्वारा बैंक अधिप्राप्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दावे पर आधारित "एक्जिम स्क्रिप" 48 घंटे के भीतर जारी करें। वस्तुतः ऐसा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि इस प्रकार के निर्णीत दावे की बाद में लेखा परीक्षा की जाएगी तथा निर्यातक कमियों को पूरा करने और अस्वीकार्य पात्रता को लौटाने के लिए जिम्मेवार होगा। इससे निर्यातक को वास्तविक रूप में सीधे ही यह लाभ मिल सकेगा।

आवेदन का सरलीकृत फारमेट और बैंक प्रमाण-पत्र

(13) "एक्जिम स्क्रिप" के दावे के आवेदन के सरलीकृत फारमेट और वसूली के लिए बैंक प्रमाण-पत्र को अब अधिसूचित कर दिया गया है। आवेदक को वसूली के लिए बैंक प्रमाण-पत्र लगाकर एक आवेदन दाखिल करना होगा और अनेक दस्तावेज लगाकर आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

निर्यात सदन/व्यापार सदन का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदण्ड

(14) आयात नीति 1990-93 में निर्धारित किए गए अनुसार निर्यात सदन/व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदण्ड अब केवल 1991-92 के लाइसेंसिंग वर्ष तक ही सीमित होगी। इसी प्रकार निर्यात/व्यापार सदनों और स्टार व्यापार सदनों को अतिरिक्त आर० ई० पी० लाइसेंस देने के प्रावधान ऐसे लाइसेंसों के लिए लागू होंगे जो केवल 1991-92 की लाइसेंसिंग अवधि से सम्बन्धित हैं। अब संशोधित पात्रता मानदण्ड अधिसूचित कर दिया गया है। निर्यात सदन/व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन की मन्जूरी देने के लिए अब एक निर्यातक पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः

6 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और 125 करोड़ रुपए की न्यूनतम औसत निबल विदेशी मुद्रा अर्जित करनी होगी। आगे उपरोक्त दर्जा तीन वर्ष के बजाए केवल एक वर्ष के निर्यात कार्य निष्पादन के आधार पर भी दिया जा सकता है। पिछले एक वर्ष के दौरान जिन निर्यातकों का निर्यात निष्पादन 12 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए तथा 150 करोड़ रुपए की निबल विदेशी मुद्रा अर्जित करने का रहा हो, वे भी क्रमशः निर्यात सदन, व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

निर्यात व्यापार सदनों को अतिरिक्त आर० ई० पी० लाइसेंस की हकदारी	(15)	4-7-91 को लाइसेंसिंग वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप्स की हकदारी की दर सीमित अनुमेय (परिशिष्ट 3) और गैर सरलीकृत (परिशिष्ट 5ए) मदों के आयात के पूरे उदारीकरण सहित निबल विदेशी मुद्रा 10% से 5% तक घटा दी गई थी। अब उपर्युक्त मदों के लिए पूरे उदारीकरण सहित लाइसेंसिंग वर्ष 1991-92 के लिए हकदारी की दर निबल विदेशी मुद्रा की 10% होगी। इसी प्रकार, विशेष अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप्स की हकदारी जो 15% से घटाकर 10% कर दी गई थी अब निबल विदेशी मुद्रा के 15% तक कर दी गई है।
निर्यात सदनों/व्यापार सदनों को मन्जूर किए गए अतिरिक्त लाइसेंसों पर आयात संभाव्यता के क्षेत्र में विस्तार	(16क)	निर्यात/व्यापार सदनों को मंजूर किए गए अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप्स पर आयात संभाव्यता के क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई हैं ताकि पूरी सीमा तक सीमित अनुमेय (परिशिष्ट-3) और गैर-संवेदनशील सरणीबद्ध मदों (परिशिष्ट 5क) के आयात की अनुमति दी जा सके। इससे व्यापार और उद्योग को अनुपूरक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने के फलस्वरूप, व्यापार और उद्योग अत्यावश्यक निवेश की जरूरत को पूरा कर सकेंगे।
मौजूदा अतिरिक्त आर० ई० पी० लाइसेंसों पर सीमित अनुमेय और गैर-संवेदनशील सरणीबद्ध मदों के आयात के लिए पूरा उदारीकरण	(16ख)	लाइसेंसिंग वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए पहले से जारी किए गए अतिरिक्त एक्जिम स्क्रिप्स पर सीमित अनुमेय (परिशिष्ट-3) और गैर-संवेदनशील सरणीबद्ध (परिशिष्ट-5क) मदों के आयात के लिए पूरी ढील देने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। इससे पहले, लाइसेंसों के मूल्य के 10%

की सीमा तक ही ऐसी मदों के आयात के लिए इन लाइसेंसों को उदार बनाया गया था। तथापि, इसी श्रेणी के परिशिष्ट-18 में सूचीबद्ध कुछ विशिष्ट मदों को पूरी सीमा तक आयात करने की अनुमति दी गई थी अब यह उक्त परिशिष्ट-19 वापस लिया जा चुका है।

शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत निर्यातों के लिए विशेष प्रोत्साहन	(17)	शुल्क छूट योजना का लाभ उठाने वाले निर्यातकों को विशेष प्रतिपूर्ति लाभ की दर प्राप्त किए गए मूल्यवर्धन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है। तथापि, आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 18 में सूचीबद्ध उत्पादों को निर्यात पर प्राप्त किए गए मूल्यवर्धन की 40 प्रतिशत की उच्च दर के रूप में विशेष एक्जिम स्क्रिप की अनुमति दी गई है। इससे निर्यातकों को अब दिए जा रहे बेहतर प्रोत्साहनों को अर्जित करने के लिए न्यूनतम सम्भव समय के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा अग्रिम लाइसेंसों का पुनः वैधीकरण	(18)	इससे पूर्व शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों पर पुनः वैधीकरण की मन्जूरी देने के अधिकारों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात कार्यालय में विचार किया जाता था। अब जो लाइसेंस छूट योजना के अन्तर्गत मन्जूर किए जाते हैं वे सम्बन्धित लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणदोष को ध्यान में रखकर पुनः वैध किए जा सकते हैं।
अग्रिम/ब्लैंकट अग्रिम लाइसेंस के मुद्दे निर्यात और आयात के लिए मुद्रा का विशिष्टिकरण	(19)	शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों/ब्लैंकट अग्रिक लाइसेंसों में जिनमें रुपया भुगतान क्षेत्र को किए जाने वाले निर्यातों से सम्बन्धित अग्रिम लाइसेंस/ब्लैंकट अग्रिम लाइसेंस शामिल नहीं हैं, आयात प्रयोजनों तथा निर्यात आभार दोनों के लिए भी मुक्त विदेशी मुद्रा में मूल्य विनिर्दिष्ट होंगे। ये मुद्राएं जिनमें ऐसे मूल्य पदाभिहीत होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित मुद्राओं से सम्बद्ध की जाएंगी।
समविष्ट व्यापक विनिर्माण गतिविधि की शर्त में ढील देना	(20)	व्यापक विनिर्माण गतिविधि से सम्बन्धित शर्त अग्रिम/ब्लैंकट अग्रिम लाइसेंसों के मद्दे सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निर्यातों के लिए लागू नहीं होगी।

100% निर्यातोन्मुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों/मुक्त व्यापार क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति मन्जूर करना	(21)	उन उत्पादों के किए गए वास्तविक निर्यातों पर, परिशिष्ट 17 भाग-2 में सूचीबद्ध उत्पादों और स्वर्ण और चांदी प्लेन/जड़ित आभूषणों और वस्तुओं के निर्यातों को छोड़कर 100% निर्यातोन्मुख यूनिटें निर्यात संसाधन/मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित यूनिटें आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य से लेकर (माने गए निर्यात लाभों सहित घरेलू आपूर्ति समेत) निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक प्राप्त किए गए मूल्यवर्धन भी 30 प्रतिशत की दर से एक्जिम स्क्रिप प्राप्त करेंगे।
निर्यात संसाधन/मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित यूनिटों और 100% निर्यातोन्मुख यूनिटों को निर्यात सदन/व्यापार सदन दर्जा/प्रमाण पत्र मन्जूर करना	(22)	निर्यात संसाधन/मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित यूनिट, और 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटें भी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अन्य यूनिटों की तरह निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण पत्र की मन्जूरी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वे यथा निर्धारित पात्र शर्तों को पूरा करती हों। इस प्रयोजन के लिए ऐसी यूनिटों द्वारा दर्जा प्राप्त करने का दावा या तो स्वतन्त्र रूप से कर सकते हैं या घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित उनकी उसी प्रकार के नाम और स्टाइल की मूल यूनिट द्वारा, यदि कोई हो, इस दर्जे को प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यूनिट अपने निष्पादन के साथ निर्यात संसाधन/मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थित यूनिटों और 100% निर्यातोन्मुख यूनिटों के कार्य निष्पादन को दर्जा प्राप्त करने की मन्जूरी के लिए जोड़ सकती है। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए निबल विदेशी मुद्रा अर्जन सम्बन्धी निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को कम करके उनके विनिर्माण में उपयोग में लाए गए निवेशों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित यूनिटें भी स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र की मन्जूरी के लिए निर्धारित शर्तों के अध्यधीन पात्र होंगी।

विवरण-II

उन मदों की सूची जिन्हें 14 अगस्त, 1991 को विनियमित किया गया है

1. अरण्डी का तेल रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात किए जाने पर।

2. पोलीइथीलीन (एल० डी०)।

3. एल० एल० बी० कोयले को छोड़कर कोयला और कोक।

4. रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूबों वाली रंगीन टी० वी० की रंगीन पिक्चर ट्यूबें और उप एसेम्बिलयां।

5. किसी भी प्रूफ डिग्री का इथाइल अल्कोहल या रेक्टीफाइड स्प्रिट चाहे वह डिनेचर्ड हो या न हो।

6. एक्सपोस्ड सिनेमैटोग्राफिक फिल्में और वीडियो टेप सिनेमा फिल्में।

7. मिल स्केल स्क्रिम।

8. गोवा मूल का 3% से 10% तक के मैंगनीज कन्टेंट सहित बाइमेटल अयस्क (काला लौह अयस्क)।

9. रेलवे यात्री कोच और लोकोमोटिव।

10. कच्ची पटसन, मेस्ता और जूट कटिंग्स।

11. पश्चिम तट मूल की 54% से कम अल्युमिनियम कन्टेंट ए० एल-2 ओ-3 सहित निम्न कोटि का बाक्साइट।

उन मदों की सूची जिन पर से 3 सितम्बर, 1991 से नियन्त्रण हटा लिया गया है

1. अल्ट्रा उच्च मोलक्यूली वजन उच्च घनत्व वाली पाली एथीलीन को छोड़कर पालीथिलीन (एच० डी०)

2. एथीलीन आक्साइड।

3. आइसो प्रोजाइल अल्कोहल।

4. सिन्थेटिक रबड़।

5. अल्ट्रा हाई मोलक्यूली वजन उच्च घनत्व वाली पोलीएथीलीन।

6. एथीलीन ग्लायकोल।

7. मिथाइल आइसोबुटायल किटोन।

8. पोलीथिन ग्लायकोल।

9. डाइथाइलिन ग्लाइकोल।

10. इथाइल हेक्सानल।

11. उच्च निष्पादन वाला बिस्कोस स्टेपल धागा।

12. पुराने आटोमोबाइल पुर्जे घटक और सहायक सामग्री।

13. कच्ची रम, लकड़ी में न पकाई गई रम।

14. धातुएं जैसे :—

कापर इलेक्ट्रोलिटिक, इन्गाट्स के रूप में फायर रिफाइण्ड और ब्लिस्टर कापर, वायर बार्स, ब्लूम्स, स्लैब्स, केक्स, टाइल्स, ब्रिक्स, बिलेट्स, स्क्रैप और कैथोड्स ।

15. अपरिष्कृत निकेल और निकिल पेलेट्स ।

16. मैग्नीशियम ।

17. कच्चा शीशा अपरिष्कृत ।

18. जिंक या स्पेल्टर अपरिष्कृत ।

19. टिन, अपरिष्कृत और परिष्कृत ।

20. कोबाल्ट, अपरिष्कृत और परिष्कृत ।

21. बिस्मथ ।

22. मोलिब्डेनम ।

23. प्लैटिनम क्रूड और रिफाइण्ड अपरिष्कृत ।

24. टंगस्टन ।

25. वैनेडियम ।

26. तांबा अयस्क और सान्द्रण ।

27. शीशा अयस्क और सान्द्रण ।

28. मैटलर्जिकल अवशेष यानी ड्रासेस स्किमिंग स्लैग्स, राख 15% या अधिक मुक्त धातु युक्त स्लिम्स फ्ल्यू डस्ट (सोने और चांदी के अतिरिक्त) ।

29. विद्युतचालित करघा पर निर्मित रीयल मद्रास हैण्डकरचीफ (आर० एम० एच० के०) ।

30. कल्टीवेटेड आर्किड्स ऐरिड्स किस्में ।

31. बुल्लाम किस्में ।

32. प्लिओन किस्में ।

33. कैलेन्थ किस्में ।

34. सिम्बीडियम किस्में ।

35. कोलीजिन किस्में ।

36. साईप्रेपेडियम किस्में ।

37. बलबोफिलम किस्में ।

38. रिनोस्टाइलिस किस्में ।

39. एनोसिटोसिलस किस्में ।

40. फेजस किस्में ।

41. फैलिनोप्सिस किस्में ।

42. इरिया किस्में ।

43. एस्कोसेण्ट्रम किस्में ।

44. सिल्वर बुलियन, सिल्वर शीट्स और प्लेट्स जिनकी रोलिंग उपरांत कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं हुई है ।

45. निम्नलिखित को छोड़कर सिल्वर धारिता की प्रतिशतता का ध्यान किए बिना सिल्वर लवण सिल्वर रसायन और घटक :—

100% शुद्धता वाली सिल्वर धारिता

ड्रग्स/फोटो कैमिकल्स के लिए सिल्वर नाइट्रेट 63.5%

सिल्वर ब्रोमाइड एन्टिसेप्टिक फोटो कैमिकल्स 57.45%

औषधियों के लिए सिल्वर आक्साइड 93.1%

इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर 80.57%

सिल्वर सब-आक्साइड एजी 4" 96.4%

इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर क्लोराइड 75.26%

मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया/राजकीय मानदण्डों में निर्धारित फार्मूलों के अनुरूप सिल्वर सल्फा डाइजिन और माइल्ड सिल्वर प्रोटीन के औषध फार्मूलेशन के लिए सिल्वर फ्लोराइड 64.63%

46. सूची 3 की क्रम सं० 41 के भाग "ग" के अतिरिक्त वाले विनिर्माण और उत्पादन जिनकी एक संघटक के रूप में सिल्वर है। इसमें इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रिकल वस्तुएं परिधान आभूषण और सिल्वर फिलिग्रो शामिल नहीं हैं ।

47. स्टायूरीन मोनोमार ।

48. गन्ना ।

49. सल्फर (अविलेय सल्फर को छोड़कर) ।

50. आयातित ऊन से बने अतिरिक्त ऊनी टोप्स और ऊनी नायल्स ।

51. सीमा शुल्क बान्ड के अधीन आयातित ऊन से उत्पन्न ऊन अवशिष्ट के अतिरिक्त ऊन अवशिष्ट ।

52. एसिटिक एसिड ।

53. मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड ।

54. पालीथिलीन (एल० एल० डी० पी०) ।

55. पी० बी० सी० कम्पाउण्ड ।

56. टालुइन ।

57. नायलान टायर यार्न, धागा ।

58. पालियस्टर स्टेप्ल फाइबरया अन्य कहीं ऊन-उल्लिखित यार्न को छोड़कर अन्य कोई सेल्यूलोजिक या सिंथेटिक फाइबर ।

59. सिल्वर संघटकों का ध्यान किए बिना सिल्वर के सिक्के ।

60. वूलेन सेमी वस्टेर्ड यार्न ।

61. कैल्सियम कार्बाइड ।

62. अविलेय सल्फर ।

63. नायलान टायर कार्ड ।

उन मदों की सूची जिन पर से 31 अक्तूबर, 1991 को नियन्त्रण हटाया गया

1. जिंक अयस्क ।

2. जिंक सान्द्रण ।

3. कैलसाइन्ड बाक्साइट ।

4. धातु कतरन नामशः

　　(i) निक्रोम स्क्रैप

5. 　(ii) कतरन और अन्य धातु

6. अलौह धातु ।

7. स्टोन बैलास्ट/बिहार मूल का पिचिंग पत्थर ।

8. जरकान अयस्क और सौन्द्रण जरकान पत्थर की अर्द्धमूल्यवान किस्म ।

9. डिस्कस, वेफर्स या उसके समरूप फार्म में इलैक्ट्रोनिक्स में प्रयोग के लिए डोप किए गए रासायनिक तत्व इलैक्ट्रानिक्स में प्रयोग के लिए डोप किए गए रसायन संघटक ।

10. हटा दिया गया ।

11. जानवरों के फ्रोजेन शुक्राणु ।

12. अरंडी का तेल ।

13. शीरा ।

14. 　　खांडसारी शीरा ।

15. अंगोरा बकरी के बाल/मोहेयर ।

16. 36 एस० क्वालिटी की स्वदेशी अपरिष्कृत ऊन ।

17. 36 एस० तक क्वालिटी की कच्ची ऊन (स्वदेशी अंगोरा बकरी बाल मोहेयर चटक को छोड़कर)।

18. हथकरघा पर बनी हुई वास्तविक मद्रासी रूमाल।

19. प्योर सिल्क और कृत्रिम सिल्कफेब्रिक को छोड़कर टेक्सटाइम क्लास और ओलिव ग्रीन शेड का मैटीरियल।

20. वूल नायल्स को छोड़कर आयातित ऊन से बने ऊनी टाप्स।

21. ओलिव ग्रीन शेड वाला तम्बू और तम्बू का कपड़ा।

22. जूट गलीचे का अस्तर कपड़ा।

23. बुने बुनाये परिधान (एक्रिलिक और मिक्सड)।

24. शोड्डी यार्न।

25. साइट्रिक क्लोराइड।

26. पी० बी० सी० रेजिन।

27. क्लोरोक्वीन सल्फेट।

28. ईसबगोल के बीज/ईसबगोल की भूसी ईसबगोल पाउडर।

29. कैथडिन बीटल्स।

30. सिन्थेटिक मस्क।

31. मरकरी।

32. क्रोम सोन्ध्रण।

33. निम्नलिखित के अलावा अलौह धातुएं :—

(i) सभी ग्रेड की अलौह मैंगनीज धातुमल

(ii) (0.05% से कम कार्बन वाली अलौह मैंगनीज के अलावा) अलौह मैंगनीज

(iii) सिलिको मैंगनीज (अलौह सिलिका मैंगनीज)

(iv) (0.03% से कम कार्बन युक्त फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम और नाइट्रोजन युक्त फैरोक्रोम/चार्ज क्रोम

(v) सभी ग्रेड का सिलिको क्रोम (फेरो सिलिको क्रोमियन)

34. आयात-निर्यात नीति, 1990-93 (भाग-1) के पैरा 293 में दिए गए चांदी के आभूषण और चांदी की मदें।

35. वजन में 50% से कम चांदी युक्त चांदी के आभूषण।

36. स्वर्णाभूषण और मदें।

37. काजू की गिरी।

38. एस० एल० वी० कोयला।

39. सभी ग्रेड की फैरो मैंगनीज स्लैग।

40. (0.04% से कम कार्बन वाली फेरो मैंगनीज के अलावा) फैरो मैंगनीज।

41. सिलिको मैंगनीज (फेरो सिलिका मैंगनीज)।

42. 0.03% से कम कार्बन वाली फैरो क्रोम/चार्जक्रोम और नाइट्रोजन युक्त फेरोक्रोम/चार्जक्रोम।

43. सभी ग्रेड वाला सिलिको क्रोम (फेरो सिलिको क्रोमियम)।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्य

[हिन्दी]

3659. **श्री राम शरण यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काफी का उत्पादन करने वाले अन्य देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्य स्थिर करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् का कार्यकारी दल जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के सभी निर्यातक और आयातक सदस्य शामिल हैं, इस समय एक नए अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार पर समझौता-वार्ता कर रहा है। काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता लाने के लिए अपेक्षित उपाय पर कार्यकारी दल की बैठकों में विचार-विमर्श किया जा रहा है। बैठक में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधि मण्डल काफी की विश्व कीमतों में स्थिरता लाने के लिए कोटा प्रक्रिया पर भारत के दृष्टिकोण और विचार बताएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान से हीरे-जवाहरात का निर्यात

3660. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्थान से हीरे-जवाहरात के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) राज्य में हीरे-जवाहरात उद्योग को सरकार ने क्या सुविधाएं दी हैं अथवा देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखती है ।

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में हीरा और आभूषण उद्योग के लिए कोई विशिष्ट सुविधा नहीं दी गई है । हीरे और आभूषण उद्योग को जो सुविधाएं सारे देश में मिलती हैं वे सुविधाएं राजस्थान के निर्यातकों को भी उपलब्ध हैं ।

विदेशी शेयर धारिता वाली कम्पनियों द्वारा शेयर और डिबेंचर जारी किया जाना

[**अनुवाद**]

3661. **श्री कड़िया मुंडा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी शेयर धारिता वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1991 के दौरान अब तक विस्तार तथा नई कम्पनियां स्थापित करने के लिए शेयर और डिबेंचर जारी करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन दिया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर और डिबेंचर जारी करने हेतु जिन कम्पनियों को अनुमति दी गई है उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अनिवासी शेयर धारिता वाली जिन कम्पनियों ने 1-1-1991 से 30-11-1991 के दौरान पूंजी निर्गम के लिए आवेदन किया था, उनके नाम संकलित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) जिन कम्पनियों को इस अवधि के दौरान दस करोड़ रुपया से अधिक के शेयर और ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है, उनके नाम एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखा अधिकारियों का वेतनमान

3662. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के लेखा अधिकारियों के लिए 3000-45 0 रुपए के वेतनमान की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव सरकार द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया था और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सलाह के बाद इसके क्रियाम्वयन की तिथि का ही निश्चय किया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) नियंत्रक-महालेखा

परीक्षक ने सिफारिश की थी कि 2375-3500 रु० के वेतनमान के लेखा परीक्षा/लिखा अधिकारियों को भारत सरकार के अवर सचिवों के बराबर अर्थात् 3000-4500 रु० का उच्चतर वेतनमान दिया जाए।

(ग) सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान पर व्यय

[हिन्दी]

3663. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई है, और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं के माध्यम से व्यापार में कुल कितने मूल्य की सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान पर किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	व्यापार विकास प्राधिकरण	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
1988-89	443.14	172.37
1989-90	523.61	191.60
1990-91	553.29	204.03
योग :	1520.04	568.00

(ख) व्यापार विकास प्राधिकरण एक ऐसा निर्यात संवर्धन संगठन है जिसे कुछ खास बाजारों को चुनीन्दा गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए स्थापित किया गया है। यह प्राधिकरण मुख्यतया लघु क्षेत्र के निर्यातकों को सेवा-पैकेज प्रदान करता है। यह प्रत्यक्षतः निर्यात-सौदों में भाग नहीं लेता है बल्कि एक प्रेरक की भूमिका निभाते हुए अपने सदस्यों को केवल इस कार्य में सहायता देता

है। इसलिए, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि व्यापार विकास प्राधिकरण की सहायता से कितने मूल्य का व्यापार किया गया। फिर भी, प्राधिकरण के संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों के दौरान उसके सदस्यों को मिले व्यापार कारोबार का मूल्य 433.37 करोड़ रु० आंका गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सृजित व्यापार
1988-89	115.68
1989-90	188.48
1990-91	129.21
योग :	433.37

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मुख्यतया एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है जो अपने विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा विदेश व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विपणन में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है। चूंकि यह एक व्यापारिक संगठन नहीं है इसलिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की सहायता से किए गए व्यापार का मूल्य बताना सम्भव नहीं है।

सड़क बॉण्ड

[अनुवाद]

3664. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पुलों और राज्य राजमार्गों के विकास और सुधार के लिए "सड़क बॉण्ड" जारी करने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है।

विदेशी बाजार में साधारण बीमा निगम द्वारा बीमाकृत वस्तुओं का पुनः बीमा करना

3665. **श्री सुधीर सावंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बाजार में साधारण बीमा निगम द्वारा कितनी बीमाकृत वस्तुओं का पुनः बीमा किया गया है;

(ख) इस कार्य के लिए बिचौलियों का चयन करते समय साधारण बीमा निगम ने किन-किन मानदण्डों को अपनाया;

(ग) क्या कुछ निश्चित बिचौलिए हैं अथवा इन्हें प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीमा हेतु अलग-अलग बिचौलिए रखे जाते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बीमाकृत वस्तुओं का पुनः बीमा कराने वाले बिचौलियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशी बाजारों में पुनर्बीमित बीमा कवचों की संख्या 25 है।

(ख) से (घ) पुनर्बीमा एक विशेष प्रकार का कारोबार है और साधारण बीमा निगम बाजार के उत्कृष्ट लाभ के लिए सम्बन्धित क्षेत्र में विश्व के प्रमुख पुनर्बीमा दलालों (बिचौलियों) की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। जिस प्रकार कोई निर्धारित शर्तें नहीं हैं, उसी प्रकार कोई निर्धारित दलाल नहीं हैं। इनका उपयोग योग्यता निष्पादन, मितव्ययी दरों और प्रीमियम की शर्तों का दावा धन आदि एकत्रित करने में कुशल लेन-देन पर निर्भर करता है।

उन दलालों के नाम, जिनके माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान बाह्य पुनर्बीमा व्यापार किया गया है, निम्नानुसार हैं :—

भारतीय दलाल :

1. भाई चन्द अमोलक एण्ड कम्पनी
2. ग्लोबल इंश्योरेंस क्लेमस एण्ड एलाईड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
3. इन्टरलिंक रिन्श्योरेंस कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4. जे० बी० बाडा एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
5. के० एम० दस्तूर रिइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
6. एल० आर० राव एन्ड कम्पनी
7. मेंकड एन्ड एसोसिएट्स
8. मथरावाला एन्ड सन्स
9. एम० बी० बाडा एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
10. रीन्स इण्डिया लिमिटेड
11. आर० एन० सेठ एन्ड एसोसिएट्स (प्रा०) लिमिटेड
12. टाटा रिस्क मेनेजमेंट सर्विसेज
13. टावर इंश्योरेंस एन्ड रिइन्श्योरेंस सर्विसेज (I) प्राइवेट लिमिटेड

विदेशी दलाल :

1. अलेग्जेन्डर हावडिन रिइन्श्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड
2. सी० टी० बोवरिंग रिइन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
3. ई० डब्ल्यू पायने
4. ग्रीग फेस्टर लिमिटेड
5. इन्टरनेशनल इन्श्योरेंस कन्सल्टेन्ट्स
6. जेनर फेल्टन स्लेट लिमिटेड
7. जे० एच० मिनेट एन्ड कम्पनी लिमिटेड
8. लेसली एन्ड गोडविन रिइन्श्योरेंस लिमिटेड
9. रोबर्ट फ्लेमिंग इन्श्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड
10. सेडग्विक ऑफशोर रिसोर्सेज लिमिटेड
11. टाइसर एण्ड कम्पनी
12. विलकोक्स इन्टरनेशनल
13. विलिस कोरून

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देश

[हिन्दी]

3666. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में आर्थिक सम्पन्नता लाने तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु बैंको को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं कि उनके लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाएं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं को ऋण योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखा जाए ।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋण आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार किया जाए ।

3. गहन ऋण संवितरण के लिए गांवों का चयन करते समय विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति समुदाय बहुल गांवों को चुना जाए । विकल्प के रूप में, सम्बन्धित गांवों में उन स्थानों के चयन पर भी विचार किया जा सकता है जहां इस समुदायों की अधिकता है ।

4. इन समुदायों के लिए उपयुक्त बैंकिंग योजनाएं तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं ।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा तैयार की गई विशेष कार्यक्रमों में बैंक भाग लें ।

6. ऋणकर्ताओं के ऋण मिलने में विलम्ब न हो इसके लिए बैंक कर्मचारी फार्मों को भरवाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाने में उनकी मदद करें ।

7. बैंक कर्मचारी अशिक्षित ऋणकर्ताओं से मिलें और योजना की मुख्य-मुख्य बातों की तथा उसके लाभ की उन्हें जानकारी दें ।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के समान हैं । बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र के अपने अग्रिमों के अनुपात को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है और कमजोर वर्गों के लिए अग्रिमों को कुल बैंक ऋणों के 10 प्रतिशत स्तर तक लाना है ।

9. विभेदी ब्याज दर अग्रिमों के 40 प्रतिशत भाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए देना है ।

10. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम 30 प्रतिशत परिवारों को सहायता दी जाए और कार्यक्रम के तहत कुल सहायता का कम से कम 30 प्रतिशत उन्हें दिया जाए । वित्त वर्ष 1990-91 से इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया ।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मकान बनवाने के लिए 4 प्रतिशत की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों द्वारा 5000/- रु० तक ऋण दिया जाता है ।

(ग) से (च) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को कार्यान्वित करना पड़ता है । ऋणों की मंजूरी के बारे में प्राप्त किसी भी विशिष्ट मामले पर उचित स्तरों पर कार्रवाई की जाती है । शाखाओं से प्राप्त विवरणों और जानकारी के आधार पर बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए गए ऋणों की आवधिक समीक्षा करते हैं । जिला समन्वय समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा सरकार द्वारा नियंत्रित आवधिक समीक्षा बैठकों में भी इस मुद्दे को कार्यसूची की मद के रूप में शामिल किया जाता है ।

उड़ीसा में थोक व्यापारियों को बैंकों से ऋण

3667. **श्री मृत्युंजय नायक** : *क्या* **वित्त मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों* के दौरान प्रत्येक वर्ष, तथा अक्तूबर, 1991 तक उड़ीसा में थोक व्यापारियों को विभिन्न बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1988-89 के दौरान बैंकों ने उड़ीसा में थोक विक्रेताओं को 7.09 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान किया था, जबकि 1989-90 के दौरान बैंक वित्त पोषण की यह राशि 7.50 करोड़ रुपए थी, और नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 में यह राशि 8.07 करोड़ रुपए है।

दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच

[अनुवाद]

3668. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण-जांच बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो जून 1991 के बाद आज तक कितने वाहनों की जांच की गई और कितने वाहनों को निर्धारित स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पाए गए;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम के तथा अन्य सरकारी वाहनों की भी जांच की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो जांच किए गए उन वाहनों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित मापदंड से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पाए गए; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जुलाई से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान 1,13,059 वाहनों की जांच की गई जिनमें से 28,126 को निर्धारित स्तरों से अधिक प्रदूषणकारी पाया गया था।

इसी अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के 2368 वाहनों और 269 सरकारी वाहनों की भी जांच की गई जिनमें से दिल्ली परिवहन निगम के 916 और 40 सरकारी वाहनों को प्रदूषणकारी पाया गया था।

(च) उपर्युक्त (ग) से (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों और बीमा कम्पनियों में धोखाधड़ी

3669. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने काले धन को जब्त किए जाने और बैंकों और बीमा कम्पनियों में धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत गठित करने हेतु प्रावधान करने सहित कानून में संशोधन करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और बीमा उद्योग के बारे में वर्ष 1986 में सुझाव दिए थे कि अवैध धारक से उसके काले धन को जब्त करने और विशेष अदालतो द्वारा उस पर मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान करने के वास्ते कानून में संशोधन किए जाने पर विचार करना यथोचित होगा। मामले पर विचार किया गया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधिनियमन और इसमें दिए गए प्रावधानों को देखते हुए और किसी कानून की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3670. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि, न्याय और **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवंबर, 1991 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने-कितने पद न्यायालय-वार रिक्त पड़े थे; और

(ख) सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) तारीख 1-11-1991 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के साठ पद रिक्त थे और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का एक पद रिक्त था। उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्तियां करने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	1-11-1991 को रिक्त पद
1	2	3
1.	इलाहाबाद	11

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	6
3.	मुंबई	7
4.	कलकत्ता	6
5.	दिल्ली	4
6.	गुवाहाटी	—
7.	गुजरात	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू-कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	7
13.	मद्रास	3
14.	उड़ीसा	—
15.	पटना	5
16.	पंजाब और हरियाणा	2
17.	राजस्थान	—
18.	सिक्किम	1
	योग :	60
	उच्चतम न्यायालय	1

नया मांडोवी पुल

3671. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री 23 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 जुलाई, 1991 को ठेकेदार को 1422.11 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं जबकि केवल 957 लाख रुपए के लिए ही अवार्ड किया गया था;

(ख) क्या गोवा में नये मांडोवी पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पुल को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ठेका देने के पश्चात कार्य क्षेत्र में हुई वृद्धि के कारण ठेकेदार को अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) और (ग) निर्माण के दौरान एक मध्य खंबे और एक स्पेन की अधिरचना के ढह जाने के कारण पुल कार्य की रफ्तार पर प्रभाव पड़ा। अधिरचना की डिजाइन में संशोधन कर दिया गया है और पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्य प्रदेश में पूंजी निवेश

[हिन्दी]

3672. **श्री प्यारे लाल जाटव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर, 1991 तक भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का विचार राज्य में और अधिक निवेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश की गई कुल राशियां निम्नानुसार हैं :—

राशि (करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जीवन बीमा निगम	साधारण बीमा निगम
1988-89	73.78	9.56
1989-90	163.23	11.62
1990-91	152.34	6.97
(अप्रैल से अक्तूबर, 1991)	39.67	3.39

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आर० आर० बी० एस० को छोड़कर) के मध्य प्रदेश में निवेश निम्नानुसार हैं :

	(करोड़ रुपए)
1988	951.38
1989	1183.08
1990	1407.18

वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा किसी विशेष राज्य में निवेश प्राप्त किए गए अपहार्य (बैंकेबल) प्रस्तावों पर निर्भर करता है। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा किसी विशेष राज्य में निवेश भी, एक सीमा तक योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आबंटनों पर निर्भर करता है।

राजस्थान में सीमेंट फैक्टरियों से उत्पाद शुल्क की वसूली

[हिन्दी]

3673. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान की सीमेंट फैक्टरियों से कुल कितना शुल्क वसूल किया गया;

(ख) इस बारे में न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) उत्पाद शुल्क की कितनी बकाया राशि अभी वसूल की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 382.55 करोड़ रुपए (केवल तीन सौ बयासी करोड़ पचपन लाख रुपए)

वर्षवार

1988-89	—	113.59 करोड़ रुपए
1989-90	—	128.73 करोड़ रुपए
1990-91	—	140.23 करोड़ रुपए

(ख) 10 (दस) मामले।

(ग) 10.74 करोड़ रुपए (केवल दस करोड़ चौहत्तर लाख रुपए)।

सहायकों तथा आशुलिपिकों का संशोधित वेतनमान

[अनुवाद]

3674. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सरकार के स्वायत्तशासी तथा अधीनस्थ कार्यालयों में 425-800 रुपए के वेतनमान में कार्यरत सभी अधिकारियों को 1400-2600 रुपए का वेतनमान दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो स्वायत्तशासी तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को 1640-2900 रुपए का संशोधित वेतनमान न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा आशुलिपिकों को संशोधित वेतनमान दे दिया गया है;

(ग) 425-800 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में कार्यरत स्वायत्तशासी तथा अधीनस्थ

कार्यालयों के समतुल्य अधिकारियों को संशोधित वेतनमान देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है कि स्वायत्तशासी तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों को भी 1-1-1986 से बकाया राशि नगद मिल जाए जैसाकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (घ) चौथे वेतन आयोग ने सहायकों के लिए संशोधित वेतनमान के रूप में 1400-2600 रुपए के वेतनमान की सिफारिश की थी। तदनन्तर, चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान मे विसंगति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूर करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के वेतनमान को पुनरीक्षित करके 1640-2900 रुपए कर दिया गया। चूंकि अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों में काम करने वाले सहायकों/आशुलिपिकों के वेतनमान में ऐसी कोई विसंगति नहीं है, अतः उनका वेतनमान पुनरीक्षित करके 1640-2900 रुपए कर दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

3675. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तकनीकी विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तकनीकी विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने आवेदन पत्र मिले और कितने मामलों में बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की और वास्तव में प्रदान की गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि तकनीकी निधि योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे 415 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 9 आवेदन पत्रों को असंतोषजनक वित्तीय स्थिति और कार्य-परिणामों, समूह कम्पनियों का असंतोषजनक कार्यकरण और वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशियों के होने जैसे कारणों से सहायता दिए जाने योग्य नहीं पाया गया। कुछ आवेदन पत्रों को इसलिए भी नामंजूर किया गया क्योंकि वे योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने के लिए पात्रता मानदण्डो को पूरा नही करते थे।

(ग) तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्रों की राज्य-वार सूची और मंजूर किए गए मामलों की संख्या तथा संवितरित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, मंजूर आवेदन पत्रों की संख्या, मंजूर की गई और संवितरित राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं०	मंजूर आवेदन पत्रों की सं०	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए)	संवितरित की राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	12	448.05	410.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	—	—
3.	असम	2	2	202.00	202.00
4	बिहार	8	8	233.49	233.49
5.	गुजरात	39	38	1677.25	1419.16
6.	हरियाणा	14	14	438.03	435.88
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	—
8.	कर्नाटक	21	21	627.42	598.56
9.	केरल	5	5	147.30	119.00
10.	मध्य प्रदेश	20	19	931.64	915.11
11.	महाराष्ट्र	142	141	4715.45	4243.61
13.	उड़ीसा	1	1	62.00	57.00
13.	पंजाब	11	10	324.12	285.42
14.	राजस्थान	12	12	803.38	671.88
15.	तमिलनाडु	63	61	2045.14	1856.13
16.	उत्तर प्रदेश	29	27	1049.36	922.06

1	2	3	4	5	6
17.	पश्चिम बंगाल	28	27	947.68	921.91
18.	केन्द्र शासित प्रदेश				
I.	चंडीगढ़	2	2	27.50	27.50
II.	नई दिल्ली	2	2	225.62	83.50
III.	पांडिचेरी	2	2	99.00	—
	जोड़ :	415	406	15004.43	13403.50

मैसूर में निर्यात-आयात नियन्त्रक का उप कार्यालय खोलना

[अनुवाद]

3676. श्रीमती चन्द्र प्रभाग अर्स : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसूर में निर्यात-आयात नियन्त्रक का उप कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) मुख्य नियन्त्रक आयात-निर्यात (सी०सी०आई०एण्ड०ई०) के कार्यालय का एक उप कार्यालय मैसूर में खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों में घाटा

3677. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार केरल के किन-किन बैंकों को घाटा हुआ है; और

(ख) सरकार ने घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभ और हानि के सम्बन्ध में राज्य/क्षेत्रवार सूचना एकत्र नहीं की जा सकती है।

इलायची बोर्ड की स्थापना

3678. श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इलायची बोर्ड की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

व्यापार घाटा

3679. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान व्यापार में कितना घाटा होने की सम्भावना है;

(ख) क्या इसमें रक्षा उपकरणों से संबंधित आयात भी शामिल है; और

(ग) इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान भारत का व्यापार घाटा रु० 2356 करोड़ का है जबकि इसकी तुलना में गत वर्ष अप्रैल-सितम्बर, 1990 में यह रु० 4234 करोड़ था । अभी इस स्थिति में वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए कुल व्यापार घाटे का सही अनुमान करना कठिन है ।

(ख) व्यापार के आंकड़ों में केवल ऐसे कारोबारी व्यापार के आंकड़े ही शामिल हैं जो सीमा-शुल्क व्यवस्था से गुजरता है और इसमें इस बात का कोई भेद या अन्तर नहीं होता कि वह व्यापार रक्षा प्रयोजनों के लिए है या किसी अन्य प्रयोजन के लिए है ।

(ग) सरकार ने व्यापार घाटे को सीमित रखने के विचार से व्यापार नीति में अनेक सुधार शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य है निर्यात प्रोत्साहन मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक कम करना और आयात को इष्टतम सीमा तक कम करना । आर० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर एक्सिम स्क्रिप नाम का एक नया दस्तावेज शुरू किया गया है । यह दस्तावेज कच्चे माल, कल पुर्जों और अतिरिक्त कल पुर्जों के आयात की कुछ श्रेणियों की सुविधा पाने का साधन होंगे । निर्यात संवर्धन के साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली को भी मजबूत किया गया है । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सुस्थापित निर्यातक अनुमोदित बैंकों में विदेशी-मुद्रा खाते खोल सकते हैं । सरकार ने निर्यातकों को यह अनुमति दी है कि वे विदेशों में ऋण खाते शुरू कर सकते हैं और निर्यात से सम्बन्धित आयातों का भुगतान ऐसे खातों से कर सकते हैं और फिर निर्यात से मिलने वाली राशि इन खातों में जमा कर सकते हैं । सरकार ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं : लाइसेंसिंग से होने वाले नियन्त्रण कम करना, निर्यात की क्रिया विधियों को सरल बनाना, बोर्ड ऑफ ट्रेड को फिर सक्रिय करना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षी वार्ता, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ आपसी क्रियाकलाप, आदि ।

गुजरात में कपड़ा मजदूर पुनर्वास योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को राहत

3680. **श्री हरिन पाठक : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में असंख्य बेरोजगार कपड़ा मजदूरों को कपड़ा मजदूर पुनर्वास योजना, 1985 के अन्तर्गत कोई राहत नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कितने श्रमिकों को राहत प्रदान की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अन्तर्गत 12188 कामगारों को राहत प्रदान की गई है।

आयुध डिपो, भरतपुर के निकटवर्ती गांवों को अन्यत्र ले जाना

[हिन्दी]

3681. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुध डिपो, भरतपुर के निकट स्थित गांवों को अन्यत्र ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन गांवों को किन-किन स्थानों पर पुरःस्थापित करने का हे ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नासिक से मुम्बई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 को चौड़ा करना

[अनुवाद]

3682. **डा० वसंत पवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नासिक से मुम्बई तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को चार लेनों में चौड़ा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यह कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) आठवीं योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने तक, रा० रा० 3 बम्बई-नासिक खंड को चार लेन का बनाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, और अन्य बातों के साथ-साथ यह संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परेषण कर

[हिन्दी]

3683. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सामान के अन्तर्राज्यीय परेषणों पर केन्द्रीय बिक्री-कर न लगाए जाने के कारण राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सामान के अन्तर्राज्यीय परेषण पर कर लगाने के लिए संसद के चालू सत्र के दौरान कोई विधेयक पेश करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बिक्री-कर की आय में से राज्य सरकारों को नियमित रूप से अंश प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दिए गए इन अंशों का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) माल के अंतर्राज्यीय परेषण से कर-अपवंचन होता है क्योंकि ऐसे परेषणों पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केन्द्रीय बिक्री-कर से होने वाली प्राप्तियां एकत्र करने वाले राज्यों के द्वारा रखी जाती हैं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य हेतु सरकारी क्षेत्र में वित्तीय संस्था को स्थापित करना

[अनुवाद]

3684. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य को वित्त पोषित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई वित्तीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

[हिन्दी]

3685. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक-वार और जिला-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की जिला-वार तथा बैंक-वार संख्या क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	42
2.	बस्तर	54
3.	बेतुल	50
4.	भिंड	23
5.	भोपाल	18
6.	बिलासपुर	80
7.	छतरपुर	17
8.	छिंदवाड़ा	43
9.	दमोह	25
10.	दतिया	13
11.	देवास	27
12.	धार	37
13.	दुर्ग	32
14.	पूर्वी निमाड़	42
15.	गुना	32

1	2	3
16.	ग्वालियर	28
17.	होशंगाबाद	16
18.	इन्दौर	37
19.	जबलपुर	78
20.	झाबुआ	21
21.	मंडला	41
22.	मंदसौर	42
23.	मुरेना	40
24.	नरसिम्हापुर	25
25.	पन्ना	21
26.	रायगढ़	29
27.	रायपुर	87
28.	रायसेन	16
29.	राजगढ़	23
30.	राजनन्दगांव	26
31.	रतलाम	29
32.	रीवा	38
33.	सागर	31
34.	सतना	23
35.	सिहोर	40
36.	सिओनी	27
37.	शहडोल	45
38.	शाजापुर	32
39.	शिवपुरी	21
40.	सिधि	46
41.	सुरगुजा	44
42.	टीकमगढ़	8
43.	उज्जैन	33
44.	विदिशा	30
45.	पश्चिमी निमाड़	54

विवरण-II

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	412
2.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	151
3.	अलाहाबाद बैंक	98
4.	बैंक आफ बड़ौदा	32
5.	बैंक आफ इण्डिया	147
6.	बैंक आफ महाराष्ट्र	83
7.	केनरा बैंक	3
8.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	278
9.	देना बैंक	57
10.	इण्डियन बैंक	3
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1
12.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	5
13.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	3
14.	पंजाब एवं सिंध बैंक	3
15.	पंजाब नेशनल बैंक	106
16.	सिंडिकेट बैंक	8
17.	यूको बैंक	60
18.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	116

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

3686. श्री पी० पी० कालियापेरुमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आज की तारीख में संवर्ग वार और बैंक-वार कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) कुल कर्मचारियों में से संवर्ग-वार और बैंक-वार कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास इस समय देश में कार्य कर रहे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की संख्या के बारे में संवर्ग-वार तथा बैंक-वार उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के बारे में सूचना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संवर्ग-वार रोजगार को दर्शाने वाला विवरण

(सितम्बर, 1990 के अन्त की स्थिति)

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम	अधिकारियों	लिपिकों	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	155	205	99	459
2.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	364	364	135	863
3.	हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	61	55	3	119
4.	अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	67	50	41	158
5.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	95	85	—	180
6.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	31	33	—	64
7.	जम्मू ग्रामीण बैंक	208	101	56	365
8.	ईलाकी देहाती बैंक	151	141	30	322
9.	कामराज ग्रामीण बैंक	126	183	100	409
10.	शिवालीक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77	71	27	175
11.	कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77	69	4	150
12.	गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	101	99	1	201
13.	मालवा ग्रामीण बैंक	33	47	35	115
14.	फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24	28	6	58

1	2	3	4	5	6
15.	जयपुर नागौर अंचलीक ग्रामीण बैंक	289	222	107	618
16.	मारवार ग्रामीण बैंक	278	225	96	599
17.	शेखावती ग्रामीण बैंक	184	204	87	475
18.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	112	93	65	270
19.	अलवर भरतपुर अंच० ग्रामीण बैंक	160	119	60	339
20.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	108	74	67	249
21.	हृदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	139	104	7	250
22.	मेवार आंचलीक ग्रामीण बैंक	94	78	52	224
23.	धार आंचलिक ग्रामीण बैंक	101	78	14	193
24.	बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	101	106	67	274
25.	भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	78	68	54	200
26.	डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	60	57	1	118
27.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	60	49	47	156
28.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35	36	3	74
29.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	25	24	20	69
30.	प्रागज्योतिष गौंलिया बैंक	330	339	73	792
31.	लखीमी गौंलिया बैंक	191	173	68	432
32.	कैचर ग्रामीण बैंक	75	56	36	167
33.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	74	59	2	135
34.	सुबांसिरी गौंलिया बैंक	80	62	17	159
35.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	44	30	4	78
36.	खासी जैनतिया ग्रामीण (का बैंक)	84	66	11	161
37.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	65	69	—	134
38.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	10	8	1	19
39.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	295	310	82	687
40.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	305	314	114	733
41.	चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	254	180	153	587
42.	मगध ग्रामीण बैंक	318	193	103	614

1	2	3	4	5	6
43.	कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	307	173	78	558
44.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	387	212	195	794
45.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	270	137	75	482
46.	संथाल परगनास ग्रामीण बैंक	212	132	106	450
47.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	171	60	51	282
48.	नालन्दा ग्रामीण बैंक	130	122	60	312
49.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	118	129	39	286
50.	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	140	97	60	297
51.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	125	102	47	274
52.	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	154	75	80	309
53.	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	89	178	7	274
54.	गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	90	61	71	222
55.	सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	105	60	41	206
56.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	108	77	83	268
57.	गिरीडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	38	34	3	75
58.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	38	2	83
59.	पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक	22	27	3	52
60.	भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	36	27	106
61.	बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	32	25	14	71
62.	पुरी ग्राम्य बैंक	239	252	48	539
63.	बोलनगिर आंचलिक ग्रामीण बैंक	246	358	24	628
64.	कटक ग्रामीण बैंक	296	295	89	680
65.	कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक	189	211	76	476
66.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	176	82	84	342
67.	बैतरनी ग्रामीण बैंक	207	125	36	368
68.	बालासोर ग्रामीण बैंक	130	93	16	239
69.	ऋषिकुल्या ग्रामीण बैंक	141	88	25	254
70.	ढेनकेनल ग्रामीण बैंक	80	76	19	175

1	2	3	4	5	6
71.	गौर ग्रामीण बैंक	381	266	100	747
72.	माल्लाभूम ग्रामीण बैंक	479	447	128	1054
73.	म्यूराक्षी ग्रामीण बैंक	211	187	—	398
74.	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	243	214	34	541
75.	नाडिया ग्रामीण बैंक	94	152	29	275
76.	सागर ग्रामीण बैंक	239	189	88	516
77.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	173	174	78	425
78.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	110	123	43	276
79.	मुरशिदाबाद ग्रामीण बैंक	68	50	42	160
80.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद	172	134	85	391
81.	बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	292	174	42	348
82.	रेवा सिधी ग्रामीण बैंक	145	125	78	348
83.	बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	183	156	59	398
84.	शारदा ग्रामीण बैंक	119	53	67	239
85.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	146	87	28	261
86.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	150	84	38	272
87.	दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक	194	126	52	372
88.	झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	166	102	43	311
89.	रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	109	89	69	267
90.	शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	122	91	27	240
91.	दामोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	131	97	79	307
92.	देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	103	75	62	240
93.	नीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	142	82	70	294
94.	मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	95	60	6	161
95.	छिन्दवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	97	85	43	225
96.	राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	74	73	48	195
97.	सहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	59	54	3	116
98.	रतलाम मन्दसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	59	49	32	140

1	2	3	4	5	6
99.	चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	65	58	7	130
100.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	71	57	39	167
101.	इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	58	49	3	110
102.	ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	41	32	33	106
103.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33	25	2	60
104.	प्रथमा बैंक	508	575	224	1307
105.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	569	420	162	1151
106.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	367	407	171	945
107.	बाराबंकी ग्रामीण बैंक	211	157	67	435
108.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	104	80	380
109.	फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक	186	188	92	466
110.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	247	192	81	520
111.	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	150	130	103	383
112.	सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	260	200	97	557
113.	अवध ग्रामीण बैंक	273	187	126	586
114.	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	246	139	108	493
115.	सरस्वती ग्रामीण बैंक	184	121	107	412
116.	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	86	65	54	205
117.	किसान ग्रामीण बैंक	111	99	17	227
118.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	91	105	7	203
119.	काशी ग्रामीण बैंक	181	100	83	364
120.	बस्ती ग्रामीण बैंक	166	156	66	388
121.	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	185	106	91	382
122.	प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	158	114	78	350
123.	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	130	102	76	308
124.	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	134	70	66	270
125.	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	175	119	18	312
126.	देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	154	113	53	320

1	2	3	4	5	6
127.	अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	184	207	71	462
128.	तुलसी ग्रामीण बैंक	184	108	26	318
129.	एटा ग्रामीण बैंक	103	105	69	277
130.	गोमती ग्रामीण बैंक	176	120	89	385
131.	छतरसाल ग्रामीण बैंक	155	91	2	248
132.	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	92	60	—	152
133.	विदुर ग्रामीण बैंक	80	59	35	174
134.	शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	55	47	37	139
135.	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	97	68	1	166
136.	विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक	81	52	49	182
137.	सरयू ग्रामीण बैंक	76	37	48	161
138.	जमना ग्रामीण बैंक	81	73	40	194
139.	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	51	41	47	119
140.	पिथोरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	37	33	25	95
141.	गंगा यमुना ग्रामीण बैंक	54	50	47	151
142.	अलकनन्दा ग्रामीण बैंक	52	66	33	151
143.	हिन्डन ग्रामीण बैंक	27	23	4	54
144.	कूच ग्रामीण बैंक	77	55	33	165
145.	जामनगर ग्रामीण बैंक	91	66	2	159
146.	बनासकंठा मेहसाना ग्रामीण बैंक	129	93	78	300
147.	पंचमहल ग्रामीण बैंक	93	91	5	189
148.	सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	53	56	1	110
149.	वलसाद दांग्स ग्रामीण बैंक	61	51	2	114
150.	सूरत भरुच ग्रामीण बैंक	72	49	41	162
151.	साबरकंठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	50	39	34	123
152.	जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक	55	42	22	119
153.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	447	409	244	1100
154.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	86	90	48	224

1	2	3	4	5	6
155.	चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	94	79	59	232
156.	अकोला ग्रामीण बैंक	64	56	39	159
157.	रत्नागिरि सिंधदुर्ग ग्रामीण बैंक	63	63	9	135
158.	सोलापुर ग्रामीण बैंक	56	47	38	141
159.	भंडारा ग्रामीण बैंक	79	67	49	195
160.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	38	35	3	76
161.	बुलधाना ग्रामीण बैंक	32	32	2	66
162.	थाणे ग्रामीण बैंक	38	30	27	95
163.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक	377	197	143	717
164.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	305	426	153	884
165.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक	421	236	151	808
166.	श्री अनंथा ग्रामीण बैंक	142	163	41	346
167.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	200	137	68	405
168.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	141	90	75	306
169.	संगमेश्वर ग्रामीण बैंक	110	78	37	225
170.	मंजिरा ग्रामीण बैंक	154	75	68	297
171.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	182	182	88	452
172.	काकाथिया ग्रामीण बैंक	82	51	27	160
173.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	87	94	31	212
174.	श्री सतवाहना ग्रामीण बैंक	75	62	46	183
175.	गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक	30	27	24	81
176.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	35	35	20	90
177.	कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक	36	30	2	68
178.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	31	34	3	69
179.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	344	553	164	1061
180.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	590	700	199	1489
181.	कावेरी ग्रामीण बैंक	267	171	94	532
182.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	223	164	43	430

1	2	3	4	5	6
183.	चित्रदुर्गा ग्रामीण बैंक	176	199	78	453
184.	कल्पतरु ग्रामीण बैंक	136	130	49	315
185.	कोलार ग्रामीण बैंक	111	167	69	347
186.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	188	152	35	375
187.	चिकमंगलूर कोदागु ग्रामीण बैंक	76	62	7	145
188.	शाहयादी ग्रामीण बैंक	44	54	2	100
189.	नेत्रवती ग्रामीण बैंक	48	22	2	72
190.	वर्दा ग्रामीण बैंक	58	39	27	124
191.	विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	40	39	3	82
192.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	542	905	158	1605
193.	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	350	502	131	983
194.	पाण्डयन ग्रामीण बैंक	345	404	128	877
195.	अधियामन ग्रामीण बैंक	43	27	27	97
196.	वालालर ग्रामीण बैंक	33	28	—	61

उद्योग की वित्तीय लागत

3687. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय लागत के बढ़ जाने से उद्योग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उद्योग की वित्तीय लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ब्याज की लागत में वृद्धि के रूप में प्रतिपादित वित्तीय लागत में वृद्धि विशेषरूप से कुल परियोजना लागत को अपेक्षाकृत एक थोड़ा भाग माना जाता है। इस प्रकार, अपने आप में ब्याज दर में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशा नहीं की जाती है।

(ग) ब्याज दरों के वर्तमान स्तर से मुद्रास्फीति की स्थिति परिलक्षित होती है और मुद्रास्फीति का दबाव कम होने के बाद ही इसमें कमी की जा सकती है। उच्च उधार दरों द्वारा सामान्य वित्तीय अनुशासन कायम करने, उत्पादकता में सुधार लाने और स्टाक संरचना को नियंत्रित करने की आशा की जाती है।

कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

3688. **श्री जी० माडे गौडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सिंचाई परियोजनाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी गई शर्तों के परिणामस्वरूप कर्नाटक में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में अड़चनें पेश आ रही हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ऋण मंजूर करने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने और ऋणों पर वर्तमान ब्याज दर घटाने का आग्रह किया है; है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कारंवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने कोई विशेष शर्त नहीं रखी है जो कर्नाटक में योजनाओं को लागू करने में बाधक हो। तथापि, सामान्य मानदण्डों के अनुसार जल रहित ब्लाकों (डार्क ब्लाक) में किसी योजना को मंजूरी नहीं दी जाती है और योजनाओं की मंजूरी में राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार, उनके द्वारा अन्तराल (स्पेसिंग) मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा 9 अक्तूबर, 1991 से ब्याज दर ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम सहित, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज में कमी करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाली ब्याज दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सच्चर समिति की सिफारिशें

3689. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटी कम्पनियों के कागजी-कार्य को कम करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को सरल बनाने के सम्बन्ध में सच्चर समिति की सिफारिशें स्वीकार करने का है;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम के लिए छोटी कम्पनियों को परिभाषित करने की भी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सच्चर समिति ने सिफारिश की थी कि प्राइवेट कम्पनियों को छोटी प्राइवेट कंपनियों में और वर्गीकृत किया जाए जिनकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक न

हो और ऐसी कंपनियां अतिरिक्त छूटों तथा विशेषाधिकारों के लिए पात्र होंगी। इसी प्रकार के सुझाव अन्य पक्षों से भी प्राप्त हुए हैं। सरकार इस प्रकार के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। तथापि, सरकार सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए कतिपय अतिरिक्त छूटों/विशेषाधिकारों पर विचार कर रही है।

हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच सड़क

[हिन्दी]

3690. **श्री मनफूल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच स्थित सड़क "जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स" के नियंत्रणाधीन थी;

(ख) क्या यह सड़क राजस्थान के लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के बीच भारी सैन्य यातायात रहता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सड़क "जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स" को पुनः सौंपने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। क्योंकि यह सेना के लिए संक्रियात्मक महत्व का नहीं है।

(घ) इस सड़क पर सिविल यातायात सैनिक यातायात की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करना

3691. **श्री राम सागर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में पोस्त की खेती के लिए प्रतिवर्ष कितने लाइसेंस दिए गए; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक वहां ऐसे कितने लाईसेंस दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाराबंकी (उ० प्र०) के डिवीजन एक और दो में जारी किए गए पोस्त की खेती के लाइसेंसों

की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :

वर्ष	लाइसेंसों की संख्या
1988-89	10512
1989-90	8571
1990-91	9641

(ख) चालू वर्ष (9 दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान बाराबंकी के डिवीजन एक और दो में जारी किए गए लाइसेंसों की सं० 9019 है।

चालू खाता घाटा

[अनुवाद]

3692. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 तथा 1990-91 का चालू खाता घाटा कितना है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चालू खाता घाटे में तेजी से हुई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान पूंजी खाता राशि तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1989-90 तथा 1990-91 में शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों की राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान चालू लेखा घाटे में तीव्र वृद्धि विपरीत उपादानों के संयोग के परिणामस्वरूप हुई, जिसमें औद्योगीकृत देशों में मंदी की परिस्थितियों तथा पूर्वी यूरोप में आर्थिक विघटन के परिणामस्वरूप निर्यात विकास में हुई गिरावट, अगस्त, 1991 में आरम्भ हुए खाड़ी संकट के कारण पी० ओ० एल० आयात बिल में तेज वृद्धि, पश्चिम एशिया में निर्यात बाजारों में हुई आंशिक हानि और पश्चिम एशिया में प्रभावित क्षेत्र से भारतीय श्रमिकों के देश प्रत्यावर्तन के कारण हुआ विदेशी मुद्रा व्यय तथा 1990-91 की अधिकतर अवधि के दौरान घरेलू राजनीति में अनिश्चित और अशांत स्थिति, जिसके कारण निजी प्रेषणों, यात्रा और पर्यटन आदि के रूप में अदृश्य प्राप्तियों में तेजी से गिरावट शामिल हैं। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान चालू लेखा घाटा, निवल अदृश्य प्राप्तियों पूंजी लेखे (निवल) और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवल ऋण नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91
चालु लेखा (निवल)	—10391	—13088
अदृश्य* (निवल)	2541	2054
पूंजी लेखा (निवल)	10341	8617
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	—1460	2178

*सरकारी अन्तरण (निवल) शामिल है।

आयुद्ध कारखानों के एककों तथा सेक्शनों को निजी क्षेत्र को किराए पर देना

[अनुवाद]

3693. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुद्ध कारखाना बोर्ड का विचार विभिन्न आयुद्ध कारखानों के कुछ सेक्शनों तथा एककों को कुछ निजी निर्माण एककों को किराये पर बेच देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ कार्य प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां; तो रक्षा सप्लाई की लागत पर और कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों पर इन परिवर्तनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में सेवा क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्षेत्र विस्तार

3694. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सेवा क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में शामिल करने के लिए अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, अधिनियम की धारा 2(द) में यथा परिभाषित "सेवा" क्षेत्र के लिए पहले से ही लागू होता है। अधिनियम को 27 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना सा० का० नि० सं०-6्5(अ) द्वारा सहकारी समितियों पर लागू किया गया है जोकि अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई है।

आर्थिक अपराध

[हिन्दी]

3695. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराध घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अपराधों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) कुछ ऐसे अपराधों के लिए जो आयकर अधिनियम के अध्याय XXII, धनकर अधिनियम के अध्याय XIII, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम की धारा-9, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा-135 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 56 आदि में विनिर्दिष्ट हैं उनके लिए विधि न्यायालय में अभियोजन के उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं।

बिहार की निर्यात क्षमता

[अनुवाद]

3696. **श्री आर्थ फर्नाण्डीज :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की निर्यात क्षमता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में निर्यात योग्य कौन-कौनसी वस्तुएं हैं; और

(ग) उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार के क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। व्यापार विकास प्राधिकरण ने सन् 1988 में एक अध्ययन किया था।

(ख) निर्यात के लिए अभिज्ञात प्रमुख गैर-इंजीनियरी मदें निम्नलिखित हैं :—

हथकरघा—रेशम और कपास, चमड़ा से बनी वस्तुएं हस्तशिल्प, और संसाधित फल।

(ग) बिहार सरकार और बिहार चैम्बर आफ कामर्स इस अध्ययन पर कारंवाई कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शाख आकलन अभिकरण की यात्रा

3697. **श्री आर्थ फर्नाण्डीज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय शाख आकलन अभिकरण ने भारत की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता और कमियों के आकलन के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण साख अभिकरण ने अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाजार विकास योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को हथकरघा कपड़े के लिए दी गई मान्यता

3698. **श्री जे० चोक्का** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार विकास योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक हथकरघा कपड़े के लिए कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) इन वर्षों के दौरान उसमें से प्राथमिक सोसायटियों और सर्वोच्च सोसायटियों के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विपणन विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा आंध्र प्रदेश को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

वर्ष	लाख रुपयों में
1989-90	280.30
1990-91	440.50
1991-92	242.97

(ख) विपणन विकास सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 आधार पर दी जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1989-90 में "एप्को" को 448.66 लाख रुपए और प्राथमिक समितियों को 285.07 लाख रुपए की राशि जारी की गई। 1990-91 में "एप्को" को 380 लाख रुपए और प्राथमिक समितियों को 315.43 लाख रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 1991-92 में एप्को को 208.66 लाख रुपए और प्राथमिक समितियों को 20.54 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

पूंजी निर्गमों को जालसाजी करके कम दिखाना

3699. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूंजी निर्गमों को विशेषकर बड़े निर्गमों जालसाजी करके कम दिखाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संस्थानों के कर्मचारियों के भत्ते पर आयकर

[हिन्दी]

3700. **श्री गोविन्दराव निकाम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा निजी संस्थान आयकर बचाने के अपने कर्मचारियों को वेतन विभिन्न भत्तों में बांटकर देते हैं;

(ख) क्या सरकार आयकर लगाने के लिए इन सभी भत्तों को ध्यान में रखेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से वेतन में अन्य बातों के साथ-साथ उसे संदेय अथवा उसे प्राप्त कोई भी अदायगी शामिल है। लेकिन, कतिपय भत्तों के सम्बन्ध में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए कर से छूट की व्यवस्था की गई है। विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होने पर इस प्रकार के किसी भी भत्ते पर कर लगाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इन भागों का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राज्यों को धनराशि का हस्तांतरण

[अनुवाद]

3701. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह राज्यों को धनराशि के हस्तांतरण किए जाने सम्बन्धी विद्यमान मानदण्डों पर पुनर्विचार करे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के उक्त अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) राजस्थान सरकार ने राज्यों को आपदा राहत के लिए निधियां रिलीज किए जाने के मौजूदा आधार की पुनरीक्षा करने हेतु अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) आपदा राहत के लिए निधियां रिलीज किए जाने की वर्तमान व्यवस्था नवें वित्त आयोग की उन सिफारिशों पर आधारित है जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार संबंधी योजना का मूल्यांकन अध्ययन

3702. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या वित्त मंत्री 9 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मन्त्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार सम्बन्धी योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु स्थानों का चयन करने के लिए किन-किन मानदण्डों को निर्धारित किया गया है और इनमें गढ़वाल क्षेत्र को शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) उस मूल्यांकन अध्ययन के लिए जिला स्तर सलाहकार समितियों और राज्य स्तर बैंकर्स समिति का गठन किस प्रकार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के प्रभाव को आंकने और इसके कार्यान्वयन में सुधारों का सुझाव देने के उद्देश्य से विकास आयुक्त, लघु उद्योग, द्वारा वर्ष 1986 में निरन्तर आधार पर शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किया था। यह मूल्यांकन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली के पूर्वानुमोदन से स्वतन्त्र संगठनों के माध्यम से कराया जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के लिए मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु स्थानों को चुनने के वास्ते कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है और जिलों का चयन करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अलबत्ता, एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के 2 से 5 जिलों का अध्ययन किया जाता है।

(ख) राज्य-स्तरीय बैंकरों की समिति में वित्तीय संस्थायें, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राज्य स्तरीय सरकारी अधिकारी और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। जिला परामर्शदात्री समिति में जिले में कार्य कर रही सभी वित्तीय संस्थायें वाणिज्यिक बैंक और जिला स्तर पर राज्य सरकारों के प्राधिकारी होते हैं। जिले का अग्रणी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति का संयोजक बैंक होता है। उप-आयुक्त/जिला समाहर्ता, जिला दण्डाधिकारी जिला परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष होता है।

"कांट्रेक्ट कैरिज" परमिट धारकों द्वारा "स्टेज कैरिज" के रूप में वाहन चलाना

3703. श्री जीवन शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 3 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1991 तथा 31 अक्तूबर, 1991 के बीच कितने "कांट्रेक्ट कैरिज" परमिट धारकों को "स्टेज कैरिज" के रूप में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई; और

(क) सरकार का विचार इस स्थिति से किस प्रकार प्रभावी ढंग से निपटने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1991 तक परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 242 कांट्रेक्ट कैरिजों पर इस्तगासे की कार्रवाई की गई। दिल्ली प्रशासन ऐसे अनाचार की नियमित आधार पर बड़े पैमाने पर चैकिंग करता है।

रक्षा व्यय में कटौती

3704. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री अन्बारासु इरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाव दिया है कि 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए रक्षा व्यय में करीब 20 प्रतिशत की कटौती की जाए; और

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड, केरल द्वारा लिए गए ऋणों का निपटान

3705. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **वित्त मंत्री** 17 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1622 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कनारा बैंक 26 जून, 1990 को लिए गए निर्णय को लागू नहीं कर रहे हैं, जिसमें पुनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड, केरल द्वारा लिए गए ऋणों का पूर्ण तथा अन्तिम निपटान के तौर पर उससे मूलधन की अदायगी को स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 26-6-90 को आयोजित बैठक में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (अग्रणी वित्तीय संस्था) तथा केनरा बैंक द्वारा यह सहमति प्रकट की गई थी कि वे पुनालुर पेपर मिल्स (पी पी एम) से कुछ निबन्धन और शर्तों के अधीन, एक बारगी समझौता प्रस्ताव पर विचार करेंगे। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने बाद में सूचित किया कि चूंकि पी पी एम कुछ निबन्धन तथा शर्तों का पालन करने को राजी नहीं था, इसलिए एक बारगी प्रस्ताव का कार्यान्वियन असम्भव हो गया।

(ग) सरकार बराबर यह अनुरोध करती रहेगी कि पारस्परिक स्वीकार्य समाधान के लिए पी पी एम को वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से सम्पर्क करना चाहिए।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन

3706. **श्री वी० देवराजन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन करने के लिए विधेयक लाने का है, ताकि विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सके और इस अधिनियम के उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) बहुत पहले ही, वर्ष 1978 में, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 का संशोधन करके विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष के मामले में बढ़ाकर 21 वर्ष और स्त्रियों के मामले में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इन उपबन्धों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए अन्वेषण, आदि के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है। अतः इस बारे में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

[हिन्दी]

3707. **श्री काशीराम राणा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी ऋण-राशि की मांग की गई है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं के लिए यह ऋण-राशि मांगी गई है; और

(ग) कितनी ऋण-राशि देने का आश्वासन मिला है तथा इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण परियोजनाबद्ध नहीं होते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी सदस्य देश को अपनी भुगतान संतुलन विषयक कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए ऋण देता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यातोन्मुख एककों को लाइसेंस देना

3708. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को 1990 के दौरान और आज तक कितने लाइसेंस दिए गए; और

(ख) इन एककों द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितने उद्योग लगाए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 29 शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को स्वीकृति दी गई थी। इन इकाइयों ने उत्पादन शुरू करने की सूचना अभी तक नहीं दी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कम्पनियां

3709. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली में ऐसी कितनी कम्पनियां पंजीकृत हैं जिनका पूंजी निवेश 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : वर्ष 1988-89 के लिए कम्पनियों द्वारा दायर एवं कम्पनी रजिस्ट्रारों से प्राप्त तुलन-पत्रों के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा दिल्ली में पंजीकृत 20 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक के पूंजी निवेश वाली कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	20 करोड़ रुपए या अधिक पूंजी निवेश वाली कम्पनियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	61
उड़ीसा	22
दिल्ली	108

हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

3710. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दो राज्यों में से प्रत्येक राज्य में इनकी मरम्मत पर उक्त अवधि के दौरान अब तक अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में रा० रा० 8, 11, 12, 14 और 15 तथा हिमाचल प्रदेश में रा० रा०-1ए, 20, 21 और 22 के विभिन्न खण्डों पर बारिश तथा बाढ़ के कारण प्रभाव पड़ा था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य में बारिश और बाढ़ के

कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए आवंटित की गई राशि इस प्रकार है :—

बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु आबंटन

(लाख रु०)

वर्ष	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश
1988-89	210.83	327.20
1989-90	132.92	513.84
1990-91	203.62	361.89

काले धन का पता लगाने हेतु मारे गए छापे

[अनुवाद]

3711. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने छापे मारे गए हैं और कितने काले धन का पता लगाया गया है;

(ख) उन शीर्ष दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे अधिकतम काला धन प्राप्त किया गया था और उनमें से प्रत्येक से कितना काला धन बराम्द हुआ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर कितना जुर्माना किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क)

वित्त वर्ष	तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों का मूल्य	छिपाई गई आय की राशि, जिसे तलाशियों के दौरान सुपुर्द किया गया (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1986-87	7054	100.70	36.85
1987-88	8464	145.02	147.49
1988-89	7505	152.70	239.35

1	2	3	4
1989-90	3984	128.02	193.44
1990-91	5474	227.87	328.01
1991-92 (नवम्बर, 1991 तक)	441	17.79	10.60

(ख) विगत तीन वर्षों में ली गई तलाशियों के दौरान चोटी के जिन दस व्यक्तियों ने छिपाई गई आय की अधिकतम राशि की घोषणा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(4) के अन्तर्गत की है, उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	छिपाई गई आय की राशि जिसकी तलाशियों के दौरान घोषणा की गई (लाख रु० में)
1.	देव कुमार अग्रवाल एवं अन्य, बम्बई	1133.36
2.	भाई शंकर एन० रावल एवं अन्य, बम्बई	685.75
3.	मल्होत्रा स्टील ग्रुप, अहमदाबाद	568.00
4.	मैसर्स प्लाजा पानशील प्रोपर्टीज एवं अन्य, बम्बई	505.29
5.	मैसर्स स्वदेश मित्रन लि०, मद्रास	475.15
6.	हरशाद एस० मेहता एवं अन्य, बम्बई	470.60
7.	मैसर्स वी० बी० देसाई एण्ड कं० एवं अन्य, बम्बई	439.78
8.	मैसर्स लोक ग्रुप एवं अन्य, श्री शैलेश पी० भट्टा एवं अन्य, बम्बई	432.75
9.	मैसर्स दीप चन्द ब्रदर्स एवं अन्य, बम्बई	402.13
10.	श्री शंकत एन० सरकार एवं अन्य, बम्बई	402.00

(क) कर-निर्धारणों के मुकम्मल होने पर ही दण्ड लगाया जाता है । कर-निर्धारणों के मुकम्मल होने तथा दण्ड लगाने से सम्बन्धित संगत सूचना समेकित की जा रही है।

शेयर धारिता अधिकारों के प्रयोग हेतु वित्तीय संस्थाओं का दिशा-निर्देश

3712. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को उनके शेयर धारिता के अधिकारों का प्रयोग, उनको

अधिकार में लेने की चेष्टा अथवा निगमित क्षेत्र में विलय करने की अवस्था में, करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अधिकार में लेने और निगमित क्षेत्र में विलय करने के मामले में किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से कम मताधिकारों और किसी कम्पनी में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मताधिकारों के शेयरों का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं) जिस मामले में कोई व्यक्ति किसी कम्पनी में औसतन कम्पनी की मताधिकार पूंजी (वोटिंग केपिटल) के 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर प्राप्त करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, तो उसे ऐसे अधिग्रहण के दो दिन के अन्दर स्टाक एक्सचेंज को सूचित करना होता है। जिस मामले में अधिग्रहण किसी कम्पनी के कुल मताधिकारों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तो ऐसे अधिकार में लेने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सार्वजनिक घोषणा भी करनी होती है। ये अनुबन्ध सूचीकरण करार की धारा 40-क और 40-ख में दिए गए हैं। जहां पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थान कम्पनी की चुकता पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक को बेचती है, वहां सम्बन्धित वित्तीय संस्था को सौदे और उसकी कीमत के सम्बन्ध में आम जनता को सूचना प्रैस विज्ञप्ति द्वारा देनी होती है। एस ई बी आई और सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंज को भी सूचना भेजनी पड़ती है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को सामान्यत: गैर-संस्थागत खरीदारों को केवल मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में पर शेयर बेचने होते हैं और ऐसी बिक्री बाजार मूल्य पर सूचीबद्ध दलालों के माध्यम से की जानी होती है। ऐसी सभी बिक्रियां सुपुर्दगी के लिए होनी चाहिए जहां पर तिमाही के दौरान ऐसी बिक्री/खरीद 5 लाख रुपए से अधिक है प्रत्येक वित्तीय संस्था को किसी कम्पनी के शेयरों की बिक्री और खरीद के बारे में हर तीसरे महीने अपने निदेशक मंडल को सूचित करना होता है।

राज्यों को दीर्घकालिक ऋण सहायता

3713. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें वित्त आयोग ने राजस्व लेखा के वर्तमान अन्तर को दूर करने के लिए सरकार को जरूरतमन्द राज्यों को विशेष दीर्घकालिक ऋण सहायता प्रदान करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या उक्त सिफारिश को लागू करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान को राजस्व घाटे के अंश को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट के पैरा 7.31 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि यदि घाटे वाले राज्य निर्धारित स्तरों से राजस्व घाटे को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करें तो योजना आयोग उनके बाकी घाटे के एक भाग को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष दीर्घकालिक ऋण देने पर विचार कर सकता है।

(ख) और (ग) नवें वित्त आयोग का यह अभिमत सुझाव के तौर पर था न कि सिफारिश के रूप में और भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

विदेशी ऋण

3714. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देशवार तथा संस्थावार कितना विदेशी ऋण बकाया है;

(ख) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों पर कितना ऋण अलग-अलग है;

(ग) वार्षिक भुगतान की अनुमानित राशि कितनी है; और

(घ) इसमें कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा भुगतान अंश कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार के लेखों को सकल ऋण आधार पर रखा जाता है तथा कभी-कभी एक ही ऋण एक से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु होता है। इसलिए, किसी एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित बकाया ऋण राशि तथा उसकी वापसी अदायगी के हिस्से को अलग-अलग कर पाना सम्भव नहीं है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान 6588 करोड़ रुपए की वापसी अदायगी किए जाने का अनुमान है।

विवरण

देशवार/संस्था-वार बकाया विदेशी ऋण को दर्शाने वाला विवरण
(31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार)

(क) सरकारी लेखा

क्रम सं०	देश/संस्था	राशि (करोड़ रुपए) (अनन्तिम)
1	2	3
1.	एशियाई विकास बैंक	420.44
2.	आबू धाबी	11.78
3.	आस्ट्रिया	105.13
4.	बेल्जियम	202.51
5.	कनाडा	1101.25
6.	चकोस्लोवाकिया	52.35

1	2	3
7.	डेनमार्क	298.44
8.	ई० ई० सी० (एस० ए० सी०)	100.79
9.	जर्मन संघीय गणराज्य	5871.28
10.	फ्रांस	2229.51
11.	आई० एस० ओ०	11.03
12.	आई० बी० आर० डी०	12033.01
13.	आई० डी० ए०	25457.27
14.	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	302.94
15.	ईरान	397.65
16.	इटली	406.16
17.	जापान	6440.80
18.	कुवैत फंड	344.92
19.	नीदरलैंड	1975.72
20.	ओपेक	188.36
21.	पोलैण्ड	0.02
22.	सऊदी निधि	153.02
23.	स्पेन	81.75
24.	स्वीडन	281.39
25.	स्विटजरलैंड	20.40
26.	यू० के०	475.90
27.	संयुक्त राज्य अमरीका	4839.48
28.	सोवियत संघ	2204.34
29.	यू०ए०ई०	36.07
(ख) गैर-सरकारी लेखा		
1.	जर्मन संघीय गणराज्य	512.96
2.	आई०बी०आर०डी०	1485.99
3.	संयुक्त राज्य अमरीका	0.01

1	2	3
4.	फ्रांस	31.09
5.	एशियाई विकास बैंक	314.84
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण		4389.00
(घ) विदेशी वाणिज्यिक उधार		26706.00

सी० एस० डी० कैंटीनों को शराब की सप्लाई

[हिन्दी]

3715. **श्री जीवन शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेना कैंटीन भंडार विभाग (सी० एस० डी०) को मोहन मेकिन्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान रक्षा सेवाओं के लिए कितने मूल्य की शराब सप्लाई की गई;

(ख) क्या सरकार को इस फर्म द्वारा की गई सप्लाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) कैंटीन स्टोर विभाग ने 1990-91 के दौरान मैसर्स मोहन मीकिन्स लिमिटेड से 17.50 करोड़ रुपए मूल्य की भारत निर्मित विदेशी शराब, रम तथा बीयर खरीदी।

(ख) से (घ) यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैन्टीनों में से एक कैन्टीन से नवम्बर, 1990 में ब्लैक ब्यूटी रम की बोतल में कोई चीज पाए जाने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसका विश्लेषणात्मक परीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं है। तदनुसार कैन्टीन स्टोर विभाग के सभी डिपुओं ने इस बैच की रम बेचनी बन्द कर दी। इसके लिए समझौते की शर्तों के अनुसार, शराब कारखाने पर जुर्माना लगाया गया है। अगस्त 1991 में, कैन्टीन स्टोर विभाग के डिपुओं में से एक डिपो से वर्ष 1990-91 में इसी कम्पनी द्वारा निर्मित एक विशेष बैच "लॉयन" ब्रांड की बीयर अवसादित होने की एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। इस बैच की बीयर की बिक्री सभी डिपुओं में बन्द कर दी गई है तथा इसके नमूने परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं।

न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

3716. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 30 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मन्त्रालयों/विभागों को जारी किए गए निदेशों

का समय पर पालन किया जाता है और संघ सरकार के किसी विभाग द्वारा विधि और सार्वजनिक महत्व के मामलों के सिवाय कोई मामला दायर नहीं किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) तारीख 30-3-1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 275 का उत्तर, न्यायालय के ऐसे आदेशों के, जो अन्तिम हो गए हैं, इस दृष्टि से शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने के विषय में था जिससे कि अनुपालन के कारण अवमान अर्जियों से बचा जा सके। उक्त उत्तर में, विधि के सारवान प्रश्नों या जनसाधारण के महत्व के सम्बन्ध में फाइल किए जाने वाले मामलों के प्रतिनिर्देश नहीं किया गया था। तथापि, सेवा सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपील केवल ऐसे मामलों में ही फाइल की जाए जिनमें विधि विषयक या सामान्य महत्व के, मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत निर्णय अपेक्षित हैं।

व्यापारिक पोतों के चालक दल के सदस्यों को भुगतान

3717. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापारिक पोतों के चालक दल के सदस्यों को विदेशी जल सीमा में ठहरने की अवधि तक भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें भारतीय मुद्रा में भुगतान करने तथा आदान-प्रदान करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। क्रू की पसंद पर।

(ख) क्रू को विदेशों में विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। उनको यह भुगतान जहाज मालिकों तथा यूनियनों के बीच हुए समझौते के अनुसार किया जाता है।

(ग) सरकार, जहाज मालिकों द्वारा क्रू सदस्यों को विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा में किए गए भुगतान का कोई ब्यौरा नहीं रखती।

(घ) उनको केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान करने अथवा ऐसे भुगतान पर कर में राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शुल्क में दी गई छूट का मूल्यों पर प्रभाव

3718. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दी गई शुल्क-छूट से केन्द्रीय सरकार को अनुमानतः कितने राजस्व का घाटा हुआ;

(ख) क्या इस शुल्क-छूट का मूल्यों पर सरकार की अपेक्षा के अनुरूप कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) चालू वर्ष के दौरान अब तक सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों से अंशतः अथवा पूर्णतः छूट देने के रूप में अनुमानित वार्षिक राजस्व हानि की राशि 1209.73 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1180.58 करोड़ रुपए का सम्बन्ध 1991-92 के बजट प्रस्तावों से है ।

(ख) और (ग) शुल्क छूट, निविष्टि लागत घटाने, लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने, निर्यातों का संवर्धन करने आदि जैसे भिन्न-भिन्न प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए मंजूर की जाती है । यह आशा की जाती है कि इनमें से कुछेक रिआयतों के कारण उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी आयेगी, बाजार मूल्यों का निर्धारण आमतौर पर बहुत से कारकों के आधार पर किया जाता है । यद्यपि उन मामलों को छोड़ कर जहां मूल्य नियंत्रण हैं, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो इस बात पर निगरानी रखे कि उद्योग द्वारा रिआयतों का लाभ उपभोक्ताओं को अन्तरित किया जा रहा है या नहीं, फिर भी प्रशासनिक मंत्रालय सम्बन्धित उद्योग के साथ विचार-विमर्श करते हैं ताकि उन मामलों में उन्हें मूल्यों को घटाने के लिए राजी किया जा सके जहां मूल्यों को गिराने के उद्देश्य से शुल्क रिआयतें मंजूर की जाती हैं ।

भूमिहीनों तथा कृषि मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना

3719. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना आरम्भ करने से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में अब तक इस योजना के अन्तर्गत वर्ष-वार कितने तथा कितनी राशि के दावे निपटाए गए हैं;

(ग) क्या समाज के अन्य गरीब वर्गों तक इस योजना को पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लाभानुभोगियों के सम्बन्ध में जिलावार आंकड़े रखने की प्रथा नहीं है । वैसे, उक्त योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में लाभानुभोगियों की कुल संख्या 31 मार्च, 1991 को 6.75 लाख आंकी गई है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत निपटाए गए दावों की संख्या और राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	दावों की संख्या	राशि (रुपए)
1988-89	3641	36,41,000
1989-90	2772	27,72,000
1990-91	3689	36,89,000
1-4-91 से 31-10-91 तक	2426	24,26,000

(ग) से (ङ) जी नहीं। यह योजना केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए है। लेकिन अन्य ऐसी कई सामूहिक बीमा योजनाएं लागू हैं जो समाज के संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों को आकर्षक लाभ प्रदान करती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भारत सरकार के एकीकृत विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत ऋण लेने वालों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, कवच प्रदान किए गए ऋणी की मृत्यु हो जाने पर नामांकित व्यक्ति को 3000 रु० की बीमित राशि, उतनी ही राशि के दोहरे दुर्घटना लाभ सहित अदा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की लागत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती हैं। लाभानुभोगी को प्रीमियम का कोई भी अंश अदा नहीं करना होता।

इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत बीड़ी कामगार, मछुआरे, रिक्शाचालक/आटोचालक, मोची, हथकरघा बुनकर, सफाई कर्मचारी, तेंदु पत्ता संग्रह करने वाले, रेशम कीट पालक, महिला दर्जी आदि जैसे कतिपय अन्य व्यवसाय भी शामिल किए गए हैं जिनके लिए बीमित राशि दोहरे दुर्घटना लाभ सहित 3000 रुपए है। 50 प्रतिशत प्रीमियम की अदायगी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि में से की जाती है और शेष 50 प्रतिशत लाभानुभोगियों द्वारा वहन की जाती है।

बैंकिंग प्रणाली में सुधार

3720. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री एम० सी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को अपनी बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए कहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने आगे और सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलाहाबाद और कानपुर में छावनी बोर्डों को वित्तीय सहायता

3721. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान इलाहाबाद और कानपुर में छावनी बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान इन बोर्डों द्वारा अर्जित की गई राजस्व-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति के बारे में लोगों से प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान दोनों छावनी बोर्डों के लिए स्टेशन स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार छावनी बोर्डों को सहायता अनुदान और सम्पत्ति कर के बदले सेवा प्रभार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने दिन-प्रतिदिन के खर्च की पूर्ति कर सकें। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इलाहाबाद और कानपुर के छावनी बोर्डों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की :—

छावनी	1989-90		1990-91	
	सहायता अनुदान (लाख रु० में)	सेवा प्रभार	सहायता अनुदान (लाख रु० में)	सेवा प्रभार
इलाहाबाद	10.50	73.62	शून्य	23.96
कानपुर	शून्य	80.75	15.00	80.98

2. इन बोर्डों द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न दरों और करों के माध्यम से अर्जित राजस्व इस प्रकार था :—

छावनी	कर का स्वरूप शीर्ष-1 दर और कर	1969-90 लाख रु० में	1990-91 लाख रु० में
1	2	3	4
इलाहाबाद	(क) चुंगी	10.50	3.00

1	2	3	4
	(ख) भूमि एवं इमारतों के वार्षिक मूल्य पर कर	0.85	0.58
	(ग) जल-दर/कर	1.75	1.25
	(घ) अन्य कर (यात्री कर)	1.75	—
कानपुर	(क) चुंगी	83.92	31.65
	(ख) भूमि एवं इमारत के वार्षिक मूल्य पर कर	9.58	11.42
	(ग) पशुओं एवं वाहनों पर कर	1.75	1.67
	(घ) ट्रेड एवं व्यवस्था पर कर	0.87	1.03
	(ङ) जल-दर/कर	6.39	6.73
	(च) सिनेमा कर	0.32	0.74

टिप्पणी : राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार 1-8-1990 से चुंगी लेना बन्द कर दिया गया।

3. स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में जनता की कोई बड़ी शिकायत नहीं रही है। इन मामलों में निवासियों द्वारा समय-समय पर की गई सामान्य शिकायतों पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है।

4. इलाहाबाद छावनी के स्टेशन स्वास्थ्य संगठन ने सफाई के काम में आने वाले रसायनों, उपकरणों, कूड़ेदानों की व्यवस्था करने, दो नए सफाई वाहन खरीदने, सामूहिक पैन-टाइप शौचालयों को फ्लश-टाइप शौचालयों में परिवर्तित करने और जनशक्ति उपलब्ध करवाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। छावनी बोर्ड के प्राधिकारियों ने दो नए सफाई वाहनों की खरीद जोकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं की जा सकीं, को छोड़कर इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की है। कानपुर छावनी के स्टेशन स्वास्थ्य संगठन से किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

5. उक्त दोनों छावनियों के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी कोई गंभीर चूक ध्यान में नहीं आयी है जिसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो।

बन्द पड़े हथकरघे

3722. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से विभिन्न राज्यों में हजारों हथकरघे बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनकी सहायता करने के लिए कोई नये उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सूत के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण हथकरघा कपड़े की बिक्री में कमी से बुनकरों में अस्थायी रूप से अल्प-रोजगार की समस्या बन गई है जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों के भत्तों में भी आई है। तथापि भारी संख्या में हथकरघों के बन्द होने/बेकार होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(क) जी, हां।

(घ) सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए केन्द्र सरकार ने देश में बड़े-बड़े कताई उद्योग के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई और उनसे सूत के मूल्यों में स्थिरता लाने और उचित मूल्य बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कताई मिल संघ, राज्य हथकरघा अभिकरणों और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को बजट से पूर्व मूल्यों पर हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए सहमत हो गए हैं ताकि बुनकरों को सूत सप्लाई किया जा सके। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया है कि सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों द्वारा उत्पादित सूत की देखरेख करें और हैंक यार्न के वितरण, आपूर्ति और इसके मूल्यों की समीक्षा करने के लिए वस्त्र प्रभारी सचिव के स्तर पर नियमित बैठक आयोजित करें। मुख्य मन्त्रियों से कहा गया है कि वे जिलाधिकारी को निर्देश दें कि अपने-अपने जिलों में सूत वितरकों के स्टाक और विक्रय मूल्यों की नियमित जांच करें ताकि सूत की जमाखोरी को रोका जा सके। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निर्देश दिए हैं कि 40 और उससे कम काऊंट के धागे के उत्पादन में और वृद्धि करें क्योंकि ऐसे सूत के मूल्यों ने हथकरघा बुनकरों को अधिक प्रभावित किया है। भारत सरकार ने सूती धागे के निर्यात की नीति की भी समीक्षा की है तथापि भुगतान सतुलन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को निर्देश दिए गए है कि राज्यों में हथकरघा बुनकरों और अभिकरणों को सूत सप्लाई करने के अपने कार्यकलापों में तेजी लाएं। वस्त्र आयुक्त को हिदायतें दी गई हैं कि जमाखोरी से बचने के लिए सूत वितरकों की जांच करवाएं।

हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा लागू की गई चालू वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त हथकरघा बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु अभी हाल ही में दो नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है :—

(i) निस्सहाय बुनकरों के लिए "मार्जिन मनी" नामक योजना जिसके अन्तर्गत निस्सहाय बुनकरों द्वारा आयोजित सहकारी समितियों को निरंतर पूंजी सहयोग दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसी समिति को 2000 रु० प्रति निस्सहाय सदस्य की दर से 1 लाख रु० की अधिकतम सीमा तक सहायता दी जाती है।

(ii) दूसरी योजना संगठित हथकरघा ग्रामों का विकास नामक योजना है। इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में देश भर में फैले 24 ग्रामों के विकास का कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

मुकेरियां, पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने में की गई तथाकथित अनियमितताएं

3723. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले मुकेरियां में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन शाखाओं द्वारा पूरे मुकेरियां मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऋण मंजूर करने में की गए अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब के होशियारपुर जिले में मुकेरियां में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 5 शाखाएं हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित जिला-वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, पंजाब में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम नीचे दिए गए हैं :—

	(करोड़ रुपए में)
दिसम्बर, 1988	106.7
सितम्बर, 1989	119.6
मार्च, 1990	129.2

(ग) से (ङ) बैंकों के किसी भी अधिकारी द्वारा ऋणों की मंजूरी एवं अनियमितताओं के संबंध में सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बैंकों को जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो समुचित अधिकारियों द्वारा उपचारात्मक कारंवाई करने के वास्ते उनकी जांच की जाती है।

राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

[हिन्दी]

3724. **श्री काशीराम राणा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कुछ राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वित की जा रही ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) इस समय

विश्व बैंक सहायता के तहत कार्यान्वित की जा रही राज्यीय सड़क परियोजनाओं और उनकी संभावित लागत के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यीय सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे (राज्यीय राजमार्ग)

क्रम सं०	परियोजना तथा लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3
	बिहार (कुल 143.60 करोड़ रु० अथवा 99 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	गंगा पर भागलपुर पुल (4 कि० मी०)	46.03
2.	भागलपुर पुल को पहुंचमार्ग (14 कि० मी०)	7.10
3.	हाजीपुर-मुजफ्फरपुर सड़क (51 कि० मी)	16.90
4.	सोनपुर-छपरा सड़क (50 कि० मी०)	21.50
	महाराष्ट्र (कुल 126.50 करोड़ रु० अथवा 87 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	अहमदनगर-कोपरगांव सड़क (95 कि० मी०)	10.17
2.	पुणे-अहमदनगर सड़क (113.6 मि० मी०	23.61
3.	अहमदनगर-औरंगाबाद सड़क (105.4 कि० मी०	
4.	औरंगाबाद-मंथा सड़क (124 कि० मी०)	16.63
4.	अकोला-कनहरगांव सड़क (96 कि० मी०)	10.22
6.	नागपुर-कामपाड सड़क (69 कि० मी०)	9.94
7.	पालगर-वाडा सड़क (47 कि० मी०)	5.65
8.	वाडा-अम्बाडी सड़क (23 कि० मी०)	2.65
	राजस्थान (कुल 148.90 करोड़ रु० अथवा 102 मिलियन अमेरिकी डालर)	
1.	अलवर-भिवाड़ी सड़क (90 कि० मी०)	11.95
2.	अलवर-करौली सड़क (145 कि० मी०)	15.37
3.	उदयपुर-दबोक सड़क (16 कि० मी०)	7.08
4.	दबोक-चित्तौड़गढ़ सड़क (97 कि० मी०)	10.60

1	2	3
	5. अजमेर-चित्तौड़गढ़ सड़क (186 कि० मी०)	22.19
	6. सिरोही-आबू सड़क (63 कि० मी०)	5.70
	7. आबू रोड-माउंट आबू रोड (23 कि० मी०)	2.43
	8. फतेहपुर-चुरू सड़क (36 कि० मी०)	2.72
	9. चुरू-हरियाणा सीमा (79 कि० मी०)	5.68
	10. सीकर-हरियाणा सीमा (133 कि० मी०)	11.34
	उत्तर प्रदेश (कुल 231.20 करोड़ रु० अथवा 160 मिलियन अमेरिकी डालर)	
	1. सोनौली-गोरखपुर सड़क (93 कि० मी०)	22.32
	2. गोरखपुर-बलिया सड़क (153 कि० मी०)	37.56
	3. फैजाबाद-इलाहाबाद सड़क (143 कि० मी०)	34.10
	4. इलाहाबाद-दोहरीघाट (208 कि० मी०)	51.90

उड़ीसा में जलमार्ग

[अनुवाद]

3725. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु कोई जल माप और प्रौद्योगिकी आर्थिक अध्ययन सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) महानदी और ब्राह्मणी नदी प्रणाली के माध्यम से तालचेर से पारादीप तक कोयले के आवागमन के लिए 1989 में तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला कि ब्राह्मणी नदी वाला रूट महानदी वाले रूट से ज्यादा लाभप्रद है। अतः तदुपरान्त, 1990 में तालचेर से पारादीप और धामरा तक जल सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चला है कि कमी के मौसम के दौरान पानी की अनुपलब्धता के कारण, जोकाडिया से तालचेर तक ब्राह्मणी नदी का धारा-प्रतिकूल विकास करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

नौवहन कंपनियां

3726. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेश व्यापार के संचालन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए नौवहन नीति को समय-समय पर उदार बनाती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों का नाम क्या है तथा उनका व्यापार किस किस्म का है और उनके पास कितने जहाज हैं;

(ग) क्या उनके कामकाज तथा ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उन रुग्ण नौवहन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका कार्य-निष्पादन ठीक नहीं हैं और उन्हें किस प्रकार कारगर बनाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन कंपनियों की सूची और उनके स्वामित्व में जहाजों की संख्या तथा उनके व्यापार की प्रकृति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निजी क्षेत्र की सरकारी सहायता प्राप्त नौवहन कम्पनियों के कार्यकरण और उन्हें संस्वीकृत ऋण सहायता की अदायगी की समीक्षा इसकी मनोनीति एजेंसी भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कंपनी (एस० सी० आई० सी० आई०) द्वारा कराई जाती है।

(घ) 1987 में 17 रुग्ण नौवहन कम्पनियों की समीक्षा की गई थी। ऊनमें से 10 कंपनियां पाई गई और उनके लिए पुन: स्थापना पैकेज अनुमोदित किया गया। शेष 7 कपनियों से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई। बाद में समीक्षा करने पर व्यवहार्य कंपनियों में से दो गैर-व्यवहार्य पाइ गई। 8 व्यवहार्य कंपनियों का निष्पादन उत्साहजनक है और वे भारत सरकार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। इनमें से तीन कंपनियों ने पुनः स्थापना पैकेज से बाहर रहने की इच्छा व्यक्त की। कंपनियों के संक्षिप्त ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

I. **व्यवहार्य पाई गई कम्पनियां** :

1. मैसर्स तोलानी नौवहन कम्पनी लिमिटेड।
2. मैसर्स इण्डिया स्टीमशिप्स कम्पनी लिमिटेड।
3. मैसर्स रत्नाकर शिपिंग लिमिटेड।
4. मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड।
5. मैसर्स चोगले स्टीम शिप्स लिमिटेड।
6. मैसर्स साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड।
7. मैसर्स हेडे नेवीगेशन लिमिटेड।
8. *मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड।

*मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है।

II. गैर-व्यवहार्य पाई गई कम्पनियां

1. मैसर्स दामोदर बल्क कैरियर्स लिमिटेड।

2. मैसर्स सेवनसीज ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड।

3. मैसर्स निर्वाण शिपिंग लिमिटेड।

4. मैसर्स डेम्पो स्टीमशिप्स लिमिटेड।

5. मैसर्स इण्डोसीनिक शिपिंग कम्पनी लिमिटेड।

6. मैसर्स ठाकुर शिपिंग लिमिटेड।

7. मैसर्स हेडे नेवीगेशन लिमिटेड।

8. मैसर्स स्ट्रीमलाइन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड।

9. मैसर्स मंगला बल्क कैरियर्स लिमिटेड।

विवरण

नौवहन कम्पनियों के ब्यौरे और उनके स्वामित्व में जहाजों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नौवहन कम्पनी का नाम	जहाजों की संख्या	व्यापार की प्रकृति
1	2	3	4
I. सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	127	नौवहन
II. निजी क्षेत्र			
2.	मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड	13	
3.	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड	36	
4.	मैसर्स साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	7	
5.	मैसर्स चोगले स्टीम शिप लिमिटेड	11	नौवहन
6.	मैसर्स इण्डिया स्टीम शिप कम्पनी लिमिटेड	15	
7.	मैसर्स चोगले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1	

(क) क्या सरकार विदेश व्यापार के संचालन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए नौवहन नीति को समय-समय पर उदार बनाती रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों का नाम क्या है तथा उनका व्यापार किस किस्म का है और उनके पास कितने जहाज हैं;

(ग) क्या उनके कामकाज तथा ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उन रुग्ण नौवहन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका कार्य-निष्पादन ठीक नहीं हैं और उन्हें किस प्रकार कारगर बनाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन कंपनियों की सूची और उनके स्वामित्व में जहाजों की संख्या तथा उनके व्यापार की प्रकृति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निजी क्षेत्र की सरकारी सहायता प्राप्त नौवहन कम्पनियों के कार्यकरण और उन्हें संस्वीकृत ऋण सहायता की अदायगी की समीक्षा इसकी मनोनीति एजेंसी भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश कंपनी (एस० सी० आई० सी० आई०) द्वारा कराई जाती है।

(घ) 1987 में 17 रुग्ण नौवहन कम्पनियों की समीक्षा की गई थी। ऊनमें से 10 कंपनियां पाई गई और उनके लिए पुनः स्थापना पैकेज अनुमोदित किया गया। शेष 7 कपनियों से वसूली की कार्रवाई शुरू की गई। बाद में समीक्षा करने पर व्यवहार्य कंपनियों में से दो गैर-व्यवहार्य पाई गई। 8 व्यवहार्य कंपनियों का निष्पादन उत्साहजनक है और वे भारत सरकार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। इनमें से तीन कंपनियों ने पुनः स्थापना पैकेज से बाहर रहने की इच्छा व्यक्त की। कंपनियों के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

I. व्यवहार्य पाई गई कम्पनियां :

1. मैसर्स तोलानी नौवहन कम्पनी लिमिटेड।
2. मैसर्स इण्डिया स्टीमशिप्स कम्पनी लिमिटेड।
3. मैसर्स रत्नाकर शिपिंग लिमिटेड।
4. मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड।
5. मैसर्स चोगले स्टीम शिप्स लिमिटेड।
6. मैसर्स साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड।
7. मैसर्स हेडे नेवीगेशन लिमिटेड।
8. *मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड।

*मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा की जा रही है।

II. गैर-व्यवहार्य पाई गई कम्पनियां

1. मैसर्स दामोदर बल्क कैरियर्स लिमिटेड।
2. मैसर्स सेवनसीज ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड।
3. मैसर्स निर्वाण शिपिंग लिमिटेड।
4. मैसर्स डेम्पो स्टीमशिप्स लिमिटेड।
5. मैसर्स इण्डोसीनिक शिपिंग कम्पनी लिमिटेड।
6. मैसर्स ठाकुर शिपिंग लिमिटेड।
7. मैसर्स हेडे नेवीगेशन लिमिटेड।
8. मैसर्स स्ट्रीमलाइन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड।
9. मैसर्स मंगला बल्क कैरियर्स लिमिटेड।

विवरण

नौवहन कम्पनियों के ब्यौरे और उनके स्वामित्व में जहाजों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नौवहन कम्पनी का नाम	जहाजों की संख्या	व्यापार की प्रकृति
1	2	3	4
I.	सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड	127	नौवहन
II.	निजी क्षेत्र		
2.	मैसर्स सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड	13	
3.	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड	36	
4.	मैसर्स साउथ इण्डिया शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	7	
5.	मैसर्स चोगले स्टीम शिप लिमिटेड	11	नौवहन
6.	मैसर्स इण्डिया स्टीम शिप कम्पनी लिमिटेड	15	
7.	मैसर्स चोगले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1	

1	2	3	4
	8. मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	4	नौवहन
	9. मैसर्स दामोदन बल्क कैरियर लिमिटेड	3	
	10. मैसर्स एस० आर० शिपिंग लिमिटेड	29	
	11. मैसर्स लार्सन एण्ड टोब्रो लिमिटेड	5	
	12. मैसर्स जयाश्री शिपिंग	4	
	13. मैसर्स सुरेन्द्रा ओवरसीज लिमिटेड	8	
	14. मैसर्स तुलानी शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	5	
	15. मैसर्स कन्टीनेंटल शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2	
	16. मैसर्स वरुन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	9	
	17. मैसर्स हैडे नेवीगेशन लिमिटेड	1	
	18. मैसर्स पूम्पूहार शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	3	
	19. मैसर्स गरवारे शिपिंग लिमिटेड	8	
	20. मैसर्स टैम्समेक लिमिटेड	1	
	21. मैसर्स सेंचुरी शिपिंग लिमिटेड	12	
	22. मैसर्स सदर्न पैट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	3	
	23. मैसर्स तुलानी लिमिटेड	2	
	24. मैसर्स बी० एस० डैम्पो एंड प्राइवेट लिमिटेड	1	
	25. मैसर्स निर्बन शिपिंग कंपनी लिमिटेड	1	
	26. मैसर्स वेलारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1	
	27. मैसर्स स्ट्रीम लाइन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	1	
	28. मैसर्स होर्स लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	4	
	29. मैसर्स बम्बई मैरीन इन्जीनियर्स वर्क्स लिमिटेड	2	
	30. मैसर्स एलोन हाई लैगो लिमिटेड	4	
	31. मैसर्स मर्केटेर लाइन्स लिमिटेड	3	
	32. मैसर्स मगला बल्क कैरियर्स लिमिटेड	2	
	33. मैसर्स दारसा बी० कर्सेटीज संस शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	1	

1	2	3	4
	34. मैसर्स सीटरंस शिपिंग लिमिटेड	1	नौवहन
	35. मैसर्स हैडे फेरोमीना (प्रा०) लिमिटेड	1	
	36. मैसर्स पुलारीज शिपिंग प्रा० लिमिटेड	1	
	37. मैसर्स सागर लाइन्स (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड	1	
	38. मैसर्स झारिया शिपिंग एलीड इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड	1	
	39. मैसर्स एटलस शिपिंग कंपनी लिमिटेड	1	
	40. मैसर्स जैम्स मैकिनलोश एंड कंपनी प्रा० लिमिटेड	1	
	41. मैसर्स अंडर वाटर सर्विस (प्रा०) लिमिटेड	1	
	42. मैसर्स बम्बई आफशोर सप्लायर्स एंड सर्विसेज	2	
	43. मैसर्स अदिति शिपिंग कंपनी लिमिटेड	1	
	44. मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	3	
	45. मैसर्स आर्केडिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड	1	
	46. मैसर्स साउथ इण्डिया कारपोरेशन (एजेंसी) लिमिटेड	1	
	47. मैसर्स गोवा डायविंग एंड साल्वेज कंपनी प्रा० लिमिटेड	2	
	48. मैसर्स पेयरलैस ड्राइव प्रा० लिमिटेड	1	
	49. मैसर्स सिकल जैबसन शिप्स इण्डिया लिमिटेड	2	
	50. मैसर्स बी० एन० एस० आफशोर सर्विसेज कंपनी	2	
	51. मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड	1	
	52. मैसर्स जैसू शिपिंग प्रा० लिमिटेड	2	
	53. मैसर्स सांती शिपिंग कंपनी (प्रा०) लिमिटेड	2	

उपर्युक्त के अलावा भारत सरकार/तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व में 61 जहाज हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजीगत आधार

3727. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार उनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी का स्वामित्व पाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत बनाने के लिए सरकार इन बैंकों की शेयर पूंजी में निधियों का अंशदान करती रही है। 1985-86 से 1990-91 की अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

यूरोपीय समुदाय के साथ व्यापार तथा आर्थिक सहयोग

3728. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सहयोग किन विशेष क्षेत्रों में मांगा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) के देशों के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) कर्मचारी और मन्त्री स्तर पर नियमित द्विपक्षीय विचार-विमर्श और व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधिमंडलों को भेजना और आमन्त्रित करना;

(ख) व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सेमीनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना;

(ग) वस्त्र, इन्जीनियरी, इलेक्ट्रोनिक्स माल, चमड़े के जूते, रत्न तथा आभूषण, मत्स्य, कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय समुदाय और जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०), ब्रिटेन और स्विटजरलैंड की सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन; तथा

(घ) यूरोपीय समुदाय अन्तर्राष्ट्रीय निवेश भागीदार योजना के जरिए संयुक्त उद्यमों के रूप में

निजी उद्यमियों द्वारा भारत में विदेशी सीधे निवेश को बढ़ावा देना जिसके लिए हाल ही में समझौते हुए हैं।

कारादकल तट, पांडिचेरी में समुद्र के बीच जहाज का डूब जाना

3729. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांडिचेरी में काराइकल तट में समुद्र में बीच में फंसे जहाज के कैप्टेन को उठाने के लिए एक स्पीड बोट आयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा तथा वस्तुस्थिति क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पकड़ी गई छोटी नौका समुद्र में डूब गई थी; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह नौका डूबी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना ने 7/8 नवम्बर, 1991 की रात को कराइकल समुद्र तट से दूर समुद्र में दो विदेशी जलयानों का 10.5 समुद्री मील तक जोरों से पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया। जब इन दोनों जलयानों को तट की ओर लाया जा रहा था तो इसमें एक छोटे जलयान में छेद हो जाने के कारण, जिसका पता पहले नहीं चल पाया था, समुद्र में डूब गया। दूसरे जलयान में श्रीलंका में जाफना के लिए कुछ सामान ले जाया जा रहा था जो स्पष्टतः लिट्टे के लिए विस्फोटकों के निर्माण के लिए था। इस जलयान से पकड़े गए दस्तावेजों से यह संकेत मिला कि लिट्टे के साथ उनका निश्चित ही संपर्क है।

सरकार को पकड़े गए ऐसे किसी जलयान के कैप्टेन को तेजगति वाली नौका द्वारा उठा लिए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा के लिए राडार

[हिन्दी]

3730. **श्री शिव शरण शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा के लिए खरीदे गए तीन राडार प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा के लिए कोई राडार

नहीं खरीदे गए हैं। तथापि, मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, जोकि रक्षा मन्त्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, से भारतीय सेना के प्रयोग के लिए कुछ राडार प्राप्त हुए थे। इनके संबंध में प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित कुछ अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति में देरी होने के कारण ये राडार उन्हें दिए नहीं जा सके, अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों को खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिससे सामान सुपुर्दगी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उन राडारों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठें स्थापित करना

[हिन्दी]

3731. **श्री शिव शरण शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री 13 सितम्बर 1991 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में सेवा सम्बन्धी पुराने लम्बित मामलों के निपटान के लिए विशेष खंडपीठें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा बताई गए स्थिति निम्नलिखित है :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सेवा सम्बन्धी मामलों को, अन्य प्रवर्ग के मामलों की तुलना में अभिभावी पूर्विकता देने के लिए उनके नियमों में कोई विशेष उपबंध नहीं है। तथापि कुछ समय पहले प्रत्येक मास के तीसरे सप्ताह में खंड न्यायापीठ और एकल न्यायपीठ के समक्ष अनन्य रूप से सबसे पुराने मामले सूचीबद्ध किए गए थे। केवल सबसे पुराने मामलों की सुनवाई के लिए नियमित न्यायपीठ के गठन की बाबत प्रश्न पर दिल्ली उच्च न्यायालय ध्यान दे रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंकों के साथ लेन-देन

3732. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी बैंकों के साथ लेन-देन किए जाने सम्बन्धी विद्यमान नीति की समीक्षा की;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लेन-देन केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ तक ही सीमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान नीति की समीक्षा की जा रही है।

पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों के वेतन में संशोधन

3733. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों में ग्रेड-I और II के अधिकारियों के वेतन में संशोधन करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सभी महापत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी I और II के अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए 29-10-1991 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सं० ए-39018/2/87-पी ई-1

भारत सरकार

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली दिनांक 29 अक्तूबर, 1991

सेवा में,

अध्यक्ष,

सभी महापत्तन न्यास,

गोदी श्रमिक बोर्ड,

विषय : महापत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी I और II के अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन।

महोदय,

विशेष कार्य अधिकारी (ओ० एस० डी०) (श्री डा० आर० बंसल) की सिफारिशों के आधार पर इस मंत्रालय के पत्र सं० बी० डब्ल्यू०/पी० ई० ओ०-2/84 दिनांक 1-2-84 द्वारा महापत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी I एवं II के अधिकारियों का वेतन ढांचा पिछली बार

1-8-1982 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित किया गया था। 1-8-1987 से अगले संशोधन के लिए इस मन्त्रालय के पत्र सं० ए-29018/2/87-पी० ई० I दिनांक 25-10-88 द्वारा वेतन संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें बम्बई कलकत्ता और पारादीप पत्तन न्यासों के अध्यक्ष, आई० पी० ए० के प्रबन्ध निदेशक और मन्त्रालय के सहायक वित्त सलाहकार तथा संयोजक के रूप में संयुक्त सचिव (पत्तन) शामिल थे। मन्त्रालय ने पत्तन एवं गोदी अधिकारियों के संगठनों द्वारा अपने ज्ञापनों तथा विचार विमर्श के दौरान उठाई गई मांगों तथा लोक उद्यम ब्यूरो के मार्ग निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा सरकार ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार महापत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों के पत्तन और गोदी अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों इत्यादि में संशोधन करने का निर्णय लिया :—

(i) वेतनमानों में संशोधन :

1-1-1987 से 31-12-1991 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के संशोधित वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

	मौजूद वेतनमान (रु०)	संशोधित वेतनमान (रु०)
(क) अध्यक्ष		
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "ख"		
बम्बई कलकत्ता	4000-125-4500	8500-20 -9500
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "ग"		
मद्रास विजाग एवं कोचीन	3500-100-4000	7500-200-8500
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "घ"		
कांडला मुर्मुगांव पारादीप न्यू मंगलोर और टूटीकोरिन	3000-100-3700	6500-175-7550

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के अध्यक्ष के मामले में मौजूद व्यवस्था जारी रहेगी।

(ख) पत्तन न्यासों के उपाध्यक्ष

	मौजूदा वेतनमान (रु०)	संशोधित वेतनमान (रु०)
बम्बई कलकत्ता जे० एन० पी० टी०	3500-100-4000	7500-200-8500
कोचीन मद्रास विजाग	2550-100--3450	5150-175-6900
कांडला मुरगांव न्यू मंगलौर पारादीप और टूटीकोरिन	2450-100-3350	5000-175-6750

गोदी श्रमिक बोर्डों के उपाध्यक्ष

बम्बई	2090-75-2390-100-3190	4350-150-4950-175-6525
कलकत्ता	24-100-3300	4900-175-6650
मद्रास कोचीन कांडला मुरगांव विजाग	2090-75-2390-100-2890	4350-150-4950-175-6000

(ग) अन्य अधिकारी

मौजूदा वेतनमानों के विपरीत अन्य अधिकारियों के संशोधित वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

क्रम सं०	मौजूदा वेतनमान (रु०)	प्रस्तावित वेतनमान (रु०)
1	2	3
ई-1	965-50-1465-द०रो०-50-1715	2100-90-2550-100-3150 2150-100-3650
ई-2	980-50-1330-द०रो०-50-1680 द०रो०-50-1930	2200-100-4100
ई-2	1150-50-1400-द०रो०-60-1700 द०रो०-50-1950	2550-100-4150

1-8-1982 से 5 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित किया गया था। 1-8-1987 से अगले संशोधन के लिए इस मन्त्रालय के पत्र सं० ए-29018/2/87-पी० ई०। दिनांक 25-10-88 द्वारा वेतन संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसमें बम्बई कलकत्ता और पारादीप पत्तन न्यासों के अध्यक्ष, आई० पी० ए० के प्रबन्ध निदेशक और मन्त्रालय के सहायक वित्त सलाहकार तथा संयोजक के रूप में संयुक्त सचिव (पत्तन) शामिल थे। मन्त्रालय ने पत्तन एवं गोदी अधिकारियों के संगठनों द्वारा अपने ज्ञापनों तथा विचार विमर्श के दौरान उठाई गई मांगों तथा लोक उद्यम ब्यूरो के मार्ग निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए समिति की सिफारिशों पर ध्यान-पूर्वक विचार किया तथा सरकार ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार महापत्तन न्यासों एवं गोदी श्रमिक बोर्डों के पत्तन और गोदी अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों इत्यादि में संशोधन करने का निर्णय लिया :—

(i) **वेतनमानों में संशोधन :**

1-1-1987 से 31-12-1991 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के संशोधित वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

	मौजूद वेतनमान (रु०)	संशोधित वेतनमान (रु०)
(क) अध्यक्ष		
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "ख"		
बम्बई कलकत्ता	4000-125-4500	8500-20 -9500
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "ग"		
मद्रास विजाग एवं कोचीन	3500-100-4000	7500-200-8500
लो० उ० ब्यू० की अनुसूची "घ"		
कांडला मुर्मुगांव पारादीप न्यू मंगलौर और टूटीकोरिन	3000-100-3700	6500-175-7550

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के अध्यक्ष के मामले में मौजूद व्यवस्था जारी रहेगी।

(ख) पत्तन न्यासों के उपाध्यक्ष

	मौजूदा वेतनमान (रु०)	संशोधित वेतनमान (रु०)
बम्बई कलकत्ता जे० एन० पी० टी०	3500-100-4000	7500-200-8500
कोचीन मद्रास विजाग	2550-100-3450	5150-175-6900
कांडला मुरगांव न्यू मंगलौर पारादीप और टूटीकोरिन	2450-100-3350	5000-175-6750

गोदी श्रमिक बोर्डों के उपाध्यक्ष

बम्बई	2090-75-2390-100-3190	4350-150-4950-175-6525
कलकत्ता	24-100-3300	4900-175-6650
मद्रास कोचीन कांडला मुरगांव विजाग	2090-75-2390-100-2890	4350-150-4950-175-6000

(ग) अन्य अधिकारी

मौजूदा वेतनमानों के विपरीत अन्य अधिकारियों के संशोधित वेतनमान इस प्रकार होंगे :—

क्रम सं०	मौजूदा वेतनमान (रु०)	प्रस्तावित वेतनमान (रु०)
1	2	3
ई-1	965-50-1465-द०रो०-50-1715	2100-90-2550-100-3150 2150-100-3650
ई-2	980-50-1330-द०रो०-50-1680 द०रो०-50-1930	2200-100-4100
ई-2	1150-50-1400-द०रो०-60-1700 द०रो०-50-1950	2550-100-4150

1	2	3
ई-4	1060-50-1260-द०रो०-60-1680 द०रो०-60-1980	2350-100-2550-120-4230
ई-5	1360-60-1720-द०रो०-60-2020	2950-120-4270
ई-6	1515-60-1875-द०रो०-60-2175	3250-120-4690
ई-7	1100-50-1200-60-1440-द०रो०-60-2040-द०रो०-60·2340	2400-100-2600-120-5000
ई-8	1560-60-2100-द०रो०60-2400	3350-120-5150
ई-9	1560-60-2100-द०रो०-60-2200 द०रो०-70-2570	3350-120-4790-140-5350
ई-10	1760-70-2250-द०रो०-70-2600	3750-140-5430
ई-11	1760-70-2250-द०रो०-70-2670	3750-150-5570
ई-12	1560-60-1860-द०रो०-60-2220 द०रो०70-2850	3350-120-4790-140-5910
ई-13	1760-70-2670-द०रो०-100-2870	3750-140-5570-175-5920
ई-14	2090-75-2390-द०रो०-100-2890	4350-150-4950-175-6000
ई-15	1760-70-2250-द०रो०-70-2670 द०रो०-100-3170	3750-140-5570-175-6445
ई-16	2090-75-2390-100-3190	4350-150-4950-175-6525
ई-17	0300-100-3200	4750-175-6550
ई-18	2250-100-3250	4650-175-6575
ई-19	2400-100-3300	4900-175-6650
ई-20	2450-100-3350	5000-175-6750
ई-21	2550-100-3450	5150-175-6900
ई-22	2650-100-3350	5200-175-7075
ई-23	3000-100-3700	6000-175-7225
ई-24	3500-100-4000	6700-200-7700

(घ) सभी अधिकारी जिन्हें 1-1-92 के पश्चात उपर्युक्त ई-1 के वेतनमान में सीधे नियुक्त किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति 2100-90-2550-100-3050 रु० के वेतनमान में जाएंगी। 31-12-91 को अथवा तक वेतन रोल पर मौजूदा कर्मचारियों को उनके कार्मिकों के तौर पर

2150-100-3650 रु० का वेतनमान अनुमत होगा। 2150-100-3650 रु० का वेतनमान ऐसे कर्मचारी पर भी लागू होगा जो 1-1-92 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त/पदोन्नत किए जाएंगे।

(ii) **महंगाई भत्ता**

1-1-1987 के अनुसार ए० आई० सी० पी० आई० 685 पर औद्योगिक महंगाई भत्ते को संशोधित वेतनतान में मिला दिया गया है और इसलिए उस तारीख को देय महंगाई भत्ता "शून्य" होगा। ए० आई० सी० पी० आई० 685 में महंगाई भत्ते के लिए उतार और चढ़ाव को इस सम्बन्ध में लो० उ० ब्यू० द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार 1.65 रु० प्रति प्वाइट की दर से वृद्धि/कमी करके नियन्त्रित किया जाएगा। यदि सरकार औद्योगिक महंगाई भत्ते की 1.65 रु० प्रति प्वाइंट की दर को संशोधित करती है तो संशोधित दरें भी ऐसे संशोधन की तारीख से लागू होगी

(iii) **गतिरोध वेतन वृद्धियां**

लो० उ० ब्यू० के मार्गनिर्देशों को मद्देनजर रखते हुए उपर्युक्त संशोधित वेतनमानों में स्थिरता वेतन वृद्धियां स्वीकार्य नहीं होंगी।

(iv) **उपयुक्तता (फिटमेंट) लाभ**

उन सभी कर्मचारियों जो 31-12-1986 को/तक सेवा में थे, के मामले में 1-1-87 के अनुसार संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारिण के लिए निम्नलिखित उपयुक्तता राशि अनुमत होगी।

क्रम सं०	मौजूदा वेतबमान	उपयुक्तता राशि
1	2	3
1.	965—1715	500
2.	980—1930	550
3.	1150—1950	650
4.	1060—1980	600
5.	1360—2020	700
6.	1515—2175	750
7.	1100—2340	600
8.	1560—2400	800
9.	1560—2570	800
10.	1760—2600	850

1	2	3
11.	1760—2670	850
12.	1560—2870	800
13.	1760—2870	850
14.	2090—2890	950
15.	1760—3170	850
16.	2090—3190	950
17.	2300—3200	1050
18.	2250—3250	1000
19.	2400—3300	1100
20.	2450—3450	1150
21.	2550—3450	1150
22.	2650—3550	1200
23.	3000—3700	1200
24.	3500—4000	1200
25.	4000—4500	1500

(v)

(i) एक्टनेज भत्ता

(ii) रात्रि कार्य भत्ता

(iii) दूरी भत्ता

(iv) टनेज भत्ता

(v) कोल्ड मूव भत्ता

(vi) आर्डस ड्यूटी भत्ता (समयोपरि भत्ता)

(vii) नदी सुधार भत्ता (कलकत्ता पत्तन)

इन भत्तों के आधार की पुनः संरचना के लिए इन भत्तों से सम्बन्धित मामले को एक समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है ऐसी जांच तथा उस पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने की स्थिति में पत्तन न्यासों के मैरीन अधिकारियों को इन भत्तों की मौजूदा दर में 70% की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। यदि इन भत्तों का भुगतान वेतन की प्रतिशतता के रूप में अथवा भत्तों की राशि को उस वेतन में शामिल किया जा रहा है तो वह 31-12-1986 को प्राप्त कर रहा था तो उसे 1-1-1987 से 70 प्रतिशत वृद्धि दी जाएगी।

(vi) संशोधित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण

1-1-1987 के अनुसार संशोधित वेतनमान में मूल वेतन का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा :—

(i) 1-1-1987 के अनुसार मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन।

जमा 1-1-1987 के अनुसार वास्तविक मूल वेतन से सम्बन्धित प्रथम तदर्थ राहत।

जमा 1-1-1987 के अनुसार ए० आई० सी० पी० आई० 685 पर 838.35 रु० का औद्योगिक महंगाई भत्ता।

जमा इस पैरा के उपर्युक्त (iv) में उल्लिखित लागू उपयुक्तता राशि।

(ii) यदि उपर्युक्त (vi) के अनुसार निकाला गया कुल योग समनुवर्ती संशोधित वेतनमान के स्तर में है तो उसी स्तर पर वेतन निर्धारण किया जाए और यदि ऐसा स्तर संशोधित वेतनमान में उपलब्ध नहीं है तो वेतन निर्धारण अगले ऊंचे स्तर पर किया जाए।

(iii) इस मन्त्रालय के दि० 6 अप्रैल, 1990 के पत्र ए-27014/1/90-पी० ई०-1 द्वारा 1 अगस्त, 1987 से दी गई दूसरी तदर्थ राहत उपयुक्तता लाभ में मिल जाएगी।

(iv) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत वेतन, व्यक्तिगत भत्ता, विशेष भत्ता (परिवार नियोजन प्रोत्साहन को छोड़कर) इत्यदि उपयुक्तता राशि में मिल जाएगा।

(v) यदि न्यूनतम संशोधित वेतनमान मौजूदा मूल वेतन जमा प्रथम तदर्थ राहत जमा ए० आई० सी० पी० आई० 685 के बराबर महंगाई भत्ता जमा उपयुक्तता राशि के कुल योग से अधिक है तो ऐसे अधिकारी का वेतन निर्धारण संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर किया जाए।

(vi) यदि मौजूदा मूल वेतन जमा प्रथम तदर्थ राहत जमा ए० आई० सी० पी० आई० 685 के बराबर महंगाई भत्ता जमा उपयुक्तता राशि का कुल योग संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर से अधिक है तो ऐसे अधिकारी का वेतन निर्धारण संशोधित वेतनमान के अधिकतम स्तर पर किया जाए तथा बढ़ी हुई राशि को व्यक्तिगत वेतन माना जाए।

(vii) 1 जनवरी, 1987 के बाद किसी ग्रेड में नियुक्त किए गए अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नत किए गए अधिकारी का वेतन निर्धारण वेतन निर्धारण से सम्बन्धित सामान्य नियमों के अनुसार किया जाए।

(viii) नए वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी ऐसे अधिकारी का वेतन निर्धारण जो उसी पद, वेतनमान और पदोन्नति क्रम वाल दूसरे अधिकारी से वरिष्ठ है और मौजूदा (पूर्व संशोधित) वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है, वेतन निधारण के समय उसके कनिष्ठ अधिकारी के वेतन से कम स्तर पर निर्धारित होता है अथवा कनिष्ठ अधिकारी को वेतन वृद्धि मिलने के बाद कम हो जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन स्तर कनिष्ठ अधिकारी के वेतन स्तर से अधिक किया जाए।

(ix) संशोधित वेतनमान में उपर्युक्त तरीके से निर्धारण के पश्चात अगली वेतन वृद्धि उपर्युक्त

(viii) में शामिल मामलों को छोड़कर मौजूदा वेतनमान में ली गई पिछले वेतन वृद्धि के एक वर्ष पश्चात देय होगी ।

(vii) नियत यात्रा भत्ता

इस समय विशिष्ट अधिकारियों को नियत यात्रा भत्ते का भुगतान वाहन के स्वामित्व के बगैर मासिक आधार पर किया जाता है । इस भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है । ऐसी जांच तथा उस पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने की स्थिति में 300 रु० प्रतिमाह प्रति अधिकारी, जो पहले से ही यह प्राप्त कर रहे हैं, की दर से नियत यात्रा भत्ते का भुगतान जारी रहेगा । निम्नलिखित (viii) के प्रावधानों के अनुसार वाहन रखने वाले मैरीन अधिकारी नियत यात्रा भत्ते के स्थान पर वाहन भत्ता ले सकते हैं ।

(viii) वाहन भत्ता

यह निर्णय लिया गया है कि पत्तन और गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों को उसी दर और उसी शर्त पर वाहन भत्ता स्वीकृत और अनुमत होगा जैसाकि एस० आर०-25 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू है । एस० आर०-25 के अन्तर्गत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन पत्तन न्यासों तथा गोदी श्रमिक बोर्डों के न्यासी मण्डल अधिकारियों के लिए वाहन भत्ता स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे ।

(ix) मकान किराया भत्ता

नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

(आराम के साप्ताहिक दिन अथवा अवकाश के दिन कार्य)

लोक उद्यम ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारियों के मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता इत्यादि की दर की जांच करने के लिए एक कार्य दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है । ऐसी जांच तथा उस पर सरकार के निर्णय के लम्बित रहने की स्थिति में पत्तन/गोदी श्रमिक बोर्डों के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा साप्ताहिक आराम अथवा अवकाश के दिनों में कार्यों के लिए भत्ते का भुगतान संशोधित वेतनमान की मौजूदा दरों पर किया जाएगा ।

(x) मकान किराए की वसूली

पत्तन न्यास आवास में निवास के लिए मकान किराए की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जाएगी :—

(1) पात्रतानुसार आवास के लिए	संशोधित मूल वेतन का 10 प्रतिशत अथवा स्टैंडर्ड किराया इनमें से जो भी कम हो ।
(2) पात्रता से एक स्तर नीचे के आवास के लिए	संशोधित मूल वेतन का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा उस श्रेणी के आवास के लिए पात्र अधिकारी द्वारा देय अधिकतम

	किराया अथवा स्टैंडर्ड किराया, इनमें से जो भी न्यूनतम हो।
(3) पात्रता के एक स्तर से अधिक नीचे के आवास के लिए	वेतन का 5 प्रतिशत अथवा उस श्रेणी के आवास के लिए पात्र अधिकारी द्वारा देय अधिकतम किराया स्टैंडर्ड किराया, इसमें से जो भी न्यूनतम हो।

स्टैंडर्ड किराए की गणना के लिए मूल नियमों के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांत इस्तेमाल किए जाएंगे।

(xi) **प्रैक्टिसबंदी भत्ता**

चिकित्सा अधिकारी के लिए समान दरों पर प्रैक्टिसबन्दी भत्ता स्वीकार्य होगा जो नीचे दिए गए वेतनमान पर निर्भर करेगा :—

(क) 2150 रु० से 2999 रु० के बीच वेतन	=600 रु०
(ख) 3000 रु० से 3699 रु० के बीच वेतन	=850 रु०
(ग) 3700 रु० से 5999 रु० के बीच वेतन	=950 रु०
(घ) 6000 और इससे अधिक वेतन	=1000 रु०

(xii) **डिजाइन भत्ता**

डिजाइन भत्ते की दरों में इस प्रकार संशोधिन किया जाएगा :—

(i) उप प्रमुख अभियंता एवं अधीक्षक अभियंता	=200 रु० से 300 रु० प्रतिमाह
(ii) वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता/ कनिष्ठ कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता	=150 रु० से 225 रु० प्रतिमाह
(iii) कनिष्ठ कार्यकारी अभियंता सहायक अभियंता	=80 रु० से 125 रु० प्रतिमाह

(xiii) **वर्दी/बोइलर सूट भत्ता और मैस भत्ता**

भत्ता	वृद्धि
वर्दी/बोइलर सूट भत्ता	मौजूदा दरों पर 80 प्रतिशत
मैस भत्ता	मौजूदा दरों पर 75 प्रतिशत

यदि भत्तों का भुगतान वेतन के प्रतिशत के रूप में किया जा रहा है अथवा वेतन से सबद्ध किया जा रहा है तो भत्तों की राशि में जो एक अधिकारी 31-12-1986 को प्राप्त कर रहा था, 1-1-1987 से 70 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

(xiv) **यात्रा/दौरे पर दैनिक भत्ता**

अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। तब तक मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखा जाएगा।

(xv) **पत्तन विशेष पर लागू भत्ते**

पत्तन विशेष पर लागू भत्तों में इस प्रकार संशोधन किया जाता है :—

कलकत्ता

1. बेस से दूर रहने का भत्ता	बेस से दूर रहने के प्रत्येक दिन के लिए वेतन का आधा प्रतिशत।
2. हार्बर ड्यूटी भत्ता	वर्तमान पदधारियों के लिए मौजूदा दर को उनके पद रिक्त करने तक जारी रखा जाए।
3. अवरोधन भत्ता	24 घंटे अथवा पहले 48 घंटे के भाग के अवरोधन के लिए वेतन का 2 प्रतिशत और 24 घंटे अथवा उसके बाद में उसके भाग के लिए वेतन का 3 प्रतिशत।
4. पायलट जहाजों पर कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे दूसरे अधिकारी का विशेष वेतन	200 रु० प्रतिमाह
5. सहायक सर्वेक्षक जब वह निकर्षक पर नियुक्त होता है, सर्वेक्षक पार्टी के प्रभारी अधिकारी के रूप में जाना जाता है, का वेतन प्रभार	200 रु० प्रति माह
6. कनिष्ठ अभियंता का विशेष वेतन जब उससे दूसरे अधिकारी अथवा श्रेणी-II के जहाज पर प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाता है	200 रु० प्रति माह
7. सहायक गोदी मास्टर और बर्थिंग मास्टर का जेब भत्ता	50 रु० प्रतिमाह
8. लाइटनिंग अधिकारियों के लिए मैसिंग और वाहन भत्ता	600 रु० प्रतिमाह

9. वरिष्ठ शिपराइट के लिए विशेष वेतन — 200 रु० प्रतिमाह

मुरगांव, नव मंगलूर, तूतीकोरिन एवं पारादीप समुद्री यात्रा भत्ता

ड्राई-डाकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण मुरगांव, नवमंगलूर, तूतीकोरिन और पारादीप पत्तनों पर सामान्य वेतन और वेतन भत्तों (वाहन/नियत यात्रा भत्ता जहां भी देय हो सहित) के अतिरिक्त निम्नलिखित दरों पर समुद्री यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

(i) यह पत्तन से रवानगी की तारीख से वापस लौटने की तारीख तक मूल वेतन के 31½ प्रतिशत के बराबर आउट-स्टेशन भत्ता ।

(ii) क्राफ्ट के बोर्ड पर निशुल्क आवास और मैंसिंग सुविधा तथा जहां ये उपलब्ध नहीं हैं वहां सामान्य पत्तन नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता । जहां लाजिंग अथवा निशुल्क मैस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां 50 प्रतिशत की सामान्य दर पर दैनिक भत्ता ।

(iii) अन्य पत्तन पर ठहरने की अवधि के लिए 200 रु० प्रति माह तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान; और

(iv) समुद्री यात्रा अवधि के लिए प्रत्येक दिन हेतु तीन दिन के वेतन (भत्तों को छोड़कर) के बराबर समुद्री यात्रा भत्ता ।

कांडला

वाडीनार भत्ता

यह भत्ता मौजूदा दरों पर जारी रहेगा ।

विशाखापत्तनम :

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एक पद तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के एक पद के लिए असुसज्जित किराया युक्त क्वार्टर सुविधा इस शर्त पर दी गई है कि वे रात्रि में राउण्ड लगाना, आपातकालीन ड्यूटी देना इत्यादि जैसे कार्य करेंगे जो सामान्य तौर पर अस्पतालों में रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे जाते हैं ।

(xvi) गैर मैरीन अधिकारियों के लिए अन्य भत्ते

(क) बम्बई पत्तन न्यास में चिकित्सा अधिकारी (डिस्पेन्सरी) और प्रभारी डिस्पेंसरी एवं टी० बी० क्लिनिक के प्रभार भत्ते को बढ़ाकर 250 रु० प्रतिमाह कर दिया गया है ।

(ख) कलकत्ता पत्तन न्यास के जिन सुरक्षा अधिकारियों को वर्दी मिलती है, उन्हें 20 रु० प्रति माह धुलाई भत्ता दिया जाए ।

(ग) 980-1930 रु० के श्रेणी-II के वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में बम्बई के पत्तन सुरक्षा तथा

अग्नि शमन अधिकारी तथा मद्रास में अग्नि सुरक्षा अधिकारी तथा सहायक सुरक्षा अधिकारियों को 250 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन प्रदान किया जाता है।

(घ) कोचीन पत्तन न्यास के अध्यक्ष के निजी सचिव को लोक सम्पर्क कार्य के लिए विशेष वेतन को बढ़ाकर 300 रु० प्रतिमाह किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त में विरिष्ट रूप से शामिल न किए गए भत्तों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार 90% बढ़ाया जाता है।

(xvii) अल्पावधि रिक्तियों पर स्थापन्न रूप से नियुक्ति

इस समय छुट्टी रिक्ति यदि 45 दिन की अवधि से कम न हो तो स्थानापन्न नियुक्ति की जाती है। पत्तनों की प्रचालन अपेक्षाओं के विशिष्ट स्वरूप की दृष्टि से यदि रिक्ति 15 दिन अथवा अधिक अवधि के लिए हो तो रिक्ति को भरा जा सकता है। तथापि यह उन पदों पर लागू नहीं होगा जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी केन्द्र सरकार है।

(xviii) छुट्टियों तथा अर्जित छुट्टियों के लिए नकद भुगतान

अर्जित छुट्टियों के संचयन की वर्तमान सीमा 180 दिन से 240 दिन की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप इस्तीफा देने पर नकद भुगतान का लाभ प्राप्त करने के लिए 90 दिन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 120 दिन किया जाएगा। सेवा निवृत्ति के समय पर अर्जित छुट्टियों के नकद भुगतान के लाभ को भी बढ़ाकर 240 दिन किया जाता है।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत श्रेणी-I तथा II के अधिकारियों के लिए अर्जित छुट्टियों के नकद भुगतान की सीमा किसी अधिकारी के खाते में जमा छुट्टियों का 50% है बशर्ते न्यूनतम 7 दिन की छुट्टियां उपयोग कर ली गई हों।

अर्जित छुट्टियों के लिए नकद भुगतान करते समय केवल वेतन और महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी, मकान किराए भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते अथवा अन्य किसी भत्ते की गणना नहीं की जाएगी। यदि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हों तो उनका पालन किया जाएगा।

(xix) आवास निर्माण अग्रिम

अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उस समय तक मौजूदा आदेश जारी रहेंगे।

(xx) वाहन अग्रिम तथा अन्य अग्रिम

महापत्तन न्यासों/गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के अधिकारियों के लिए वाहन अग्रिम तथा अन्य अग्रिम उन्हीं दरों और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होंगे जो केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू हैं।

(xxi) सन्तान शिक्षक भत्ता तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति

यह निर्णय किया गया है कि महापत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी-I तथा श्रेणी-II

के अधिकारियों के बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति उन्हीं दरों और पैटर्न तथा उन्हीं शर्तों के अध्यधीन की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार अधिकारियों के लिए लागू हैं।

(xxii) पदों का स्तर बढ़ाना

विभिन्न पत्तनों में 18 श्रेणियों के पदों का स्तर बढ़ाने का निर्णय किया गया है जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

पद	मौजूदा लागू वेतनमान	बढ़ाकर निम्नलिखित वेतनमान किया गया	बढ़ाए गए वेतनमान के लिए तदनुरूपी संशोधित वेतनमान
1	2	3	4
बम्बई			
सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1560-2400 रु०	2090-2890 रु०	4350-6000 रु०
वरिष्ठ डेंटल सर्जन	1060-1980 रु०	1560-2400 रु०	3350-5150 रु०
बायो कैमिस्ट	1060-1980 रु०	1560-2400 रु०	3350-5150 रु०
सहायक प्रबन्धक (रेलवे) (एक पद)	1560-2400 रु०	1760-2600 रु०	3750-5430 रु०
मुख्य सुरक्षा अधिकारी	1560-2400 रु०	1760-2600 रु०	3750-5430 रु०
कलकत्ता			
उप-मुख सतर्कता अधिकारी	1560-2400 रु०	2090-2890 रु०	4350-6000 रु०
सुरक्षा तथा प्रदूषण निवारण अधिकारी	1060-1980 रु०	1560-2400 रु०	3350-5150 रु०
सहायक सम्पादक	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
हिन्दी अधिकारी	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
पारादीप			
सचिव	1760-2670 रु०	2090-2890 रु०	4350-6000 रु०
विधि अधिकारी	1060-1980 रु०	1560-2400 रु०	3350-5150 रु०

1	2	3	4
हिन्दी अधिकारी	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
यातायात प्रबन्धक	1760-2670 रु०	2090-2890 रु०	4350-6000 रु०
न्यू मंगलौर			
सम्पदा अधिकारी	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
चिकित्सा अधिकारी	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
मैरीन सर्वेक्षक	980-1930 रु०	1060-1980 रु०	2350-4230 रु०
विशाखापत्तनम			
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	1760-2670 रु०	2060-2890 रु०	4350-6000 रु०
वित्त सलाहकार और प्रमुख लेखा अधिकारी	2090-2890 रु०	2250-3250 रु०	4650-6575 रु०

(xxiii) अपरेंटिश बर्थिग मास्टरों को वजीफा

अपरेंटिश बर्थिग मास्टरों को दिया जाने वाला वजीफा बढ़ाकर 1100 रु० प्रति माह कर दिया जाएगा।

(xxiv) पदों का वर्गीकरण

पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :—

वेतनमान : ई-1, ई-2 और ई-3, श्रेणी II पद

वेतनमान : ई-4, से ई-24, श्रेणी I पद

(xxv) बकाया राशि का भुगतान

वेतनमान संशोधन के कारण बकाया राशि का भुगतान, अधिकारियों को इस सम्बन्ध मे दिए गए अग्रिम भुगतान के समायोजन के बाद नकद भुगतान किया जाएगा।

(xxvi) लागू होने की तारीख

(i) वेतनमान में संशोधन, महंगाई भत्ता जारी करना, प्रैक्टिस बन्दी भत्ता और डिजाईन भत्ता सम्बन्धी आदेश वेतन संशोधन की तारीख से लागू होंगे।

(ii) मकान किराया भत्ता, सी० सी० ए० और मकान किराए की वसूली सम्बन्धी आदेश 1-4-1987 से लागू होंगे।

(iii) यात्रा भत्ते वर्दी भत्ते मेंश भत्ते, यात्रा/टूर पर दैनिक भत्ते सम्बन्धी आदेश 1-7-1990 से लागू होंगे।

(iv) शेष निर्णय इन आदेशों के जारी करने की तारीख से लागू होंगे।

(xxvi) यह वित्त मन्त्रालय की सहमति से डायरी सं० 4016/टी० एफ० आई०/91 दिनांक 25-10-1991 के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

ह०/-

(अशोक जोशी)

संयुक्त सचिव भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. वित्त मन्त्रालय, लोक उद्यम ब्यूरो ब्लाक नं० 12, सी० जी० ओ० काम्पलैक्स, लोधी एस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली।
2. वित्त सलाहकार
3. प्रबन्ध निदेशक (आई० पी० ए०) प्रत्येक 2 प्रतियां
4. उप सचिव (वि०)
5. श्री आर० वी० खरांगटे, अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्तन न्यास और डाक लेबर बोर्ड अधिकारी फैडरेशन, मार्फत : मुरगांव पत्तन, मुरगांव हार्बर गोवा-403803

ह०/-

(अशोक जोशी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अल्कालॉयड संयंत्र, नीमच

3734. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कालॉयड संयंत्र, नीमच, मध्य प्रदेश का विस्तार करने अथवा इसको दो पारियों में चलाने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकारी अफीम तथा अल्कालायड वर्क्स अंडरटेकिंग, नीमच, के कर्मचारी संघ ने सरकार से अल्कालायड संयंत्र को दो पारियों में चलाने का अनुरोध किया है। नीमच स्थित अल्कालायड संयंत्र के इन्जीनियरी परामर्शदाता, मैसर्स राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० ने अभिमत प्रकट किया है कि यह उचित होगा यदि संयंत्र

अधिकारियों द्वारा सीधे ही द्वितीय पारी शुरू करने से पूर्व पात्र-दर-पात्र सामग्री शेष के ब्यौरे तैयार कर लिए जाएं, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि कार्य-प्रक्रम की किसी अवस्था में कोई रुकावट नहीं है। मैसर्स राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० की कनीकी सलाह के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सुरक्षा प्रेस, नासिक में डाक टिकटों की छपाई

[अनुवाद]

3735. **श्री राम नाईक : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा प्रेस, नासिक में छापी गई राजस्व डाक टिकटों तथा कोर्ट फीस टिकटों पर अच्छी तरह गोंद नहीं लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप "डैड स्टाक" में पड़ी टिकटों का मूल्य क्या है;

(ग) छपाई के दौरान अनुज्ञेय छीजन कितने प्रतिशत है तथा 1990-91 के दौरान वास्तविक छीजन कितनी हुई; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) डाक विभाग से टिकटों पर पर्याप्त गोंद न लगे होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) टिकटों का कोई बेकार भण्डार नहीं है। टिकटों पर सही गोंद लगाने का सुनिश्चयन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) छपाई के दौरान, अनुज्ञेय छीजन का प्रतिशत 2.5 है। वर्ष 1990-91 के दौरान गोंद लगाने का काम मैसर्स श्री विंध्या पेपर मिल तथा मैसर्स गांधी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को सौंपा गया था। मैसर्स गांधी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा गोंद लगाए गए तथा पूर्ति किए गए कागजों के छीजन का प्रतिशत 2.38 था। मैसर्स श्री विंध्या पेपर मिल द्वारा पूर्ति की गई 1202 रीलों में से अभी तक 1107 रीलों का उपयोग किया गया है तथा शेष 95 रीलों का अभी उपयोग किया जाना है। उपयोग किए गए भाग के छीजन का प्रतिशत 5.7 प्रतिशत था।

(घ) भारत प्रतिपूर्ति मुद्रणालय, नासिक रोड द्वारा मामले को मैसर्स श्री विंध्या पेपर मिल के साथ उठाया गया है। पार्टी द्वारा की गई पूर्ति की उपयुक्तता रिपोर्ट कागज के हिसाब-किताब को अन्तिम रूप देने के बाद ही जारी की जाएगी। पार्टी को भुगतान कागज के हिसाब-किताब को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण का निरीक्षण

3736. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के संचालन के समेकित निरीक्षण के लिए पर्याप्त सांविधिक शक्तियों से युक्त एक नियंत्रक निकाय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वित्तीय प्रणाली के गठन; संगठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री एम० नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 20 नवम्बर, 1991 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी सम्बद्ध एजेंसियों के साथ समिति की सिफारिशों की विस्तृत जांच करके उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

रूई का उत्पादन और निर्यात

[हिन्दी]

3737. **श्री राम शरण यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक देश में रूई का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) इस वर्ष सूती कपड़े का निर्माण करने के लिए रूई की कितनी गांठों का उपयोग किया गया;

(ग) नई औद्योगिक नीति में मानव निर्मित कपड़े और कृत्रिम तंतुओं पर उत्पादन-शुल्क में कटौती का रूई उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का रूई का एक बफर स्टाक बनाने अथवा इसका निर्यात बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड ने 29 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1991-92 के मौसम के दौरान कपास का उत्पादन 130 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। तथापि देश के कुछ भागों में बारिश न होने के कारण प्रत्याशित उत्पादन पूर्वानुमान से कम होने की संभावना है।

(ख) सितम्बर-अक्तूबर, 1991 के दौरान मिल/विद्युतकरघा/हथकरघा क्षेत्रों द्वारा सूती कपड़े के निर्माण के लिए अनुमानत कपास की लगभग 13 लाख गांठें प्रयुक्त की गयीं। वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान इन क्षेत्रों द्वारा सूती कपड़े के उत्पादन के लिए कपास की लगभग 83 लाख गांठें प्रयुक्त की गयीं।

(ग) सरकार ने वर्ष 1985 की वस्त्र नीति की समीक्षा करने के मामले पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तस्करों को रिहा करना

3738. **श्री राम शरण यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने तस्करों को रिहा किया गया है; और

(ख) सलाहकार बोर्ड द्वारा उपरोक्त अवधि में कितने तस्करों को नजरबन्दी से रिहा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष सलाहकार बोर्डों द्वारा रिहा किए गए तस्करों सहित, कुल रिहा किए गए तस्करों की संख्या नीचे की गई है :

	सलाहकार बोर्ड द्वारा रिहा किए गए	कुल रिहा किए गए
1989	227	731
1990	322	948
1991 (नवम्बर 91 तक अनन्तिम)	146	623

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा उक्त अवधि के दौरान रिहा किए गए तस्करों की संख्या निम्नानुसार है :—

1989	13
1990	6
1991 (नवम्बर, 91 तक अनन्तिम)	5

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित शेष सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशक्य शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कता रेशम निर्माताओं को सहायता

3739. **श्री राम शरण यादव :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम धागे की कमी के कारण कता रेशम निर्माताओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा अग्रिम लाइसेंस एवं पुनः पूर्ति लाइसेंस योजनाओं के कारण रेशा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में रेशम-कीट पालन का विकास

3740. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को राज्य में रेशम-कीट पालन का विकास करने के लिए 1990 के दौरान कोई सहायता प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में अब तक तत्सम्बन्धी कितने कार्यक्रम लागू किए गए और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या राज्य में रेशम-कीट पालन के विकास हेतु स्थापित किए गए कुछ केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य में रेशम-कीट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कारंवाई करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान सरकार को राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

1. इमदादी लागत पर 20 टन शहतूती कलमों की सप्लाई ।

2. 91731 रोग मुक्त चकतों की सप्लाई ।

3. 399 किसानों तथा 23 रीलरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना । इसके अति-

रिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए तकनीकी सेवा केन्द्रों, चाकी कीट-पालन केन्द्रों, प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्रों तथा रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय के माध्यम से राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने में आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

(ग) राज्य में उसके चल रहे सामान्य योजना कार्यक्रम के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड राजस्थान के बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में विकास बैंक/स्विस विकास निगम की सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना भी क्रियान्वित कर रहा है जिस पर वर्ष 1989-90 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए 348.57 लाख रुपए की कुल लागत आएगी। परियोजना में 5 वर्ष की परियोजना अवधि की समाप्ति पर 60 टन कच्चे रेशम का उत्पादन करने के लिए शहतूती कृषि के अंतर्गत 2000 एकड़ भूमि का विकास करने की व्यवस्था है, इस परियोजना के अन्तर्गत सितम्बर, 1991 तक शहतूत की कृषि के अन्तर्गत 356 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया गया है तथा परियोजना के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकांश इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी एकक हाल ही में बनाए गए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जैसाकि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में पहले बताया जा चुका है यह प्रस्ताव है कि राज्य में 1993-94 तक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन को जारी रखा जाए।

भारतीय सड़क निर्माण निगम को हुआ घाटा

[अनुवाद]

3741. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री भारतीय सड़क निर्माण निगम के बारे में 30 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क निर्माण निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितना घाटा हुआ;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान भारतीय सड़क निर्माण निगम को हुई हानि इस प्रकार है :

वर्ष	हानि (करोड़ रु०)
1988-89	48.47
1989-90	36.47
1990-91	35.39 (अनन्तिम)

(ख) इन हानियों के मुख्य कारण हैं—लिबियन और इराकी ग्राहकों द्वारा उन देशों में किए गए कार्यों के लिए देरी से/गैर भुगतान और उसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा अपने ठेकों के कार्यान्वयन के लिए विदेशी बाजार में लिए गए यूरो-डालर ऋण पर भारी ब्याज का बोझ।

(ग) निगम को जीवनक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित प्रयासों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कपड़ों के मूल्य निर्धारित करना

3742. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सभी प्रकार के कपड़ों के मूल्य निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी प्रकार की क्वालिटी के वस्त्रों का लागत मूल्य निर्धारित कर सके क्योंकि वस्त्रों सहित किसी भी मद का लागत मूल्य एक निश्चित समय पर विभिन्न अन्तरनिविष्टियों पर निर्भर करता है जैसे कच्चा माल, श्रमिक लागत, प्रभार, परिवहन आदि तथा सामान्यतः किसी स्टैंडर्ड उत्पाद का लागत मूल्य तभी निर्धारित किया जाता है जबकि ऐसे उत्पाद की कीमत नियंत्रित करना आवश्यक समझा जाए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का इक्विटी आधार

3743. **डा० रमेश चन्द्र तोमर** :
कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की भागीदारी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी आधार को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

फल, सब्जियों और संशोधित खाद्य पदार्थों का निर्यात

3744. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितने रुपए मूल्य के फलों, सब्जियों और संशोधित खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया;

(ख) विश्व निर्यात बाजार में भारत का भाग कितने प्रतिशत है; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फल, सब्जियों और साधित खाद्य के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा : मी० टन में
मूल्य : लाख रुपए में

	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजा उत्पाद	295967	12177	445032	16208	339633	17991
साधित उत्पाद	35914	6401	42951	7721	32516	6806
मांस/मास-उत्पाद	68133	10690	70471	13244	72576	15466
अन्य साधित उत्पाद	48991	12913	70031	11120	55822	10952

(ख) आर्थिक सर्वेक्षण 1990-91 के आधार पर वर्ष 1986-87 के दौरान विश्व निर्यात बाजार में भारत का हिस्सा निम्नलिखित है :

	1986	1987
सब्जियां एवं फल	0.6%	0.4%
मांस एवं मांस से बनी वस्तुएं	0.3%	0.2%
अनाज तथा अनाज से बनी वस्तुएं	0.2%	0.2%

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे : निर्यात नीति को उदार बनाना, विनिमय दर समायोजन, एक्जिम स्क्रिप्स शुरू करना, बाजार विकास, उत्पादन संवर्धन, क्वालिटी उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, कीमत प्रतियोगिता आदि ।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कें

[हिन्दी]

3745. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए पिछले तीन वर्षों (अर्थात 1988-89, 89-90 और 90-91) के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 41 सड़क निर्माण कार्य पूरे हुए । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावों को 5 वर्षीय योजनावार अनुमोदित किया जाता है न कि वर्षवार । आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 1991-92 की अवधि से किसी नई स्कीम को अनुमोदित करना सम्भव नहीं है ।

विवरण

1-4-1988 से 31-3-1991 तक की अवधि के दौरान पूरे हुए ई० एण्ड आई० सड़क निर्माण कार्यों की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	पूरे हुए निर्माण कार्य
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.		नारायण खेड से संतपुर तक सड़क का सुधार(कार्य संख्या आई० एस०-ए० पी० 86/827) ।
2.		नारायण खेड से डिगुलवाडी रोड (वाया) छपता बसार कांगली का सुधार (कार्य संख्या ई० एंड आई०/ए० पी०/739) ।
3.		भैंनसा से कुबीर तक सड़क का सुधार (वाया) मिर्जापुर, बकात, पंगरा, गोडसारा, चांदी, पार्दी (के) पालसी और सिरपल्ली (कार्य सं० आई० एस०/ए० पी०/86/826) ।

1	2	3
4.		(24 कि० मी० में) पुल के निर्माण सहित अदिलाबाद से लालीगुडा तक सड़क का सुधार (कार्य सं० ई० एंड आई०/ए० पी०/792)।
5.		विजयवाडा बाई पास (8 कि० मी० में) (कार्य सं० ई० सी०-ए० पी०-86-828)
	बिहार	
1.		कटिहार-हरिश्चन्द्रपुर रोड के खण्ड प्रानपुर-लावा-दिल्ली दीवानगंज रोड का सुधार, साथ में महानन्दा नदी पर एक एच० एल० पुल का निर्माण (10 कि० मी० के खण्ड में) कार्य संख्या आई० एस० बी० आर०-86-807)।
2.		चारा-चन्दन-कियारी रघुनाथपुर रोड को चौड़ा करना और मजबूत बनाना (कार्य संख्या ई० एंड आई०/बी० आर०/789)।
	जम्मू एवं कश्मीर	
1.		जम्मू एवं कश्मीर में चम्बा-भदरवाह रोड का निर्माण। कार्य संख्या ई० एंड आई०/जे० के०/576/582 और 583)।
	हिमाचल प्रदेश	
1.		चम्बा-केटी-सुन्दला-लंगीरा-मरहल-भादरवाह रोड (एच० पी० भाग) का सुधार (कार्य संख्या ई० एंड आई०/एच० पी०/570)।
2.		लालधनक-पौंटा-राजबन-रेहरू-सुन्गरी-नरकंडा रोड (103/0 से 133/167 और 17 /0 से 200/0 कि० मी०) में मौजूदा 7/7 एम से 7.48/8, 36 एम को चौड़ा करना (कार्य सं० आई० एस० एच० पी०-85-801)।
	केरल	
1.		त्रिवेन्द्रम कोवलम रोड का सुधार (ई० एंड आई०/के० आर०/680)।
2.		केरल में कोचीन मदुरै रोड (आंशिक लम्बाई) में सुधार (कार्य सं० आई० एस० के० आर-86-829)।

1	2	3
3.		त्रिवेन्द्रम में मुख्य केन्द्रीय सड़क का विकास (कार्य सं० ई० सी०-के० आर०-88-851)।
	कर्नाटक	
1.		होस्पेट-मंगलूर रोड वाया हरिहर-हेनचली-अगम्बा-बंतबाल रोड के चुनिंदा खंडों का सुधार (कार्य सं० ई० एंड आई० के० एन० टी०/755)।
2.		कादूर-मंगलूर रोड के चिकमंगलूर चारमुरी रोड खंड का विकास (292 से 304.4 कि० मी० तक) (कार्य सं० ई० सी०-के० एन० टी०-88-844)।
3.		कारवाड़-हुबली रोड (48 से 57 कि० मी०) में सुधार (कार्य संख्या ई० एंड आई०/के० एन० टी०/776)।
	महाराष्ट्र	
1.		पुणे को दीघी बन्दरगाह से जोड़ने के लिए तम्हानीघाट रोड के खण्ड-V बी० (48.00 से 51/500) का निर्माण (कार्य सं० ई० सी०-एम० आर०-86-811)।
2.		नादेड जिला में भोकर-भैंनसा रोड का सुधार (कार्य संख्या आई० एस०-एम० आर०-86-820)।
3.		पुणे को दीघी बन्दरगाह से जोड़ने के लिए तम्हानीघाट रोड के खण्ड Vए का निर्माण (कार्य सं० ई० सी०-एम० आर०-86-810)।
4.		दीघी जेटी को जाने वाली मनगांव-महसाला रोड का सुधार (29 कि० मी० में) (कार्य सं० ई० सी०-एम० आर०-86-812)।
5.		नादेड जिला में खटगांव-शाहपुर-नारंगल रोड को निर्माण (कार्य सं० आई० एस०-एम० आर०-86-817)।
9.		नादेड़ जिला में मुखेर-खारका-मुकरानाबाद रोड का सुधार (कार्य संख्या आई एस०-एम० आर०-86-818)।
7.		नादेड़ जिला में भोकर-भारवडी रोड वाया रेनापुर में सुधार (कार्य संख्या आई० एस०-एम० आर०-86-819)।

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
1.		अरांग-नावापाड़ा रोड पर जोंक नदी तक पहुंचमार्ग का निर्माण (कार्य सं० ई० एण्ड आई०-एम० पी०/699)।
2.		उदयगढ़-कनीजीरा रोड का निर्माण (कार्य सं० ई० एण्ड आई०-एम० पी०-608)।
3.		मचान-ऊंचा-माधवगढ़ रोड़ का निर्माण (कार्य सं० ई० एंड आई०/एम० पी०/606)।
4.		उणारी कानवाड़-चूरीला रोड का निर्माण (कार्य स० ई० एण्ड आई०/एम० पी/601)।
5.		लिमडी-थंडला रोड का निर्माण (कार्य सं० ई० एण्ड आई०-एम० पी०/602)।
6.		ग्वालियर-भिंड-इटावा रोड (94.50 कि० मी० में) को चौड़ा करना (कार्य सं० ई० एण्ड आई०/एम० पी०/690)।
	मणिपुर	
1.		कटंग के समीप तमेई से बारक रोड का सुधार (23 कि० मी० में) (कार्य सं० ई० एंड आई०/एम० एम०/749)।
	मेघालय	
1.		नर्तयांग-नंगपा रोड का सुधार (0-5 कि० मी०) शिलांग उत्तरी डिवीजन के अन्तर्गत (कार्य सं० ई० सी० एम० जी०-89-857)।
2.		नर्तयांग नगंपा रोड का सुधार (7-10 कि० मी०) की वाई एन० ई० सी० डिवीजन के अन्तर्गत जैनतिया खण्ड (कार्य सं० ई० सी०-एम० जी०-89-859)।
3.		जी० वाई उत्तरी डिवीजन के अंतर्गत नर्तयांग नंगप्पा रोड का सुधार (0-6 कि० मी० में) कार्य सं० ई० सी०-एम० जी०-89-858)।
	नागालैंड	
1.		यंगली-येहेमी-कितसाकीता रोड का निर्माण (आंशिक लम्बाई) (कार्य सं० ई० एंड आई०-एन० जी०-752)।

1	2	3
	राजस्थान	
1.		करौली-मचलीपुर-जगनेर (यू० पी०) तमतपुर सड़क का निर्माण (कार्य सं० ई० एंड आई०-आर० जे०-686)।
	उत्तर प्रदेश	
1.		रायबरेली के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण (कार्य सं० ई० सी०-यू० पी०-88-845 से 850)।
2.		बरेली जिला में पानीपत खातिमा से बरूर तक सड़क का निर्माण (कार्य सं० ई० एंड आई०-यू० पी०-743)।
	पश्चिम बंगाल	
1.		खड़गपुर-बलसौर रोड को चौड़ा करना और उसमें सुधार करना (कार्य सं० ई० एंड आई०-डब्ल्यू० बी०-717)।
2.		मिदनापुर जिला में गोपी वल्लभपुर-हाटीबाड़ी रोड का सुधार (कार्य सं० ई० एण्ड आई०-डब्ल्यू० बी०-669)।
3.		कुरूलिया जिला में वाराथुम-बन्दाओं रोड का निर्माण (कार्य सं० ई० एण्ड आई०-डब्ल्यू० बी०-693)।
4.		धुबराजपुर-ख्यारासोल-बरहारा बिहार बार्डर तक सड़क का निर्माण (वाया वारा-45 कि० मी०) (कार्य सं० ई० एण्ड आई० डब्ल्यू० बी०-569)।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमाराशियां

3746. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए क्या तार्किक मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत शाखाओं में जिला-वार 1990-91 के अन्त तक जमाराशियों तथा सकल लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक, कारोबार की मात्रा, कमान क्षेत्र में शाखा विस्तार, लागत लाभ विश्लेषण, ग्राहकों की मांग, प्रशासनिक अनिवार्यताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलते हैं। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिक दूरियों वाले स्थानों को छोड़कर किसी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत कम से कम 40 शाखाएं आनी चाहिए।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत कार्य कर रही शाखाओं की निवल लाभों/हानियों की जिलावार विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जमाराशियों सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा हरदोई में दिए गए ऋण

3747. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा हरदोई में उन बेरोजगार युवकों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें बैंकों द्वारा 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1991 तक ऋण प्रदान किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वाणिज्यिक बैंक शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण मन्जूर करते हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी तथा हरदोई जिलों के अग्रणी बैंकों क्रमशः इलाहाबाद बैंक तथा बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि बैंकों ने -1-91 से 31-1 -91 तक उक्त दो जिलों में निम्नानुसार ऋण मन्जूर किए हैं :—

	लखीमपुर खीरी		हरदोई	
	खातों की संख्या	राशि (लाख रुपए)	खातों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
1. शिक्षित बेरोजगार युवक	139	35.96	185	40.23
2. गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति	7242	418.83	12260	784.36

विदेशों में संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना

[अनुवाद]

3748. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को भारतीय जहाजरानी निगम के सहयोग से विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशी कम्पनियों का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोदाल धार सड़क के निर्माण

3749. **श्री सुधीर सावंत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बेलगांव को गोवा से जोड़ने वाली कोदाल धार सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय आठवीं योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा प्रायोजित 75 लाख रु० की अनुमानत लागत से बेलगांव-जम्बोती-कानकाम्बी-चोर्ला-गोवा सड़क सुधार के प्रस्ताव से है। तथापि, इस प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए कारंवाई नहीं की जा सकी क्योंकि संसद द्वारा 13-5-1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि अभी होनी है।

विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण

[हिन्दी]

3750. **श्री मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अतिरिक्त विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थानों से ली गई अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण राशि तथा इन ऋणों पर ब्याज की दर का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक पुनः भुगतान किए गए अल्पावधि ऋण की राशि ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार विदेशी वित्तीय संस्थाओं से अल्प अवधि के ऋण नहीं लेती। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छोड़कर, सरकार द्वार विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए दीर्घावधिक ऋणों की राशि तथा ब्याज की दर निम्नलिखित

है :—

संस्था	राशि (करोड़ रुपए)			ब्याज की दर
	1988-89	1989-90	1990-91	
1. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	29.33	17.92	8.48	सेवा प्रभार 1 प्रतिशत
2. एशियाई विकास बैंक	20.28	36.23	325.17	6.5 प्रतिशत
3. पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन (ओपेक)	28.97	6.92	9.84	सेवा प्रभार 0.5 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत के बीच

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

3751. **श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले कुछ बड़े उद्योगों ने लघु क्षेत्र के लिए तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रियायती दरों पर निर्मित वस्तुओं की सप्लाई प्राप्त करने हेतु लघु उद्योग क्षेत्र में भी एकक स्थापित कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अवैध ढंग से उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 1-3-1986 की अधिसूचना संख्या 175/86 के०उ०शु०, जिसके द्वारा लघु उद्योगों को शुल्क रिआयतें प्रदान की गई हैं, के उपबंधों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पाद शुल्क्य माल का निर्माण करने और उसे विपणन करने वाली बड़ी कम्पनियों को सप्लाई करने की अनुमति है । यह रिआयत तब तक मिलती रहेगी जब तक लघु उद्योग क्षेत्र उद्योग और बड़े उद्योगों के बीच संव्यवहार मालिकाना आधार पर होते रहेंगे । लघु उद्योग विनिर्माता द्वारा जिस मामले में माल का निर्माण उजरती कार्य के आधार पर किया जाता है उसमें रिआयत उस स्थिति में मिलती है यदि कच्ची सामग्री के आपूरक और उजरती कामगार के बीच संबंध मालिकाना आधार पर हों । तथापि, यदि मामले के तथ्यों और कच्ची सामग्री के आपूरक तथा उजरती कामगार के बीच हुए करार की शर्तों से यह प्रमाणित हो सकता है कि उजरती कामगार एक डम्मी यूनिट है अथवा कच्ची सामग्री के आपूरक का मात्र किराए का श्रमिक है, तो उस दशा मे कच्ची सामग्री का आपूरक मूल विनिर्माता होगा और उजरती कामगार को लघु उद्योग छूट रिआयत का लाभ नहीं मिलेगा ।

(ख) जहां कहीं लघु उद्योग को प्रदान की गई रिआयत के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में आता है, शुल्क की वसूली और अर्थ-दण्ड लगाने के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। अपवंचन-रोधी तंत्र को, लघु उद्योगों को प्राप्त रिआयतों के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ शुल्क की चोरी को रोकने के लिए भी प्रयास तेज करने हेतु कहा गया है।

निर्यात असन्तुलन

3752. **श्री मोहन सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपए के अवमूल्यन के बाद, रुपए और डालर दोनों में वर्ष 1991 के जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में वर्ष 1990 की उक्त अवधि की तुलना में, निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) सरकार ने इस निर्यात-असन्तुलन को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए विदेश व्यापार के अनन्तिम आंकड़े सितम्बर, 1991 तक उपलब्ध हैं। पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधियों की तुलना में जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1991 के दौरान निर्यात-वृद्धि के महीना-वार ब्यौरे रुपए और डालर दोनों में नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य : करोड़ रुपए में)

रुपए में

महीना	1990-91	1991-92	प्रतिशत वृद्धि
जुलाई	2506	3313	+32.2
अगस्त	2429	3441	+41.7
सितम्बर	2567	3656	+42.4

(मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर)

डालर में

महीना	1990-91	1991-92	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
जुलाई			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1139	1200	+5.4
रुपया भुगतान क्षेत्र	303	101	—66.7

1	2	3	4
अगस्त			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1192	1257	+5.5
रुपया भुगतान क्षेत्र	254	86	—66.1
सितम्बर			
सामान्य मुद्रा क्षेत्र	1160	1280	+10.3
रुपया भुगतान क्षेत्र	279	132	—52.7

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

(ख) सरकार ने व्यापार नीति में अनेक सुधार शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य है निर्यात प्रोत्साहन मजबूत करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक कम करना और आयात को इष्टम सीमा तक कम करना। आर० ई० पी० लाइसेंसों के स्थान पर एक्जिम स्क्रिप नाम का एक नया दस्तावेज शुरू किया गया है। यह दस्तावेज कच्चे माल, कल पुर्जों और अतिरिक्त कल पुर्जों के आयात की कुछ श्रेणियों की सुविधा पाने का साधन होंगे। निर्यात संवर्धन के साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सुस्थापित निर्यातक अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं। सरकार ने निर्यातकों को यह अनुमति दी है कि वे विदेशों में ऋण खाते शुरू कर सकते हैं और निर्यात से सम्बन्धित आयातों का भुगतान ऐसे खातों से कर सकते हैं और फिर निर्यात से मिलने वाली राशि इन खातों में जमा कर सकते हैं। सरकार ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं : लाइसेंसिंग से होने वाले नियन्त्रण कम करना, निर्यात की क्रिया विधियों को सरल बनाना, बोर्ड ऑफ ट्रेड को फिर सक्रिय करना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षी वार्ता, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ आपसी क्रियाकलाप, आदि।

वित्तीय संस्थाएं

3753. **श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं की संख्या क्या है;

(ख) इक्विटी पूंजी बढ़ाने हेतु इन वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा रखे गए मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या ये वित्तीय संस्थाएं अपना वार्षिक लेखा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन वित्तीय संस्थानों में लोगों द्वारा निवेश की गई पूंजी तथा जिन क्षेत्रों में इस पैसे का उपयोग किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा

4क में दी गई परिभाषा के अनुसार सरकारी क्षेत्र की 18 वित्तीय संस्थायें हैं। इनमें से 10 संस्थाओं को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर किया गया है और इनमें से 5 संस्थायें अधिनियम की धारा 617 के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनियां हैं तथा 8 को सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया गया है।

(ख) इन संस्थाओं द्वारा उन पर लागू अपने कानूनों, ज्ञापन और संघ के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुक्रम में इक्विटी पूंजी जुटाई जाती है। प्रत्येक संस्थान द्वारा जुटाई जाने वाली इक्विटी पूंजी की मात्रा एक खास ऋण इक्विटी अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता से निर्देशित होती है।

(ग) प्रत्येक संस्थान से भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार इत्यादि जैसे एक या अधिक प्राधिकारियों के पास अपने वार्षिक लेखे भेजने की आशा की जाती है।

(घ) 18 सरकारी वित्तीय संस्थाओं की सार्वजनिक शेयरधारिता आई० सी० आई० सी० आई० (इसकी चुकता-पूंजी का 32.32%), एस० सी० आई० सी० आई० (इसकी चुकता पूंजी का 26.61%) और टी० डी० आई० सी० आई० (इसकी चुकता-पूंजी का 0.005%) तक ही सीमित है। प्रत्येक संस्थान अपने उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास

3754. **श्री मृत्युंजय नायक : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जिले-वार कितनी शाखायें हैं; और

(ख) इन बैंकों ने राज्य के ग्रामीण विकास में क्या भूमिका निभाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 819 शाखाएं कार्य कर रही थी। उनका जिले-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
बालासोर	63
बोलनगीर	66
कटक	121
धेनकनाल	48
गंजम	75
कालाहांडी	62
क्योंझर	35

1	2
कोरापुट	90
मयूरभंज	55
फूलबनी	15
पुरी	100
संबलपुर	73
सुन्दरगढ़	19
कुल :	819

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण लोगों में बैंकिंग की आदत डालने और समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण तक पहुंचने में भी सहायता की है जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। राज्य के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की कई शाखाएं हैं। मार्च 1991 को समाप्त स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उड़ीसा में 179.17 करोड़ रुपए की जमाराशियां जुटाई और कमजोर वर्गों के 9.60 लाख हिताधिकारियों को 192.16 करोड़ रुपए का बकाया ऋण प्रदान कर उनकी सहायता की।

अधिकतम वेतनमान पर रुके हुए कर्मचारियों को पदोन्नति

3755. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक वर्ष से अधिक समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने सम्बन्धी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, समूह "ग" और "घ" में सीधी भर्ती वाले उन कर्मचारियों को जो कम से कम एक वर्ष की अवधि से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं, कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन एक बार **स्वस्थाने** पदोन्नति दिए जाने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

उपभोक्ता संरक्षण कोष

[अनुवाद]

3756. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी स्टॉक एक्सचेंजों में उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिनके अब तक ये कोष स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(घ) वहां ये कोष शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, नहीं । अहमदाबाद बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लुधियाना, मद्रास, कानपुर और बड़ौदरा स्थित स्टॉक एक्सचेंजों में उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापित किए गए हैं ।

(ग) जिन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों का कारोबार हो रहा है, उनमें से निम्नलिखित स्थानों पर स्थित स्टॉक एक्सचेंजों ने अभी तक उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापित नहीं किया :—

बंगलौर	भुवनेश्वर
कोचीन	जयपुर
मंगलौर	इन्दौर
पटना	पुणे
राजकोट	

(घ) सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंजों से यथाशीघ्र उपभोक्ता संरक्षण कोष स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है ।

सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली

3757. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वित्त मंत्री 6 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक सिगरेट निर्माता कम्पनी से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	तलाशी की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि (लाख रुपयों में)	अपनायी गयी कार्य-प्रणाली	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स जी० टी० सी० इण्डस्ट्रीज लि० तथा अन्य	20-1-86	25-3-86 4-4-86 23-4-86 22-9-86	743.84 1382.89 574.87 402.23 3103.83	पार्टी सिगरेटों को बाजार में मुद्रित मूल्य से अधिक दरों पर बेच रही थी।	गवाहों से पूछताछ की जा रही है।
2.	मैसर्स एन० टी० सी० लि० एवं अन्य	12-8-86	30-9-86 1-10-86	2813.78 9755.56 12569.34	सिगरेटों की चोरी-छिपे निकासी और कम-मूल्यांकन किया जाना	(क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले को समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुंटूर को अनन्तिम निर्धारण के लिए वापस भेजा गया था जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
						(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, दिल्ली ने प्रभागीय सहायक समाहर्ता को अन्तिम निर्धारण करने के लिए तथा अन्तिम निर्धारणों के पूरा होने के बाद न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सूचित करने के लिए अन्तरिम निर्देश जारी किए हैं।
3.	मैसर्स आई० टी० सी० लि० तथा अन्य	17-2-87	27-3-87	80377.97	कम मूल्यांकन और समायोजित बिक्री मूल्य पर निर्धारण के लिए अधिसूचना के अनुसार शुल्क की निम्न दर का लाभ उठाने के लिए सिगरेटों के पैकेटों पर कम मूल्य अंकित किया जाना	गवाहों से पूछताछ की जा रही है।
4.	मैसर्स आई० टी० सी० लि०, मुंघेर	17-2-87	3-7-87	3981.00	उपर्युक्त क्रम सं० 3 में दिए गए अनुसार	न्यायनिर्णयन सम्बन्धी कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7
5.	मैसर्स एशिया टोबैको कं०, होसर तथा मैं० आई० टी० सी० लि०	17-2-87	19-5-87	1045.16	—वही—	मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने सहायक समाहर्ता को निर्धारणीय मूल्य को नये सिरे से निर्धारित करने के निदेश दिए थे, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली द्वारा मूल आदेश सं० 1/91 दि० 19-2-91 के अनुसार कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया गया है।
6.	मैसर्स आई० टी० सी० लि०, मुंघेर		2-7-87	406.35	तम्बाकू का कम मूल्यांकन	न्यायनिर्णयन सम्बन्धी कार्रवाई चल रही है।
				101433.65		

बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों की नामजदगी

3758. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1991 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार निदेशकों (पूर्व सरकारी निदेशकों को छोड़कर) के नाम क्या हैं;

(ख) 1 अक्तूबर, 1991 को बोर्डों में बैंकवार रिक्तियों की संख्या क्या थी और उन्हें कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(ग) गैर-सरकारी निदेशकों की नामजदगी के लिए सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक और 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के केन्द्रीय बोर्ड में 1 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार कार्यरत गैर-सरकारी निदेशकों के नाम और रिक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार ने रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कारंवाई पहले ही शुरू कर दी है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के केन्द्रीय बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति क्रमश: भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 एवं 1980 में निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है।

विवरण

बैंक का नाम	गैर-सरकारी निदेशकों के नाम	गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियों की सं०
1	2	3
स्टेट बैंक आफ इंडिया केन्द्रीय बोर्ड	(i) डा० वाई० बी० अब्बा सायुलू	6*
	(ii) श्री एल० आर० नाइक	
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	(i) श्री राम लाल ठाकुर	5
	(ii) डा० बी० सी० जैन	
	(iii) श्री टी० टी० वसु	
	(iv) श्री अजीज गुलाम हुसैन लालानी	
बैंक आफ इंडिया	(i) श्री बाली राम राय	3
	(ii) श्री शमशेर सिंह डुल्ले	
	(iii) श्री एस० एल० पासी	

1	2	3
	(iv) श्री एस० एस० कोठारी	
	(v) श्री जी० आर० शास्त्री	
	(vi) श्रीमती मोनिका दास	
पंजाब नेशनल बैंक	(i) श्री सलामत उल्लाह	4
	(ii) श्री इरसाद हुसैन	
	(iii) श्री बंसी लाल डोगरा	
	(iv) डा० सुरेन्द्र पी० एस० पृथी	
	(v) श्रीमती कृष्णा कौल	
बैंक आफ बड़ौदा	(i) श्रीमती इंदिरा मायाराम	3
	(ii) श्री रवीन्द्र प्रसाद जोशी	
	(iii) अश्फाक अहमद वजीरी	
	(iv) श्री बहुरा इक्का	
	(v) श्री रवी शंकर	
	(vi) श्री श्रीनाथ चतुर्वेदी	
यूको बैंक	(i) श्री मनोज जोशी	3
	(ii) श्रीमती तारा गुप्ता	
	(iii) श्री सुभाष दत्ता	
	(iv) श्री मोहनजीत सिंह	
	(v) श्री आर० टी० रिमबाई	
	(iv) श्री विक्रम वालजीभाई देसाई	
केनरा बैंक	(i) श्री ओ० पी० कनागली	4
	(ii) श्री उमेश चन्द्र	
	(iii) श्री बिपन मल्लिक	
	(iv) श्रीमती शगुफ्ता खान	
	(v) श्रीमती सरयू दफ्तरी	
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	(i) श्री चन्द्र प्रकाश मेहरा	7
	(ii) श्री जगन्नाथ सिन्हा	

1	2	3
देना बैंक	(i) श्री दिपांकर चटर्जी	5
	(ii) श्री के० एन० पटेल (चौधरी)	
	(iii) श्री बी० जी० कलांत्री	
	(iv) डा० धर्मेन्द्र भण्डारी	
सिंडिकेट बैंक	(i) सुश्री जया अरुणाचलम	5
	(ii) श्री पीरजादा वजी-उर-रहमान सफवी (वजीह)	
	(iii) श्री पी० के० प्रधान	
	(iv) श्री दिनेश मेहुता	
यूनियन बैंक आफ इंडिया	(i) श्री श्रीपाल सिंघी	3
	(ii) श्री श्रीमती मल्लाजमा	
	(iii) श्री एम० कल्याणसुन्दरम	
	(iv) श्री विवेक मेहुता	
	(v) श्री शलाभ शर्मा	
	(iv) श्री डी० जी० पाटिल	
इलाहाबाद बैंक	(i) श्रीमती सुमन लता	3
	(ii) श्री ए० एन० जग्गी	
	(iii) श्रीमती रेहाना बेगम	
	(iv) श्री पी० के० शर्मा	
	(v) श्री पी० एन० शाह	
	(vi) प्रो० मोहम्मद शबीर खान	
इंडियन बैंक	(i) श्री शुभकरण लुहारूका	5
	(ii) श्री पी० एल० सुब्बैया	
	(iii) श्री करुणा कान्त दत्त	
	(iv) श्री संजीव कपूर	
बैंक आफ महाराष्ट्र	(i) श्रीमती विनीता गोस्वामी	4
	(ii) श्रीमती मुकुल झा	
	(iii) श्री आर० एन० घृत	

1	2	3
	(iv) श्री निर्मल घोष	
	(v) श्री मदन बर्मा	
इंडियन ओवरसीज बैंक	(i) श्री बदूर ए० वेनुगोपाल	4
	(ii) श्री बी० सीताराम अचारी	
	(iii) डा० (कुमारी) एस० विजय लक्ष्मी	
	(iv) श्री सी० बी० मौली	
	(v) डा० इफ्तखार अहमद खान	
आन्ध्रा बैंक	(i) श्रीमती पुष्पा विजय राव बोन्दे	4
	(ii) श्री पी० राजगोपाल नायडू	
	(iii) प्रो० राम लाल कौशिक	
	(iv) श्री राजकुमार नागरथ	
	(v) श्री प्रीति पाल सिंह	
कारपोरेशन बैंक	(i) श्री आर० डी० तुलसीराम	3
	(ii) श्री एस० टी० पद्‌मनाभ	
	(iii) श्री वेंकटरमन शेट्टी	
	(iv) श्री युगराज भदौरिया	
	(v) श्री पी० डी० दलाल	
	(vi) कर्नल बरतेन्द्र सिंह	
न्यू बैंक आफ इंडिया	(i) श्री जगपत दुबे	4
	(ii) श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा	
	(iii) श्री पी० एन० झा	
	(iv) श्री बी० एम० सरीन	
	(v) कुमारी सेलजा कुमारी	
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	(i) श्री रत्तन लाल दिवान	3
	(ii) श्री हबीबुर रेहमान नोमानी	
	(iii) बलवंत राय कपूर	
	(iv) श्री अशोक विज	

1	2	3
	(v) प्रो० मधु गार्गव	
	(vi) श्री गजानंद दिरोलिया	
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	(i) श्रीमती संतोष चौधरी	6
	(ii) श्री सी० ए० थोबड़े	
	(iii) श्री आचार्य भगवान देव	
विजया बैंक	(i) श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स	5
	(ii) श्री एम० जी० शशिधरन	
	(iii) श्री बी० के० राव	
	(iv) श्री जे० एस० कोचर	

*इन में उन गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियां भी शामिल हैं, जिनकी कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है तथा जिनको बदला जाना है। पुन नियुक्ति की जानी है।

रुपए के अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात में वृद्धि

37:9. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपए का अवमूल्यन करने के पश्चात् निर्यात में विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी वृद्धि हुई हैं;

(ख) वर्ष 1990 की तुलना में 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर, 1991 को निर्यात की अन्तः वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) निर्यात के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें उक्त (ख) से वृद्धि दर अधिक रिकार्ड की गई हैं;

(घ) आयात करने वाले ऐसे कौन से देश हैं जहां से निर्यात में उक्त (ख) से अधिक वृद्धि दर रिकार्ड हुई है; और

(ङ) 1 जुलाई तथा 1 अक्तूबर, 1991 को व्यापार संतुलन की स्थिनि क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। भारत के निर्यात का मासिक स्तर जून, 1991 के 1225 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर जुलाई, 1991 में 1301 मिलियन अमरीकी डालर एवं अगस्त, 1991 में 1343 मिलियन अमरीकी डालर तथा फिर सितम्बर, 1991 में बढ़कर 1412 मिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(ख) अंतः वार्षिक वृद्धि दर का संकलन संचयी मासिक आधार पर किया जाता है औरयह सितम्बर, 1991 तक का उपलब्ध है। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात में अप्रैल-जून 1991 और

अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान पिछले वर्ष की इन्हीं अवधियों की तुलना में, रुपए के रूप में क्रमश: 10.1% तथा 23.9% की वृद्धि हुई है।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उन वस्तु क्षेत्रों ने जिनमें उपर्युक्त (ख) की तुलना में उच्चतर वृद्धि हुई, उनमें खाद्यान्न (57.7 प्रतिशत) तम्बाकू (77.4 प्रतिशत), मसाले (42.71 प्रतिशत), काजूगिरी (45.5 प्रतिशत), संसाधित खाद्य (45.9 प्रतिशत), मांस और मांस उत्पाद (65.5 प्रतिशत), समुद्री उत्पाद (54.8 प्रतिशत), अयस्क और खनिज (47.8 प्रतिशत), रत्न और आभूषण (28.5 प्रतिशत), रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद (29.8 प्रतिशत), वस्त्र (33.2 प्रतिशत), कालीन (58.5 प्रतिशत), इत्यादि शामिल हैं।

(घ) वे मुख्य देश, जिनको किए गए निर्यातों में अप्रैल-सितम्बर 1991 में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उपर्युक्त (ख) की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई, उनमें बेल्जियम (33.4 प्रतिशत), नीदरलैण्ड (58.6 प्रतिशत), स्वीटजरलैण्ड (24.1 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया (34.8 प्रतिशत), ईरान (75.6 प्रतिशत), जापान (40.8 प्रतिशत), कोरिया गणराज्य (112 प्रतिशत), मलेशिया (101.9 प्रतिशत), सिंगापुर (30.8 प्रतिशत), हांगकांग (59.6 प्रतिशत) थाईलैंड (35.7 प्रतिशत), सऊदी अरब (57.4 प्रतिशत), यू० ए० ई० (83.6 प्रतिशत), कनाडा (46.6 प्रतिशत), यू० एस० ए० (34.9 प्रतिशत) इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) व्यापार घाटे के आंकड़े संचयी मासिक आधार पर संकलित किए जाते हैं। अप्रैल-जून 1991 की अवधि के दौरान 1502 करोड़ रु० का व्यापार घाटा हुआ जो अप्रैल-जून 1990 के दौरान हुए 11876 करोड़ रु० के व्यापार घाटे की तुलना में 20 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, अप्रैल-सितंबर 1991 की अवधि के दौरान 2356 करोड़ रु० का व्यापार घाटा हुआ जो अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान हुए 4234 करोड़ रु० के घाटे की तुलना में 44.4 प्रतिशत कम है।

महिला उद्यमियों को सहायता

3760. **श्री बासवा राजेश्वरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिला उद्यमियों को उच्च प्रौद्योगिकी गुणवत्ता उत्पादों के निर्माण तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आक्रामक विपणन रणनीति अपनाने के लिए सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग का कार्यालय देश भर में स्थित अपने लघु उद्योग सेवा संस्थाओं (एस० आई० एस० आई०) के नेटवर्क के जरिए महिला उद्यमियों के विकास हेतु नियमित रूप से पृथक कार्यक्रमों का संचालन करता है। संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं : (i) सामान्य तथा (ii) उत्पाद तथा प्रक्रिया-उन्मुख उद्यमी विकास कार्यक्रम। विदेशी बाजारों की पहचान, निर्यात क्रियाविधियों निर्यात प्रलेखन इत्यादि से संबंधित विभिन्न निर्यात विपणन पाठ्यक्रमों में भी महिला उद्यमियों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त,

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई० आई० एफ० टी०) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी-कम्पनियों के शेयरों की बिक्री

3761. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने सलाह दी है कि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को परस्पर सहमति बनाए निजी कम्पनियों के एक प्रतिशत से अधिक की पत्र-राशि के किसी शेयर को बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने इस बारे में प्रारूप संहिता तैयार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड ने सूचीबद्ध कम्पनियों में पर्याप्त अर्जन के लिए प्रारूप (ड्राफ्ट) विनियमन पर परामर्श-दात्री-पत्र तैयार किया है।

(ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं तथा पारस्परिक निधियां किसी कम्पनी की चुकता पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के किन्हीं शेयरों को बातचीत के जरिए चाहे वह एकल लेन-देन हो अथवा अन्यथा एक ही व्यक्ति को अथवा सामूहिक तौर पर कार्यरत व्यक्तियों को तब तक नहीं बेचेंगी, जब तक वे शेयरों के ब्लाक को बेचने का इरादा, बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या एवं कीमत की सार्वजनिक घोषणा न कर दें और जब तक वे अन्य बोली-कर्ताओं को अवसर न दें अथवा घोषणा की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अन्य ऑफरों पर विचार करके उच्चतम बोली को स्वीकार न कर लें।

(घ) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित प्रारूप विनियमन पर परामर्शदात्री-पत्रों को अन्तिम रूप दिए जाने का उत्तरदायित्व भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड का है।

कोचीन स्टॉक एक्सचेंज के विरुद्ध शिकायतें

3762. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। कोचीन स्टाक एक्सचेंज आथोराइज्ड असिस्टेंट्स एसोसिएशन से एक्सचेंज के अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रति इस मन्त्रालय को पृष्ठांकित की है। ज्ञापन में शामिल मुख्य बातों में आथोराइज्ड असिस्टेंट्स द्वारा प्रदान की गई सीमान्त बचतों/शेयरों की सुरक्षा, शेयरों का समय पर प्रेषण और अनुसूची के अनुसार शेयरों की बिक्री से प्राप्त भुगतानों का सुनिश्चय करना है। एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा शेयर प्रमाण-पत्रों को न भेजने और एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा ग्राहकों के लिए खरीदे गए शेयरों में हेरफेर करने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रतिभूतियों में व्यापार करने के सम्बन्ध में एक्सचेंज के उप-नियम और विनियमों में प्रवर्तन और एक्सचेंज के सुप्रबन्ध की मुख्य जिम्मेदारी स्टाक एक्सचेंज के प्राधिकारियों में निहित है। कोचीन स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें आवश्यक कारंवाई और निपटान के लिए एक्सचेंज को भेज दी गई हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशियां

3763. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार बैंक-वार, जमाराशियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पहली नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 289 बैंकों की कुल जमाराशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (अन्तर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) कुल जमाराशियां (अद्यतन उपलब्ध)

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1 नवम्बर, 1991
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	49831.4
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	11198.7
3.	पंजाब नेशनल बैंक	13250.4
4.	बैंक आफ इण्डिया	12075.9
5.	बैंक आफ बड़ौदा	11089.2

1	2	3
6.	केनरा बैंक	11796.1
7.	सिंडिकेट बैंक	6115.1
8.	यूनाइटेड कार्मशियल बैंक	5752.5
9.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	7078.6
10.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	4788.1
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	5788.2
12.	इण्डियन बैंक	6789.8
13.	देना बैंक	3074.2
14.	बैंक आफ महाराष्ट्र	3122.7
15.	इलाहाबाद बैंक	5920.0
16.	आन्ध्रा बैंक*	1765.6
17.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2580.5
18.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1991.2
19.	विजया बैंक	2430.0
20.	ओरियन्टल बैंक आफ इण्डिया	3070.6
21.	कारपोरेशन बैंक	1778.4
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद*	1640.6
23.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2245.0
24.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	2319.5
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2434.6
26.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1563.5
27.	स्टेट बैंक आफ सोराष्ट्र	1157.9
28.	स्टेट बैंक आफ इन्दोर	1139.0
	कुल :	183797.7

*ये आंकड़े 4 अक्तूबर, 1991 से सम्बन्धित है ।

पुराना मांडवी पुल

3764. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में पुराने मांडवी पुल पर निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी कि इस पुल का निर्माण कार्य जून, 1992 तक निश्चित रूप से पूरा हो जाए; और

(ग) आज तक ठेकेदार को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पुराने ढांचे को गिराने के कठिन कार्य और जांच तथा नींव को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त कार्य के कारण गत समय में कार्य की प्रगति धीमी रही। कार्य की प्रगति में अब सुधार आया है। राज्य लोक निर्माण विभाग तथा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पुल का निर्माण कार्य शीघ्रतम पूरा हो।

(ग) नवम्बर, 1991 तक ठेकेदार को कुल 494.97 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3765. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कच्चे जूट की प्रचूर मात्रा में सप्लाई के बावजूद राज्य में जूट उद्योग का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए जोर दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पटसन आधुनिकीकरण निधि में से 15-11-91 तक 13 पटसन मिलों को 31.91 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

(ग) और (घ) सरकार का यह विचार है कि रूग्णता की समस्या का निवारण अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण में निहित नहीं है और सरकार नियम के तौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार ने रूग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, पटसन अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए विशेष पटसन निधि की स्थापना, खाद्यान्न, चीनी, सीमेंट तथा यूरिया के लिए जूट पैकेजिंग के अनिवार्य प्रयोग का कानून बनाना, अनुसन्धान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

करना, तथा उत्पाद विविधिकरण कार्यक्रम, लागत जमा आधार पर बी० ट्विल बोरों की नियमित खरीद, उत्पाद शुल्क की छूट, रियायती आयात शुल्क, वितरण सहायता सुविधाएं प्रदान करके विविधीकरण को प्रोत्साहन देना आदि। सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए उपचारात्मक, निषेधात्मक तथा सुधारात्मक कदमों को सुनिश्चित करने तथा उन्हें लागू करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण की स्थापना भी की है।

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार

3766. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त आयोग की पिछले महीने नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार से सम्बन्धित किन-किन मसलों पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यह बैठक जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रोफरेन्स (जी० एस० पी०), मल्टीफाइबर एग्रीमेंट (एम० एफ० ए०) और एन्टी डम्पिग ट्रेड प्रोमोशन प्रोग्राम्स में शामिल भारतीय उत्पादों की बाजार तक पहुंच और औद्योगिक सहयोग सहित सहयोग में नए आयामों के मुद्दों को उठाने में कितनी सफल रही ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत यूरोपीय समुदाय संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में दिनांक 13 तथा 14 नवम्बर, 1991 को आयोजित बैठक में औद्योगिक डिजाइन, मशीनी औजारों, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के उपस्करों, आदि के क्षेत्रों में व्यापार सहयोग के चल रहे क्रियाकलापों की जांच करने के अलावा व्यापार सबर्धन कार्यक्रमों, मानकों गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणन के सम्बन्ध में आर्थिक सहयोग तकनालाजी सूचना केन्द्र और संयुक्त व्यापार मंच स्थापित करने के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी, दूरसंचार, विज्ञान एवं तकनालाजी तथा डेरी विकास (आपरेशन फ्लड) के क्षेत्रों में निष्पादित भारत-यूरोपीय समुदाय सहयोग की भी समीक्षा की गई और पर्यटन, मत्स्यकी एवं पर्यावरण को भावी सहयोग हेतु संभाव्य क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया। संयुक्त आयोग ने भारत में सीधे ही पूंजीनिवेश को बढ़ाने के बारे में भारतीय वित्तीय संस्थाओं को ई० सी० इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेंट पार्टनर स्कीम की सुविधाएं प्रदान करने हेतु यूरोपीय आयोग तथा तीन विकास बैंकों द्वारा हस्ताक्षरित करार की जटिलताओं पर भी विचार-विमर्श किया।

संयुक्त आयोग की बातचीत के दौरान भारत सरकार ने बाजार प्रवेश के बारे में अपनी चिन्ता दोहराई और अतिरिक्त उत्पाद कवर करने तथा ई० सी० जी० एस० पी० स्कीम में सुधार का मुद्दा उठाया। भारतीय पक्ष ने भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उद्गम-नियमों के प्रश्न और पाटनरोधी कार्रवाई से छोटे सप्लायरों को बाहर रखने की आवश्यकता और पाटनरोधी कार्रवाई आरम्भ करने से पहले ही कोई कारगर परामर्शी तन्त्र गठित करने के मुद्दों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, आगे बढ़ाए गए बहुरेशा करार के अधीन वस्त्र उत्पादों के निर्यात हेतु वर्ष 1992 के लिए द्विपक्षीय कोटे में वृद्धि करने पर भी बल दिया गया। यूरोपीय समुदाय ने भारत की चिन्ता को नोट किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर घोंडा के निकट पुल का निर्माण

[हिन्दी]

3767. श्री बारे लाल जाटव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 13 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर घोंडा के निकट नदी पर नए पुल के निर्माण के बारे में तकनीकी बारीकियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी तकनीकी बारीकियों को अन्तिम रूप देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकार से सम्पूर्ण सूचना/आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरकारी निवेश पर अतिदेय तथा ह्रास

[अनुवाद]

3768. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सरकारी निवेश पर अतिदेय तथा ह्रास की कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1989, मार्च, 1990 तथा सितम्बर, 1990 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल अतिदेय की रकम और कुल बकाया के प्रतिशत के रूप में अतिदेय की राशि इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 89	मार्च, 90	सितम्बर, 90
कुल बकाया	52896.69	63970.99	63646.48
कुल अतिदेय	9067.69	10961.45	11612.06
बकाया के प्रतिशत के रूप में अतिदेय	17.1 प्रतिशत	17.1 प्रतिशत	18.2 प्रतिशत

जहां तक सरकार के निवेशों पर मूल्यह्रासों की राशियों का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार ऐसी सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

व्यापार मेले

3769. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विदेशों में कितने व्यापार मेले आयोजित किए गए और किन-किन स्थानों पर इन्हें आयोजित किया गया;

(ख) उन मेलों में प्रचार हेतु कौन-कौन सी प्रदर्शित प्रमुख मदें रखी गई थी;

(ग) इन मेलों को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(घ) इस अवधि में इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इन मेलों से कितना लाभ हुआ;

(ङ) क्या इन व्यापारिक मेलों के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क)

भारत में			विदेश में		
1989	—	6	1988-89	—	40
1990	—	6	1989-90	—	44
1991	—	9	1990-91	—	38

आयोजित किए गए मेलों के नाम और स्थानों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण I से III (विदेश में मेले) और विवरण IV (भारत में मेले) में दिया गया है।

(ख) (अ) **भारत**

इन मेलों में प्रदर्शित की गई मदों का क्षेत्र काफी व्यापक था। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कच्चे माल सहित उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर पूंजीगत माल मशीनें और उपकरण, सभी प्रकार के उत्पाद, मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। आहार मेले में, सभी खाद्य उत्पाद, खाद्य संशोधन मशीनें और उपकरण, होटल और रेस्टोरेन्ट उपकरण और खाद्य सामग्रियों का प्रदर्शन किया जाता है। "इण्डिया पैक" में सभी प्रकार की मुद्रण एवं पैकेजिंग मशीन तथा उपकरण और इनसे सम्बन्धित सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। चर्म मेले में, मशीनों और तकनीक सहित चर्म से सम्बन्धित सभी मदों का प्रदर्शन किया जाता है। एलेक्ट्रानिक्स प्रदर्शनी के अन्तर्गत कम्प्यूटर, साफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूर-संचार तथा संचार एलेक्ट्रानिक्स इत्यादि रहते हैं। सुरक्षा प्रदर्शनी के अन्तर्गत सुरक्षा यंत्र, उपकरण और तकनीक का प्रदर्शन होता है। टेक्स इण्डिया, सजावट और कंज्यूमेक्स उपभोक्ता सामानों की प्रदर्शनियां होती हैं।

(ब) विदेश

वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण (टी० एफ० ए० आई०) द्वारा आयोजित किए गए मेलों के ब्यौरे/जगह, तिथि और प्रदर्शन हेतु उत्पादों को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध I से III में संलग्न है।

(ग) (अ) भारत

इन प्रदर्शनियों के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(i) व्यापार में वृद्धि करना (ii) प्रदर्शित किए जा रहे उत्पादों का प्रचार करना (III) तथा व्यापार और उद्योग में किए जा रहे विकास के बारे में साधारण जनता को शिक्षित करना। उपभोक्ता सामान प्रदर्शनियों का उद्देश्य काउन्टर बिक्री को प्रोत्साहन देना होता है।

(ब) विदेश

विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है—भारत की औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षमताओं को दिखाना और कारोबार सम्भावनाओं तथा व्यापार संवर्धन के लिए पारस्परिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना।

(घ) (अ) भारत

इन प्रदर्शनियों पर प्रतिवर्ष औसतन 8.80 करोड़ रु० का खर्च होता आ रहा है। व्यापार बढ़ाने तथा प्रदर्शित किए गए उत्पादों का प्रचार करने में इन प्रदर्शनियों को काफी हद तक सफलता मिली है। काफी संख्या में लोग इन प्रदर्शनियों को देखते हैं।

(ब) विदेश

वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 मे 34.00 करोड़ रु० का खर्च हुआ तथा इन मेलों के दौरान, उस जगह पर बिक्री सहित बुक किया गया कारोबार 1355.45 करोड़ रु० का हुआ।

(ङ) और (च) टी० एफ० ए० आई० का वर्ष 1993 में दो प्रदर्शनियों अर्थात् (i) जनवरी, 1993 में बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय रेशम मेला (ii) अप्रैल "93 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वाटर इण्डिया" 93 शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

1988-89 का मेलों/प्रदर्शनियों का टी० एफ० ए० आई० का कार्यक्रम

क्रम सं०	मेले का नाम	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
(क) सामान्य अन्तरराष्ट्रीय मेले :			
1.	मिलान अन्तरराष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली)	14-21 अप्रैल, 1988	हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, उपहार एवं सजावटी सामान,

1	2	3	4
			सिले-सिलाए परिधान, कालीन, चमड़ा एवं चमड़े से निर्मित वस्तुएं।
2.	अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला, ब्रनो (चेकोस्लोवाकिया)	16-21 अप्रैल, 1988	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान जैसे घरेलू साज-सज्जा का सामान, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, रसोई के उपकरण, कार्यालय उपकरण, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, खेल-कूद का सामान, चाय, काफी और समुद्री उत्पाद इत्यादि।
3.	ओसाका अन्तरराष्ट्रीय मेला ओसाका (जापान)	23-30 अप्रैल, 1988	वस्त्र, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, समुद्री उत्पाद इत्यादि।
4.	जिम्बाब्वे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, बुलवायो (जिम्बाब्वे)	23-30 अप्रैल, 1988	भारी एवं हल्के इन्जीनियरी उत्पाद, रसायन, वस्त्र, उपभोक्ता सामग्री।
5.	पोजनान अन्तरराष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैण्ड)	12-19 जून, 1988	मोपेड और स्कूटर, हल्के इन्जीनियरी सामान, रसोई उपकरण इत्यादि, थर्मस फ्लास्क, प्रसंस्कृत खाद्य ,पदार्थ, चाय और काफी इत्यादि।
6.	बुखारेस्ट अन्तरराष्ट्रीय मेला, बुखारेस्ट (रोमानिया)	12-22 अक्तूबर, 1988	दूरसंचार हेतु मशीनें और उपकरण, विद्युतीय इन्जीनियरी, पावर जनरेशन, धातु कार्य, लुगदी और पावर उद्योग और हल्के उद्योग हेतु मशीनें, कृषि उत्पाद और खाद्य पदार्थ।
7.	विदेशी आयात मेला, "प्रगति हेतु साझीदार" बर्लिन (जर्मन संघीय गणराज्य)	7-11 सितम्बर, 1988	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, परिधान, हस्तशिल्प, कालीन, सजावटी सामान और उपहार की वस्तुएं।

1	2	3	4
8.	नैरोबी अन्तरराष्ट्रीय कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी (केन्या)	27 सितम्बर—1 अक्तूबर, 1988	कृषि-मशीनें, भारी और हल्की मशीनों के उपकरण, दस्ती औजार, रसायन एवं उर्वरक, वस्त्र, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, लघु उद्योग एकक और कृषि उत्पाद इत्यादि।
9.	बगदाद अन्तरराष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक)	1-15 नवम्बर, 1988	सभी प्रकार का भारी और हल्का इन्जीनियरी सामान यथा कृषि मशीनें, रोलिंग स्टाक, भारी एवं हल्के वाहन, हार्डवेयर, चाय, काफी, काजू, वस्त्र और सिले सिलाए परिधान, जूट और जूट उत्पाद इत्यादि।
10.	आस्ट्रेलिया द्विशतवार्षिकी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	23-31 जुलाई, 1988	हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, उपहार एवं साज-सज्जा सामग्री, सिले-सिलाए परिधान, कालीन और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, काफी, मशीनी औजार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
11.	बुडापेस्ट अन्तरराष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी)	23 सितम्बर—2 अक्तूबर, 1988	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्ची सामग्री, लकड़ी, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन और भवन निर्माण उद्योगों हेतु मशीनें, अर्थमूविंग उपकरण, मोटर कार और ट्रक, औद्योगिक उपभोक्ता सामान, सिले-सिलाए परिधान, फलों का रस, काफी और चाय।
12.	सिट्रा-अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, सिओल (दक्षिण कोरिया)	10 अक्तूबर—1 नवम्बर, 1988	दस्ती औजार, वस्त्र परिधान, साज-सज्जा का सामान, खेल-कूद का सामान और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य

1	2	3	4
			पदार्थ, उपहार वस्तुएं और अन्य उपभोक्ता सामान इत्यादि ।
13.	डकार अन्तरराष्ट्रीय मेला, डकार (सेनेगल)	24 नवम्बर— 4 दिसम्बर, 1988	हल्का इन्जीनियरी सामान, आटो मोटर, मशीनें और पूंजीगत सामान, खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, बिजली का सामान, फैन्सी वस्तुएं, आभूषण, बर्तन, जूट एवं नारियल रेशा से निर्मित वस्तुएं, खेल-कूद का सामान, परिधान, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रसायन और भेषजीय उत्पाद और वस्त्र इत्यादि ।
14.	बसंत हार्ड-वेयर और हाउस वेयर मेला, बर्मिंघम (यूनाइटिड किंगडम)	22-26 जनवरी, 1989	दस्ती और पावर औजार, घरेलू साज-सज्जा का सामान, ताले और ताले की फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह के उपकरण, गार्डन फर्नीचर और इससे सम्बन्धित सामान ।
15.	अन्तरराष्ट्रीय बसंत मेला, बर्मिंघम (यू० के०)	5-9 फरवरी, 1989	ब्रास वेयर, घरेलू साज-सज्जा का सामान, हस्तशिल्प और उपहार वस्तुएं ।
16.	लिप्जिग बसंत मेला, लिप्जिग (जर्मन संघीय गणराज्य)	12-18 मार्च, 1989	दस्ती औजार, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, कटलरी, भवन निर्माण सामग्री, खेल और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रसायन, नारियल उत्पाद, काफी, चाय, तम्बाकू और समुद्री उत्पाद ।
17.	सेविट "89 मेला, हेनोवर (जर्मन जनवादी गणराज्य)	21-28 मार्च, 1989	कार्यालय और दूरसंचार उपकरण ।

1 2	3	4
18. अन्तरराष्ट्रीय बसंत मेला, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	27 फरवरी— 10 मार्च, 1989	भारी और हल्का इन्जीनियरी सामान, औद्योगिक मशीनें, हार्ड-वेयर और दस्ती औजार, विद्युत उपकरण एवं सहायक सामान, सिले-सिलाए परिधान, भारी और हल्के वाहन, उर्वरक और सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान इत्यादि।
(ख) विशेषीकृत वस्तु मेले :		
1. इन्टरस्टफ अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	10-12 अप्रैल, 1988	वस्त्र एवं परिधान।
2. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, हांग कांग	3-6 मई, 1988	कपड़ा निर्मित वस्तुएं।
3. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा सामान प्रदर्शनी, न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	9-11 मई, 1988	चमड़ा निर्मित वस्तुएं।
4. स्टार मेला मिलान (इटली)	19-23 मई, 1988	साज-सज्जा के वस्त्र, पर्दे कालीन, अपहोल्स्ट्री वस्त्र, बाल कवरिंग और घरेलू लिनेन इत्यादि।
5. आस्ट्रेलिया अन्तरराष्ट्रीय इन्जीनियरी प्रदर्शनी मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	अगस्त, 1988	इन्जीनियरी सामान।
6. अमेरिका राष्ट्रीय जूता मेला, न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	6-9 अगस्त, 1988	फुटवियर।
7. राष्ट्रीय हार्ड-वेयर शो शिकागो (यू० एस० ए०)	14-17 अगस्त, 1988	सभी प्रकार का हार्ड-वेयर सामान।
8. अन्तरराष्ट्रीय मशीन टूल्स शो शिकागो (यू० एस० ए०)	7-15 सितम्बर, 1988	मशीनी औजार और सहायक सामान।
9. सीमेन डु-कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस)	3-6 सितम्बर, 1988	चमड़ा एवं चमड़ा निर्मित सामान।

1	2	3	4
10.	प्रेट-ए-पोर्टर मेला, पेरिस (फ्रांस)	18-22 सितम्बर, 1988	महिलाओं के लिए सिले-सिलाए परिधान एवं सम्बन्धित सामान।
11.	आई० एफ० एम० ए०- अन्तरराष्ट्रीय बाइसिकल और मोटर साइकिल प्रदर्शनी, क्लोन (एफ० आर० जी०)	21-25 सितम्बर, 1988	बाइसिकल और बाइसिकल के हिस्से-पुर्जे, मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड इत्यादि।
12.	इन्टरस्टफ अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	25-27 अक्तूबर, 1988	वस्त्र परिधान।
13.	सियाल खाद्य उत्पाद प्रदर्शनी, पेरिस (फ्रांस)	20-2। अक्तूबर, 1988	खाद्य उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
14.	हिम्टेक्सटिल मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	11-14 जनवरी, 1989	घरेलू साज-सज्जा के वस्त्र, पर्दे, कालीन, वाल कवरिंग और सभी प्रकार का घरेलू साज-सज्जा का सामान।
15.	प्रेट-ए-पोर्टर डु केमिनिन पेरिस (फ्रांस)	10-14 फरवरी, 1989	महिलाओं के लिए सिले-सिलाए परिधान और सम्बन्धित सामान।
16.	अन्तरराष्ट्रीय खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी, लन्दन (यू० के०)	1-4 फरवरी, 1989	खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ।
17.	अन्तरराष्ट्रीय हार्ड-वेयर शो क्लोन (जर्मन संघीय गणराज्य)	5-8 मार्च, 1989	हार्ड-वेयर, औजार, ताले एवं इनकी फिटिंग, भवन निर्माण सामग्री और डी-आई-वाई सप्लाइज।
18.	होटर्स एवं फूडेक्स मेला, टोक्यो (जापान)	मार्च, 1989	होटल उपकरण और खाद्य उत्पाद।
19.	डोमोटेक्स मेला, हेनोवर (जर्मन संघीय गणराज्य)	9-12 जनवरी, 1989	हाथ से बुने कालीन।
(ग)	भारतीय प्रदर्शनियां :		
1.	भारतीय इन्जीनियरिंग प्रदर्शनी मास्को (रूस)	1-8 जुलाई, 1988	भारी एवं हल्का इन्जीनियरी सामान, वस्त्र एवं घरेलू साज-

1	2	3	4
			सज्जा का सामान, चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुएं, जूतों के ऊपरी भाग, मोटर गाड़ी के हिस्से-पुर्जे, दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक्स, साफ्टवेयर और सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं।
2.	भारतीय प्रदर्शनी, मारिशस	27-04 अगस्त/ सितम्बर, 1988	सभी प्रकार का इन्जीनियरी सामान, मशीनी औजार, दस्ती औजार, भारी एवं हल्के वाहन, विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक उपकरण, कृषि मशीनें और सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर और हार्ड-वेयर, सभी प्रकार के लोडर, परिधान और साड़ियां इत्यादि।
3.	भारतीय प्रदर्शनी, थाइलैण्ड	10-19 मार्च, 1989	हल्का और भारी इन्जीनियरी सामान, परियोजना और परामर्शी सेवाएं, काष्ठ और कागज मिल मशीनें, चावल मिल, वस्त्र और परिधान, उपहार वस्तुएं और हस्तशिल्प एवं सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान।

विवरण-II

वर्ष 1989-90 में विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों का टी० एफ० ए० आई० कार्यक्रम

क्रम सं०	मेले का नाम	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
(क) सामान्य अन्तरराष्ट्रीय मेले :			
1.	पोजनान अन्तरराष्ट्रीय मेला, पोजनान (पोलैण्ड)	जून" 89 (11—18)	मोपेड और स्कूटर, हल्का व भारी इन्जीनियरी का सामान, रसोई के उपकरण, थर्मस फ्लास्क, चमड़े का सामान, प्रसंस्कृत

1	2	3	4
			खाद्य पदार्थ, सूती वस्त्र, चाय व काफी इत्यादि ।
	2. बीजिंग अन्तरराष्ट्रीय मेला, बीजिंग (चीन)	जुलाई" 89 (14—23)	वस्त्र मशीनरी, इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता सामान, उर्वरक मशीनरी, पेट्रो रसायन, मानव निर्मित फाइबर खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण और पैकेजिंग कम्प्यूटर साफ्टवेयर, पावर जेनरेशन मशीनरी, कृषि उपकरण व ट्रैक्टर, वातानुकूलन और रेफ्रिजरेशन उपकरण, खोजबीन करने वाले (एक्सप्लोरेशन) उपकरण, संश्लिष्ट धागा, इलेक्ट्रानिक परीक्षण व मापन उपकरण, वायर रोप, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे, रसायन, भेषज (ढेर सी दवाइयां और इन्टरमीडिएट डाइज) लाइनर अल्कारल बेजेजोन, प्लाईवुड, प्रसंस्कृत हीरे, इलेक्ट्रानिक पुर्जे ।
	3. दमिश्क अन्तरराष्ट्रीय मेला, दमिश्क (सीरिया)	अगस्त/सितम्बर" 89 (28—10)	लोहे और इस्पात ट्यूबें, पाइप और फिटिंग, तार, पम्प, बिजली के घरेलू पंखे, दस्ती औजार और ब्लेड, चाकू, टूल टिप, पेट्रोल इंजन, बिजली की मोटर ट्रैक्टर और ट्रेलर, कम्बिनेशन, एक्सकेवेट लेवलिंग और बोरिंग मशीनरी, धातु काटने वाली मशीनी औजार, वैल्डिंग, कलई, कटाई व सोल्डरिंग मशीनें (बिजली की), औद्योगिक रेफ्रिजरेशन उपकरण, चूल्हों के बर्नर, सेन्ट्रीफ्यूज पंखे, ब्लोअर, माल उठाने व लादने की मशीनें, टेप, कॉक और वाल्व, ट्रांसमिशन शाफ्ट, पुलिज और क्रैंक, सर्किट, ब्रेकर, सेनिटरी और प्लम्बरिंग उपकरण, मशीनरी और परिवहन उपकरण, फल और सब्जियां, दवाइयां और भेषज पदार्थ, सूती धागा, फेब्रिक्स और मेड अप, टायर और ट्यूब, चाय, काफी, मसाले, रासायनिक उत्पाद,

1 2	3	4
		रंगाई चर्मशोधन व रंगाई का सामान, कन्वेयर बेल्ट ।
4. तेहरान अन्तरराष्ट्रीय मेला, तेहरान (ईरान)	सितम्बर" 89 (16—26)	सीमेंट के छोटे प्लान्ट, पावर जेनरेटिंग उपकरण, भारी और हल्के वाहन, हार्डवेयर, कृषि मशीनरी, चमड़े की मशीनें, रसायन, वस्त्र, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान व उपहार वस्तुएं ।
5. बुडापेस्ट अन्तरराष्ट्रीय शरद मेला, बुडापेस्ट (हंगरी)	सितम्बर-अक्तूबर" 89 (22—01)	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्चा माल, इमारती लकड़ी, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन उद्योग और भवन निर्माण उद्योग की मशीनरी अर्थ मूविंग उपकरण, मोटर कार और ट्रंक, सिलाई मशीन, टेप रिकार्डर, प्रसाधन सामग्री, चमड़े का सामान, मिले-सिलाये परिधान, फलों का रस, काफी व चाय आदि उपभोक्ता सामान ।
6. नेरोबी अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी नेरोबी (केन्या)	सितम्बर" 89 (26—30)	कृषि मशीनरी, भारी और हल्की मशीनरी, दस्ती औजार, रसायन और उर्वरक, वस्त्र, चमड़े का सामान, लघु औद्योगिक इकाइयां और कृषि उत्पाद आदि ।
7. विदेशी आयात मेला, "प्रगति के साझीदार" बर्लिन (जर्मनी)	सितम्बर" 89 (27—30)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, परिधान, हस्तशिल्प वस्तुएं, कालीन, सजावटी व उपहार वस्तुएं आदि ।
8. बगदाद अन्तरराष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक)	नवम्बर" 89 (01—15)	कृषि मशीनरी, रोलिंग स्टाक, हल्के व भारी वाहन आदि सभी प्रकार की भारी व हल्की इंजीनियरी का सामान, हार्डवेयर, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चाय, काफी, काजू, कपड़ा व तैयार परिधान, पटसन व पटसन की वस्तुएं ।
9. अन्तरराष्ट्रीय हार्डवेयर व हाउसवेयर	जनवरी" 90 (21—24)	दस्ती व विद्युत चालित औजार, घरेलू साज-सज्जा की वस्तुएं, ताले व तालों

1	2	3	4
	प्रदर्शनी, बर्मिंघम (यू० के०)		की फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई के उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह के उपकरण, गार्डन फर्नीचर व असेसरी आदि ।
10.	अन्तरराष्ट्रीय बसन्त मेला, बर्मिंघम (यू० के०)	फरवरी" 90 (05—09)	ब्रासवेयर, घरेलू साज-सज्जा की वस्तुएं, हस्तशिल्प व उपहार की वस्तुएं ।
11.	अन्तरराष्ट्रीय बसन्त मेला, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	फरवरी/मार्च" 90 (27—10)	हल्की व भारी इंजीनियरी का सामान, औद्योगिक मशीनें, हार्डवेयर व दस्ती औजार, बिजली के उपकरण व पुर्जे, सिले-सिलाए परिधान, हल्के व भारी वाहन, उर्वरक व सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान आदि ।
12.	लिप्जिग बसन्त मेला, लिप्जिग (जर्मनी)	मार्च" 90 (11—17)	दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक्स, कटलरी, बिल्डर्स, हार्डवेयर, खेल व चमड़े का सामान, रसायन, नारियल रेशे के उत्पाद, काफी, चाय, तम्बाकू व समुद्री उत्पाद ।
13.	काहिरा अन्तरराष्ट्रीय मेला, काहिरा (मिस्र)	मार्च" 90 (10—23)	ट्रक सामग्री, इस्पात उत्पाद, बिजली का सामान, कृषि मशीनरी, छोटे व दस्ती औजार आदि भारी व हल्का इंजीनियरी सामान, चाय, चीनी, मसाले, तम्बाकू, दवाइयां व भेषज पदार्थ, रंग रोगन और पटसन निर्मित वस्तुएं आदि ।
14.	वेलेंसिया अन्तरराष्ट्रीय मेला, वेलेंसिया (वेनेजुएला)	मार्च" 90 (23—31)	दस्ती औजार, टायर, ट्यूब आदि मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे, उपभोक्ता सामान, मशीनी औजार, चमड़े की वस्तुएं, सिले-सिलाए परिधान, उपहार की वस्तुएं ।
(ख) विशेषीकृत वस्तु मेले :			
1.	इन्टरस्टफ अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	अप्रैल" 89 (11—13)	वस्त्र ।

1 2	3	4
2. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, हांग कांग	अप्रैल" 89 (24—27)	चमड़ा व चमड़े से बनी वस्तुएं ।
3. आस्ट्रेलिया आटो मेकेनिक प्रदर्शनी, सिडनी (आस्ट्रेलिया)	अप्रैल/मई" 89 (29—02)	मोटर गाड़ियों के हिस्से पुर्जे।
4. स्टार मेला, मिलान (इटली)	मई" 89 (18—21)	साज-सज्जा का कपड़ा, पर्दे, कालीन, अप्होल्स्ट्री कपड़ा, वाल कवरिंग व घरेलू लिनेन आदि ।
5. आस्ट्रेलिया अन्तरराष्ट्रीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)	जुलाई/अगस्त" 89 (31—04)	इंजीनियरी सामान ।
6. अमेरिकी राष्ट्रीय जूता मेला, न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	अगस्त" 89 (05—08)	फुटवियर ।
7. राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, शिकागो (यू० एस० ए०)	अगस्त" 89 (13—16)	सभी प्रकार की हार्डवेयर वस्तुएं ।
8. प्रेट ए पोर्टर डू-फेमिनिन मेला, पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर" 89 (02—05)	महिलाओं के तैयार सिले-सिलाए परिधान व सम्बन्धित सामान ।
9. आठवां ई० एम० ओ० मेला, हेनोवर (जर्मनी)	सितम्बर" 89 (12—20)	मशीनी औजार ।
10. सीमेन-डु-कुअर मेला, पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर" 89 (16—19)	चमड़ा व चमड़े से निर्मित सामान ।
11. मशीन एशिया" 89 आठवीं एशियाई अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, सिंगापुर	सितम्बर" 89 (26—29)	ट्रांसमिशन लाइन टावर, रिफ्रैक्टरी, बिजली के चूल्हे, भेषज पदार्थ, रसायन, कागज, लुग्दी, चीनी व सीमेंट के प्लान्ट व मशीनरी, पावर जनरेशन उपकरण—ए०

1	2	3	4
			सी० व डी० सी० मोटर, जेनरेटर, ट्रांसफार्मर कन्ट्रोल गीयर, स्विच गीयर, रिएक्टर आदि। करघे व बुनाई मशीनें आदि कपड़ा मशीनरी, उपकरण-मेडिकल प्रोसेस कन्ट्रोल वैज्ञानिक व प्रयोगशाला के, परिवहन एल० सी० वी०, स्कूटर, मोपेड, ट्रक, तिपहिए, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, धातु कार्य के उपकरण, कटाई के औजार, वैल्डिंग व सोल्डरिंग उपकरण आदि। साइकिल व उनके पुर्जे, मशीनी औजार, अर्थ मूविंग उपकरण, एअर कंप्रेशर, फोर्क लिफ्ट, बैटरियां, फास्टनर, पाइप व ट्यूब और फिटिंग, रेलवे वैगनों के पुर्जे, प्लास्टिक व रबड़ प्रसंस्करण मशीनरी, सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन मशीनरी, इलेक्ट्रानिक पुर्जे-एनालिटिकल व इलेक्ट्रानिक परीक्षण उपकरण, कम्प्यूटर, डाट मेट्रिक्स प्रिन्टर, पेरीफेरल, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार के केबल।
12.	इन्टरकामा मेला डस्सेलडार्फ	अक्तूबर" 89 (09—14)	मापन उपकरण, सेन्सर, ट्रांसमीटर, विश्लेषण व परीक्षण उपकरण, बेलेंसिज, स्वतंत्र कम्प्यूटरों व असेसरी का उपयोग, प्रोसेस आटोमेशन और मैन्यूफैक्चरिंग आटोमेशन के उपकरण व प्रणालियां।
13.	अनूगा-विश्व खाद्य पदार्थ बाजार, क्लोन (जर्मनी)	अक्तूबर" 89 (14—19)	खाद्य पदार्थ व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ।
14.	सिस्टम्स" 89 मेला म्यूनिख (जर्मनी)	अक्तूबर" 89 (16—20)	कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर और दूरसंचार उपकरण।
15.	इन्टरस्टाफ—अन्तरराष्ट्रीय वस्त्र व्यापार मेला, फ्रैंकफर्ट, (जर्मन संघीय गणराज्य)	अक्तूबर/नवम्बर" 89 (31—02)	वस्त्र।

1	2	3	4
16.	के" 89 मेला डस्सेलडार्फ (जर्मनी)	नवम्बर" 89 (02—09)	प्लास्टिक व रबड़ की वस्तुएं।
17.	इन्टरस्टाफ एशिया—अन्तरराष्ट्रीय परिधान निर्माण व्यापार मेला, हांगकांग	नवम्बर" 89 (15—17)	धागा, कपड़ा और परिधान।
18.	विश्व फैशन व्यापार मेला ओसाका (जापान)	नवम्बर" 89 (22—26)	पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के उत्तम फैशन के परिधान
19.	हिमटेक्सटिल—अन्तरराष्ट्रीय घर एवं घरेलू वस्त्र व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	जनवरी" 90 (17—20)	घरेलू साजसज्जा का सामान, पर्दे, वाल कवरिंग व सभी प्रकार का घरेलू सजावट का सामान।
20.	डोमोटेक्स मेला हेनोवर (जर्मनी)	जनवरी" 90 (8—11)	हाथ से बुने कालीन।
21.	हिमटेक्सटिल—एशिया अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, टोक्यो (जापान)	फरवरी" 90 (1—4)	घरेलू उपयोग का कपड़ा, घरेलू कपड़ा व फर्श बिछावन।
22.	नेशनल वैराइटी मर्चेन्डाइज प्रदर्शनी न्यूयार्क (यू० एस० ए०)	फरवरी" 90 (17—20)	चमड़े का सामान, आकर्षक वस्तुएं, कृत्रिम आभूषण, सिले सिलाए परिधान, उपहार वस्तुएं और उपभोग का सामान।
23.	प्रेट-ए-पोर्टर डु-फेमिनिल मेला, पेरिस (फ्रांस)	फरवरी" 90 (3—6)	महिलाओं के तैयार उत्कृष्ट फैशन और असेसरी।
24.	अन्तरराष्ट्रीय हार्डवेयर मेला क्लोन (जर्मन संघीय गणराज्य)	मार्च" 90 (5—8)	हार्डवेयर, औजार, ताले और फिटिंग, डी-आई-वाई सप्लाइयां।
25.	सेबिट मेला हनोवर (जर्मनी)	मार्च" 90 (21—28)	कार्यालय उपकरण व दूरसंचार उपकरण।

1 2	3	4
26. फूडेक्स मेला टोक्यो (जापान)	मार्च" 90 (13—17)	खाद्य पदार्थ।
27. फेबरेक्स मेला, लन्दन (यू० के०)	अप्रैल" 90 (3—5)	महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के परिधान, खेल-कूद के परिधान ऊन और मिश्रित ऊन, सूत और मिश्रत सूत, संश्लिष्ट कपड़ा, लेस और ट्रिमिंग, टेबल व बाथ लिनेन मिश्रण, रेशम, फाइल कपड़ा, अप्होल्स्ट्री, साजसज्जा का कपड़ा।
(ग) भारतीय प्रदर्शनियां :		
1. भारतीय प्रदर्शनी जोर्डन	सितम्बर" 89 (14—22)	औद्योगिक मशीनरी, उपकरण, वातानुकूलन व प्रशीतन उपकरण व प्लान्ट भारी व हल्की औद्योगिक मशीनरी, वस्त्र मशीनरी, साइकिलों के टायर बनाने की मशीनरी, निर्माण व अर्थ मूविंग के उपकरण, सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक व विद्युत उपकरण, मशीनी औजार, कृषि मशीनें, भेषज वस्तुएं, रसायन, हार्डवेयर व दस्ती औजार, सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर और आटो असेसरी आदि।
2. भारतीय प्रदर्शनी जकार्ता (इण्डोनेशिया)	जनवरी-फरवरी" 90 (26—02)	वस्त्र मशीवरी व उसके हिस्से-पुर्जे, रंगाई व फिनिशिंग मशीनरी, कताई मशीनें, बड़े करघे, जूते बनाने की मशीनरी, सौर ऊर्जा के उपकरण, चर्म शोधन मशीनें, कृषि मशीनें, व उपकरण, दस्ताने बनाने की मशीनें, टायर रिट्रीडिंग मशीनें, भेषज पदार्थ व दवाइयां बनाने की मशीनें, तेल निकालने के कोल्हू व प्लांट व मशीनें, फसल कटाई की मशीनें, मरोल प्रसंस्करण मशीनरी, पत्थर काटने व पालिश करने की मशीनें, आभूषण बनाने की मशीनें, 300 टन से लेकर 1000 टन क्षमता वाली चीनी मिल मशीनरी व प्लांट, चाय प्रसंस्करण मशीनरी, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक

1	2	3	4
			परीक्षण व मापन उपकरण, डीजल इंजन, 2 हार्स पावर से 2000 हार्स पावर तक के पम्प व जनरेटिंग सेट, मशीनी औजार, दस्ती औजार, साइकिलों के पुर्जे, बिल्डर्स हार्डवेयर एवं अन्य हार्डवेयर, फिश मील मशीनरी, कम्प्रैशर, विद्युत मशीनरी व पुर्जे, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण मशीनरी, परिवहन उपकरण व उनके पुर्जे, सड़क निर्माण, सिंचाई, चीनी, सीमेंट, कपड़ा, सिविल निर्माण, विद्युत विकास कार्य, रेलवे, लघु उद्योग, नारियल रेशा मशीनरी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, तथा वनाधारित उद्योगों के लिए परामर्श व प्रौद्योगिकी सेवाएं।
3.	भारतीय इंजीनियरी प्रदर्शनी, मास्को (सोवियत रूस)	मार्च'' 90 (15—22)	भारी व हल्का इंजीनियरी सामान, आटो असेसरी, दस्ती औजार, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं और साफ्टवेयर आदि।

विवरण-III

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया

1990-91 का विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों का टी० एफ० ए० आई० का कार्यक्रम

क्रम सं०	मेले का नाम व स्थान	तिथि	प्रदर्शित उत्पाद
1	2	3	4
(क) सामान्य अन्तरराष्ट्रीय मेले :			
1.	ब्रनो उपभोक्ता सामान मेला, ब्रनो चेकोस्लोवाकिया	अप्रैल'' 90 (7—12)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान जैसे घरेलू फर्निशिंग, सूती वस्त्र, सिले-सिलाए परिधान, रसोई का सामान, कार्यालय उपकरण, चमड़े का सामान, खाद्य उत्पाद, खेलकूद का सामान, चाय, काफी, समुद्री उत्पाद इत्यादि।

1	2	3	4
2.	मिलान अन्तरराष्ट्रीय मेला, मिलान, इटली	अप्रैल" 90 (2—9)	हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, उपहार एवं सजावटी सामान, सिले-सिलाए परिधान, कालीन, चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद।
3.	हेनोवर उद्योग मेला, हेनोवर, जर्मन संघीय गणराज्य	मई" 90 (2—9)	फाउण्ड्री उत्पाद-कास्टिंग एवं फोर्मिंग प्रोसेस, कास्टिंग सामग्री, मेटल कास्टिंग, सिंटर्ड उपकरण फिनिश्ड नान कम मेटल पार्ट्स अमेम्बलीज एवं धातु निर्माण, थिन गेज शीट मेटल उत्पाद, वायर, प्रोडक्ट, एपेरेटस, कन्टेनर्स पाइपिंग, मोल्ड, माडल, औजार, फास्टनिंग, ताले, मेटल फिटिंग एवं अन्य सिंगल उपकरण (सबकान्ट्रेक्टिड कम्पोनेंट), प्लास्टिक पार्ट्स (प्लास्टोमर्स) एवं प्लास्टिक संसाधन, रबड़ पार्ट्स इलास्टोमर्स तथा रबड़ ग्लास औद्योगिक सिरेमिक संसाधन, उत्पादन एवं अन्य सेवाएं, परामर्श एवं प्रकाशन।
4.	पोजनान अन्तरराष्ट्रीय मेला, पोजनान, पोलैंड	जून" 90 (10—17)	मोपेड एवं स्कूटर, हल्की एवं भारी इंजीनियरी का सामान, रसोई का सामान, थर्मस फ्लास्क, चमड़े का सामान, संसाधित खाद्य पदार्थ, सूती वस्त्र, चाय एवं काफी आदि।
5.	इजमीर अन्तरराष्ट्रीय मेला, इजमीर, टर्की	अगस्त—सितम्बर (20—03, 1990)	इलेक्ट्रिकल पावर मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, निर्माण मशीनरी, सी० एन० सी० मशीनी औजार, वस्त्र मिल मशीनरी, डीजल इन्जन, पम्प सेट, वाटर पम्प, पिस्टन, साइंटिफिक एपेरेटस एवं प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, पेरीफेरल एवं साफ्टवेयर, भारी और हल्के वाहन, रेलवे रोलिंग स्टाक, भारी एवं हल्की इन्जीनियरी सामान, छत के पंखे एवं पुर्जे, जूट एवं जूट उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सूखे मेवे, चाय काफी, समुद्री उत्पाद सिले-सिलाए परिधान, औषधीय जड़ी-बूटियां।

1	2	3	4
6.	विदेशी आयात मेला, प्रगति के लिए साझीदार बर्लिन (पश्चिमी)	अगस्त—सितम्बर (29—01, 1990)	सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, परिधान हस्तशिल्प, कालीन, सजावटी एवं उपहार का सामान ।
7.	बुडापेस्ट अन्तरराष्ट्रीय मेला बुडापेस्ट, हंगरी	सितम्बर" 90 (21—27)	विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तेल, लौह अयस्क, औद्योगिक कच्चा माल, टिम्बर, अखबारी कागज, मशीनी औजार, रसायन एवं निर्माण उद्योग के लिए मशीनरी, अर्थमूविंग उपकरण, मोटर कार एवं ट्रक, औद्योगिक उपभोक्ता सामान, सिले-सिलाए परिधान, फलों का रस, काफी एवं चाय ।
8.	नैरोबी कृषि एवं उद्योग प्रदर्शनी, नैरोबी (केन्या)	अक्तूबर" 90 (2—6)	कृषि मशीनरी, भारी एवं हल्की मशीनरी दस्ती औजार, रसायन एवं उर्वरक, वस्त्र, चमड़े का सामान, लघु उद्योग की यूनिट, कृषि उत्पाद इत्यादि ।
9.	सिट्रा-सियोल अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, सियोल, दक्षिण कोरिया	अक्तूबर—नवम्बर (39—05, 1990)	इन्जीनियरी सामान, दस्ती औजार, वस्त्र घरेलू फर्निशिंग, कालीन परिधान, खेल-कूद एवं चमड़े का सामान, संसाधित खाद्य पदार्थ, काजू, उपहार का सामान, खनिज, ग्रेनाइट, रसायन एवं भेषज, मसाले, काफी, साफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रिकल सहित इलेक्ट्रानिक सामान ।
10.	डकार अन्तरराष्ट्रीय मेला, डकार, सेनेगल	नवम्बर—दिसम्बर (29—10, 1990)	इलेक्ट्रिकल सहित इलेक्ट्रानिक सामान, हल्का इन्जीनियरी सामान, आटो, मोटर मशीनरी एवं पूंजीगत सामान, खाद्य उत्पाद हस्तशिल्प, बिजली का सामान, फैंसी सामान, आभूषण, बर्तन, जूट एवं केयर, खेलकूद का सामान, परिधान, चमड़े का सामान, रसायन एवं भेषज उत्पाद, वस्त्र इत्यादि ।
1[illegible].	कन्ज्यूमेक्सपो अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान प्रदर्शनी मास्को (सोवियत रूस)	जनवरी" 91 (17—24)	परिधान, जूते, फर एवं चमड़े का सामान, वस्त्र, आटोमोबाइल इन्जीनियरी एवं परिवहन घरेलू उपकरण, कार्यालय उप-

1	2	3	4
			करण, प्लास्टिक का सामान, बागबानी उपकरण एवं औजार, घड़ियां, दीवार घड़िया, आभूषण, चश्मे, संगीत उपकरण, फर्नीचर, आंतरिक सजावट एवं श्रृंगार प्रसाधन सामग्री इत्यादि ।
12.	लिप्जिग बसन्त मेला, लिप्जिग, जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य	मार्च" 91 (16—22)	दस्ती औजार, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, कटलरी, खेलकूद, एवं चमड़े का सामान, रसायन, तम्बाकू एवं समुद्री उत्पाद, काफी, चाय, कयर उत्पाद ।
(ख)	विशेषीकृत वस्तु मेले :		
1.	फेवरेक्स मेला, लन्दन	अप्रैल" 90 (03—05)	महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के परिधान, खेलने के परिधान, ऊन एवं ऊनी मिश्रण, सूती मिश्रण, सिंथेटिक, लेस एवं ट्रिमिंग, टेबल एवं बाथ लिनेन मिश्रण, रेशम वस्त्र, अपहालेस्ट्री फर्निशिंग ।
2.	फूड एवं होटल एशिया प्रदर्शनी, सिंगापुर	अप्रैल" 90 (03—06)	खाद्य उत्पाद, उपभोक्ता बीयर, स्पिरिट, शराब, एवं पेय, खाद्य एवं पेय संसाधन तथा सेवा उपकरण, चेक-इन एवं स्टाक कंट्रोल सिस्टम, संचार एवं सुरक्षा सिस्टम, सफाई एवं रख-रखाव उपकरण, हाउस कीपिंग उत्पाद, फर्नीचर एवं फर्निशिंग उत्पाद, शाप फिटिंग, शेल्विंग तथा स्टोरेज सिस्टम ।
3.	इन्टर स्टाफ-अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला फ्रेंकफर्ट जर्मन संघीय गणराज्य	अप्रैल" 90 (24—26)	वस्त्र ।
4.	अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, हांगकांग	अप्रैल" 90 (25—28)	चमड़े का सामान ।
5.	ए० आई० ई० ई०, सिडनी आस्ट्रेलिया	मई" 90 (21—25)	इन्जीनियरी सामान ।
6.	स्टार मेला, मिलान (इटली)	मई" 90 (24—27)	फर्निशिंग वस्त्र, परदे, कालीन, अपहोलस्ट्री वस्त्र, वाल कवरिंग एवं घरेलू लिनेन इत्यादि ।

1	2	3	4
7.	आस्ट्रेलियाई आटोमैकेनिक प्रदर्शनी, सिडनी आस्ट्रेलिया	मई" 90 (02—05)	आटो पार्ट् स एवं सहायक सामान।
8.	राष्ट्रीय अमेरिकी जूता मेला न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	अगस्त" 90 (04—07)	फुटवियर।
9.	राष्ट्रीय हार्डवेयर शो शिकागो (सं० रा० अ०)	अगस्त" 99 (12—15)	सभी प्रकार का हार्डवेयर का सामान।
10.	पेट ए० पोर्टर डू फमिनीन मेला, पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर" 90 (01—04)	महिलाओं के सिले-सिलाए परिधान एवं सहायक सामान।
11.	आई० एम० टी० एस० अन्तरराष्ट्रीय मशीनी औजार प्रदर्शनी शिकागो (सं० रा० अ०)	सितम्बर" 90 (05—13)	मशीनी औजार एवं सहायक सामान।
12.	सीमेन-डु-कुअर मेला पेरिस (फ्रांस)	सितम्बर" 90 (15—18)	चमड़ा एवं चमड़े का सामान।
13.	आई० एफ० एम० ए० अन्तरराष्ट्रीय बाइसिकिल एवं मोटरसाइकिल प्रदर्शनी, क्लीन, जर्मन संघीय गणराज्य	सितम्बर" 90 (19—23)	बाइसिकिल एवं इसके हिस्से-पुर्जे, मोटर-साइकिल, स्कूटर एवं मोपेड।
14.	सिआल-अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ प्रदर्शनी पेरिस (फ्रांस)	अक्तूबर" 90 (22—26)	खाद्य उत्पाद एवं संसाधित खाद्य पदार्थ।
15.	इंटरस्टाफ-अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	अक्तूबर" 90 (23—25)	क्लाथिंग टेक्सटाइल।
16.	एनेक्स-एशिया इलेक्ट्रानिक्स प्रदर्शनी, सिंगापुर	नवम्बर" 90 (07—10)	इलेक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइसेस, सेमी कण्डक्टर, आई० सी० सी० एवं पी० सी० बी० एसेम्बली, उत्पादन हेतु उपकरण,

1	2	3	4
			माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स, आप्टो इलेक्टानिक, इलेक्ट्रिक मोटरें, जेनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, स्विचगीयर बितरण, केबल, इन्स्ट्रूमेंटेशन, परीक्षण एवं मापन उपकरण, विद्युत इलेक्ट्रानिक, आटोमेशन, प्रकाश व्यवस्था एवं सहायक सामान।
17.	इन्टरस्टाफ एशिया अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, हांगकांग	नवम्बर" 90 (12—14)	धागे वस्त्र एवं परिधान।
18.	डोमोटेक्स मेला, हेनोवर (जर्मन संघीय गणराज्य)	जनवरी" 91 (07—10)	हस्तनिर्मित कालीन।
19.	हिमटेक्सटाइल-अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, फ्रेंकफर्ट (जर्मन संघीय गणराज्य)	जनवरी" 91 (09—12)	घरेलू फर्निशिंग, परदे, वाल कवरिंग एवं सभी प्रकार का घरेलू सजावटी सामान।
20.	अन्तरराष्ट्रीय हार्डवेयर एवं हाउस वेयर शो बर्मिघम (यू० के०)	जनवरी" 91 (20—23)	दस्ती एवं विद्युत औजार, घरेलू साज-सज्जा का सामान, ताले एवं उसकी फिटिंग, सुरक्षा उत्पाद, रसोई के उपकरण, खाना पकाने के उपकरण, स्नानगृह उपकरण, गार्डन फर्नीचर एवं सहायक सामान इत्यादि।
21.	हिमटेक्सटिल एशिया अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, टोकियो (जापान)	फरवरी" 91 (01—04)	हाउसहोल्ड टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल एवं फर्शी बिछावन।
22.	अन्तरराष्ट्रीय हार्डवेयर मेला, क्लोन (ज० सं० ग०)	मार्च" 91 (04—07)	हार्डवेयर, टूल लाक एवं फिटिंग, निर्माण एवं डी+वाई आपूर्ति।
23.	सेबिट मेला, हेनोवर (ज० सं० ग०)	मार्च" 91 (13—20)	कार्य उपकरण एवं दूरसंचार।
24.	फूडेक्स मेला, टोकियो (जापान)	मार्च" 91 (12—16)	खाद्य उत्पाद।

1	2	3	4
(ग) भारतीय प्रदर्शनियां			
1.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी मोका-मारीशस	अगस्त" 90 (10—19)	सभी इंजीनियरी मदें, मशीनी औजार, दस्ती औजार, भारी एवं हल्के वाहन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक मदें, कृषि मशीनें एवं सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सभी प्रकार के लोडर परिधान एवं साड़ियां इत्यादि ।
2.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी मनीला (फिलीपिन्स)	जनवरी-फरवरी" 91 29—05	औद्योगिक मशीनरी/उपकरण, वातानुकूलन एव रेफ्रिजरेशन उपकरण एवं संयंत्र, भारी एव हल्के उद्योग, वस्त्र मशीनें, चीनी मिल मशीनरी, बाइसिकिल टायर बनाने की मशीनें, निर्माण एवं अर्थमूविंग उपकरण, सभी प्रकार की विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक मदें, मशीनी औजार, कृषि मशीनें, भेषज एवं रसायन, हार्डवेयर एवं दस्ती औजार तथा सभी प्रकार का उपभोक्ता सामान, साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इत्यादि ।

विवरण-IV

वर्ष 1989, 1990 और 1991 का भारत में मेलों एवं प्रदर्शनियों का टी० एफ० ए० आई० का कार्यक्रम

1989

1. आहार, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1989
2. इण्डिया पैक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1989
3. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, मद्रास, फरवरी, 1989
4. अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, सितम्बर, 1989
5. भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, नवम्बर, 1989
6. टेक्स इण्डिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1989

1990

1. आहार, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1990
2. इण्डिया पैक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1990
3. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, मद्रास, फरवरी, 1990
4. इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, सितम्बर, 1990
5. भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, नवम्बर, 1990
6. टेक्स इण्डिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1990

1991

1. आहार, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1991
2. इण्डिया पैक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जनवरी, 1991
3. अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, मद्रास, फरवरी, 1991
4. कन्ज्यूमेक्स, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, मई, 1991
5. सजावट, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, अगस्त, 1991
6. अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, सितम्बर, 1991
7. प्रकाश, 1991, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, अक्तूबर, 1991
8. भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, नवम्बर, 1991
9. टेक्स इण्डिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1991

केन्द्रीय आयुद्ध भंडार, आगरा में श्रेणी "डी" का चयन

3770. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आयुद्ध भंडार आगरा श्रेणी "डी" के चयन के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय और आदेशों को कार्यान्वियन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की इलाहाबाद बेंच के मामला सं० 612/88 के अन्तर्गत दिनांक 21-12-90 को दिए गए आदेश के अनुसार, आवेदकों की परीक्षा लिए जाने पर यदि उन्हें चुन लिया जाता है तो पहले से मौजूद रिक्त पदों पर उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाना है। तदनुसार केन्द्रीय आयुद्ध डिपो, आगरा ने सीधी भर्ती पर लगी वर्तमान रोक में छूट देते हुए रिक्त पद भरने की अनुमति देने का एक प्रस्ताव भेजा था। अब सेना मुख्यालय ने

इन रिक्त पदों को भरने की अनुमति दे दी है तथा उक्त आदेश को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

विकास परियोजनाओं में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पूंजी निवेश

[हिन्दी]

3771. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जमा की गई धनराशि और निवेश की गई धनराशि के बीच सन्तुलन बनाए रखने के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पूंजी निवेश के मामले में इन मार्ग-निर्देशों का पालन किया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री के जरिए जुटाई गई जमाराशियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं ।

(ख) 1990-91 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में राज्यवार किया गया निवेश संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) से (छ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

विवरण-I

1987-88 से 1990-91 तक के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री के जरिए जुटाई गई कुल जमाराशियां

(करोड़ रुपए)

जोन	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
पश्चिमी	महाराष्ट्र				
	गुजरात				
	मध्य प्रदेश	1,020.30	1,790.49	2,480.60	1,567.79
	गोआ				
	दमन और दिऊ				
	दादरा नागर हवेली				
पूर्वी	बिहार				
	पश्चिम बंगाल				
	उड़ीसा				
	असम				
	मेघालय				
	अरुणाचल प्रदेश	346.60	526.09	867.61	787.74
	नागालैंड				
	मणिपुर				
	मिजोरम				
	त्रिपुरा				
	सिक्किम				
	अंडमान और निकोबार				
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश				
	कर्नाटक				
	केरल	170.28	435.53	766.90	557.88
	तमिलनाडु				
	पांडिचेरी				
	लक्षदीप				

1	2	3	4	5	6
उत्तरी	पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर राजस्थान उत्तर प्रदेश दिल्ली	406.57	837.00	1,220.99	878.10
	जोड़ :	1,943.75	3,589.11	5,336.10	3,791.51

विवरण-II

1990-91 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में राज्यवार निवेश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपए)
1	2
राज्य	
आंध्र प्रदेश	35.05
असम	0.50
बिहार	1.32
गुजरात	172.95
हरियाणा	19.77
हिमाचल प्रदेश	0.66
जम्मू और कश्मीर	0.00
कर्नाटक	34.73
केरल	1.06
मध्य प्रदेश	24.04
महाराष्ट्र	1,047.09
नागालैंड	2.50
उड़ीसा	9.62

1	2
पंजाब	11.17
राजस्थान	18.67
तमिलनाडु	60.24
उत्तर प्रदेश	64.27
पश्चिम बंगाल	130.95
गोआ	2.29
मणिपुर	0.00
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान निकोबार	0.00
दिल्ली	167.06
दमन और दिऊ	0.00
पांडिचेरी	0.63
दादरा और नागर हवेली	0.00
जोड़ :	1,804.59

मलेशिया को चावल का निर्यात

[अनुवाद]

3772. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया ने भारत से चावल का आयात करने के लिए कोई आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया जाएगा;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य किन देशों को चावल का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) मलेशिया के नेशनल राइस एण्ड पैडी अथारिटी ने भारत से 70,000 मी० टन गैर-बासमती चावल के आयात आर्डर दिए हैं।

(ग) बुर्किना फासो, नेपाल, इराक, मलेशिया, टोगो, ब्राजील, मेक्सिको, सीर्रा लिओन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, जार्डन, ईरान, बहरीन, सिंगापुर, नामीबिया, चैकोस्लोवाकिया, केन्या, र्यूनियन, कतार, श्रीलंका, बंगला देश, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि।

(घ) 400 करोड़ रुपए।

बिहार में हथकरघा क्षेत्र को धनराशि का आबंटन

3773. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या वस्त्र मंत्री 22 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यवार दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान योजनावार बिहार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार को कुल कितनी धनराशि दी गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1990-91 के दौरान बिहार राज्य को 542.45 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

कालम-2 निर्यात उत्पादन परियोजना/हथकरघा विकास परियोजनाएं दर्शाता है।

कालम-3 प्राथमिक समितियों को अंश पूंजी सहायता दर्शाता है।

कालम-4 करघों के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए सहायता।

कालम-5 प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए सहायता दर्शाता है।

कालम-6 कार्यशाला और कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण के लिए सहायता।

कालम-7 थ्रिफ्ट फंड योजना के लिए सहायता दर्शाता है।

कालम-8 राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना हेतु सहायता दर्शाता है।

कालम-9 क्षेत्र के आधार पर परियोजनाओं के लिए सहायता दर्शाता है।

कालम-10 कुल योजना सहायता दर्शाता है।

कालम-11 विपणन विकास और हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट के लिए सहायता।

कालम-12 जनता कपड़े पर सब्सिडी के लिए सहायता।

कालम-13 गैर-योजना सहायता दर्शाता है।

कालम-14 कुल प्लान और गैर-प्लान सहायता दर्शाता है।

विवरण

हथकरघा क्षेत्र में 1990-91 के दौरान राज्यवार/योजनावार जारी राशि का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		विकास का उपशीर्ष			गैर योजना	(लाख रुपयों में)	
क्रम सं०	राज्य	ई०पी०पी०/ एच०डी०पी०	प्राथमिक	आधुनिकीकरण	प्रोसेसिंग	कार्यशाला व आवास	थ्रिफ्ट फंड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	68.35	15.60
2.	असम	—	18.09	100.00	—	48.67	—
3.	बिहार	—	—	—	50.00	—	—
4.	गुजरात	—	1.67	59.46	—	8.78	—
5.	हिमाचल प्रदेश	3.00	—	—	—	18.00	—
6.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	5.80	—
8.	कर्नाटक	9.98	4.05	25.04	—	—	15.00
9.	केरल	—	—	38.72	—	21.00	—
10.	मध्य प्रदेश	—	2.61	28.25	—	11.32	3.56

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
12.	मणिपुर	—	—	1.85	—	38.97	—
13.	मेघालय	—	—	0.50	—	—	—
14.	मिजोरम	22.30	—	—	—	—	—
15.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
16.	उड़ीसा	—	—	15.25	—	6.00	13.24
17.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
18.	राजस्थान	38.00	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडू	—	—	44.00	—	20.00	63.22
20.	त्रिपुरा	—	0.99	0.50	—	3.00	—
21.	उत्तर प्रदेश	29 68	—	—	—	—	—
22.	पश्चिमी बंगाल	—	—	33.00	—	49.50	9.00
	कुल :	102.96	27.41	346.57	20.00	299.39	119.62
	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	—	—	—	—	—	0.27
	पांडिचेरी	—	—	—	—	0.63	—
	कुल योग :	102.96	27.41	346.57	20.00	300.02	119.89

(कालम 8 से आगे जारी)

राज्य में इ०एम० की स्थापना	प्रोजेक्ट पैकेज	प्लान	एम०डी०ए०/ एस०डी०/रिबेट	जनता	कुल गैर योजना	कुल प्लान और नान-प्लान
9	10	11	12	13	14	15
11.09	—	95.04	615.18	1767.01	2382.19	2477.23
—	74.70	241.46	67.03	921.97	989.00	1230.46
—	112.70	132.70	—	409.75	409.75	542.45
15.16	—	85.07	145.05	404.12	549.17	634.24
—	—	21.00	28.29	—	28.29	49.29
—	—	—	20.00	—	20.00	20.00
—	—	5.80	127.01	—	127.01	132.81
—	—	54.07	185.18	1053.21	1238.39	1292.46
0.22	—	59.94	145.12	0.57	145.69	205.63
—	—	45.74	169.22	489.32	658.54	704.28
—	—	—	—	952.96	952.96	952.96
—	—	40.82	1.59	—	1.59	42.41
—	—	0.50	—	—	—	0.50
—	—	22.30	—	—	—	22.30
—	—	—	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15
—	—	34.49	285.74	890.91	1176.65	1211.14
—	—	—	42.50	8.12	50.62	50.62
6.91	—	44.91	43.89	279.52	323.41	368.32
—	—	127.22	2979.10	518.32	3497.42	3624.64
—	—	4.49	10.40	79.58	96.98	101.47
—	—	29.68	658.11	3812.05	4470.16	4499.84
—	—	91.50	69.59	1412.77	1482.36	1573.86
33.38	187.40	1136.73	5600.00	13000.18	18600.18	19736.91
—	—	0.27	—	—	—	0.27
—	—	0.63	—	0.31	0.31	0.94
33.38	187.40	1137.63	5600.00	13000.49	18600.49	19738.12

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाएं

3774. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना की कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई;

(ख) क्या किस्म विशेष और डिजाइन वाले कुछ विमानों की अन्य विमानों की अपेक्षा अधिक दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके डिजाइन में सुधार करने अथवा ऐसे विमानों की खरीद बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के वायुयानों की दुर्घटनाओं की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1988-89	31
1989-90	31
1990-91	22
1991-92 (9 दिसम्बर, 91 तक)	25

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सड़कों तथा पुलों का निर्माण

3775. **श्री जीवन शर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में में सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परियोजनाएं वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं ने नाम क्या हैं और उनके द्वारा कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता के लिए इस समय कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बैंक और वित्तीय संस्थाओं की "म्युच्वल फंड" स्कीमें

[हिन्दी]

3776. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "म्युच्वल फंडों" के माध्यम से धन एकत्रित करने के लिए कितने बैंकों और कितनी वित्तीय संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनकी "म्युच्वल फंड" स्मीमें और ब्याज दरें अथवा बोनस देने सम्बन्धी प्रक्रियाएं समान हैं;

(ग) क्या प्रशासन ने निवेशकों को "रिटर्न गारंटी" दी है;

(घ) क्या "म्युच्वल फंडों" की लाभांश दरें राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) इन "म्युच्वल फंडों" के माध्यम से जून 1991 तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(छ) इन धनराशि का निवेश किस प्रकार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस समय पांच बैंकों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित तीन वित्तीय संस्थाओं ने पारस्परिक निधियां स्थापित की हैं।

(ख) सामान्यतः पारस्परिक निधियों की एक ही प्रकार की योजनाओं के लिए एक सी ही कार्यविधियां हैं।

(ग) नियमित आय वाली योजनाओं के मामले में, पारस्परिक निधियां अपने पेशकश-पत्रों में कुछ न्यूनतम आय के बारे में बताती है जिसकी निवेशक ऐसी योजनाओं में निवेश करके उम्मीद कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) पारस्परिक निधियों की विभिन्न योजनाओं में निवेशों पर होने वाली आय 12-17 प्रतिशत वार्षिक तक की कोटि में हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमाराशियों पर ब्याज की दरों से कुल मिलाकर अधिक है ।

(च) भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित पारस्परिक निधियों ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जून, 1991 तक 21,700 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की थी ।

(छ) योजना उद्देश्यों के आधार पर पारस्परिक निधियां प्रमुखतः प्रतिभूतियों में निवेश करता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमाराशियों में कमी

3777. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किए जाने से लेकर 15 नवम्बर, 1991 तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमाराशियों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमाराशियों में कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने बैंकों में सावधि जमाराशियों में हो रही निरन्तर कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) ऋण देने की प्रक्रिया पर इस कमी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने इस अवधि के दौरान कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) जुलाई, 1991 के अन्तिम शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जो जमाराशियां 201822 करोड़ रुपए थीं वे 15 नवम्बर, 1991 को बढ़कर 215503 करोड़ रुपए हो गईं। सावधि जमा, जो उपर्युक्त का एक भाग है, उक्त अवधि के दौरान 166150 करोड़ रुपए से बढ़कर 174415 करोड़ रुपए हो गयी। यह देखा जा सकता है कि कुल मिलाकर जमाराशियों में कमी नहीं हुई है। इस अवधि के दौरान बैंकों के बकाया ऋण (अन्तर-बैंक ऋण को छोड़कर) 117415 करोड़ रुपए से बढ़कर 119149 करोड़ रुपए हो गया।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

[अनुवाद]

3778. **श्री जीवन शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को समाप्त करने और कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए सम्बन्धित बैंक को प्राधिकृत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

केरल में हथकरघा के विकास के लिए सहायता

3779. **श्री टी० जे० अंजलोस :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने केरल में हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कितना आबंटन किया है;

(ख) क्या सरकार को आबंटन में वृद्धि करने हेतु कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) हथकरघा क्षेत्र में राशि का आबंटन राज्यवार नहीं अपितु योजनावार किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों/योजनाओं के आधार पर राशि जारी की जाती है। 1990-91 के दौरान केरल राज्य को 205.63 लाख रुपए की राशि जारी की गई। चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

केरल में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा रुग्ण इकाइयों के मामलों को अपने हाथ में लिया जाना

3780. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने जनवरी से अक्तूबर 1991 के मध्य जिन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के मामले अपने हाथ में लिए हैं उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ख) इनमे से प्रत्येक मामले में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों तथा जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि केरल को चार औद्योगिक कम्पनियों के बारे में, जिनके संदर्भ जनवरी से अक्तूबर, 1991 के बीच बोर्ड के पास रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 की धारा 15 के अधीन दर्ज किए गए थे, निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे या हिदायतें दी गई थी :—

कम्पनी का नाम	लिया गया निर्णय दी गई हिदायत
1. वेनोर्स एण्ड लेमीनेशंस (आई) लि०, पेरुमनूर, डा० कोचीन-682015	रुग्ण घोषित तथा प्रचालन अभिकरण की नियुक्ति की गयी।
2. प्रीमियर केबिल्स कम्पनी लि०, एम० जी० रोड, एरनाकुलम	—तदैव—
3. तोशिबा आनन्द बैटरीज लि०, एम० जी० रोड, एरनाकुलम	—तदैव—
4. टी० के० कैमीकल्स लि०, त्रिवेन्द्रम	11-12-91 के लिए सुनवाई निश्चित की गई, फिर उसे 28-1-92 के लिए स्थगित कर दिया गया।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बिहार में कटपीसों की बिक्री

[हिन्दी]

3781. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वस्त्र मंत्री 25 अप्रैल 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बिक्री डिपुओं के माध्यम से सिले-सिलाये वस्त्रों के लघु निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में कटपीसों की सप्लाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुए एन० टी० सी० द्वारा डिपों के जरिए कटपीसों की बिक्री नहीं की जाती। तथापि, सिले-सिलाए परिधानों के छपे विनिर्माता एन० टी० सी० मिलों से संपर्क कर सकते हैं जो ऐसे प्रत्येक मामले पर गुणावगुण तथा सम्बन्ध में निर्धारित नीति परक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार करने के इच्छुक होंगी।

उड़ीसा के मूल्यवान पत्थरों के लिए विपणन सहायता

[अनुवाद]

3782. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के बोलनगीर और कालाहांडी जिलों में बहुतायत से पाए जाने वाले मूल्यवान पत्थरों के लिए विपणन सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार सीधे विपणन सहायता नहीं देती है। फिर भी, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद वाणिज्य मन्त्रालय के विपणन विकास सहायता कोष से वित्तीय सहायता लेकर, मेले, प्रदर्शनियों, सगोष्ठियों तथा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के आयोजन के जरिए सहायता करती है।

सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज

3788. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज, राजकोट (गुजरात) एक पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त निकाय है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब पंजीकृत किया गया तथा इसे कब मान्यता प्रदान की गई थी;

(ग) इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस स्टाक एक्सचेंज के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; सरकार ने इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या उपरोक्त स्टाक एक्सचेंज ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक्सचेंज को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 28 जुलाई, 1989 को निगमित किया गया था । इस मन्त्रालय ने इसे 10 जुलाई, 1989 को मान्यता प्रदान की थी ।

(ग) यह मन्त्रालय स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के नाम नहीं रखता । स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों की सूची स्टाक एक्सचेंजों में उपलब्ध होती हैं और सामान्यतः सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

(घ) मे (छ) सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मोटे तौर पर, ये शिकायतें स्टाक एक्सचेंज की संरचना तथा सदस्यों के चयन में अनाचा के आरोपों के बारे में हैं । अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है कि स्टाक एक्सचेंज सदस्यों के रूप में उन व्यक्तियों सहित कार्य करना शुरू करेगा जिन्होंने संवीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, तीन विषयों अर्थात शिक्षा, वित्तीय स्थिति तथा अनुभव के अन्तर्गत 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए थे । इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा आगे आदेश पारित किए जाने तक एक्सचेंज अन्य व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा । न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, एक्सचेंज ने 29 अक्तूबर, 1991 से प्रतिभूतियों में व्यापार करना शुरू कर दिया है । एक्सचेंज ने सूचित किया है कि इसकी संरचना और सदस्यता सम्बन्धी मामले न्यायाधीन हैं ।

महाराष्ट्र में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

3784. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले में मात्स्यिकी विकास हेतु व्यक्तियों और सहकारी समितियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में मात्स्यिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मत्स्य पालन संवर्धन के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य पालन विकास के लिए प्रत्येक जिले में सहकारी समितियों, और व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। राज्य में मत्स्य पालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए एम्पीडा के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-1

महाराष्ट्र में एम्पीडा द्वारा सहायता प्राप्त मत्स्यपालन परियोजनाएं

(नवम्बर, 1991 तक)

विवरण	बम्बई			थाणे			रायगढ़		
	बी०	एफ०	टी०	बी०	एफ०	टी०	बी०	एफ०	टी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विद्यमान फार्मों की संख्या	1	—	1	10	6	16	6	7	13
एम्पीडा की तकनीकी सहायता से विकसित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.4	—	0.4	86.1	15.0	101.1	2.0	9.0	11.0
एम्पीडा की सब्सिडी सहायता से विकसित क्षेत्र (हेक्टेयर में)				43.9	—	43.9	14.2	3.5	17.7
फिजीबिलिटी रिपोर्टों की संख्या									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) जारी		1			11			27	
(ii) एरिया कवर्ड		2.1982			!18.9352			146.163	
प्रि-फिजीबिलिटी रिपोर्ट									
(i) जारी		—			1			13	
(ii) एरिया कवर्ड		—			156.436			478.41	
पंजीकृत कृषकों की संख्या		5			81			233	
माइक्रो स्तरीय सर्वेक्षण		बी०-51.6 एफ०-शून्य टी०-51.6			बी०-537.646 एफ०-37.40 टी०-575.046			बी०-457-873 एफ०-151.33 टी०-609.203	
प्रशिक्षण/प्रशिक्षकों की संख्या/प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		शून्य			2/61			5/148	
कृषक बैठकें									
बैठकों की संख्या/किसानों की सं०		शून्य			1/75			4/389	
		बी०-ब्रेकिशवाटर						एफ०-फ्रेशवाटर	

(कालम संख्या 11 से आगे जारी)

रत्नागिरि			सिन्धुर्ग			अन्य			कुल		
बी०	एफ०	टी०	बी०	एफ०	टी०	बी०	एफ०	टी०	बी०	एफ०	टी०
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	—	2	2	—	2	—	1 (पुणे)	1	21	14	35
—	—	—	3	—	3	—	1.25 (पुणे)	1.25	91	25.25	116.7
8.39	—	8.39	0.9	—	0.90	—	—	—	67.39	3.5	70.89
7			6			1			53		
27.703			13.329			1.60 (औरंगाबाद)			309.9282		
—			2			—			20		
—			12.77			—			647.616		
	22			23			6			370	
	बी०-'5.905			बी०-62.5827			बी०-शून्य			बी०-1182.6067	
	एफ०-10.0			एफ०-शून्य			एफ०-1.60			एफ०-220.330	
	टी०-85.905			टी०-63.5827			टी०-1.60 (औरंगाबाद)			टी०-1382.3367	
	2/49			2/66			शून्य			11/324	
	2/199			शून्य			शून्य			7/663	
	टी०-कुल										

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्यपालन विकास के लिए प्रत्येक जिले में सहकारी समितियों और व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण

(नवम्बर, 1991)

वर्ष	थाणें	बम्बई	रायगढ़	रत्नागिरि	सिन्धुर्ग	कुल
1989-90	1 मामला	शून्य	2 मामला	1 मामला	शून्य	4 मामला
	रु० 12,700	—	रु० :6,250	रु० 22,875	—	रु० 91,825
1990-91	2 मामला	शून्य	1 मामला	1 मामला	1 मामला	5 मामला
	रु० 3,12,250	—	रु० 73,250	रु० 1,05,000	रु० 1,12,000	रु० 5,01,750
1991-92	3 मामला	शून्य	2 मामला	1 मामला	शून्य	6 मामला
	रु० 2,53,470	—	रु० 1,15,500	रु० 90,000	—	रु० 4,58,970

सहकारी समितियां

थाणें—183 हेक्टेयर कुल क्षेत्र वाली 4 सहकारी समितियों का सर्वेक्षण किया गया/एम्पीडा ने 3.25 हेक्टेयर के लिए परियोजना रिपोर्टें जारी कीं।

रायगढ़—49.25 हेक्टेयर क्षेत्र युक्त 5 सहकारी समितियां।

रत्नागिरि—शून्य।

बम्बई—शून्य।

बड़े उद्योगों के विरुद्ध बकाया उत्पाद शुल्क

[हिन्दी]

3785. **श्री राम नारायण बैरवा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन बड़े उद्योगों के विरुद्ध एक करोड़ रुपए या इससे अधिक का उत्पाद शुल्क बकाया है उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए पिछले तीन वर्षों में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जिन औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध एक करोड़ रुपए या इससे अधिक का उत्पाद शुल्क बकाया है उनकी संख्या 161 है।

(ख) अधिकांश बकाया राशियों का सम्बन्ध अदालती मामलों और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण नियन्त्रण अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के पास पड़े मामलों से है और इन मामलों में वसूलियों को स्थगित कर दिया गया है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपए में)
1. 1988-89	लगभग 137.28
2. 1989-90	लगभग 122.35
3. 1990-91	लगभग 141.98

सीमाशुल्क की वसूली के लिए महानगरों में मारे गए छापे

3786. **श्री राम नारायण बैरवा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा किकरेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में कितने छापे मारे गए;

(ख) उनका निष्कर्ष क्या निकला; और

(ग) सीमाशुल्क की कितनी धनराशि वसूली की गयी है और इस सम्बन्ध में कितने लोगों पर मुकदमे चलाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दीर्घावधि कपास नीति

3787. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दीर्घावधि कपास नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार का प्रयास है कि कपास उपजकर्त्ताओं को लाभप्रद कीमतें प्रदान की जाएं तथा घरेलू वस्त्र उद्योग को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित कीमतों पर कपास उपलब्ध कराई जाए। चूंकि कपास का उत्पादन जलवायु की अनिश्चित दशाओं पर निर्भर करता है इसलिए इन मुद्दों पर दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगा पाना सम्भव नहीं है।

भारत-अमरीका व्यापार सम्बन्ध

[अनुवाद]

3788. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत के साथ सभी क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है जिसमें भारत से अमेरिका को होने वाला 25 प्रतिशत वस्त्रों का निर्यात भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) बाजार प्रवेश सम्बन्धी वार्ताएं जिसमें वस्त्रों का मामला भी शामिल है उरुग्वे दौर में चल रही है। इन वार्ताओं में संयुक्त राज्य अमरीका भी भाग ले रहा है। इन वार्ताओं के बाद आवश्यकतानुसार द्विपक्षीय विचार विमर्श और वार्ताएं की जाती हैं।

वर्ष 1992 के लिए भारतीय वस्त्रों और पहनावा उत्पादों के प्रवेश स्तर के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच बहुरेशा करार (एम० एफ० ए०) के अधीन दिनाक 22 नवम्बर, 1991 को एक नया द्विपक्षीय करार सम्पन्न हुआ है। इसके अनुसार, कुछ विशेष उत्पादों के कोटे में वृद्धि होगी। कुछ उत्पादों के सम्बन्ध मे कुछ ऐसी खास अतिरिक्त लोचशीलता दी जाएगी जिससे निर्यात के अधिक अवसर बनेंगे। इन संशोधनों के फलस्वरूप ऐसी आशा है कि वर्ष 1992 के दौरान अमरीकी बाजार में प्रवेश मिलने में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

दोनों सरकारों के बीच राजनैतिक एवं अधिकारी स्तरों पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों तरह से विचार-विमर्श किए जाते हैं जिससे कि वे व्यापार तथा सम्बद्ध आर्थिक नीतियों के बारे में अपनी अपनी चिन्ताए एक दूसरे को व्यक्त कर सकें और वे व्यापार तथा पूंजी निवेश की गति में आने वाली बाधाओं को कम करने और समाप्त करने पर विचार कर सकें। दोनों देशों के उद्योग प्रतिनिधि भी संयुक्त व्यापार परिषद के माध्यम से समय समय पर अपने-अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।

यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड से सोने की पुन: खरीद

3789. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड से पुनः खरीद के विकल्प युक्त सोने की बिक्री करने सम्बन्धी 18 मई, 1991 के समझौते के अन्तर्गत कितनी राशि ली है; और

(ख) सरकार द्वारा अपना सम्पूर्ण सोना कब तक पुनः खरीद लिए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड से कोई धनराशि नहीं ली गई है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक ने, यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड के साथ दिनांक 18 मई, 1991 के अपने समझोते के अनुसार 2004 लाख अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा लीज पर दिए गए लगभग 20 मीट्रिक टन सोने का उपयोग किया है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने इस सोने को पहले ही पुनः खरीद लिया है। सरकार का इस सोने को भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानान्तरित करने का इरादा है जिससे हमारे सरकारी सोने के भण्डार में वृद्धि होगी।

यात्री बसों के लिए राष्ट्रीय परमिट नीति

[हिन्दी]

3791. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माल यातायात के लिए राष्ट्रीय परमिट नीति की तरह ही यात्री बसों के लिए भी राष्ट्रीय परमिट नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88, उपधारा 9 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण को पर्यटन वाहनों के सम्बन्ध में पूरे भारत में वैध अथवा उस राज्य जिसमें परमिट जारी किया जाता है, सहित कम से कम तीन राज्यों में वैध परमिट देने की शक्ति दी गई है। हालांकि ऐसे वाहनों को प्रत्येक राज्य में, जहां इसका प्रचालन होता है, सम्बन्धित करों का पूरा भुगतान करना अपेक्षित है। परिवहन विकास परिषद की अगली बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाली मदों में से एक मद, माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परिमिटों की पद्धति पर पर्यटन वाहनों से सम्बन्धित एक स्कीम है।

दिल्ली में वकीलों द्वारा हड़ताल

3792. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों के वकील पिछले कई महीनों से हड़ताल पर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संकट के समाधान के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। तीस हजारी न्यायालय के वकील मुख्य रूप से यह मांग करते हुए हड़ताल पर थे कि जिला न्यायालय की धनीय अधिकारिता बढ़ाई जानी चाहिए और जिला न्यायालय का द्विभाजन नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) सरकार का यह विचार है कि परिवर्तन लाने के लिए मुख्य मानदण्ड दिल्ली की मुकदमा लड़ने वाली जनता के हित को ध्यान में रखना होगा और यह कि दोनों प्रस्तावों को साथ-साथ कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। जिला न्यायालय की धनीय अधिकारिता को बढ़ाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991, 3 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और इस पर इस समय लोक सभा में कार्रवाई की जा रही है। जहां तक जिला न्यायालय के विकेन्द्रीयकरण विषय का सम्बन्ध है, यह दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के पश्चात् विचार-विमर्श के लगभग अन्तिम प्रक्रम पर है।

बिहार में जब्त माल की बिक्री हेतु सीमाशुल्क विभाग की खुदरा दुकानें

3793. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जब्त माल की बिक्री करने के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा प्राधिकृत कितनी खुदरा दुकानें हैं;

(ख) क्या तस्करी के माल की बिक्री अनधिकृत दुकानों में भी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा इन दुकानों से वर्ष 1990 में और 1991 के दौरान अब तक कितने मूल्य का माल बरामद किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि बिहार में विभिन्न स्थानों पर ऐसी 29 दुकानें स्थित हैं जिन्हें खुदरा आधार पर जब्तशुदा माल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मूल के तस्करी के माल को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। अकेले बिहार में, वर्ष 1990 में 95,000 रुपए (लगभग) के मूल्य का

माल पकड़ा गया था और वर्ष 1991 में (नवम्बर तक) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों/ली गई तलाशियों में 1.01 लाख रुपए का माल पकड़ा गया था।

ऋण देने वाली कम्पनियों द्वारा इक्विटी पूंजी की वसूली

[अनुवाद]

3794. **श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने वाली अनेक कम्पनियां जनता से धन और इक्विटी पूंजी वसूली कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कम्पनियों को इस प्रकार की अनुमति दी है;

(ग) क्या ऋण देने वाली ये कम्पनियां जनता से धन की वसूली के सम्बन्ध में गैर बैंकिंग कम्पनियों के लिए लागू विनियमो के अन्तर्गत आती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पट्टा कंपनियां (लीजिंग कंपनियां) जनता से इक्विटी पूंजी और जमाराशियां एकत्र करती हैं। इक्विटी पूंजी एकत्र करने के लिए पूंजी निर्गम नियन्त्रण की सहमति अपेक्षित है। पट्टा कंपनियों की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों द्वारा नियन्त्रित होती हैं जिन्हें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 के नाम से जाना जाता है।

(ग) से (ङ) रिजर्व बैंक निदेशों की मुख्य शर्तें ये हैं :—

(i) जनता से एकत्र की जा सकने वाली अधिकतम जमाराशि (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार सहित)	कंपनी की अपनी निवल निधियों का 10 गुना
(ii) दी सकने वाली अधिकतम ब्याज दर	तीमाही के आधार पर लागू 15 प्रतिशत वार्षिक
(iii) जमाराशियों की न्यूनतम और अधिकतम अवधि	न्यूनतम-2 वर्ष से अधिक अधिकतम 5 वर्ष
(v) दी जा सकने वाली अधिकतम दलाली	जमाराशि का 2 प्रतिशत
(vi) जमाराशियों के माध्यम से अनुसूचित बैंक के पास नकद परिसंपत्तियां और अनुमोदित प्रतिभूतियां।	इस समय जमा देयताओं का 11 प्रतिशत। यह पहली फरवरी, 1992 से 1 प्रतिशत बढ़कर पहली नवम्बर, 1992 तक 15 प्रतिशत तक जाएगा।

विज्ञापन, रिकार्डों के रखरखाव और रिजर्व बैंक की प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों आदि के सम्बन्ध में दूसरी शर्तें भी हैं। इन निदेशों का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

3795. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर-जबलपुर राजमार्ग किस तारीख को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 घोषित किया गया था;

(ख) इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की तारीख से अक्तूबर, 1991 तक उसके राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पड़ने वाले पैदल-पथों तथा पुलों की मरम्मत पर कुल कितनी धन-राशि खर्च हुई;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा, हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसके लिए सरकार का विचार अगले वित्त वर्ष के दौरान और अधिक धनराशि आवंटित करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जबलपुर से बियौरा सड़क 4-5-1960 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 1"-12-1981 को बियौरा से जयपुर तक बढ़ा दिया गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल पथ यदि अपेक्षित हों तो वे केवल शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले खण्ड पर ही बनाए जाते हैं। कसे शहरी ि कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों की है। तथापि, केन्द्र सरकार शहरी लिंकों के रख-रखाव के लिए प्रति कि० मी० आधार पर एक निश्चित राशि सुलभ कराता हैं। पुलों का रख-रखाव और मरम्मत कार्य राज्यों को जारी सामान्य रख-रखाव और मरम्मत अनुदानों से किया जाता है।

इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के बाद से पुलों की तत्काल मरम्मत के लिए 47.15 लाख रुपए की राशि के 21 कार्यों को मन्जूरी दी जा चुकी है। ये सी कार्य पूरे हो गए हैं।

(घ) और (ङ) निधियों का आबंटन कई बातों जैसे यातायात की सघनता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को निधियों के समग्र वितरण के अन्दर सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

मिग विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

[अनुवाद]

3796. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 नवम्बर, :991 को भारतीय वायुसेना का एक मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए थे ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) एक मिग 29 प्रशिक्षक वायुयान कम ऊंचाई पर प्रशिक्षण उड़ान भरने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया।

(ग) दुर्घटना में दो व्यक्ति (दोनों वायुयान चालक) मारे गए।

सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया को वैधानिक शक्तियां

3797. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया को स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित करने प्रोत्साहन देने तथा इसपर निगरानी रखने के लिए पूर्ण वैधानिक शक्तियां देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक कानून बनाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को सांविधिक शक्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वृहत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3798. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में वृहत परियोजनाओं जैसे बड़े बांधों और बड़े बिजली संयंत्रों को कोई सहायता न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के भविष्य पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियां

3799. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियों की कितनी घटनाए हुई; और

(ख) इन राज्यों में बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1991 के महीनों में पंजाब राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट/डकैती की 3 घटनाएं घटी हैं। इसी अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में लूटपाट/डकैती की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भारत सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है तथा राज्य सरकारों ने बैंकों के लिए सुरक्षा प्रबन्धों को बढ़ा दिया है ।

विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यम एकक

[हिन्दी]

3801. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय संयुक्त उद्यम एककों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ एकक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे एकक कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) इन संयुक्त उद्यम एककों को चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिनांक 30 नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार विदेशों में सरकार द्वारा स्वीकृत 232 संयुक्त उद्यम इकाईयां थीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यद्यपि कुछ इकाईयों को चालू करने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन कुछ संयुक्त उद्यमों के चालू नहीं होने के कारणों में अन्य बातों के अलावा वित्तीय और प्रबन्धकीय दिक्कतें, मेजबान देश में बदली हुई आर्थिक परिस्थितियां, संवर्धकों द्वारा निवेश-पूर्व अपर्याप्त परियोजना मूल्यांकन तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नई प्रवृत्तियां हो सकते हैं । वे कुछ देश जहां सयुक्त उद्यम कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा चालू होने की प्रक्रिया में हैं वे है : आस्ट्रेलिया, बहरीन, बोत्सवाना, बंगलादेश, मिस्र, हांगकांग, इण्डोनेशिया, केन्या, मलेएशिया, मारीशश, नीदरलैंड, नेपाल, नाइजीरिया, पनामा, स्पेन, पुर्तगाल, सऊदी अरब, जार्डन, श्रीलंका, थाईलैंड, उगाण्डा, यू० ए० ई०, यू० के०, यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०, पश्चिम जर्मनी, वेनेजुएला, वियतनाम और हंगरी ।

(घ) सरकार ऐसे परिवर्तनों पर जिनकी क्रियान्वयन/प्रचालन की प्रक्रिया के दौरान जरूरत हो, हमेशा विचार करती है और उपयुक्त निर्णय लेती है ।

सोवियत संघ को निर्यात

[अनुवाद]

3802. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सोवियत संघ को रुपए के भुगतान के अन्तर्गत निर्यात किए जाने वाले काजू, तम्बाकू इत्यादि जैसे कुछ मदों का भारत के परम्परागत पश्चिम उपभोक्ताओं को पुन: निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सोवियत संघ के साथ व्यापार करार में स्पष्टतः यह प्रावधान है कि भारत गणराज्य से सोवियत संघ को और सोवियत संघ से भारत गणराज्य को निर्यात की गई वस्तुएं क्रमश: सोवियत संघ और भारत में प्रयोग के लिए हैं और इन्हें किसी अन्य देश को पुन निर्यात नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच विशेषरूप से सहमति न हो जाए सरकार को ऐसी जानकारी मिली है, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत से निर्यात की गई कुछ कृषि मदें आयातक संगठनों द्वारा दूसरे देशों को भेजी जा रही हैं।

विभिन्न कृषि मदों के निर्यात के मामले में कुछ सुरक्षात्मक पूर्व-क्रय उपाय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं :

(I) निर्यात लाभ तभी दिए जाने थे जब आयातक देश के मान्य प्राधिकारी द्वारा निर्यातक को यह प्रमाणपत्र मिल जाए कि वस्तुएं वास्तव में पहुंच गई हैं ।

(II) व्यापार योजना में निर्धारित प्रावधान नहीं बढ़ाए जाने थे, चाहे वे मात्रा में हो या मूल्य में; और

(III) रुपया भुगतान क्षेत्रों के देशों को निर्यात यथासम्भव या तो भारतीय जहाजों में या आयातक देश के जहाजों में किए जाने चाहिए और मध्यवर्ती तीसरे देश के जहाजों के प्रयोग से बचना चाहिए ।

यदि इस करार के उल्लंघन का कोई विशेष उदाहरण सरकार की जानकारी में आता है तो मामले की जांच की जाएगी।

मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को शक्तियों का प्रत्यायोजन

3803. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वाणिज्य मंत्री** 22 फरवरी और 12 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्र० सं० 132 और 13 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक की अब तक शक्तियों का विधिवता प्रत्यायोजन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय लेकर प्रत्यायोजन आदेशों को कब तक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) लाइसेंस निर्गत करने के सम्बन्ध में आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955, यथा संशोधित के अन्तर्गत, मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात को प्रत्यायोजित की गई शक्तियां वैध हैं और शक्तियों के नए सिरे से प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं है ।

भरतपुर शहर के चारों तरफ आगरा-मथुरा-जयपुर राजमार्ग पर बाईपास

[हिन्दी]

3804. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर शहर के चारों तरफ आगरा-मथुरा-जयपुर राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां । पुरानी एजेंसी सड़क के संरेखण के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (आगरा-भरतपुर-जयपुर मार्ग) पर भरतपुर के चारों ओर एक छोटे बाईपास का निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) राज्य के लोक-निर्माण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के बाद पुनः संरेखण शुरू किया जाएगा । भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य चल रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नासिक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर पुल का निर्माण

[अनुवाद]

3805. **डा० बसन्त पवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नासिक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर एक और पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराना मन्नमवार पुल यातायात के योग्य नहीं रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और उसे मजबूत बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। मौजूदा पुल के पास दो लेन का एक और पुल बनाने हेतु 148.74 लाख रु० की राशि की संस्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) पुराने पुल की मरम्मत करके उसे बजबूत बनाया जा चुका है तथा अब यह यातायात योग्य स्थिति में है।

समान बिक्री-कर

[हिन्दी]

3806. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** 4 अगस्त, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1989 में आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में जिन 29 मदों की बिक्री-कर की दरों में अन्तर समाप्त करने का निश्चय किया गया था, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) फरवरी 1989, को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे पता लगाई गई 29 वस्तुओं के सम्बन्ध में उन न्यूनतम दरों को अपनाएं, जिनकी बिक्री-कर आयुक्तों की समिति के द्वारा सिफारिश की गई है। बिक्री-कर राज्य का विषय है, संघ सरकार राज्य बिक्री-कर की दरों को मानीटर नहीं करती जोकि परिवर्तित हो सकती हैं।

विवरण

क्रम सं०	वस्तु	सुझाई गई कर की न्यूनतम दर
1	2	3
1.	मोटर वाहन जिनमें ये सब शामिल हैं मोटर कारें, मोटर टैक्सी कैब, मोटर टैक्सी, मोटर साइकिलें, कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर, मोटर मोटरेट्टीस, मोटर मिनी बसें, मोटर वैनें,	एक रुपए पर 10 पैसे

1	2	3
	मोटर लारियां और मोटर वाहनों के चेसिस, मोटर वाहनों के ट्रेलर, मोटर टायर और ट्यूबें, उपांग, अवयव, सभी मोटर वाहनों के पुर्जे, और मोटरों की बाडियां।	
	2. ट्रेक्टर, अवयव, उनके पुर्जे और उपांग।	एक रुपए पर चार पैसे
	3. रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन एवं अन्य कूलिंग उपकरण और यन्त्र जिनमें रूम कूलर और वाटर कूलर और अवयव हिस्से-पुर्जे, अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे और उनके उपांग शामिल हैं।	एक रुपए पर 10 पैसे
	4. वायरलैस रिसेप्शन यन्त्र और उपकरण, रेडियो और रेडियो ग्रामोफोन, टेलिविजन सेट, एक्युमूलेटरस, एम्पलीफायर लाऊड स्पीकर और ट्रांजिस्टर और अतिरिक्त हिस्से पुर्जे, अवयव हिस्से-पुर्जे और उनके उपांग जिनमें बैटरियां और इलेक्ट्रिकल वाल्व और सेमिकंडक्टर डायोड शामिल हैं।	एक रुपए पर 10 पैसे
	5. सिनेमोटोग्राफिक उपकरण, इनमें कैमरे प्रोजेक्टर, और साउण्ड रिकार्डिंग और उनके साथ उपयोग के लिए रिप्रोड्यूसिंग उपकरण और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे, अवयव हिस्से-पुर्जे और उपांग और लेन्स और सिनेमा कार्बन और फिल्म स्ट्रिपें शामिल हैं।	एक रुपए पर 10 पैसे
	6. फोटोग्राफिक और अन्य कैमरे और एनलार्जर, लेन्सेज, फिल्में, पेपर और प्लेटें और अन्य अवयव, हिस्से-पुर्जे, अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे और फोटोग्राफिक रसायन और फोटोग्राफ सहित उनके साथ अपेक्षित उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
	7. दीवार की सभी घड़ियां, टाईम पीस, घड़ियां, क्लैरिकल टाईम घड़ियां और मेकैनिकल टाईमर और अवयव हिस्से-पुर्जे, उनके अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे तथा उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
	8. लोहे और स्टील के सेफ और अलमारियां।	एक रुपए पर 10 पैसे

1	2	3
9.	राईफलों, रिवाल्वरों और पिस्टलों सहित सभी शस्त्र और उनके लिए गोला बारूद (एम्यूनेशन) और हिस्से-पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे, और उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
10.	सिगरेट केस और लाईटर्स।	एक रुपए पर 10 पैसे
11.	साउण्ड रिकार्डिंग के लिए डिक्टाफोन टेप रिकार्डर्स और ऐसे अन्य उपकरण और उनके हिस्से-पुर्जे, फालतू पुर्जे और उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
12.	कार्यालय मशीनें और उपकरण जिनमें ये शामिल हैं :—टाईपराईटर, टेबूलेविंग मशीनें कलकूलेटिंग मशीनें, कैश रजिस्ट्रिंग मशीनें, चैक राईटिंग मशीनें, एकाऊंटिंग मशीनें, स्टैटिस्टिकल मशीनें, इन्डेक्सिंग मशीनें, कार्ड पंचिंग मशीनें, पैकिंग मशीनें, टेबुलेटिंग मशीनें कम्प्यूटर (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और पेरिफेरल डिवाईसिस सहित) टेलिप्रिन्टर और अगजिलरी मशीनें, इन्टरकाम डिवाईसिस, ऐसी कार्यालय मशीनों और उपकरणों के अवयव हिस्से-पुर्जे, और उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
13.	बायनाकूलर, टेलिस्कोप और ओपेरा ग्लासिस और उनके अवयव हिस्से-पुर्जे, और उनके हिस्से और उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
14.	ग्रामोफोन, रिकार्डप्लेयर, रिकार्ड चेंजर चाहे मशीनों से अथवा चाहे बिजली से बनते हों, अथवा चाहे उनके अन्दर साऊंड रिप्रोडक्शन अथवा एम्पलीफिकेशन सिस्टम (एकोस्टिक, इलेक्ट्रिक अथवा ट्रांससिट्राईज) हों या न हों और उनके अवयव, हिस्से-पुर्जे, फालतू हिस्से-पुर्जे और उपांग और ग्रामोफोन रिकार्ड और सुइयां।	एक रुपए पर 10 पैसे
15.	चादरें, गद्दियां, तकिये, चटाइयां और फोम रबर, प्लास्टिक फोम अन्य सिंथेटिक फोम	एक रुपए पर 10 पैसे

1	2	3
	अथवा रबर वाली कापर से निर्मित अन्य वस्तुएं।	
16.	भोजन अथवा अन्य पदार्थों को गर्म अथवा ठंडा रखने वाली थर्मसों, थर्मिक जगों आईस बकेट अथवा बक्सों बर्तनों सहित सभी प्रकार की वैक्यूम फ्लास्कें और उनके रिफिल।	एक रुपए पर 10 पैसे
17.	कास्मेटिक्स, परफ्यूमरी और प्रसाधन सामग्री अर्थात त्वचा की रक्षा के लिए निर्मितियां जिनमें ये शामिल हैं ब्यूटी क्रीमें, वेनिशिंग क्रीमें, कोल्ड क्रीमें, मेकअप क्रीमें, फेस पाऊडर टाइलेट पाऊडर, बेबी पाऊडर, टैल्कम पाऊडर और लिपस्टिक, बालों की रक्षा के लिए निर्मित्तियां, शेविंग क्रीमें, जिनमें डिटरजेन्ट शामिल हों या न हो।	एक रुपए पर 10 पैसे
18.	बिना खोल (अनहोल्स्टर्ड) फर्नीचर तथा फर्नीचर जोकि आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से लोहे और स्टील अथवा एल्यूमिनियम का बना हो।	एक रुपए पर 10 पैसे
19.	खाल (फर) से बने व्यक्तिगत अथवा घरेलू इस्तेमाल के लिए खालें अथवा वस्तुएं।	एक रुपए पर 10 पैसे
20.	बच्चों के लिए पुश कुर्सियां सहित बच्चा गाड़ियां और उनके अवयव, हिस्से-पुर्जे, फालतू हिस्से-पुर्जे और उपांग।	एक रुपए पर 10 पैसे
21.	सभी प्रकार की गलेज्ड और बिटरस टाइलें, मोजियक टाइलें, सनमाईका, फोर्माईका, आदि जैसी लेमिनेडिट शीटें और लिनो-लियम।	एक रुपए पर 10 पैसे
22.	सभी प्रकार की दरियां, फर्श वाले गलीचे शालें, चाहे सूत से अथवा ऊन से बने हों, उनको छोड़कर, वे जिन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का माल)	एक रुपए पर 10 पैसे

1	2	3
	अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन शुल्क उद्ग्रहीत हो ।	
23.	हाथी दांत से बनी वस्तुएं अथवा वे वस्तुएं जिनमें हाथी दांत लगाया गया हो ।	एक रुपए पर 10 पैसे
24.	सभी प्रकार की क्राकरी सहित चीनी मिट्टी के बर्तन और पोरसिलियेन बर्तन ।	एक रुपए पर 10 पैसे
25.	विदेशी शराब और भारत में बनी विदेशी शराब ।	एक रुपए पर 10 पैसे
26.	कीमती पत्थर चाहे तराशे हुए अथवा बिना तराशे हुए वास्तविक अथवा बनावटी ।	एक रुपए पर 10 पैसे
27.	हवाई जहाज और उनके अवयव हिस्से-पुर्जे, फालतू पुर्जे, उपांग जिनमें ऐसे हवाई जहाजों के लिए अपेक्षित टायर-ट्यूबें शामिल हैं ।	एक रुपए पर 10 पैसे
28.	इलेक्ट्रोप्लेटिड वस्तुएं और बर्तन ।	एक रुपए पर 10 पैसे
29.	लिफ्टें चाहे बिजली से चाहे हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पावर से चलती हों और उनके अवयव हिस्से-पुर्जे और उपांग ।	एक रुपए पर 10 पैसे

व्यापार विकास मिशनों की स्थापना

3807. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात को बढ़ावा देते हेतु भारतीय दूतावासों में व्यापार विकास मिशनों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अभी, विदेशों में स्थित अधिकांश महत्वपूर्ण भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक कार्यालय कार्य कर रहे हैं । जब कभी भी जरूरत होगी अपने मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करने के उपाय किए जाएंगे ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्नों का निर्यात

3808. **श्री बी० कृष्ण राव : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है; और

(ख) उन देशों को चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितना तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, बहरीन, कुवैत, संयुक्त राज्य अमरीका, हालैण्ड, ओमान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कतार, नार्वे, स्वीडन, इटली, जार्डन; सोवियत सघ, लेबनान, चेकोस्लोवाकिया, टोगो, पनामा, डी० पी० आर० कोरिया, कुछ अफ्रीकी देशों आदि को 110.53 करोड़ रुपए, मूल्य का 4,58,503 मी० टन गेहूं, 186.92 करोड़ रुपए का 1,19,183 मी० टन बासमती चावल, 85.95 करोड़ रुपए का 1,41,175 मी० टन गैर बासमती चावल और 0.71 करोड़ रुपए मूल्य के 1431 मी० टन गल्ले का निर्यात किया गया था।

स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में गुप्ता समिति की सिफारिशें

3809. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण के बारे में गुप्ता समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों में शेयरों के व्यापार के सम्बन्ध में डा० एल० सी० गुप्ता द्वारा किए गए विशेषज्ञ अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ शेयरों में समरूप सप्ताह निपटान प्रणाली सभी स्टाक एक्सचजों में प्रबन्ध सूचना प्रणाली को प्रारम्भ करने और व्यापार की "बादला" प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) सिफारिशों के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्टाक एक्सचेंजों का सूचकांक

3810. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के सूचकांक में दिन-प्रति-दिन तेजी से वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्टाक एक्सचेंज-वार तुलनात्मक सूचकांक दर क्या थी;

(घ) क्या स्टाक एक्सचेंजों में शेयर व्यवसाय की वर्तमान दरें कम्पनियों की अपेक्षा बहुत अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बम्बई स्टाक एक्सचेंज, जो कि देश का सबसे बड़ा स्टाक एक्सचेंज है, के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की कीमतें, पूर्ति तथा मांग के सिद्धांतों, कम्पनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन, देश में स्थूल आर्थिक स्थिति, निवेशकों की आकांक्षाओं आदि जैसे विविध कारकों से निर्धारित होती हैं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के लिए बम्बई स्टाक एक्सचेंज की इक्विटी कीमतों में संवेदनशील सूचकांक (1978-89 = 100) का माहवार औसत

	1988-89	198 -90	1990-91
अप्रैल	427.32	749.86	780.18
मई	517.43	721.62	785.57
जून	595.08	739.63	802.45
जुलाई	580.51	757.80	938.00
अगस्त	597.10	720.18	1116.19
सितम्बर	628.36	727.09	1307.87
अक्तूबर	680.78	733.02	1354.02
नवम्बर	700.83	712.99	1306.09
दिसम्बर	677.42	755.81	1161.87
जनवरी	648.87	746.99	996.45
फरवरी	662.69	678.82	1100.78
मार्च	676.59	710.76	1180.70

राजस्थान में किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करना

[हिन्दी]

3811. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के किसानों ने भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में खोल (वाटर चैनल्स) बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं के प्रति उनकी कुल देयतायें कितनी हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में इसके पूर्व ऐसे ऋणों को माफ कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में खोल (वाटर चैनल्स) के निर्माण में भूमि विकास संघटक का कार्य राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा बैंकों और ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है । अलग-अलग किसानों के खेतों में आवश्यक कार्य को पूरा करने में निगम द्वारा किए गए खर्च को उनसे वसूल किए जाने वाले ऋण के रूप में माना गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान सरकार से मिली सूचना के अनुसार राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किए गए कार्य से सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं के प्रति कुल देनदारी 14-12-1989 की स्थिति के अनुसार 123.05 करोड़ रुपए थी ।

(ग) से (ङ) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों, भूमिहीन कृषक, कारीगरों और बुनकरों को अलग-अलग प्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण को प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए तक की रकम को बट्टे खाते डाल दिया गया था । राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों की राशि को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के प्रावधानों के तहत बट्टे खाते डालने हेतु शामिल करने का अनुरोध किया है । तथापि, इसे माना नहीं जा सका क्योंकि ऐसे अप्रत्यक्ष ऋण योजना की सीमा में नहीं आते ।

भारतीय वित्त शिष्टमण्डल की वाशिंगटन की यात्रा

[अनुवाद]

3812. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र का पुनर्गठन करने के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक भारतीय वित्त शिष्टमण्डल ने हाल ही में वाशिंगटन की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वित्तीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका पुनर्गठन किया जाता है;

(ग) क्या शिष्टमण्डल ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने टोकियो, न्यूयार्क और लन्दन को शामिल करते हुए विदेश दौरे के भाग के रूप में वाशिंगटन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान अधिकारियों ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, इन संस्थानों के साथ चल रहे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनौपचारिक विचार विनिमय किया। इस यात्रा के दौरान ऋण सम्बन्धी कोई बातचीत नहीं की गई और न ही कोई ऋण प्राप्त किया गया।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"गैट" वार्ता का उरूग्वे दौर

3813. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैट वार्ता के उरूग्वे दौर की स्थिति पर एक श्वेत पत्र सभा पटल पर रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उरूग्वे दौर की वार्ताओं में भारत सहित 108 देश भाग ले रहे हैं। यह वार्ता चल रही है और विभिन्न विचाराधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इन परिस्थितियों में वार्ताओं की स्थिति से सम्बन्धित कोई निश्चित विवरण-पत्र तैयार करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर "ट्रक ले बाई" का निर्माण

[हिन्दी]

3814. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लम्बी दूरी के मार्गों पर ड्राइवरों के आराम तथा उन्हें मार्ग में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों पर ट्रकों को खड़ा करने के लिए "ट्रक ले बाई" बनाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों पर ट्रक ले बाई का निर्माण किया गया है अथवा जहां अभी इनका निर्माण चल रहा है, उनकी सूची तथा काम पूरा होने की लक्षित तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य	ले बाई का स्थान
1	2
आन्ध्र प्रदेश	(1) एन एच-9 पर 20/4 कि० मी० में पेडा अम्बेरपेड में ट्रक ले बाई (काम पूरा हो गया है)
	(2) एन एच-7 पर 80/0 कि० मी० में जदचेरला में ट्रक ले बाई (इसके मार्च, 1992 तक पूरा होने की सम्भावना है)
	(3) एन एच-4 पर 196/2 कि० मी० में पालमानेर (इसके अगस्त, 1992 तक पूरा होने की सम्भावना है)
असम	(1) एन एच-31 पर 1042 कि० मी० में ट्रक ले बाई (इसके पूरा होने की लक्षित तारीख दिसम्बर, 91 है)
	(2) एन एच-31 पर 1085-86 कि० मी० में ट्रक ले बाई (इसके दिसम्बर, 1991 तक पूरा होने का अनुमान है)
	(3) एन एच-37 पर 304-305 कि० मी० में ट्रक ले बाई (इसके पूरा होने की लक्षित तारीख दिसम्बर, 1991 है)
बिहार	(1) एन एच 2 पर 373/कि० मी० में टोपचंची के समीप ट्रक ले बाई (काम पूरा हो गया है)
गुजरात	(1) एन एच 8ए पर 33/2-34/2 पर बाओला में ट्रक ले बाई (अहमदाबाद बंगलौर खंड) (काम मार्च, 1991 में पूरा हो गया)
	(2) एन एच-8 पर 398/050 कि० मी० में अजमेर अहमदाबाद खंड में शामलाजी में ट्रक ले बाई (पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
	(3) एन एच 8 पर अजमेर अहमदाबाद में 446/950-447/600 कि० मी० में मोतीपुरा में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
हरियाणा	(1) एन एच 1 पर धुलको में अम्बाला-कालका रोड पर ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)

1	2
मेघालय	(1) एन एच 40 पर 71 कि० मी० पर ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
	(2) एन एच 44 पर 6 और 7 मील पर ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
राजस्थान	(1) एन एच 8 पर दिल्ली जयपुर खंड के 21(-202 कि० मी० पर शाहपुरा में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख दिसम्बर, 1992 है)
	(2) एन एच 8 के दिल्ली अजमेर खंड पर 351 कि० मी० में बंडारी में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख सितम्बर, 1992 है)
उत्तर प्रदेश	(1) एन एच 28 पर गोरखपुर-कासिया के 348/349 कि० मी० में ट्रक ले बाई का निर्माण (काम पूरा हो गया है)
	(2) एन एच 28 पर बिहार बार्डर पर गोरखपुर-कासिया के 312 कि० मी० में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
	(3) एन एच 28 पर बिहार बार्डर में गोरखपुर-कासिया के 297 कि० मी० में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)
	(5) एन एच 25 पर शिवपुरी भोगरीपुर के 87 कि० मी० में ट्रक ले बाई (काम पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 1992 है)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सूचना सम्बन्धी संकेत

[हिन्दी]

3815. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त सूचना सम्बन्धी संकेत लगाने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में आज तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है; और

(घ) यह सम्पूर्ण कार्य संभवतः कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के साथ-साथ अन्तरों पर स्थान सूचना संकेत लगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था और यह कार्य अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैंड राज्यों

और चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ शासित राज्यों में पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह कार्य विभिन्न चरणों में है तथा यह कार्य लक्षित तारीख जून, 1992 तक पूरा होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में संकेतों की संस्थापना के अनुमानों को स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन कार्यान्वयन निर्धारित समय से पीछे है। बिहार राज्य के प्राक्कलन की मंजूरी को रद्द कर दिया गया है क्योंकि कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण राज्य सरकार ने कार्य के कार्यान्वयन के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

दिल्ली के न्यायालयों में लंबित विवाह सम्बन्धी मामले

[अनुवाद]

3816. **श्री हरिन पाठक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण दिल्ली के निचले न्यायालयों में विवाह/गोद लेने सम्बन्धी अनेक मामले तथा अन्य मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायालयों में चार वर्षों से अधिक समय से लम्बित विवाह सम्बन्धी मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन

3817. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों के कार्य क्षेत्रों का जोन-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन जोनों के कार्य निष्पादन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के निर्यातोन्मुख उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु निकट भविष्य में राज्य में ऐसे किन्हीं जोनों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में स्थापित किए गए एककों का ब्यौरा क्या है तथा इस

जोन को अधिक कारगर एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों की दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस समय देश में छः निर्यात संसाधन जोन कार्य कर रहे हैं, वे है—काण्डला, बम्बई, मद्रास, कोचीन, नौएडा और फाल्टा। विशाखापटनम में एक सातवां जोन कार्यान्वियन के अधीन है। सांताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स प्रोसेसिंग जोन बम्बई केबल इलेक्ट्रानिक्स और आभूषण मदों के निर्यात के लिए है, जबकि अन्य सभी बहु उत्पाद जोन हैं।

(ख) निर्यात संसाधन जोनों का पिछले तीन वर्ष का निर्यात निष्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपयों में)
1988-89	516.52
1989-90	732.08
1990-91	982.62

(ग) इस राज्य में अन्य जोन स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) नौएडा निर्यात संसाधन जोन में इस समय 60 यूनिटें चल रही हैं और 39 यूनिटें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जोन को और अधिक अर्थक्षम तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने नई व्यापार नीति के एक मांग के रूप में अभी हाल ही में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा ई०पी०जेड० में स्थित इकाइयों के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। इसमें शामिल हैं दोनों योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने तथा प्रस्तावों की जांच करने की संशोधित प्रक्रिया 100 प्रतिशत निर्यान्तोमुख इकाइयों और ई० पी० जेड० यूनिटों के लिए अनुमोदन बोर्ड/प्रशासनिक मंत्रालयों की कुछ विशिष्ट शक्तियों का निर्यात संसाधन जोनों के विकास आयुक्तों को हस्तान्तरण और कुछ कार्य विधियों का सरलीकरण इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों को एक्सिमस्क्रिप तथा लोहा और इस्पात की आपूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना की सुविधा भी दी गई है।

जनरल ऐग्रीमेंट ऑन टेरिफ एण्ड ट्रेड वार्ता के दौरान भारत का दृष्टिकोण

3818. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत के विरुद्ध "स्पेशल 301" उपबन्धों को समाप्त करने की तिथि बढ़ा दी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) हाल ही में जिनेवा में आयोजित जनरल ऐग्रीमेंट आन टैरिफ एण्ड ट्रेड वार्ता के दौरान भारत का क्या दृष्टिकोण रहा और इसका भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या अमेरिका ने उक्त शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हाल ही में व्यापार सम्बन्धी निवेश के सम्बन्ध में किए गए उपायों का ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को इस निर्णय की घोषणा की कि अमरीका के स्पेशल 301 उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के विरुद्ध जांच कराए जाने की अन्तिम तिथि तीन महीने आगे बढ़ाकर 26 फरवरी, 1992 कर दी गई है। इसे उपबन्धों में निहित मुद्दों की पेचीदगी के कारण ऐसा किया गया है। सरकार ने उक्त निर्णय नोट कर लिया है किन्तु, अमरीकी कानून के अधीन की गई एक प्रशासकीय कार्रवाई के बारे में कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझती है।

(ख) और (ग) उरूग्वे दौर की वार्ताएं जेनेवा में चल रही हैं। वार्ता के मुद्दों के विभिन्न प्रस्तावों पर अब भी विचार किया जा रहा है और उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारत-अमरीकी व्यापार संबंधों पर तत्काल कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है।

(घ) नई औद्योगिक नीति की घोषिणा दिनांक 24 जुलाई, 1991 को की गई थी। नीति में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने सम्बन्धी विभिन्न उपायों की रूप रेखा दी गई है। सरकार ने नई परियोजनाओं के बारे में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की प्रणाली भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। बाद में यह निर्णय मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू किया गया। साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं के लाभांशों के भुगतान को मानीटर करेगा कि लाभांशों की अदायगियों के रूप मे जो राशि विदेशों में जाती हैं उसे किसी निर्धारित अवधि में निर्यात आय के रूप में संतुलित किया जाए।

बीस शीर्ष आयकर दाता

3819. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीस शीर्ष आयकर दाताओं के नाम क्या हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान 5 लाख से अधिक आय घोषित करने वाले आयकर दाताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या भारी आयकर राशि का भुगतान करने वाले कुछ व्यक्तियों को हाल में सम्मानित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है;

(ङ) इनमें से कितने व्यक्तियों से विरुद्ध आय को कथित रूप से छिपाने के कारण हाल में जांच-पड़ताल की गई है;

(च) आयकर से संबंधित प्रमुख चूककर्ता व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(छ) करदाताओं की अघोषित आय का पता लगाने तथा आय छिपाने और कर अपवंचन से संबंधित सभी खामियों को दूर करने हेतु विभाग और इसके नियमों को दुरूस्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 सम्बन्धित सूचना संकलित नहीं की गई है ।

कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए 20 ऐसे शीर्ष आयकर कर-निर्धारितियों के नाम नीचे दिए गए हैं, जिन्हें उनकी विवरणी में दर्ज आय (वार्षिक) के अनुसार क्रम दिया गया है :—

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम, बम्बई ।
2.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून ।
3.	भारतीय तेल निगम लि०, बम्बई ।
4.	महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली ।
5.	आयल इण्डिया लि०, कलकत्ता ।
6.	विदेश संचार निगम, बम्बई ।
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिक्लस लि०, नई दिल्ली ।
8.	भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
9.	बैंक आफ इण्डिया, बम्बई ।
10.	मै० मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कंपनी लि०, नई दिल्ली ।
11.	ब्रुक बांड (प्रा०) लि०, कलकत्ता ।
12.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बम्बई ।
13.	कोलगेट पालमोलिव लि०, बम्बई ।
14.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई ।
15.	साधारण बीमा निगम, बम्बई ।
16.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, पटियाला ।
17.	मैसर्स आई० टी० सी० लि०, कलकत्ता ।
18.	मैसर्स ग्रिंडलेज बैंक, कलकत्ता ।
19.	भारत पैट्रोलियम लि०, बम्बई ।
20.	इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली ।

कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से संबंधित सूचना संकलित की जा रही है ।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1989 को तथा दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्षों के लिए जिन व्यष्टि आयकर कर-निर्धारितियों ने 5 लाख रुपए से अधिक की आय की घोषणा की थी, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	को समाप्त वर्ष	कर-निर्धारितियों की संख्या
1.	31 मार्च, 1989	4009
2.	31 मार्च, 1990	5421

दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आंकड़े संकलित किए जा रहे है ।

(ग) जी, नहीं । सरकार ने हाल ही में ऐसे व्यष्टियों में से किसी को सम्मानित नहीं किया है ।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं ।

(च) दिनांक 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार जिन कर-निर्धारितियों की तरफ प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपए से अधिक की आयकर-मांग (निगम-कर सहित) बकाया थी, उनकी सूची संलग्न है ।

बकाया-कर की वसूली के लिए आयकर कानून के अध्यधीन अनुमत्य कार्यवाही किए जाने के अलावा बकाया कर की वसूली के निमित्त निरन्तर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं । विधायी कार्यवाहियों में ये शामिल हैं :—समुचित मामलों में अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाना; बैंक-खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए गार्निशी आदेश जारी करना; कर-वसूली अधिकारियों द्वारा कर-वसूली विवरण-पत्र तैयार करना ताकि वे परिसम्पत्तियों की कुर्की/बिक्री के माध्यम से वसूली कर सकें; चूककर्त्ता की सम्पत्ति की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए प्रापक नियुक्त करना; चूककर्त्ताओं को गिरफ्तार करना आदि । प्रशासनिक तौर पर, बकाया मांगों में कमी लाने के लिए कार्य-योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; तथा वसूली की प्रगति पर विविध स्तरों पर निगरानी रखी जाती है । कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन मामलों में डोजियर रिपोर्टें भेजनी भी अपेक्षित होती हैं, जिनमें करों की वसूली में हुई प्रगति का उल्लेख करना होता है । इन रिपोर्टों की समीक्षा आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर की जाती है । चूंकि मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है, इसलिए अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए भी उपाय किए गए हैं ।

(छ) आयकर विभाग कर-अपवंचन का पता लगाने और छिपाई गई आय को बाहर निकालने के लिए विविध उपाय करता है । इस प्रयोजनार्थ किए गए प्रशासनिक उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) सर्वेक्षण कार्यवाहियां;

(ii) वित्तीय लेन-देनों से सम्बन्धित सूचना का सत्यापन;

(iii) तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियां; और

(iv) छान-बीन के लिए चुने गए मामलों में गहन जांच-पड़ताल करना।

छिपायी गई आय की उत्पत्ति की रोकथाम के निमित्त समय-समय पर विधायी उपाय किए जाते हैं, जो ऐसा करने की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 में कर-अपवंचन के खिलाफ निम्नलिखित उपाय किए गए थे :—

(क) घुड़दौड़ों में जीत से प्राप्त रकम पर कराधेयता से सम्बन्धित उपबंधों को कड़ा बनाया गया है; और

(ख) स्रोत पर कर की कटौती के अधिकार-क्षेत्र को निम्नलिखित मामलों में लागू किया गया था :—

(i) बैंक के आवधिक-निक्षेपों से प्राप्त ब्याज-आय;

(ii) राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन पुनर-अदायगियां;

(iii) लाटरी-एजेन्टों को अदायगियां; और

(iv) कमीशन, दलाली आदि के स्वरूप में भुगतान।

विवरण

ऐसे कर-निर्धारितियों की सूची, जिनकी तरफ दिनांक 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक मामले में 10 करोड़ रुपए से अधिक की आयकर (निगम कर सहित) की मांग बकाया पड़ी हुई थी

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम
1	2
1.	भारतीय स्टेट बैंक
2.	जी० टी० सी० इन्डस्ट्रीज लि०
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
4.	एन० टी० पी० सी० लि०
5.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०
6.	डनलप इंडिया लि०
7.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज लि०
8.	बी० एच० ई० एल०
9.	मोदी रबड़ लि०

1	2
10.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०
11.	कॉन्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन लि०
12.	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
13.	एस्कोर्ट्स लि०
14.	मोदी पोन लि०
15.	यू० पी० सड़क परिवहन निगम लि०
16.	मैं० अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक
17.	श्री विनोद कुमार डिडवानिया
18.	श्री सुकर नारायण बखिया
19.	आई० सी० आई० सी० आई० लि०
20.	डी० एस० कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०
21.	टाटा पावर कंपनी लि०
22.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
23.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
24.	मैं० आई० सी० आई० (इण्डिया) लि०
25.	आदित्य फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इण्डिया (प्रा०) लि०
26.	टेल्को
27.	मैं० संचयिता इन्वेस्टमेंट
28.	मैं० बालाजी डिस्टिलरिज लि०
29.	माइक्रोस्पेरी एस० पी० ए०
30.	केरल स्टेट सिविल सप्लाइज लि०
31.	इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्रा०) लि०
32.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०
33.	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि०
34.	आंध्र वैली टावर
35.	निहोन इलैक्ट्रोनिक्स लि०
36.	उड़ीसा सीमेंट लि०
37.	ए० पी० स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन

1	2
38.	एस्कोर्ट्स ट्रेक्टर्स लि०
39.	श्री एन० आई० पटेल तथा अन्य
40.	मोदी इन्डस्ट्रीज लि०
41.	ब्रुक बांड इण्डिया लि०
42.	पारिख ब्रदर्स
43.	रोजर एण्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०
44.	केसल रॉक सी फूड्स (प्रा०) लि०
45.	मै० लिंडे ए० जी०
46.	डालमिया सीमेंट (प्रा०) लि०
47.	मै० एस्सार गुजरात लि०
48.	यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि०
49.	टाटा सन्स लि०
50.	शेटकारी एस० एस० के० लि०
51.	श्री हरिदास मूदड़ा
52.	टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी
53.	ई० सी० ई० इन्डस्ट्रीज लि०
54.	पीसो इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०
55.	डा० जे० धर्म तेजा
56.	मैसर्स सिस्टम्स कम्युनिकेशन्स
57.	ज्योत्सना होल्डिंग (प्रा०) लि०
58.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ।

कोचीन बन्दरगाह के नौवहन जलमार्ग को गहरा करना

3820. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह के नौवहन जलमार्ग को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोचीन में समुद्री इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान

3821. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में समुद्री इन्जीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौ सेना में युद्धपोत

3822. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौ सेना में पिछली बार एक बड़ा युद्धपोत किस वर्ष शामिल किया गया था और उसका नाम क्या है;

(ख) नौ सेना के लिए अगला बड़ा पोत किस वर्ष तक तैयार हो जाने की आशा है;

(ग) इस शताब्दी के अन्त तक विद्यमान युद्धपोतों में से कितने पोतों को सक्रिय सेवा से निकाल लिए जाने की सम्भावना है;

(घ) जिन युद्ध पोतों को देश में स्थित पोत कारखानों से नए युद्धपोत लेकर बदलने का प्रस्ताव है उनका ब्योरा क्या है और इसके लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त युद्धपोतों की कमी दूर करने के लिए विदेशी पोत कारखानों से युद्धपोतों की खरीद करने का है;

(च) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके लिए अन्य क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) फ्रिगेट—भारतीय नौसेना पोत गोमती, 1988 में।

(ख) 1995-96 में, अन्य बातें समान रहने पर।

(ग) से (छ) भारतीय नौसेना के बल स्तर में, दीर्घकालिक भावी योजनाओं तथा पंचवर्षीय नौसेना योजनाओं के अनुसार विकास किया जा रहा है। इसमें इस क्षेत्र के भू-राजनैतिक परिवेश तथा

उसमें भारतीय नौसेना की भूमिका और साथ ही धन की उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय नौसेना के बल-स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशों से खरीद करके स्वदेशी निर्माण से की जाती है।

बुनकरों के कल्याण के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

3823. **श्री मुमताज अंसारी : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से बिहार में बुनकरों के कल्याण के लिए कोई नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कितने बुनकरों को लाभ होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) बुनकरों के कल्याण के लिए चालू वर्ष के दौरान दो नई योजनाएं अधिसूचित की गई हैं—अर्थात् संघठित हथकरघा ग्रामीण विकास योजना और निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना। इन दो योजनाओं के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर सहायता दी जाती है। बिहार के बुनकरों के कल्याण के लिए कोई राज्य विशेष योजना अधिसूचित नहीं की गई है। संगठित हथकरघा ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 100 घरेलू बुनकर परिवार वाले 24 ग्रामों में यह योजना लागू की जाएगी। ये ग्राम पूरे देश में फैले हुए होंगे जिसमें परम्परागत, मानव जातीय और कभी-कभी दुर्बल बुनाई शिल्प को भी शामिल किया जाएगा। इस परियोजना में कच्चे माल की आपूर्ति, बुनकरों के लिए प्रशिक्षण, विपणन सहयोग, उपकरण की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी में सुधार, आवास, समुदाय विकास और प्रबन्धकीय निपुणता उन्नत करने जैसे—कई क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाएगा। निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी नामक योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(क) गरीब बुनकरों के लिए पंजी सहयोग देना; (ख) संगठन के माध्यम से पूंजी सहयोग दिलवाना; (ग) कम आय वाले व कम निपुण स्तर के बुनकरों को निपुण बनाने के लिए। इस योजना में यह भी बल दिया गया है कि निस्सहाय बुनकर स्वयं एक सहकारिता बनाएं जिसके लिए प्रत्येक सहकारी समिति को 2000/- रुपए प्रति निस्सहाय बुनकर की दर से मार्जिन मनी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति समिति होगी।

केरल में कोल्लम में बाई-पास

[अनुवाद]

382.. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार केरल में कोल्लम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कोई बाई पास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) वहां पर कब तक कार्य शुरू होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां । 22.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 13.141 कि० मी० लम्बे कोलम बाई पास का चार चरणों में निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है । चरण I और II के लिए क्रमशः 139.04 लाख रु० और 95.57 लाख रु० की लागत से भूमि अधिग्रहण को अक्तूबर, 1986 और जून, 1989 में मंजूरी दी गई थी । चरण III और IV के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी के लिए वार्षिक कार्यक्रम 1991-92 में शामिल किया गया है । चरण I के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। चरण I के निर्माण के लिए वार्षिक योजना 1991-92 में 200.00 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है । चरण I के परियोजना प्राक्कलन पर राज्य लोक निर्माण विभाग से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं । प्राक्कलन को मंजूरी दिए जाने और काम का ठेका दिए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है । चरण II के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

अफीम का निर्यात

3825. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से अफीम का आयात करते हैं;

(ख) क्या भारतीय अफीम के कुछ प्रमुख आयातकों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की है कि भारत के कुछ राज्यों में अनाधिकृत खेती के रूप में अफीम की चोरी होती है और अफीम को गैर कानूनी रूप से हेरोइन में बदला जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अफीम के निर्यात पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारत से अफीम मुख्यतः संयुक्त राज्य अमरीका (यू० एस० ए०), ब्रिटेन (यू० के०), जापान, फ्रांस और सोवियत संघ (यू०एस० एस० आर०) को निर्यात की जाती है ।

भारतीय अफीम के किसी भी आयातक ने कतिपय भारतीय राज्यों में अनधिकृत खेती के रूप में अफीम की चोरी और अवैध रूप से उसे हेरोइन में बदलने के बारे में कोई चिन्ता प्रकट नहीं की है । वस्तुतः, संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय अफीम के एक मुख्य आयातक ने मार्च, 1991 में अपने अधिकारियों की एक टीम भारत भेजी थी, जिसने फसल काटने के समय अफीम उगाने के क्षेत्रों का दौरा किया और भारत में अफीम की वैध खेती पर रखे गए निवारक नियत्रण के बारे में बहुत ही प्रशंसात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की । तथापि, अमरीकी प्रशासन भारत में अफीम के वैध उत्पादन से अफीम की चोरी होने और उसे हेरोइन में बदलने के छुट-पुट प्रयासों के बारे में आशंकाएं व्यक्त करता रहा है। यद्यपि, उपलब्ध रिपोर्टों से कम-से-कम चोरी (लीकेज) का पता चलता है । अफीम की चोरी पर नियंत्रण रखने के लिए देहरादून, कानपुर, आगरा, उदयपुर, नीमच, बाराबंकी और कोटा में निवारक एककों की स्थापना करने/उनको सुदृढ़ बनाने से निवारक तंत्र को भी सुदृढ़ बनाया गया है ।

भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को अफीम का आयात नियम 80-20 द्वारा विनियमित किया जाता है जिसके तहत संयुक्त राज्य अमरीका को स्वापक कच्ची सामग्री के आयात का 80% भाग भारत और तुर्की से किया जाना अपेक्षित होता है। संयुक्त राज्य अमरीका में कतिपय लॉबियों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात के भाग को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आवासीय सुविधा

3826. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के कुछ न्यायाधीशों को अभी तक आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन अन्य न्यायिक अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चंडीगढ़ में सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है; और

(घ) इन व्यक्तियों को आवासीय सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश किराए का संदाय किए बिना, सरकारी आवास का उपयोग करने के हकदार हैं और जहां न्यायाधीश किसी आवास का उपयोग नहीं करते हैं, वहां उन्हें दो हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास भत्ते का संदाय किया जाता है, जो आयकर से मुक्त है। गृह विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को सरकारी वास-सुविधा आबंटित कर दी गई है।

(ग) और (घ) न्यायिक अधिकारियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारक आवासीय योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

3827. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पालिसी धारियों की आवास योजना के अन्तर्गत बंगलौर तथा कर्नाटक में अन्य स्थानों पर मकान बनवाए हैं;

(ख) यदि हां, तो बंगलौर, मैसूर तथा कर्नाटक के अन्य शहरों में बनवाए गए तथा आबंटित किए गए मकानों की संख्या क्या है;

(ग) क्या 1991-92 के दौरान मैसूर शहर में पालिसी धारियों के लिए और मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो बनवाए जाने वाले मकानों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम ने पालिसी धारियों के लिए केवल बंगलौर में मकान बनवाए हैं।

(ख) बंगलौर में बनाए गए मकानों की कुल संख्या 1592 है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण

3828. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड में घरेलू प्रयोग हेतु कुछ नए विमानों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी. हमने एक प्रिवलेज मोशन दिया है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, कल मध्य प्रदेश विधान सभा में भारतीय जनता दल के एक विधायक द्वारा एक हरिजन-आदिवासी और कांग्रेस दल की एक महिला विधायक के प्रति बहुत ही गैर संसदीय टिप्पणी की गई थी। यह शर्मनाक बात है। एक दल, जो एकता यात्रा पर जा रहा है, वह हरिजन आदिवासी और कांग्रेस दल की महिला विधायक के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा है। उन्होंने सभा की गरिमा को बहुत नीचे गिरा दिया है। इसकी अत्यन्त कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। यह शर्मनाक बात है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी उस विधायक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही। इसके विपरीत भारतीय जनता दल ने कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध नोटिस दिए हैं ···(व्यवधान) यह अत्यन्त क्षोभजनक बात है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए। अब वह उन कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया तथा उन्होंने भारतीय जनता दल के

उस विधायक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिसने महिला विधायक के विरुद्ध ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम यहां इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं। अब श्री पी० एम० सईद।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) **:** इनके लोगों ने वहां राष्ट्रीय ध्वज फाड़ा, स्पीकर की बेइज्जती की···(**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : बिलकुल नहीं किया। महिला एल० एल० ए० के खिलाफ इन्होंने ऐसा भद्दा व्यवहार किया है और भारतीय संस्कृति की ये बात करते हैं। भारतीय संस्कृति महिलाओं को आधार मानकर चलती है, लेकिन इन्होंने भारतीय संस्कृति को विकृत किया है। आडवाणी जी को इस बारे में कुछ इजहार करना चाहिए, ऐसी भारतीय संस्कृति चलायेंगे ये ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को बार-बार क्यों उठा रहे हैं ? मुझे किसी अन्य मुद्दे पर आ चुका हूं।

[**हिन्दी**]

आप बैठ जाइए, प्लीज। (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कल यहां एक महत्वपूर्ण विषय पर धरना देने के लिए कम्पैल होना पड़ा···

अध्यक्ष महोदय : पैनल चेयरमैन को धरना नहीं देना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद : उसके बाद सरकार ने, पार्लियामेण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि इसके बारे में यहां से, होम मिनिस्ट्री से लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला दे दी जाएगी और साथ-साथ उसके बारे में यहां उसकी इन्फोर्मेशन भी दे देंगे। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, यह कमिटमैण्ट इन्होंने कल किया हुआ है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, वे गृह मन्त्रालय द्वारा नोट कर लिए गए हैं और गृह मन्त्रालय ने अनुदेश भेजे हैं कि जो भर्ती 6 तारीख को की जानी तय थी, उसे रोक दिया जाए और सम्पूर्ण मामले की पुनरीक्षा की जाए। गृह मन्त्री स्वयं मामले की पुनरीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यह बताया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, कॉल एण्ड शकधर को जो रूल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट है···

अध्यक्ष महोदय : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रिवलेज मोशन पर बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उसे देखने के बाद, आपको कंसेण्ट देने के बाद आप उसे रेज करें।

श्री राम विलास पासवान : हमने कल 10 बजे से पहले दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करनी है। मुझे मन्त्री महोदय से भी जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री राम विलास पासवान : आपने तथ्यों की मांग की है ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

हमने दूरदर्शन का जो बुलेटिन आता है, वह भी दिया है और जो प्रोसीडिंग हैं, वह भी दिया है इसलिए मिनिस्टर का कोई पेसोपेश नहीं है, दोनों फैक्ट्स हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उनको पूछना चाहिए। नहीं-नहीं, मुझे उनका एक्सप्लेशन पूछना चाहिए। ऐसी बात कोई कहे तो किसी को सजा नहीं देनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आपको पूछना है न ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूछना है।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, गये शनिवार और रविवार को मैं नागपुर गया था। नागपुर में हमारी महाराष्ट्र विधान सभा का सत्र जारी है। वहां प्रादेशिक विकास मण्डल को लेकर बड़ा संघर्ष शुरू हुआ है। आप जानते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ को अलग संवैधानिक प्रादेशिक विकास मण्डल देंगे, इस प्रकार की बात हुई है। 1984 में महाराष्ट्र की विधान सभा ने एक मत से इस प्रकार का प्रस्ताव मन्जूर किया है। बाद में माननीय राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अभी के प्रधानमन्त्री, अभी के गृह मन्त्री, इन सबको महाराष्ट्र का शिष्टमंडल मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में समय समय पर मिला है लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।

अध्यक्ष जी, गए सप्ताह नागपुर में विदर्भ विकास परिषद की बैठक हुई। उस विदर्भ विकास परिषद् में यह प्रस्ताव आया है, जो मैं आपके ख्याल में और गृह मन्त्री जी के ख्याल मेंलाना चाहता हूं—

यदि यह सैशन समाप्त होने के पहले इसके बारे में सरकार यह फैसला घोषित नहीं किया तो फिर वहां अलग विदर्भ की मांग करेंगे। मन्त्री जी का एक निवेदन हितवाद और तरुण भारत, लोकमत में आया है, वह यह है—

[अनुवाद]

चव्हाण जी का आश्वासन—बोर्ड से सम्बन्धित विधेयक 20 दिसम्बर को पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने बाहर दिया है। इस प्रकार की बात आई है, लेकिन हमारे पास जो ब्रिफ है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार इसके बारे में बिल ला रही है या नहीं ला रही है? मेरा प्रधानमन्त्री जी से निवेदन है कि कोई भी हालात में 20 दिसम्बर के पहले इस प्रकार का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे मराठवाड़ा और विदर्भ को न्याय मिलेगा। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री जी वक्तव्य दें, यही मेरा आग्रह से निवेदन है।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बोर्ड की बात है, यह सभी पार्टियों की है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले वक्त भी यह सवाल खड़ा किया था और गृह मन्त्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा था—इस सैशन के अन्दर हम यह नया बिल लाने वाले हैं। यह एक पार्टी का सवाल नहीं है, सारी पार्टियां इसके साथ में हैं। पूरी पार्टियों ने यह सवाल पास किया है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, क्या विदर्भ बोर्ड और मराठवाड़ा कोई वहां जल्दी दिया जाएगा? वहां अभी अलग विदर्भ की मांग होने जा रही है। वहां लॉ एण्ड आर्डर का सिचूएशन था, वह भी खराब होने जा रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि विकास बोर्ड का मामला, जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तय किया जाए। पिछले वक्त हम प्राइम मिनिस्टर महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा था कि यह मामला जल्दी से जल्दी हल कर देंगे। यह कोई एक पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियों की मांग है, विकास बोर्ड की मांग है और इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० के० रघाया (मछलीपट्टनम) : पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के मन में आंध्र प्रदेश सरकार के गलत इरादों के बारे में गम्भीर आशंकाएं हैं। इसलिए वे सभी जिलों तथा राजधानी के मुख्यालयों के बाहर धरना, हड़ताल कर रहे हैं।

पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित विद्यार्थी होस्टलों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं जहां न तो सफाई की ठीक व्यवस्था है और न नाममात्र को दवायें ही हैं। उन्हें घटिया खाना दिया जाता है जिसमें पोषक तत्व नहीं होते और उन्हें कपड़े भी नहीं दिए जाते। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की तुलना में मैस शुल्क नहीं बढ़ाया गया। पाठ्य पुस्तकें जो कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में दी जानी चाहिए, वे शैक्षिक वर्ष के अन्त में दी जाती हैं। पिछले 1½ वर्ष से उन्हें छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रहीं। अनुसूचित जातियों/

अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित वकीलों को पिछले दो वर्ष से वजीफे देने बन्द कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा की गई इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप युवा विद्यार्थियों को नक्सलवादियों द्वारा ऐसे संगठनों में शामिल होने के लिए बहकाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कमजोर वर्ग के इन विद्यार्थियों की रक्षा के लिए शीघ्र आंध्र प्रदेश सरकार पर दबाव डाला जाए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (माधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मुझे कुछ ज्यादा निवेदन नहीं करना है। कल सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था, नवभारत टाइम्स की बाबत जो हमने सवाल उठाया था, उस पर इन्फार्मेशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर को जवाब देना था, बयान देना था। मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कब बयान देने वाली है ? जो उनका एश्योरेंस है, वह कब पूरा होगा ? **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कहा गया था कि इस पर बयान दिया जाएगा। अगर वे दिल्ली में हैं, तो आज ही देंगे, वरना कल देंगे···**(व्यवधान)**···

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि नवभारत टाइम्स को तथाकथित रूप से बन्द किए जाने के बारे में सूचना और प्रसारण मन्त्री श्रम मन्त्री से संपर्क बनाए हुए हैं और इस सम्बन्ध में वक्तव्य या तो आज अथवा हर हालत में सोमवार तक दे दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कल कुछ सदस्य कावेरी जल के मामले पर सभा में चर्चा करना चाहते थे। हमने उसे आज की कार्यसूची में शामिल किया है। आज गैर-सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कामकाज को शुरू करें। इससे पहले कानून और व्यवस्था पर वाद-विवाद पर उत्तर देना और अन्य दूसरे कार्य पूरे करना आवश्यक होगा। इस बात को देखते हुए यदि सभी सदस्य सहमत हों, तो हम आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्यों पर चर्चा शुरू कर दें और अन्य मुद्दे जिन पर आप सोमवार अथवा अन्य किसी दिन चर्चा करना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री शरद पवार···

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सूचना दी है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बाद में···

(व्यवधान)

श्री मनोरन्जन भक्त : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सत्ता पक्ष के हैं, विपक्षी सदस्य सहयोग दे रहे हैं और आप कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं...

(व्यवधान)

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना, मजगांव डाक लि०, मुम्बई, 1990-91 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 230 जो 26 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि महिलायें भी भारतीय नौसेना की कतिपय शाखाओं/समवर्गों में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 945/91]]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 946/91]

(दो) मजगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं०947/91]

(ग) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० स० 948/91]

(घ) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 949/91]

(ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 950/91]

(च) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 951/91]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 952/91]

(3) (एक) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 953/91]

इण्डियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं श्री पी० चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इण्डियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इण्डियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 954/91]

मैनमेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन सूरत, और सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मैनमेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैनमेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 955/91]

(2) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० सं० 956/91]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 609(अ) जो 1 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगांव पत्तन विनियम में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 682(अ) जो 13 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शुल्क डाक उप-विधि में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 957/91]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड (संशोधन) नियम, 1991, जो 24 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 644(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 958/91]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1991, जो 14 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 627(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 959/91]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 584(अ) जो 13 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूक्षकाष्ठ और वह काष्ठ जो लगभग वर्गाकार तथा अर्द्धवर्गाकार किया गया हो किन्तु और विनिर्मित नहीं किया गया हो को उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देना है जो मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 585(अ) जो 13 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 मार्च, 1991 की अधिसूचना संख्या 25/91-सी० शु० में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 661(अ) जो 1 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 26 के अन्तर्गत आने वाले सभी सा‍न को उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 662(अ) जो 1 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 39/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 669(अ) जो 7 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45/79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 686(अ) जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 317/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 573(अ) जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45/79-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 574(अ) जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 11/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० वि० 575(अ) जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 266/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 576(अ) जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके अधिसूचना के साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 577(अ) जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 65/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 578(अ) जो 16 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 49/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 590(अ) जो 17 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वर्ष 1988-91 की आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत जारी की गई अनुज्ञप्तियों के लिए वर्तमान रियायती सीमा शुल्क का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 600(अ) और 601(अ), जो 24 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उर्वरक संयंत्रों को सप्लाई किए जाने वाले पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए आयातित कच्ची सामग्री और अवयवो के लिए उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमाशुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 603(अ), जो 26 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 256/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) संशोधन नियम, 1991, जो 1 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 612(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का० आ० 327(अ), जो 3 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एक रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन की संशोधित दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का० आ० 336(अ), जो 10 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एक रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन की संशोधित दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का० आ० 443(अ), जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन की दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का० आ० 446(अ), जो 3 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का० आ० 487(अ), जो 29 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का० आ० 556(अ), जो 28 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का० आ० 651(अ), जो 27 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का० आ० 731(अ), जो 28 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा० का० नि० 671(अ) से सा० का० नि० 676(अ), जो 8 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सोने की उस समय निःशुल्क निकासी करने के लिए अनुमति देने के बारे में है जब इसका आयात विशेष निर्यातोन्मुखी काम्पलेक्स में निर्यात प्रसंस्करण जोनों/मुक्त व्यापार जोनों तथा शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों को सप्लाई करने के लिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० द्वारा किया जाता है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 960/91]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 553(अ), जो 30 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नाइलोन फिलामैंट यार्न (नाइलोन मोनो-फिलामैंट यार्न सहित) के विनिर्माण में प्रयुक्त पोलीमाइड चिप्स को सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० :62(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उपशीर्ष संख्या 2104.10 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 563(अ), जो 11 सितम्बर, 199. के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो फलों तथा सब्जियों के चूर्ण को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 564(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जो फलों के गूदे पर आधारित पेयों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 565(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो प्लास्टर आफ जिप्सम (जिसमें प्लास्टर आफ पैरिस भी शामिल है) को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 566(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 36/91-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 567(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 39/87-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 568(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 53/88-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 569(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 1989 की अधिसूचना संख्या 121/89-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 570(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 87/89-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 571(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 373/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 572(अ), जो 11 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 1989 की अधिसूचना संख्या 4 /89-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 588(अ), जो 16 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जो रक्षा मन्त्रालय के लिए सप्लाई हेतु डीजल के जैनरेटिंग सैट लगे मोटर वाहनों को उतने उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है जितनी उक्त मोटर वाहनों पर लगे डीजल के जैनरेटिंग सैट पर अदा करने से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 589(अ), जो 16 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रक्षा मन्त्रालय के लिए सप्लाई हेतु डीजल के जैनरेटिंग सैट लगे ट्रेलरों को उतने उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है जितने उक्त ट्रेलरों पर लगे डीजल के जैनरेटिंग सैटों पर अदा करने से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 611(अ), जो 1 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 1987 की अधिसूचना संख्या 23 /87-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 616(अ), जो 7 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों/मुक्त व्यापार क्षेत्रों से निकासित माल पर, भारत के बाहर उत्पादित अथवा विनिर्मित समान प्रकार के माल पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर, रिआयती उत्पाद शुल्क उस स्थिति में उद्ग्रहीत किया जाए, यदि उनका आयात भारत में किया जाता हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा० का० नि० 618(अ), जो 9 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 10/89-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा० का० नि० 637(अ), जो 22 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार रस्सियों के विनिर्माण में बद्ध रूप से प्रयुक्त एकन्तुक (मोनोफिलामेंट) के सम्बन्ध में अदा न किए गए उत्पाद शुल्क को 1 मार्च, 1987 से 31 मई, 1989 तक संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा० का० नि० 659(अ), जो 1 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 40/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा० का० नि० 660(अ), जो 1 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 49/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा० का० नि० 687(अ), जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा० का० नि० 688(अ), जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 53/88-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा० का० नि० 701(अ), जो 27 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि:शुल्क वितरित करने के लिए अभिप्रेत खाद्य-सामग्रियों पर 1 मार्च, 1986 से 30 नवम्बर, 1988 तक की अवधि के लिए शुल्क की देयता समाप्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 911/91]

(3) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के बारे में श्री राम बदन, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 237 के 6 दिसम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 962/91]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970/1980, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979, जो 16 जून, 1990 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओःएसटीएफःए-10/15-792 में प्रकाशित हुए थे, में संशोधन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-963/91]

(दो) इण्डियन बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1991, जो 18 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरसी/223/114 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-964/91]

(तीन) आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1991, जो 21 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/ए-1/292 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-965/91]

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) की (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-966/91]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर सावधि जमा (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 6 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-967/91]

(4) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1991, जो 6 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 728(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-968/91]

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) योजना, 1991, जो 27 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन० एच बी० बीडीएस० 1/91 में प्रकाशित हुए थे; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-969/91]

(6) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डपा के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-970/91]

(दो) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर के वर्ष, 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 971/91]

(तीन) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 972/91]

(चार) माल्वा ग्रामीण बैंक, संगरूर के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 973/91]

(पांच) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 974/91]

(छह) पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथायय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 975/91]

(सात) चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 976/91]

(आठ) नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 977/91]

(नौ) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 978/9]

(दस) अधियामान ग्राम्य बैंक, धर्मपुरी के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 979/91]

(ग्यारह) वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर के वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 980/91]

(बारह) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग के वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 981/91]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 579(अ), जो 6 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 15/90-93 में कतिपय सशोधन किए गए हैं।

(दो) का० आ० 583(अ), जो 10 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 15/90-83 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का० आ० 744(अ), जो 31 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जुलाई, 1991 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 61/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का० आ० 745(अ), जो 31 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 1/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का० आ० 746(अ), जो 31 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 1990 के आयात नियन्त्रण आदेश संख्या 2/90-93 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 982/91]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) निर्यात निरीक्षण परिषद् (भर्ती) नियम, 1991, 12 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 577 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बेलटिंग्स निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1991, जो 19 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2609 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 983/91]

———

12.14 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक 1991 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 नवम्बर, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को, उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

———

12.14½ म० प०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

महासचिव : 22 नवम्बर, 1991 को सभा को सूचित किए जाने के पश्चात् वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत प्राप्त भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.15 म० प०

प्राक्कलन समिति

प्रथम प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबारद्वीप समूह) : मैं कार्मिक, लोक शिकायत और

पेंशन मन्त्रालय—शिकायत निवारण प्रणाली-सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के पहले प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश को सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.15½ म० प०

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की योजना को कार्यान्वित न किए जाने सम्बन्धी लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

———

12.16 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से यह सूचित करता हूं कि 1(दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. अनुपूरक अनुदानों की मांग (सामान्य) 1991-92 पर चर्चा और मतदान।
2. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी दर पर विचार।
3. सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

   (1) संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991

   (2) संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991

   (3) संविधान (74वां संशोधन) विधेयक, 1991
5. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक पर विचार और पारित करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार और पारित करना।

7. नियम 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित पर चर्चा :—

(क) हाल के महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों भारी वृद्धि, घाटे का वित्त-पोषण, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के संदर्भ में देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण तथा घाटा दिखाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने/बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति।

8. संघ लोक सेवा आयोग के 35वें से 39वें तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, 16 सितम्बर से जो सत्र आरम्भ होगा वह सत्र का अन्तिम सप्ताह होगा अर्थात् उस सप्ताह में इस सत्र के पांच दिन शेष होंगे। अभी-अभी जो सूची बताई गई, सदन को, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, उसमें देख करके मुझे इस बात का खेद है कि इस सदन में तीन बार आश्वासन देने के बाद भी जो विधेयक चुनाव सुधार के सम्बन्ध में पेंडिंग है, उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। निर्णय हुआ था कि इस सेशन में हम जरूर लाएंगे, खासतौर से पंजाब के चुनाव से पहले हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो चुनाव काउन्टरमेंड नहीं होगा और चूंकि वह रिप्रजेंटेशन आफ पीपल अमेंडमेंट बिल का हिस्सा है, इसलिए हमको यह भी आभास दिया गया कि उस विधेयक को अलग करके उस विधेयक को तो हम पारित करेंगे ही और जो विधेयक है, जिसके बारे में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, उसको हम प्रवर समिति के सुपुर्द करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विधेयक है परिसीमन, डी-लिमिटेशन का और वह भी निर्विवाद है। एक समिति बनी थी, जिसने सिफारिश की थी कि 1971 की सेंसस के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है। सर्वसम्मत यह मत था कि शेड्यूल्ड कास्ट सीट का रोटेशन होते रहना चाहिए, इस चीज का उसमें प्रावधान है और तीसरा चुनाव आयोग के गठन के बारे में बात थी, मैं मानता हूं कि यह काफी समय से पेंडिंग है और पिछले सेशन में भी विधि मंत्री श्री के० विजय भास्कर रेड्डी ने स्वयं आश्वासन दिया था कि हम तीनों पर बहस करवाएंगे। अब शीतकालीन अधिवेशन समाप्त हो रहा है और अन्तिम सप्ताह की कार्यसूची हमारे सामने आ गई है, जिसमें इनका उल्लेख नहीं है। इस चीज की मुझे शिकायत है और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बोलते-बोलते कह दिया, नहीं तो मैं उस मामले को भी उठाता, आपने कहा कि दिल्ली का विधेयक भी इस सप्ताह में लाएंगे, यह आपने अन्त में कह दिया, जबकि कार्यसूची में उसका जिक्र नहीं किया, इसका मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ इन्ट्रोड्यूज ही न हो बल्कि पास भी हो। सरकार ने वचन दिया हुआ है कि 6 से 8 महीने के अन्दर हम चुनाव करवा लेंगे और उससे पहले हम कांस्टीट्वेंसीज का डीलिमिटेशन करवाना चाहते हैं। इन दोनों बातों के बारे में मुझे आश्वासन चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी बात बोल दी गई है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी नेता विरोधी दल ने 3-4 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इनके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसी सत्र में ये विधेयक लाने चाहिए। बिल तैयार है सरकार के पास उसको महज पेश करना है। कमेटी की रिपोर्ट है, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस सत्र में इसको पेश करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस विषय पर पालियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी आपके कमरे में बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय, बुनकरों की दशा इस देश में बहुत ही दयनीय है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भुखमरी की हालत है। यह तय हुआ था कि किसी दिन 6 से 8 बजे तक 2 घंटे बैठकर हम लोग उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे। मेरा अनुरोध है, मैंने सारी पार्टियों से बात की है, यह एक अहम सवाल है, उसके लिए समय निकालें और किसी दिन 6 से 8 बजे तक बैठकर इस पर विचार कर लें। मेहरबानी करके इसको अवश्य कार्यसूची में शामिल कर लें, यह मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि जो नोटिसेस आते हैं, उनके नाम मेरे पास हैं और मैं एक-एक माननीय सदस्य को बुलाऊंगा और वे अपनी बात यहां रखेंगे। मैं सारे सम्माननीय सदस्यों के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि काम बहुत है और चर्चा के लिए हमने बहुत विषय चुने हुए हैं, बिल भी पेश करने हैं, सप्लीमेंट्री बजट भी पास करना है, तो मेरी सभी सम्माननीय सदस्यों से इल्तजा है कि जो समय उनको दिया गया है, उसी में अपनी बात कहें, तो हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। जो सदस्य एक विषय पर चर्चा करें, वे दूसरे विषय पर चर्चा न करें। मैंने पालियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से भी कहा है कि वे अपने साथियों से कह दें कि जो खास मुद्दे उठाए जाते हैं, उनका जवाब अपने भाषण में दें और जिनका जवाब वे न दे सकें तो उनका जवाब लिखित रूप में दें। हमारी यह कोशिश है कि सारा काम वक्त पर हम कर सकें। इसमे आपके सहकार की आवश्यकता है। आपके सहकार के बिना यह नहीं होगा और हमें आशा है कि आपका सहकार मिलेगा और सब लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ऐसा मेरा मत है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए—

(1) केन्द्र सरकार राजस्थान को 70 हजार टन गेहूं और 40 हजार टन चावल उपलब्ध कराता रहा है, इसमें 3000 टन गेहूं कोटे की कमी नहीं करें और गेहूं, चावल, चीनी, आम-आयल, मिट्टी का तेल व गैस का कोटा बढ़ाएं।

(2 केन्द्र सरकार राजस्थान में अकाल क्षेत्र के लिए आपात सहायता कोष में धनराशि देकर कोष में वृद्धि करे।

[अनुवाद]

प्रो॰ प्रेम धूमाल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करें—

1. आतंकवादियों की धमकियों से निबटने के लिए पुलिस की और अधिक बटालियन बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता देने की आवश्यकता।

2. ट्रेन दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को अधिक राहत देने पर विचार करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

(1) उ॰ प्र॰ के झांसी जनपद स्थिति राष्ट्रीय धरोहर "महारानी लक्ष्मीबाई का ऐतिहासिक किला" के सुन्दरीकरण के लिए सरकार को एक समयबद्ध व्यापक कार्यनीति तय करनी चाहिए।

(2) बुन्देलखंड परिक्षेत्र विशेषत: झांसी-ललितपुर में स्थित ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के सुन्दरीकरण, विद्युतीकरण, सुरक्षा व स्वच्छता के लिए प्रबन्ध किए जायें। पुरातत्व व पर्यटन विभाग इनके सम्यक विकास के लिए समयबद्ध योजना तैयार करे।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित करें :—

(1) डी॰आर॰डी॰ए॰ कर्मचारी जिनकी संख्या पूरे देश में एक लाख से अधिक है तथा जो केन्द्र की योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार, आई॰आर॰डी॰पी॰ ट्राइसम, डी॰ डब्ल्यू॰ए॰, ए॰जी॰आर॰पी॰, ग्रामीण आवास/स्वच्छता कार्यक्रमों को चलाते हैं, की सेवा शर्तें तय की जायें।

(2) पूर्ति व निपटान महानिदेशालय को पूर्ववत कार्यरत रहने दिया जाए तथा भंडारों तथा उपकरणों की खरीद के कार्य का विकेन्द्रीकरण न करने का निर्णय लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं :—

(1) उड़ीसा के लिए एक अलग कोयला कम्पनी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा।

(2) उड़ीसा के कटक शहर को बी-2 शहर घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की सूची में निम्न विषय जोड़े जायें :—

(1) केन्द्र द्वारा अकाल एवं अभावग्रस्त राजस्थान की खाद्यान्न कोटे में की गई विगत कटौती को तुरन्त समाप्त कर राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार गेहूं, चावल, एवं शक्कर का कोटा अविलम्ब जारी किया जाए।

(2) अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर टी० वी० कार्यक्रम का रिले शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़ा जाए :—

दिल्ली को विधान सभा देकर चुनाव कराने का बिल लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके बारे में पिछले सप्ताह केन्द्रीय गृह मन्त्री ने सदन में आश्वासन दिया था।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए :—

पैठण महाराष्ट्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में उचित विकास किया जाए।

श्री सत्य नारायण जाटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करें :—

(1) मध्य प्रदेश में प्राकृतिक विपदा अनावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 220 करोड़ की सहायता तत्काल दें।

(2) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को ऊर्जा पूर्ति हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करे।

———

12.24 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के बजट (सामान्य) के सन्दर्भ में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 985/91]

12.25 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

(एक) आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मन्त्री महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 10 दिसम्बर, 1991 को सामान्य कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में शुरू की गई चर्चा का उत्तर देंगे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों जिन्होंने पिछले तीन दिनों आतंकवाद तथा उग्रवाद पर चर्चा में भाग लिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दो दिनों से मैं सभा में उपस्थित था परन्तु कल पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में व्यस्त रहने के कारण मैं सभा में उपस्थित नहीं हो पाया था, इसके लिए मुझे खेद है। तथापि, मुझे अपने साथियों से नोट प्राप्त हुए हैं।

महोदय, आरम्भ में मैं कहूंगा कि चर्चा बहुत लाभकारी थी और कुछ मामलों के बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट विचारों के बारे में पता चला है, जिन्हें माननीय सदस्य सभा के समक्ष रखना चाहते थे। मैं अधिकांश माननीय सदस्यों से पुनः अपील करता हूं कि इस मामले को पूरी तरह एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए और जब हम इसे एक राष्ट्रीय मामला कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता है, कि हम राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले रहे हैं। दलों का दृष्टिकोण जो भी हो, मैं सभा के सभी वर्गों से निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस मामले को राष्ट्रीय मामला समझें और हमें एकमत होकर यह विचार करना चाहिए कि इस जटिल समस्या के समाधान के लिए हम लोग कितना प्रयास कर सकते हैं। इस मामले के तीन पहलू हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहली बात यह कि आंतरिक स्थिति जैसी भी है और बाहरी स्थिति जो भी हो, वह आंतरिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।

महोदय, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गड़बड़ी, अस्थिरता और लोगों के दिमागों में एक प्रकार की असंतुलन जैसी स्थिति बना रही है तथा हम जिस मूल संस्थाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं वह कमजोर पड़ता जा रहा है। इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर जाली मत पड़ते हैं तथा बड़े पैमाने पर धन एवं जन शक्ति का उपयोग होता है। वे जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। राजनीति के अपराधीकरण को सम्मानजनक रूप से देखा जा रहा है अपराधी निर्वाचित हो रहे हैं तथा वे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त लेते हैं तथा साम्प्रदायिक तथा जातिवादी पहलू भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह भी एक ऐसा पहलू है जो लोगों के विभिन्न वर्गों में असन्तोष बढ़ा रहा है। मैं यह भी कहूंगा कि निहित स्वार्थ जानबूझकर उन सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को स्थगित कराने की कोशिश कर रहे हैं जो भूमि सुधार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित हैं जो वास्तव में गरीबी दूर करने, तथा सबसे गरीब लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किए गए हैं। नक्सलवादी गति-विधि वाले क्षेत्रों में यह एक कारण है और मैंने मुख्यमन्त्रियों की बैठक में यह बात कही थी। इसी

कारण इस वक्तव्य का उस समय खण्डन नहीं कर सकता हूं जब माननीय सदस्य ऐसा वक्तव्य सभा में देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और हमें ऐसे तरीके निकालने होंगे जिसके द्वारा हम इस कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं। वर्ना स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। कम से कम इस बारे में मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है। मैं यह बात एक संदर्भ के रूप में ही कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपना भाषण निर्धारित समय में पूरा करना है।

दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है जिसके बारे में हम सबको पता है कि जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम में उग्रवाद की भावना को पनपाने में हमारे पड़ोसी देश का हाथ है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें पूर्णतः शामिल है। उनकी गुप्तचर संस्था आई० एस० आई० वास्तव में इस बात की निगरानी कर रही है कि जिन्हें वे हथियार, नवीनतम उपकरण, धनराशि तथा अन्य चीजें उपलब्ध करा रहे हैं वे लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं। निजी बातचीत में तथा कूटनायक तरीके से यह किया जा रहा है तथा जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वह पाकिस्तान सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं। हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वे इस मामले में शामिल हैं तथा वे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक गलत सूचना देने वाला अभियान चला रहे हैं। अतः यह एक प्रकार का भय है जो ये लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके तथा गलत सूचना देकर पैदा कर रहे हैं।

यहां यह बात असंगत नहीं होगी यदि मैं एमनेस्टी इण्टरनेशनल का जिक्र करूं और यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि उनका स्थानीय यूनिट पी० यू० सी० एल० क्या है, तथा वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने एक रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट की एक प्रति लन्दन स्थित हमारे उच्चायुक्त को दी गयी है। वे चाहते हैं कि उनके द्वारा रिपोर्ट में लगाए गए कुछ आरोपों पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। सामान्यतः हमारा उत्तर इतना जल्दी नहीं भेजा जाता है। परन्तु इस मामले में हम किसी प्रकार उत्तर समय के भीतर भेज पाए हैं। परन्तु उत्तर प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। पी० यू० सी० एल० ने अनेक आरोप लगाये हैं। हमने भारतीय प्रेस परिषद से निवेदन किया था कि वे अपने प्रतिनिधियों के नाम निर्दिष्ट करें, उन्हें जम्मू और कश्मीर भेजें ताकि वे लगाए गए आरोपों की जांच करें। आश्चर्यजनक बात यह है कि पहली बार सेना तक को भारतीय प्रेस परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी जांच की परिधि में लाया गया था। जो भी कहा गया था उसका स्पष्ट रूप से खण्डन किया गया था। उनके द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक उपलब्ध है, और जितने भी आरोप एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने हमारे विरुद्ध लगाए हैं—कि इतनी अधिक ज्यादातियां की गयी हैं तथा किसी की भी जांच नहीं की गयी है—पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गयी है।

इस संदर्भ में हमें श्री कौफमान के आगमन का जिक्र करना है जो विशेषरूप से भारत आए थे। इसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक शिष्टमण्डल अपने नेता श्री स्टीवेन्सन के साथ अधिकारिक रूप से आया था। संभव है दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी होंगी। एक रिपोर्ट लेबर पार्टी तथा दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय आर्थिक समुदाय को दी गयी होगी। इन दोनों रिपोर्टों के बारे में मेरी श्री स्टीवेन्टन से विस्तृत बातचीत भी हुई थी जिसके दौरान मैंने उन्हें इस बात के कारण बता दिए हैं कि हम उन्हें जम्मू जाने की अनुमति तो देते हैं परन्तु घाटी में जाने की अनुमति इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वे सब तरह की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। इसी कारण हम सुरक्षित स्थिति में रहना चाहते हैं इसी कारण मैंने सोचा कि उस क्षेत्र में स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए।

मैं इसे सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है परन्तु इन सभी बातों को उचित दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। इस श्रमिक प्रतिनिधि के कश्मीर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाता हैं। श्री स्टीवेन्सन के चुनाव क्षेत्र में भी, मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर भी बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग हैं। मुझे आश्चर्य है कि यदि लेबर पार्टी का दृष्टिकोण इस आधार पर तय किया गया है कि वहां पर रहने वाले लोग किसी विशेष क्षेत्र के हैं तो कम से कम मैं नहीं समझता हूं कि यह विषय से निपटने से लिए उत्तरदायित्व बहुत जिम्मेदारीपूर्वक ढंग से निभाया गया है, वास्तव में, उन्हें इस बारे में रिपोर्ट देने से पूर्व कि वे क्या महसूस करते हैं, उन्हें हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। परन्तु अब स्थिति यह है और इसी लिए यह प्रमुख कारण है जिस पर हमें विचार करना है।

पाकिस्तान उग्रवादियों को पूरी ताकत से बढ़ावा दे रहा है। हमारे लिए यह सौभाग्यपूर्ण बात कि इस तथ्य के बावजूद कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जबर्दस्त गतिविधियां चल रही हैं तथापि धीरे-धीरे अर्द्धसैनिक बल तथा सुरक्षा बल की सहायता से हम स्थिति बदल सके हैं और हम कुछ उग्रवादियों को श्रीनगर तथा कुछ तथा शहरी क्षेत्रों से ढूंढ़ निकालेंगे ताकि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की तथा विश्वास की भावना लोगों में जागृत की जा सके। मैं विरोध होने के भय से रहित होकर, यह कहता हूं क्योंकि मेरी अनेक लोगों से लम्बी बातचीत हुई है और अन्ततोगत्वा सभी लोग मुझे इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, जिसे मैं वस्तुतः जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के बाद बताऊंगा। विशेषरूप से मैं लद्दाख जाने की सोच रहा हूं। जहां पर उस क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध तथा मुसलमानों के बीच होने वाली समस्या की स्थिति बिगड़ रही है तथा तनावपूर्ण हो रही है। इन दोनों समुदायों के बीच ऐसा तनाव कभी नहीं था परन्तु दुर्भाग्यवश इस धारणा के कारण कि इस क्षेत्र को या तो संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा तथा स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद का दर्जा दिया जाएगा, दोनों समुदायों में इस प्रकार का तनाव बढ़ा है। वास्तव में मैं इस बात का खण्डन नहीं करता कि वस्तुतः यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है और इसी कारण इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी परन्तु इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो सौहार्द्र बना हुआ था उसे किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में हमारा प्रमुख दृष्टिकोण यही है तथा हम इसकी ओर ध्यान देंगे।

परन्तु अब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि मुजाहीदीन लोग घाटी को पाकिस्तान में विलय कराने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। अब वहां के लोगों में गहरी निराशा है और वे इस नतीजे पर वह यह पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका मिलना सम्भव नहीं है। यह एक निश्चित निष्कर्ष है और अब वहां जे० के० एल० एफ०—और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच खुला टकराव है। पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में समुदाय के बहुमत में भी इस बात को लेकर एक प्रकार की निराशा है कि वर्तमान हालातों में कश्मीर की आजादी भी असंभव है। वहां हम इस प्रकार का नकारात्मक रुख देख रहे हैं। अब हमें इसे एक सकारात्मक कार्य-योजना में बदलना है। मुझे पता है कि जिन लोगों को वहां भेजा गया था उन्होंने वहां के लोगों में स्वयं के अलग पड़ जाने की भावना उत्पन्न कर दी है। वहां का प्रशासन बिल्कुल ठप्प था। वहां के उच्च न्यायालय में भी बहुत संख्या में रिक्तियां थीं और उन्हें भरा नहीं गया था। न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए साक्षी नहीं आ रहे हैं। इसी कारण पूरी न्याय व्यवस्था भी ठप्प हो गई है। उस क्षेत्र में हमारी यह स्थिति है। यही कारण है कि वहां के लोगों के दिलों को जीतने का एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा हैं कि वे निर्णयन व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, हमें वहां अछूतों जैसा समझा

जा रहा है। हमें कोई निर्णय लेते समय विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। अन्ततः चाहे जो भी निर्णय लिया जाए उसे लागू तो उसी नौकरशाही से करवाना है। मैं समझता हूं कि बन्दूक की डर से या निजी धारणाओं की वजह से कुछ लोग गद्दार हो सकते हैं और यह भी सम्भव है कि उनमें से कुछ के विचार बाकी लोगों से न मिलते हों। पर, ऐसे लोगों को अलग-थलग किया जा सकता है। मैं ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें पूरी-की-पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। यदि हम इसे विश्वसनीय और भरोसेमन्द नहीं मानें, तो उन लोगों से कोई काम नहीं लिया जा सकता है और फिर निस्सन्देह सम्भवतः हम उस उस क्षेत्र की पूरी नौकरशाही को बदलने की बात भी नहीं सोच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वहां विश्वास का वातावरण बन रहा है, भले ही इसकी गति तेज न हो, किन्तु उनमें ऐसी भावना तो पैदा हो रही है। जिस तरह का विश्वास हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें प्राप्त हो रहा है और यदि धीरे-धीरे यह व्यवस्था सक्रिय हो जाए, तो स्थिति में सुधार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि वहां के स्थानीय लोगों को उसी आधार पर शामिल कर लिया जाएगा जैसाकि पंजाब में किया जा रहा है।

पंजाब में राज्यपाल दौरा करते हैं और खुला दरबार चलाते हैं। इसमें लोग बड़ी संख्या में आकर अपनी शिकायतें बताते हैं। यदि, सम्भव हुआ तो राज्यपाल उसी समय निर्णय लेते हैं। यदि राज्यपाल के पास आवश्यक सूचना नहीं होती है, तो वह अधिकारियों को सूचना प्राप्त करने का आदेश देते हैं और शीघ्रता से निर्णय किए जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था को वहां भी शुरू करनी होगी। नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। जिला तथा राज्य स्तर पर हमने परामर्शदात्री परिषद् गठित की हैं। परामर्शदात्री परिषद् के सदस्यों में यदि एक बार आपसी विश्वास पैदा हो जाए तो वे काफी अधिक काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि लोग आगे आकर अपनी शिकायत बता सकेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में मेरे लिए यह बहुत अहम हो जाता है कि मैं इससे जुड़े एक नए आयाम का भी जिक्र करूं। यह जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के साथ किए जा रहे कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार के बारे में है। अब सुनियोजित ढंग से वहां अभियान चलाया जा रहा है और कुछ लोग उसे आजमा रहे हैं। इसी समय ऐसा किया जा रहा है। यह इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। वह समय और मौका आ गया है, जबकि हम यह सोच सकते हैं कि क्या उन्हें विशेष रियायतें देनी चाहिए। क्या इनकी जरूरत है और क्या लोगों को विश्वास में लिया जा सकता है, क्या इन पर अस्थाई उपायों के रूप में विचार किया जा सकता है। यह तो मैं भी समझ सकता हूं कि इन विशेष रियायतों को हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है।

फिर पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार अभियान भी चलाया जा रहा है। वह पूरी तरह गलत सूचनाओं का प्रचार कर रहा है। अब इस एक और घटक, याने धारा 370 की बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ जाएगी। इसलिए, मैं यह समझता हूं कि धारा 370 को समाप्त करने की बात करने का सही समय अभी नहीं आया है। धारा 370 को समाप्त करना एक ऐसी बात है जिस पर हम उचित समय पर तथा उचित अवस्था में ही बात कर सकते हैं। पर अभी तो इस पर विचार करना किसी भी हालत में सम्भव नहीं है। यदि इस तरह का कोई अभियान अभी चलाया जाए, तो इस अवस्था में सरकार के लिए इसे चला पाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि इससे दुष्प्रचार अभियान को बल मिलेगा जोकि वहां पहले से ही जारी है।

अब मैं पंजाब के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि कल

मैंने पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के साथ बहुत उपयोगी बैठक की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ दलों ने बैठक में भाग नहीं लिया जिसके कारण वे ही जानते होंगे। हम उसमें सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करवा सकते थे। मुझे यह अवश्य बता देना चाहिए कि अखिल भारतीय सिख छात्र महासंघ के सदस्यों ने भी इसे पारित कर दिया था। कुछ मामलों में वे अपने विचारों को भी स्पष्टरूप से व्यक्त कर सकते थे। हम प्रजातांत्रिक रूझान वाले हर दल से पंजाब के चुनाव में भाग लेने की अपील कर सकते थे और पंजाब में प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना करवा सकते थे। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा—क्या इस तारीख में कोई विशेषता है ? आपने 15 फरवरी को ही क्यों एक अलंघ्य तारीख समझा। अनेक काम करने चाहिए। जब आपका मई, 992 तक का समय है, तो भी आपने 15 फरवरी की तारीख ही क्यों निश्चित कर ली ? मैंने उन्हें बताया कि इस मामले में हमारी विश्वसनीयता काफी गिर चुकी है और मैं इस तरह की स्थिति को और नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मैंने उन्हें कहा कि सभा में जिस तारीख की घोषणा की गई थी, पर हम उसी तारीख पर कायम रहेंगे।

15 फरवरी के पहले जो तारीख निर्धारित करनी है उसे निर्वाचन आयुक्त निर्धारित करेगा। इसमें सरकार को कुछ नहीं करना है। हम तो उनसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस तारीख के पहले कोई तारीख निर्धारित कर दें। अतः वे इस आधार पर तारीख निश्चित कर सकते हैं और चुनाव करवाए जा सकते हैं। हम एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं जिसमें तनाव में काफी कमी आए। मैं स्थानीय जनता से बातचीत करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। हम आतंकवादियों से निबटने के लिए भी बहुत कठोर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा हूं जो वस्तुतः वहां ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिसमें उस क्षेत्र में चुनाव न हो सकें। मुझे पता है कि इन आतंकवादियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे उस क्षेत्र में ऐसा वातावरण पैदा करें कि उसमें भारत सरकार के लिए चुनाव करवा पाना ही सम्भव न हो सके। किन्तु हम भी उसी तरह से कटिबद्ध हैं कि वहां अवश्य ही चुनाव करवाए जायें और जितनी सुरक्षा वांछित हो वह भी देने की कोशिश की जाए। मैं यह नहीं जानता कि विधि मन्त्रालय स्वतन्त्र या गैर-गम्भीर उम्मीदवारों के मारे जाने पर चुनाव को रद्द करवाने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए विधेयक ला पाएगा या नहीं। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में इस वक्त और इस अवस्था में अपने विचार नहीं बता सकता हूं। निर्णय लेना विधि मन्त्रालय का काम है। विधि मन्त्रालय को ही यह भी देखना होगा कि इस क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इसका अवश्य कोई हल निकलेगा। और हम ऐसे लोगों को अलग कर सकेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। किन्तु इसके साथ ही यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें हर सम्भव सुरक्षा दी जाएगी। फिर उसके बाद यदि कोई मारा जाता है या स्वतः मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की स्थिति से बचना होगा। असम के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है।

हमें सेना को असम में इसलिए भेजना पड़ा कि असम में उल्फा कार्यकर्ताओं ने जबरन धन उगाहने का धन्धा बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था तथा बंधकों को छुड़ाने के लिए फिरौती की उम्मीद से बहुत सारे लोगों का अपहरण कर लिया गया था। यही कारण हैं कि जब विभिन्न राजनैतिक दलों के मशविरे से राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सेना तैनात करने का अनुरोध किया तो हमें सेना को वहां तैनात करना पड़ा। अब उल्फा के अधिकतर कार्यकर्त्ताओं को या तो बन्दी बना लिया गया है या फिर उन्होंने खुद हथियार डाल दिए हैं। फिर भी सभा

की जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उल्फा की गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार या उसको रणनीति के निर्धारक लोग अभी भी पकड़ के बाहर हैं और फैले हुए हैं। उल्फा के उच्च-स्तरीय नेतृत्व में चार या पांच लोग हैं। सौभाग्यवश, मुझे सुबह ही पता चला कि उन्होंने सारे बन्धकों को छोड़ दिया है। उनके पास छह लोग बन्धक थे। उन्होंने इन छः व्यक्तियों को एकतरफा रूप से मुक्त कर दिया है। उन्होंने सरकार को यह भी खबर दी है कि वे इकतरफा युद्ध-विराम के लिए तैयार हैं। उल्फा के उच्च-स्तरीय नेतृत्व ने ऐसा वादा किया है। हमें इस पर विचार करना होगा कि अपने वायदे को वे किस तरह निभाते हैं। एक सप्ताह के भीतर हमें यह सब पता चल जाएगा।

मुझे पता है कि सेना-कर्मियों के विरुद्ध उल्फा के लोगों ने भी ऐसा ही अभियान चला रखा है। बहुत से लोगों को विभिन्न राजनैतिक दलों, सांसदों एवं संसद तथा विभिन्न मन्त्रालयों में यह कहने को भेजा गया है कि अब वे हथियार डालने की स्थिति में हैं और सरकार को किसी प्रकार की बातचीत शुरू करनी चाहिए। बातचीत करने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु एक ओर तो सैन्य तैनात हो और दूसरी ओर बातचीत की जाए, ये दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती हैं। हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी।

यदि हम ऐसी स्थिति तैयार करने में सफल हो सकें जिसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के कार्यकर्त्ता सरकार को यह वचन दे सकें कि वे अपनी हिंसक गतिविधियों को रोक देंगे, कि वे भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं और वे उन बन्धकों को रिहा कर दें जिन्हें उन्होंने अभी बन्धक बना रखा है, यदि ये शर्तें पूरी कर ली जाए, तो बातचीत के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। किन्तु इस अवस्था में मेरे लिए ऐसी कोई निश्चित राय दे सकना जल्दबाजी ही होगी कि हम इस किस्म की बातचीत कब तक शुरू कर पाएंगे जो उल्फा के कार्यकर्ता करना चाहते हैं।

एक विचार यह प्रकट किया गया था कि आतंकवाद की समस्या को समन्वित तरीके से और मिलजुल कर हल करना होगा। मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। हालांकि पंजाब के राज्यपाल ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी और आवश्यक अनुदेश जारी किए थे, हम गृह मन्त्रालय के स्तर पर भी विभिन्व मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक बुला सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं इन राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक बुलाने जा रहा हूं। इसके लिए जिस किस्म के आधुनिकतम शस्त्रों की आवश्यकता है, मुझे विश्वास है कि हम उन्हें एके-47 अथवा कोई अन्य आधुनिकतम शस्त्र प्रदान कर सकेंगे जिनकी राज्य सरकार को अत्यधिक आवश्यकता है।

किसी सीमा तक मेरे लिए इस बात से इन्कार करना सम्भव नहीं है कि पंजाब में सेना तैनात किए जाने के फलस्वरूप उनके दूसरे और तीसरे दर्जे के कुछ नेता अन्य क्षेत्रों में फैल गए हैं। वे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, मध्य प्रदेश और सम्भवतः राजस्थान में भी चले गए हैं, और तो और नक्सलवादी तत्वों से भी सांठगांठ कर ली है। अतः हमें इसी प्रकार की एक समन्वित कार्यवाही की योजना बनानी होगी और निर्णय लेना होगा जैसाकि हमने नक्सलवादी आन्दोलन के मामले में किया था।

नक्सलवादी क्षेत्रों में हमारी एक समन्वित योजना है। सभी सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव एक साथ मिले और हमने कार्यवाही का एक ऐसा कार्यक्रम तय कर सके जिसमें दोनो बातें शामिल हैं। दूसरा एक पहलू है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार के उपाय, सम्पत्तियो के बेनामी सौदे—हम

इस किस्म की प्रवृत्ति को किस प्रकार रोक सकते हैं आदि—और दूसरा पक्ष यह होगा कि समन्वित तरीके से एकजुट कार्यवाही की जाए ताकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में भागने न दिया जाए और समीपस्थ राज्यों में समस्याएं पैदा न करने दिया जाए। नक्सलवादी क्षेत्रों के लिए एक पुरजोर कार्यक्रम पर विचार किया गया है और दूसरे क्षेत्रों में भी आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसी प्रकार का कार्यक्रम बनाने का विचार है। हमें इस बारे में राय कायम करनी है—सभी मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलानी है, योजना बनानी है और उसे कार्यान्वित करने का प्रयास करना है। चूंकि आज 13 दिसम्बर है, इसलिए वर्ष के अन्त से पूर्व मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाना कठिन है, किन्तु हमें शीघ्रातिशीघ्र मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलानी होगी और उनके साथ विस्तार से चर्चा करनी होगी। हमें उनसे परामर्श करके वे सभी कदम अवश्य उठाने होंगे जो आवश्यक हैं।

मैं यह भी समझता हूं कि हमारे पुलिस बल और अर्ध-सैनिक बल बहुत कठिन परिस्थिति में लड़ रहे हैं। उनमें से भारी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। दुर्भाग्यवश, उन्होंने सार्वजनिक भविष्य निधि और प्रिमिया, जिसे सरकार द्वारा उन्हें भुगतान किया जा रहा था, के रूप में जो कुछ रियायतें मिल रही थीं, वे भी वापस ले ली गई हैं। मेरी यह कोशिश रहेगी कि उनके लिए किसी प्रकार के बीमे की व्यवस्था की जाए जिसकी वस्तुतः उन आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बेहद जरूरत है। हमें पुलिस बल में वृद्धि करनी होगी क्योंकि जनसंख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हो गई है कुछ क्षेत्रों की आबादी में तो शत प्रतिशत वृद्धि हो गई है। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों की आबादी और वहां हो रही घटनाओं को देखते हुए हमें अर्ध-सैनिक बलों में कार्मिकों की संख्या बढ़ानी होगी। मैं सभी राज्य सरकारों से इसके लिए अनुरोध करने जा रहा हूं। उन्हें भी स्वयं अपनी फोर्स बढ़ाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम कतिपय क्षेत्रों में आतंकवाद और उग्रवाद की इस समस्या को हल कर सकें।

विशेष फोर्स तैयार करनी होगी और वस्तुतः उसे विशेष प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे इस किस्म की समस्या से प्रभावी ढंग से निबट सकें।

मेरे विचार से ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार आगे कार्यवाही करने की सोच रही है। मैं नहीं समझता कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बोल पाऊंगा।

महोदय, मुझे क्षमा करें, मेरा गला बहुत खराब है और सभा को सम्पूर्ण स्थिति समझाने में यह भी एक प्रकार की अड़चन आ रही है।

माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं उन सबको ध्यान में रखूंगा। किन्तु यदि इनमें ऐसे सामान्य मुद्दे हैं जो विशेषरूप से राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित नहीं है, उनका मैं राज्य सरकारों की ओर से उत्तर नहीं दे सकूंगा—और जिनमें सामान्य नीतिगत मुद्दे शामिल हैं, उनका मैं उन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर देने की कोशिश करूंगा जिन्होंने इन मुद्दों को उठाया है।

मेरे विचार से मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं, इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का पुनः धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : गुप्तचर व्यवस्था समय पर हमें सूचना नहीं दे पाती है तो

इसको सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय गृह मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। उनको इस बारे में बताना चाहिए कि इसके लिए वे क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : वस्तुतः हम कुछ ऐसे देशों की आसूचना एजेन्सियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जहां के पिछले लगभग दो दशकों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन और अन्य देशों में भी यह समस्या विद्यमान है—वहां भी अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद अथवा इस किस्म के संगठन मौजूद हैं। इसलिए हम उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आसूचना बल को अद्यतन बनाने अथवा उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे केवल एक ही बात कहनी है। परसों जब यह बहस चल रही थी तो गृह मन्त्री जी भी यहां पर थे और हमने तिब्बत की बात छेड़ी थी···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी बात आप एक क्षण सुन लें। सारी दुनिया के अखबारों की कतरनें यहां पर हैं। दुनिया के अखबारों में छप रहा है कि हिन्दुस्तान में, दिल्ली में क्या हो रहा है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो इसके ऊपर कुछ तो होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं गृह मन्त्री जी को आश्वासन देने को तैयार हूं, अगर जेल में जो बन्द हैं, उनको आप छोड़ेंगे तो वह किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जार्ज फर्नान्डीज जी, कोई भी इस मुद्दे की नाजुकता और संगीनता को आपसे अधिक नहीं समझता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, फिर क्या होगा ?

1.00 म० प०

(दो) **कावेरी जल विवाद**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत कावेरी जल-विवाद पर चर्चा करेगी।

आबंटित समय दो घंटों का है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्णतः विषय तक ही सीमित रहें। मेरा सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे यह कोशिश करें कि कुछ भी दोहराया न जाए। निश्चित रूप से हम सभा में भी ऐसी स्थिति और वातावरण तैयार करके प्रसन्न हो जो इस समस्या को हल करने में सहायक होगा। श्री धनंजय कुमार···

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : आज शुक्रवार है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आज हमारे सामने एक समस्या है। गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य 3.30 पर शुरू होना है। इस मुद्दे के लिए दो घंटे का समय आबंटित है। यदि सभा सहमत हो, तो तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं अथवा यदि सभा चाहे, तो हम विसर्जित भी हो सकते हैं। मैं इसे सभा के निर्णय पर छोड़ता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : हम आधा घंटे तक विसर्जित हो सकते हैं। (**व्यवधान**) हम 1.30 पर पुनः समवेत हो सकते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार वाद-विवाद प्रारम्भ करें। तत्पश्चात् 1.30 पर स्थगित कर सकते हैं और चर्चा करने के लिए पुनः ढाई बजे समवेत हो सकते हैं। धनंजय कुमार आप आधा घंटा न लें। आप इसे इससे पहले समाप्त कर सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हम 1.30 पर शुरू करें ताकि लगातार चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। हम अब इसे शुरू करें।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय प्रारम्भ में मुझे, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दिए जाने के लिए अध्यक्षपीठ के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। आज कर्नाटक नाजुक दौर से गुजर रहा है।

1.02 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्तमान विवाद के विस्तार में जाने से पहले, मैं यह महसूस करता हूं कि जहां तक कर्नाटक राज्य का सम्बन्ध है, कावेरी नदी के उद्‌गम, उपयोगिता और उससे उचित भाग के बारे में संक्षिप्त प्रस्तावना रखना उचित होगा।

कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पर्वतमाला से, जोकि लगभग 134 मीटर की ऊंचाई पर है, निकलती है। हारगी, हेमावती, शिम्सा, अरकावती, लक्षमण तीर्थ और स्वर्णावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कर्नाटक में कावेरी में मिलती हैं। काबिनी जो केरल राज्य के उत्तरी मालाबार जिले के पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढलानों का जल लेकर आती है, कर्नाटक से होकर बहती है और कावेरी नदी में आकर मिलती है। जिस स्थान पर कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है, वहां मेत्तूर जलाशय बनाया गया है। भावनी अमरावती और नोय्याल तमिलनाडु में इसकी सहायक नदियां हैं।

इस प्रकार कावेरी एक अन्तर्राज्यीय नदी है जिसकी अपनी अनोखी भौगोलिक विशेषताएं हैं। यह नदी कर्नाटक और केरल राज्यों के पर्वतीय जलाशय क्षेत्र में है, जिस पर जून से सितम्बर माह के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रभाव पड़ता है। जबकि इसका नीचे का भाग तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्र में आता है जो अक्तूबर से दिसम्बर माह के दौरान उत्तर-पूर्वी मानसून पर इतना अधिक निर्भर नहीं है।

महोदय, मैं बेसिन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा कावेरी नदी के बेसिन के जल संसाधनों का इन दो मुख्य राज्यों को मिलने वाले योगदान के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा देना चाहूंगा। जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, कर्नाटक में 42 प्रतिशत बेसिन क्षेत्र है और 45 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र है। कावेरी नदी बेसिन का 63 प्रतिशत क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कर्नाटक राज्य में बेसिन क्षेत्र के जल संसाधनों का योगदान 53 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु में 54 प्रतिशत बेसिन क्षेत्र है और 52 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र है। महोदय, तमिलनाडु राज्य में बेसिन के जल संसाधनों का योगदान केवल 30 प्रतिशत है।

जहां तक कावेरी नदी के बेसिन क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई योग्य भूमि में परिवर्तित करने के कार्य में हुए विकास का सम्बन्ध है, कर्नाटक राज्य में केवल 11 प्रतिशत बेसिन क्षेत्र को सिंचाई योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है, जबकि तमिलनाडु में यह कुल बेसिन क्षेत्र का 33.5 प्रतिशत है। कर्नाटक राज्य में हम कावेरी नदी से सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग करके एक अर्द्ध-शुष्क फसल की पैदावार करते हैं जबकि तमिलनाडु में तीन नमी वाली फसलों को उगाते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, हमें आज न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए अन्तरिम आदेश तथा बाद में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के परिणाम की जांच करनी होगी। महोदय, हम सब जानते हैं कि मानव को खेती के लिए, पीने के उद्देश्य से, विद्युत पैदा करने इत्यादि के लिए पानी की मूलभूत आवश्यकता होती है। अत: जैसा कि अन्तर्राज्यीय नदी के पानी के बटवारे के मामले में, हम जानते हैं कि कुछ मूल सिद्धान्तों का पालन करना होगा तथा इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। इनमें

(एक) मूल तथ्य;

(दो) कृषि योग्य अथवा सिंचाई योग्य भूमि;

(तीन) पानी की मात्रा का योगदान; और

(चार) जनसंख्या शामिल है।

महोदय, हम सब को यह समझना चाहिए कि यह मानवीय समस्या है। हम आशा करते हैं कि सब लोग इस समस्या के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। मैं यह नहीं कहता कि नदी के ऊपरी भाग में स्थित राज्य होने के नाते केवल कर्नाटक को ही कावेरी नदी में बहने वाले सारे पानी का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कावेरी नदी में पानी के प्रवाह में योगदान देने के कारण तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी है कि नदी के निचले भाग में स्थित राज्यों के हितों की भी रक्षा की जाए।

विधानमंडल ने अपनी समझ इससे बहुत पहले वर्ष 1956 में अन्तर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम पारित किया था। इसमें अन्तराज्यीय नदी में उपलब्ध जल के बंटवारे के विशिष्ट कार्यों के लिए न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया था। हम सब ऐसे न्यायाधिकरण से यह आशा

करेंगे कि वह कोई निर्णय देने से पहले अथवा आदेश पारित करने से पूर्व उन सभी चार मूल तथ्यों पर विचार करे, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है ।

महोदय, आज मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि किस ढंग से न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है अथवा न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किया जाता है अथवा निर्णय दिया जाता है । हम जानते हैं कि न्यायाधिकरण का गठन अध्यादेश द्वारा किया जाता है । हम कानून के निर्माता हैं । इस सम्माननीय सभा को अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का अधिकार है, यदि हम यह समझते हैं कि अधिनियम के उपबन्धों का उपयुक्त कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है । अपने संविधान में, हमने माना है कि जो भी अधिनियम या कानून बनाया जाएगा, वह लोगों के लिए अधिकाधिक लाभकर होगा । जल संसाधन मन्त्री द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आज भारत सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए अन्तरिम निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहपूर्ण सूचना का केवल उल्लेख किया है और केवल निर्णय के कार्यान्वयन का दायित्व लिया है । इस माननीय सभा में रखे गए विवरण में भारत सरकार ने अनेक शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ।

महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । क्या वे इस ज्वलन्त समस्या से आंखें मूंद सकते हैं और क्या वे कह सकते हैं कि हम यहां केवल यह देखने के लिए हैं कि निर्णय का अक्षरतः कार्यान्वयन हो ।

आखिर, न्यायाधिकरण कोई आदेश अथवा निर्णय देगा लेकिन उसके कार्यान्वयन का कार्य देखना प्रशासन अथवा सम्बन्धित सरकार का दायित्व होगा । इसलिए, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि भारत सरकार ने निर्णय में दिए गए निर्देशों का गहराई से अध्ययन किया है कि क्या वह कार्यान्वित करने योग्य है, क्या यह व्यवहार्य हैं और क्या यह इस ज्वलन्त समस्या को सुलझा सकेगा । हम जानते हैं कि कर्नाटक के जो सही दावे थे उन्हें सैंकड़ों वर्षों से नकारा जाता रहा है । इसके साथ ही, कर्नाटक को दबाया गया और कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया । योजना आयोग ने भी कभी कोई सहायता नहीं दी । जहां तक सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है कर्नाटक को ऐसी कठिन स्थिति में पहुंचा दिया गया था कि उसे गैर-योजना क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने, कावेरी नदी के बेसिन क्षेत्र को विकसित करने और विकास कार्यों के लिए अलग धन खर्च करना पड़ा है ।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, महोदय, आज कर्नाटक राज्य में केवल 11 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई व्यवस्था है और यहां न्यायाधिकरण का आदेश है जिसको मैं एक मिनट में स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक कृषि योग्य भूमि के विकास का सम्बन्ध है और जहां तक सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने का सम्बन्ध है, कर्नाटक के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने में न्यायाधिकरण अपने अधिकार अथवा अपने न्याय अधिकारों की सीमा से आगे बढ़ गया है ।

महोदय, अन्तर-राज्य-जल-विवाद अधिनियम न्यायाधिकरण को प्रत्येक राज्य के लिए जल के भाग को बांटने के निर्णय देने का अधिकार देता है । यह राज्य विशेष पर निर्भर करता है कि वह कैसे जल को प्रयोग करे चाहे वह उसे सिंचाई के लिए प्रयोग करे, चाहे वह उसे विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग करे, चाहे वह उसे औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग करे और इच्छानुसार किसी भी कृषि क्षेत्र पर सिंचाई

करें; विशेषरूप से ऐसी स्थिति में जबकि भारत सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी है, एक भी पैसा कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायाधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है। यह मुख्य मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना है।

महोदय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायाधिकरण ने तटवर्ती राज्य अर्थात् कर्नाटक राज्य पर प्रतिबन्ध लगाया है। जहां तक निम्न तटवर्ती राज्य के अधिकारों का सम्बन्ध है उदाहरण के लिए तमिलनाडु यह चुप्पी साधे हुए है, यह जानते हुए भी कि तमिलनाडु में 33.5 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र पहले ही विकसित की जा चुकी है और इतने ही क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी की जा चुकी है। तमिलनाडु को और अधिक कृषि योग्य क्षेत्र को विकसित करने की अनुमति दी गई है। आज, यदि कोई न्यायाधिकरण के आदेशों पर गहराई से विचार करे तो पता चलेगा कि तमिलनाडु का मुख्य दावा केवल इस पर ही आधारित है। कृपया एक अन्तरिम आदेश पारित कर दें जिससे हमारी ग्रीष्म की खड़ी फसलें बच सकें। हम पहले ही बहुत अधिक धन को खर्च कर चुके हैं। हमने बहुत बड़े कृषि योग्य भूमि को विकसित किया है। इसलिए कृपया एक आदेश पारित करें ताकि कर्नाटक मेत्तूर बांध में पर्याप्त जल होने की बात सुनिश्चित कर सके। महोदय, क्या इससे और जटिलताएं पैदा नहीं होंगी। क्या भारत सरकार ने एक पल के लिए भी यह सोचा कि क्या ऐसे आदेश को क्रियान्वित किया जा सकता है? आखिरकार यह उम्मीद थी कि इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। न्यायाधिकरण को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि राज्यों के अधिकारों को प्रभावित किए बगैर पानी का समुचित बंटवारा होता है।

आज हमारे सामने इस प्रकार की समस्या है। हमें यह समाचार सुनने को मिला कि कर्नाटक में लोग पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि भारत के पिछले 45 वर्षों के इतिहास में कर्नाटक राज्य एक शांत राज्य रहा है और कर्नाटक के लोग शांति प्रिय हैं और हमने किसी भी प्राधिकार के खिलाफ लड़ाई नहीं की है। मैं आज भारत सरकार के मित्रों के ध्यान में लाना चाहता हूं या स्मरण कराना चाहता हूं कि कर्नाटक ने पिछले 45 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। कर्नाटक वह भूमि है जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी का राजनीतिक पुनःस्थापन किया था। क्या आप इसे भूल सकते हैं?

वास्तव में मैं इन सभी राजनीतिक पहलुओं को कभी प्रकट करना नहीं चाहता था परन्तु आज समस्या सामाजिक राजनीतिक इतिहास की है और समस्या का समाधान सिर्फ एक मजबूत राजनीतिक इच्छा से ही किया जा सकता है। मैं एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार के पास इस समस्या को सुलझाने की राजनीतिक इच्छा है? आज हम देखते हैं कि कर्नाटक के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मांडया के लोगों ने इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री गौड़ा जो यहां बैठे हैं के मकान को तहस नहस कर दिया था और आज पूरे कर्नाटक में बन्द है जोकि प्रायोजित है और जिसे सत्तारूढ़ सरकार का सक्रिय समर्थन मिला है। यह पार्टी जो कर्नाटक राज्य में शासन कर रही है। आज उसने पूरे शैक्षिक संस्थाओं में एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी है और इण्डियन एयर लाइन्स ने बंगलौर की सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। क्या हमें एक पल के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्नाटक मे क्या हो रहा है और यह सब सिर्फ न्यायाधिकरण द्वारा पारित इस अन्तरिम अवार्ड को लागू करने से हो रहा है जोकि व्यवहारिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है जिसमें समस्यायें ही पैदा की होंगी और व्यवहारिक रूप से यह कर्नाटक के लोगों के लिए जीवन मरन का सवाल हो गया है।

आज मुझे आश्चर्य है—मेरे मित्र श्री श्रीकांत जैना यहां बैठे हैं कि जब सारे देश ने जनता पार्टी को अस्वीकार कर दिया और जनता पार्टी को निकाल फेंका।*···** कर्नाटक ही है जिसने 1983 में जनता पार्टी को पुनर्जन्म दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकालता हूं।*

श्री वी० धनंजय कुमार : हम समाचारपत्रों में खतरनाक समाचार पढ़ते हैं। कर्नाटक विधान सभा में विपक्ष के नेता सरकार तथा कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी से पूरी तरह मिले हुए हैं। क्या मैं यह समझूं कि क्या आप सभी ने कर्नाटक के लोगों को धोखा दिया है और उनकी अपेक्षाओं को मिटा दिया है।

डा० राजगोपालन श्रीधरन (मद्रास दक्षिण) : अब तक आप ठीक बोल रहे हैं। मैं सुनता आ रहा हूं। आप अपने विषय पर रहें। इससे अलग न बोलें।

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं जानता हूं। मैं तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का काफी सम्मान करता हूं। मैं तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को जानता हूं। हमें जानकारी मिली है कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री भी कुछ शर्तों पर आज बात करने को राजी हैं।······*(**व्यवधान**)

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : महोदय, ये सभा को गुमराह कर रहे हैं। आपको हमारे मुख्य मन्त्री के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री वी० धनंजय कुमार : यह मेरी जानकारी है···(**व्यवधान**)

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार, यद्यपि आपने कुमारी जयललिता को सम्मान दिया है उनके विचार से यह आरोप है।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, यह आरोप नहीं है। यह सच्चाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकालता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मैं भारत सरकार से एक प्रश्न पूछता हूं। भारत सरकार कोई समझौता क्यों नहीं कर सकी? आज भी रास्ता खुला है। हम माननीय प्रधान मन्त्री का सम्मान करते हैं। वे एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वे अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते थे। वे दोनों पार्टियों में समझौता करा सकते थे।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

हमने अनेकों बार सभा में वक्तव्य दिया है कि भारत सरकार को स्पष्ट राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करनी चाहिए। इसमें नियम और शर्तें बतानी चाहिए जिनके अनुसार राज्यों द्वारा नदी जल का बंटवारा किया जा सके। आज हम समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं कि अन्नाद्रमुक संसदीय दल ने मांग की है कि सरकार को इस अन्तरिम अवार्ड को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। इससे यह पता लगता है वह भी इसे अच्छी तरह जानते हैं कि यह अन्तरिम आदेश लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस समय···(**व्यवधान**)

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन : यह सही नहीं है। हमें किसी तदर्थ समिति की आवश्यकता नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री वी० धनंजय कुमार : यह समाचारपत्रों में छपा है। (**व्यवधान**) वर्ना अवार्ड लागू कैसे होगा ? क्या भारत सरकार यह देखने के लिए कि जल छोड़ दिया गया है, कर्नाटक राज्य में सेना भेजेगी ?

यदि जो आदेश दिया गया है उसे देखा जाए तो न्यायाधिकरण ने उसमें कहा है कि एक साल जो जून से शुरू होकर मई तक चले में 205 टी० एम० सी० जल दिया जाना चाहिए, तो हमने पिछले दस वर्षों के दौरान दिए गए जल के बारे में विचार किया है जोकि 1980-81 से 1989-90 की अवधि के दौरान का था। महोदय, यह मजे की बात है कि इन दस वर्षों में उन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान दिए गए जल पर विचार नहीं किया है। आदेश में कहा गया है :

> "इन आंकड़ों पर विचार करते हुए हमें वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के आंकड़ों को शामिल नहीं करना है जिन्हें पार्टियों ने अच्छा वर्ष बताया था। हमने वर्ष 1985-86 तथा 1987-88 के आंकड़ों को भी छोड़ना पड़ा है जिन्हें कि खराब वर्ष बताया गया था। शेष छः वर्षों का औसत वार्षिक बहाव 205.3 टी० एम० सी० था, जिसे पूर्णांक बनाकर 205 टी० एम० सी० कर दिया गया है।"

इसे कन्नड़ भाषा में "काजी न्याय" कहते हैं। जब किसी मध्यस्थ से कहा जाएगा कि वह दो पक्षों के बीच के विवाद को हल करे तो वह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह इस समाधान पर किस आधार पर पहुंचा है यह कहेगा कि आधा हिस्सा एक पक्ष ले ले तथा आधा हिस्सा दूसरा पक्ष ले ले।

महोदय, वर्ष 1985-86 में केवल 158.28 टी० एम० सी० जल ही छोड़ा गया था। वर्ष में केवल 103.90 टी० एम० सी० जल था। इन वर्षों के दौरान और अधिक जल क्यों नहीं छोड़ा गया था। हम जानते हैं कि जल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता हो।

महोदय, आज यह अवार्ड कर्नाटक सरकार को निर्देश देता है कि वह इतना जल दे; प्रतिमाह वह एक निर्धारित कोटा दे तथा प्रति सप्ताह वह यह सुनिश्चित करे कि "मेट्टूर जलाशय" में इतना जल दिया जाता है। और उन्होंने यह भी कहा है : "यदि आप किसी एक सप्ताह में नहीं दे पाते हैं तो आप इसे अगले सप्ताह में दे दें।" यह कैसे सम्भव होगा। हम जल किसी एक सप्ताह में नहीं दे पाते हैं क्योंकि जल उपलब्ध नहीं होता है। हम अगले सप्ताह में और अधिक जल कैसे दे पाएंगे ताकि हम पिछले सप्ताह में रुके हुए जल को और बढ़ाकर दे सकें ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय . कृपया भाषण समाप्त करें । इस विषय पर अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : आज कर्नाटक में लोग सड़कों पर आ गए हैं, वे भूख पड़ताल कर रहे हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कोई स्पष्टीकरण न दें । कृपया समाप्त करें ।

श्री वी० धनंजय कुमार : इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात न्यायाधिकरण को विचार करनी चाहिए थी । जल एक प्राकृतिक संसाधन है । यदि प्रकृति की ओर से अच्छी वर्षा होती है तो निश्चित ही हम चाहें जितना पानी दे सकते हैं जैसाकि इस वर्ष हुआ है । तमिलनाडु राज्य की ओर से इस वर्ष कोई मांग नहीं की गयी है क्योंकि जल का बहाव बहुत अधिक था तथा वह मेट्टूर जलाशय में भी बहुत अधिक हो गया था तथा वह बंगाल की खाड़ी में बह गया था । क्या खराब वर्षा वाले वर्षों में कम जल दिए जाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ? इस पर विचार किया जाना चाहिए । यदि आप अच्छी वर्षा में भागीदार हो सकते हैं तो क्या आप खराब वर्षा में भागीदार नहीं हो सकते हैं ? जब जल उपलब्ध नहीं है तो क्या यह दोनों प्रभावित राज्यों में बराबर-बराबर नहीं बांट लेना चाहिए ?

मैं श्रीमती बासव राजेश्वरी से एक प्रश्न पूछता हूं । मैंने पहले ही कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन दिया गया था । क्या आज वरिष्ठ सदस्य जो इस माननीय सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा वह न केवल पहली बार बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचवीं बार निर्वाचित हुए हैं, क्या वे कर्नाटक के लोगों का सामना कर हमारे माननीय मन्त्री महोदय श्री शंकरानन्द ने एक कीर्तिमान बनाया है क्योंकि वे लगातार सातवीं बार इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किए गए हैं । क्या वे सोच सकते हैं कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं तथा वहां जाकर लोगों का सामना करें । (व्यवधान) हम सब एक साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लड़ रहे थे ।

महोदय, कल मैंने दूरदर्शन पर देखा था कि हमारे कांग्रेसी मित्र प्रधानमन्त्री से मिलने गए थे । मैं इस बात का कारण जानना चाहता हूं कि वे हम लोगों को छोड़कर क्यों गए । क्या यह पार्टी की बैठक थी ? क्या ऐसी तैयारी हो रही थी कि श्री बंगारप्पा को मुख्यमन्त्री के पद से हटा दिया जाए ? सभी संसद सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मिलने नहीं गए, कर्नाटक से निर्वाचित संसद सदस्य प्रधानमन्त्री से मिलने गए''' (व्यवधान)

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, उन्हें कावेरी विवाद पर चर्चा तक ही सीमित रहने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : ये सभी कावेरी विवाद से सम्बन्धित है और राजनैतिक तिकड़मबाजी का प्रतिफल है । यही कारण है कि यह काफी महत्वपूर्ण है ।

मैं जल संसाधन मन्त्री तथा उनके द्वारा माननीय प्रधानमन्त्री से भी अनुरोध करूंगा कि कम-से-कम उस अवसर पर वे अपने विचार सदभावनापूर्ण बनाए तथा अपने पद का उपयोग करें जिससे कि

ऐसा सहज समझौता सम्भव हो सके जो दोनों पार्टियों को स्वीकार हो। उसके लिए यह उपयुक्त समय है। अन्यथा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस देश में एक और उपद्रवग्रस्त राज्य की सम्भावना हो सकती है। कर्नाटक भी पंजाब, असम और कश्मीर के रास्ते पर जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि विपक्षी दल के नेता और मुख्य मन्त्री के बीच साठ-गांठ है। मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी कैसी सांठ-गांठ है। यह एक परस्पर विरोधी टिप्पणी है तथा इसे कार्यवाही-वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कर्नाटक विधान सभा का जिक्र किया जाता है तो मैं सभा के विपक्ष के नेता के बारे में भी वही बात कह सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : श्री जेना, जनता दल के राज्य-अध्यक्ष ने भी विपक्षी नेता के वक्तव्य की निन्दा की है जबकि कर्नाटक विधान सभा में वह उन्ही के दल से सम्बन्धित है। यह बात तो अखबारों में भी छप चुकी है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती बासव राजेश्वरी बोलेंगी।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सहमति थी कि हम 1.30 म० प० पर भोजनावकाश के लिए सभा को स्थगित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बासव राजेश्वरी, आप भोजनावकाश के बाद अपना भाषण जारी रखें।

अब सभा 2.10 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.19 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.19 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 193 के अधीन चर्चा

(दो) कावेरी जल विवाद

(—जारी)

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, कावेरी एक अन्तर्राज्यीय नदी होने के साथ-साथ दक्षिणी प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है। इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आदि हैं। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा में पानी की कुल उपलब्धता 790 टी० एम० सी० है, कर्नाटक का योगदान 425 टी० एम० सी०, तमिलनाडु का 252 टी० एम० सी० और केरल का 113 टी० एम० सी० है। वर्ष 1892 और 1924 में भूतपूर्व महाराजाओं और अंग्रेजों के द्वारा एक समझौता किया गया था जोकि 1974 में समाप्त हो गया। तमिलनाडु ने प्रस्तावित परियोजना के लिए 28 लाख एकड़ भूमि तैयार की थी जबकि कर्नाटक ने केवल 21 लाख एकड़ भूमि तथा प्रस्तावित लघु परियोजना के लिए 2 लाख एकड़ भूमि तैयार की। कर्नाटक में 28 ताल्लुके सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं जबकि तमिलनाडु में केवल 14 ताल्लुके सूखे से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, जैसाकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम शान्ति प्रिय लोग हैं और हम अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। हम स्व-अनुशासित लोग हैं। यह दर्शाने के लिए बहुत से उदाहरण हैं कि हम तब अधिक उदार रहे हैं। तमिलनाडु में जब कभी भी पानी की कमी हुई और जब भी वहां फसलें सूखने लगीं, तब-तब हम तमिलनाडु को पर्याप्त पानी देते रहे हैं। कभी-कभी हमने तमिलनाडु से बिजली ली और उसके बदले में उन्हें पानी दिया।

आंध्र प्रदेश के मेरे कुछ मित्र यहां बैठे हैं। आंध्र प्रदेश के बहुत से छोटे किसान कर्नाटक में पलायन कर चुके हैं और तुंगबद्र क्षेत्र में बस गए हैं। उन्होंने भूमि खरीद ली है और किसान बन गए हैं। वे राजनीति और व्यापार में भी प्रवेश कर चुके हैं। वहां बसने पर हमने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया। इससे हमारी दूसरे क्षेत्रों के आतिथ्य का पता चलता है। अतः तमिलनाडु से भी लोग आए और बाद्रा डेल्टा में बस गए। वे वहां खुशहाल किसान बन गए हैं। अतः मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी तटवर्ती राज्य से झगड़ना नहीं चाहते।

जनता सरकार के समय एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और उस न्यायाधिकरण ने एक अन्तरिम आदेश दिया था। मैं उसके विस्तार में नहीं जानना चाहता। न्यायाधिकरण के द्वारा अन्तरिम आदेश दिए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए एक अध्यादेश पारित किया था। तब केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए उसे भेजा था और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दी थी। न्यायपालिका को उचित सम्मान देते हुए केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया और राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद, आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि कर्नाटक में क्या-क्या घटनाएं घट रही हैं। कर्नाटक के लोग सड़कों पर आ गए हैं, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है और स्कूल सात दिनों के लिए बन्द कर दिए गए हैं। एयरलाईन्स की उड़ानें रोक दी गयी हैं और कर्नाटक में आज पूर्ण बन्द है।

महोदय, अब मैं न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच कावेरी जल-विवाद काफी लम्बे समय से है। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कई विशेषज्ञ दलों और तथ्य-परक समितियों का गठन किया गया है। लेकिन बहुत से प्रश्न अभी भी नहीं सुलझे हैं। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 25-6-1991 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया था। अभी तक देश या संसार में किसी भी न्यायाधिकरण ने कोई आदेश नहीं दिया है। न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अन्तरिम राहत उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। न्यायाधिकरण के आदेश में क्षेत्राधिकार के प्रश्न का कोई पता नहीं है। न्यायाधिकरण का अन्तरिम आदेश **अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** की व्यवस्थाओं के अधीन नहीं आता। चूंकि न्यायाधिकरण के अनुसार इसको दिए गए मामले की भारत सरकार द्वारा कोई जांच नहीं करवाई गई है, अतः इसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत नहीं समझा जा सकता है। न्यायाधिकरण को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसे केवल केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखने का अधिकार है। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 5(2) के अन्तर्गत नहीं आते हैं। न्यायाधिकरण ने एकतरफा आदेश दिया है जिसमें नदी घाटी के ऊपरी राज्यों में हितों की अवहेलना की गई है तथा केवल तमिलनाडु के हित का ध्यान रखा गया है।

मेत्तूर बांध से तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० पानी देने की मात्रा को निर्धारित करने का एकतरफा फैसला देते समय पानी की उपलब्धता कर्नाटक की आवश्यकता तथा तमिलनाडु में पानी की उपलब्धता और बर्बादी को ध्यान में नहीं रखा गया है।

तमिलनाडु के लिए प्रतिवर्ष 205 टी० एम० सी० पानी की मात्रा निर्धारित करते समय अच्छी वर्षा और कम वर्षा वाले वर्षों में कर्नाटक को होने वाली कठिनाई के परिणामों को अनदेखा कर दिया गया है। आयोग द्वारा कर्नाटक के लिए अपेक्षित उपयोग की मात्रा और विभिन्न पक्षों के हितों के संरक्षण तथा सुविधा सन्तुलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। न्यायाधिकरण को कर्नाटक के वर्तमान और आवश्यक उपयोग के बारे में तथा तमिलनाडु के वर्तमान उपयोग के बारे में तुलनात्मक रूप से विचार करना चाहिए था।

जब से न्यायाधिकरण का गठन किया गया है तब से अब तक कर्नाटक सरकार ने राज्य के हितों के लिए नदी के पानी या बहाव के रास्ते को परिवर्तित नहीं किया है और नहीं उसे मोड़ा है। अब न्यायाधिकरण ने कर्नाटक सरकार को सभी चालू परियोजनाओं को रोकने का आदेश दिया है जबकि तमिलनाडु के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है।

महोदय, साप्ताहिक, मासिक अथवा पाक्षिक के आधार पर पानी छोड़ना व्यावहारिक नहीं है। जब पानी उपलब्ध नहीं होता है तो मेत्तूर बांध को पाक्षिक अथवा साप्ताहिक आधार पर जल सप्लाई करना सम्भव नहीं होता है।

ये वे कानूनी पहलू हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या को हल करने के लिए हम सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं। अब मैं इसकी व्यावहारिकता के बारे में बताऊंगा कि न्यायाधिकरण को कर्नाटक सरकार द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को अन्तिम रूप देते समय अथवा अन्तिम निर्णय देते समय किस प्रकार सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

कर्नाटक में फसलों का पैटर्न बदला नहीं है। जैसाकि आप भलीभांति जानते हैं, हम पानी का

बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर रहे हैं । इसके अलावा कुछ जिलों में पानी का बारानी फसलों जैसे शहतूत, रागी और अन्य फसलों के लिए उपयोग किया जा रहा है जबकि तमिलनाडु वर्ष में निरन्तर तीन फसलों के लिए, ग्रीष्म की धान की फसल के लिए भी जल का उपयोग कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आवश्यक हो तो फसल के पैटर्न में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए । समस्या तब उत्पन्न होती है जब ग्रीष्म ऋतु में जल नहीं होता है अथवा जल की कमी होती है । अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि हमें इस बात की जानकारी हो कि हम कितने सर्वोत्तम ढंग से फसलों के पैटर्न में परिवर्तन कर सकते हैं । नये कृषि अनुसंधान कार्यक्रम में ऐसी अच्छी फसलें हैं जो किसानों को बहुत लाभकारी मूल्य दिला सकती है । किन्तु हमारे किसानों को केवल धान और गन्ना उगाने की जानकारी है जिसको काफी जल की आवश्यकता होती है । अब वह सही समय आ गया है जबकि तकनीकी लोगों को यह दिखाने के लिए सामने आना चाहिए कि हम अन्य ऐसी अधिक लाभप्रद फसलों को, जो बहुत कम पानी से और बहुत कम समय में उगाई जा सकती है, किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से उगाया जा सकता है । तिलहनों और दालों जैसी फसलें बहुत अधिक लाभप्रद हैं और इन्हें ग्रीष्म ऋतु में उगाने पर विचार किया जा सकता है ।

अब तक हम सिंचाई के लिए विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कर चुके हैं । हमने किसानों को जल प्रबन्ध के बारे में नहीं सिखाया है । हमारे लोगों का जल प्रबन्धन और जल सप्लाई का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जो अब तक नहीं दिया गया है । दिन रात, सम्पूर्ण समय पानी बहने दिया जाता है और पानी बहता ही रहता है और वह समुद्र में चला जाता है और सम्पूर्ण भूमि क्षारीय हो जाती है और तब हम भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए कहते हैं ।

अब तो वह समय आ गया है जबकि ऐसी समस्या उत्पन्न होने से पहले ही जल प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक हो गया है । और इन परियोजनाओं में जल आपूर्ति के विवेकपूर्ण उपयोग को लागू किया जाना चाहिए । वहां अनेक कृषि आधारित उद्योग और गोबरगैस संयंत्र हैं । चावल मिलें कृषि उपजों पर बहुत अधिक निर्भर हैं । जब पानी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे ? इन उद्योगों का क्या होगा ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उद्योगों को रुग्ण हो जाना चाहिए ? मैं एक विशेष प्रश्न करना चाहता हूं । हमें उस क्षेत्र में स्थापित किए गए उद्योगों के हितों की सुरक्षा करनी है ।

यह बहुत आवश्यक है कि न्यायाधिकरण अन्तिम आदेश जारी करने से पहले और पुनरीक्षण याचिका को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले इन बातों पर विचार करे ।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, कितने मजदूर इन परियोजनाओं पर निर्भर हैं ? आप जानते हैं कि जहां कहीं सिंचाई व्यवस्था है, श्रमिक उस क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां उत्प्रवास करते हैं और वहां उन्हें रोजगार मिलना निश्चित होता है । चूंकि प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी है, इसलिए वहां उन्हें सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी से काफी अधिक मजूरी दी जाती है । आप इन श्रमिकों का क्या करेंगे ? क्या आप उन्हें वापस भेज देंगे ? इन बातों पर विचार करना होगा ।

जहां तक स्थान चयन की व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमने कमोबेश सुरक्षा उपाय के रूप में बांधों का निर्माण किया है । अब हमारी बारी है । हर किसी को पानी में भाग मिलना चाहिए ।

इसलिए मौजूदा फसलों को पानी दिया जाना चाहिए और फसलों की रक्षा की जानी चाहिए तथा और अधिक क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे और अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। सरकार को इन बातों को सोचना चाहिए।

बेहतर होगा कि हम आवर्तन और ब्लाक प्रणाली के विषय में विशेषज्ञों की राय लें, जिसके बारे में हमने अब तक नहीं सोचा है। यह बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को गन्ने की फसल से अधिक लाभ होता है, वे सदा आनन्द में रहते हैं। किन्तु सबसे पीछे वालों की क्या स्थिति है? क्या उन्हें पानी मिलता है? सरकार द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि की नीलामी कर दी गई है। नियमित रूप से बाकीदार रहने के कारण वे दीवालिया हो गए हैं। उन्होंने बहुत अधिक धन लगाया है। हमने सबसे पीछे के अथवा उन लोगों का ध्यान नहीं रखा है जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है। एक ओर तो कुछ लोग बहुत समृद्ध होते जा रहे हैं, दूसरी ओर लोग मर रहे हैं और वे निष्क्रिय हो गए हैं। कर्नाटक में अधिकांश भूमि सरकार के पास चली गई है। हम किस प्रकार का न्याय देने जा रहे हैं? इसलिए हमें आवर्तन और ब्लाक प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करके हम कमान क्षेत्र में आने वाले किसानों के प्रति न्याय करेंगे।

मैंने प्रधानमन्त्री महोदय से यह अनुरोध किया है कि वे दोनों राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एक सौहार्दपूर्ण हल निकालें। हम आशा करते हैं कि प्रधानमन्त्री महोदय आगे आएंगे और दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर और एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने का प्रयास करेंगे। हम, संसद सदस्य, अपने प्रधानमन्त्री महोदय से मिल चुके हैं और उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि हमें यथाशीघ्र सौहार्दपूर्ण हल मिल जाएगा।

मुझे पता चला है कि कु० जयललिता भी बातचीत के लिए सहमत हो गई हैं। यह एक अच्छा सुझाव है।

अब कर्नाटक सरकार द्वारा कुछ प्रश्न दायर किए गए हैं कोई अन्तिम निर्णय देने से पहले वहां की स्थिति में व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए इस पर तत्परतापूर्वक और सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

एक शांतिपूर्ण हल निकालने में देरी नहीं की जानी चाहिए। यह शीघ्र किया जाना चाहिए और कर्नाटक की जनता की गम्भीरता को देखते हुए यथाशीघ्र निर्णय दे दिया जाना चाहिए। इस आदेश से कर्नाटक की 40 लाख की आबादी पर बहुत अधिक असर पड़ा है और कर्नाटक की स्थिति को देखते हुए कर्नाटक की जनता की भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मेरा प्रधानमन्त्री महोदय और सिंचाई मन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे यह प्रयास करें कि दोनों राज्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना यथाशीघ्र कोई हल निकाल लिया जाए।

चूंकि यह राष्ट्रीय हित में होगा, कोई एक समृद्ध न हो और दूसरे को हानि न हो। हमें आमने सामने बैठकर विचार-विमर्श करना चाहिए और विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। जो भी उपलब्ध है, उसे दो राज्यों में बांटा जाना चाहिए।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : *उपाध्यक्ष महोदय मैं कावेरी जल विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं ।*

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहूंगी कि इस कावेरी जल सम्बन्धी मुद्दे से कर्नाटक में कानून और व्यवस्था की ऐसी समस्या और मानवीय समस्या पैदा नहीं होने दी जानी चाहिए । आखिर कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों के लिए पवित्र, जीवनदायिनी है । 1924 से 1974 तक एक समझौता लागू था । वह समझौता भी जल के समानतापूर्ण वितरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से तैयार नहीं किया गया था । वह समझौता उन दिनों किया गया था जब वहां ब्रिटिश शासक थे । वह संधि—वाइसराय के समय में की गई थी जिसका मुख्यालय मद्रास प्रान्त में था ।

महोदय, हालांकि हम कर्नाटक के लोग नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी हम सबसे अधिक हानि उठा रहे हैं, सबसे अधिक बुरा असर हम ही पर पड़ रहा है । हम शान्तिप्रिय लोग हैं । बहुत उदार और अतिथि सत्कार प्रिय लोग हैं । मेरे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 20-25% किसान तमिलनाडु के हैं । वहां उनकी अपनी जमीन है और वे कावेरी नदी से लाभान्वित हो रहे हैं । वे खेतिहर श्रमिकों के रूप में भी काम कर रहे हैं । उन्हें वहां रहने दिया जा रहा है और सिंचाई के लिए जल लेने दिया जा रहा है और समृद्धि और शांतिपूर्वक रहने दिया जा रहा है ।

अब मैं सभा को एक बात की याद दिलाना चाहूंगी । मैं यह बात तमिलनाडु के यहां उपस्थित अपने अन्य सहयोगियो के ध्यान में भी लाना चाहूंगी । 1974 के बाद भी, जब श्री एम० जी० रामचंद्रन मुख्य मन्त्री थे—उस समय भी समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी थी—और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री थी और मेरे पिता स्व० श्री देवराज अर्स कर्नाटक के मुख्यमन्त्री थे, इस मामले को कभी न्यायालय के विचार क्षेत्र में अथवा गलियों में नहीं जाने दिया गया । उस समय भी, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमन्त्री थे, इसे कभी न्यायालय में नहीं ले जाने दिया गया । मैं यह बहुत दुःख सहित बता रही हूं । ऐसा कभी नहीं किया गया । वे खुशी और गमी, सूखे और जल की प्रचुरता को आपस में बांटा करते थे । कावेरी नदी में बहुत जल था । उनकी मैत्रीपूर्ण बातें हुआ करती थीं । उस समय पारस्परिक विनिमय की नीति अपनाई जाती थी । उन्होंने जियो और जीने दो की नीति अपनाई । उस समय वहां सोहार्दपूर्ण वातावरण था । उस समय जितना भी जल उपलब्ध था, उसे वे समानता के आधार पर आपस में बांटा करते थे । जब कभी पानी की मांग की जाती थी, उन्हें उदारतापूर्वक दे दिया जाता था । अत्यन्त दुर्भाग्यवश जब केन्द्र मे विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासन था, उन दिनों इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया और श्री करुणानिधि के कर्नाटक सरकार के साथ सहयोग न करने के कारण ऐसा हुआ । मैं ये टिप्पणियां इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के लिए नहीं करना चाहती । किन्तु यह सच है । दुर्भाग्यवश उस समय यह राजनीतिक निर्णय लिया गया था । तबसे कावेरी जल विवाद में उग्रता आई और यह उलझ गया श्री एम० जी० रामचन्द्रन और श्री देवराज उर्स के समय में, स्वयं श्री देवराज उर्स ने इस मुद्दे का व्यावहारिक सर्वेक्षण किया था । वे यह समझ गए कि इस मुद्दे का एक व्यावहारिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । एक शांतिपूर्ण हल के लिए एक समझौते का प्रारूप तैयार किया गया । इसके अतिरिक्त कल ही हमने इस मुद्दे पर सिंचाई मन्त्री महोदय से विचार-विमर्श किया था । उन्होंने भी इस बारे में उल्लेख किया था । उन्होंने इस मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्वक और पारस्परिक समझ से हल करने के लिए एक सोहार्दपूर्ण स्थिति बनाने के लिए वातावरण तैयार किया उस समय पर कावेरी

के जल के समानतापूर्ण वितरण के लिए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत कराई गई हैं। यह बात लगभग मान ली गई थी और दोनों सरकारें इस पर हस्ताक्षर करने को तैयार थी। दुर्भाग्यवश राजनीतिक वातावरण में एक बदलाव आ गया। कर्नाटक में राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने की घोषणा कर दी गई और उस पर अमल नहीं किया जा सका। उसे लागू नहीं किया जा सका इसमें जो भी गणितीय चालबाजी रही हो, न्यायाधिकरण का अन्तरिम आदेश स्थायी हल नहीं हो सकता। हमारे लिए कावेरी एक पवित्र नदी है।

मामले का निपटान समझ-बूझ से मैत्रीपूर्ण ढंग तथा शान्तिपूर्वक किया जाना चाहिए। इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि वहां राजनैतिक परिवर्तन हुए थे, और वहां राज्यपाल का शासन लागू था। इस बात को भली प्रकार जानते हुए कि यह एक ज्वलन्त समस्या और गम्भीर स्थिति है जिसका कर्नाटक के किसान सामना कर रहे हैं, न्यायाधिकरण ने अन्तरिम आदेश दिया था, जिस पर पुनः उच्चतम न्यायालय में आपत्ति की गई। उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय दी है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जा रहा है। अभी भी समय बीता नहीं है और अभी भी हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं तथा मैत्रीपूर्ण और शान्तिपूर्ण समझौता कर सकते हैं। हम कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे केन्द्र में सिंचाई मन्त्री के साथ बैठकर इस समस्या का वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढग से निपटारा करे तथा दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल को बराबर बराबर बांटें।

महोदय, इस वर्ष प्रकृति ने हमारी रक्षा की है। अन्यथा हम पिछले पांच-छह वर्षों से सूखे से पीड़ित रहे थे। इस वर्ष केवल प्रकृति ने ही हमें आशा की किरण दिखाई तथा हमारी समस्या का समाधान कर दिया जिसके लिए हम लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे तथा अतिरिक्त जल बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। परन्तु यह स्थाई समाधान नहीं हो सकता। न्यायाधिकरण द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए 205 टी० एम० सी० पानी देने के सांख्यिकीय आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे आदेश पारित करने का कोई लाभ नहीं है। इस समस्या का समाधान केवल हमारे माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा हस्तक्षेप करने से ही किया जा सकता है। हम संसद के सदस्य होने के नाते, किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए पुनः सहयोग देते हैं जो आपस में बैठकर शान्तिपूर्ण ढग से की जा सके। मुझे आशा है कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री, जो एक बड़े राजनेता और अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें बुलाने के लिए पहल करेंगे तथा दोनों राज्यों को उपयुक्त मार्गनिदेश और अनुदेश देंगे कि वह आपस में बैठ कर इस मामले का निपटान करें।

कर्नाटक में अनेक हिंसात्मक आन्दोलन हो रहे हैं, अनेक विद्यार्थी तथा लोग सड़कों पर आ गए हैं तथा करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई है। इस मामले को और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अब तक अनेक लोगों की मौतें हो गई हैं और शीघ्र ही इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए जिसके लिए हम सब लोग सहयोग दे रहे हैं। अन्यथा, हमें इस मामले पर पुनः विचार करना होगा तथा यदि आवश्यक हुआ, तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री तथा सिंचाई मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह मामले को मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण ढग से निपटान करें। हम सब लोग अब तक भाइयों के समान रहते आ रहे हैं। एक बार फिर यही भावना बनी रहनी

चाहिए तथा शान्तिपूर्ण *वातावरण बनाया जाना चाहिए । मैं एक बार* फिर आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बातचीत के लिए आगे आएं तथा इस *मामले का मैत्रीपूर्ण ढंग से* निपटान करे ।

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त दुखी मन से दो मित्र राज्यों अर्थात कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़े के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने झगड़े का सारांश बताया है तथा झगड़े के आंकड़े तथा तथ्यों का उल्लेख किया है । उन्होंने झगड़े की कानूनी स्थिति को भी स्पष्ट किया है । मैं इन सब को दोबारा नहीं दोहराता क्योंकि उसे दोहराने से सभा का समय व्यर्थ होगा । कावेरी जल विवाद की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या ने कर्नाटक में संकट उत्पन्न कर दिया है । यह संकट बहु-आयामी है । सर्वप्रथम, केन्द्रीय सरकार की विषयनिष्ठता में विश्वास की समस्या है । दूसरा, दो पड़ौसी मित्र राज्यों—कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सम्बन्धों की समस्या है । तीसरा, स्वयं कर्नाटक राज्य का ही संकट है । इस संकट के क्या कारण हैं ?

पिछले सप्ताह, 5 दिसम्बर को, कर्नाटक के सभी दलों को संसद सदस्यों तथा विधायकों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री से उनके निवास स्थल पर मिला । मैं भी उस प्रतिनिधिमण्डल में था । इस प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को कर्नाटक की समस्याओं से अवगत कराया । कर्नाटक से तमिलनाडु राज्य को 205 टी० एम० सी० पानी देने के लिए कहा गया । हमने इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में उन्हें बताया और यह भी अनुरोध किया कि कर्नाटक और तमिलनाडु के झगड़े का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटान की व्यवस्था करें : प्रधानमन्त्री ने धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना तथा कर्नाटक के मामले में सहानुभूति दिखाई । अन्त में उन्होंने कहा "कानूनी लड़ाई पर बल न दो, क्योंकि कानूनी लड़ाई बहुत लम्बे समय तक चलेगी, इसमें अधिक समय लगता है तथा इससे दो राज्यों के बीच सम्बन्धों में कटुता पैदा होगी ।" उन्होंने हमें बैठकर बातचीत द्वारा समझौता करने की भी सलाह दी । हमने उनकी सलाह को स्वीकार किया तथा उन्हें आश्वासन दिया कि हम इसका पालन करेंगे ।

दुर्भाग्यवश, चार दिन बाद केन्द्रीय सरकार ने जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को राजपत्र में अधिसूचित किया । आन्दोलन करने का यही कारण था । कर्नाटक के लोग यह महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है । लोग यह भी महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने सत्ता में रहने की राजनीति का खेल खेला क्योंकि दिल्ली में अल्पमत सरकार तमिलनाडु के संसद सदस्यों का समर्थन चाहती है । इसलिए, तमिलनाडु के संसद सदस्यों की भावनाओं, तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री की भावनाओं की तुष्टि के लिए केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु का पक्ष लिया और अधिसूचना को सरकार के सरकारी राजपत्र में जल्दी ही अधिसूचित कर दिया । आन्दोलन का यह एक अन्य कारण था ।

अब आन्दोलन का क्या महत्व है ? कर्नाटक के लोग महसूस करते हैं कि वह अपकृत है । कर्नाटक में दंगे भड़क रहे हैं । वह महसूस करते हैं कि दिल्ली से कर्नाटक में दंगे भड़के हैं । कर्नाटक के लोगों ने बसों तथा लारियों को जलाना शुरू कर दिया है । वह तमिलनाडु की बसों और लारियों को भी जला रहे हैं वह कोयम्बटूर अथवा मद्रास से बंगलौर और मैसूर जाने वाली तमिलनाडु की बसों और लारियों को जला रहे हैं ।

कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में तमिलनाडु के कुछ किसान हैं। उनके हितों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हजारों कृषक मजदूर, जो तमिलनाडु से आए हुए हैं, भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वह डरे हुए हैं। बंगलौर में हजारों होटल कर्मचारी, भवन बनाने वाले मजदूर हैं और वह समझते हैं कि वह कर्नाटक में सुरक्षित नहीं हैं। कर्नाटक के लोगों ने पहले ही मैसूर, माण्डया तथा बंगलौर में तमिल लोगों पर आक्रमण करने की धमकी दी है।

कल माण्डया में एक संसद सदस्य का घर लूट लिया गया और उन्होंने घर में आग लगाने की कोशिश की। पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप पांच व्यक्ति उसी स्थल पर मारे गए। समाचारपत्रों में कहा गया है कि वह घायल हुए हैं परन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे बंगलौर, माण्डया और मैसूर से टेलीफोन आया है कि पांच लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस कहती है कि वे केवल घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के लोग जो कर्नाटक में कार्य करते हैं, अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते और उन्होंने कर्नाटक से वापस आना शुरू कर दिया है।

तमिलनाडु के लोग बदला लेना शुरू कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो अन्तर्राज्यीय युद्ध शुरू हो जाएगा तथा यह संघीय ढांचे के लिए शुभ नहीं है। पहले ही अनेक राज्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा अपकृत समझे जाते हैं, वित्तीय स्वायत्तता और अन्य प्रकार की स्वतन्त्रता की मांग कर रहे हैं। यदि इस ढंग से कर्नाटक को अपकृत समझा गया तो कर्नाटक भी स्वायत्तता की मांग कर सकता है। पहले ही भारत में 'बाल्टिक' लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस समय भारत के राज्यों की ऐसी प्रवृत्ति है। कुछ समय बाद कर्नाटक भी इससे प्रभावित हो सकता हैं। इसलिए मैं संघीय ढांचे के हित में देश की एकता और अखण्डता के हित के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वर्तमान नीति को जारी न रखें अपितु तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच समझौता कराने की व्यवस्था करें। दोनों राज्यों के मुख्यमन्त्री, जिनकी शिकायतें हैं, को बुलाकर बातचीत करें तथा मामले का निपटान कराया जाए। अब हम तमिलनाडु को 167 टी० एम० सी० पानी दे रहे हैं। परन्तु तमिलनाडु के लोग 205 टी० एम० सी० पानी की मांग कर रहे हैं। यह दो पराकाष्ठाएं हैं उन दोनों राज्यों को अवश्य ही समझौता करना चाहिए तथा एकमत होकर मामलों का मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटान करना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो दोनों मित्र राज्य मित्र ही बने रहेंगे तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे। अन्यथा कर्नाटक के लोगों का धैर्य समाप्त हो जाएगा तथा कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में दूसरा असम अथवा पंजाब बन जाएगा। सामान्यतः दक्षिण भारत शान्ति प्रिय स्थान है। इस प्रकार, कर्नाटक के लोग भी शान्ति प्रिय हैं। यदि कर्नाटक के साथ अब आगे इस तरह का व्यवहार किया गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कर्नाटक दूसरा पंजाब बन जाए। कर्नाटक भी भारतीय संघ से अलग होने की मांग करेगा। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करनी है।

प्रधानमन्त्री जी एक प्रसिद्ध राजनेता हैं और उन्हें मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए तथा मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए और मैत्रीपूर्ण ढंग से मामले का निपटान करना चाहिए जिससे दोनों राज्यों के सम्बन्ध अच्छे, सौहार्दपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण बने रहें। यही एक उपाय है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह युद्ध के खतरे का संकेत होगा और केन्द्रीय सरकार को सावधान रहना चाहिए।

श्री जी० माडे गौडा (माण्डया) : महोदय, सर्वप्रथम मैं उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार तथा उस सभा के सभी सदस्यों को कावेरी जल के बंटवारे के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जाना चाहता और यह पर्याप्त होगा यदि मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाऊं कि 1924 के समझौते के बाद, जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, क्या हुआ था। कर्नाटक के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया गया और उन्हें इसमें से एक कप पानी भी लेने नहीं दिया गया। केवल मैसूर क्षेत्र में, जहां महाराजा का शासन था, वे केवल एक बांध का निर्माण करने में सफल हो सके। उसके बाद, हम कोई बांध नहीं बना सके।

महोदय, जैसाकि हम जानते हैं कि 1924 में एक समझौता हुआ था। सम्पूर्ण विश्व जानता है और देश को जानकारी है कि कर्नाटक के लोगों के साथ बहुत अधिक अन्याय किया गया और मुझे इस प्रश्न का दुबारा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

1924 के समझौते में एक प्रावधान है, जिसका पाठ इस प्रकार है :

> "50 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, अर्थात वर्ष 1924 में सम्बन्धित राज्यों को एक साथ बैठकर उस समय विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुनरीक्षा करनी चाहिए।"

तदनुसार, हमारी यह धारणा है और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि 1924 के समझौता अब लागू नहीं है और इस समझौते की कोई मान्यता नहीं है।

दूसरी तरफ, तमिलनाडु के मित्रों ने बहस करते हुए कहा है कि समझौता अभी भी बाध्यकर रूप से लागू है और वह कावेरी के सारे जल के हकदार हैं। ऐसा नहीं है। इस धारणा के आधार पर, हमने कुछ परियोजनाएं अपनी लागत पर शुरू की हैं। लेकिन बहुत सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। तमिलनाडु सरकार इन सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा इन्हें स्वीकृति दिए जाने का विरोध कर रही है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि क्या तमिलनाडु में बनाए गए न्यायाधिकरण को अन्तरिम आदेश पारित करने का अधिकार है। अन्तर-राज्य जल विवाद में अन्तरिम आदेश जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। 1974 के समझौते की समाप्ति के बाद, हम जानते हैं कि कावेरी नदी एक अन्तर-राज्य नहीं है। सभी सम्बन्धित राज्यों को उसके जल का यथासम्भव उपयोग करने का अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार थी। सभी सम्बन्धित राज्यों ने इस पर विचार-विमर्श किया। यहां तक कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से चर्चा की। इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कुछ बैठकें की गई हैं।

हम जानते हैं कि चाहे हम कर्नाटक से हैं अथवा किसी अन्य राज्य के हैं हम सभी भारतीय हैं। हम सभी भाई-बन्धु है। हम जानते हैं कि सभी नदियों का जल और इस देश की सारी सम्पत्ति सभी राज्यों में उनकी आवश्यकतानुसार ठीक अनुपात में वितरित करनी होगी। मस्तिष्क में इस पृष्ठभूमि के साथ, हम इस समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं। न्यायाधिकरण से एक आदेश पारित किया है जो कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे रहे

हैं । जैसाकि मैंने पहले भी कहा था, मैं इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता कि कैसे कर्नाटक के लोगों को नुकसान हुआ हैं, और उन पर किस प्रकार अन्याय किया गया है । अनेक याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं और एक संशोधित याचिका भी न्यायाधिकरण के सम्मुख रखी गई है । हमारी कठिनाईयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । न्यायाधिकरण ने मानसून के मौसम को ध्यान में नहीं रखा है । इसे यह भी नहीं पता कि कावेरी नदी कहां से निकलती है और कहां समाप्त होती है । नदी कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर बहती है, तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर नहीं है ।

वर्षा पर विचार नहीं किया गया है । सभी 365 दिन वर्षा नहीं होती, न ही नदी में सदा जल होता है । नदी जुलाई से दिसम्बर तक बहती है और अन्य महीनों के दौरान सूख जाती है । न्यायाधिकरण ने वर्ष के सभी महीनों के दौरान तमिलनाडु को जल देने का आदेश पारित किया है । यह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । जब संबंधित राज्यों के संसद सदस्य हमारे विद्वान प्रधान मन्त्री से मिले, तो उन्होंने हमें यह बताया कि यह एक व्यापक और संवेदनशील प्रश्न है, इसे न्यायालय द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता । हमें बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए । बातचीत करने के लिए बैठक बुलानी चाहिए ताकि यह समस्या सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाई जा सके ।

3.00 म० प०

महोदय, हम संसद सदस्यों ने जल संसाधन मन्त्री शुक्ला जी से सम्पर्क किया और अधिसूचना को स्थगित करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया । लेकिन हम नहीं जानते कि पहले इसे अधिसूचित करने के लिए उन्हें किसने प्रोत्साहित किया । यद्यपि चार दिन पहले हम श्री शुक्ला से मिले थे, उन्होंने जल्दी में इसे राजपत्र में प्रकाशित कराया है । और जैसे-जैसे लोगों को इसके बारे में पता चला, वहां बहुत आंदोलन किए गए । पुलिस ने गोलियां चलाई, हिंसा भड़क उठी । कर्नाटक सरकार ने आज बन्द घोषित किया है । कल, कर्फ्यू भी लगाया गया था । इसलिए, भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को देश के हित में बातचीत के लिए बुलाए । श्री वेंकटागिरि गौडा ने पहले भी कहा था कि बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है । कल एक उत्तेजित जन-समूह मेरे घर में घुस आया और मेरे से तथा राज्य के विधायकों से त्याग-पत्र देने की मांग करने लगा । हम जनता प्रतिनिधि हैं । यदि उत्तेजित जन-समूह हमारे घरों में प्रवेश कर जाता है तो हम कैसे एक विधायक के रूप में अथवा जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं ? हमारा समाज में कोई आदर नहीं है और लोग हमारा आदर नहीं करते । महोदय, आप जानते हैं कि केवल जनता के विश्वास पर हम इस सभा के लिए चुने जाते हैं । मुझे जनता के विश्वास पर दो अवधि के लिए संसद के लिए और छः बार विधान सभा के लिए चुना गया है और अब, लोग मेरे घर में घुसकर मुझे त्याग-पत्र देने के लिए कह रहे हैं । मैं त्याग-पत्र क्यों दूं ? मैं यहां सरकार को बचाने के लिए, अपने हाथ खड़े करने के लिए नहीं हूं और मैं हाथ खड़े कर इस सरकार को बचाने के लिए तैयार नहीं हूं । जो लोग जो मुझे पिछले तीस वर्षों से चुनते आ रहे हैं, वे मुझ से मेरे त्याग-पत्र देने की मांग कर रहे हैं, मैं आत्म-सम्मान खोकर चुप नहीं रह सकता । यदि सरकार बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझाने में असमर्थ रहती है तो इस सभा को छोड़ने के लिए तैयार हूं । हम देश की एकता और अखण्डता के लिए, लोकतन्त्र के लिए कार्य कर रहे हैं । यह मामला न्यायालय द्वारा नहीं सुलझाया जाना चाहिए । न्यायालय के बहुत सारे निर्णयों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है । श्री धनंजय कुमार ने भी कहा है कि आदेश को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । हमारे लोगों ने पहले ही बांध के दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं और कानून को अपने हाथों में ले लिया है और आप इस आदेश को कार्यान्वित नहीं कर सकते ।

महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है···**(व्यवधान)**···इतिहास से पता चलता है कि कोई भी सरकार चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो अथवा जनता दल की सरकार हो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती। यदि कोई सरकार लोगों की इच्छाओं और कल्याण के प्रति उपेक्षा का रवैया रखती है, तो उसे गिरा दिया जाता है, चाहे उसके कुछ भी उद्देश्य अथवा सिद्धांत हों। जब लोग उत्तेजित होते हैं और असन्तुष्ट होते हैं, तो कोई सरकार टिकी नहीं रह सकती। उस सरकार के कुछ भी सिद्धांत हों वह केवल कागजों तक ही सिमट कर ही रह जाएंगे। लोग इस प्रकार की चीजों को सहन नहीं करेंगे।

मेरा विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आपके माध्यम से, मैं प्रधान मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं। वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वह समस्या को समझते हैं। अनेक बार उन्होंने स्वयं भी कहा है कि इस प्रकार के नाजुक मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए और इसे न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। अब हम और हमारे मुख्यमन्त्री महोदय बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर प्रधानमन्त्री से सभी सम्बन्धित राज्यों की बैठक बुलाने का अनुरोध करता हूं। केवल कर्नाटक ही नहीं चार राज्य इस मामले से सम्बद्ध हैं। प्रधानमन्त्री को सभी सम्बन्धित मुख्यमन्त्रियों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और मामले को देश के हित में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहिए। अन्यथा हमारे लोग विद्रोह करेंगे और इन परिस्थितियों में कोई भी सरकार होने वाली क्षति को पूरा नहीं कर सकती।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अब मैं सरकार के लिए असली पैदा हो गया हूं, मुझे आशा है कि इससे सरकार शीघ्र जान जाएगी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : आपका क्या होगा? क्या आप त्यागपत्र नहीं देंगे? क्या आप यही बैठे रहेंगे?

श्री वी० धनंजय कुमार : आपकी पार्टी समस्या सुलझाने की इच्छुक नहीं है। आप केवल चाहते हैं कि हम त्याग-पत्र दे दें।

श्री जी० माडे गौडा : यदि लोग उत्तेजित होते हैं और यदि सरकार सौहार्दपूर्ण ढंग से कोई समाधान ढूंढने में असमर्थ रहती है तो हम सब, हम कर्नाटक से सभी 24 सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, कावेरी नदी एक अन्तर-राज्य नदी है जोकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच बह रही है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी प्रमुख नदी है। तमिलनाडु में और सभी नदियां बहुत छोटी है और वे बारहमासी नहीं हैं। तमिलनाडु में कावेरी बेसिन पर सिंचाई व्यवस्था बहुत पुरानी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। राज्य में लगभग 80 प्रतिशत नहर सिंचाई पूर्णतः कावेरी नदी पर निर्भर है। इस राज्य में कावेरी बेसिन के जल पर अधिकार 1892 और 1924 के समझौतों द्वारा संरक्षित हैं। तमिलनाडु के लाखों किसानों का भाग्य और राज्य में अन्न उत्पादन का भविष्य भी इस नदी में उपलब्ध जल पर निर्भर करता है। इसलिए यह तमिलनाडु के किसानों के लिए जीवन और मृत्यु की समस्या है।

1892 का समझौता पहले से अर्जित और किसी विशेष समय में विद्यमान चिरकालिक अधिकारों को निरन्तर बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। 1924 का समझौता 1892 के समझौते की व्यवस्थाओं के अधीन किया गया था।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद, कर्नाटक सरकार ने काबीनी, हेमावती, हारांगी, स्वर्णावती जैसी नई परियोजनाएं और कई अन्य परियोजनाएं शुरू की थी और तमिलनाडु की सहमति लिए बिना जैसा कि 1892 के समझौते में निर्धारित किया गया था जोकि बाद में 1924 के समझौते में दोहराया गया था, भण्डार भरने शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने इनमें से किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। तमिलनाडु सरकार ने 1970 में विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। भारत सरकार ने विवाद पर बातचीत के जरिए समझौते के लिए तटवर्ती राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी। लेकिन इन बैठकों में कोई समझौता नहीं हुआ था। 1974 के बाद से, कर्नाटक ने तत्काल 1924 के समझौते को रद्द करना शुरू कर दिया और तमिलनाडु राज्य के लिए उपयुक्त प्रवाह बाधा डाल रहा है। और इसे अपने नवनिर्मित बांधों में अवरुद्ध कर रहा है और केवल शेष जल दे रहा है। तमिनलाडु और कर्नाटक के मुख्य मन्त्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चाएं थीं। परन्तु उस बातचीत से कोई समझौता नहीं हो सका।

राष्ट्रपति शासन के दौरान, तमिलनाडु सरकार की कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के साथ द्वि-पक्षीय बातचीत हुई थी। परन्तु उन चर्चाओं से भी कोई समाधान अथवा मतभेदों को कम नहीं किया जा सका। इसके बाद, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के किसानों का समर्थन किया जिन्होंने 1983 में इस विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए भारत सरकार को अनुदेश जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी। 4-5-90 को उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण के गठन हेतु भारत सरकार को अनुदेश जारी किए थे। भारत सरकार ने 2-10-90 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था।

कर्नाटक में 1971-72 में 'आयकर' और उपयोग 6.82 लाख एकड़ और 177 टी० एम० सी० थी जो 1990-91 में बढ़कर 13.78 लाख एकड़ और 312 टी० एम० सी० हो गया। कर्नाटक सरकार का 'आयकर' और उपयोग को 26 लाख एकड़ तथा 465 टी० एम० सी० तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु के कारण कर्नाटक से पानी के प्रवाह को अवैध रूप से रोकने के फलस्वरूप मेत्तूर में जल-प्रवाह में उत्तरोत्तर कमी आ गई है। मेत्तूर में जल प्रवाह में तीव्रता से कमी के कारण किसानों तथा कृषि मजदूरों तथा राज्य में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ है, खाद्यान्न तथा बिजली के उत्पादन में वर्ष प्रति वर्ष कमी आई है तथा कृषि मजदूरों को पर्याप्त कार्य के बिना जीवित रहना कठिन हो गया है। 1924 के समझौते के उपबन्धों के अनुसार डेलटा में किसानों की कठिनाइयों को कम करने तथा क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कावेरी नदी के प्रवाह को बनाए रखना अनिवार्य दोनों राज्यों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने तथ्य और स्थितियों को रखा तथा अपने मामलों पर तर्क दिए। न्यायाधिकरण ने उनके तर्क सुनने के बाद 25-6-91 को अंतरिम निर्णय पारित किया तथा कर्नाटक राज्य द्वारा जून से मई तक मासिक आधार पर तमिलनाडु को अपने जलाशयों में से 205 टी० एम० सी० पानी देने के निदेश दिए। परन्तु कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय

को स्वीकार करने से मना कर दिया । दूसरी ओर कर्नाटक ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए अध्यादेश जारी किया । यह संविधान का उल्लंघन है । उस समय तमिलनाडु में अत्यधिक आक्रोश फैल गया । तमिलनाडु में पूर्ण बन्द रखा गया । हमारे एक मन्त्री श्री रामामूर्ति ने तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए मन्त्रिमण्डल से भी त्यागपत्र दे दिया था । परन्तु तमिलनाडु ने केवल न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए ही न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार किया यद्यपि तमिलनाडु का वास्तविक अधिकार और उसकी आवश्यकता 205 टी० एम० सी० से अधिक है ।

उसके बाद, भारत सरकार ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्तरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय को उसकी कानूनी राय देने के लिए भेजा । संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन, उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को असंवैधानिक ठहराया तथा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय को बनाए रखा । उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सुस्पष्ट है । कर्नाटक ने इस बार भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने से मना कर दिया तथा पुनरीक्षा याचिका दायर करने का निश्चय किया जोकि संघीय ढांचे के अन्तर्गत राज्यों के मैत्रीपूर्ण अस्तित्व के विरुद्ध है । संविधान के संघीय ढांचे को बनाए रखने तथा राज्यों में मैत्री भाव बनाए रखने के लिए अवश्य ही राज्यों को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में विश्वास बनाए रखना चाहिए । हम अपनी ओर से कर्नाटक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते हैं ।

हमारे मुख्यमन्त्री कर्नाटक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं । परन्तु इसके विपरीत, कर्नाटक सरकार ने हमेशा ही इस मामले पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अस्वीकार किया । अब भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेश पर न्याय के हित में न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्तरिम निर्णय को अधिसूचित किया है । अब कर्नाटक भारत सरकार का भी विरोध कर रहा है । कर्नाटक सरकार अन्तरिम निर्णय को अधिसूचित करने के लिए प्रधानमन्त्री को दोष दे रही हैं । इस समय, कर्नाटक सरकार मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करना चाहती है । इससे पहले, कई बार द्विपक्षीय वार्ता हुई थी परन्तु हर बार बातचीत असफल रही । हमारे पिछले अनुभव से यह साबित हो गया है कि दो राज्यों के बीच द्विपक्षीय बातचीत किसी मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने में सार्थक नहीं होगी ।

अतः हमारा द्विपक्षीय बातचीत में कोई विश्वास नहीं है । इस समय हमारे मुख्यमन्त्री कर्नाटक के मुख्यमन्त्री के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे । हम अन्तरिम निर्णय का उपयुक्त रूप से कार्यान्वियन चाहते हैं । मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि न्यायाधिकरण के अनुदेशों के अनुसार अविलम्ब पानी देने के लिए कार्यान्वियन प्राधिकरण का गठन किया जाए । अतः अब हमारे मुख्यमन्त्री बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि जब हमारे मुख्यमन्त्री बातचीत के लिए तैयार थे तो उस समय कर्नाटक के मुख्यमन्त्री बातचीत के लिए तैयार नहीं थे । यह खेदजनक बात है कि कर्नाटक में असंतोष और अशांति व्याप्त है । कर्नाटक में रहने वाले तमिल लोगों पर आक्रमण किए जा रहे हैं । तमिलनाडु के लोगों की सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है । उन्होंने क्या अपराध किए हैं ? वह वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं । वर्तमान स्थिति के लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कावेरी मुद्दे पर गलत ढंग से कार्यवाही की । हमारे संविधान में

प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में रहने का मौलिक अधिकार दिया गया है। अपने जीवन-यापन के लिए अनेक तमिल व्यक्ति कर्नाटक में रह रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कर्नाटक सरकार तमिलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठा रही है।

इस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि न्यायाधिकरण के निदेशों के अनुसार समय-समय पर पानी छोड़ने के लिए अविलम्ब क्रियान्वयन प्राधिकरण गठित करे। हमारा विशेष रूप से यही आग्रह है और इसके साथ ही हमें अपने प्रधान मन्त्री पर पूरा विश्वास है, यदि वे दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक आयोजित करना चाहते हैं, तो हम उसके उपस्थित होने को तैयार हैं। यदि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय इस मुद्दे पर हमारी प्रधानमन्त्री को आमंत्रित करते हैं तो वे तमिलनाडु के हितों को नुकसान पहुंचाए बगैर वार्ता में निश्चित रूप से भाग लेंगी। वे कर्नाटक के साथ एक मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर मूर्ति ऐसे अनेक सदस्य हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। आपके पास सिर्फ दस मिनट का समय है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : पता नहीं मैं अपना भाषण 3.30 म० प० के पहले समाप्त पर सकूंगा या नहीं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : यदि मुझे बोलने की अनुमति हो, तो श्रममन्त्री श्री पी० ए० संगमा को 'नवभारत टाइम्स' के बारे में वक्तव्य देना है। यदि वह अभी वक्तव्य नहीं देते हैं, तो वे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू होने से पहले का यह समय खो देंगे और राज्य सभा में वक्तव्य नहीं दे सकेंगे और सभा ने विशेषतौर पर कहा है कि वक्तव्य आज ही दिया जाए। यदि इस वक्तव्य को रिकार्ड में शामिल किया जाता है, तो मैं आभारी रहूंगा।

मुझे एक और अनुरोध करना है कि यदि सभा सहमत हो, तो और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त होने के बाद इस चर्चा को 6 बजे के बाद भी जारी रखा जाए। आमतौर पर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 से 6.00 म० प० तक किया जाता है। उस समय में बाधा नहीं डाली जाती यदि उस समय में बाधा डाली जाती है, तो सत्ता पक्ष पर आक्षेप किया जाता है। अतः इस विचार से मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि माननीय अध्यक्ष श्री पी० ए० संगमा को वक्तव्य देने की अनुमति दें। उन्होंने पहले ही इसकी सूचना दे दी है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मुझे अपना मामला छः बजे शुरू करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अभी शुरू कर सकते हैं और पांच मिनट तक भाषण दे सकते हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जबकि इस मुद्दे को इस महान सभा में उठाया गया और इस पर चर्चा की गई हो। पिछले तीन दशकों से इस मुद्दे पर अनेकों बार चर्चा हुई है और इस पर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सका। आज हम इस मुद्दे पर काफी दुःख के साथ चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु दो प्रमुख राज्य हैं जो कावेरी नदी के जल का उपयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं। श्री पी० ए० संगमा को अपना वक्तव्य दें।

———

3.23 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

टाइम्स आफ इण्डिया समाचारपत्र समूह

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में टाइम्स आफ इण्डिया समाचार पत्र समूह के प्रबन्धतन्त्र द्वारा उठाए जाने वाले कदमों विशेषरूप से नवभारत टाइम्स के प्रकाशन से सम्बन्धित मामला उठाया था। प्रेस के एक वर्ग ने यह भी सूचित किया है कि टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप के मै० बैनेट कोलमेन एण्ड कं० ने नवभारत टाइम्स के समाचार ब्यूरो को बन्द करने तथा नवभारत टाइम्स को टाइम्स आफ इण्डिया के अनुवाद पर आधारित बनाने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कुछ समाचार पत्र कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाएगी। इन प्रयासों का कुछ पत्रकार संघों ने भी कथित रूप से विरोध किया है।

2. इसके बाद नवभारत टाइम्स के प्रबन्धन ने प्रेस में एक स्पष्टीकरण दिया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट निराधार हैं। प्रबन्धन ने आगे यह स्पष्ट किया कि समूह के प्रत्येक प्रकाशन की अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए समूह के अन्य प्रकाशनों से संपादकीय संसाधनों का वे आदान-प्रदान करेंगे ताकि समूह के प्रत्येक प्रकाशन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

3. हालांकि सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के हित में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है तो सरकार विशिष्ट समुचित कार्रवाई सुनिश्चत करेगी।

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : आप हमें दो मिनट का समय दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का वक्तव्य प्रो मैनेजमेंट है।

[अनुवाद]

श्रम कानून का बहुत गम्भीर उल्लंघन हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। कृपया हमें दो मिनट का समय दीजिए। यह एकतरफा वक्तव्य है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस पर अभी बोलने का समय दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, केवल एक मिनट के लिए रुकिए। जब भी मंत्री

स्वत: वक्तव्य देता है, स्पष्टीकरणों की इजाजत नहीं दी जाती है। अब तक हम इसी पर अमल करते आ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री ने कहा है कि श्रम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। श्रम कानून का उल्लंघन हुआ है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप एक-एक मिनट बोलने के लिए एलाऊ कीजिए। उपाध्यक्ष जी, अभी जो मन्त्री जी का भाषण था···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी केवल असामान्य स्थिति में इजाजत दी जाती है क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों, जिन्होंने पहले स्पष्टीकरण मांगें थे, को ऐसा अवसर नहीं दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने, संगमा जी ने, जिनके प्रति मेरा बहुत रिगार्ड है, स्टेटमैंट दिया है और मैं समझता हूं कि यह स्टेटमैंट कुछ नहीं है, सिवा इसके कि हम लोग जो अपेक्षा करते थे। जो मैनेजमैंट कहेगा, वही सरकार बोलेगी, वही स्टेटमैंट है। मैं संगमा जी से जानना चाहता हूं कि आप लेबर मिनिस्टर हैं, आपका काम इण्डस्ट्री मिनिस्टर का नहीं है, लेबर का मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर होता है इसलिए इण्डस्ट्री मिनिस्टर का रोल आप मत अदा कीजिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि अभी तक इसी टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप में दिनमान टाइम्स बन्द हो चुका है, सारिका बन्द हो चुकी है, खेल भारती बन्द हो चुका है, पराग बन्द हो चुका है और ये सभी के सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं हैं। फिर यूथ टाइम्स, इंगलिश का, बन्द हो चुका है, ईवनिंग न्यूज ऑफ इण्डिया बम्बई का बन्द हो चुका है और इनके बन्द होने से 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट्स···**(व्यवधान)**···अब चेयर की रूलिंग हो गई तो मिनिस्टर की रूलिंग क्या होती है, चेयर की रूलिंग के बाद?···**(व्यवधान)**···मैं कह रहा था कि 100 से अधिक जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट्स, जो इसमें काम में लगे हुए थे, वह ऑलरेडी रिट्रेंच हो चुके हैं। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इलस्ट्रेटिड वीकली, कैरियर एण्ड कम्पीटीशन, धर्मयुग, फेमिना ये बन्द होने वाले हैं और इसमें 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट्स फिर बेरोजगार होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि लेबर लॉ का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं कि लेबर लॉ का क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बछावत कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का पालन हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं कांण्ट्रैक्ट लेबरर्स के रूप में बहाल नहीं किए गए हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज भी कांण्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम लिया जा रहा है, दिलीप पदगांवकर टाइम्स आफ इण्डिया के एडीटर है, क्या दिलीप पदगांवकर को पब्लिशर नहीं बनाया गया है? आप यह बताएंगे कि इकोनोमिक टाइम्स के जो एडीटर हैं टी० एन० मियां, क्या उनको इण्डीपेंण्डेंण्ट का पब्लिशर नहीं बनाया गया है। बह सारे के सारे काम वायलेशन आफ एक्ट नहीं हैं तो और क्या हैं? पूजीपतियो के हाथ में, इण्डस्ट्रियलिस्टों के हाथ में पैसा है, मैंने कल भी कहा था, पैसा वह देते हैं लेकिन ब्रेन जर्नलिस्ट का रहता है। आज वह पैसा कोशिश कर रहा

है कि ब्रेन उसके मुताबिक काम करे और यह क्लियर कट प्रेस की आजादी पर कुठाराघात है समय आप कहते हैं इण्टरफियर नहीं करेंगे, मैं कहना चाहता हूं सरकार को इण्टरफियर करना चाहिए, यह जो फ्रीडम आफ प्रेस हैं, उसके ऊपर यह सीधा कुठाराघात है और यदि आपने अभी इण्टरफियर नहीं किया तो फिर इस देश के प्रेस की आजादी नहीं रहने वाली है और जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके मुताबिक प्रेस काम करना शुरू करेगा और फिर किसी गरीब की स्वतंत्र आवाज निकलने वाली नहीं है इसलिए मंत्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसमें वह संशोधन करें और वह कहें कि सरकार लेबर लॉ के मुताबिक उसमें इण्टरफियर करेगी और देखेगी कि प्रेस कैपिटलिस्टों के हाथ की कठपुतली नहीं बनें।

(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने काफी विस्तार से इस समस्या के बारे में बता दिया है, कि पत्रिकाओं के नाम भी उन्होंने बताए। मुझे दुख हुआ कि मन्त्री महोदय के बयान से जो तथ्य सामने आने चाहिए थे, ऐसा लगता था कि जैसे समाचार-पत्र समूह का कोई मैनेजिंग डायरैक्टर वहां से बयान दे रहा हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका कर्तव्य है, मैं सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बछावत आयोग की जो रिपोर्ट थी, वह आज तक बहुत से समाचार-पत्रों में लागू नहीं हुई और बड़े-बड़े जो समाचार-पत्र हैं, वह भी अब इस तरह से करेंगे कि अब अंग्रेजी का संस्करण का हिन्दी में ट्रांसलेशन कर दो, छाप दो तो आपको एज रूलिंग पार्टी आज शायद यह सूट कर रहा हो इसलिए सरकार उस लाइन को टो करे। मैं चाहूंगा कि सरकार तथ्य सहित पत्रकारों के हकों की रक्षा के लिए स्पष्ट तौर पर जहां-जहां लॉ का वायलेशन हुआ है, उसको रोकने के लिए प्रयत्न करे और मन्त्री महोदय केवल मात्र मैनेजिंग डायरैक्टर की भांति बयान को पढ़कर यहां न सुनायें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रम मन्त्री सरकार की ओर से वक्तव्य देने की बजाय, टाइम्स आफ इण्डिया प्रबन्ध के प्रवक्ता बन गए हैं। यह आरोप लगाया गया था और सारी सभा ने सरकार से इसकी जांच के लिए कहा था। जांच करने की बजाय मन्त्री ने प्रबन्ध द्वारा समाचार-पत्र में दी गई बातों का उद्धरण दिया है, यदि आप मन्त्री के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था :—

> "प्रबन्ध ने आगे कहा है कि ग्रुप के सभी प्रकाशनों के सम्पादकीय साधनों को आपस में बांट लेना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रकाशन की साख बढ़े।"

आरोप था कि टाइम्स ऑफ इण्डिया के पांच स्तंभों को नवभारत टाइम्स के हिन्दी संस्करण में अनुवाद किया जाएगा। इसकी प्रबन्ध द्वारा पुष्टि की जा रही है और अब मन्त्री द्वारा स्वतः इसकी पुष्टि की जा रही है। यह अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह ग्रुप सम्पादकीय संसाधन क्या है? सम्पादक समाचारपत्र का एक सम्पादक है और वह ग्रुप सम्पादकीय संसाधन क्या है जोकि अन्य समाचारपत्र और विभिन्न समाचारपत्रों द्वारा बांटा जाएगा? सरकार को टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप के कुप्रबन्ध में भागीदार नहीं होना चाहिए। इसे प्रबन्ध

में कार्यरत पत्रकारों को मदद मिलेगी। मैं केवल माननीय श्रम मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वे श्रम मन्त्री के रूप में कार्य करें और न कि टाइम्स ऑफ इण्डिया के प्रवक्ता के रूप में।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : इस देश की जनता पहले ही इस भ्रम में है कि प्रजातन्त्र के चार स्तम्भों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, में से पहले तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को इस देश में निहित स्वार्थों और बहु-करोड़पति लोगों द्वारा चलाया जाता है। केवल एक स्तम्भ जो बचा है वह प्रेस है। यह भी इस कांग्रेसी सरकार द्वारा निहित स्वार्थ वाले लोगों को बेची जा रही है। अतः सभी तरीकों से हमें प्रजातन्त्र के आखिरी स्तम्भ की रक्षा करनी है···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो बयान है, यह सरकार का बयान नहीं बल्कि यह समीर जैन का बयान है। यह हिन्दी जरनलिज्म पर अटेक है और धीरे-धीरे जितने लैंग्वेज पेपर्स हैं, सब पर हमला होगा। इसलिए अभी हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, तो यह माना जाएगा कि सरकार देशी भाषाओं के खिलाफ है, फ्रीडम-आफ-प्रेस के खिलाफ है। हम यह चाहेंगे कि सरकार इसमें अमेंडमेंट करे और प्रबन्धन पर दबाव डाले, नहीं तो टाइम्स आफ इण्डिया नवभारत टाइम्स बन कर रह जाएगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? (**व्यवधान**) सरकार के रवैये के प्रति विरोध व्यक्त करते हुए, हम बाहर जा रहे हैं।

15.34 म० प०

(**तत्पश्चात् श्री राम विलास पासवान और अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए**)

श्री पी० ए० संगमा : मैंने अपने वक्तव्य में कभी यह नहीं कहा है, जैसाकि माननीय सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया है, कि श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है। बल्कि मैंने कहा है :—

> "यदि कानून का उल्लंघन होता है, तो इससे विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित हो जाता है।"

अतः हम कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यह एक आश्वासन है। मैं नहीं समझता कि यदि वे मेरी स्थिति में होते तो वे इतना आश्वासन दे पाते।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं अनुरोध करता हूं कि 6 बजे के बाद नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात पर राजी है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के *व्यय* नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रखी जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा जारी रखना सभा का सौभाग्य होगा।

कई माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस पर समझौता हुआ कि हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में चर्चा जारी रखेंगे।

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हम इस पर 6 बजे के बाद या सोमवार को चर्चा करेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं 6 बजे के बाद चर्चा को अच्छा समझता हूं और तब हम वक्ताओं की संख्या से इसका फैसला करेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, सोमवार अधिक अच्छा रहेगा। (**व्यवधान**) हम देखेंगे कि 6 बजे उपस्थिति कितनी है। यदि हम 6 बजे के बाद चर्चा जारी रख सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे। नहीं तो, हम सोमवार को चर्चा जारी रखेंगे। (**व्यवधान**)

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि इस विषय पर सोमवार को दोबारा चर्चा की जाएगी। कल और परसों छुट्टी है। कर्नाटक में स्थिति पहले ही गंभीर है और लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार कावेरी जल विवाद को इस प्रकार से ले रही है। हम इस विषय पर चर्चा के लिए आज समय निर्धारित करने के लिए माननीय अध्यक्ष और सत्ताधारी दल को राजी करने की हद तक गए हैं। अब मुझे सभा की कार्यवाही के ढंग को देखकर खेद है। इस ढंग से ऐसे गंभीर मामले को नहीं निपटाया जा सकता। इस मामले को अपर्याप्त तरजीह दी गई है और मुझे खेद है कि किस ढंग से सत्ताधारी दल द्वारा सारे मामलों पर कार्यवाही की गई है। यदि वे गंभीर हैं तो सभा में गणपूर्ति स्थापित करना उनका कर्त्तव्य है। यह उन पर निर्भर है। मैं कहूंगा कि कई अवसरों पर सभा प्रातः 2.00 बजे तक बैठी है और यदि वे गंभीर होते तो इसे निपटाया जा सकता था। (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम 6 बजे कोशिश करेंगे। यदि पर्याप्त उपस्थिति होगी तो हम चर्चा जारी रखेंगे। मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि हमें इस पर बहुत गंभीर तरीके से चर्चा करनी होगी और हमें यहां 6 बजे उपस्थित रहना होगा। हमें ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। हम नहीं चाहते कि इसको सोमवार पर छोड़ दिया जाए। हम आज ही चर्चा जारी रखना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष भी 6 बजे के बाद बैठने के लिए सहमत है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अतः हम चर्चा को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद जारी रखेंगे।

15.3½ म० प०

जाति संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० के० वी० आर० चौधरी द्वारा 29 नवम्बर, 1991 को जाति संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उपायों के बारे में लाए गए संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

अब मैं श्री के० एम० मैथ्यू को आमन्त्रित करता हूं।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, पिछले सप्ताह अपने भाषण के आरम्भ में मैंने कहा था कि भारतीय जाति प्रणाली चतुर्वर्ण पर आधारित है। व्यावसायिक विभिन्नता विभिन्न जातियों को एक दूसरे को आदर और सम्मान योग्य बनाती है। अतः एक दूसरे पर एक प्रकार की निर्भरता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात थी। अब वह भूतकाल बन चुका है। अब वह स्थिति नहीं है। इन विभिन्न जातियों द्वारा तथाकथित विभिन्न व्यवसायों पर आधारित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बदल चुका है। अतः पिछले कुछ दशकों के दौरान देश के राजनेताओं ने जाति और जाति-प्रथा को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया है और उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत में जाति को फूट डालो और शासन करो के लिए इस्तेमाल किया था। उसी का अनुसरण हमारे कुछ राजनेताओं द्वारा भी किया गया। आजादी के बाद यह अब भी जारी है। मैं कहूंगा कि सभी दलों के नेताओं ने अपने राजनीतिक हितों के लिए जाति और जाति प्रथा का इस्तेमाल किया है। यह वर्तमान संघर्ष का एक मुख्य कारण है।

जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था : भारत में वह सब कुछ है जोकि घृणित और महान है तथा जाति प्रथा हमारे समाज का विनाशकारी रोग है।

जाति प्रथा का उद्भव इतिहास पूर्व का है और वह हमारे दिलों में पैदा हो चुका है, वह हमारे अंधविश्वासों तथा सामाजिक आदतों में बढ़ चुका है और अभी आक्रमक ढग से बढ़ रहा है। यह जटिल सामाजिक समस्या विशिष्ट ऐतिहासिक और अधिक हालातों से उत्पन्न हुई हैं जिन्हें धार्मिक आदेशों द्वारा जटिल बना दिया गया है। अतः ये दो बातें, धर्म और जाति प्रथा आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जाति प्रथा को स्थापित करने के लिए इसे निर्विकार बदलाव के धार्मिक सिद्धांत का जामा पहना दिया गया है। पिछले जन्म के बुरे बर्ताव के कारण आप एक क्षुद्र हैं। इस जन्म के आपके वर्तमान जीवन के दुर्व्यवहार आपको दूसरे जन्म में निचली जाति में पैदा करेंगे। महात्मा गांधी इसके खिलाफ पूरी जिंदगी बड़े जोरदार ढंग से जूझते रहे थे। जाति प्रथा हमारे समाज का बड़ा अपमान है और ऐसा लगता है कि समाज की मुख्य धारा ही बीमार पड़ गई हो। ठीक उसी तरह जैसे गेंग्रीन घाव, सुगंधित जल से धोने से ठीक नहीं हो सकता है, जातिवाद भी साधारण उपचार से ठीक नहीं हो सकता है। आज आबादी का पांचवां हिस्सा, ब्रिटिश व्यवस्था से भी अधिक निंदनीय व्यवस्था से पिस रहा है। इनमें सुधार की आशा में हम अनन्तकाल तक इन्तजार नहीं कर सकते हैं। हमें इस व्यवस्था में ही कुछ मूलभूत सुधार करने होंगे।

जब रंग, नाक की आकृति या पूर्वजों के कर्म या मान्यताओं के नाम पर किसी को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो आजादी की आधारशिला ही कमजोर हो जाती है।

यदि आबादी के पांचवें हिस्से को अन्तहीन गुलामी में रखा जाए तो आजादी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अपने प्यारे देश की सामाजिक व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन करने तथा सांस्कृतिक क्रांति लाने की जरूरत है।

जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत में बहुत कुछ अरुचिकर भी है। हमारी संस्कृति में भी कुछ अच्छी बातें हैं, पर इसमें बहुत सी बुरी बातें भी हैं। उन्हें पूर्णतः बदलने के लिए यथाशीघ्र एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। अन्यथा, इतनी देर हो जाएगी कि इससे पूरे देश की जीवन प्रणाली को खतरा पैदा हो जाएगा।

इस सारी व्यवस्था में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक बुद्धिजीवी या किसी समाजशास्त्री ने इस पूरी व्यवस्था के भूत और वर्तमान का कोई संगत विवरण नहीं दिया है। जाति का होना अवश्यसंभावी है। पर जाति प्रथा को मिटाना होगा। जाति प्रथा बहुजन समुदाय का शोषण करने के लिए बनायी गयी है। हम जानते हैं कि जनता का ही एक वर्ग इसमें बाधक बना हुआ है जिनके बारे में यह माना जाता रहा है कि वे बाधक रहे हैं, उन्हीं को इसकी शुरूआत करनी चाहिए।

डा० अम्बेडकर ने सुझाव दिया था कि देश में जातिवाद समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अन्तर्जातीय विवाह होगा क्योंकि इससे रक्तों का सम्मिश्रण होगा और रक्तों के सम्मिश्रण से हीन-भावना दूर होगी तथा अलगाव और मुख्यधारा का हिस्सा न होने की भावना भी नहीं रहेगी।

अब मैं उस सांस्कृतिक क्रांति की बात करूंगा जो समस्त समाज की पुनर्संरचनात्मक के लिए अपेक्षित होगी। डा० अम्बेडकर तथा अन्य हिन्दू सुधारकों ने जिस महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया था उसमें एक यह भी था कि नीची जातियों के लोगों के बौद्धिक स्तर को सर्वोच्च बनाया जाए। बौद्धिक क्षत्र में एक खतरा है। देश में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में हमें पता है। बौद्ध धर्म से देश की जाति प्रथा में कुछ परिवर्तन हो सकते थे पर, इसमें भी दुश्मन घुस गए तथा इसके प्रयासों को दूषित और असफल कर दिया।

इस सदी में भी ऐसा समझा जाता था कि इस देश में जाति प्रथा को समाप्त करने में मार्क्सवाद का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर दुर्भाग्यवश, इसमें भी नीची जातियों के दुश्मनों ने अपना वर्चस्व बना लिया और वे भी कोई गम्भीर प्रयास करने या गम्भीर प्रभाव डालने में पूर्णतः असफल रह गए।

अन्ततः मैं यह सलाह दूंगा कि देश में जो लोग जातिवाद को मिटाने में रुचि लेते हैं उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए तथा एक सामान्य मन्च तैयार करना चाहिए और इस बुराई को नष्ट करने के लिए सजग प्रयास करना चाहिए तथा अभियान चलाने चाहिए जो सैकड़ों वर्षों से देश में व्याप्त हो रही है और देश को बर्बाद करती रही है।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष जी, आज देश में जाति के आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं, वह बहुत ही चुनौती का विषय है। सरकार की कार्यान्वियन नीति ठीक नहीं रही तो इन झगडों का कारण बनी है। कहीं-कहीं पर आज राजनीति भी इन झगड़ों के लिए बहुत बड़ा

कारण बनकर आई है। जिनके पास जमीन अधिक थी उसके हरिजन, दरिद्र, भूमिहीनों में वितरण करने के लिए सरकार ने सामन्तवादी किसानों की जमीनों को उनके हाथ से लिया और जो जातियां पीछे थीं, उनको देने की बात की। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जिसके नाते जो पट्टा किया गया, उस पट्टे पर उनका कब्जा होता। ऐसे कई प्रांत हैं जोकि आजादी मिलने से आज तक भी हथियारों के जरिए कब्जा लेना चाहते हैं और भूस्वामी हथियारों के सहारे पट्टे को रोकना चाहते हैं। यह सरकार की जो नीति गलत रही उसका ही परिणाम है एक साल पहले मंडल आयोग के नाम पर कुछ राजनीतिक परिदृश्य में जातीय झगड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई, उसको हम क्या कहें। हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी कुछ जातियां हैं जो आज भी गांवों और शहरों में रहती हैं और ऐसे छोटे काम को करती हैं जिन उन कार्यों के नाते उनका सम्मान नहीं हैं। सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से उनका अब भी विकास नहीं हुआ। इस तरह की योजना भी उन्हें ऐसी मिलनी चाहिए जिससे उन्हें विकास का अवसर मिले। लेकिन उन जातियों में ऐसे लोग भी हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से विकास कर चुके हैं उन्हें विशेष सुविधा से अलग होना भी आवश्यक हैं मंडल आयोग के कारण आत्म-हत्या शुरू हुई···उनके पीछे फारवर्ड जातियों में ऐसे लोग हैं ऐसी जातियां हैं जिनके लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। उनके पास खेती करने के लिए खेती नहीं है। उनके पास रोजगार करने के लिए कोई साधन नहीं है। उनके मन में यह भय भी है कि आज तक हमें नौकरियां नौकरी नहीं मिली और आने वाले दिनों में हमारी रोटी छीन जाएगी और कभी नहीं मिलेगी, विकास मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने हथियार तो नहीं उठाए किन्तु आत्म-हत्या करने की कोशिश की। दूसरी तरफ यह नारा दिया जाता रहा कि हमें अपने हक में संघर्ष करना चाहिए। यह राजनैतिक झगड़े करने का प्रत्यक्ष प्रयास नहीं तो और क्या है। एक तरफ सरकार की नीतियां गलत रही हैं, वहीं कहीं न कहीं राजनीति का ऐसा कारण होता है जिस कारण जातीय दंगे होते हैं। जब हम चुनावी टिकट बांटने का काम करते हैं तो प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू में गलत होती है। हम ऐसी बात करते हैं कि किस जाति का बाहुल है उस जाति के व्यक्ति को ही टिकट देने की कोशिश होती है जिसमें उसे वोट मिले और फिर जातीय दंगे होते हैं। जातीय दंगों को रोकने के लिए हमें कानून बनाने की जरूरत है। मैं राजनीतिक दलों से और नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि केवल भाषण देने और यह विषय उठाने से झगड़े समाप्त नहीं होंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि जातीय झगड़ों को रोकने के लिए फर्स्ट परसन सिंगुलर नम्बर की थिंकिंग जातियों की प्रथम पुरुष एकवचन विचार की, सोच से संकल्प की हमारी नीति होनी चाहिए और हम इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे जिससे जातीय झगड़े होते हों। इस तरह का विचार होना चाहिए जिसमें झगड़े न हो सकें। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी कानून बनाए हैं उनको पालन कराने में ठीक से कदम उठाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री चौधरी जी जातीय संघर्ष उन्मूलन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जातीय संघर्ष उन्मूलन का प्रस्ताव लाकर श्री चौधरी जी ने जातीयता के अन्धकार में चिराग जलाया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था से शुरू हुई थी और इस व्यवस्था के चलाने वाले मनु थे। मनु की जाति प्रथा जहां खड़ी लकीर है तो वहां पर डा० राम मनोहर लोहिया के जाति प्रथा सम्बन्धी विचार पड़ी लकीर हैं। लेकिन पड़ी लकीर कि दूरी में समानता रहती है और उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। वहां खड़ी लकीर में छोटाई बड़ाई रहती है। लोग कहते हैं कि मनु ने विधान बनाया था जिससे समाज चले। इस सदन में जो विधान बनाया गया था उसके, निर्माता डा० अम्बेडकर

थे। मनु का विधान जहां ऊंच-नीच और द्वेष घृणा फैलाने के लिए था वहीं डा० अम्बेडकर का विधान समता और समृद्धि और समाज को एक समान बनाने के लिए था। मैं समाजवादी आन्दोलन में रहा हूं भूमि सुधारों के समय में भी जब-जब जातीयता की आंधी आती थी तो जो छोटे किसान थे तो वे भी वहीं बड़े जमींदारों का साथ देते थे। जाति की आंधी के चलते ही लोग पागल हो जाते हैं। इस पागलपन की वजह से समाज टूटने लगता है और उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता। डा० लोहिया ने कहा था कि विशेष अवसर के सिद्धांत को लागू करके जाति प्रथा को खत्म करना चाहिए। आरक्षण की बात डा० लोहिया ने कही थी और उसी का उपज मण्डल आयोग है। जाति तोड़ने के लिए समाज जो पीछे हैं उनको आगे उठाना पड़ेगा। दक्षिण भारत में जातीयता का कितना बुरा प्रभाव पड़ा था उसको सब जानते हैं। जब हरिजन-आदिवासी चलता था वह गर्दन में घंटी बांधकर और झाड़ू लेकर चलता था। लोग यह कहते थे कि यह आ रहा है तो किसी को उसकी छाया न लग जाए। जहां थूके तो वहां झाड़ू से साफ करते थे। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समाज में समता और समृद्धि लानी होगी। सरकार को चाहिए कि विशेष अवसर के सिद्धांत को मानकर लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाए और समता तथा समृद्धि के लिए कानून बनाए। एक और कानून बनाना चाहिए जिससे अन्तर्जातीय शादी करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। जाति तोड़ो सम्मेलन जगह-जगह पर करना चाहिए। जो सम्मेलन और सहभोज होता है, वह सरकार के खर्चे से होना चाहिए और सरकारी नौकरियों में अन्तर्जातीय विचार रखने वालों को आरक्षण देना चाहिए। गोला, बारूद और हथियार को इकट्ठा करके जातीय संघर्ष हम नहीं रोक सकते हैं। इसके विरुद्ध हमें वैचारिक संघर्ष करना होगा। महात्मा गांधी का असर क्यों था क्योंकि उनकी कथनी और करनी में सामंजस्य था। अन्तर्जातीय विवाह करने वालों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे और सरकारी नौकरियों में विशेष अवसर देकर के जाति उन्मूलन का काम करें।...(व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.00 म० प०

श्री तेजनारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाई चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का संकल्प यहां प्रस्तुत किया है। सच पूछा जाए तो जातीयता ने इस देश को बर्बाद किया है और बर्बाद करती जा रही है, न मालूम जातीयता इस देश को कहां तक बर्बाद करती जाएगी। इसका अभी नाप-जोख नहीं हो रहा है। अगर जातीयता इस देश से समाप्त हो जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश से बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए 45 वर्ष की आजादी के बाद भी जातीयता जितनी तोड़ने की बात कही जा रही है। या की जा रही है उतनी ही वह बढ़ती जा रही है यह भी कहा जा सकता है कि कुछ मायनों में आधुनिक ढंग से टूटती भी जा रही है। जातीयता देहात में बहुत है, लेकिन शहरों में कुछ कमी हुई है। अगर शहर में कोई दुकान में जाकर चाय पीता है तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती। वही आदमी देहात में चला जाए और ऊंची जाति के आदमी के दरवाजे पर बैठ जाए तो उसको चाय देने के पहले उसकी जाति पूछ ली जाएगी। अगर किसी छोटी जाति वाले का कोई बर्तन वहां पड़ा होगा तो उसमें चाय डालकर उसको दे दी जाएगी, लेकिन अगर अपने घर के बर्तन में चाय पिलानी होगी तो उससे उसकी जाति पूछी जाएगी। शहर में जातीयता टूटी है। अगर शहर में होटल में कोई खाना खाने जाए तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती, अगर वही आदमी देहात में खाना खाने जाए तो पहले उसकी जाति पूछी जाती है और उसके बाद उसको पीढ़ा, लोटा

और थाली दी जाती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि 40 बरस की आजादी के बाद जातीयता कुछ टूटी है। लेकिन सच पूछा जाए तो जातीयता टूटी नहीं, वह बढ़ती जा रही है।

मैं समझता हूं अगर जातीयता इसी तरह से बढ़ेगी तो यह देश को बर्बाद करेगी, बना नहीं सकती। जातीयता का असर है कि आज 25 प्रतिशत लोगों के हाथ में सत्ता रही और 75 प्रतिशत लोग खेत-खलिहानों में काम करते रह गए। उनको सत्ता में बैठने का अवसर नहीं मिला, अगर मिला भी तो उसको अछूत, अयोग्य न जाने क्या-क्या कहकर हटा दिया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 75 प्रतिशत वाले लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिला होता तो जो आज देश की आर्थिक स्थिति है, साम्प्रदायिक हालत हो गई है और देश टूटने की स्थिति में आ गया है, वह न होती। इसलिए नहीं होती कि सरकार के प्रति और सत्ता के प्रति सबको मोह होता। लेकिन यह सरकार 40 बरस के बाद भी एक तरफा ही चल रही है और देश को भी वहीं ले जा रही है। इसीलिए आज आप पंजाब, कश्मीर, असम और अन्य राज्यों के बारे में सोच रहे हैं और ये राज्य दूसरी ओर जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जातीयता खत्म होनी चाहिए। वैसे यह कोई नई चीज नहीं है। मंजेय लाल जी ने ठीक कहा कि मनु ने जाति का प्रावधान किया था और उसी लाइन पर आज भी लोग चल रहे हैं। कोई भी अपनी शादी-ब्याह दूसरी जाति में नहीं करता, अपनी ही जाति में करते हैं। अगर कोई प्रेम-विवाह करता है तो शहर में जाकर तो रह सकता है, लेकिन अगर वह गांव में या देहात में जाता है तो वह कुजात कह दिया जाता है और उसको पांत में बिठाकर खाना नहीं दिया जाता है।

कोई हरिजन मन्दिर में जाना चाहे तो उसको जाने नहीं दिया जाता है। हमारे बाबू जगजीवन राम जी जब बनारस गए थे तो उन्होंने वहां सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति को छू लिया था। इसी पर वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि यह तो मूर्ति अछूत हो गई और उन्होंने उसको गंगाजल से धोया। बाबूजी जो देश के प्रधानमन्त्री की हैसियत रखते थे, वे किसी से कमजोर नहीं थे, किसी से अच्छा भाषण नहीं देते थे तो किसी से खराब भी नहीं देते थे, किसी से काबिल नहीं थे तो किसी से कमजोर भी नहीं थे, लेकिन सम्पूर्णानन्द की मूर्ति को उन्होंने अगर छू दिया तो सवर्णों ने कहा कि वह अपवित्र हो गई। इसलिए देश में जिस स्थिति में जातीयता है, हम सबको मिलजुलकर उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि वह बढ़ती जा रही है। मन्दिर में ब्राह्मण ही पूजा करता है, अगर किसी के घर कोई मौत हो जाए तो क्रिया-क्रम ब्राह्मण ही करने आता है। अगर कोई दूसरा रहेगा, हिन्दू शास्त्र से शुद्ध हो जाता है। इसलिए जरूरत है ठीक से सोचने की और समझने की। अगर इसको ठीक नहीं बनाया जाएगा तो इस देश को गुलाम होने से कोई बचा नहीं सकता है, टूटने से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस देश से जातीयता समाप्त की जाए। यह तब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक इसके लिए कानून नहीं बनेगा। यह सही है कि डॉवरी को रोकने के लिए डॉवरी एक्ट बना है लेकिन किसी न किसी तरह से दहेज दे दिया जाता है, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए यह बात जरूर कहता हूं कि यदि यह कानून बना दिया जाए कि कोई आदमी अपनी जाति में शादी नहीं करेगा तो जो करेगा उसको पनीशमेंट मिलेगी। यह कुछ हद तक लागू हो सकता है। जाति छिपाकर कोई नहीं रहता है अगर यह कानून बना दिया जाए, तो मैं समझता हूं देश का कुछ भला हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून से चोरी, डकैती, मर्डर रोक सकते हैं, इसलिए इस चीज के लिए

भी कानून बनाकर देखना चाहिए कि अपनी जाति में कोई शादी न करे। क्या इससे सुधार हो सकता है या नहीं ? यदि नहीं होता है तब तो भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और जिस लाईन में लोक सभा में बोलते हैं, उस लाईन को अपने क्षेत्र में बोलने के लिए भी रखना चाहिए, काम करना चाहिए जिससे देश का भला हो सके और जातीयता इस देश से समाप्त हो सके। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। हमने दो घंटे पूरे कर लिए हैं। क्या सभा यह चाहती है कि हम इसके लिए समय को एक घंटा और बढ़ा लें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। एक घंटा समय और बढ़ाया जाता है। अब मैं शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम श्री के० वी० आर० चौधरी को इस गैर-सरकारी संकल्प को लाने और इस सभा में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। वह एक ऐसा अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा लाए हैं जिसके बारे में देश का हर जागरूक नागरिक चिंतित है।

महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जातीय झगड़े कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी होते रहे हैं। पर, अब इस प्रकार के झगड़ों की संख्या बढ़ रही है। हम चाहे जो भी कहें, मेरा विचार है कि जाति-व्यवस्था पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि यह हजारों वर्षों स चलती आ रही है। जाति-व्यवस्था की थोड़ी-बहुत सकारात्मक भूमिका अवश्य रही होगी, किन्तु इस अर्थ में इससे हमारे देश में समाज की बहुत हानि हुई है क्योंकि जातिप्रथा के कारण कुछ उत्तरदायित्वों का दायरा सीमित कर दिया जिन्हें समाज में पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। कुछ हद तक इससे प्राचीन काल में कुछ आबादी को कुछ सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई है। पर दुर्भाग्यवश इससे सामाजिक असमानता और अनौचित्य बढ़ा है।

महोदय, दक्षिण में इ० वी० रामास्वामी नाईकर, फिर महात्मा गांधी और डा० बाबासाहब अम्बेडकर और राममनोहर लोहिया आदि समाज सुधारकों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में आपको ज्ञात है। इन सभी महापुरुषों ने समाज से जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करने या इसकी बुराइयों को न्यूनतम करने का प्रयास किया था। दसवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान भी, मुझे याद अच्छी तरह से है कि मध्य प्रदेश में कुछ हरिजनों को मन्दिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया था और पर्याप्त सामाजिक तनाव बढ़ गया था। किसी और दिन कुछ महीने पहले परभनी जिले में हुई घटना के बारे में भी मेरे दोस्त श्री मुकुल वासनिक ने बताया था। उसे दुहरा कर मैं सभा के बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। हरिजन समुदाय के एक पुलिसकर्मी को एक मारूति-मन्दिर की

रक्षा करने के लिए तैनात किया गया था। जब बरसात हुई तो उसने मन्दिर में घुसना चाहा था। उसे बाहर फेंक दिया गया तथा इस प्रक्रिया में वह मर गया। इससे पता चलता है कि अभी भी कितनी अधिक जातीय भेदभाव व्याप्त है और ऊंची जाति के लोग अभी भी किस तरह नीची जाति के लोगों से घृणा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, समाज में अनेक दुर्गुण हैं। क्या आप जातिवाद के उन्मूलन तथा अन्तर्जातीय विवाह और इसी प्रकार की बातों को अपनाकर नए समाज के निर्णय के बारे में रोशनी डाल सकते हैं ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह मैं अपने भाषण के बाद के भाग में बताऊंगा। जमीन तथा उत्पादक सम्पदा और मकान अधिकतर ऊंची जाति के लोगों के पास है तथा नीची जति के लोगों को इन सबसे वंचित रखा गया है। इन लोगों को पढ़ने-लिखने भी नहीं दिया गया। जब कुछ लोगों ने कोशिश की तो उन्हें सजा दी गई। इस प्रक्रिया में कर्मवाद की धारणा ने भी उनके उस उत्साह और सक्रियता को विनिष्ट कर दिया जोकि किसी समाज में होनी चाहिए। पहले, अत्याचार तो होते थे, पर तब अत्याचार के शिकार लोगों द्वारा प्रतिरोध नहीं होता था। लेकिन अब, हाल के सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनों के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति और सचेत हो गए हैं और वे इनके लिए लड़ रहे हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। अब भी, यह आश्चर्य की बात है कि 1981 से 86 तक इस देश में मामले केवल अ० जा० और अ० ज० जा० के विरुद्ध अपराध के 1,15,000 दर्ज किए गए थे। वर्ष 1989 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार किए जाने की 14,000 से भी अधिक वारदातें हुई जिनमें से 4,793 मामले हत्या के थे 7,593 मामले बलात्कार के थे। इस सूची में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है जहां लगभग 4,200 वारदातें हुईं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,945 वारदातें, राजस्थान में 1,580 वारदातें, बिहार में लगभग 1,000 वारदातें और आंध्र प्रदेश में 500 वारदातें हुईं।

अब मैं मुख्य मुद्दे पर बोलूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि जाति प्रथा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति-संघर्षों की बुराई को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक जाति और दूसरी जाति में जो भेदभाव है, उसे अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर कम किया जा सकता है। रोजगार और स्व-रोजगार कार्यक्रमों में भी ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता देकर जोकि अन्तर्जातीय-विवाह विशेषकर कमजोर वर्गों, पिछड़ी या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से विवाह करते हैं, अन्तर्जातीय विवाहों को और बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4.14 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

कुछ हद तक रोजगार के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन स्व-रोजगार कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसको और बड़े पैमाने पर लिया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन काल में इन अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कड़ा

संघर्ष किया और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पूंजीवादियों और एकाधिकारियों के प्रेस ने जातिवादी के रूप में प्रचारित किया, हालांकि वह अपने सादे जीवन में जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे। और दुर्भाग्यवश, उन कुछ लोगों को, जो कि इस देश के शीर्ष स्थानों पर हैं और जिन्होने अपने समुदाय, जाति का सरकार में और प्रशासन में पक्ष सीमा, उन्हें बहुत संतुलित और खुले विचारों वाला कहा गया।

महोदय, जब शिक्षा का प्रचार किया जाएगा केवल तभी जाति प्रथा की इस बुराई के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अब भी केवल 50% लोग साक्षर हैं। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की स्थिति और भी खराब है।

इन जातीय संघर्षों को कम करने का दूसरा तरीका यह है कि कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाना है। इसके लिए सरकार को, इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, और बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे।

दुर्भाग्यवश बहुत से मामलों में राजनीतिक दल इन जाति संघर्षों को भड़का रहे हैं। कुछ समय पहले हमने इसे अपनी आंखों से देखा था कि जब पहली बार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण—एक संवैधानिक दायित्व जिसे लगभग चार दशकों से नकारा जा रहा था—सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोशिश की गई थी। कुछ राजनैतिक दलों ने कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से युवकों के दिलों में शंकाएं पैदा कर दी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमें इन सभी बातों का ज्ञान है।

आंध्र प्रदेश में, जब वहां हमारी तेलगू देशम पार्टी की सरकार थी और उसने राज्य में समाज के लगभग सभी वर्गों को विस्तृत प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की थी, तो दुर्भाग्यवश उस समय की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस (इ) सब तौर तरीके भुलाकर जातीय संघर्षों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तेलुगु देशम की यह कहकर आलोचना की थी कि यह एक विशेष समुदाय का पक्ष ले रही है, हालांकि यह बिल्कुल भी सच नहीं था। अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ गई है। हर कोई जानता है कि सरकार किसका पक्ष ले रही है। राजनैतिक लाभ के लिए इस प्रकार के अदूरदृष्टिपूर्ण कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को जातीय संघर्ष को प्रोत्साहन देकर समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए।

कोई भी अपने लोगों, समुदाय या जाति की मदद करने की कोशिश करे, लेकिन उसे जाति के नाम पर बंटवारे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और जातियों को आपस में नहीं भिड़ाना चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल ऐसा करे, यह निंदनीय है। मैं सुझाव देता हूं कि जब भी, कोई राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ खुले रूप से जातिवाद का समर्थन करे या जातिवाद को ऐसे ढंग से प्रचारित करे कि समाज जाति के नाम पर बंट जाए, तो उसे राजनीतिक क्षेत्र के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए और इसके लिए निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए जिसे कि शीघ्र ही लागू कर दिया जाना चाहिए। अन्य संशोधनों के साथ इस मद पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

कल्याण मन्त्री श्री सीताराम केसरी भी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोगों के उत्थान के प्रति समर्पित हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिन्हें प्रदान करने की संविधान में गारंटी तो दी गई है, लेकिन जिसे इन चार दशकों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। सरकार को उनकी सहायता के लिए कुछ आर्थिक उपाय करने होंगे ताकि उन्हें आगे लाया जा सके और भविष्य में एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या जारी न रहे और देश विभिन्न वर्गों के लोगों में मेल-मिलाप बनाकर प्रगति करे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपना नाम पुकारे जाने और इस प्रकार इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता का भी इसे सभा में प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं जोकि सभा को इस सामाजिक और राजनैतिक महत्व के मामले पर चर्चा के लिए अवसर प्रदान करता है।

जैसाकि आप जानते हैं जातिवाद, जाति संघर्ष हमारे समाज और हमारे देश में नई चीज नहीं है। यहां तक कि हमारे देश के बाहर विभिन्न देशों में भी यह विभिन्न रूपों में विद्यमान है। जिस रूप में यह जातिवाद आज हमारे देश में विद्यमान है, निश्चय ही यह हमारे लोकतन्त्र के लिए कलंक है। जितनी जल्दी हम इस बुराई से छुटकारा पा सकें उतना ही अच्छा हैं।

यदि यहां कुल लोगों को सबके समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो यहां लोकतन्त्र का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है और वह जीवित नहीं रह सकता। यदि लोकतन्त्र में कुल लोग समान अधिकार नहीं रखते तो वहां लोकतन्त्र का उज्ज्वल भविष्य नहीं हो सकता है। यह हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और यह हमारी पैतृक सम्पत्ति है। मेरे विद्वान मित्र पहले ही कई बातें कह चुके हैं। जातिबाद विशेषाधिकार प्राप्त लोगों, उच्च जाति के लोगों के लिए स्थिति का फायदा उठाने, कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने और अपने स्वार्थ के लिए निम्न जाति के लोगों पर अत्याचार करने के लिए एक उपकरण है।

जैसाकि मैंने आपको बताया है यह हमारी पैतृक सम्पति है और यह हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। यह हमारे लोकतन्त्र पर कलंक है अब प्रश्न यह है कि हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे देश में बहुत ही गंभीर और विश्वासपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी, गरीब लोगों के मसीहा और अछूत लोगों के उद्धारकर्त्ता थे। साथ ही साथ मैं डा० बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा निभाई गई भूमिका को भी भुलाना नहीं चाहता। मैं किसी भी रूप में ऐसा नहीं कर सकता। मेरे हृदय में उस भारत के सुपुत्र के लिए पूरा आदर है। लेकिन, आजादी के लिए संघर्ष के दौरान, गांधी जी ही केवल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीब लोगों विशेष रूप से अछूत लोगों के उत्थान के लिए अनेक उपाय शुरू किए थे। उनके सोचने और कहने और उनकी कथनी और करनी के बीच कोई अन्तर नहीं था।

एक बार गांधी जी उड़ीसा में पुरी जहां से मैं आता हूं, गए थे। जैसाकि आप जानते हैं पुरी भगवान जगन्नाथ जी का स्थल है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर वहां है। वे वहां दो बार गए थे। एक बार जब वह हरिजन पद यात्रा कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ थीं। पुरी में वे मन्दिर

में जाने और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की अपनी प्रबल इच्छा पर नियन्त्रण न कर सकीं। लेकिन, गांधीजी ने उन्हें इसमें जाने के लिए तब तक स्वीकृति नहीं दी जब तक कि अछूतों को मन्दिर में जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने अपनी इच्छा को दबाने का प्रयत्न किया लेकिन धार्मिक स्त्री होने के कारण वह इसमें जाने की अपनी इच्छा पर नियन्त्रण न कर सकी। गांधीजी की जानकारी के बिना उन्होंने सेवा दल के कर्मचारियों की सहायता से इस मन्दिर में प्रवेश किया। लेकिन उनका मन्दिर में प्रवेश गुप्त न रह सका और गांधीजी को इसका पता चल गया। पति और पत्नी में, गांधीजी में और कस्तूरबा जी में तब से एक दूसरे से बातचीत बन्द हो गई। यह स्थिति काफी लम्बे समय तक रही। ऐसे थे गांधीजी। यह उनकी अछूतों के प्रति विश्वसनीयता थी।

उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वह आश्रम को चलाने के लिए लोगों के दान पर निर्भर करते थे। जब पहली बार किसी हरिजन लड़के ने आश्रम में रहने के लिए गांधीजी को लिखा, गांधीजी ने एक क्षण भी सोचे बिना उसकी स्वीकृति का उत्तर दे डाला। संस्थान को चलाने के लिए वहां निधियों की कमी थी। अछूतता उस समय इतनी प्रबल थी कि लड़के के प्रवेश के बाद दान देने वाले व्यक्तियों ने जो पहले वित्त सहायता दे रहे थे, दान देना बन्द कर दिया। तब भी गांधी जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं लिखा है। उसी दिन कोई व्यक्ति जो अपना नाम बताना नहीं चाहता था उनके पास आया और उसने एक बहुत बड़ी राशि जिसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी, उन्हें दी। मैंने इसे उनके लिखे लेखों में पढ़ा है। गांधीजी चाहते थे कि साबरमती आश्रम को हरिजन आश्रम का पुनः नाम दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में आज भी 'हरिजन' के स्थान पर 'दलित' किए जाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं नाम में परिवर्तन करने के प्रयासों की मैं प्रशंसा नहीं करता वे चाहे जहां से भी किए जा रहे हों। इसके पीछे पवित्रता है। गांधी जी ने हरिजन को भगवान के दूत ईश्वर के बच्चे कहा है। वह इसमें पूरी तरह रम गए थे, उनके हृदय में 'हरिजन' शब्द के लिए बहुत आदर था कि उन्होंने 'हरिजन' शीर्षक से एक समाचार पत्र निकाला था। वह एक हरिजन पत्रिका प्रकाशित करते थे। उन्होंने हरिजन कल्याण के लिए एक संगठन गठित किया।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सभी पाखंडी हैं। यह सिर्फ चर्चा का ही प्रश्न नहीं है। यह विचारधारा में परिवर्तन का प्रश्न है। इसके लिए एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण की जरूरत है। इस दिशा में सामाजिक सुधारकों तथा राजनीतिज्ञों को एक अहम भूमिका निभानी है। हम इस सभा में ऊंची आवाज में बोलकर इसकी निन्दा करते हैं। लेकिन जब हम पार्टी का टिकट बांटने के लिए बैठते हैं तो हम जाति तथा समुदाय के बारे में पूछते हैं और हम ऐसे ही विचारों से प्रेरित होते हैं। क्या हम पाखंडी नहीं हैं? इस देश में जातिवाद की जड़ को और मजबूत बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है?

आज यह एक अलग स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। इसमें कोई शक नहीं है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदल गया है। पहले यह कर्म, अर्थात् व्यवसाय पर आधारित थी। उस वक्त यह व्यवसाय पर आधारित था। तदन्तर इसमें ऐसा बदलाव आ गया कि व्यक्ति का कार्य अथवा व्यवसाय चाहे किसी भी प्रकार का हो, सिर्फ जन्म से यह जाना जाने लगा कि वह किस जाति का है।

मुझे कुछ ऐसी घटनाओं या मामलों की जानकारी है जिनसे पता चलता है कि आजकल

उच्चजाति के पढ़े-लिखे युवक बेरोजगारी के कारण सफाई-कर्मचारी के पद के लिए भी आवेदन करने से नहीं हिचकते। जब मैंने किसी से पूछा कि उच्च जाति का तथा स्नातक होने पर भी वह सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन क्यों कर रहा है, तो उसने कहा ऐसी नौकरी करने में क्या हानि है? मुझे कहीं जीवनयापन का कोई साधन या नौकरी नहीं मिल रही है। मैं इस नौकरी को गम्भीरतापूर्वक करने में कोई बुराई नहीं समझता। अतः परिस्थितियों में बदलाव आया है। अगर ऐसे लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में भी क्रांति आ सकती है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है। यह एक सम्मिश्रण होगा। अत: महोदय, इस दिशा में स्थिति में परिवर्तन हुआ है, अब एक अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है और जिलाधिकारी बन जाता है, तो ब्राह्मण का लड़का भी उसका खाना बनाता है, उनका बिछावन तैयार करता है और उसके जूते पालिश करता है। हमारे देश में शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। निरक्षरता नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान के प्रस्तावना में हमारा मन्तव्य बहुत स्पष्ट है। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो समानता पर आधारित हो, शोषण से मुक्त हो, जो एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज हो। यहां दर्जा भी समान होना चाहिए। ये सभी बातें संविधान में हैं। हमें यह देखना होगा कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए।

महोदय, अन्तर्जातीय विवादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं आरक्षण का भी समर्थक हूं, जैसाकि यह विगत 10 वर्षों से था। जब तक हमारे समाज में असमानता अधिक रहेगी, हमें वरीयता देनी होगी और विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण करना होगा।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को उत्तर देना है। कृपया अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उपनाम समाप्त करने का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं विपक्ष के अपने कुछ मित्रों की बातें सुन रहा था। मुझे यह सुनकर दुःख है और जाति प्रणाली पर मण्डल आयोग की सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुए खेद है। मैं नहीं समझता कि मण्डल आयोग की सिफारिशें किस प्रकार सहायक होंगी। मैं कुछ हद तक इस विचार को लेकर भ्रम में पड़ गया हूं···(**व्यवधान**)··· यदि आप सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर के आधार मानकर चलते हैं तो यह ठीक है। परन्तु यदि आप जाति को आधार मानकर चलते हैं, तो उस स्थिति में जो कुछ जमींदार, राज परिवार ऐसे हैं जो जनजातीय वर्ग के और जो सभी प्रकार के लाभों के पात्र हैं जिनमें स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले उनके बच्चों के लिए वजीफा भी शामिल है।

महोदय, मैं आपका ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पटना का समाचार है। यह अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित एक धनी परिवार के बारे में है। इस राज परिवार के पास 700 एकड़ जमीन है और उनके कमरे में एक लाख रु० की एक झाड़ फानूस है। परन्तु मण्डल आयोग, जिसकी रिपोर्ट को क्रियान्वित करने पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह आमादा हैं, की सिफारिशों के अनुसार यह राज परिवार केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का पात्र है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : आपने कह दिया है मण्डल कमीशन को लागू करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं बैठने को तैयार नहीं हूं। और न ही चिल्लाकर मेरी आवाज को दबाया जा सकता है। मैं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि कोई आर्थिक मानदण्ड नहीं है तो समृद्ध लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। ऐसी नियम परिस्थिति क्यों हो ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। यही बात प्रेस में प्रकाशित हुई है। यदि मण्डल आयोग की इस रिपोर्ट को ठीक प्रकार से बदला नहीं गया तो इससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें अपना उपनाम हटा देना चाहिए। क्या जनगणना तथा अन्य रिकार्डों में जाति नाम शामिल किए जाएंगे ? क्या इन्हें हमेशा इनमें लिखा जाता रहेगा ? यदि इस रिपोर्ट में संशोधन नहीं किया जाता है, तो यह इससे जाति प्रथा और इसकी बुराइयों को बढ़ावा ही देगी। मुझे फिर स्पष्ट करने दीजिए कि मैं पूरी तरह से गरीबी दूर करने तथा उत्पीड़ितों के उत्थान के पक्ष में हूं। यह मैंने आपसे कहा है। इस पर आपको क्या आपत्ति है ? क्या वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी के बच्चों को जो आर्थिक तथा अन्य दृष्टि से सम्पन्न हैं, को लगातार ये सभी सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए ? क्या उन प्रतिष्ठित परिवारों को जिन्हें अनुसूचित जनजाति समझा जाता है ये सभी सुविधाएं हमेशा मिलती रहेंगी ? (**व्यवधान**)

अतः महोदय, यदि जातिवाद को समाप्त करना है, तो उपनामों को हटाना होगा; अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा; शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए और रोजगार उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। समानता होनी चाहिए। वर्ग व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था दोनों को समाप्त कर देना चाहिए।

गांधी जी भी वर्ग व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि गरीब से गरीब लोगों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें क्या गलत है ?

जाति प्रथा इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों के दोहरे मानदण्ड हैं। चुनावों तथा सार्वजनिक मंचों पर से लोग कुछ कहते हैं तथा करते कुछ हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तथा दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। बढ़ती हुई हिंसा तथा इस प्रकार का शोषण गांधी जी के देश में सबसे बड़ी बुराई है। इस प्रकार का शोषण निरन्तर नहीं होना चाहिए। इसी कारण मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं तथा इस बारे में मेरा मत पूर्णतः स्पष्ट है। जातिवाद समाप्त होना चाहिए। हमारे पास अनेक कानून हैं। परन्तु केवल उनसे ही काम नहीं चलेगा। इसको जन सहयोग भी मिलना चाहिए। राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, तथा अन्य सभी लोगों का जातिवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए जो यत्र तत्र सर्वत्र तथा देश में सब जगह अपना घिनौना रूप दिखा रहा है तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत के नाम पर एक कलंक है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय मैं कि इस सभा में इस संकल्प को चर्चा लाने के लिए श्री के० वी० आर० चौधरी को धन्यवाद देता हूं। सारा देश जाति संघर्ष के बारे में चिन्तित है। जोकि देश के विभिन्न भागों में चल रहा है। अभी-अभी मेरे सामने अनेक माननीय सदस्य बोलने वाले ने देश में विद्यमान विभिन्न जातियों तथा मुनु स्मृति के अनुसार उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया है। कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय समाज में विद्यमान जाति-व्यवस्था के बारे में डा० अम्बेडकर के विचारों से अवगत कराया है। सभी माननीय सदस्यों ने जाति-व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। जाति-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो किंडरगार्डन कक्षा (के० जी०) से ही उनसे यह पूछा जाता है कि उनके अप्पा का नाम क्या है।

[हिन्दी]

डेडी का नाम, मम्मी का नाम क्या है और तुम्हारी जात क्या है।

[अनुवाद]

यहां तक कि हम संसद सदस्य भी अपने नाम के बाद अपने उपनाम को लिखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभा जाति-व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर कोई अपने उपनाम को हटाने को तैयार नहीं है।

भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ जातियां ऐसी है, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है जिन्हें हमेश. समाज में विशेष स्थान मिलता रहा है। इन विशेषाधिकार प्राप्त जातियों ने हमेशा अन्य जातियों को भिखारी जैसा समझा है। पाणिग्रही जी ने ठीक ही पूछा है कि मण्डल आयोग रिपोर्ट को क्यों लागू किया जाना चाहिए। मैं मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पूरी तरह विरुद्ध हूं। बशर्ते कि राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से इन असमानताओं को समाप्त कर दिया जाए। परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

पाणिग्रही साहब को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि।

[अनुवाद]

करोड़पतियों को आरक्षण देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है।

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। संविधान में दिया गया है "शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए।" एक करोड़पति व्यक्ति का, सामाजिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से पिछाड़ा नहीं जा सकता है, परन्तु एक आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, अथवा प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी का पुत्र, जैसाकि श्री रेड्डी ने कहा है, शैक्षिक या अन्य स्तर प्राप्त कर सकता है।

[अनुवाद]

पर, ऐसे लोगों को आप आरक्षण से नहीं हटा सकते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा शोर मचाने वाला और ईमानदार हूं, फिर भी मुझे इस सभा में कोई सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : इस सभा में ?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : हां, यहां भी। आप मन्त्रिमण्डल को ही लें।

सभापति महोदय (श्री पी० एम० सईद) : यहां तो आपको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद में साठ मन्त्री हैं। साठ में से 10 हरिजन हैं और 5 मुसलमान हैं। मुझे पता है कि उन्हें कितना आदर दिया जा रहा है। उनके सचिव उन्हें कितना सम्मान दे रहे हैं ? श्री पाणिग्रही यह बात नहीं जानते हैं क्योंकि वे जन्म से ब्राह्मण हैं। आप स्वयं को पिछड़ी जाति में परिवर्तित कर लें तब आप इस समस्या को समझ सकेंगे। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं। एक ब्राह्मण सारे देश को चला रहा है।

आंध्र प्रदेश के मंत्रिपरिषद में अनुसूचित जातियों—अल्पसंख्यकों और अन्यों से सम्बन्धित 50 मन्त्री हैं। मन्त्रिपरिषद में 18 रेड्डी भी हैं। कुछ को पशुपालन विभाग का और कुछ को मुर्गीपालन विभाग आदि का प्रभारी बना दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में जो हालत है उस पर विधि, न्याय तथा कम्पनी मामलों के मंत्री विजय भास्कर रेड्डी को लज्जित होना चाहिए। क्या प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री से पूछा है कि उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में प्रत्येक जाति के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया है ? उन्होंने देश के दैनिक प्रशासन में पिछड़े वर्गों के लोगों को क्यों शामिल नहीं किया है ? वे कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर श्री लालू प्रसाद यादव बिहार में हैं। वहां के सारे लोग स्वतंत्र है। वहीं प्रजातंत्र भी है। हर तरह से हीन व्यक्ति भी वहां सुरक्षित है। यदि ये लोग एकजुट हो जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और तब न श्री नरसिंह राव कहीं टिकेंगे नहीं श्री विजय भास्कर रेड्डी। अतः श्री वी० पी० सिंह ने जो भी किया है वह सही किया है। उन्होंने गरीबों के प्रति न्याय किया है। यदि आप इन बातों से अभी सही नहीं करते हैं तो दस बरस के बाद यह एक गम्भीर समस्या बन जाएगी। ऊंची जातियों के लोग नीचे आ जाएंगे और नीची जातियों के लोग ऊपर चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। मैं देश की एकता और अखण्डता को कायम देखना चाहता हूं। हमें सम्पन्न होना चाहिए। अब इस देश में ब्राह्मण कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। वे सब परोक्ष हो चुके हैं। रेड्डी, यादव आदि भी नजर से ओझल हो चुके हैं। फिर भी इस देश में एक नयी बात आरम्भ हो गयी है जिसमें यादव, रेड्डी आदि उसी ब्राह्मण वादी नीति पर चल रहे हैं। ब्राह्मण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि यह सम्माननीय सभा यह न कहे कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जी हां, जब तक इस देश के लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। भाजपा को एक या दो स्थान किस प्रकार मिले ? ऐसा उनके आदर्श या राष्ट्रवाद की वजह से नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ धर्म की वजह से ही हुआ है। अतः हमें चाहिए कि हम इस प्रथा को प्रोत्साहित करें और एकजुट होकर इस देश की राजनैतिक बागडोर को सम्भाल कर उसी तरह से न्याय करें जैसे कि समाजवादी कृष्ण ने महाभारत के दौरान किया था उन्होंने इन सबको समाप्त करा दिया था। उन्होंने सबको वस्तुतः बराबर कर दिया था।

[हिन्दी]

बलराम को दुर्योधन के पास भेजा और कृष्ण धर्मराज के पास रह गए। दोनों को पाण्डवों और कौरवों को कुरुक्षेत्र में ले गए और समाप्त कर दिया।

[अनुवाद]

देश के पिछड़े जाति के लोगों और मुसलमानों को कितना कष्ट सहना पड़ा है। आप चाहे कमालुद्दीन अहमद हों या और कोई, यदि आप सिर्फ अपने नेता के अनुगामी हैं तो आप अपने उन भाई-बहनों जो पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के हैं का अत्यधिक नुकसान कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना काम करें। यदि आप मंत्री बने रहे। आपको इस देश के अपने मुसलमान भाई-बहनों का आह्वान नहीं करना चाहिए।

हम गांवों के हैं। हम सच्चाई बताएंगे। हम भाषण नहीं देते हैं। मैं जानता हूं 50 प्रतिशत व्यक्ति यहां भाषण देते हैं उनमें से शत प्रतिशत लोग हिंदू जाति के हैं।

[हिन्दी]

मेहनत से जीने वाली हैं बैकवर्ड क्लास, मेहनत से जीते हैं शैडयूल्ड कास्ट के लोग।

[अनुवाद]

हमने सत्ता का स्वाद चखा है न ही हम देश के भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। मुझे विश्वास है कि इस पुण्यभूमि में भी गांधी जी के अनुसार, लोगों को ऊपर आना होगा और प्रशासन को संभालना होगा। हमारे यहां के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में न तो भ्रष्टाचार है न ही शोषण।

[हिन्दी]

पुण्यभारत माता के किसी अंग में कारप्शन नहीं है।

[अनुवाद]

ये लोग ही वहां जाएंगे और अपना झण्डा फहराएंगे।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, जाति संघर्ष समाप्त करने के लिए इस सदन में प्रस्ताव पर बहस चल रही है और लगभग सभी सदस्यों ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा है और हर तरफ से आवाज निकली है कि जाति संघर्ष समाप्त होना चाहिए। जाति के नाम पर समाज को बांटना नहीं चाहिए। जाति वास्तव में जब कर्म के आधार पर थी, कोई व्यक्ति जो काम करता था उसके आधार पर उसकी जाति निश्चित होती थी। समय के साथ-साथ यह स्थिति बदली और जाति जन्म के साथ जुड़ गयी। जब जन्म के साथ जाति जुड़ी तो उसके परिणामस्वरूप उत्पीड़न, शोषण आरम्भ हुए और यहां तक कि किसी जाति विशेष का व्यक्ति कुंए से पानी नहीं पी सकता, मन्दिर में पूजा-

अर्चना नहीं कर सकता। अलग-अलग ढंग से जब शोषण हुए तो आज समस्या इतना गम्भीर रूप धारण कर गयी कि कामरेड तेज नारायण सिंह भी कहते हैं कि भगवान बचाए। कम्युनिस्टों को भी भगवान पर भरोसा हो गया कि भगवान ही बचायेंगे।

श्री नीतीश कुमार : लेनिन ने भी कहा था।

प्रो० प्रेम धूमल : नीतीश कुमार जी, लेनिन ने भी कहा था। लेनिन का क्या हाल हो रहा है मास्को में। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा।

जब भी ऐसे अत्याचार बढ़े, शोषण बढ़ा और जाति प्रथा हिन्दू समाज में थी। मेरे पूर्व-वक्ताओं ने बहुत से उदाहरण दिए। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा को समाप्त करने का कथन दिया और हिन्दू समाज में और सिख धर्म में परिवर्तन आया और उसमें भी जाति प्रथा को समाप्त करने की बात हुई। आज हकीकत क्या है। पिछली नेशनल फ्रंट सरकार के सामने नौव बौद्धों के धर्म परिवर्तन के बावजूद आपको कहना पड़ा उनके लिए भी आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। सिखों के अलग गुरूद्वारे जाति प्रथा द्वारा नहीं हुए। इस सदन में बार-बार आवाज उठायी जाती रही है कि धर्म परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ। किसी धर्म विशेष से अधिक प्रभावित होकर भगवान के निकट जाने का कोई और बढ़िया रास्ता मिल गया इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जाति के नाम पर उनके साथ अत्याचार हुआ इसलिए धर्म परिवर्तन हुआ। उस समय मुसलमान और ईसाई बने। स्वतन्त्रता के 44 वर्ष बाद भी, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी जो ईसाई और मुसलमान बने तो आज वे कहते हैं कि हममें अगड़े और पिछड़े हैं। हम हिन्दू समाज का दोष मान रहे हैं कि शायद जाति प्रथा बंटी थी। आज कौन सा धर्म यह दावा करता है कि हमारे यहां जाति के आधार पर कुछ नहीं हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कौन सा सांसद यह कहेगा कि उनके धर्म में जाति प्रथा नहीं है और इस आधार पर हम आरक्षण नहीं चाहते हैं। जो सांसद मुस्लिम भाई हैं, वे भी कहते हैं कि हमें शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। ईसाई भी यही मांग रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कौन धर्म अच्छा या बुरा है। समस्या बहुत गहरी है, उसके लिए केवल कानून बनाने से कुछ हो सकता तो आज हो चुका होता। पाणिग्रही जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा पुरी के मन्दिर में शुद्र जाति के लोग नहीं जा सकते तो अचानक कस्तूरबा चली गई। कुछ समय के लिए वे आपस में नहीं बोले। उसके बाद क्या हुआ। सब जाने शुरू हो गए और परिवर्तन तब भी नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि इसमें शुद्रों को नहीं जाने दिया जाता··· **(व्यवधान)** अचानक कस्तूरबा चली गई और महात्मा जी नाराज हो गए। कुछ समय के लिए वे नहीं बोले। ··**(व्यवधान)** इस सदन को यह पता है कि समस्या कितनी गम्भीर है···**(व्यवधान)** कानून बनाने मात्र से और आरक्षण देने मात्र से इस समस्या को हल किया जा सकता है तो ऐसा सम्भव नहीं है। कुछ मित्रों ने कहा कि अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे मित्र जो एस० सी० एस० टी० के हैं और वे अफसर बनते हैं तो वे अपने गांव से मेहनत करके निकले हैं और कोई आई० ए० एस० बन जाते हैं। वे कितने आए, यह फिगर आप निकलवाएं, उनमें से कितने हैं और कितनों ने अपने गांव में जाकर शादी की।

5.00 म० प०

रईया जी कह रहे थे शर्मा, वर्मा या ठाकुर लिखना ठीक नहीं है। मेरे पास उदाहरण है, हमारे

क्लास फैलो अनुसूचित जाति के लोग अच्छे अधिकारी बन गए तो उन्होंने अपने नाम के आगे शर्मा लिखना शुरू कर दिया और गांव के कट गए।

एक माननीय सदस्य : क्या शहर में नहीं रह सकते ?

प्रो० प्रेम धूमल : मैं यह नहीं कहता कि नहीं रह सकते, लेकिन शहर के आगे भी जगह है, वहां रहें। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। हमारे यहां छोटी-छोटी कई जातियां हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोग हैं। जब कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पर आ जाता है किसी विशेष जाति का तो वह अपनी जाति से सम्बन्ध तोड़ लेता है। जो लोग उस वर्ग से ऊपर उठते हैं वे भी उस वर्ग को छोड़कर अपना नाता उनसे भूल जाते हैं। हमारे देहात में अनुसूचित जाति के लोगों में छोटी-छोटी जातियां हैं, सबके लिए आरक्षण है। एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ बैठकर खाना खाने को तैयार नहीं हैं। केवल मात्र लोक सभा में या राज्य सभा में या किसी अन्य प्लेटफार्म से भाषण करते रहें कि सवर्ण जाति ने यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन छोटी-छोटी जातियों में ही यह है चाहे वे काम के आधार पर बनी हैं बुनकर, चमार, डूंडा, ये एक दूसरे का खाना नहीं खायेंगे। हम लोग, राजपूत, ब्राह्मण आदि उनके साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं, लेकिन अपनी जाति के ही लोगों को वे नहीं खिलायेंगे, जबकि हमें खिला देंगे। जो लोग गांव से आते हैं वे मानेंगे कि आज भी वहां यही स्थिति है।

चौधरी जी प्रस्ताव लाये हैं, अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन मैं समझूंगा कि मन्त्री महोदय को जवाब देना है, वे बिहार से आते हैं जहां जाति का काफी प्रभाव है, वे कुछ इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। जब तक हम चिन्तन को, सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कानून जितने बनाते जायें कानून बनाने मात्र से जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। सबको मिलकर ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा और जो मित्र समझते हैं कि इसमें बदलाव आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, लेकिन उसके लिए सामाजिक प्रयत्न करना ज्यादा आवश्यक रहेगा। हम सब मिलकर यह प्रयत्न करेंगे, जाति-पांति के आधार पर समाज न बांटे और हर व्यक्ति को पूरा अवसर मिले, और सबसे अच्छा यह रहेगा कि अवसर उसको मिले शिक्षा के समय में। अगर शिक्षा का पूरा अवसर मिलेगा, शैक्षणिक तौर पर आगे बढ़ेगा तो उसका सम्मान होगा। जैसा कि पूर्व वक्ता कर रहे थे। जब व्यक्ति ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेता है बड़ी जाति वाले भी उसकी सेवा करने को तैयार होते हैं। इसलिए उसका शैक्षणिक स्तर, जीवन स्तर सुधारना आवश्यक है। यह प्रथा इस तरह से धीरे-धीरे दूर की जा सकती है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से डा० चौधरी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जाति संघर्ष को पूर्ण समाप्त करने के सम्बन्ध में एक संकल्प यहां प्रस्तुत किया। यह बात सही है कि हमारे मुल्क के अन्दर जाति संघर्ष समाप्त करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुल्क के अन्दर सर्वप्रथम जब वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया, तब इस समाज को नियंत्रित करने के लिए चार वर्णों की परिकल्पना की गई। फिर उस वर्ण व्यवस्था को वर्णाश्रम में बदलने का प्रयास किया गया। जो समाज के अन्दर समाज को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य रखे गए तो कभी यह समाज चार वर्णों के अन्दर नहीं बंटा। वे चार पाए व्यवहार में नहीं आए।

इसके बाद काम के आधार पर जातियों का निर्माण होने लगा। जब जातियों का निर्माण हुआ

तो यह कठिन हो गया। जबकि एक ही परम पुरुष ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिकल्पना की। इसलिए अलग-अलग समाज का अंग नहीं था, एक ही में चारों भाव निहित थे लेकिन आज अफसोस है कि हमारे मुल्क के अन्दर मनु की इस व्यवस्था ने हमें मजबूर कर दिया कि हम किसी न किसी जाति में पैदा हों। उसमें हमारा दोष नहीं कि हम हरिजन या ब्राह्मण परिवार में पैदा हों, उसके ऊपर हमारा नियन्त्रण नहीं है लेकिन समाज के अन्दर जो अपने को अगुआ कहते थे, अपनी राजसत्ता को कायम करने के लिए उन्होंने इसमें भेद डाला और समाज के अन्दर उस दिन इस बात को प्रतिस्थापित कर दिया जब समाज के दूसरे वर्गों को शिक्षा और सम्पति से महरूम कर दिया और एक नये समाज एवं एक वर्ग का निर्माण किया।

सभापति जी, आज भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इसका प्रश्न मुख्य रूप से है कि समाज में हमारे सामने जाति के आधार पर सम्मान मिलेगा और जाति के नाम पर धिक्कारा जायेगा तो निश्चित तौर पर यह संघर्ष रोका नहीं जा सकता है। प्रश्न इस बात का है कि मण्डल आयोग भी उसी रूप में आया कि जो जाति बाबा आदम के जमाने से उपेक्षित थीं, आजादी के बाद भी उनका विकास नहीं हो पाया, समाज में उनको सम्मान नहीं मिला...

सभापति महोदय : इस रिज्योलूशन के लिए जो टाईम एलाट किया गया था, वह 5 बजकर 6 मिनट पर खत्म होने वाला है, हाऊस का क्या कोन्सेन्सेज हैं ?

कई माननीय सदस्य : इसे आधा घण्टा और बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री : यह आरक्षण आया उनके लिए जिनको समाज में सम्मान नहीं मिला, सत्ता में उनको साझेदारी नहीं मिली और जब यह बात वहां तक चली गयी कि ये पराशर ऋषि की पूजा तो कर सकते हैं, वेद व्यास का सम्मान कर सकते हैं लेकिन जब बाबू जगजीवन राम जी उस मनु स्मृति के अनुसार भी कुछ करते हैं तो उनको शूद्र माना जाता है और जब वह शूद्र डा० सम्पूर्णा नन्द जी की मूर्ति का अनावरण बनारस में करते हैं तो ब्राह्मण समाज उसको गंगा जल से स्नान कराता है। यह सवाल हमारे देश का महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है और जब तक हम समाज के अन्दर भारतीय संविधान के निर्माता डा० अम्बेडकर के समता का व्यवहार, समता के अधिकार के अनुसार नहीं चलेंगे तो चाहे जितने भी प्रयास किए जाएं, इस संघर्ष को रोक नहीं सकते हैं। यह संघर्ष बढ़ रहा है, क्यों? इसका कारण यह है कि बाबा आदम के जमाने से जिन लोगों को उपेक्षित रखा गया, जिनकी कहीं कोई आवाज नहीं थी, उन लोगों को शिक्षा के अन्दर प्रवेश करने का मौका मिला तो उनके स्वाभिमान की भावना जागी है और जब ये जागे हैं तो अपना अधिकार चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं।

सभापति जी, जो वर्षों से अपना अधिकार बनाए बैठे हैं, वे अपना विशेषाधिकार छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन ये संघर्ष करके अपना समता का अधिकार लेना चाहते हैं और जब तक इस सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा, संघर्ष रोका नहीं जा सकता है, यह जारी रहेगा और यह संघर्ष और तेज हो सकता है। जिन लोगों ने समाज को अपने मुट्ठी में कर रखा था, उनको परेशानी इसलिए पैदा हो रही है कि जो कभी समाज में उपेक्षित वर्ग कायदे से बैठ नहीं पाता है। उसमें यह भी स्वाभिमान नहीं जगता था कि वह चारपाई पर समान रूप से बैठ सके, कुर्सी पर समान रूप से बैठ सके।

आज उसके बच्चे पढ़-लिखकर आ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। जब वह अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो उनके ऊपर दमनचक्र चलाने की कोशिश की जा रही है। यहीं राम नरेश यादव जी राज्य सभा के मेम्बर हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब मुख्य मन्त्री बने तो नारा लगता था कि "रामनरेश कुर्सी छोड़ो, भैंस चराओ।" कौन लोग नारे लगा रहे थे? जब ये नारे लगते थे तो इस तरह के जो समाज के अन्दर पिछड़े लोग हैं जिनको आपने पिछड़ा बनाकर रखा है, उनको उपेक्षित बनाकर रखा है, आज उनमें स्वाभिमान की भावना जग रही है तो आपको जातिवाद दिखाई दे रहा है, आपको जाति-संघर्ष दिखाई दे रहा है। यह जाति-संघर्ष नहीं है। यह सही बात है कि आप अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा लेने के लिए बढ़ रहा है, तो आप उसके ऊपर इस तरह के लांछन लगा रहे हैं। यह मामला नहीं चल सकता और मैं कहना चाहता हूं कि सही मायनों में सर्विस की भी बात यहां की जाती है। मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री केसरी जी से कि एक बार इसके अन्दर आप ये आंकड़ों से पता करवा देते कि किस जाति के लोगों का परसेंटेज किस सर्विस में कितना है और उसमें भी आप परसेंटेज निकलवाएं कितने परिवारों के लोग हैं। यह कमाल है कि हमारे देश के अन्दर टॉप पर प्रधान मन्त्री ब्राह्मण है, टॉप पर हमारी ज्यूडीशरी का हैड ब्राह्मण है, राष्ट्रपति ब्राह्मण हैं। ये सब ब्राह्मण होने के बाद भी आज भीख मांगने वाला भी तो ब्राह्मण ही हैं। हमारे यहां एक जाति होती है—महापात्र। महापात्र हम उन्हें कहते हैं जो मरने के बाद क्रिया कराते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर। उनके यहां शादी का सिस्टम आपको बताएं। शादी के विषय में पूछा जाता है कि "आपके घर में कै लोटा चलता है?" लोटा के माने उनके यहां इस बात से होता है कि आपके घर में कितने लोग भीख मांगने वाले हैं। यह भी समाज के अन्दर एक कंट्रेडिक्शन है। तो आज मुख्य सवाल जो है, सामाजिक सम्मान का है, सत्ता में साझेदारी का है। इसके अन्तर को समाप्त करना होगा।

सभापति महोदय : आप भी समाप्त कीजिए।

श्री विश्वनाथ शास्त्री : आप मनु की शिक्षा व्यवस्था को छोड़िए। मन में होगा कि हम श्रेष्ठ हैं तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। अपने को श्रेष्ठ बनने की परिकल्पना रखकर दूसरे को बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट समझेंगे तो यह बात नहीं चल सकती है। आप ये बात मत सोचिए। जब सब नागरिक समान हैं तो कहां से ब्राह्मण और कहां से हरिजन? इस भावना को निकालना पड़ेगा और शिक्षा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, समता की चीजों को करना पड़ेगा।

अन्तर्जातीय ब्याह और शादी की बात की जाती है। अरे भई! बढ़-चढ़कर सन्तान भी चली है लेकिन राम राम तभी हुए हैं, मुझे माफ करिएगा, जब सीता जैसी उपेक्षित एक घड़े के अन्दर से प्राप्त हुई, उस सीता से वे शादी करते हैं तो राम राम बनते हैं। क्या हम इस तरह से करेंगे? आज इस तरह से कोई उसको छूने के लिए भी तैयार है क्या? उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी बात, यह सही है कि यह जातिवाद का विकराल स्वरूप आज पोलिटिक्स में आ गया है। असली पीड़ा यहां है। जातिवाद को मैं भी नहीं चाहता लेकिन जात-पात को इस मुल्क में मिटाना आसान है क्या? जात-पात को मिटाने की बात हमारे साथियों ने कही। बहुत सारे लोगों ने दूसरी जातियों से उत्पीड़ित होकर इस्लाम को कबूल कर लिया और इस्लाम में भी शेख सैयद पठान पैदा हो गए जो समता का संदेश लेकर आए थे, मसावात का संदेश देते थे। वह इस्लाम भी इस मुल्क में जातियों में बंट गया। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह इतनी बड़ी ढाल है जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है, जिस जाति

की वजह से ये मुल्क गुलाम हुआ था, सब लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन आज उनका राजनीति में प्रवेश होने पर, आपकी सत्ता डगमगा रही है। आपको जातिवाद दिखाई दे रहा है क्योंकि सत्ता पर चोट लग रही है। ये हरिजन, पिछड़े, आदिवासी और माइनौरिटी के लोग, जो हजारों सालों से, सामाजिक और आर्थिक सभी स्तरों पर पिछड़े हुए थे, सताए जा रहे थे, जब वे एकजुट होने लगे, उनमें चेतना आने लगी, तो जो लोग सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे थे, आज उन्हें इसमें जातिवाद दिखाई दे रहा है।

यदि आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो चुनाव प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन लाईए, चुनाव के तरीके को बदलिए। दलों के आधार पर कैन्डीडेट्स मत खड़ा कीजिए बल्कि आप सिम्बल खड़ा कर दीजिए। हर पार्टी अपना-अपना मैनिफेस्टो जारी करे और उस के आधार पर मतदान हो। जिस हिसाब से, किसी एक पार्टी को वोट मिलें, उतनी ही सीट उस पार्टी को एलॉट कर दीजिए। फिर यह पार्टी पर छोड़ दीजिए कि वे अपने कौन से सदस्य हाउस में भेजना पसन्द करे। इससे तमाम प्रकार के झगड़े, मारपीट और दूसरे काण्ड होने से बच जाएंगे। पार्टी के लोग सब कुछ वहीं तय करें ताकि नए आधार पर हमारा समाज बन सके। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***कुमारी फ्रिडा टोपनो** (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, मैं उड़िया भाषा में अपना भाषण दूंगी। महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूं जो इस सभा में समाज से जाति का झगड़ा समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। महोदय, वैदिक काल में लोगों के बीच कार्यों का विभाजन उनकी पसन्द के कार्यों के आधार पर किया जाता था। लोगों ने अपनी पसन्द के कार्य करना जारी रखा और धीरे-धीरे अपने सम्बन्धित कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली। बाद में, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर उनकी जातियां निर्धारित की गई तथा जाति प्रथा स्थापित हो गई। परन्तु यह स्थिति बहुत अधिक समय तक नहीं चल सकी। जाति प्रथा ने लोगों के बीच भेदभाव उत्पन्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा कर्णों को उच्च जाति के लोग समझा जाता था और सब लोगों ने समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। उन्हें समाज में विशिष्ट सम्मान हुआ। दूसरी ओर, किसी को भी शूद्रों की परवाह नहीं थी उन्हें नीची जाति के लोग समझा जाता था। उन्हें सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था। उच्च जाति के लोग उनसे नफरत करते थे। गरीब हरिजन, शूद्र सभी लोगों को हिन्दू जाति के सवर्ण लोगों द्वारा दबाया जाता था। यह प्रवृत्ति कई युगों तक लगातार चलती रही। कुछ स्थानों पर हिन्दू जाति के लोग उन मार्गों पर पानी में गाय का गोबर मिलाकर छिड़काव करते थे, जिन रास्तों पर हरिजन चलते थे। वह समझते थे कि सड़कें अपवित्र हो गई हैं। हरिजनों को हिन्दू जाति के लोगों के घरों में भोजन नहीं परोसा जाता था, यदि कभी परोसा भी जाता था तो पत्तों पर भोजन दिया जाता था। यह बुरी प्रथा अभी भी कई स्थानों पर प्रचलित है। हरिजनों को मन्दिरों अथवा मसजिदों में जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों है, उनके साथ कब तक ऐसा व्यवहार किया जाएगा। यह वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मुख्य रूप से ऐसा होता है। शहरी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हो

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहा है। वास्तव में यह जाति प्रथा नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई जाति नहीं है जैसाकि मैंने पहले कहा है यह लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर निर्धारित की गई थी। भगवान ने सब लोगों को एक समान बनाया है। भगवान के लिए सभी बराबर हैं। सभी व्यक्तियों का खून लाल है, किसी भी व्यक्ति का खून पीला अथवा हरा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का खून लाल रंग का है। अतः सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। परन्तु महोदय, बढ़ते हुए संघर्ष ने सभी लोगों को चिन्तित कर दिया है। लगभग सभी स्थानों पर हरिजन लोग इसके वास्तविक शिकार होते हैं। आज भी हिन्दू जाति के सवर्ण लोगों द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हरिजन गांवों का विकास नहीं किया जा रहा है। हरिजनों के घर सवर्ण हिन्दुओं द्वारा जलाए जाते हैं। वे लोग अकथित दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इन गरीबों की सहायता के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। कब तक ये लोग ऐसी दयनीय स्थिति में जीवन-यापन करेंगे ? यदि गांव में एक ही कुंआ होता है तो सवर्ण हिन्दु जाति के लोग उस कुएं के पानी का प्रयोग करते हैं तथा हरिजनों को पानी पीने की अनुमति नहीं दी जाती।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान के निर्माता डा० बी० आर० अम्बेडकर तथा कई अन्य स्वतन्त्रता सैनानी समाज में उस समय की प्रचलित स्थिति को देखकर बहुत अधिक चिन्तित थे। उन्होंने उन पद-दलित लोगों की दयनीय स्थिति को देखा था। अतः उन्होंने समाज से छुआछूत की भावना को समाप्त करने का आह्वान किया। सभी शूद्रों को महात्मा गांधी ने हरिजनों का नाम दिया गया। उन्होंने समाज से छुआछूत को समाप्त करने तथा देश में जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए ऐसा किया था। हमारे पास अनेक नियम और मानदण्ड हैं। राज्य सरकारों को तथाकथित सवर्ण हिन्दू जाति के लोगों के शिकंजे से हरिजनों को छुड़ाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। हमने राज्य विधान सभाओं तथा संसद में अनेक कानून पारित किए हैं। अनेक संकल्प स्वीकार किए गए हैं। परन्तु यदि हम उन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते, यदि हम अनुदेशों का पालन नहीं करते और अधिनियमों का कार्यान्वयन नहीं करते तो उनका कोई उपयोग नहीं है। अतः यदि हम वास्तव में छुआछूत की भावना तथा जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो लोगों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। जब तक हम ग्रामीण लोगों को शिक्षित नहीं करते, जब तक हरिजनों के बीच जागरुकता पैदा नहीं करते और जब तक हम उन पद-दलित वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं करते, तब तक जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी।

महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के साथ छुआछूत तथा अत्याचार आदि नहीं होते। यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का लड़का आई० ए० एस० अथवा आई० पी० एस० अधिकारी बन जाता है अथवा यदि वह पुलिस निरीक्षक अथवा उप-पुलिस निरीक्षक बन जाता है तो उसे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। सभी लोग ऐसे उच्चाधिकारियों को उचित आदर एवं सम्मान देते हैं। वे समाज में मुक्त रूप से मिलते-जुलते हैं। परन्तु समस्या नीचे स्तर पर है।

महोदय, मैं अपने सेवाकालीन जीवन के अनुभव से कुछ कहना चाहता हूं उड़ीसा के जनजातीय और ग्रामीण कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्योंझर जिले में जब मैं जिला कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया था तब मुझे वास्तविकता का कुछ अनुभव हुआ था। आश्रम के स्कूल जनजातीय तथा ग्रामीण कल्याण विभाग के अन्तर्गत हैं। क्योंझर जिले में एक आवासीय स्कूल था जहां एक ब्राह्मण हैड मास्टर

के रूप में कार्य करता था वह उस आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के विभाग से अस्पष्यता और जाति-पाति की भावना निकालना चाहता था । भूयान जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं "ज्वांग" जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं, से ऊंचे माने जाते हैं। चूंकि यह एक आवासीय स्कूल है, ज्वांग समुदाय तथा भुयान समुदाय दोनों ही जाति के लड़के वहां पढ़ते हैं । वे उस आवासीय स्कूल के एक ही छात्रावास में रहते हैं । ज्वांग भूयान से नीची जाति के समझे जाते हैं । यदि ज्वांग समुदाय का लड़का भूयान समुदाय के लड़के का खाना छू लेता है तो वह खाना नहीं खाता है । हैंडमास्टर जाति-व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था तथा प्रत्येक लड़के को यह बताना चाहता था कि सभी बराबर हैं । यद्यपि वह ब्राह्मण था तो भी उसने बच्चों से कहा था कि सब एक साथ बैठेंगे तथा एक साथ अपना खाना खायेंगे । अपने समुदाय का विचार किए बिना छात्र भोजन परोस सकते हैं। इससे वहां एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी थी । जब ज्वांग और भूयान समुदाय के लोगों को पता चला तो उनके मां-बाप स्कूल में आ गए तथा वे हैडमास्टर को मारना चाहते थे । ऐसी स्थिति में मैं उनके स्कूल गया तथा बहुत मुश्किल से उन्हें समझा पाया कि स्कूल में सब बराबर हैं । यदि वे जाति पांति के भेदभाव रखना चाहते हैं, तो जब उनके बच्चे छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तब वे अपने घरों में ऐसा कर सकते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि स्कूल कोई साधारण स्थान नहीं है । यह एक धार्मिक स्थल की भांति है । अतः वहां पर सभी को बराबर समझना चाहिए ।

महोदय, हम अपने उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम उन बातों को लागू न करें जो हम यहां पर कहते हैं। जब तक सभी वर्गों में जागरुकता नहीं पैदा करते हैं तथा उन्हें शिक्षित नहीं करते हैं तब तक केवल भाषणों से इस समस्या का समाधान नहीं होगा । हमें हरिजनों, आदिवासियों तथा शोषित लोगों की सहायता पर विशेष ध्यान देना होगा । हमें यह देखना कि आरक्षण नीति प्रभावी ढंग से लागू की जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को उन्हीं के द्वारा भरा जाना चाहिए तथा पिछली सभी रिक्तियों को पूरा किया जाना चाहिए । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सभी स्कूलों-कालेजों तथा इन्जीनियरिंग कालेजों में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए । यदि उन्हें उच्च शिक्षा दी जाती है तो अस्पृश्यता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी ।

यदि हम अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देते हैं तो जाति-व्यवस्था को समाप्त करने में सहायता मिलेगी । यदि विवाह सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं तो जाति संघर्ष भी समाप्त हो सकता है यह मेरे निजी विचार हैं । किन्तु हमें नियम बनाने चाहिए । हमें एक सामान्य मंच तैयार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सामाजिक बुराई समाप्त हो जाए । जब हम गांवों में जायें तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम ईश्वर की सन्तान हैं तथा हमें सबको बराबर समझना चाहिए । यदि हम लोगों को यह संदेश दें तो जाति संघर्ष समाप्त हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं तथा अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, सबसे पहले मैं के० बी० आर० चौधरी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में चर्चा करने का अवसर दिया । जाति संघर्ष के साथ जो चिन्ता

उन्होंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जतलाई है, उसके सम्बन्ध में मैं संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो इस देश में इन दिनों जाति संघर्ष का होआ खड़ा किया जा रहा है। जिस पैमाने पर जाति संघर्ष है नहीं उस पैमाने पर जाति संघर्ष की बात की जा रही है।

5.26 म० प०

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक जमाना था जब कुछ जातियों के बारे में ही लोग जानते थे और उनकी जातीयता ही लोग देखते थे। शिक्षा के प्रसार के साथ, नौकरी में कुछ हद तक जगह मिलने के कारण, राजनीति में जगह मिलने के कारण कई अन्य जातियां पिछड़े वर्गों में भी अनुसूचित जातियां और जनजातियों में कुछ हद तक आगे बढ़ीं। परिणामस्वरूप हाई कास्ट के सामने कई अन्य जातियां भी आले लगीं। परिणाम यह हुआ कि वर्ग विशेष के द्वारा यह हौवा खड़ा किया गया कि जाति संघर्ष हो रहा है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आजादी मिली थी उस समय किस जाति का प्रतिशत सरकारी नौकरियों में कितना था, हिन्दुस्तान के मशहूर पत्रकार खुशवन्त सिंह जी ने कुछ महीने पहले कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक "संडे" में एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी और उसमें उन्होंने आंकड़े दिए थे। उसमें बतलाया था कि आजादी के पहले किस वर्ग का कितना प्रतिशत सरकारी नौकरियों में था। मैं पूरे आंकड़े यहां उद्धृत नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक जाति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले जाति का प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में तीन प्रकाशित था और वह आंकड़े उन्होंने 1984-95 साल के दिए थे, उस समय तक उस जाति की केन्द्रीय सेवाओं में भागीदारी हो गई 63 फीसदी। अब आप कल्पना करिए जातिवाद की जो बात करते हैं, जातिवाद को कहां से बढ़ावा मिलता है, जाति का आधार क्या है ? जब जाति को आप खत्म करना चाहते हैं तो जातियों के खिलाफ बोलने से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान की समाज व्यवस्था में जाति एक सच्चाई है, वह चाहे जितनी भी बात कह लें। कालांतर में ही सही, पहले पेशे के साथ जाति जुड़ी थी लेकिन जन्म के आधार पर जातियों की पहचान बन गई है। जातियां चलती हैं, शादी विवाह से। एक तो जन्म से जातियों की पहचान होती है और जातियां इस समाज में शादी विवाह से चल रही हैं, और कोई दूसरा आधार नहीं है। यहां सदन में हम सवा पांच सौ सदस्य बैठे हुए हैं। इसमें से कितने लोगों ने अन्तर्जातीय विवाह किया। पूरे समाज पर नजर दौड़ायेंगे तो पायेंगे कि जातियों के अन्दर ही शादियां हो रही हैं लेकिन हम इस सच्चाई को नकार देते हैं कि जाति है ही नहीं।

कुछ लोग कहते हैं कि जाति का बावेला खड़ा कर दिया, मंडल कमीशन को लाकर वरना हमारे बच्चे जाति को भूल गए थे। मैं नहीं जानता उनके बच्चे किस प्रकार जाति को भूल रहे हैं, लेकिन शादी की बात होनी है तो हम अखबारों में विज्ञापन देखते हैं और मैटरिमोनियल कालम देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें साफ-साफ लिखा रहता है कि फलां जाति का वर और वधु चाहिए। इससे पूरे देश का नक्शा सामने आ जाता है। कहने की बात यह है कि यह हमारी हिप्पोक्रसी है, करते हैं जाति में लेकिन बोलने में कहते हैं कि जाति से मतलब नहीं है। जातियों के खिलाफ बोलने से काम नहीं

चलेगा क्योंकि जातियों के खिलाफ और लोग भी बोलते रहे हैं वे भी जो आजादी के पहले तीन फीसदी सरकारी नौकरियों में थे, आज वे 63 फीसदी हो गए हैं।

शास्त्री जी ने इस पर बखूबी चर्चा की और कई सेवाओं की चर्चा उन्होंने कर दी। जितने भी बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वे ही जातिवाद के खिलाफ अखबारों में लिखते हैं और सब जगह विवाद में भाग लेते हैं लेकिन बहस से ही काम चलने वाला नहीं है।

आजादी के बाद सबसे पहले डाक्टर अम्बेडकर ने इन बातों का जिक्र किया। उसके बाद आजाद भारत में कोई सबसे बड़ा आदमी पैदा हुआ है, तो उसका नाम है डा० राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा, जाति ऐसे नहीं टूट सकती, जाति को तोड़ना पड़ेगा और इन दो कारणों को उन्होंने तलाशा कि जन्म से जाति आती है और जारी है शादी और ब्याह से। इसको तोड़ने की बात कही चौधरी चरण सिंह ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, जो बाद में देश के प्रधान मन्त्री भी बने। चौधरी चरण सिंह ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अगर सचमुच पण्डित नेहरू जी, आपकी जाति तोड़ने में आस्था है, विश्वास है, आप जाति तोड़ना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन कर दीजिए और कह दीजिए कि एक नम्बर की नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो अन्तर्जातीय शादी करेंगे। आप उनके लिए आरक्षित कर दीजिए कि एक नम्बर की नौकरी उसी को मिलेगी जो अन्तर्जातीय शादी करेंगे लेकिन पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उसका जवाब दिया कि शादी-ब्याह एक निजी मामला है, हम कानून के तहत इसको किसी बन्धन में नहीं डाल सकते। यह बड़ा अजीब तर्क है।

मैं दो तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूं। बहुत आसानी से लोग इन बातों को कह देते हैं। बाबूजी के नाम से जाने गए बाबू जगजीवन राम जी हमारे बिहार के थे, इतने एफिसिएण्ट, इतने कुशल प्रशासक थे, उनका नाम था, इतने ओजस्वी वक्ता थे कि उनके जैसे कांग्रेस पार्टी में वक्ता नहीं थे, लेकिन अनुसूचित जाति से आते थे। बिहार में एक शहर गया है, वहां के प्रतिनिधि राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं, वहां उनके नाम से जगजीवन राम कालेज खुला तो सवर्ण लोगों ने कहा कि यह चमरा कालेज है, चूंकि बाबू जगजीवन राम की जाति को हमारे यहां चमार कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में जाटव कहते होंगे, कहा कि चमरा कालेज है। शास्त्री जी ने जिक्र किया, डा० सम्पूर्णानन्द, जो खुद समाजवादी थे, विचार से समाजवादी थे, कांग्रेस पार्टी में चले गए, सी० एम० पी० के बाद, जब उनकी मूर्ति का अनावरण बाबू जगजीवन राम जी ने किया तो उनकी मूर्ति का जब बाबू जगजीवन राम जी ने अनावरण किया तो उसको गंगाजल से धोया गया, यह इस देश में हुआ है और हम इसको झुठला नहीं सकते, इसको भुला नहीं सकते, जबकि सम्पूर्णानन्द जी खुद शूद्र थे, कायस्थ थे और कायस्थों को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है, इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा। इसको सही ढंग से चुनौती देने का काम किया था, बाबू जगजीवन राम ने 1977 में काका कालेकर आयोग के सवाल पर और बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तो उस समय जनता पार्टी में एक विवाद शुरू हुआ था, वह उस विवाद की चपेट में आई थी, उस समय बाबू जगजीवन राम तर्क दिया करते थे और सारे लोगों ने तर्क दिया था, पाणिग्रही जी चले गए, वे होते तो मैं उनसे पूछता एक सवाल कि आज अगर किसी शहर में छोड़ दें गांव में यह पता चल जाए, यह कहते हैं कि आगे बढ़ो, अवसर मिलना चाहिए, कोई अगर खाने का होटल खोल ले···मैं तीन मिनट में घड़ी देखकर समाप्त कर दूंगा।···तो मैं चुनौती देता हूं कि लोगों को यह पता चल जाए कि यह चमार

का, अनुसूचित जाति के आदमी का खोला हुआ होटल है और कोई उस होटल में खा ले, शायद ही कोई क्रांतिकारी होगा, सवर्ण जाति का, जो उसके यहां जाकर खा ले इसलिए आज वह होटल भी नहीं चला सकते ।

अगर कोई दरोगा बनकर, थानेदार बनकर, एस०पी० बनकर और कलेक्टर बनकर चला जाए, कहीं किसी बाबू साहब के घर में, किसी पण्डितजी के घर में, किसी ऊंची जाति वाले के घर में, तो फिर उस कलेक्टर को, कप्तान को और थानेदार को बिठाने के लिए कहां बिठायें, कहां उठायें वाली स्थिति हो जाती है। घर के अन्दर जो सबसे बेहतरीन खाट है, घर के अन्दर जो सबसे बेहतरीन कुर्सी है, उस पर उसको बिठाया जाएगा । मतलब उस वक्त जाति खत्म हो जाती है जब जाति के साथ कलम की ताकत और ओहदे की ताकत आ जाती है इसलिए जाति को तोड़ना है तो ओहदे की ताकत और कलम की ताकत उनको देनी पड़ेगी, इससे हम बचकर नहीं निकल सकते । वही चमार अगर होटल चलाएगा तो उसके होटल में कोई सवर्ण खाना खाने नहीं जाएगा लेकिन वही चमार अगर थानेदार के रूप में या कलेक्टर के रूप में और एस० पी० के रूप में किसी के घर में जाएगा तो कहां उठाएं, कहां बिठाएं का नजारा उसके घर में होगा इसलिए ताकत है तो कलम में है और जाति को तोड़ना चाहते हैं, जातीय संघर्ष से बचना चाहते हैं तो जो दबाई हुई जातियां हैं, सताए हुए लोग हैं तो उन्हें अवसर देना होगा और विशेष अवसर देना होगा ।

समान अवसर देने की बात तो बड़ी आसानी से कह देते हैं लेकिन एक लंगड़े और स्वस्थ आदमी को कह दीजिए, दौड़ जा बेटा, जो दौड़ में आगे आ जाएगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। एक लंगड़ा आदमी और एक स्वस्थ आदमी एक साथ दौड़ में भाग नहीं ले सकते । लंगड़े आदमी को दौड़ाना होगा तो विशेष अवसर देना होगा, उसके लिए अलग से पाइण्ट का सिलसिला तय करना पड़ेगा कि यह कितनी दूर तक दौड़ेगा तो इसकी दौड़ मानी जाएगी इसलिए उसको विशेष अवसर देना होगा । यही कहा डा० अम्बेडकर ने, यही कहा डा० लोहिया ने और लोकनायक के नेतृत्व में जब बिहार का आन्दोलन चल रहा था, इस पक्ष के लोग भी उसमें शामिल थे, वे जब एक जगह गए, बिहार में बेगूसराय में तो कुछ लोगों ने उनको जनेऊ और फूल दिए तो उन्होंने कहा, मैं तो शूद्र था, वह जन्म से कायस्थ थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, फूल मैं रख लेता हूं । जनेऊ उन्होंने लौटा दिया और उसी समय उन्होंने जनसभा में एलान किया कि जनेऊ जाति का प्रतीक है, इसको तोड़ो तो हजारों जनेऊ उनके कदमों के ऊपर गिरे और सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन के द्वारा, हालांकि हमारे आन्दोलन में भी कई तरह के लोग थे, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जे० पी० को समझाने लगे, लेकिन जे० पी० माने नहीं । जेल के अन्दर वे लोग जनेऊ पहनाने लगे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जनेऊ तोड़ो । जाति तोड़ने वाले को, अन्तरजातीय शादी करने वाले को पुरस्कृत नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो जातियां नहीं टूटेंगी । जातियों की इस प्रथा को तोड़ना है तो आपको कलम की ताकत देनी होगी, ओहदे की ताकत देनी होगी, वरना जातियां नहीं टूट सकती हैं ।

मैं इस सदन के माध्यम से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके मरणोपरान्त 1977 में उनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि जो अन्तरजातीय शादी करेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा । आज बिहार में यह योजना लागू है, जो अन्तरजातीय शादी करता है, उसको

पुरस्कृत किया जाता है। हमारे कल्याण मन्त्री जी यहां सदन में बैठे हैं जवाब देने के लिए, हम लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वे भी उस पीड़ा को झेल करके आए हैं। कांग्रेस पार्टी में लगातार संघर्ष करते हैं, हम लोगों को मालूम है और हम लोग बाहर से उनके प्रति सहानुभति रखते हैं। इस प्रकार के लड़ने वाले तमाम लोगों के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं। माननीय पटेल साहब, लाल टोपी लगाकर बैठे हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति रहती है, क्योंकि वे तो हम लोगों के परिवार के हैं। समाजवादी आन्दोलन से वे वहां गए हैं, इसलिए हम लोगों की सहानुभूति रखते हैं। हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे एक नई चीज की शुरुआत करेंगे, नम्बर-एक की नौकरियां और आरक्षण की तमाम बातों से अलग हट कर अगर आप यह कर देते हैं कि नम्बर-एक की नौकरियां क्लास-वन सर्विसेज में हम उसी को देंगे, जो जाति तोड़ कर शादी करेगा। इससे हम समझते हैं कि यह जो बहस निकल पड़ी है, उसको समाप्त किया जा सकता है और नए सिरे से जाती को तोड़ने का काम हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम समय को 25 मिनट के लिए और बढ़ा सकते हैं ? पांच सदस्यों को और बोलना है। आज ही मन्त्री महोदय को भी उत्तर देना है। अतः यदि प्रत्येक सदस्य 3 से 5 मिनट का समय लेते हैं तो मैं समझता हूं यह पूरा हो जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम समय को 25 मिनट तक के लिए और बढ़ा लेते हैं। जिन सदस्यों को बोलना है, वे हैं : श्री प्रेमचन्द राम, श्री मदन लाल खुराना, श्री गोपीनाथ गजपति, श्री ब्रह्मानन्द मण्डल तथा श्री अयूब खान। यदि प्रत्येक सदस्य तीन मिनट लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हम इसे समाप्त कर लेंगे क्योंकि हमने काफी अधिक समय बढ़ा लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, श्री चौधरी जी, को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे सदन को सचेष्ट करने की कोशिश की है कि जाति-प्रथा समाज के लिए कलंक है, जहर है और इस प्रथा के रहते हुए कोई भी बच नहीं सकता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाति-प्रथा का एक बहुत लम्बा इतिहास है। जांत-पांत का इतिहास पहले नहीं था, समाज के लोग परिस्थितिवश एक साथ रहते थे, और मिलजुल कर कमाते थे और खाते थे। सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जाति-प्रथा को पैदा करने में बेईमानी हुई है। यह बेईमान लोगों की एक उपज है और यह बुद्धिजीवियों द्वारा पैदा की गई। समाज व्यवस्था में भी दो वर्ग हैं, एक बुद्धिजीवी और दूसरे श्रमजीवी। श्रमजीवियों का कैसे शोषण किया जाए, क्योंकि श्रम करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, मेहनतकश लोगों की संख्या अधिक थी, इस पर अधिक ध्यान दिया गया। मुट्ठी भर लोग जिनके पास बुद्धि थी, उन्होंने सोचा कि कैसे इस बड़े समुदाय को, कैसे लगातार बढ़ रहे श्रमजीवियों को बांटा जाए और

दबाया जाए। उनके सामने एक ही उपाय था और वह यह था कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बांटा जाए। उन्होंने सोचा—चमड़े का काम करने वाले को चमार कहो, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहो, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहो और जो कपड़ा साफ करता है, उसको धोबी कहो। जो गन्दा करता है वह पवित्र हो जाता है और वह बड़ा जात का हो जाएगा, लेकिन जो गन्दगी को साफ करने वाला है वह धोबी और अछूत कहलाता है। इसकी चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है कि भंगी प्रथा को समाप्त करना चाहिए। हम पखाना कर दें, पेशाब कर दें और उसको वे लोग उठा करके साफ करते हैं और उसको साफ करने वाले अछूत हो जाते हैं, लेकिन इस प्रथा को अभी तक समाप्त नहीं किया गया है। आज जो लोग साफ करते हैं वे तो अछूत कहलाते हैं और जो लोग गन्दा करते हैं वे ऊंचे हो जाते हैं।

मान्यवर, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश और दुनिया के लोग इस ओर सोच रहे हैं, अब ये और ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, अब इसको समाप्त किए बिना समाज में स्वच्छता नहीं आ सकती। हमको उन लोगों को तरजीह देनी पड़ेगी जो काम करता है, जो मेहनत करता है और जो इस समाज में बोझ है, जो और लोगों को भी लेकर के चलता है, वे यही काम करने वाले लोग हैं जिनको इस समाज ने जाति का नाम दे दिया है और उस जाति का जो रंग है वह इतना भयावह है कि वह पूरे समाज को नष्ट कर देगा। इसलिए वक्त रहते मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर गम्भीरतापूर्वक शीघ्र ही ध्यान दिया जाए। केवल कथनी से तो कुछ नहीं होना है, इसको करनी में बदलने की जरूरत है और अगर हम इसको करनी में नहीं बदलेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। इस सदन में रोज आतंकवाद, विधि-व्यवस्था की चर्चा होती है लेकिन होता कुछ नहीं है, जाति के बारे में भी कई बार इस हाउस में चर्चा हो चुकी है लेकिन इस पर भी कुछ नहीं होता है। यह जो जाति-प्रथा का सवाल है यह उससे जुड़ा हुआ है और एक-दूसरे के पूरक है। सिर्फ जाति कह देने से नहीं, बड़ी जाति के लोगों में जो ब्राह्मण हैं उनमें भी अमीर और गरीब हैं। आज तो यह हालत हो गई है कि इनको दाना भी नहीं मिलता है लेकिन ऊपर के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो धनवान हैं, जो ब्राह्मण में धनवान हैं, जो राजपूत में धनवान हैं या जो और जातियों में धनवान हैं उनका इस्तेमाल करने वाले उनको जबरदस्ती फारवर्ड कहते है, जबरदस्ती बैकवर्ड कहते हैं और वह कोल्हू की बैल की तरह से उसके पीछे-पीछे चल रहा है क्योंकि उसके पास तो शिक्षा है, बुद्धि है, ये परिस्थितियों की उपज है। एक जमाना था जब वह काम करता था तो उसको खाना मिलता था लेकिन अब महंगाई हो गई है, अब वह काम करता है तब भी उसको खाने को नहीं मिलता है। अब उसका क्या होगा, क्या फैसला वह लेगा। आज उसको दृष्टिगोचर हो रहा है कि हमारे जो शोषक हैं वे हमारे ही आदमी हैं।

आज बड़ा बैल छोटे बैल को, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है और ऐसे ही आज एक जाति ही दूसरी जाति का शोषण करती है। इसलिए आज जातियों के अन्दर भी लड़ाई फैल रही है। अगर कोई गरीब लड़की है तो उसकी शादी भी, उसी की जाति में गरीब लड़के के साथ ही होगी, तो जाति का इस्तेमाल कहां रह जाता है। आज राजनीति में और धर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज गरीबों की सख्या बहुत बड़ी है, मुट्ठी भर लोग एक तरफ हो जाएंगे, इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। इस रूप में समाज का वर्गीकरण होना चाहिए और जो श्रम विभाजन हुआ था, आज जो परिवार चमड़े का काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको भी जबरदस्ती चमार कहा जा रहा है। आज उसके पास बुद्धि आई है वह नौकरी कर रहा है, वे ऊपर जा रहा है लेकिन तब भी

लोग उसको चमार कहते हैं। आज जिसने लकड़ी का काम छोड़ दिया उसको बढ़ई कहते हैं। अब ये रिश्ते, सम्बन्ध पुराने पड़ रहे हैं इसलिए इसको खत्म करना चाहिए।

अति का अन्त होता है और अब इसका अन्त हो चला है। हम यहां पर चिन्ता कर रहे हैं इसको अभियान के तौर पर चलाया जाए, अगर आन्दोलन के तौर पर चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका खात्मा होगा, सारे देश के, समुदाय और सारे विश्व के लोगों को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चार और सदस्यों को बोलना है। मान लीजिए सभी को अनुमति दे दी जाती है तो मैं समझता हूं कि हमें घण्टे की आवश्यकता और पड़ेगी। हम इस संकल्प के लिए पहले ही दो बार समय बढ़ा चुके हैं। यदि आप सब चाहें तो मैं मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूं क्योंकि हम वास्तव में दो या तीन के समय का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सभी निवेदन व्यर्थ हैं। यदि आप वास्तव में दो-तीन मिनट का ही समय लें, तो ठीक होगा। ऐसा न होने की स्थिति में, हम समय को और अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं।

अब मैं श्री मदन लाल खुराना को आमन्त्रित करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि अपने भाषण को तीन मिनट में पूरा कर लें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 43 वर्षों के बाद इस सदन के अन्दर जातीय संघर्ष को समाप्त करने की बात की जा रही है, इस पर चिन्ता प्रकट की जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि जाति-संघर्ष को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इस चर्चा के अन्दर 542 सदस्यों में से कितने लोग उपस्थित हैं, इसका पता चल रहा है। अभी-अभी कावेरी पर चर्चा के लिए कुछ माननीय सदस्य आ गए हैं, लेकिन इससे पहले संख्या बहुत कम थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 43 वर्षों के अन्दर जो होना चाहिए था, वह हुआ नहीं है, लेकिन हमने कुछ शब्दों को कायम कर दिया है। समाजवाद आएगा, गरीबी हटेगी, जात-पात हटेगी, ये नारे हमने कायम कर दिए, लेकिन सबको मिलकर जो धावा बोलना चाहिए था, वह नहीं बोला। संघर्ष की नौबत क्यों आई, शान्तिपूर्ण क्रांति से भी यह काम हो सकता था। जैसे अर्थ-व्यवस्था के अन्दर शान्तिपूर्ण क्रान्ति आ सकती है, वैसे ही जाति-प्रथा के अन्दर भी आ सकती है। जाति प्रथा का जहां तक सवाल है, जब थ्यूरी यह क्रिएट हुई कि जन्म के आधार पर व्यक्ति की जाति निर्धारित होगी, तब वह समस्या पैदा हुई। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में यह नहीं था। इस बारे में मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा और वह रामायण के बारे में है। रामायण के बारे में बहुत लोग कहते है कि इसमें जात-पात है। आप देखें भगवान राम के बनवास के दौरान शबरी, मल्लाह और बानरों की सहायता ली, शेड्यूल कास्ट लोगों ने उनकी सहायता की और लड़ाई उन्होंने ब्राह्मण से लड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने ऐसा

कार्य कर दिया था जो बुराई का कार्य था, पाप का कार्य था, उस पाप को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण से लड़ाई लड़ी और सहायता किससे ली, शेडयूल कास्ट और ट्राइब्स से। उसके बाद जब राजगद्दी मिली तब भी एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी तक को त्याग दिया, इतनी महत्ता उन्होंने दी और फिर सीता जी जब गयी तो वाल्मीकि की शरण और संरक्षण में रहीं। तो मेरा कहना यह है कि इतिहास देखें तो पता चलता है कि उस समय जाति को न मानकर जो विद्वान और रक्षक थे, उनके सहारे लड़ाई लड़ी। आज यह जो काम हुआ है यह स्वार्थ के लिए हुआ है। बीच में ऐसा युग आया कि कुछ वर्गों ने, ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रथा को बनाया और जाति-प्रथा शुरू हुई। लेकिन आजादी के 43 वर्ष के बाद हम यहां पर जाति प्रथा पर चर्चा करें, उसके कारण जो संघर्ष हो रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जब तक इस देश के अन्दर छुआछूत रहेगी, तब तक जातिप्रथा समाप्त नहीं हो सकती। इस छुआछूत को समाप्त करना चाहिए।

रिजर्वेशन की बात की गयी। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और मैं यह बात कोई आज नहीं कह रहा हूं, इनका आन्दोलन तो आज हुआ, 89 में शुरू हुआ, इससे पहले चुनाव मेनीफेस्टो में बी० जे० पी० ने इस बात को कहा था और 1984 में बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर ने फारमूला बनाया, उस समय वहां बी० जे० पी० की कोल्यूशन गवर्नमेंट वहां पर थी। (व्यवधान) दोनों ने मिलकर यह फार्मूला बनाया था। (व्यवधान)

कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी ठाकुर ने मिलकर यह बनाया... (व्यवधान)... मेरा कहना है कि इस आन्दोलन से पहले, जिसका ये दावा करते हैं, हमने अपने मैनीफैस्टो में साफ कहा कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो अति बैकवर्ड हैं उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर भी कुछ होना चाहिए। अभी लंगड़े की बात आयी। जो लंगड़ा होगा वह क्या शेडयूल्ड कास्टस का ही होगा? जो लंगड़ा है, जो अति गरीब है वह दूसरी जाति का भी हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप रिजर्वेशन करिए, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। 42 साल हो गए हमको यह सुनते-सुनते, नारे करते-करते।

मैं यह मांग करूंगा, मिनिस्टर साहब यहां हैं, अभी बात की गयी कि केसरी साहब बहुत प्रगतिवादी हैं और पिछड़े वर्गों का कल्याण चाहते हैं। कोई चुनाव का फार्मूला बनता होगा, इसलिए हैं। अगर ये सही मायने में हैं, अगर सरकार सही मायने में पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग का भला करना चाहती है और जाति के भेद को मिटाना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि ये श्वेत-पत्र जारी करें। 42 सालों में कहां-कहां गलतियां हुई हैं और अगले 5-10 सालों में पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या करना चाहते है। कोई टाईम बाउण्ड कार्यक्रम इस सदन के सामने आना चाहिए। वह लेकर आएं और श्वेत पत्र जारी करें। तब मैं समझूंगा कि सरकार सीरियस है। 42 सालों के बाद कोई प्रस्ताव आ रहा है और 10 लोग सुनने वाले हैं, यह टाक्डआउट हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप एक श्वेतपत्र जारी करिए। इस देश में क्या हालत है शेडयूल्ड कास्टस की और उसको हल करने के लिए क्या-क्या आप कदम उठा रहे हैं, कहां गलती हुई है, उसको हल करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बताइए। तब मैं मानूंगा कि सरकार सीरियस है। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास सात से दस मिनट तक का समय है । हमने इस चर्चा के लिए दो घण्टे निर्धारित किए थे और हम उससे ज्यादा समय ले चुके हैं । कई विधेयक भी बकाया हैं । छह बजे हमें कुछ अन्य विषयों पर विचार करना हैं । अतः क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध कर सकता हूं ?

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : मान्यवर, मैं सर्वप्रथम श्री चौधरी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंसे यह प्रस्ताव लाकर सदन का ही नहीं, देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जाति प्रथा ने इस देश का, इस समाज का और सामाजिक समरसता पर जो प्रहार किया है, उसका इतिहास बड़ा घिनौना है । दूसरी बात, बड़े कष्ट के साथ इस बात को आपके सामने रखना पड़ता है कि किस तरह से इस देश में जाति व्यवस्था के आधार पर इन्सान और इन्सान के बीच में गहरे मतभेद रखे गए । जिसकी वजह से जो देश की प्रगति होनी चाहिए, वह प्रगति नहीं हो पाई ।

इसके बावजूद अभी खुराना साहब ने यह कहा कि चालीस वर्ष बाद भी लोकतन्त्र की दुखद पृष्ठभूमि यह है कि जातियां सिर नहीं उठाती हैं और उससे दुखद बात यह है कि समाज का जो कस्टोडियन है और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में अपनी राय और अपने बौद्धिक विचारों को देश के सामने प्रस्तुत करता है, वे भी इससे मुक्त नहीं रहे हैं । महान-महान विभूतियां इस देश में आई हैं जैसे महर्षि वाल्मिकी आए । आपने तुलसीदास की और रामायण की चर्चा की । मैंने नहीं पढ़ा कि भगवान राम कभी रथ पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन आपने चढ़ा दिया । मैंने भी रामायण पढ़ी है ।··· **(व्यवधान)** पहले मेरी सुन लीजिए । भगवान राम रथ पर अयोध्या से नहीं गए । आपने रथ पर चढ़ाकर जो सौदा किया तो वह भी एक जाति का प्रतीक है ।··· **(व्यवधान)** जो खुराना जी ने कहा, मैं वहीं बता रहा हूं । जातियां विभिन्न मलियों से, मार्गों से और बौद्धिक दृष्टि से किस तरह से काम करती हैं और चालाकों का सबसे बड़ा अस्त्र यह है कि समाज को अन्ध-विश्वास में रखकर उसका शोषण किया जाए ।··· **(व्यवधान)** ऋषि-मुनि आए, राम मोहन आए, गांधी आए और डा० अम्बेडकर आए जिन्होने इस पर प्रहार किया तथागत भगवान बुद्ध पर भी प्रहार किया । **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : डा० अम्बेडकर को कांग्रेस ने हरा दिया । **(व्यवधान)**

श्री सीता राम केसरी : जातियों की आड़ में बहुत सारी चीजें होती हैं । सभी जाति प्रथा उन्मूलन चाहते हैं, हम भी और आप भी चाहते हैं । लेकिस किनके दिल में जाति प्रथा उन्मूलन की सच्ची भावना है, इसको देखने की आवश्यकता है । अन्ध-विश्वास भी इससे जुड़ा हुआ है ।

इस बात का दुख है कि दोनों तरफ से जाति प्रथा की बात होती है और सबसे दुखद चैप्टर या पृष्ठभूमि यह बनती है कि आपने आरक्षण के सम्बन्ध में कहा । नीतीश जी ने ठीक कहा कि आरक्षण अनिवार्य था । यह क्यों था ? यह दो तरह से हो सकता है । समाज का एक अंग ठीक नहीं है तो समाज सम्पूर्ण नहीं बन सकता । इसी तरह एक व्यक्ति नहीं बन सकता जब . क उसके अंग सम्पूर्ण नहीं हैं ।

अगर समाज का कोई भी अंग विकलांग हो तो सम्पूर्ण समाज नहीं बन सकता। इस मामले में दो विचार नहीं हैं। इस देश में गांधी जी और डा० अम्बेडकर जैसे अनेक विचारधारक आए। डा० अंबेडकर की विचारधारा थी कि उपेक्षित और संघर्ष के बीच में उनकी जो अनुभूति उत्पन्न हुई उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के प्रावधान की बातें कहीं। गांधी जी की दया और सहानुभूति के आधार पर आरक्षण की भावना का फायदा हुआ, यह 1925 में पूना-पैक्ट में आरक्षण आया।

6.00 म० प०

जो आप कह रहे हैं कि डा० अम्बेडकर को आपने, हमने या किसी ने हरा दिया, चुनाव की प्रक्रिया अपनी जगह पर है। यहां विचारों के सम्बन्ध में बातें हो रही हैं, यहां प्रथा के सम्बन्ध में बातें हो रही हैं। आज डा० अम्बेडकर रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं। आज डा० अम्बेडकर की चर्चा अनिवार्य है। उन्होंने जाति-प्रथा पर, सामाजिक त्रुटियों पर और समाज के विकलांग अंगों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, आज वे प्रासंगिक हैं इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। सबसे आवश्यक बात यह है कि जो आज देश के सामने परिस्थिति है, हमें देखना होगा कि किस खाई में हम जा रहे हैं। जाति-प्रथा, सामाजिक दुर्बलता, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक तनाव, साम्प्रदायिक तनाव से क्या हम देश को अखण्ड रख सकते हैं। नहीं, कभी नहीं रख सकते। देश की अखंडता अगर बरकरार रखनी है तो इसके प्रति हमें अपनी प्रतिबद्धता रखनी होगी जो कि अनिवार्य है और समानता का, सामाजिक समरसता का रास्ता लाना होगा। बिना सामाजिक समरसता के देश की अखण्डता की बात भी नहीं की जा सकती।

इसलिए मैं चौधरी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे को देश के सामने लाकर देश का ध्यान आकर्षित किया। आरक्षण के बारे में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां हमारे मित्रों ने इस प्रश्न को उठाया है। नीतीश कुमार जी ने और विश्वनाथ जी ने भी कहा कि आरक्षण के दो प्रावधान रखे हैं। हमने आरक्षण के दो प्रावधान रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि आर्थिक प्रावधान जो गरीबों में गरीब है उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उसी जाति में जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसे भी उबारा जाये। इसका भी विशेष अर्थ है। जाति व्यवस्था इतनी भयंकर और उनकी पारिवारिक व्यवस्था इतनी भयंकर है कि जो भी एम० पी०, कलेक्टर या एस० डी० ओ० होता है वह अपने सम्बन्धियों को वहां तक नहीं आने देना चाहता और नहीं चाहता कि गरीब लोग यहां आयें। इसलिए यह अनिवार्य था कि ऐसा प्रावधान रखा जाए कि जो उनमें गरीब हैं उनको पहले दिया जाए और उसको पहले लाभ मिले, यदि उसमें उम्मीदवार न हों तो उसी समाज में उसका लाभ रहेगा। यह साफ है। काका कालेलकर क्यों आए, क्योंकि उनमें समाज के विकलांग अंगों की अनुभूति रही और गांधी जी के समय में भी यही अनुभूति रही। गांधी जी ने भी कहा कि समाज में कुछ लोग समाज पर अपना आधिपत्य चाहते हैं और इसके ऊपर गांधी जी ने भी प्रहार किया। जिस समय गांधी जी ने यह कहा कि अछूत तो हरिजन हैं। इसके दो अर्थ थे। एक तो यह कि सवर्ण जाति के लोगों तुम इनको अछूत समझते हो, ये भगवान की देन हैं, इसके पीछे उनकी इन सवर्ण लोगों के प्रति भर्त्सना थी जिन्होंने समाज के इस अंग को अपने से अलग रखा।

मैं विशेष समय नहीं लेते हुए सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। विशेषकर चौधरी जी को बधाई देता हूं जो यह प्रस्ताव लाए और समाज का, देश का तथा

सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यह इस देश के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और इस देश के ऊपर तथा समाज के ऊपर यह कुरीति सबसे बड़ा कालिमा का धब्बा है, इसको दूर करना चाहिए। मगर मुझे गहरा संदेह है जिन्हें दूर करना है वे बड़े चालाक हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं और वही बोल बोलते हैं। इससे समाज का वह अंग कराहता है। ये भी कराहते हैं, लेकिन इनके और उनके कराहने में बहुत बड़ा अन्तर है। इसको महसूस करते हुए सरकार कास्ट लैस एण्ड क्लास लैस सोसाइटी के प्रति प्रतिबद्ध है, इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हैं। भले ही हम एक दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना करें, जहां तक मंशा का सवाल है एक बार नहीं, अनेक बार हमारे प्रधान मन्त्री ने इस सदन में और लालकिले से यह घोषणा की है कि हम इस तरह की सामाजिक व्यवस्था समाज में लाना चाहते हैं जो सामाजिक दुराव है उसको दूर किया जाए। इसलिए समाज में समरसता के प्रति हमारी कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : आप सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सीता राम केसरी : यह 26 जनवरी से पहले जा चुकेगा। यह निश्चित रूप से घोषित किया गया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, इसकी नीयत साफ है ?

श्री सीता राम केसरी : मान्यवर, इस मुद्दे पर सभी दलों में विभेद भी है और भेद भी है, एक मत भी हैं, इस तरफ के दल, उस तरफ के दल सभी इस सम्बन्ध में गहरा सम्बन्ध रखते हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : जो जहां है, वह ठीक है।

श्री मदन लाल खुराना : आपके 1989 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो के रिज्योल्यूशन में रिजर्वेशन की बात नहीं थी।

श्री सीताराम केसरी : शायद खुराना जी को पता नहीं कि काका कालेलकर कमीशन किसलिए बनाया गया था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि 1950 में पंडित जवाहर लाल नेहरू इसी सदन में संविधान की धारा 15(4) के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लाए थे और संशोधन के द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, उनका आरक्षण का प्रावधान रहेगा। हम तो आजादी की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं जबकि आप केवल 1989 की बात कर रहे हैं और तभी से 1950 से ही सारे प्रदेशों में लागू कर दिया।

6.07 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस जात-पांत के उन्मूलन के लिए हमारी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता है, हम भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि सामाजिक समता आवश्यक है और सामाजिक विषमता का अन्त होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है, आज नहीं होगा तो लैप्स हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार देखेंगे।

———

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

(दो) कावेरी जल-विवाद (जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देव गौड़ा।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : महोदय, अब मेरी बारी है। मैं पहले से ही खड़ा था।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले पर इस महान सभा में पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। पिछले दो दशकों में इस मामले को कई बार उठाया गया और चर्चा हुई तथा कभी भी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। तीन दिनों पहले न्यायाधिकरण द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के बाद से ही कर्नाटक राज्य में काफी प्रतिक्रिया हुई है और आज पूरा प्रांत आक्रोश में जल-उबल रहा है। गोलीबारी में दस लोग मारे गए हैं। आज हम इस विवाद पर दर्द और पीड़ा के वातावरण में चर्चा कर रहे हैं।

चूंकि मैं कावेरी बेसिन के जिले का हूं अतः मैं कावेरी विवाद की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बतलाना चाहूंगा। तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी जल का उपयोग करने वाले दो बड़े पक्ष हैं। कावेरी के जल के उपयोग एवं विकास को इन दोनों राज्यों, यानि पूर्ववर्ती मैसूर राज्य तथा मद्रास प्रांत, आज के तमिलनाडु, के बीच 1892 और फिर 1924 में किए गए समझौते से शासित किया जाता था। 1924 के समझौते में मद्रास प्रांत, यानि आज के मद्रास के लिए कावेरी बेसिन से 3 लाख एकड़ अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था निर्दिष्ट की गई थी। किंतु, कर्नाटक को सिर्फ 2.4 एकड़ तक ही सिंचाई व्यवस्था का विकास करने की अनुमति दी गई। एक तथ्यान्वेषी समिति के अनुसार 1972 तक तमिलनाडु ने और 11.56 लाख एकड़ की सिंचाई व्यवस्था तैयार की है जबकि 1928 से 1971 के बीच कर्नाटक ने सिर्फ 3.68 लाख एकड़ सिंचाई भूमि तैयार की है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन मुद्दों की पुष्टि की जानी चाहिए। कावेरी जल के बंटवारे सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने में ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अतः तमिलनाडु ने 1924 के समझौते में परिकल्पित सिंचाई से कहीं अधिक सिंचाई व्यवस्था का विकास कर लिया है।

एक सिंचाई आयोग भी बनाया गया था और इस आयोग ने भी कर्नाटक के कावेरी बेसिन के

28 ताल्लुक अभि निश्चित किए थे जबकि तमिलनाडु के बेसिन में सिर्फ 14 ताल्लुक अभिनिश्चित किए गए थे। किसी भी निर्णय को लेने के पहले इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना पड़ेगा।

कर्नाटक में जल संग्रहण के लिए पहली बार कृष्ण राय सागर बांध बनवाया गया था। इसका निर्माण 1911 में शुरू किया गया था, किन्तु तमिलनाडु के प्रतिरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था। इसे 1924 तक शुरू नहीं किया जा सका था। इस पहली परियोजना को शुरू करने के लिए उन्होंने हमसे 13 साल इन्तजार करवाया। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत कम यानि 45 टी० एम० सी० ही है। पूरे कर्नाटक में सिर्फ 4 जलाशय हैं जिनमें सिर्फ 93 टी० एम० सी० जल को रखा जा सकता है जबकि तमिलनाडु का एकमात्र मेत्तूर बांध 133 टी० एम० सी० जल संग्रह कर सकता है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद कावेरी बेसिन के सूखा प्रवण क्षेत्रों के कष्टों को दूर करने के लिए कर्नाटक राज्य ने केन्द्र के पास कई योजनायें भेजी थीं। किन्तु, पिछले दो दशकों में केन्द्र ने एक भी योजना को स्वीकृति नहीं दी। इन परियोजनाओं पर कर्नाटक राज्य सरकार ने योजनेतर संसाधनों से धन खर्च किया है। इन परियोजनाओं पर अब तक राज्य सरकार द्वारा 720 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये सारी परियोजनायें पूरी होने को हैं, किन्तु अभी तक इन योजनाओं को भारत सरकार या योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सदस्यों की लम्बी सूची है। आप कावेरी विवाद पर चर्चा कर रहे हैं या कर्नाटक की सिंचाई पर ?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है। आपको बोलने के लिए कम-से-कम 25 मिनट देने चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं, तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम कर्नाटक के सिंचाई की बात नही कर रहे हैं। आप सिर्फ कावेरी विवाद पर बोलिए।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, आपको कर्नाटक में व्याप्त गम्भीर एवं तनावपूर्ण स्थिति को समझना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ज्यादा समय देना चाहिए क्योंकि मैं उसी राज्य का हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कावेरी जल विवाद से सम्बन्धित मामले पर चर्चा के लिए समय दे रहा हूं। आप कर्नाटक राज्य की सिंचाई के बारे में बोल रहे हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : नहीं, महोदय यह केवल कावेरी जल विवाद के बारे में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि बहुत सी योजनाएं लम्बित हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : जी, नहीं। मेरा आशय सिंचाई योजनाओं से था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें। मेरे पास एक लम्बी सूची है। आप लम्बे समय तक नहीं बोल सकते हैं। मैं चार से पांच घण्टे तक के लिए भी बैठने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, वह बहुत हद तक प्रभावित हैं। अतः उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : उपलब्ध अल्प संसाधनों के साथ, कर्नाटक ने इन योजनाओं पर 720 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है। और भारत सरकार द्वारा एक पैसा भी स्वीकृत नहीं किया गया था। स्थिति यह है। भारत सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है।

मैं समूची सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न्यायाधीकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करके कर्नाटक राज्य के साथ आज ही अन्याय नहीं किया गया है, बल्कि यह अठारहवीं शताब्दी से लगातार किया जा रहा है। हम इस उत्पीड़न को सहते रहे हैं। आपने मुझे अभी बताया है, क्या हम इस अन्याय को और सहन कर सकते हैं?

अब मैं न्यायाधीकरण के तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० पानी देने और क्षेत्रफल को 11.2 लाख एकड़ तक सीमित करने के अन्तरिम आदेश की अव्यवहार्यता तथा क्रियान्वयन की योग्यता पर कहना चाहूंगा।

महोदय, इस मामले पर विशेषज्ञों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीकरण के वर्तमान अंतरिम आदेश में कहा गया है। लाखों के बीच सन्तुलन बनाए रखना। यह अतिआवश्यक वाक्यांश है। ऐसा नहीं किया गया है। अतः न्यायाधीकरण के आदेश के अनुसार, हमें 205 टी० एम० सी० पानी देना है। और जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, यदि हम लाभ की सन्तुलन बनाए रखने की स्थिति में नहीं होते, तो क्या होगा?

महोदय, वर्तमान 11.2 लाख एकड़ के लिए हम लगभग 312 टी० एम० सी० पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 1976 और 1977 जैसे खराब वर्षों में मैत्तूर कुण्ड पर बहाव केवल 333 टी० एम० सी० था। वर्तमान अनुबन्धों के अन्तर्गत यदि ऐसे निर्णय को दोहराया जाना है और यदि ऐसा वर्ष दोबारा आता है तब कर्नाटक सरकार के पास केवल 121.71 टी० एम० सी० शेष रहेगा। अतः बहुत खराब वर्षों के दौरान कुल अन्तर्वाह 333.5 टी०एम०सी० था। अन्तरिम आदेश के अनुसार तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० पानी देना है। इस 205 टी० एम० सी० को कम करके केरल के मौजूदा प्रयोग के 3.3 टी० एम० सी० को कम करके और तमिलनाडु के प्रयोग के लिए मैत्तूर डैम पर होने वाले 3.5 टी० एम० सी० पानी को कम करके कर्नाटक राज्य के पास केवल 121.7 टी० एम० सी० पानी रह जाएगा। यह मुश्किल से वर्तमान 312 टी० एम० सी० जरूरत का एक-तिहाई है। तब हम मौजूदा 11.2 लाख एकड़ की सिंचाई करने में सक्षम नहीं होंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर न्यायाधीकरण ने यह फैसला लिया है। अतः यह स्थिति है।

महोदय, विशेषज्ञों ने राय दी है कि तमिलनाडु द्वारा उचित प्रबन्ध के अभाव में लगभग 100 टी० एम० सी० पानी व्यर्थ नष्ट हो जाता है और मुझे सिंचाई मन्त्रालय के तत्कालीन अपर सचिव श्री

सी० सी० पटेल की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल को उद्धृत करने की इजाजत दी जाए—जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि, "इसमें सुधार करके तमिलनाडु द्वारा उपयोग के लिए सिंचाई प्रणाली में 100 टी० एम० सी० से अधिक पानी बचाया जा सकता है"—यह बहुत महत्वपूर्ण है—"पृथ्वी के जल के और अधिक इस्तेमाल के साथ सिंचाई प्रणाली में सुधार और आधुनिकता लाई जा सकती है।"

एक अन्य विशेषज्ञ श्री एस० वाई० कृष्णास्वामी, जो कि एक आई० सी० एस० अधिकारी तथा कृषि मन्त्रालय के एक भूतपूर्व सचिव थे, ने भी यह विचार व्यक्त की थी कि "कावेरी डेल्टा मुख्यतः नई अधिक पैदावार देने वाली धान की दो फसलों की बजाय एक सत्र में से एक फसल के लिए उपयुक्त है और धान की कटाई के बाद योजनाबद्ध तरीके से चना और दालों को उगाया जा सकता है।

उन्होंने आगे भी कहा था कि "डेल्टा में फसलों की आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है" और यदि फसल के पैटर्न को योजनाबद्ध किया जाता है तो इससे कुछ और पानी बचाया जा सकता है।"

आजादी के 45 वर्षों के बाद भी इस देश में समस्याएं, विशेषकर सीमा समस्या, नदी जल विवाद, भाषा समस्या जैसी बहुत सी संवेदनशील समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और ये समस्याएं और भी बढ़ रही हैं और इस देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। पर, इस नदी जल की समस्या के बारे में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय भी हैं और इस माननीय सभा द्वारा पारित कानून या अधिनियम भी है। बहुत से कानून बनाने के बाद भी हम इस मुद्दे को लेकर किसी निश्चित दृष्टिकोण नहीं बना पाए हैं। हमें इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए कि आपको और कितने समय की जरूरत है ? आप पहले हीं 20 मिनट तक बोल चुके हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : नहीं, महोदय। मैंने तो 6.05 म० प० को बोलना शुरू किया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब कितने समय की जरूरत है आपको ? मेरे पास काफी लम्बी सूची है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : दस मिनट और।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट और ?

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों तक के निर्णयों के बाद भी समस्या समाप्त नहीं हुई। हमें इस पर सोचना चाहिए। मैं न्यायालयों के निर्णयों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। न्यायालयों के लिए मेरे दिल में काफी श्रद्धा है तथा न्यायपालिका का मैं आदर भी करता हूं। मैं खुद एक कार्यरत अधिवक्ता था।

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों को छोड़ सकते हैं। मेरे पास बहुत लम्बी सूचि है। दुर्भाग्यवश, मैं दूसरों को बोलने का समय नहीं दे पाऊंगा। कृपया असली मुद्दे पर ही बोलें।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं अब असली मुद्दे पर आ रहा हूं। पर ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर आपको न्यायपालिका के प्रति अपने प्रेम पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत लम्बी सूचि है। कृपया आप मेरी कठिनाई को समझें।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : तब तो आपको इस मंच में बोलने का तरीका निर्धारित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, मुझे करना है। इसके बारे में नियम हैं। कृपया सहयोग करें। इस तरह से नहीं बोलें।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : यहां तक कि संसद ने भी कई अधिनियम बनाए हैं, फिर भी अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका। सरकार ने भी कई न्यायाधिकरण और आयोग बनाए हैं। पर, मुझे यह कहते हुए खेद है कि अभी तक कोई भी मुद्दा स्थाई रूप से हल नहीं हुआ है न ही किसी हल को शांतिपूर्ण ढंग से लागू किया गया। उदाहरणार्थ, रावी-व्यास विवाद में न्यायाधिकरण ने 1987 में ही अन्तिम निर्णय सुना दिया था। फिर भी, अन्तिम आदेश को अभी तक अधिसूचित या लागू नहीं किया गया है। संसद में भी हमने 1956 में अन्तर्राज्यीय विवाद अधिनियम पारित किया है, फिर भी, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्तिम आदेशों को लागू नहीं किया जा सका। हमारी वर्तमान स्थिति यही है। हमें सच को स्वीकार करना होगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे नजरिए में कुछ गड़बड़ है। अब समय आ गया है जब हमें अपने नजरिए को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि कई दशकों से देश में विद्यमान ज्वलंत समस्याओं को हल किया जा सके और देश की अखण्डता और राज्यों के बीच सद्भाव को बनाए रखा जा सके।

इस बारे में मुझे कुछ सुझाव देना है। सबसे पहले, न्यायपालिका को राजनीति के ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि समस्या को हल करने के लिए न्यायालयों का संविधि तथा कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की व्यवस्था करना ही काफी नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे कार्यपालिका को भी राजनितिमत्ता से जोड़ा जाना चाहिए। तीसरे, सत्ता के कर्णधार नेताओं को, चाहे वह देश के प्रधान मंत्री हों या किसी राज्य के मुख्य मन्त्री, ऐसे अवसरों और ऐसे मुद्दों पर राजनेता जैसा काम करना चाहिए। तभी, हम देश के इन मुद्दों का हल निकाल सकते हैं।

माननीय प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हैं। आज पूरा कर्नाटक प्रांत जल रहा है। दर्द और पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज की पुलिस की गोलाबारी में दस से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : ऐसा आपके मुख्यमन्त्री के उकसाने पर हुआ है।

श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति : आपको ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए।

वे संसद सदस्यों और राज्य विधान सभा के सदस्यों के घरों पर भी आक्रमण कर रहे हैं। यदि इस स्थिति को हम अभी गंभीरता से नहीं लेंगे और इसे इसी स्थिति में छोड़ देंगे, तो मैं समझता हूं कि स्थिति सुधरेगी नहीं और बेकाबू हो जाएगी।

माननीय प्रधानमन्त्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें खुद पहल करनी चाहिए तथा इस मामले को तुरन्त हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

मेरे जो भाई-बन्धु तमिलनाडु से आये हैं उनसे मैं उनके ही लाभ के लिए यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका जन्म और लालन-पालन कर्नाटक में ही हुआ था। तमिलनाडु के सदस्यों को भी यह नहीं भूलना चाहिए। (**व्यवधान**) तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री को राजनेता की तरह पहल करनी चाहिए ताकि प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आये।

यह हमारा और हमारे देश का सौभाग्य है कि आज एक वरिष्ठ तथा बहुत ही अनुभवी राजनेता हमारे प्रधानमन्त्री हैं। आपसी-वार्तालाप तथा सर्व-सहमति की उनकी विचारधारा ने कई समस्याओं, यहां तक कि आरक्षण की समस्या का भी सुगमता से बेहतर एवं लाभदायक हल निकाला है। हमें प्रधानमन्त्री पर पूरा भरोसा और विश्वास है। उन्हें अपने प्रभाव का उपयोग करके इस मुद्दे का ऐसा शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए कि दोनों प्रांतों के हित सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : चूंकि प्रधानमन्त्री महोदय, सभा में उपस्थित हैं मैं उनकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि हमने अभी यह खेदजनक समाचार सुना है कि 10 व्यक्तियों से अधिक लोग गोलीबारी में मारे गए हैं और कर्नाटक में सम्पूर्ण कावेरी बेसिन, मांड्या, मैसूर तथा टुम्कुर जिले आक्रोश में जल रहे हों।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप दूसरा भाषण दे रहे हैं?

श्री वी० धनंजय कुमार : क्या वे अपील कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या को सुलझाने में रुचि है या नहीं?

श्री वी० धनंजय कुमार : मैं कर्नाटक के लोगों की ओर से हार्दिक अपील कर रहा हूं···

(**व्यवधान**)

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं किसी चर्चा में भाग नहीं ले रहा हूं, न ही कोई स्वतः वक्तव्य दे रहा हूं। परन्तु मैंने सोचा कि मैं इस मौके पर अपने आक्रोष को सभा के साथ बांट लूं। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में जो स्थिति हो गई है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता लोगों तथा सभी राजनीतिक दलों से शान्ति एवं सामान्य स्थिति व्यवस्था बहाल करने के लिए मैं जो अपील कर रहा हूं, उसमें सभी माननीय सदस्य मेरा साथ देंगे। मैंने मुख्यमन्त्रियों से बातचीत के लिए दिल्ली आने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है।

एक बार फिर मैं सभी से अपील करता हूं कि राज्य में शान्तिपूर्ण स्थिति बहाल करने में सहायता करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमन्त्री महोदय ने चर्चा में हस्तक्षेप किया तथा यह भी बताया कि वह स्वतः वक्तव्य नहीं दे रहे हैं जैसाकि जल संसाधन मन्त्री ने पिछली बार किया है। उन्होंने हमसे इन दो राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मैत्रीपूर्ण समझौते जैसे बड़े कार्य को करने में सहयोग करने के लिए कहा है।

आज समस्या इतनी आसान नहीं है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि यह हर स्तर पर पेचीदा है। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, न्यायाधिकरण तथा न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है करनी चाहिए कि किस प्रकार इस पूरे मामले में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, न्यायपालिका, तथा न्यायाधिकरण ने व्यवहार किया है। यह सभी बातें आज कर्नाटक की इस ज्वलंत समस्या के लिए जिम्मेदार हैं।

देश में आज एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कर्नाटक में नागरिक कानून का पालन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंप दिए जाने के बाद, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो न्यायिक टिप्पणी की है कि कर्नाटक राज्य ने जो अध्यादेश पारित किया है उससे अंततः व्यवस्था भंग हो जाएगी तथा यह भी कि इससे हमारे संविधान के संघीय स्वरूप को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं उच्चयम न्यायालय द्वारा दी गयी राय को उद्धरित करता हूं :

"ऐसा अधिनियम अव्यवस्था और अराजकता को आमंत्रण देना है क्योंकि इस अध्यादेश से राज्य के अपने निजी उद्देश्य के लिए स्वयं न्यायाधीश बनने तथा न्यायिक अधिकरणों के निर्णयों की अवमानना की इच्छा अभिव्यक्त होती है। यह कार्यवाही संविधान के अंतर्गत स्थापित संघीय ढांचे पर बुरा असर डालेगा और इससे प्रत्येक राज्य के लिए न केवल अन्य राज्यों के अधिकारों के प्रति, बल्कि संसद के अधिनियम द्वारा गठित संस्थाओं द्वारा पारित आदेशों तथा संविधान के उपबंधों की भी अवमानना करके मनमाने ढंग से कार्य करने का रास्ता खुल जाएगा। यदि राज्य की ऐसा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को मान लिया जाता है, तो इससे संविधानिक तंत्र भंग हो जाएगा और इसका देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़ेगा।"

राज्य सरकार द्वारा की गयी इस प्रकार की कार्यवाही से सारे देश की जनता के मन में आशंकायें पैदा हो जाएंगी। उन्होंने यह बताने की कोशिश की हैं कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो देश के कानून का न्यायपालिका के निर्णयों तथा कानून के शासन सम्मान नहीं करता। यदि यह धारणा बनायी गयी है, तो यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है अथवा संसद, जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, की जिम्मेदारी है कि वह यह स्पष्ट करे कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? इसी कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे कुछ और समय दें ताकि मैं समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल सकूं ताकि हम आपसी सहमति से एक समझौते पर पहुंच सकें। मैं अपनी तथा कर्नाटक के लोगों की ओर से यह सुनिश्चित करता हूं कि प्रधानमन्त्री जिस तरह का भी सहयोग चाहते हैं, हम सभी देने को तैयार है। मैं जानता हूं कि वे अनुभवी वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ हैं तथा आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। उनके शासन में ऐसा कैसे हुआ? यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं प्रधानसन्त्री कितने दुखी हैं। जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने हम सभी का सहयोग देने को उनको वचन दिया है। मैं पूरे सम्मान एवं विनम्रता के साथ यह पूछ रहा हूं कि यह

समस्या किसने उत्पन्न की है ? क्या इसके लिए संसद अथवा राज्य सरकार अथवा राज्यपाल, जिन्होंने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिम्मेदार हैं ? यह ऐसा मामला है जो हम सभी को नोट करना है ।

मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल श्री खुर्शीद आलम खान द्वारा एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी किया गया था । आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सारा देश यह समझता है कि कर्नाटक के लोग कानून का पालन करने वाले नागरिक नहीं हैं । उन्हें कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है । यदि ऐसा वातावरण तैयार किया गया है, तो इसके लिए राज्य सरकार अथवा राज्यपाल होगा जिन्होंने, ऐसा अध्यादेश जारी किया । किसे सजा देनी है ? मैं इस अवस्था में प्रधान मन्त्री पर आरोप नहीं लगाता । प्रधानमन्त्री के हाथ बंधे हुए हैं तथा वह मामले को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के लिए बाध्य हो गए हैं तथा राष्ट्रपतीय सन्दर्भ से उसकी राय जानना चाहते हैं । अन्यथा प्रधानमन्त्री द्वारा उच्चतम न्यायालय को राय जानने के लिए उसे यह मामला नहीं सौंपा जाता ।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या यह तथ्य है ? (**व्यवधान**)

श्री एच० डी० देवगौड़ा : वह इस मामले को करने के लिए अधिक चिन्तित हैं । हम जानते हैं कि स्थिति कितनी पेचीदी हो गयी थी । हम जानते हैं कि यह स्थिति कैसे हुई । मैंने विधानमण्डल में पिछले तीस वर्षों से कृषि मन्त्री, सिंचाई मन्त्री तथा विधानसभा के सदस्य के रूप में संघर्ष किया है । मैं मामलों को बातचीत द्वारा तय करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं ।

तमिलनाडु से हमारे कुछ माननीय सदस्य, जो आज बोले थे कि कर्नाटक बातचीत के लिए तैयार नहीं है । वे किसी भी समय, किसी भी स्तर पर वे बातचीत करना चाहते हैं । हम न्यायालय में नहीं जाना चाहते हैं ।

हम कानूनी उपाय अथवा कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना नहीं चाहते । मैं कुछ समय बाद अपने तर्कों को सही सिद्ध कर दूंगा ।

इस अध्यादेश को जारी करने के बाद, प्रधानमन्त्री उच्चतम न्यायालय में जाने और उसकी राय जानने के लिए मजबूर हो गए थे । उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया । उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिए जाने के बाद—चाहे इसे निर्णय कहा जाए अथवा राय — मैं इस विषय पर तर्क-वितर्क नहीं करूंगा, परन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा राय दिए जाने के बाद, मुख्यमन्त्री और सम्बन्धित मन्त्री, जो विधि और संसदीय कार्य मामलों के प्रभारी थे, यहां तक कह रहे थे कि यह केवल कागज का एक टुकड़ा है । यदि इसे अधिसूचित भी किया जाता है, तो भी यह कागज का टुकड़ा है । आज किसे सजा दी जा रही है ? क्या यह कर्नाटक के लोगों को, दी जा रही है जो निर्दोष हैं, जो सैकड़ों वर्षों से कष्ट झेल रहे हैं, अथवा उन लोगों को दी जा रही है जो ऐसा वातावरण, भारत सरकार के लिए ऐसी समस्या उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं ? किसे सजा दी जानी चाहिए ? किसे दण्ड दिया जाना है ? किसे कष्ट सहना है ? क्या कर्नाटक के गरीब लोगों को कष्ट सहना होगा ? यह स्थिति राज्य सरकार के अहम और मनमानी के कारण बिगड़ गई है । प्रारंभ में मैं केवल यही कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा क्या अभी आपने अपना भाषण प्रारम्भ ही किया है ? मेरे पास बहुत लम्बी सूची है । कृपया इस बात को ध्यान में रखें ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, मैं अनावश्यक रूप से सभा का समय नहीं गंवाना चाहता परन्तु यह ऐसा मामला है जिस पर वाद-विवाद किया जाना है। अतः कृपया हमें बोलने की अनुमति प्रदान करें। मैं खुले आम यह बात कह रहा हूं कि हालांकि मैं कांग्रेस दल का नहीं हूं—किन्तु कर्नाटक के लोगों से यह अपील करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं— कि वे लोग गलत रास्ते पर न आएं, आंदोलन न करें क्योंकि मुझे इस बात की बहुत अधिक चिंता थी कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए··· (व्यवधान) यह सब बातें एक सप्ताह पहले बताई गई थीं। आज इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है ? माननीय प्रधान मन्त्री जी को इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब मैं इस मुद्दे को छोड़ दूंगा।

सर्वप्रथम मैं इस बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता था कि जहां तक कावेरी विवाद का सम्बन्ध है, घटनाएं किस प्रकार हुई हैं। दुर्भाग्यवश, कर्नाटक को दो अन्तर्राज्यीय नदियों का सामना करना पड़ रहा है। एक कृष्णा नदी तथा दूसरी कावेरी नदी। मैं कृष्णा नदी के मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता। जब कृष्णा नदी के बारे में दिया गया निर्णय कर्नाटक के पक्ष में नहीं था, तब भी हमने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का पालन किया था। हम कृष्णा नदी के मामले में दिए गए निर्णय की अवज्ञा नहीं कर रहे। हमें कावेरी नदी के मामले में दिए गए निर्णय की अवज्ञा क्यों करनी चाहिए।

कावेरी विवाद की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस कारण मुझे यह बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने हेतु आपकी अनुमति की आवश्यकता है कि ये हालात कैसे बने। इस कारण मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बोलने की अनुमति प्रदान करें।

मुझे सभा के विचारार्थ कुछ मुद्दे उठाने हैं। सभा को भी धारा 6, उपधारा (7) के अधीन मुख्य भूमिका अदा करनी है। इसीलिए मैं अवश्य ही सभा को तथा बाहर के उन लोगों को अपनी बात मनवाना चाहता हूं जिनकी कर्नाटक के बारे में गलत धारणा है।

तमिलनाडु के हमारे मित्र अवश्य ही इस बात को समझते होंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से मैसूर, मद्रास, त्रावणकोर—कोचीन, पांडिचेरी का फेंच क्षेत्र, पुडुकोट्टई और कुर्ग कावेरी नदी घाटी के राज्य हैं। वर्तमान व्यवस्था में कावेरी घाटी के राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी राज्य आते हैं। कर्नाटक और केरल ऊपरी तटवर्ती राज्य हैं और तमिलनाडु तथा पांडिचेरी निम्न तटवर्ती राज्य हैं। जब पानी प्रचुर मात्रा में था और इतना विकास भी नहीं हुआ था तथा अत्यधिक मात्रा में पानी व्यर्थ जाता था तब भी कभी ऊपरी तटवर्ती राज्य, तत्कालीन मद्रास राज्य द्वारा बहुत छोटे में कार्य के लिए भी प्रस्ताव रखा जाता था तो विवाद होता था। यह झगड़े उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ से चले आ रहे थे। मैं एक बार फिर यह मामला सभा के समक्ष केवल सभा को इस बारे में विश्वास दिलाने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस प्रकार यह सब हुआ, अन्यथा कल हमें हमारे अपने देश के लोगों को मना पाना संभव नहीं होगा।

महोदय, राजनैतिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में, मैं एक बात कहना चाहता हूं। 19वीं सदी में मैसूर राज्य राजसी जागीरदारी राज्य था जबकि मद्रास ब्रिटिश शासन के समय एक प्रांत था। तत्कालीन

राजनैतिक व्यवस्था तथा निम्न तटवर्ती राज्य होने का पूरा लाभ उठाते हुए मद्रास राज्य द्वारा ऊपरी तटवर्ती मैसूर पर प्रतिबन्ध लगाकर, बहुत बड़े सिंचाई क्षेत्र तैयार किया गया। उन्होंने 1892 के नियमों तथा 1924 के समझौते द्वारा प्रतिबंध लगाये मैसूर राज्य को कावेरी नदी घाटी में किसी भी नये कार्य को प्रारंभ करने के लिए मद्रास की अनुमति अवश्य लेनी पड़ती थी जबकि मद्रास को मैसूर से किसी प्रकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैं तमिलनाडु राज्य के अपने मित्रों से एक बात पूछना चाहता हूं। वर्ष 1914 में न्यायाधीश एच० डी० ग्रीफिन्स इस मामले में मध्यस्थ बने तथा अपना अन्तिम निर्णय दिया। मद्रास ने उस निर्णय का सम्मान नहीं किया। आज वह हमें दोष देना चाहते हैं कि हम निर्णय का अनादर कर रहे हैं। हमें इस निर्णय में विश्वास है। हमें कानून का आदर करना है। यही बात मैं कहता हूं।

श्री एच० डी० ग्रीफिन्स के मध्यस्थ निर्णय को मैसूर राज्य ने स्वीकार किया और तमिलनाडु ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे दिल्ली आए। उन्होंने उस समय के दिल्ली प्रशासन को मनाने का प्रयास किया तथा उन्होंने निम्न प्राधिकरण द्वारा दिए गए स्वीकृति के आदेश को अस्वीकार कर दिया।

मैं यह प्रकाशित दस्तावेज से उद्धृत कर रहा हूं। मद्रास राज्य ने निर्णय के विरुद्ध भारत के सचिव से अपील की थी। दिनांक 26-7-19'4 को सचिव ने पुनः बातचीत करने के निदेश जारी किए थे। तब तक लड़ाई इस बात को लेकर अधिक जोर से भड़क उठी जब तक वे लाभ प्राप्त नहीं कर लेंगे, वे कभी भी किसी भी प्रकार के मध्यस्थ निर्णय अथवा देश के किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे।

दुर्भाग्यवश आज हमें जिम्मेदार ठहराया गया है। स्थिति यह है कि हमें सफाई देनी पड़ रही है।

मैं कुछ पिछले मुद्दों को उठाना चाहूंगा जिन्हें मैंने नोट किया है। अधिक समय लिए बिना, मैं इन्हें पढ़ना चाहूंगा।

1924 के समझौते के समय, मैसूर में कुल सिंचित भूमि 3.14 लाख एकड़ थी जबकि तमिलनाडु में उस समय यह 16.65 लाख एकड़ थी। मद्रास में इतना विकास हो चुकने के बावजूद मद्रास ने मैसूर में छोटे सिंचाई कार्यों पर प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसा इस स्थिति के बावजूद हो रहा है जबकि भारी मात्रा में जल बेकार जा रहा है और समुद्र में गिर रहा है। अपनी वर्तमान सिंचाई व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने की आड़ में मद्रास ने 19°4 में मैसूर पर प्रतिबंध लगाए थे। दूसरी तरफ मद्रास बिना किसी हिचक के अपने सिंचाई क्षेत्र को बढ़ा रहा था। तथ्यान्वेषी समिति को 1971 में उनके द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार उनका सिंचाई क्षेत्र 28.2 लाख एकड़ बताया गया है जबकि कर्नाटक में कावेरी बेसिन में यह क्षेत्र केवल 6.8 लाख एकड़ था। तमिलनाडु में 1971 में विकसित क्षेत्र 28.2 लाख एकड़ था। यह तथ्यान्वेषी समिति के सम्मुख स्वीकार किया गया है जबकि उस समय कर्नाटक में यह क्षेत्र मुश्किल से 6.8 लाख एकड़ था।

मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद कैसे स्थिति में बदलाव आया। वर्ष 1955 के बाद कावेरी बेसिन की संरचना में परिवर्तन आए थे। मद्रास का कोली गल तालुक और कुर्ग मैसूर राज्य के कावेरी बेसन के भाग बन गए थे। मद्रास का मालाबार क्षेत्र नए केरल का भाग बन

गया । इन परिवर्तनों के साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में कावेरी बेसन में भी परिवर्तन आया । नर्ष 1956 के बाद कर्नाटक सरकार अपने अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई व्यवस्था करने के लिए कावेरी बेसन में अपने सिंचाई विकास कार्यों को गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहता था । उसने हेमावती, हारांगी और काबिनी (संशोधित) परियोजनाओं को भारत सरकार की अनुमति के लिए भेजा । इन परियोजनाओं को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें स्वीकृति नहीं दी । ये परियोजनाएं दो दशकों से भी अधिक समम तक केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी रही क्योंकि सरकार तमिलनाडु सरकार को इन परियोजनाओं के लिए राजी कराने में असमर्थ रही और इस प्रकार कर्नाटक में इन परियोजनाओं की प्रगति रुक गई । कर्नाटक राज्य को इन सभी परियोजनाओं को अपने आयोजनेत्तर व्यय पर शुरू करने के लिए मजबूर किया गया और कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार इन पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी । भारत सरकार ने हमारे प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं दी थी । 1924 में शर्तें रखी थीं, लेकिन शर्तें केवल कर्नाटक पर लागू थी, तमिलनाडु पर नहीं । तमिलनाडु ने हर अवस्था में समझौते का उल्लंघन किया । दूसरी तरफ, भारत सरकार तमिलनाडु की सभी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देती रही, यद्यपि वह पहले से ही कावेरी का अनुपात से अधिक जल ले रहा था । और जल के बड़े भाग का उपयोग कर रहा था । केन्द्रीय सरकार ने ऊपर के नदी तटवर्तीय राज्यों पर प्रतिबंध लगा रखे थे । दूसरी योजना में भारत सरकार ने तमिलनाडु की सभी परियोजनाओं, जैसे मेत्तूर हाई लेवल केनाल, न्यू कट्टालाई हाई लेवल केनाल, पुडुकोट्टई केनाल आदि को स्वीकृति दे दी । तमिलनाडु ने 1950 में भवानी और अमरावाती पर परियोजनाओं का निर्माण किया और कर्नाटक की आपत्तियों पर कभी विचार नहीं किया गया । यह सारे इतिहास के तथ्य हैं ।

भारत सरकार ऊपर के तटवर्ती राज्यों को सहायता देने में असमर्थ रही और कर्नाटक की परियोजनाएं भारत के पास अनिर्णीत पड़ी हैं । सिंचाई आयोग ने कर्नाटक में कावेरी बेसिन में 28 ताल्लुकों को सूखाग्रस्त माना है । इन क्षेत्रों को सूखे से राहत दिलाने का केवल यही एक रास्ता है कि वह तत्काल सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जाए ।

इसी संदर्भ में कर्नाटक ने अपनी काबिनी, हेमवती, हरंगी के आर० एस० आर० बी० सी० आधुनिकीकरण आदि योजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा था परन्तु भारत सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी थी । कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में सिंचाई के क्षेत्र को 1971 के 6.8 लाख एकड़ से बढ़ाकर 1990 में 11.2 लाख एकड़ किया है, परन्तु राज्य को काफी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे परियोजनाओं को अपने संसाधनों से पूरा करना पड़ा । हरंगी, हेमवती, काबीनी आदि में जलाशयों का निर्माण 1990 में पूरा किया गया था तथा मुख्य नहर वितरण प्रणाली आदि अभी विभिन्न निर्माण राज्य में हैं । इन सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य बहुत हद तक पूरा हो चुका है और इन सभी कार्यों के लिए एजेंसियों को निर्धारित किया गया है तथा ठेका सम्बन्धी दायित्व का एक अधिक गंभीर मामला होगा ।

जब इन सुविधाओं पर कर्नाटक में सिंचाई सम्बन्धी विकास हो रहा था तो भारत सरकार ने परियोजनाओं को स्वीकृति देने तथा इन्हें पूरा करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जून, 1990 में अन्तरराज्योय जल विवाद गठित कर दिया । जब बातचीत चल रही थी और मामले को समझौता से निपटाने के लिए कर्नाटक एक के बाद एक प्रस्ताव दे रहा था, ताकि कावेरी नदी के पानी

को राज्यों में सौहार्दपूर्ण ढंग से बांटा जा सके, तमिलनाडु के किसानों ने नवम्बर, 1983 को उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी। जब तक रिट याचिका लम्बित पड़ी रही बातचीत जारी रही परन्तु जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार केन्द्र में थी तब वह बातचीत जारी रखने का उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकी। ऐसा उस सरकार की राजनैतिक बाधाओं के कारण था।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी तथा श्री राजीव गांधी ने कर्नाटक की सहायता की थी क्योंकि उन्हें समस्या के बारे में पता था। वे जानते थे कि कर्नाटक के लोगों को किस प्रकार दबाया गया था। तमिलनाडु के पूरे दबाव पर भी उन्होंने न्यायाधिकरण गठित नहीं किया था। परन्तु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जिम्मेवारी नहीं ली उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है? यह कानून में निर्धारित है जिसे उसी सभा ने पारित किया गया था। जब तत्कालीन सरकार सत्ता में आयी थी तो उसने अदालत को कहा था कि आप जो भी निर्णय देंगे, हमें स्वीकार होगा। वे धारा 4 के अन्तर्गत वातचीत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला होगा कि द्विपक्षीय वार्ता से समझौता होना सम्भव है। इस प्रकार न्यायाधिकरण बना।

मैं न्यायालय के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं कानून का काफी सम्मान करता हूं। परन्तु दुर्भाग्यवश क्या हुआ है? अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी सम्बन्धी विवाद पर न्यायाधिकरण के पास कोई विचारार्थ विषय नहीं था जिसे 2 जून, 1990 की अधिसूचना के अधीन गठित किया गया था। भारत सरकार ने न्यायाधिकरण को सिर्फ एक पत्र भेजा गया जो भारत सरकार को 6 जुलाई, 1986 को दिया गया था। उसे विचारार्थ विषय माना जाता है।

"···द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए···।"

अध्यक्ष महोदय : श्री गौड़ा आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने पहले ही 30 मिनट का समय ले लिया है। मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है।

(व्यवधान)

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। जो मैं कहना चाहता हूं कृपया मुझे कहने दें। यह कावेरी पर अन्तिम भाषण हो सकता है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

"अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 6 जुलाई, 1986 के पत्र से उठने वाले अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी तथा नदी घाटी के जल विवाद को न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को प्रेरित करती है।"

केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। वे जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे थे क्योंकि उस समय राजनीतिक बाधा थी। ऐसा तमिलनाडु में तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के समर्थन के कारण था।

तमिलनाडु के मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि वे न्यायाधिकरण के आदेश को नहीं मान रहे हैं। हुआ क्या है? न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया है।

"जुलाई, 1990 को न्यायाधिकरण की पहली बैठक में तमिलनाडु ने अन्तरिम आदेश जारी करने की प्रार्थना की थी। इस मामले को न्यायाधिकरण ने सितम्बर, 1990 में सुना और न्यायाधिकरण ने 5 जनवरी, 1991 को एक आदेश जारी किया जिसमें तमिलनाडु की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था। (**व्यवधान**) न्यायाधिकरण ने जनवरी, 1991 में अपना आदेश जारी किया था। मैं तमिनलाडु के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन किया है? (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : जी, नहीं। यह बात सच नहीं है। ऐसी कहने की अनुमति न दी जाए। हमने न्यायाधिकरण की बात मानी है।

श्री अन्बारासु ईरा (मद्रास केन्द्रीय) : श्री गौड़ा सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैंने एक एक बात को गौर किया है जो उन्होंने कहा है, आप कार्यवाही की प्रति मंगवाए। यदि मैंने एक भी गलत बात कही है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा और माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के लोग "कानून को नहीं मानते, न्यायाधिकरण को नहीं मानते, न्यायालयम के निर्णय को नहीं मानते।"

7.00 म० प०

उन्होंने यही कहा था। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडु ने न्यायाधिकरण के जनवरी 1999 के आदेश को माना है जिसमें न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु की अन्तिरम आदेश देने की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया है। जी नहीं। वे उच्चतम न्यायालय में चले गए। उच्चतम न्यायालय ने पुनः न्यायाधिकरण को पुनर्विचार करने कहा। इसी सभा ने 1956 में अन्तर्राज्यीय नदी-विवाद अधिनियम 1956 को पारित किया था जिसको स्वविवेक के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला था कि अन्तर्राज्यीय विवादों को न्यायपालिका द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है। उन्होंने अनुच्छेद 262 के तहत से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल लिया तथा अन्तर्राज्यीय नदी-जल अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रावधान किया बशर्ते कि यह निष्कर्ष निकलता है। कि समझौता वार्ता के आधार इसे सुलझाना असम्भव है। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष किस प्रकार दिया है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। 1971 में जब तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने के लिए याचिका दी थी तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कहा कि "बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे।" तब तमिलनाडु सरकार ने याचिका वापस ले ली थी। उच्चतम न्यायालय की यह प्रतिक्रिया है।

1974 में, कर्नाटक सरकार ने कृष्णा न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा : "इस मामले में फैसला देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे न्यायाधिकरण में ही उठाए। अन्यथा हम इसे हम खारिज कर देंगे।" उच्चतम न्यायालय की इस प्रतिक्रिया के बाद कर्नाटक सरकार ने याचिका वापस ले ली थी।

1990 में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह एक न्यायाधिकरण गठित करे हालांकि न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 4 के तहत यह शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। भारत सरकार को यह निष्कर्ष लेना चाहिए था कि इसका निपटारा समझौता वार्ता से सम्भव नहीं है।

इसके साथ ही, मैं सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि जब 1991 में न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु के अन्तरिम आदेश सम्बन्धी याचिका को नामंजूर करते हुए एक आदेश जारी किया, तो उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तथा न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह आदेश जारी करें। 1971 और 1974 में तमिलनाडु द्वारा दाखिल याचिका पर इसी उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पर 1990 और 1991 में इसी इसी उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और एक आदेश में भारत सरकार को यह आदेश दिया कि वह एक न्यायाधिकरण गठित करें और न्यायाधिकरण द्वारा जनवरी 1991 में दिए गए आदेश को स्थगित करते हुए न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह उक्त आदेश पर पुनर्विचार करें।

मैं जानना चाहता हूं कि 1974 से 1991 के बीच क्या कोई परिवर्तन हुआ है, क्या अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में संशोधन किया गया है, क्या अनुच्छेद 262 में कोई संशोधन किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने इस मामलों में दोहरा रवैया क्यों अपनाया है। अब यह सभा पर निर्भर है कि वह निर्णय करे कि उच्चतम न्यायालय निष्पक्ष है या पक्षपातपूर्ण तथा यह हमारा और कर्नाटक के लोगों का दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय ने एसा निर्णय दिया है जोकि आज की ज्वलंत समस्याओं का मूल कारण है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए ? आप मुझे बतायें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं सुबह से इन्तजार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको 35 मिनटों का समय दिया है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : न्यायाधिकरण ने उच्चतम के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया है। इस वर्ष 1 जुलाई, 1991 से वह आदेश प्रभावी होगा।

> "उपरोक्त के अनुसार, हम कर्नाटक राज्य को आदेश देते हैं कि वह अपने जलाशयों से तमिलनाडु के जलाशय को 205 टी० एम० सी० पानी उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करने के लिए जल निर्गत करे।"

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम कर्नाटक राज्य को कर्नाटक के जलाशयों से पानी मुक्त करने का आदेश देते हैं जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में वर्ष में जून से मई तक 205 टी० एम० सी० पानी उपलब्ध रहे। हमने आगे निदेश दिया है कि कर्नाटक राज्य

को निम्नलिखित ढंग से पानी छोड़ना चाहिए :—

जून	10.16	टी० एम० सी०
जुलाई	42.76	"
अगस्त	54.72	"
सितम्बर	29.36	"
अक्तूबर	30.17	"
नवम्बर	16.05	"
दिसम्बर	10.37	"
जनवरी	2.51	"
फरवरी	2.17	"
मार्च	2.40	"
अप्रैल	2.32	"
मई	2.01	"

किसी विशेष महीने में पानी चार सप्ताह में बराबर-बराबर मात्रा में छोड़ना होगा। यदि किसी विशेष महीने में "पानी को वांछित मात्रा को छोड़ना सम्भव न हो तो घाटे को अगले सप्ताह में पूरा करना होगा।"

इसी न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गयी सूचना पर विचार करते हुए यह कहा था। यह कर्नाटक सरकार से नहीं है। 1984-85 से कर्नाटक से तमिलनाडु को चार जलाशयों से अन्तर्वाह निम्नलिखित हैं :—

1985-86	158.28	टी० एम० सी०
1986-87	187.36	"
1987-88	103.90	"
1988-89	181.37	"
1989-90	175.64	"

न्यायाधिकरण ने कर्नाटक से 205 टी० एम० सी० पानी छोड़ने को कहा है। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में हम केवल एक बारानी फसल और एक सिंचाई वाली फसल उगा रहे हैं। मैं अपने तमिलनाडु के भाइयों से इस तथ्य पर विचार करने का आग्रह करता हूं। जुलाई के महीने में यदि हम न्यायाधिकरण ने निदेश से अलग 42.76 टी० एम० सी० पानी छोड़ते हैं तो क्या होगा? न्यायाधिकरण के कर्नाटक को जुलाई में 42.76 टी० एम० सी० पानी और अगस्त में 54.72 टी० एम० सी० जो कि कुल मिलाकर 97 टी० एम० सी० हो जाता है, पानी छोड़ने का आदेश दिया है। लेकिन चार जलाशयों—हारंगी, हेमावती, काबिनी और के०आर०एस०—की कुल क्षमता केवल 96 टी० एम० सी०

है । यदि हमें एक वर्ष में इतनी मात्रा में पानी छोड़ना पड़े तो जमा किया गया सारा पानी समाप्त हो जाएगा । लेकिन न्यायाधिकरण के कर्नाटक को जुलाई और अगस्त में 97 टी० एम० सी० पानी छोड़ने का निदेश दिया है, यदि जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा नहीं होती तो हम पानी कहा से लाएंगे ? मैं इस सभा में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य से यह प्रश्न पूछता हूं । क्या कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के निर्णय का अनादर अथवा मानने से इन्कार कर रही है ? हम पानी कहां से लाएंगे ? यदि हमें 97 टी० एम० सी० पानी छोड़ना पड़े और यदि चारों जलाशयों की कुल भण्डारण क्षमता केवल 96 टी० एम० सी० है तो हम पानी कहां से लाएंगे ? जैसाकि मैंने पहले कहा है कि सादा पानी समाप्त हो जाएगा । जो पानी जमा किया गया है वह 96 टी० एम० सी० स्तर से भी नीचे है । नतीजा क्या है ? बंगलौर, मैसूर, हसन, टूमकुर और मान्डया शहर को भी पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी । मैं माननीय जल संसाधन मन्त्री से उन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहना चाहूंगा जोकि मैं कह रहा हूं । श्री बंगारप्पा और राज्य सरकार के रवैये की बात छोड़िए । मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं । मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं…(**व्यवधान**) मामलों को मिलाने का कोई प्रश्न नहीं हैं । हम माननीय प्रधान मन्त्री के पास गए थे । कर्नाटक के 29 संसद सदस्य गए थे और हमने माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया था । हमने माननीय सिंचाई मन्त्री से भी मुलाकात की थी । यदि खण्ड 5(3) के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया जाता है तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह यह स्पष्टीकरण मांगे कि क्या आदेश अव्यवहार्य या कार्यान्वित न करने योग्य है । आपको इसकी जानकारी है । आप जानते हैं कि कर्नाटक के लोग कितनी घोर वेदना और सन्ताप से गुजर रहे हैं । हमने माननीय प्रधान मन्त्री से एक अपील की थी । निःसन्देह उनकी बहुत सी समस्याएं हैं । उनके सामने ज्वलनशील राष्ट्रीय समस्याएं हैं । हम माननीय जल संसाधन मन्त्री के पास गए थे और उनका सन्देह दूर करने की कोशिश की थी । जब आप सभा पटल पर अधिसूचना रखने जा रहे थे तब आपने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि इस वर्ष पानी के बारे में कोई समस्या नहीं होगी । आपका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा । लेकिन उच्चतम न्यायालय ने केवल अपनी राय दी है और उसे यह मानते हुए प्रकाशित किया जाना है कि न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को खण्ड 5(2) के अन्तर्गत दिया गया था । कर्नाटक का मत है कि न्यायाधिकरण के पास अन्तरिम आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है । चाहे जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय के पास है, वह एक आदेश है और उसने आपको इसे प्रकाशित करने को कहा है ? उन्होंने अधिसूचना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है । अधिसूचना, जो सभा पटल पर रखते हुए आपने यहां तक कह दिया था कि 90 दिन बीत चुके हैं । इसका क्या मतलब है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवगौड़ा, आप पहले ही 45 मिनट का समय ले चुके हैं ?

श्री एच० डी० देवगौड़ा : उच्चतम न्यायालय की राय के बाद कर्नाटक सरकार ने खण्ड 5(3) के अन्तर्गत 25 तारीख को न्यायाधिकरण को एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी । उसकी सुनवाई के लिए 13 तारीख निश्चित की गई थी जोकि आज है । यदि केन्द्रीय सरकार अपना विचार या निर्देश देती तो यह बाधित हो गया होता, क्या इससे कर्नाटक सरकार को पुनरीक्षण याचिका में मदद मिलेगी ? आप अपने वक्तव्य में इसका जिक्र करने में गल्ती कर गए कि 90 दिन के अन्दर कोई भी राज्य खण्ड 53 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के पास पुनरीक्षण याचिका लेकर नहीं गया है । ऐसी मेरी राय है और मैं उससे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता ।

जैसाकि मैंने पहले कहा था यदि कर्नाटक सरकार धारा 53 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं जाती है तो यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी किसी भी राज्य सरकारों से कहीं ज्यादा है, आप लागू करवाने वाले अधिकारी हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचित कर सकते हैं, परन्तु स्वयं अपनी सुविधानुसार उसकी व्यवहार्यता अथवा अव्यवहार्यता को देखते हुए। जब न्यायाधिकरण द्वारा धारा 5(2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा चुका था तो उसमें कहा गया था कि अपने आप को यह सन्तुष्ट करायें कि यह व्यवहार्य अथवा अव्यवहार्य है अथवा वास्तविक है। यह धारा 5(3) के अन्तर्गत आपकी जिम्मेदारी है। इसी कारण इस सभा ने अपने विवेकानुसार यह कानून पारित किया तथा केन्द्रीय सरकार के लिए यह व्यवस्था की कि यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो केन्द्र सरकार स्पष्टीकरण मांगे। मैं धारा 6 को पढ़ता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप धारा 5 को क्यों पढ़ रहे हैं ? यह सबको पता है। अब देवगौड़ा श्री आप हम सबकी सहायता करें। धारा को पढ़ना जरूरी नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, इसमें कहा गया है "कि यह अन्तिम एवं बाध्य है।"

अध्यक्ष महोदय : आप यह कह सकते हैं। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं और मैं उन्हें भी समय दूंगा।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, जब एक बार इसे अधिकारिक रूप से राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है तो यह निर्णय दोनों पक्षों के लिए अन्तिम तथा बाध्य होना चाहिए। इस अधिसूचना के बाद कर्नाटक के लोगों ने भारत सरकार में अपना विश्वास खो दिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राय दिए जाने के बाद हम 29 संसद सदस्य ने 1- दिसम्बर को प्रधानमन्त्री से मिले थे।

मैंने स्पष्ट रूप से कर्नाटक के लोगों से निवेदन किया था कि वे आन्दोलन न करें तथा प्रधान मन्त्री का विश्वास करें तथा जब तक वह कोई निर्णय लेते हैं तब तक इन्तजार करें। यह अपील मैंने की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश इसके बाद सरकार ने वक्तव्य जारी किया तथा जल्दीबाजी में बिना परिणामों का अन्दाज लगाए अधिसूचना जारी कर दी। इसी कारण सारी समस्या उत्पन्न हुई और आज सारा कर्नाटक उत्तेजित हो रहा है। आठ व्यक्ति मारे गए और 28 गधों को 28 संसद सदस्यों का नाम दिया गया तथा उन्हें सब जगह घुमाया गया। तथा दो संसद सदस्यों के घरों में भी तोड़ फोड़ की गई तथा भारत सरकार के इस जल्दबाजी के निर्णय के अनुसार यह सब हुआ। मैं प्रधान मन्त्री के इरादों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हू कि उच्चतम न्यायालय की राय के अनुसरण में अधिसूचना जारी करने से पहले सिंचाई विभाग अथवा विधि-विभाग से परामर्श कर लेना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि यह कार्य 15 दिन के भीतर होना चाहिए। यहां से संसद की भूमिका भी शुरू होती है। संसद को भी धारा 6(7) के अन्तर्गत एक भूमिका अदा करनी है। जब एक बार सरकार धारा 6 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने जा रही है तो यह योजना धारा 6(क) के अन्तर्गत तैयार की जानी चाहिए। मेरे मित्र श्री नारायण स्वामी ने आज सरकार से योजना को तुरन्त तैयार करने तथा आदेश को तुरन्त लागू करने के लिए कहा।

यदि भारत सरकार धारा 6(क) के अन्तर्गत एक प्राधिकरण का गठन करना चाहती है तो

म उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होंगे। धारा 6(सात) में संसद की दोनों सभाओं की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उसका पाठ इस प्रकार है :—

"योजना अथवा विनियम में कोई संशोधन करने के लिए दोनों सभायें सहमत हैं अथवा दोनों सभायें इस बात से सहमत हैं कि योजना अथवा विनियम न बनाया जाए, योजना अथवा विनियम उसी संशोधित रूप में प्रभावी हो अथवा प्रभावी न हो जैसी भी स्थिति हैं।

अतः तथापि, ऐसा कोई संशोधन अथवा समाप्ति उस योजना अथवा विनियम के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी व्यवस्था की वैधानिकता को प्रभावित किए बिना होगी।"

यदि अधिसूचना जारी करने अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने सम्बन्धी कार्यवाही करने से पहले जब यही स्थिति हो इस पर अनेकों बार विचार करना चाहिए था। इस जल्दबाजी के निर्णय के कारण ही आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

भारत सरकार ने उचित प्रकार से कार्यवाही नहीं की है तथा अनावश्यक रूप से आज प्रधान-मन्त्री को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि इसे खुले रूप में व्यक्त नहीं किया गया है तो भी उनकी अपनी ही भावनायें हैं, मैं इसे समझ सकता हूं।

दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यह हमारी स्थिति है। एक ओर लोग तथा समाचार-पत्र तथा अन्य प्रचार माध्यम यह कहते हैं कि हम लोग कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आज हमारे लोग अपने बचाव के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं वे मरे जा रहे हैं। भूख से मरने के बजाय उन्हें सही बात के लिए मरने दीजिए। मैं किसी के भड़काने अथवा प्रेरणा देने के लिए कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं ऐसी स्थिति में लोगों के भड़काने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा। तमिलनाडु के माननीय मित्रों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी समस्या को समझें। फसल भी नहीं उपजा पाते हैं, और वे तीन-तीन सिंचित फसलें उपजा रहे हैं। क्या वे इसे न्यायोचित कह सकते हैं?

श्री अन्बारासु इरा : यह सच नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौडा : हमें तो रोटी के दो टुकड़े भी नहीं मिलते हैं। लगभग 28 तालुकों में यही स्थिति है। यह केन्द्रीय सरकार के सिंचाई आयोग की रिपोर्ट है। यह राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं है।

आज हम क्या कर सकते हैं? प्रधान मन्त्री जी किस तरह का सहयोग चाहते हैं? यदि वे बतलायें तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। इस मुद्दे को न्यायिक फैसले से नहीं सुलझाया जा सकता है। इसे न्यायाधिकरण नहीं हल कर सकते हैं।

नर्मदा न्यायाधिकरण के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस न्यायाधिकरण के गठन के बाद सुनवाई हुई और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विवेक के अनुसार सभी सम्बद्ध राज्यों के सहयोग से एक निर्णय लिया तथा इस निर्णय को न्यायाधिकरण को बता दिया गया ताकि वे अपना अन्तिम अवार्ड दे। यह एक इतिहास है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। न्यायाधिकरण के लिए कोई आदेश देना सम्भव नहीं था क्योंकि न्यायाधिकरण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को बोलने के लिए कहना चाहिए। आप पहले ही पचास मिनट ले चुके हैं। कृक्या अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, हमें और कर्नाटक के लोगों को इस परिस्थिति में रहने को विवश कर दिया गया है। इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि यह एक अधिसूचना है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। क्या भारत सरकार यह कहने को तैयार है कि वह अधिसूचना को वापस ले लेगी ? जब तक आप इसकी धारा 6 में संशोधन नहीं करेंगे तब तक यह अपरिवर्तनीय और अन्तिम होगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार धारा 5(2) के तहत न्यायाधिकरण के आदेश को अन्तिम माना जाएगा तथा धारा 6 के तहत इसे अधिसूचित करना होगा। क्या माननीय जल संसाधन मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि वह न्यायाधिकरण द्वारा अन्तिम फैसला किए जाने के पहले धारा 6(क) के अधीन कोई प्राधिकरण नहीं बनायेंगे तथा कर्नाटक के साथ न्याय करेंगे ? यदि वह ऐसा आश्वासन दे तो मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। फिर क्या जल को साप्ताहिक आधार पर आवंटित करना सम्भव हो सकता है ? क्या जल को साप्ताहिक आधार पर छोड़ा जा सकता है ? क्या सूखे या कम वर्षा के मौसम में जब नदी में पानी का बहाव ही न हो तो मासिक आधार पर जल को छोड़ना सम्भव होगा ? यह तो आप भी जानते हैं कि कावेरी बेसिन (में पूरा पानी नहीं रहता है) यह एक अभावग्रस्त बेसिन है। इसकी एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन सब चीजों को जानते हुए भी किस अधिकार से ऐसा किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है ?

कृपया करके ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जब तक मुद्दे पर अन्तिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, किसी भी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाएगा।

मैं इस मुद्दे पर फिर से जोर दूंगा। यदि वे आज ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी सदस्यता बनाए रखूंगा; नहीं, तो मैं अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने का निर्णय ले सकता हूं। कर्नाटक में किसी व्यक्ति को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि 28 संसद सदस्य अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने 28 गदहों की गर्दनों में 28 संसद सदस्यों के नामों की तख्ती टांगकर उन्हें घुमा दिया। ऐसा किसने किया ? क्या आपका खुफिया विभाग काम कर रहा है ? यदि आपका खुफिया विभाग क्रियाशील है तो इन घटनाओं का कर्त्ता-धर्त्ता कौन है तथा इनके पीछे कौन है ? क्या यह सभा के सदस्यों का अपमान नहीं है ? हम यहां क्या कर रहे हैं ? क्या हम अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा रहे हैं ? यदि कुछ लोग इसके पीछे हैं तो उन्हें सजा देनी चाहिए। हम भी स्वाभिमानी हैं। हम कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। मैंने इसी मुद्दे पर तीन बार मंत्री-पद से त्यागपत्र दिया है और अपने राजनैतिक जीवन को दाव पर लगा दिया है। फिर भी, आज मेरे नाम की तख्ती को गदहे के गले में बांधकर घुमाया जा रहा है।

मैं जानता हूं कि आप समय की कमी के कारण मुझपर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ऐसा क्यों है ? मैंने कावेरी बेसिन के लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया है और आज मैं पीड़ित हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और कल मैं बंगलौर जाऊंगा और कर्नाटक के लोगों से अपील करूंगा कि वे हिंसक वारदातों में शामिल न हों। मैं उनसे महात्मा गांधी के वचनों और सीखों का पालन करने के लिए कहूंगा। इसी तरह से मैं भारत सरकार से यह घोषित करने के लिए कहूंगा

उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होंगे। धारा 6(सात) में संसद की दोनों सभाओं की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उसका पाठ इस प्रकार है :—

"योजना अथवा विनियम में कोई संशोधन करने के लिए दोनों सभायें सहमत हैं अथवा दोनों सभायें इस बात से सहमत हैं कि योजना अथवा विनियम न बनाया जाए, योजना अथवा विनियम उसी संशोधित रूप में प्रभावी हो अथवा प्रभावी न हो जैसी भी स्थिति हैं।

अतः तथापि, ऐसा कोई संशोधन अथवा समाप्ति उस योजना अथवा विनियम के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी व्यवस्था की वैधानिकता को प्रभावित किए बिना होगी।"

यदि अधिसूचना जारी करने अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने सम्बन्धी कार्यवाही करने से पहले जब यही स्थिति हो इस पर अनेकों बार विचार करना चाहिए था। इस जल्दबाजी के निर्णय के कारण ही आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

भारत सरकार ने उचित प्रकार से कार्यवाही नहीं की है तथा अनावश्यक रूप से आज प्रधान-मन्त्री को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि इसे खुले रूप में व्यक्त नहीं किया गया है तो भी उनकी अपनी ही भावनायें हैं, मैं इसे समझ सकता हूं।

दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। यह हमारी स्थिति है। एक ओर लोग तथा समाचार-पत्र तथा अन्य प्रचार माध्यम यह कहते हैं कि हम लोग कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर आज हमारे लोग अपने बचाव के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं वे मरे जा रहे हैं। भूख से मरने के बजाय उन्हें सही बात के लिए मरने दीजिए। मैं किसी के भड़काने अथवा प्रेरणा देने के लिए कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं ऐसी स्थिति में लोगों के भड़काने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा। तमिलनाडु के माननीय मित्रों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमारी समस्या को समझें। फसल भी नहीं उपजा पाते हैं, और वे तीन-तीन सिंचित फसलें उपजा रहे हैं। क्या वे इसे न्यायोचित कह सकते हैं?

श्री अन्बारासु इरा : यह सच नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौडा : हमें तो रोटी के दो टुकड़े भी नहीं मिलते हैं। लगभग 28 तालुकों में यही स्थिति है। यह केन्द्रीय सरकार के सिंचाई आयोग की रिपोर्ट है। यह राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं है।

आज हम क्या कर सकते हैं? प्रधान मन्त्री जी किस तरह का सहयोग चाहते हैं? यदि वे बतलायें तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। इस मुद्दे को न्यायिक फैसले से नहीं सुलझाया जा सकता है। इसे न्यायाधिकरण नहीं हल कर सकते हैं।

नर्मदा न्यायाधिकरण के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस न्यायाधिकरण के गठन के बाद सुनवाई हुई और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने विवेक के अनुसार सभी सम्बद्ध राज्यों के सहयोग से एक निर्णय लिया तथा इस निर्णय को न्यायाधिकरण को बता दिया गया ताकि वे अपना अन्तिम अवार्ड दे। यह एक इतिहास है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। न्यायाधिकरण के लिए कोई आदेश देना सम्भव नहीं था क्योंकि न्यायाधिकरण किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था।

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे इसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को बोलने के लिए कहना चाहिए। आप पहले ही पचास मिनट ले चुके हैं। कृक्या अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, हमें और कर्नाटक के लोगों को इस परिस्थिति में रहने को विवश कर दिया गया है। इसका कोई उपचार नहीं है क्योंकि यह एक अधिसूचना है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। क्या भारत सरकार यह कहने को तैयार है कि वह अधिसूचना को वापस ले लेगी ? जब तक आप इसकी धारा 6 में संशोधन नहीं करेंगे तब तक यह अपरिवर्तनीय और अन्तिम होगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार धारा 5(2) के तहत न्यायाधिकरण के आदेश को अन्तिम माना जाएगा तथा धारा 6 के तहत इसे अधिसूचित करना होगा। क्या माननीय जल संसाधन मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि वह न्यायाधिकरण द्वारा अन्तिम फैसला किए जाने के पहले धारा 6(क) के अधीन कोई प्राधिकरण नहीं बनायेंगे तथा कर्नाटक के साथ न्याय करेंगे ? यदि वह ऐसा आश्वासन दे तो मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। फिर क्या जल को साप्ताहिक आधार पर आवंटित करना सम्भव हो सकता है ? क्या जल को साप्ताहिक आधार पर छोड़ा जा सकता है ? क्या सूखे या कम वर्षा के मौसम में जब नदी में पानी का बहाव ही न हो तो मासिक आधार पर जल को छोड़ना सम्भव होगा ? यह तो आप भी जानते हैं कि कावेरी बेसिन (में पूरा पानी नहीं रहता है) यह एक अभावग्रस्त बेसिन है। इसकी एक अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इन सब चीजों को जानते हुए भी किस अधिकार से ऐसा किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है ?

कृपया करके ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जब तक मुद्दे पर अन्तिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक जहां तक कार्यान्वियन का सवाल है, किसी भी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाएगा।

मैं इस मुद्दे पर फिर से जोर दूंगा। यदि वे आज ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी सदस्यता बनाए रखूंगा; नहीं, तो मैं अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने का निर्णय ले सकता हूं। कर्नाटक में किसी व्यक्ति को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि 28 संसद सदस्य अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने 28 गदहों की गर्दनों में 28 संसद सदस्यों के नामों की तख्ती टांगकर उन्हें घुमा दिया। ऐसा किसने किया ? क्या आपका खुफिया विभाग काम कर रहा है ? यदि आपका खुफिया विभाग क्रियाशील हैं तो इन घटनाओं का कर्त्ता-धर्त्ता कौन है तथा इनके पीछे कौन है ? क्या यह सभा के सदस्यों का अपमान नहीं है ? हम यहां क्या कर रहे हैं ? क्या हम अपने कर्त्तव्य को नहीं निभा रहे हैं ? यदि कुछ लोग इसके पीछे हैं तो उन्हें सजा देनी चाहिए। हम भी स्वाभिमानी हैं। हम कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। मैंने इसी मुद्दे पर तीन बार मंत्री-पद से त्यागपत्र दिया है और अपने राजनैतिक जीवन को दाव पर लगा दिया है। फिर भी, आज मेरे नाम की तख्ती को गदहे के गले में बांधकर घुमाया जा रहा है।

मैं जानता हूं कि आप समय की कमी के कारण मुझपर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ऐसा क्यों है ? मैंने कावेरी बेसिन के लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया है और आज मैं पीड़ित हूं। मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और कल मैं बंगलौर जाऊंगा और कर्नाटक के लोगों से अपील करूंगा कि वे हिंसक वारदातों में शामिल न हों। मैं उनसे महात्मा गांधी के वचनों और सीखों का पालन करने के लिए कहूंगा। इसी तरह से मैं भारत सरकार से यह घोषित करने के लिए कहूंगा

कि अन्तिम निर्णय आने तक वह धारा 6(क) के तहत कोई प्राधिकरण नहीं बनाएगी। हम आन्दोलन को जारी रखेंगे और आन्दोलन तो बन्द नहीं होंगे। मैं कावेरी बेसिन के प्रभाव क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले सभी 45 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा। मैं पूरे क्षेत्र का दौरा करूंगा। मैं लोगों के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताऊंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। यदि गोली बारी हुई तो पहली गोली मेरी छाती में लगेगी फिर उन निर्दोष किसानों की छाती पर लग सकती है जो जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि सभी 28 संसद सदस्य हमारे सहयोगी हैं और एकजुट भी। हम यहां श्री बंगारप्पा के इशारे पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री शरीफ केन्द्रीय सरकार में मन्त्री हैं। उनके समुदाय में टीपू भी हुए थे और मीर सदाहक भी। पर, उन्हें साबित करना चाहिए कि वे टीपू हैं, मीर सदाहक नहीं। उन्हें मन्त्री पद को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अवार्ड की अधिसूचना को जारी करने वाली मन्त्री मण्डलीय उपसमिति के लिए श्री शंकरानन्द उत्तरदाई हैं।

आज मैं माननीय जल संसाधन मन्त्री तथा सभी छोटे-बड़े, अनुभवी या गैर-अनुभवी संसद सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे कर्नाटक के गरीब किसानों की पीड़ा को समझें तथा उनके हित की रक्षा का प्रयास करें। उत्तर देते समय आपको स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि माननीय प्रधानमन्त्री, कर्नाटक के मुख्यमन्त्री श्री बंगारप्पा तथा तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री श्री जयललिता को बुलाएंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह कर्नाटक की हैं। वह तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री हैं तथा उन्हें अपने लोगों के प्रति वफादार रहना चाहिए। यह और बात है। पर, उन्हें एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी होगी। उन्हें एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना होगा। हमें एक साथ ही रहना है। मेरे दोस्त श्री नारायणस्वामी ने कहा है कि हम तमिलों पर आक्रमण और अत्याचार कर रहे हैं। इससे कर्नाटक की कोई नेकनामी नहीं है। यदि ऐसा भी होता है तो सुरक्षा देना राज्य सरकार की जवाबदेही है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। श्री नारायणस्वामी ने यह भी बताया कि जब तक बंगारप्पा कर्नाटक के मुख्यमन्त्री रहेंगे तब तक श्रीमती जयललिता बातचीत को तैयार नहीं हैं। अब यह आपकी जिम्मेवारी है कि बातचीत के लिए सद्भावपूर्ण बातावरण बनाने के लिए आप श्री बंगारप्पा को हटाने का निर्णय लें। (**व्यवधान**)

मैं किसी धमकी भरे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। हम लोगों के बीच फिर से जायेंगे और उन्हें अहिंसक तरीको को अपनाने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। जब तक इस बात का स्पष्ट आश्वासन नहीं देती है कि अधिसूचना को लागू नहीं किया जाएगा तब तक मैं सरकार के साथ सहयोग का भी कोई वायदा नहीं करूंगा।

मैं अपने दोस्त श्री जी० मांडेगौडा को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वे त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। मेरी बहन श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स ने भी कहा है कि यदि भारत सरकार इस समस्या का हल न निकाल पाई तो वे आन्दोलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हमारा इस सभा में संसद सदस्य के रूप में रहना या न रहना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें कर्नाटक के कृषक समुदायों के हितों के मुद्दे को उठाना है। संसद सदस्य चाहे कांग्रेस के हों या भा० ज० पा० के फिर जनता दल में सभी से एकजुट होकर इस मामले के लिए संघर्ष करने की अपील करता हूं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है।

अन्ततः मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को समझेगी। उन्हें एक स्पष्ट आश्वासन की जरूरत है। अन्यथा, आन्दोलन नहीं रुकेगा। यदि कोई अराजकता के लिए जिम्मेवार न हो, यदि इस तरह की स्थिति हमारे संघीय ढांचे को झटका देती रही तो इसके लिए भारत सरकार ही दोषी होगी।

मैं माननीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, प्रधानमन्त्री ने पहले ही वक्तव्य दिया है कि वे दोनों मुख्यमन्त्रियों को बुलाने जा रहे हैं तथा एक बैठक होगी।

अध्यक्ष महोदय : इससे मसले का हल हो जाना चाहिए।

श्री श्रीकांत जेना : मेरी समझ से यह बेहतर होगा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने दिया जाए। **(व्यवधान)** अभी इसपर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

हम सभी इसके हल के लिए उत्सुक हैं। माननीय प्रधानमन्त्री ने पहले ही पहल शुरू कर दी है—चाहे देर से ही सही—हम इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। हमें इस सभा में भी एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि प्रधानमन्त्री को इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने में मदद मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको अन्ना द्रमुक दल की ओर से इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं कावेरी डेल्टा क्षेत्र अर्थात् मद्रास में त्रिचरापल्ली जिले से सम्बन्धित हूं तथा यहां के अधिकांश कृषक केवल कावेरी नदी के जल पर निर्भर करते हैं। पहले तमिलनाडु के त्रिचरापल्ली और तजांवुर जिले दक्षिण भारत के चावल बाहुल्य वाले प्रदेश थे। वर्ष 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल के बंटवारे के बारे में समझौता हुआ था तथा 50 वर्ष बाद इस समझौते में संशोधन किया जाना था। वर्ष 1974 के बाद, तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी उपयुक्त रूप से नहीं पहुंच रहा था। जब कभी कर्नाटक में बाढ़ आ जाती, तो अतिरिक्त शेष जल कर्नाटक राज्य को बाढ़ से बचाने के लिए तमिलनाडु में जाने दिया जाता। वर्ष 1974 के बाद कर्नाटक राज्य में कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया तथा तमिलनाडु को कावेरी जल न देने के लिए अनेक बांध बनाए। प्रत्येक सरकार द्वारा तमिलनाडु में खड़ी फसलों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कावेरी नदी से जल की मांग की जाती और कर्नाटक सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में बिजली लेकर तमिलनाडु को 5 से 10 टी० एम० सी० जल प्रदान किया जाता। अत. प्रत्येक बार, तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी से पानी लेने के लिए मुआवजा दिया जाता।

महोदय, यह कहना गलत होगा कि तमिलनाडु में तीन फसलें उगाई जाती हैं। वर्ष 1974 से

कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच अनेक बार बातचीत हुई। परन्तु अनेक बैठकों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अत: वर्ष 1984 से इस विवाद में न्याय प्राप्त करने के लिए हम न्यायाधिकरण की स्थापना पर बल दे रहे थे। 5 वर्षों बाद, इस विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। उस समय, किसी ने भी न्यायाधिकरण के गठन अथवा न्यायाधिकरण के कार्य संचालन की आलोचना नहीं की। परन्तु अब यह आश्चर्यजनक बात है कि अब कर्नाटक के सब लोग न केवल न्यायाधिकरण की आलोचना कर रहे हैं अपितु उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना कर रहे हैं।

उसके बाद, न्यायाधिकरण ने कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को प्रतिवर्ष 205 टी० एम० सी० जल प्रदान करने का अन्तरिम निर्णय दिया। लोग अनुचित रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल और बाद में कर्नाटक विधान सभा द्वारा अध्यादेश जारी करके निर्णय को अवैध करार दे दिया गया तथा अन्त में मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को शीघ्र राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार सरकार ने निर्णय को अधिसूचित कर दिया। परन्तु मैं अत्यन्त खेदपूर्वक यह बात कहता हूं कि कर्नाटक के माननीय संसद सदस्य कह रहे हैं कि कावेरी नदी का जल व्यर्थ हो रहा है। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि बाढ़ के दिनों में कोई भी व्यक्ति पानी के बहाव को रोक नहीं सकता।

अब दो दशकों बाद, हमारे माननीय मुख्यमन्त्री, आदरणीय 'पुराची थालिवी' ने कावेरी जल विवाद में न्याय प्राप्त करने के लिए निर्भीक कदम उठाए। उन्होंने तमिलनाडु के कृषकों की दशा में सुधार लाने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास किया। अब निर्णय को भी अधिसूचित कर दिया गया है। कर्नाटक के माननीय सदस्य अधिसूचना के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। जब वे इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु में प्रतिवर्ष तीन फसलें उगाई जाती हैं परन्तु यह पूर्ण रूप से गलत है। ग्रीष्म ऋतु में हम शुष्क फसलें उगाते हैं। अब कावेरी नदी से पानी न मिलने के कारण कावेरी नदी घाटी की कृषि योग्य भूमि शुष्क हो गई है और लोगों ने तजांवुर और त्रिचरापल्ली जिलों से अन्य राज्यों में जाना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त भूमिगत जल नहीं है और इसलिए नारियल के पेड़ तथा अन्य पेड़ दिन-प्रतिदिन सूख रहे हैं। कावेरी नदी घाटी के कृषक केवल धान की खेती कर रहे हैं तथा अन्य मूल्यवान फसलें नहीं उगा रहे। उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी कमजोर वित्तीय हालत में वह लोग फसलों को उगाने के लिए नलकूप लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए, नलकूपों तथा कावेरी नदी के जल के बिना वह अत्यधिक पीड़ित हैं। त्रिची और तजांवुर जिले रेगिस्तान बन गए हैं। यहां के लोग केवल कृषि पर निर्भर हैं क्योंकि यह औद्योगिक जिले नहीं हैं। सूखे के समय, उन्हें खेती के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल पाता। अब हमारे माननीय पुराची थालिवी के प्रयासों के फलस्वरूप केवल तमिलनाडु के कृषकों को कावेरी जल के बंटवारे का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्त में, मैं एक बात बताना चाहता हूं। यदि माननीय प्रधानमन्त्री जी तमिलनाडु, पांडिचेरी और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएंगे तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उस बैठक में भाग लेंगी। मैं एक बार फिर तमिलनाडु के किसानों की सुरक्षा के लिए न्यायाधिकरण के अंतरिम

निर्णय को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बार फिर तमिलनाडु के किसानों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अधिसूचना का अनुपालन करें और अन्तरिम निर्णय के कार्यान्वियन के लिए कार्यान्वियन समिति को नियुक्त करें।

[अनुवाद]

केवल अधिसूचना से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तमिलनाडु के किसानों को लाभ दिलाने के लिए और कार्यवाही करनी होगी। तमिलनाडु के किसानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस आदेश को लागू किया जाना चाहिए। कर्नाटक के हमारे मित्र आज बहुत उत्तेजित हैं और हम उनकी भावनाओं तथा कठिनाइयों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। परन्तु इसी के साथ तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं को मानवीय आधार पर समझना चाहिए।

इन शब्दों के साथ महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० वी० तंग्काबालू (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसाकि हमारे कर्नाटक के मित्रों ने कहा है आज हम कावेरी जल-विवाद पर चर्चा कर रहे हैं खुशी के साथ नहीं बल्कि क्रोध के साथ हम इस देश में भाई-बहन की तरह रहते हैं तथा हम आपस में अपने सुख और दुख बांटते हैं।

महोदय, पिछले 20 वर्षों के दौरान लम्बी चर्चा तथा वार्ता के बावजूद कावेरी जल-विवाद अब तक तय नहीं हो पाया है। तमिलनाडु निम्न तटवर्ती राज्य होने के कारण विवाद के न सुलझने के कारण निरन्तर प्रभावित रहा है। कावेरी तमिलनाडु की प्रमुख है तथा तमिलनाडु में सिंचाई के लिए यही नदी एकमात्र साधन है। हमारी कृषि की 80 प्रतिशत सिंचाई मां कावेरी पर निर्भर करती है।

189? तथा 1924 के समझौतों के अनुसार तत्कालीन मद्रास राज्य तथा इस समय तमिलनाडु को कावेरी से अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए था। परन्तु महोदय, हमें पिछले 20 वर्षों में हमें किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम विवाद के हित के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भी जाते रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्यों तथा अन्य राज्यों के मुख्यमन्त्रियों की अनेक बैठकें आयोजित कीं परन्तु इस सम्बन्ध में हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। तब उच्चतम न्यायालय की सलाह पर एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई। इसके बाद न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश दिया तथा वह भी उच्चतम न्यायालय, जो हमारे देश की उच्च स्तरीय न्यायिक संस्था है, के कहने पर। उसका जो भी निर्णय हो उसे सही अर्थ में लागू किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम अपने पड़ोसी राज्य के लिए कोई समस्या नहीं खड़ी करना चाहते हैं। परन्तु मैं अपने दृष्टिकोण पर जोर देना चाहता हूं। कर्नाटक में चार या पांच नदियां हैं तथा उनके पास काफी जल संसाधन है। हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है तथा हमें खुशी है कि कर्नाटक के पास पर्याप्त जल संसाधन है। इसी के साथ, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, हमारे राज्य में केवल कावेरी है और यही नदी एकमात्र साधन है जिससे यहां की सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और

बरकरार रखा जा सकता है । पिछले 10 वर्षों से हम पर्याप्त जल प्राप्त नहीं कर रहे हैं । मैं तो यहां तक कहूंगा कि उतना पानी भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं जितना अपनी सिंचाई के लिए हमें अपेक्षित हैं। इस कारण हमारे राज्य को बहुत परेशानी हो रही है ।

न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार 205 टी० एम० सी० जल जो हमें प्राप्त होगा उसमें से 6 टी० एम० सी० जल हमें अपने पड़ौसी राज्य पांडिचेरी को देना होगा । यह केवल एक अन्तरिम आदेश है । परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि कर्नाटक के हमारे मित्र एक पृथक रुख अपना रहे हैं । यह अच्छा नहीं है । समस्या दोनों ओर से उत्पन्न हो सकती है । यदि हमारे राज्य में कुछ हो सकता है तो वही दूसरे राज्य में भी हो सकता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु हमेशा बातचीत द्वारा समस्या के हल के पक्ष में रहा है । इसी कारण हमें 20 लम्बे वर्षों तक इन्तजार करना पड़ा है और आप इसका परिणाम देख सकते हैं । कर्नाटक के हमारे मित्रों ने शिकायत की है कि तमिलनाडु के लोग जल को ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तथा वे 100 टी० एम० सी० जल बर्बाद कर रहे हैं । हाल की विपदा के कारण न तो कर्नाटक और न ही तमिलनाडु जल का भंडारण करने की स्थिति में है क्योंकि जल अधिक है तथा वह समुद्र में बह रहा है । जल का भण्डारण करने की कोई सुविधा अथवा सम्भावना नहीं है ।

एक माननीय सदस्य द्वारा यह बात कही गई है कि कर्नाटक अपने सिंचाई योग्य भूमि की क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है जबकि तमिलनाडु को अधिक प्राथमिकता दी गई है । यह सही नहीं है । महोदय, 1924 के अधिनियम के अनुसार ऐसा केन्द्रीय सरकार की सहमति से कर रहे हैं किसी भी समय तमिलनाडु ने समझौते अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है । इसके विपरीत हमारे कर्नाटक के साथी अब तक सभी मानदण्डों का उल्लंघन करते रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना उन्होंने विभिन्न बांधों का निर्माण कर लिया है । इस समय मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता हूं । मैं केवल अपने राज्य की उन्नति के लिए जल की मांग कर हूं । यह कहकर कि तमिलनाडु के लोग समस्या को और बिगाड़ रहे कहने में कोई फायदा नहीं है। हमने हमेशा सहयोग किया है जब भी प्रधानमन्त्री की ओर से ऐसी कोई अपील की जाती है—जब भी जैसे भी निर्देश केन्द्रीय सरकार से मिलते, हमने तुरन्त तथा हमेशा ही उसका पालन किया है और हम ऐसा करते रहेंगे ।

हमारे विपक्ष के मित्रों विशेषकर श्री धनन्जय कुमार तथा श्री गौड़ा ने कहा है—चाहे वह भावनाओं में बहकर कहा हो, कि कर्नाटक में पंजाब जैसी स्थिति होने वाली है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा से अपील करना चाहता हूं कि यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें राजनीतिक फायदा उठाया जाए । यह ऐसा मामला है जो हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है । यह ऐसा मामला है जिस पर सारी मानवता चिन्तित है । यह ऐसा मामला है जिस पर दोनों राज्यों के समस्त कृषि समुदाय चिन्तित हैं । हमें इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए । महोदय, यह ऐसा समय है जब लोगों को यह बताना चाहिए कि सच्चाई से बिल्कुल भिन्न है । यदि कर्नाटक के लोगों को तथ्य बता दिए गए होते तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह नहीं होती ।

खैर, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है मैं कहूंगा कि 205 टी० एम० सी० जल जो हमें आदेशानुसार दिया गया है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है और हमें और अधिक मात्रा में जल चाहिए । जो भी अन्तिम निर्णय न्यायाधिकरण देता है हम उसे मानने को तैयार हैं । हम इसका आदर करेंगे तथा इसका पालन करेंगे । हम केन्द्र अथवा राज्यों के हितों के विरुद्ध नहीं जाएंगे ।

हमने उस समय प्रधानमन्त्री महोदय का स्वागत किया जब हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह दोनों मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुला रहे हैं। जिसके अनुसार कोई निर्णय लिया जा सकेगा। इस व्यवस्था से दोनों राज्यों को मदद मिलेगी।

अतः हमारे माननीय नेता श्री पी० वी० नरसिंह राव के वक्तव्य से हमें यह विश्वास है कि दोनों राज्यों तथा विशेषकर दोनों राज्यों के किसानों को लाभ प्राप्त होगा।

महोदय, मैं कर्नाटक के लोगों से एक और बात की अपील करूंगा कवल 23 प्रतिशत लोग जो बंगलौर में रह रहे हैं तमिल हैं। वे वहां रह रहे हैं तथा कर्नाटक के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। अतः वे प्रभावित न होने पाएं।

मैं फिर इस माननीय सभा तथा आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे पहल करें तथा तथा तमिलों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें। ऐसी बातें कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह तमिलनाडु हो, या कर्नाटक हो या अन्य कोई स्थान हो। केवल रंग के कारण हमारे साथ भिन्नता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। केवल भावनाओं के कारण हम लोगों पर हमला करते हैं। इसे रोकना चाहिए।

मैंने अपने एक मित्र से टेलीफोन पर बातचीत की थी उन्होंने बताया कि तमिल समाचारपत्र 'दीनातनती' पर हमला किया गया है। तमिल लोगों पर हमला किया गया है संसद सदस्यों के निवास स्थानों पर भी हमला किया गया है यह कोई साधारण बात नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए तथा सरकार—केन्द्रीय तथा राज्य दोनों—को दृढ़ता से कार्यवाही करनी चाहिए तथा लोगों को बचाना चाहिए।

आप भी लोगों को विश्वास में ले सकते हैं तथा कावेरी जल विवाद को हल कर सकते हैं। इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसाकि हमारे प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा है।

हम सब यह नोट करके खुश हैं कि प्रधानमन्त्री ने इस मामले का हल निकालने के लिए गम्भीरता से कार्यवाही की है इसलिए कर्नाटक के लोगों की सहायता भी की जाए। आपको यह भी देखना चाहिए कि वे भावनाओं में न बहें।

इन शब्दों के साथ मुझे यह अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (टुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जोकि पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से सूखा पीड़ित है। कर्नाटक सरकार ने हेमवती एक नहर उपलब्ध कराने की कृपा की है। यह हमें पीने का पानी प्रदान करने का एकमात्र साधन है। टुमकुर भी न्यायाधिकरण के आदेश से प्रभावित हुआ है। सारा टुमकुर जिला अस्त-व्यस्त हो गया है। हमें अत्यधिक आशाएं थीं कि हम मानवीय जीवन जी सकते हैं। यहां पिछले 15 वर्षों से बहुत अधिक वेदना और पीड़ा व्याप्त हैं। संभवतः प्रति वर्ष लोग अपने जीवन-यापन के लिए बाहर चले जाते हैं। अब इस आदेश के कारण हम वास्तव में आशाएं खो चुके हैं। मैं न्यायाधिकरण उच्चतम न्यायालय के कार्य-निष्पादन अथवा कर्नाटक सरकार की कार्य-प्रणाली के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सभी तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। उन्होंने इस माननीय सभा के समक्ष बहुत स्पष्ट रूप से तथा पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वे बहुत ही विश्वासप्रद हैं।

अब पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। यह सही है कि दोनों राज्यों के बीच गलतफहमी है। यह एक एकात्मक प्रकार की सरकार है। जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर छोड़ी गयी है। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जल विवाद से सम्बन्धित दोनों राज्यों को बातचीत के लिए

राजी करें तथा उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि तमिलनाडु का हिस्सा कितना है तथा कर्नाटक का हिस्सा कितना है।

यदि इस मामले में कोई लापरवाही अथवा देरी होती है तो इससे और अधिक भ्रान्ति पैदा होगी। तथा लाखों जानें जाएंगी तथा सम्पत्तियों को क्षति पहुंचेगी। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को जागरुक रहना होगा। सामान्यतः एक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि हजारों या करोड़ों लोगों से सम्बन्धित जब इस प्रकार का कोई नाजुक मामला हो तो सरकार को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। कोई भी समस्या न्यायाधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा हल नहीं की जा सकती है। समस्याओं का हल बातचीत, वाद-विवाद तथा समुचित समझदारी से होता है।

मुझे बहुत खुशी है कि प्रधान मन्त्री महोदय ने सभा में यह वक्तव्य दिया है कि वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों को बुला रहे हैं तथा वर्तमान समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे।

मैं इस बात से भी बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे जल संसाधन मन्त्री महोदय भी इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे वस्तुतः चिन्ता है कि कल भाषा का मामला भी उभर सकता है। हजारों परिवार ऐसे हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में ही रह रहे हैं। हम जानते हैं कि आज राजनीतिज्ञों के हाथ में कुछ नहीं है। हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि इन सभी वर्षों में हम चुप रहे हैं, कि जबकि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित था, जबकि यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपा गया था तब हम स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ पाए थे। उस समय लोग यह पूछ सकते हैं कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछने का अवसर उनके लिए खुला हुआ है।

हमारे मित्रों ने कहा है कि गधों को सड़कों पर घुमाया गया था तथा इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। हम लोगों की उस वेदना तथा पीड़ा को समझते हैं जो गम्भीर नुकसान लोगों को हो रहा है।

हमारे एक मित्र ने कहा हैं कि हमारे राज्य में अनेक नदियां हैं। कर्नाटक में कितनी नदियां हैं? नदियां कहां हैं? कावेरी ही एकमात्र नदी है। दूरदर्शिता की कमी के कारण हमने राज्य में बहुत-सी चीजें खो दी हैं। परन्तु अब यह कर्नाटक के लोगों के लिए एक और बड़ा धक्का है।

मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मित्रों ने सभी तथ्यों तथा आंकड़ों को बहुत विश्वासप्रद ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं केन्द्रीय सरकार तथा जल संसाधन मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि वे अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करें तथा यह देखें कि दोनों राज्य एक साथ इस मामले का हल करें तथा आपसी बातचीत से न्यायोचित ढंग से इस मामले को तय कर लें। न्यायालय के आदेश के कारण एक पक्ष लाभप्रद स्थिति में हो सकता है तथा दूसरा पक्ष नुकसान में। परन्तु इससे समस्या का हल नहीं होगा। हम कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। दोनों राज्यों में मित्रता है तथा लोग सहयोगपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। अतः केन्द्रीय सरकार तथा माननीय मन्त्रियों को चाहिए कि वे इस मामले को बहुत गम्भीरता से लें तथा बातचीत द्वारा इसे सौहार्द्रपूर्वक हल करें।

मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से मित्र अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। मैं उनका अधिक समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष महोदय, उनको भी समय देंगे। हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में भी वापस जाना है। यदि चर्चा में ठीक से भाग नहीं लेंगे तो तब हमारा भविष्य क्या होगा? मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अध्यक्ष महोदय काफी लम्बे समय तक बैठे रहे हैं। हमारे कुछ मित्र जो विभिन्न राजनीतिक

दलों के हैं, स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए यहां पर बैठे हुए हैं तथा सभा की कार्यवाही को चलने दे रहे हैं।

मैं एक बार फिर विनम्रतापूर्वक प्रधानमन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले को बहुत ही गम्भीरता से लें तथा अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं कि कुछ मित्रों को भी बोलने की अनुमति दें जो इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है तथा लोग किस प्रकार आन्दोलन कर रहे हैं ?

मुझे विश्वास है कि वह उन्हें समय देंगे। मैं इस बारे में बहुत गम्भीर हूं हमें अपने चुनाव क्षेत्रों में भी वापस जाना है।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें समय देंगे।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या : अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं तथा मेरे दोस्तों को कुछ समय मिलना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलहुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, जुलाई के महीने में सभा में बोलते हुए मैंने केन्द्रीय सरकार पर कर्नाटक सरकार के साथ मिली-भगत का आरोप लगाया था। आज, अति-नम्रतापूर्वक मैं वह आरोप वापस लेता हूं।

कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करके भारत सरकार ने संसद की प्रतिष्ठा का मान रखा है। संसद ने ही अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम को पारित किया था।

इस आदेश को अधिसूचित करके सरकार ने न्यायाधिकरण की प्रतिष्ठा का भी मान रखा है जो पूरे न्यायिक औचित्य के साथ सुनवायी कर रहा था और अभी भी कर रहा है।

कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करके भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय का भी मान रखा है जिसने निर्देश दिया था कि न्यायाधिकरण एक अन्तरिम आदेश दे और भारत सरकार उस आदेश को अधिसूचित करे।

इस आदेश को अधिसूचित करके भारत सरकार ने संविधान की प्रतिष्ठा का भी मान रखा है क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि देश का कानून का आदर प्रत्येक राज्य करे।

कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करके भारत सरकार ने न तो तमिलनाडु को पानी दिया है, न ही इसने कर्नाटक से पानी छीना है। भारत सरकार ने केवल न्याय दिलाया है क्योंकि न्यायिक मंचों ने निर्धारित किया है कि क्या ठीक है और क्या उचित है।

कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करके भारत सरकार ने प्रजातांत्रिक संस्थानों के सम्मान का मान रखा है।

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को शुरू करते हुए भाजपा के श्री धनंजय कुमार ने कुछ काफी प्रासंगिक सवाल उठाए थे। प्रथमतः उन्होंने पूछा कि क्या अन्तरिम आदेश को लागू किया जा सकता है ? दूसरे, उन्होंने पूछा कि क्या यह आदेश व्यावहारिक है ? तीसरे, उन्होंने पूछा कि क्या भारत सरकार

में राजनैतिक इच्छा शक्ति है ? और चौथे उन्होंने पूछा कि क्या यह इस ज्वलंत समस्या का राजनैतिक समाधान है ? मैं उनके हर सवालों का एक-एक वाक्य में जवाब देना चाहता हूं ।

उनके पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जी हां, वास्तव में यह है । न्यायाधिकरण के आदेश को निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है, बशर्ते कि इसे लागू करने वाले लोग अपने सांवैधानिक एवं कानूनी उत्तरदायित्वों को निभाएं । हां, जब जिन पर इसे लागू करने का भार है वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असफल रहे, तो इसके लागू न होने का खतरा हो सकता है ।

उनका दूसरा सवाल इसकी व्यावहारिकता के बारे में है । मेरा विचार है कि यह व्यावहारिक है । न्यायाधिकरण, उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार सभी के अनुसार यह व्यावहारिक है । पर शायद हमारे कर्नाटक के मित्रों, भाई-बहनों के दिमाग में इसके लागू किए जाने के बारे में जो शंका है, वह सही है । कभी कभार ऐसी विशेष परिस्थितियां जरूर सामने आ सकती हैं जिसमें किसी विशेष बात को व्यावहारिक रूप से लागू करना मुश्किल हो या किसी संकट के समय अस्थायी रूप से उसे कर पाना कठिन हो ।

मुख्य रूप से इस प्रकार की व्यावहारिक समस्या से निपटने के लिए ही प्रधानमन्त्री ने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के मुख्यमन्त्रियों को बुलाने का तथा उनसे उनकी कठिनाइयों के बारे में बातें करने का व्यावहारिक कदम उठाया है । कोई भी तमिल किसी भी कर्नाटक निवासी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है ।

8.00 म० प०

तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति जिसके विचार कर्नाटक के लोगों के प्रति अच्छे नहीं हैं, एक अच्छा तमिल नहीं कहा जा सकता है । अतः, यदि व्यवहारिक समस्या है तो उन्हें दूर करने का रास्ता भी है । कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों को यहां बुलाकर प्रधानमन्त्री ने एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है । और मुझे प्रसन्नता है कि न सिर्फ तमिलनाडु की मुख्यमन्त्री ने इस सभा के बाहर इस बात की पुष्टी की है कि वह आ रही हैं बल्कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इसकी पुनः पुष्टि की है । अतः हमें इस कारण न तो शक करने की कोई जरूरत न चिन्ता करने की, न ही परेशान होने की ।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार को इस अन्तरिम निर्णय के क्रियान्वयन से उठने वाली समस्याओं का समाधान करने की, राजनीतिक इच्छा है ? मैं समझता हूं कि जल संसाधन मन्त्री के मुख्य कृत्य से यह पता चलता है कि भारत सरकार सचमुच इच्छुक तो है । यह इस इच्छा मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अन्तिम दो पैराओं में व्यक्त किया गया है, और उस इच्छा पर आज शाम थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा दिए वक्तव्य में पुनः बल दिया है । भारत सरकार नहीं चाहती है कि कर्नाटक में आग भड़के । भारत सरकार नहीं चाहती है कि कर्नाटक के लोगों का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, भारत सरकार कर्नाटक में तमिलों पर किए गए अत्याचार में भागीदार नहीं होना चाहती है । भारत सरकार का राजनीतिक इरादा है । वह अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग है उसे अपने जिम्मेदारियों की जानकारी है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश को लागू करने से उठने वाली किसी भी समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए ।

अब मैं श्री धनंजय के चौथे प्रश्न पर आता हूं। उनका प्रश्न था कि क्या इस ज्वलंत समस्या का यही समाधान है ? उत्तर है, नहीं। यह ज्वलन्त समस्या का समाधान नहीं है। यह इस ज्वलंत समस्या का अन्तरिम समाधान है। हमें यह मानना चाहिए कि जो आदेश कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने दिया है वह अन्तरिम आदेश है। न्यायाधिकरण की कार्यवाही चल रही है। इस सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने आज कर्नाटक के बारे में जो भी वक्तव्य दिए हैं।

मैं समझता हूं उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए। ये सभी तथ्य, ये सभी आंकड़े और श्री देवगौडा द्वारा तोड़-मरोड़ कर जो इतिहास हमारे सामने पेश किया गया, उसे न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए। मैं कर्नाटक सरकार से यह अपील करता हूं कि वह वास्तव में अच्छे वकील खोजें। मैं कर्नाटक सरकार से अपील करता हूं कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न दें। मैं कर्नाटक सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बारे में काफी ध्यानपूर्वक सोचें कि उसके लिए हितकर क्या है, मुद्दे क्या हैं तथा न्यायाधिकरण के समक्ष जाएं और मुझे उम्मीद है तमिलनाडु सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने पक्ष में जो भी बहस की जाएगी उसके उत्तर में अपने पक्ष में तर्क दे। न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करना है कि क्या सही है और क्या उचित है। यदि इस संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला किसी ऐसे न्यायाधिकरण को भेजा जाता है जिसका अस्तित्व इस सभा की इच्छा पर निर्भर करता है जो यह भी इस सभा का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने विचार को सही मंच के समक्ष रखें, उस मंच के निर्णय की प्रतीक्षा करे और उस मंच के निर्णय का सम्मान करे। चाहे न्यायाधिकरण के समक्ष तथ्यों को रखना हो या न्यायाधिकरण से पुनर्विचार करवाना हो या उच्चतम न्यायालय में जाने का मामला हो, किसी भी ईमानदार, शिष्ट अथवा अच्छे तमिल ने कभी भी कर्नाटक को अन्य संभव कानूनी उपाय का सहारा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास नहीं किया। निःसंदेह यह अधिकार है, और इसके अतिरिक्त यह कर्नाटक सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाए। और अदालत के निर्णय के बाद भी यह भारत सरकार का कर्त्तव्य और उतना ही तमिलनाडु सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारी बहनें कर्नाटक के हमारे साथी नागरिकों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। तमिलनाडु का कोई भी हित कर्नाटक के हित को नुकसान पहुंचाकर सिद्ध नहीं हो सकता है।

हमने श्री धनंजय से अनेक दिलचस्प आंकड़े सुने। उन्होंने एक आंकड़े को छोड़ दिया है। कितने भारतीय—मैं यहां तमिल शब्द को प्रयोग करने से इनकार करता हूं—मैं जानना चाहता हूं कि कितने भारतीय नागरिक कावेरी के डेल्टा में रहते हैं और उससे आगे नदी मार्ग के समीपस्थ इलाकों में कितने भारतीय नागरिक रहते हैं। कावेरी नदी मार्ग से लगे इलाकों से लगभग तीन गुना भारतीय नागरिक डेल्टा में रहते हैं।

दूसरी बात मैं उन फसलों के बारे में पूछना चाहता हूं जो कावेरी डेल्टा में उगाई जाती हैं। यह कहां जाती हैं ? क्या यह श्रीलंका भेजी जाती हैं ? क्या यह पाकिस्तान भेजी जाती है ? क्या इनकी खपत तमिलनाडु में ही हो जाती है ? यह भारत के अन्नभण्डार में हमारा योगदान है। हम तमिलनाडु में खाद्य उत्पादन अथवा कर्नाटक में खाद्य उत्पादन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत में खाद्य उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं और कावेरी डेल्टा भारत का धान का कटोरा है।

अकेले पुराने तंजाबुर जिले में ही जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, कृषि पर लोगों की

निर्भरता बहुत अधिक है। केवल इस एक जिले में तीन संसदीय निर्वाचन हैं और चौथे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग भी शामिल है क्षेत्रों के बराबर जनसंख्या है। यही कारण है कि इस जल पर न केवल कावेरी डेल्टा या केवल तमिलनाडु के लोगों को नहीं, बल्कि भारत के इतने लोग इस जल पर निर्भर हैं। (व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : कर्नाटक के कावेरी बेसिन की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है जोकि कर्नाटक की कुल जनसंख्या की आधी है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरी किसी के भी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे में इस मामले को सुलझाना पूर्णतः सम्भव है जबकि न्यायाधिकरण इस मामले को सुलझा रहा है और प्रधानमन्त्री स्वयं मुख्यमन्त्रियों के बीच बातचीत द्वारा कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के हितों की रक्षा में लगे हैं। मैं समझता हूं कि श्री धनंजय कुमार, श्री एच० डी० देवगौडा जैसे शुभाकांक्षी, बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों के लिए यह संभव है कि वे एक साथ मिल बैठकर यह विचार कर सकते हैं कि हम वर्तमान स्थिति का क्या सर्वोत्तम समाधान कर सकते हैं। यहां, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा :—

सर्वप्रथम मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह न्यायाधिकरण को उसका अन्तिम निर्णय शीघ्र देने के लिए आदेश दे ताकि ज्वलंत मामले को यथाशीघ्र सुलझाया जा सके।

दूसरे, मैं भारत सरकार से तत्काल कावेरी डेल्टा पुनर्वास प्राधिकरण स्थापित करने का अनुरोध करूंगा ताकि हम अन्तरिम निर्णय में निर्दिष्ट जलराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग करके जैसाकि कावेरी डेल्टा जल संग्रहण प्रणाली कृषि प्रणाली को इस्तेमाल कर सकें। जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान इस सिंचाई के अनुरूप अपने को तैयार कर लें कि अब उन्हें कावेरी बेसिन से प्रचुर जल नहीं मिल पाएगा, कि उन्हें सीमित मात्रा में लेकिन नियमित रूप से पानी सप्लाई किया जाता रहेगा।

तीसरे, मैं जल संसाधन मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर का उपयोग कर उस सपने को साकार करें जिसे राजीव जी ने जल नीति बनाने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख रखा था। इस प्रकार के विवाद जोकि केवल गड़बड़ फैला रहा है, ये उलझने के बजाय यदि हमारी कोई राष्ट्रीय जल नीति है, यदि हम यह महसूस करते हैं कि जल राष्ट्रीय संसाधन है, यदि हम मानते हैं कि कावेरी का जल केरल अथवा कर्नाटक अथवा तमिलनाडु अथवा पांडिचेरी किसी एक का नहीं है, बल्कि सारे भारत का है और इसके विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग से सारे भारत को लाभ होगा, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जल विवाद यदि पूर्वतः समाप्त नहीं भी होगा, तो इसमें कम-से-कम कमी जरूर आएगी।

मुझे दो बातें और कहनी हैं। मैं जल संसाधन मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि भारत प्रायद्वीप की नदियां अर्थात् महानदी से गोदावरी, कृष्णा, पीनार और कावेरी को जोड़ने का कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाए। यदि हम इन्हें जोड़ देते हैं, तो भारत प्रायद्वीप अत्यन्त समृद्ध हो जाएगा। तब यह बात आड़े नहीं आएगी कि कौन-सी नदी कहां से निकलती है और कहां समाप्त होती है। हम सभी के पास प्रचुर जल होगा और जो जल समुद्र में बहकर बेकार हो जाता है, वह समुद्र में बहने से रुक जाएगा।

अन्त में, मैं इस हस्तक्षेपस्वरूप भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा मैं भारत सरकार से यह जानने का अनुरोध करूंगा कि अन्तरिम निर्णय से कर्नाटक को आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। वह इस दृष्टि से कि पहली बार अयाकट जोकि इस समय कर्नाटक की सिंचाई व्यवस्था में शामिल है, उसे न्यायसंगत माना गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जब हमने इसे न्यायसंगत मान लिया है, तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक को यथासम्भव अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाए ताकि कर्नाटक जल आपूर्ति का और उसके साथ ही उसके द्वारा निर्मित सिंचाई प्रणाली का बेहतर उपयोग कर सके और इसके लिए इसका आधुनिकीकरण कर सके और इसका इस प्रकार उपयोग करे ताकि कर्नाटक हजारों वर्षों तक फलता-फूलता रहे, जैसे हमारा डेल्टा हजारों वर्ष से फल-फूल रहा है।

***श्री वी कृष्णा राव** (चिक्कबल्लापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम एक सदी पुराने जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं मेरे अनेक मित्रों ने पहले ही विवाद के अनेक पहलुओं का ब्यौरा दे दिया है। इसलिए, मैं अपने भाषण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तक ही सीमित रखता हूं।

कावेरी नदी कर्नाटक राज्य को भगवान का दिया हुआ उपहार है। कर्नाटक के लाखों लोगों का जीवन तथा उन्नति कावेरी नदी पर निर्भर है। कावेरी नदी का तीन चौथाई हिस्सा कर्नाटक राज्य में है, परन्तु तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का अधिकांश हिस्सा मिलता है। वास्तव में मैसूर के तत्कालीन दीवान स्वर्गीय सर एम० विश्वेश्वरेय्या ने वर्ष 1916 में यही कहा था। कावेरी नदी में बहने वाले कुल पानी का तीन चौथाई भाग मैसूर क्षेत्र से बह कर जाता है। परन्तु जैसा कि पहले बताया गया है मैसूर से कुल जितना पानी बहकर जाता है राज्य को उसका तदनुरूप और उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में है तथा यह कर्नाटक में बहती है। परन्तु तमिलनाडु राज्य द्वारा इस नदी का भगवान के दिए उपहार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह नदी तमिलनाडु के उस क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान है। कावेरी नदी का विवाद एक सदी पुरानी समस्या है। उन दिनों कर्नाटक राज्य पर महाराजाओं का शासन था। मद्रास राज्य पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासकों ने कर्नाटक की अपेक्षा भी यह अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र था तथा इसका कोई प्रभाव नहीं था। मद्रास का अपना जमावड़ा था तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए मद्रास राज्य को पर्याप्त पानी मिल जाता था यह पद्धति आज भी प्रचलित है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा के किसानों का वर्ष में तीन फसलें मिलती हैं तथा सिंचाई योग्य कुल क्षेत्र 38 लाख एकड़ से अधिक है। कर्नाटक के किसानों को केवल एक फसल के लिए कावेरी नदी से पानी मिलता है तथा कावेरी डेल्टा में कुल सिंचित क्षेत्र केवल 11 लाख एकड़ है। हमें विभिन्न राज्यों में कावेरी जल के प्रवाह के आधार पर पानी मिलना चाहिए। नदी के उद्गम स्थल तथा प्रवाह के आधार पर पानी दिए जाने का अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिए। इस समय हमें बहुत कम पानी मिल रहा है। कर्नाटक के किसान बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं और कावेरी नदी के जल के लिए याचना कर रहे हैं। वर्ष 1924 में इन दो राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का क्या हुआ? इस महान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य जानते हैं कि वर्ष 1973 में हुए उस समझौते का क्या हुआ। उसके बाद नई राजनीति प्रारम्भ हो गई और मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु कर्नाटक के किसान अत्यधिक कठिनाई में हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। अब कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कर्नाटक के किसानों को बचाना अत्या-

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

वश्यक हो गया है । अब यह मामला प्रधानमन्त्री के हाथ में है । हमारे माननीय प्रधानमन्त्री बहुत अधिक अनुभवी हैं तथा मुझे विश्वास है कि वह कावेरी जल विवाद की ज्वलंत समस्या का समाधान ढूंढ़ लेंगे । इस सभा के माननीय सदस्यों को प्रधानमन्त्री के हाथ सुदृढ़ करने चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों राज्यों में शान्ति और मैत्री भाव बना रहे । तमिलनाडु के किसान हमारे भाई हैं । हम सब एक ही देश, भारत से सम्बन्धित हैं । परन्तु इसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त हो । इसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । कर्नाटक के लोग इस देश के शान्तिप्रिय नागरिक हैं । वे लूट, आगजनी इत्यादि जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस । मैं माननीय प्रधानमन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में आएं तथा वास्तविकता की जांच करें । तथ्यों की जांच की जानी चाहिए और यदि किसी राज्य के साथ अन्याय हो रहा हो, तो उसमें दूरा किया जाना चाहिए । तमिलनाडु के माननीय सदस्य यदि हमारी स्थिति में होते तो क्या वे न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अन्तरिम आदेश को स्वीकार कर पाते । वे अपने सद्विवेक से इस बात का उत्तर दें । ऐसा नहीं होना चाहिए । आज किसान और अन्य सम्बन्धित लोग आन्दोलन की राह पर चल रहे हैं । वे घोर व्यथा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आन्दोलन कर रहे हैं । पिछले तीन दिनों में अनेक अनुचित घटनाएं घटित हुई हैं । इन घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही यह घटनाएं घटित हुई हैं । भूमि तथा जल सभी नागरिकों के लिए होता है । इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कर्नाटक के किसानों के साथ अत्यधिक अन्याय किया जा रहा है । इससे पहले कि स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो, स्थिति में शीघ्र सुधार किया जाना चाहिए । हम माननीय प्रधानमन्त्री से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था । मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री तथा जल संसाधन मन्त्री इस गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए शीघ्र उपाय करेंगे । इस महान सभा में प्रधानमन्त्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन सभी सदस्यों को बहुत अच्छा लगा । वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों को बातचीत करने तथा मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं ।

कावेरी जल विवाद एक बहुत पुरानी समस्या है तथा इसे आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसका स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए । निश्चय ही यह न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के माध्यम से नहीं होना चाहिए । हम केवल बातचीत के माध्यम से ही मैत्रीपूर्ण समाधान की खोज कर सकते हैं । मुझे आशा है कि प्रधानमन्त्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन ने सभी भ्रांतियां और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी ।

मेरे प्रिय मित्र माननीय मणिशंकर अय्यर ने गोदावरी, महानदी और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया है । निश्चय ही इस जटिल जल विवादों को निपटाने में यह सहायक होगा । यह देश को प्रगति और समृद्धि के नए युग में ले जाने में भी समर्थ होगा । अतः और समय व्यर्थ न करके नदी को जोड़ने का यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए ।

हमें यह समाचार मिला है कि कुछ संसद सदस्यों के घर लूट लिए गए आन्दोलनकारियों को हमारे घरों में आने दो । यदि वे हमें पीटें भी तो भी हम बुरा नहीं मानेंगे । परन्तु हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे किसानों को न्याय नहीं मिल पाता । मेरे माननीय मित्र श्री देवगौड़ा ने अभी हमें कर्नाटक के सभी सदस्यों पर डाले गए दबाव के बारे में बताया । बंगलौर की गलियों में

सदस्यों के नाम गधों का लगाकर जलूस निकाला गया। कुछ संसद सदस्यों के घर लूट लिए गए। मेरे मित्र श्री सी० पी० मृदाल गिरियप्पा का घर बंगलौर में नष्ट कर दिया गया। उनकी पत्नी तथा घर के अन्य सदस्य शरण लेने के लिए कहीं भाग गए। माण्ड्या में श्री माडे गौड़ा का घर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। विशेष रूप से बंगलौर, माण्ड्या तथा मैसूर में ऐसी अनेक वारदातें हुई हैं। मैं ऐसी स्थिति का सामना करने से नहीं डरता, परन्तु कर्नाटक के किसानों को कावेरी जल का पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए। हम न्याय चाहते हैं। श्री देवगौड़ा और माडे गौड़ा ने कहा कि यदि कर्नाटक के किसानों को न्याय नहीं मिला, तो वह त्यागपत्र दे देंगे। मेरी भी यही राय है। अपने किसानों के हित के लिए मुझे इस सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने में भी संकोच नहीं होगा।

पिछली एक सदी से भी पहले से कर्नाटक के किसान अत्यधिक कष्ट सह रहे हैं। इस कष्ट को समाप्त किया जाना चाहिए कावेरी नदी के चारों जलाशयों में पानी की कुल भण्डारण क्षमता 100 टी० एम० सी० से अधिक नहीं है। फिर कोई भी व्यक्ति यह आशा कैसे कर सकता है कि इन जलाशयों में से 205 टी० एम० सी० जल छोड़ा जाए। यह गणना करना तथा आंकड़े निकालना आसान है। परन्तु वास्तविकताओं को समझ पाना बहुत कठिन है। सांख्यिकीय विदों को ये कटु तथ्य समझाने चाहिए। तमिलनाडु को और अतिरिक्त पानी देने के लिए हम कहां से पानी लाएंगे? क्या हम भगवान भागीरथ से पर्याप्त अवधि तक वर्षा करने के लिए प्रार्थना करें? यह उचित समय है और कर्नाटक के किसान वास्तविकताओं से आखें बन्द नहीं कर सकते। अंग्रेजों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। यदि यह उपेक्षा अभी भी जारी रहती है, तो लोग इसे सहन नहीं करेंगे और वे सभी प्रकार के आन्दोलनों का सहारा लेंगे। जैसाकि मैंने पहले बताया कि तमिलनाडु में तीन फसलें, उगाई जाती हैं, जबकि कर्नाटक में किसानों को केवल एक फसल उगाकर ही सन्तुष्ट होना पड़ता है। एक आंख पर मक्खन और दूसरी आंख पर चूना क्यों लगाया जा रहा है? इस असन्तुलन को शीघ्र सही किया जाना चाहिए। हम तमिलनाडु के किसानों की कीमत पर किसी प्रकार का पक्षपात करने की मांग नहीं करते। इसी प्रकार कर्नाटक के किसानों की कीमत पर तमिलनाडु के किसानों का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के अन्याय के बिना उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। अनेक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमन्त्री और जल संसाधन मन्त्री से मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्षों पुराने विवाद का हमारे माननीय प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के निर्देशाधीन समाधान हो जाएगा। इसका श्रेय हमारे माननीय मन्त्री श्री वी० सी० शुक्ला को भी इस समस्या का समाधान करने का प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि किसी भी तरफ का पक्ष लिए बिना शीघ्र समाधान हो जाएगा।

कर्नाटक के चार जलाशयों से और अधिक पानी छोड़ने की मांग की जा रही है। मैं माननीय ई० सी० वैंकटरमय्या द्वारा दिए गए वक्तव्य की याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "आप सम्पूर्ण गंगा नदी का पानी बंगलादेश को दे रहे हैं क्योंकि वह मांग कर रहे हैं।" अतः इस मामले में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए यहां, हम सब बराबर हैं। कोई भी राज्य दूसरे राज्यों से उच्च नहीं है। वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हमें बराबर वितरण करना चाहिए तथा हम सभी को न्याय प्राप्त होना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार उपयुक्त उपाय करेगी। आप कृपया शीघ्र चर्चा के लिए श्रीमती जयललिता और श्री बंगरप्पा को बुलाएं। सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री मैत्रीपूर्ण ढंग से इस विवाद मामले का समाधान कर देंगे। सभी राज्यों में शान्ति और मित्रता बनी रहे।

महोदय, मुझे बोलने के लिए इतना अधिक समय प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, अभी कितने वक्ता हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी 4 वक्ता हैं। इसलिए मैं सबसे यह रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि संक्षेप में बोलें।

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : महोदय, मुझसे पूर्व बोलने वालों सदस्यों ने पहले ही कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की वैधताओं और प्राविधिकताओं का उल्लेख कर दिया है। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसाकि श्री धनंजय कुमार ने कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि न्यायाधिकरण के आदेश को कार्यान्वित करना कैसे अव्यवहार्य है। श्री अय्यर ने कहा कि न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने जलाशय से जल छोड़ने का निदेश दिया है कि तमिलनाडु के मेंटूर जलाशय में वर्ष में जून से मई तक 205 टी० एम० सी० फुट जल उपलब्ध रहे। न्यायाधिकरण ने निदेश दिया है कि यह आदेश 1 जुलाई, 1991 से प्रभावी होगा। न्यायाधिकरण ने यह भी निदेश दिया है कि इस प्रकार जल छोड़ना मासिक निश्चित मात्रा पर आधारित होगा और किसी विशेष के दौरान जल छोड़ने का कार्य चार सप्ताहों में चार बराबर किश्तों में किया जाएगा। यह भी निदेश दिया गया है कि यदि किसी विशेष सप्ताह में जल की अपेक्षित मात्रा देना सम्भव नहीं हो तो इस कमी को बाद वाले सप्ताह में बढ़ाया जाएगा।

न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया है। देश में कोई भी न्यायाधिकरण सप्ताहवार कैलेण्डर तैयार नहीं करता जो कि कार्यान्वित करने के लिए अव्यवहार्य होने के अतिरिक्त भ्रांतिपूर्ण है। यदि किसी सप्ताह में कमी रहती है तो उसे अगले सप्ताह में पूरा करना होगा। यह जल छोड़ने की इस प्रक्रिया को जल की कुल उपलब्धतता से नहीं जोड़ा गया है। इसलिए 205 टी० एम० सी० जल देने का अन्तरिम आदेश पास करने से पहले न्यायाधिकरण ने बेसिन में उपलब्ध कुल जल अथवा कर्नाटक की आवश्यकता या तमिलनाडु के प्रयोग में आने वाली वर्तमान आवश्यकता के बारे में विचार नहीं किया है। इस प्रकार, जब अन्तरिम आदेश की घोषणा की गई तब हमने महसूस किया और इसे स्पष्ट भी किया कि अन्तरिम आदेश मनमाना है और अत्यधिक अवैज्ञानिक और अव्यवहार्य है।

अतः, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अन्तिम आदेश पास करते समय न्यायाधिकरण के कुछ आधारों पर कम से कम तथ्यों की पुनरीक्षा करनी चाहिए थी। तमिलनाडु में दो मानसून आते हैं—दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी। जबकि कावेरी बेसिन में कर्नाटक के लोगों के लिए केवल एक मानसून है और वे केवल एक फसल उगाते हैं। तमिलनाडु में यह लोग तीन फसलें पैदा कर रहे हैं। यह नोट किया जाना चाहिए।

न्यायाधिकरण कर्नाटक में कावेरी बेसिन की 11.2 लाख एकड़ भूमि के लिए सम्भावित सिंचाई व्यवस्था सुरक्षित करने में असफल रहा है। न्यायाधिकरण ने सूखे के समय जल बांटने के लिए कोई

योजना नहीं प्रस्तुत की है। इसका अन्तरिम आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, अन्तरिम आदेश पास करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार किया गया है।

जैसाकि मेरे साथियों ने उल्लेख किया है, कर्नाटक में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। स्थिति में तनाव है। यह स्थिति कैसे आरम्भ हुई ? भारत सरकार द्वारा इस अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करने का निर्णय लेने के बाद यह आन्दोलन आरम्भ हुआ और हिंसा भड़की। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। मुझे बताया गया है कि अनेक उद्योग नष्ट कर दिए गए हैं। केवल बंगलौर शहर में मृतकों की संख्या 10-12 तक पहुंच गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि केवल कानून अथवा न्यायाधिकरण का अभिमत इस समस्या को नहीं सुलझा पाएगा।

उन्होंने कहा कि हमें न्यायाधिकरण के निर्णय का आदर करना चाहिए। हमें उच्चतम न्यायालय के मत का आदर करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का क्या विचार है और न्यायाधिकरण का क्या निर्णय है और भारत सरकार की क्या भूमिका है। लेकिन कावेरी बेसिन में प्रभावित किसानों के बारे में क्या विचार है ? क्या वे इन सब बातों को समझने में समर्थ हैं ? लेकिन वे पानी चाहते हैं क्योंकि वे पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल अधिसूचना को अधिसूचित करने से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। इसका कार्यान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि हम इस अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्यान्वयन समिति गठित करने जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत कठिन है। अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन कार्य है।

संसद सदस्य प्रधानमन्त्री से मिले हैं। हमारे राज्य से सभी दलों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया था। प्रधानमन्त्री ने हमें आश्वासन दिया कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बांटने का यह मामला न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा। हमारे जल संसाधन मन्त्री ने कहा है कि यह मामला दो राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए। इस सभा के सदस्य वास्तव में प्रधानमन्त्री की इस घोषणा से खुश हैं कि वह दोनों मुख्य मन्त्रियों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और कुछ हल ढूंढेंगे और इस मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाएंगे।

एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री से कर्नाटक के लोगों के निवेदन के लिए अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमन्त्री ने वास्तव में यही कहा था।

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : प्रधानमन्त्री ने वास्तव में यही कहा था। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री से कर्नाटक के लोगों से अपील करने के लिए कहूंगा और इसी से हम संकट से उभर सकते हैं। और कर्नाटक के उत्तेजित लोगों को समझा सकते हैं और इसी से उन्हें न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिण्डिगुल) : महोदय, इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय जल संसाधन मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि सरकार ने न्यायाधिकरण के अन्तरिम निर्णय को अधिसूचित किया है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं।

तमिलनाडु के लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि कावेरी जल का उनका भाग उन्हें दिया जाना चाहिए। अधिकारी स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर अनेक वार्ताएं असफल रही हैं। तत्पश्चात सरकार ने यह मामला कावेरी जल न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया। कर्नाटक ने इसका कोई विरोध नहीं किया।

तमिलनाडु के किसान बहुत समय से सिंचाई के लिए जल के लिए तरस रहे हैं। सूखे से स्थिति और अधिक खराब हो गई है। लेकिन इस समय ईश्वर ने ही किसानों की रक्षा की है। तिरुकुशल में यह उल्लेख है कि यदि एक भी अच्छा आदमी वहां है तो ईश्वर सारे विश्व के लिए वर्षा भेज देगा।

'नलार ओरयूवार उल्लेरित अवर पोरयूट्टू ईलअरकुम पीयुम मजहाई।'

अन्त में इस बार ईश्वर ने कृपा की। इस वर्ष, पर्याप्त वर्षा हुई। कावेरी में बाढ़ आई हुई है। तमिलनाडु में वह क्षेत्र, जिसमें कावेरी बहती है, बिल्कुल अन्त में है। जब कावेरी में जल होता है तो उसे समुद्र में बेकार करने की बजाय तमिलनाडु को दिया जा सकता है।

न्यायाधिकरण न्याय दिलाने के लिए है। दोनों पक्षों को सुना जाता है। एक निर्णय दिया गया था। हमें न्याय का आदर करना चाहिए। इस समय अंतरिम आदेश 205 टी० एम० सी० जल के लिए है। लेकिन अन्तिम निर्णय आने पर और अधिक जल भी दिया जा सकता है। जो कुछ न्यायाधिकरण कहना है, सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मामले में कठोर कदम उठा रही हैं। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि वह बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में, वे लोग दो दशकों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है।

महोदय, यह कर्नाटक सरकार अथवा तमिलनाडु सरकार के लिए कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यह मानवीय अस्तित्व, किसानों के कल्याण तथा देश के खाद्य उत्पादन का मामला है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लोग आपस में भाई-भाई हैं। भ्रातृत्व सर्वोच्च है। हमें अपने गलत कामों से इसे समाप्त नहीं करना चाहिए। इस भावना से हमें न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए।

सबसे पहले कर्नाटक सरकार को निर्णय की प्रभाविकता रद्द करते हुए अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। अब पुनः कर्नाटक सरकार ने निर्णय को लागू करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यदि निर्वाचित सरकारें इस प्रकार के कदम उठाएंगी तो इससे लोगों में द्वेष पैदा होगा, कल्याण उपायों में बाधा पड़ेगी जिसका परिणाम यह होगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। कर्नाटक में जो हिंसा हो रही है वह राष्ट्रीय एकता के हित में अच्छा नहीं है।

अतः मैं कर्नाटक के अपने भाईयों से अपील करता हूं कि न्यायाधिकरण के अन्तरिम निर्णय को

स्वीकार कर लें तथा अन्तिम निर्णय का भी इन्तजार करें। कानून सर्वोच्च है। सभी लोग कानून की नजरों में बराबर हैं। व्यक्तिगत लोगों तथा सरकारों को कानून का पालन करना चाहिए। यही सच्चा शासन है। लोग ऐसी सरकारों में विश्वास रखेंगे।

आखिरकार, केन्द्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि कर्नाटक सरकार के इस आवेदन कि यदि उसे पर्याप्त जल नहीं मिला तो दिक्कतें होंगी को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण के आदेश पर विचार करना होगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी सम्बन्धित लोगों के हितों में कार्य करने का प्रयास किया जाएगा।

यह आश्वासन प्रोत्साहन देने वाला है तथा मैं एक बार फिर अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने की अनुमति दें क्या न्यायाधीशों के आदेशों का पालन करें क्योंकि उनका स्थान ईश्वर के बाद दूसरा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दो मुद्दे उठा रहा हूं। सबसे पहले हमारे माननीय संसद सदस्य श्री पी० जी० नारायणन ने अपने भाषण में बताया है कि कर्नाटक ने 192‑ के समझौते को नहीं माना है। यह सही नहीं है। हमने 1892 में भी एक समझौता किया था। यह समझौता मैसूर राज्य तथा मद्रास राज्य के बीच हुआ था तथा उसको 1924 के समझौते के बाद छोड़ दिया गया था। अतः 1892 का समझौता अस्तित्व में नहीं है। मेरे अनुसार 1924 का समझौता भी 1974 में समाप्त हो गया क्योंकि समझौते में एक शर्त यह भी है कि 50 वर्षों के बाद सम्बन्धित पक्ष पूरे समझौते पर दोबारा विचार कर सकते हैं। यह भी एक कारण है।

इसके अलावा, मैं माननीय सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि सभी सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की केन्द्र में जल संसाधन के प्रभारी मन्त्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। समझौता करने के लिए अनेक बैठकें हुई थीं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : केवल एक सैकन्ड रुकिए। उसी न्यायाधिकरण, उसी उच्चतम न्यायालय ने अपनी राय दी थी कि 1924 का समझौता अस्तित्व में नहीं है।

श्री डी० के० नायकर : मैं इस बात का जिक्र करने जा रहा हूं। कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाए गए रुख के अनुसार 1924 का समझौता अस्तित्व में नहीं है। तमिलनाडु सरकार द्वारा उसी समझौते के अनुसार किया गया दावा लागू नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू से ही यही रुख अपनाया गया है। परन्तु 1983 में भी एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार से की गयी थी। दावा समझौते के अन्तर्गत किया गया है। यदि यही मामला है तो वह आवेदन न्यायाधिकरण के गठन के बाद उसको सौंप दिया गया है। यह ठीक है। हम न्यायाधिकरण के गठन को स्वीकार करते हैं। परन्तु न्यायाधिकरण द्वारा क्या निर्णय दिया गया है? क्या उन्होंने इस बारे में एक भी बात पर विचार किया है कि क्या 1924 का समझौता अस्तित्व में है या नहीं। क्या समझौते के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार कितनी भी मात्रा में जल प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं? इस

बात पर एक भी टिप्पणी नहीं की गयी है। विद्वान सदस्यों ने इस बात पर विचार किए बिना कि एक ऐसे समझौते जो अस्तित्व में नहीं है के अन्तर्गत किया गया दावा न्यायोचित है या नहीं केवल मेट्टूर बंध में जमा पानी का गुणन करके आदेश पारित कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि जब दावा जायज समझौते पर आधारित नहीं है तो न्यायाधिकरण का आदेश इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे उन्होंने, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया यह आंकड़े की गणना की है। दस वर्षों के आंकड़ों में से उन्होंने अधिक से अधिक दो वर्षों तथा कम-से-कम दो वर्षों के आंकड़े निकाल दिए हैं तथा कुल छः वर्षों के आंकड़ों को जोड़कर उसका छः से भाग कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायाधिकरण को ऐसा कोई अंदाज है कि क्या कर्नाटक सरकार को इतना पानी मिल गया है जितना जलाशय में है। यदि आप कावेरी बेसिन में बनाए गए सभी चार बांधों की जांच करें तो क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक जलाशय की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है। कुल मिलाकर यह 95 टी० एम० सी० से अधिक नहीं हो सकती है। परन्तु न्यायाधिकरण का निर्णय है कि जलाशय से 205 टी० एम० सी० जल दिया जाए। परन्तु 205 टी० एम० सी० पानी छोड़ने का प्रश्न ही कहां उठता है यदि अनुमानित क्षमता 100 टी० एम० सी० से अधिक न हो। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश को अन्तिम आदेश समझा जाए तथा उसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह एक ऐसा मामला है जिससे शक पैदा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसे किस प्रकार लागू करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को इतना जल जारी करने का निर्देश कैसे दे सकता है जो कुल मिलाकर सभी बांधों में ही न हो। यह बात विचार करने की है।

आदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसा प्रावधान मौजूद है। क्या प्रावधान है? न्यायाधिकरण द्वारा केवल एक ही अन्तिम आदेश पारित किया जा सकता है तथा दो या तीन नहीं। अन्तिमआदेश क्या है? जब न्यायाधिकरण को मामला भेजा गया है तो न्यायाधिकरण को उसके सामने रखे गए मामले को तय करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि न्यायाधिकरण को ये कार्य सौंपे गए हैं तथा तब न्यायाधिकरण को केवल एक ही बार तय करना होगा तथा वह अन्तिम निर्णय होगा।

परन्तु आज उच्चतम न्यायालय के निर्देश के द्वारा न्यायाधिकरण के उस आदेश, यद्यपि वह एक अन्तरिम आदेश है, एक अन्तरिम आवेदन है, को एक अन्तिम निर्णय माना गया है तथा सरकारी राजपत्र में अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। मैं न्यायाधिकरण को दी गई प्रमुख याचिका की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जोकि अभी तक उसके समक्ष लम्बित पड़ी है। तब उसी मामले में वे दूसरा तथा अन्तिम निर्णय कैसे दे सकते हैं? क्या अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दो अन्तिम निर्णय का कोई अवसर हो सकता है?

अतः न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में ये शक उत्पन्न हो रहे हैं तथा प्रतिवेदन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक यह भी प्रावधान है कि यदि रिपोर्ट में कुछ स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो केन्द्र इसे न्यायाधिकरण को भेज सकता है। जब तक इस मामले को न्यायाधिकरण को नहीं भेजा जाता है तथा उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है चाहे वह अधिसूचित ही क्यों न कर दिया गया हो। यह एक कारण है जो मैं इस सभा को बताना चाहता हूं तथा न्यायाधिकरण का यह आदेश व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरे पक्ष के तमिलनाडु के माननीय सदस्य जो कुछ भी कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है कि यह बहुत ही जायज आदेश है; यह अन्तिम आदेश है तथा इसे लागू किया जा सकता है । जी, नहीं । दो अन्तिम आदेश नहीं हो सकते हैं । ऐसा गलत आदेश लागू नहीं हो सकता है । यदि आप यह कहें कि कर्नाटक राज्य पानी लाये तो वह कहां से लाएगा । कृष्णा, तुंगभद्र या गंगा से कहां से लाएगा ?

मेरे विद्वान मित्र ने यह सुझाव दिया है कि अन्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित करना आवश्यक है जो आज तक पूरी नहीं हुई है उन्हें लागू किया जा सके । इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि कई परियोजना तैयार किए गए है तथा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं तथा ये सभी योजना आयोग के समक्ष लम्बित पड़ी है । कर्नाटक के लोग पानी की कमी से परेशान है । सिंचाई क्षमता प्रतिशतवार कर्नाटक बहुत नीचे है । अतः केन्द्र जल संसाधन मन्त्री अपने उत्तर में यह बताएं कि पहले जो कुछ भी निधीयन किया गया है केन्द्र उससे और अधिक निधीयन करेगा ।

मेरे विद्वान मित्रों ने कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। यह आलोचना नहीं है । अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जब केन्द्र सरकार ने राय बना ली हो, कि बातचीत द्वारा समझौते का हल संभव नहीं है तो केवल तभी एक न्यायाधिकरण का गठन करके उसे मामला सौंपा जा सकता है । मैं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । परन्तु मैं केवल केन्द्र सरकार के कार्यकलाप पर टिप्पणी कर रहा हूं ।

जहां तक कर्नाटक के संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, जब आवेदनपत्र लम्बित पड़ा था, तो मैं एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ श्री राजीव जी से मिला था और हमने उन्हें बताया था कि हम एक साल के भीतर बातचीत द्वारा इस मामले का निपटारा कर लेंगे और तब तक न्यायाधिकरण के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है । हमने अनेक प्रयास किए थे। परन्तु बाद में तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों के बदलने के कारण हम बातचीत द्वारा समझौता नहीं कर सके ।

वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आई । उस समय यह याचिका लम्बित पड़ी थी । क्या उस केन्द्रीय सरकार के पास कोई भी ऐसा प्रमाण था कि मामले को बातचीत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता ? नहीं, इसके अतिरिक्त, जब तक यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं होते कि केन्द्रीय सरकार ने बातचीत द्वारा मामले को सुलझाने का प्रयास किया था, तब तक न्यायाधिकरण के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने स्वयं में निहित शक्तियों का प्रयोग किए बिना ही यह निदेश दे दिया कि वे इसे उच्चतम न्यायालय पर छोड़ दे । अतः कानूनी प्रक्रिया में कर्नाटक को घाटा हुआ तथा सभी अवस्थाओं में रुकावट आई।

इसलिए माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है कि वह न्यायाधिकरण के मामले का पुनः उल्लेख करें और वे अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगें और दिशानिर्देश प्राप्त करें ताकि केन्द्रीय सरकार को कुछ समय मिल सके जिसमें बातचीत द्वारा समझौता किया जा सके ।

मैं यही निवेदन करना चाहता था, मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय वास्तव में ऐसा करेंगे क्योंकि यह आवश्यक है कि राज्य सरकार स्पष्टीकरण मांगने के लिए इसे न्यायाधिकरण को भेजे । केन्द्रीय

सरकार का भी यह कर्तव्य है कि स्पष्टीकरण मांगें तथा दिशा निर्देश दे । इसलिए, इन परिस्थितियों में मैं मन्त्री महोदय श्री शुक्ल जी से अनुरोध करूंगा कि आदेश का कार्यान्वियन करने से पूर्व उन्हें इस बारे में बताना चाहिए ।

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश की अधिसूचना देने के विवेकपूर्ण और उचित निर्णय देकर दर्शाई गई उनकी बुद्धिमता और दूरदर्शिता के लिए माननीय प्रधान मंत्री और जल संसाधन मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं । मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि दोनों मुख्य मन्त्रियों को बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए आमंत्रित किया जाए ।

महोदय, जब हमारे प्रधान मन्त्री पड़ोसी देश चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रयास करने में समर्थ हैं तो उनके लिए यह समस्या कुछ भी नहीं है । वह काफी परिपक्व प्रधान मन्त्री हैं । वास्तव में, आज वही एक नेता हैं जिनकी पिछले सभी प्रधान मन्त्रियों में गैर-विवादास्पद नेता के रूप में प्रशंसा की जा रही है । अतः हमें उनमें विश्वास है कि वह दोनों राज्यों के हितों को हानि पहुंचाए बिना समस्या का समाधान कर लेंगे ।

महोदय, मुझे बहुत अधिक चिन्ता और नाराजगी थी जब कर्नाटक के संसद सदस्य ने अपने मामले को सही साबित करने के लिए झूठे तर्कों और झूठे आंकड़ों द्वारा अनावश्यक आपत्तियां की थी । महोदय, मैं सभा में कावेरी नदी की भौगोलिक स्थिति के बारे मे बताना चाहता हूं । कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है तथा अन्तिम छोर तमिलनाडु में है । अतः हम लोग जल की प्राप्ति के छोर पर हैं और वे देने की स्थिति में है । अतः कर्नाटक के साथ अन्याय कैसे किया जा सकता है ? जब तक वे तमिलनाडु की ओर जल प्रवाह जारी नहीं रखेंगे, तब तक जितनी जलराशि का उपयोग करने का हम पर वे आरोप लगा रहे हैं, के बारे में हम उतनी जलराशि का उपयोग नही कर पाएंगे । यह सच नहीं है और वह आपको भ्रम में डाल रहे हैं ।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : तीस लाख एकड़ भूमि पर पानी दिए बिना खेती कैसे की जा सकती है ?

श्री अन्बारासु इरा : महोदय यह सच है कि इन्होंने 1924 में हुए समझौते को रद्द कर दिया है और एकदम पानी रोक दिया है । तमिलनाडु के लोग इतनी भूमि पर खेती नहीं कर सकते और उन्हें उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल सकता जितना उन्हें पहले उपयोग कर रहे थे ।

यद्यपि मैं तमिलनाडु से सम्बन्धित हूं मैंने बंगलौर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है और मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहता । मैं इस महान सभा के समक्ष केवल तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने भाइयों के साथ ही इस मामले में अन्याय हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण किया गया है······कुछ थोड़े से लोगों के हितों के लिए इस मामले ने विकराल रूप ले लिया है ।

श्री नायक यह कह रहे है कि इस समय कोई समझौता विद्यमान नहीं है । समझौते की वह धारा इस प्रकार है कि 1924 के समझौते की दोनों पार्टियों के आपसी सहमति से पुनरीक्षा की जाएगी । परन्तु उन्होने हमें पुनरीक्षा करने की अनुमति ही प्रदान नहीं की । जब कभी भी हम बातचीत के लिए

गए उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई। किसी न किसी बहाने वह बातचीत के लिए नहीं बैठे और मतभेदों को नहीं सुलझाया। हमें भी सही निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसलिए, बातचीत लगभग 20 वर्ष तक चलती रही और उसके फलस्वरूप न्यायाधिकरण का गठन किया गया। जब न्यायाधिकरण का गठन किया गया तो उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने केन्द्रीय सरकार की यह कहकर आलोचना की कि उनके पास इस प्रकार के न्यायाधिकरण के गठन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मेरे माननीय मित्रो, क्या यह सही दृष्टिकोण है ? जब न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई तो उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण को अन्तरिम आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम कहते हैं कि उनमें न्यायपालिका के प्रति सम्मान नहीं है, जब हम कहते हैं कि उनमें न्यायाधिकरण के प्रति सम्मान नहीं है, तो वे बहुत रुष्ट हुए।

ऐसा किस प्रकार हुआ ? उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सामने न्यायाधिकरण की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी है कि न्यायाधिकरण को कोई भी अन्तरिम आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायाधिकरण को अन्तरिम आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तत्पश्चात् पुनः उन्होंने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : उच्चतम न्यायालय ने 971 और 1974 में क्या कहा था ?

श्री अन्बारासु इरा : हम उसकी फिर से चर्चा न करें। हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें। **(व्यवधान)** यदि हम जैसे बड़े लोग भावनाओं को आदर देंगे, तो हम इस देश के लोगों को न्याय नहीं दिला सकेंगे।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : यह भावुकता नहीं है; यह कटु सत्य है।

श्री अन्बारासु इरा : हमें इस सबसे ऊपर उठना चाहिए। हमें संकीर्ण स्वार्थों को लेकर चलना चाहिए। दोनों राज्यों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार हमें सही परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए और अपनी जनता को मनवाना चाहिए।

नेताओं को जनता का नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें उनकी इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। कर्नाटक में वर्तमान आक्रोश अनावश्यक रूप से ही पैदा हो गया है। केवल निजी स्वार्थों के लिए इसे भड़काया गया है। **(व्यवधान)** उन्होंने तमिल लोगों को क्यों पीटना शुरू कर दिया है ? **(व्यवधान)** तमिलनाडु के निर्दोष लोगों को राज्य से बाहर खदेड़ा जा रहा है। हमें उन्हें मनाना है। क्या यह कोई कहने का ढंग है कि निर्णय कागज का टुकड़ा मात्र है ? कल यदि प्रधानमन्त्री कोई सुझाव लेकर आते हैं, तो क्या तब भी वे यही कहेंगे कि यह कागज का टुकड़ा है। इस बात की क्या गारण्टी है कि वे आलोचना नहीं करेंगे। हमें इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

मैं हाथ जोड़कर अपने मित्रों से प्रार्थना करता हूं, इस तरह के दृष्टिकोण में भावुक नहीं हो। हमें स्थिति की वास्तविक गम्भीरता का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप पूरी घटना को देखते हैं कर्नाटक ने इस मामले में बहुत ज्यादती की है। जब न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया तो तत्काल प्रधानमन्त्री से परामर्श किए बिना एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। आखिर, कांग्रेस दल एक परिवार है। हम सभी सदस्य हैं। वह हमारे पिता हैं। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को उनसे परामर्श करना चाहिए था

लेकिन उन्होंने यह ज्यादती की। अचानक उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। हमारे मित्र ने कहा है कि "यह एक एतिहासिक अध्यादेश है" यह संवैधानिक अध्यादेश है। यह एतिहासिक अध्यादेश नहीं है। इस प्रकार के अध्यादेश को जारी किया गया है। इस प्रकार कर्नाटक में कुछ लोगों द्वारा इसे जटिल बना दिया गया है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सब अपने प्रधानमन्त्री में विश्वास रखें। हम दोनों राज्यों के हितों में मैत्रीपूर्ण ढंग से भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न करें। एक दूसरे को चुनौती न दें। संसद के प्रत्येक सदस्य ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैं त्याग-पत्र दे दूंगा......त्याग-पत्र ......त्याग-पत्र।" क्या यह हमारे प्रधानमन्त्री और केन्द्रीय सरकार को धमकी देना, पीड़ा पहुंचाना और उनका भयादोहन नहीं होगा? (व्यवधान) क्या यह प्रधानमन्त्री पर दबाव डालना नहीं होगा?

(व्यवधान)

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : आपको अपना कथन वापिस ले लेना चाहिए (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : नहीं, नहीं। मैं चुनौती देता हूं। (व्यवधान) इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। यह मेरा अन्तिम भाषण है। (व्यवधान) मैं त्याग-पत्र दे दूंगा (व्यवधान) क्या माननीय सभा को सम्बोधित करने का यही तरीका है। क्या हमारे प्रधानमन्त्री को चुनौती देना उचित है? (व्यवधान)

श्री एस० बी० सिदनाल : यह गलत व्याख्यान है। (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : यह कोई तरीका नहीं है। आओ एक साथ मिलकर बैठें (व्यवधान) हम एक दूसरे को चुनौती न दें। हम एक साथ मिलकर बैठें। मन-मानस से दोनों राज्यों के हितों में हम एक साथ मिलकर बैठें और चर्चा करें। अत: मैं इसे और आगे बढ़ाना नहीं चाहता (व्यवधान) किसी को अकेले ही कर्नाटक के हितों का हिमायती बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें देश के हितों को देखना चाहिए और पड़ौसी राज्य तमिलनाडु के हितों को भी देखना चाहिए।

9.00 म० प०

कर्नाटक के नेताओं को इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए मानो कर्नाटक एक देश है। इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं।

मैं उनसे हाथ जोड़कर यह अपील करता हूं कि प्रधानमन्त्री के निदेशों के अनुसार वे एक साथ बैठकर इस पर कार्य करें और एक दूसरे को चुनौती देने की बजाए मतभेद को समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री एच० डी० देवगोड़ा : महोदय, केवल एक स्पष्टीकरण। हमने जल आपूर्ति के लिए तमिलनाडु से कभी भी धन नहीं लिया है। उन्हें बताने दीजिए कि क्या कभी उन्होंने एक रुपया भी दिया है। हम लगभग 23 वर्ष पानी देते आ रहे हैं। आप सभा को गुमराह क्यों कर रहे हैं?

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य इस बारे में बोल चुके हैं और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। दोनों पक्षों ने इस सम्बन्ध में अपना रुख बताया है।

यह सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता

है। समान अधिकारों का बराबर बंटवारा होना चाहिए। ऐसा इसी कथन के आधार पर चलता है। निचले तटवर्ती राज्य दूसरे राज्य से कुछ आशा रखते हैं। हमें उसे जल देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते इसका हमारे पास भण्डार है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि हमारे पास जल का पर्याप्त भण्डार है। यह रिकार्ड में है। इसलिए 205 टी० एम० सी० जल तमिलनाडु को दिया गया है। हमारे पास पर्याप्त जल नहीं है अन्यथा हमें इसे अपने भाईयों को देने में बहुत खुशी होगी।

इस समस्या पर दिए गए न्यायिक आदेश को लेकर अपील तथा संशोधन प्रस्ताव अथवा पुनर्विचार याचिकाएं दायर की जा रही हैं। यह अन्तिम आदेश नहीं है। आपको संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए। यहां बहुत से कानून बनाए जाते हैं लेकिन जब कभी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि सम्बन्धित दल की ओर से प्रतिक्रिया हो। श्री अन्बारासु ने भी कहा कि हम भड़का रहे हैं। यह सच नहीं है जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है और यदि वह जल है, तो स्वाभाविक रूप से वह हतोत्साहित हो जाएगा और सड़कों पर उतर आएगा। सिर्फ इसी पृष्ठभूमि को लेकर हम यहां आए हैं। अब हम सिर्फ प्रधानमन्त्री से अपील कर सकते हैं। हमने इस मुद्दे को कभी भी राजनैतिक रूप देना नहीं चाहा। सिर्फ कर्त्तव्यबद्ध होकर हमने अपने मामले का न्यायाधिकरण में बचाव किया। कर्त्तव्य के रूप में हमने अपना वक्तव्य दिया है। उस जनता के प्रति हमारे कुछ कर्त्तव्य हैं जिन्होंने हमें चुना है, श्री मणिशंकर अय्यर ने भी कुछ कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रत्येक सदस्य के बातों का उत्तर न दें।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, मैं उनके कुछ सुझावों का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ यही कहें कि आप सुझावों का स्वागत करते हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल : मैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा गठित राष्ट्रीय जल आयोग के बारे में सुझावों का स्वागत करता हूं। दूसरी बात श्री धनंजय कुमार ने कही थी, वह अव्यवहारिकता के बारे में थी। इस बात को उन्होंने तर्कसंगत ठहराया है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, राष्ट्रीय जल आयोग में भी कोई मार्गनिर्देश नहीं है। मैं उसका सदस्य था।

अध्यक्ष महोदय : एक नीति बनाई गई थी और वह अभी बरकरार है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या मन्त्री महोदय मुझे बता सकते हैं कि मार्गनिर्देश क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि जब वह नीति बनाई गई थी, तो उस समय मैं इस सभा का सदस्य था। यह नीति राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में मुख्यमन्त्रियों की सलाह पर बनाई गई थी।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, हम बहुत उत्साही हैं। हम सभी एक हैं। जो कुछ भी यहां पैदा होता है उससे हमारे अन्नकोष में वृद्धि होती है। परन्तु हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि हमारे अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए या फिर हम खुशियों से वंचित कर उन्हें दूसरों को नहीं दिया जाना चाहिए। यह न्यायाधिकरण के आदेश हैं जो वास्तव में अव्यवहार्य हैं। अब हमें इस सभी को भूल जाना चाहिए क्योंकि हमें एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचना है।

मैं जल संसाधन मन्त्री और प्रधानमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाएं। मैं प्रधानमन्त्री द्वारा दोनों राज्यों के लिए दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं। दोनों राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को यहां आना चाहिए और उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। यह किसी भी बात से अधिक व्यवहार्य है। जब कभी भी हम असहाय हो जाते हैं तो कानून हमारी सहायता करता है। तब हम इकट्ठा होकर विवाद को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होकर सुलझा सकते हैं। यह किसी न्यायिक आदेश से बेहतर होगा। अन्य बातों को समझौता होने तक लम्बित रखा जा सकता है। भारत सरकार और जल संसाधन मन्त्री से भी जो काफी अनुभवी हैं मेरा यह अनुरोध है कि वे सभी मामलों को बातचीत पूरी होने तक लम्बित रखें तथा कर्नाटक के लोगों के साथ न्याय करें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मन्त्री महोदय को बुलाता हूं।

श्री के० एच० मुनियप्पा (कोलार) : अध्यक्ष महोदय मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री मुवाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपके नाम नहीं हैं। फिर भी आप दोनों पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

***श्री के० एच० मुनियप्पा** (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रधानमन्त्री महोदय की यह बात सुनकर प्रसन्नता हो रही है कि वे काफी दिनों से लम्बित पड़े कावेरी जल विवाद का शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमन्त्रियों को बातचीत के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं। मामले को निपटाया जा सकता है यदि दोनों राज्य पारस्परिक आदान-प्रदान के सिद्धांत को अपनाएं।

तमिलनाडु के सदस्यों ने न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश पर अपनी खुशी जाहिर की है। अपने मामले के पक्ष में उन्होंने अच्छे तर्क दिए हैं क्योंकि आदेश उनके पक्ष में है। मैं भी एक वकील हूं और मैं भी उनके तर्क को समझ सकता हूं। न्यायालय में अंतर्निहित शक्तियों से न्यायाधीश बाध्य होते हैं ताकि यदि अभ्यावेदन स्पष्ट न हो तब भी वे उचित निर्णय दे सकें। यह बात नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने अपना आदेश देते समय मामले के सैद्धांतिक पहलुओं पर ही ध्यान दिया है। उन्होंने व्यावहारिक पहलू की अवहेलना की है। अब चारों जलाशयों में पानी का कुल भंडार 100 टी० एम० सी० भी नहीं होता है तो 205 टी० एम० सी० पानी छोड़ने की आशा कैसे की जा सकती है। इस सभा के सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी है।

आज राज्य के सभी भागों में अशांति है। आंदोलनकारी लोग संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा कर्नाटक सरकार के मन्त्रियों पर हमला कर रहे हैं। बंगलौर, मोड्या मैसूर और में लूटपाट चल रही है। कुछ संसद सदस्यों के परिवारजन घर छोड़कर दूसरी जगह शरण ले रहे हैं। लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई है। मैं सभी दुर्घटनाएं न्यायाधिकरण के अतिरिक्त आदेश के कारण ही हुई। यदि न्यायाधिकरण ने अन्तरिम आदेश को न्यायोचित ढंग से दिया होता तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। यह सच है कि सभी को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के द्वारा दिए गए आदेश न्यायोचित हों।

*मूलरूप से कन्नड़ में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

हमारे प्रधानमन्त्री एक वरिष्ठ संसदविद् हैं। उन्हें बहुत अनुभव है और वे किसी भी राज्य के प्रति किसी अन्याय किए बिना इस समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं। माननीय प्रधानमन्त्री तथा भारत सरकार से मेरी विनम्र विनती है कि महानदी, गोदावरी, तुंगभद्रा तथा कावेरी को जोड़ दिया जाए। कुछ अनावश्यक परियोजनाओं को छोड़ना होगा और उपरोक्त नदियों को जोड़ने का काम तुरन्त करना चाहिए। केवल इससे ही अधिकांश जल विवादों को हल किया जा सकता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक फसलें उगाई जानी चाहिए।

कुछ कम महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मृदा परिरक्षण विभाग द्वारा बहुत धन खर्च किया जा रहा है। ऐसे अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, और प्रमुख नदियों को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं जल संसाधन मन्त्री श्री वी० सी० शुक्ल से अनुरोध करूंगा कि देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ करें।

आज कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। किसानों के पास सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। न्यायाधिकरण के आदेश ने किसानों के लिए अनेक गम्भीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

मैं प्रधानमन्त्री महोदय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस जटिल विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझायें। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सब उनके हाथ मजबूत करने के लिए उनके साथ हैं। मैं इस बात को दोहराता हूं, कि सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने से प्रगति एवं समृद्धि आएगी।

महोदय, मैं वास्तव में आपका अहसानमन्द हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का मौका दिया। और इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने माध्यम से भारत सरकार से अपील करने का मौका दिया कि न्यायाधिकरण के आदेश के कारण कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है।

सबसे पहले मैं तमिलनाडु के अपने माननीय सदस्यो जिन्होंने अभी भाषण किया को बताना चाहूंगा कि उन्हें यह डर है कि कर्नाटक में रह रहे तमिलों के जीवन को खतरा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के लोगों का निशाना तमिल नहीं हैं बल्कि कर्नाटक के संसद सदस्य तथा विधायक हैं। अतः हम तमिलों के जीवन की चिंता नहीं है और हम उनके शांतिपूर्ण जीवन में आड़े नहीं आ रहे हैं। आज मेरे घर पर डाका डाला चोरी गया और कुछ लोग कई चीजें ले उड़े। मैं अभी भी नहीं जानता हूं, कि मेरे पत्नी तथा मेरे बच्चों का वहां क्या हाल होगा।

इस सब के बावजूद और इन सब बातों से दुखी होने के बावजूद मैं कर्नाटक के पक्ष को प्रस्तुत करने, कहने तथा सभा को सही जानकारी देने और केन्द्रीय सरकार से यह भी अपील करने के लिए यहां आया हूं कि कर्नाटक को न्याय दिया जाए।

महोदय, चर्चा के दौरान श्री धनंजय कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरे माननीय मित्र श्री

मणिशंकर अय्यर ने कहा कि आदेश लागू किया जा सकता है। मेरे अनुसार कि कावेरी नदी में पानी का बहाव परमात्मा का वरदान है। यह किसी के हाथ में नहीं है। यह कर्नाटक की जनता के हाथ में नहीं है। वह परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। यह सब प्रकृति पर निर्भर करता है।

महोदय, यहां कई वकील तथा विद्वान मित्र विद्यमान है। इस देश में यह एक जटिल कानून है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे कई पूर्वोदाहरण तथा निर्णय मौजूद हैं जिनमें समझौतों को दैविक कार्य, अज्ञान बातों तथा अनिश्चितताओं को प्रासंगिक बना दिया गया है। अतः यह गैर-कानूनी तथा अमान्य है। अब उच्चतम न्यायायालय का निर्णय उसी विशेष स्थिति में है।

हमने धर्म निरपेक्षता के दर्शन को स्वीकारा है और हमने कानून व्यवस्था के दर्शन को स्वीकारा है। हम कानून व्यवस्था के अन्तर्गत रहते है। हम अनेक बातों को विनियमित करते है। हमने कई चीजे प्रदान की हैं। हमने कानून और व्यवस्था के अन्तर्गत कतिपय चीजों का लाभ उठाया है। हम अपने तमिल भाइयों को खुशी के अधिकारों और रियायतों से वंचित करने नहीं जा रहे हैं। हम पहले मानव है। उसके बाद हम भारतीय है। उसके बाद हम तमिल या कन्नड़ हैं। इसी प्रकार हमें सदियों तक एक साथ इस संसार में रहना है। सदियों तक हमें यहां रहना है। हमारे बेटों, हमारे पोत्रों को इस संसार में सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से रहना है। इसलिए जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और हमें जाति अथवा धर्म अथवा किसी अन्य आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें मानव होने के नाते ऐसा निर्णय लेना चाहिए। इस देश के नागरिक कानून के प्रति निष्ठा रखते हैं, मनुष्य से गलती हो ही जाती है।

मेरे एक मित्र ने यह कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं; हम न्यायाधिकरण के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। हां, हमें न्यायाधिकरण के निर्णय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने का अधिकार है। निचले न्यायालय में कोई निर्णय दिया जाता है, तो हम अपील करते हैं और निचले न्यायालय की गलतियों का जिक्र करते हुए निचले न्यायालय के निर्णय की आलोचना करते हैं। इस तरह इस सभा से हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं, हम न्यायाधिकरण के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं, अपील के रूप में नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उस बात को छोड़िए।

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : महोदय, हम कानून का सम्मान करते हैं।

हम कानून का आदर करते हैं। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। पर इन्सानी चूक या गलतफहमी या गलत व्याख्या की वजह से यह निर्णय कर्नाटक के हितों के विरुद्ध है। अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ न्याय करें।

न्यायाधिकरण के निर्णय का स्वरूप क्या है ? यह निर्णय फैसला करने वाला है, या सजा देने वाला ? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निर्णय कर्नाटक राज्य के लिए दण्ड-स्वरूप है। यह फैसला नहीं है। न्यायाधिकरण तथ्यों का जांच करने वाली संस्था है। इसे किसी को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। परन्तु इस निर्णय के जरिए, यह कर्नाटक राज्य तथा कावेरी बेसिन के उस क्षेत्र के निवासियों को सजा दे रहा है। अतः महोदय, यदि न्यायाधिकरण के आदेश को लागू किया जाता है, तो यह गैर-कानूनी होगा, साथ ही निरर्थक भी क्योंकि यह ईश्वरीय कार्य के खिलाफ है। कर्नाटक के लोगों को इन चीजो से नहीं बांधा जा सकता है।

अपने तमिल बंधुओं की पीड़ा को हम जानते हैं। हम उनके मनोभावों को भी जानते हैं। हम भी इन्सान हैं। हम उनके दर्द को जानते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमन्त्री का भी हम आदर करते हैं। प्रधानमन्त्री के सद्विवेक में भी हमारा पूर्ण विश्वास है। कर्नाटक के लोगों के साथ न्याय करने का भार हम प्रधानमन्त्री जी के ऊपर छोड़ते हैं।

श्री डी० पांडियन (मद्रास-उत्तर) : दिन के अन्त में और प्रधानमन्त्री जी के तर्कसम्मत एवं सुन्दर बयान को सुनने के बाद मैं उन्हें धन्यवाद देकर बैठ जाना चाहता था। परन्तु, दुर्भाग्यवश, अपने कुछ दोस्तों—माननीय सदस्यों—के भाषणों में कुछ शब्दों एवं कुछ आंकड़ों को सुनने के बाद, मुझे विवश होना पड़ रहा है कि मैं कुछ मिनटों का समय लेकर उनसे शांतिपूर्ण ढंग से सोचने का तथा राज्य में उत्पन्न भावना के वशीभूत कुछ न करने का अनुरोध करूं। उन्हें आग में घी नहीं डालना चाहिए।

आपने कहा है कि कावेरी के जल से 33 लाख एकड़ की सिंचाई हो रही है और हम तीन-तीन फसलें उगा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 99 लाख एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं। यदि प्रति एकड़ एक टन का भी औसत रखा जाए तो हमें प्रति वर्ष सिर्फ कावेरी बेसिन से 99 लाख टन अनाज मिलना चाहिए। काश ! ऐसा हो पाता। पर, यह सच्चाई से कोसों दूर है। तमिलनाडु दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। यह आपके काफी नजदीक है। मैं आपको खुद आकर देखने का निमन्त्रण देता हूं कि हम तीन फसलों को उगा रहे हैं कि नहीं। यह सच नहीं हैं। कृपया ऐसे तथ्यों को सामने न लाएं, नहीं तो, जो लोग सड़कों पर अभी भी हैं उनके दिग्भ्रमित भावनाओं को बल मिलेगा। कुछ हजार एकड़ जमीन में ही हमें तीन फसलें मिल रही हैं। फिर, कुछ हजार एकड़ जमीन से हमें दूसरी फसल मिलती हैं। परन्तु, जमीन का बाकी सारा हिस्सा हमें एक फसल के सिवाय और कुछ नहीं देता है। इसमें सिर्फ उसी पानी का उपयोग नहीं होता है, जो कर्नाटक से बह कर आता है। आपको याद रहना चाहिए कि कावेरी की सहायक नदियां तमिलनाडु में भी हैं। तमिलनाडु में भी जल-ग्रहण क्षेत्र हैं तथा वहां बरसात भी होती है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई इन सभी से होती है। अतः आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके द्वारा प्रदत्त पानी से ही उस जमीन की सिंचाई होती है।

मैं 1924 के समझौते या उससे पहले के समझौते या उसके अप्रभावी होने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कावेरी तमिलनाडु में अनंतकाल से बहती आ रही है। उस समय तो हमारी पार्टियों का या हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। नदी के बहाव क्षेत्र को हमने मोड़ा नहीं है। यह तो प्रकृति का वरदान है। हम दोनों ही कावेरी की संतान है तथा हम दोनों ही इसकी कृपा के पात्र रहे हैं।

पिछले वक्ता ने कहा है कि जब दैववश सूखा पड़ जाए तो क्या होगा ? मैं भी उसी तर्क का उपयोग करना चाहता हूं। उन हालातों में हम लोगों को विश्वास, सद्बुद्धि तथा सच्चाई से काम लेना होगा। बसें जलाना या राजपत्र की अधिसूचना में राजनैतिक चाल का आरोप लगाना अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे संबोधित करते हुए बोलें।

श्री डी० पंडियन : अतः मैं जनता, वरिष्ठ सदस्यों, छात्रों तथा युवकों से अनुरोध करता हूं कि

वे इस पर विचार करें तथा ऐसा नहीं मोचें कि उनके साथ अन्याय किया गया है। आपकी गरीबी और दुख के भागीदार हैं हम ! हमें भाईयों की तरह ही रहना है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने लोगों का अच्छा नेतृत्व करें तथा गलत तथ्यों को बता कर उन्हें दिग्भ्रमित नहीं करें।

कृपया यह तर्क न दें कि यह भी पंजाब के रास्ते पर चला जाएगा। हम लोग तो पंजाब को भी सामान्य स्थिति में लाना चाहते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कर्नाटक भी पंजाब के रास्ते पर चला जाएगा। यह तो सही नजरिया नहीं है।

जहां तक तमिलनाड् के 39 सदस्यों का सम्बन्ध है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे दल और शक्ति से संघर्ष किया है जो घोषणा करती थी कि वह तमिलनाडु को दूसरा पंजाब बना देगी। हम उन्हें हराकर संसद में आए हैं। अतः हमें चाहे जितना भी उकसाया जाए, हम इस तुलना का उपयोग नहीं करेंगे। प्रधानमन्त्री को भी हमारा बेशर्त समर्थन है। किसी खास मौके पर हम संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते हैं, पर इसके कारण हम केन्द्र सरकार को कमजोर नही करेंगे। भारत की एकता के खिलाफ नहीं बोलेंगे।

अंत में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सामान्य स्थिति तथा मैत्री के वातावरण को बहाल करने में मदद करें क्योंकि हम दोनों की इच्छा है कि इसका शांतिमय समाधान होना चाहिए। हमें शांतिमय समाधान के लिए सद्भावना एवं विश्वास का वातावरण बनाना चाहिए। (व्यवधान)···मैं आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। कृपया हमारी भावनाओं और नदी-सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करें। कृपया हमारे मूलभूत अधिकारों को अस्वीकृत करने की कोशिश नहीं करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि अपने भाषणों में उन्होंने इस विवाद से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों को उठाया है। इस विवाद का इतिहास बडा पुराना है और यह 99 वर्षों से चला आ रहा है। पहला समझौता 1892 में हुआ था। उसमें यह कोशिश कि गयी थी कि राज्यों का ध्यान रखे बिनी कावेरी बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कावेरी—जल का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएं। राज्यों कि पहचान (पुनर्गठन ?) तो कई वर्षों बाद 19:6 में हुई थी। हम जानते हैं कि कावेरी बेसिन एक जलाभावग्रस्त बेसिन है। यदि पानी की हर बूंद का भी उपयोग किया जाए तो कावेरी बेसिन की जरूरत पूरी नहीं होगी। अतः जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने सलाह दी है; महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की एक लम्बी अवधि की योजना बनानी होगी। हम शीघ्र ही ऐसा करना चाहते हैं। दोनों सभाओं में मैंने पहले ही कहा है कि पूर्व संभाव्यता अध्ययन हो चुका है। कावेरी-जल से सम्बन्धित परस्पर विरोधी मांगों के कारण इस खास परियोजना को शुरू करने की जरूरत को और बल मिलता है। इस परियोजना में काफी लागत आएगी तथा बहुत समय लगेगा और अब ज्यादा समय खोवे बिना ही इसे शुरू करना चाहिए। इसे उच्च प्राथमिकता देनी होगी। सबसे बढ़कर यह एक मानवीय तथा ऐतिहासिक समस्या है। इसमें राजनीति को घुसेड़ने या इसके तकनीकि ब्योरे में जाने से कोई फायदा नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में काफी बातें कही जा सकती हैं तथा हम इसे मानवीय ढंग से ही सुलझाना चाहते हैं।

हम सभी जानते हैं कि न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के बाद न्यायाधिकरण का ही एक अन्तिम आदेश भी आयेगा। सौभाग्यवश, इस वर्ष पानी के बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रकृति ने दयालुता दिखाई है और कावेरी बेसिन के जलाशयों में काफी पानी है तथा मई-जून में शुरू होने वाले अगले वर्ष तक कोई समस्या नहीं है। हमारा प्रयास होगा कि इसका एक ऐसा हल निकले जिससे न्यायाधिकरण के आदेश के अस्पष्ट अंशों की समस्या सुलझ जाये तथा जो आशंका तथा भावना उभरी हो उन्हें शांत किया जाए तथा प्रधानमंत्री जी ने हमारी ओर से जो आश्वासन दिया है उसे दुहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि भारत सरकार इसे एक माननीय समस्या के रूप में देखती है अतः दोनों पक्षों को हमसे पूरा न्याय मिलेगा।

मुझे यह सुनकर काफी खुशी हुई कि इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्य व्यावहारिक रूप से भाई-चारे, मैत्री तथा पड़ोसी भावना पर विश्वास रखते हैं तथा चाहते हैं इस समस्या को संतोषजनक तरीके से ऐसे सुलझाया जाए कि इससे किसी भी राज्य के लोगों के लिए कोई समस्या खड़ी न हो।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि जब पानी रहेगा ही नहीं तो क्या बंटेगा ? जब कम वर्षा होगी या सूखा वर्ष होगा तो संकटापन्न-बटवारा होगा। इस संकटापन्न बंटवारे के कुछ सुस्थापित सिद्धांत हैं तथा उनका पालन करना होगा ताकि कोई क्षेत्र न तो बिल्कुल उपेक्षित रहे न ही कोई क्षेत्र पूरे फायदे में रहे। इसे इस तरह से करना होगा कि कावेरी बेसिन में रहने वाले किसी भी इन्सान के मन में अन्याय का शिकार होने की बात ही न रहे।

कई सुझाव दिए गए हैं। हम उन सबका ध्यान रखेंगे। मैं उनमें से एक या दो का जिक्र करूंगा।

कुछ सदस्यों ने कहा कि कर्नाटक की कई योजनाएं योजना आयोग और हमारे मंत्रालय के पास लम्बित हैं। इन योजनाओं को हमने योजना आयोग के साथ प्राथमिकता के आधार पर उठाया है। हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक का कुल आवंटन 50 करोड़ रुपया था। आठवीं योजना में कर्नाटक राज्य के निवासियों के लिए बड़े महत्व के कई योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास 250 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

मैं इन योजनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा पर कुछ योजनाएं ये हैं—तट-सुरक्षा की एक योजना जिस पर 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहां कमांड क्षेत्र विकास योजना बनाई जाएगी जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अतिरिक्त, वहां टैंक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इन टैंकों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अतः हमने इन योजनायें के प्रस्ताव भेजे हैं तथा हम कर्नाटक के लोगों के लिए इन पर अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे ताकि सम्पूर्ण राज्य को इन योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकें। कावेरी विवाद में उन्हें जो भी समस्याएं हैं उन्हें केवल सुलझाया ही नहीं जाएगा अपितु कावेरी नदी के जल का बंटवारा इस ढंग से किया जाएगा कि इससे तमिलनाडु के लोगों अथवा कर्नाटक के लोगों को कोई शिकायत न हो। हमें केवल यह बात अवश्य याद रखनी होगी कि वहां पानी की कोई कमी नहीं है। इस कमी को पूरा करना होगा। इसलिए इस समस्या को इस परिप्रेक्ष्य से होगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। उसके बाद मैं आपकी बात कर उत्तर दूंगा। मैं केवल दो-तीन मिनट का समय और लूंगा।

सभा के सभी वर्ग—विपक्ष तथा सत्ता पक्ष दोनों ने माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा समाधान करने के लिए तथा दोनों पार्टियों को बातचीत के लिए बनाने के प्रयासों में पूर्ण विश्वास तथा आस्था व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उनकी इस इ
प्रधानमंत्री जी को इस सम्बन्ध में पूर्ण तथा ठोस स
का समाधान किया जा... है। मुझे विश्वास है
समाधान हो जाएगा।

हम सब को एक अन्तिम बात यह भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया इस मामले का समाधान नहीं हैं। कानूनी प्रक्रियाएं लम्बे समय से चल रही हैं तथा लम्बे समय तक चलती रहेंगी। जब तक इस समस्या के निपटान के लिए राजनैतिक इच्छा और आपसी समझ बूझ है—जो इस चर्चा के दौरान दिखाई गई है—मुझे विश्वास है कि हम इस मामले का निपटारा करने में समर्थ होंगे तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों को इस समस्या के समाधान में कोई कठिनाइयां नहीं होंगी। जो कुछ भी किया जा रहा है वह अस्थायी उपाय है।

मैं कर्नाटक में रहने वाले लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारा साथ दें और हमें शांतिपूर्ण, कानूनी तथा मानवीय ढंग से इसका समाधान का अवसर प्रदान करें जैसा कि हमने प्रस्ताव किया है, तथा कानून को अपने हाथ में लेकर और समस्याएं उत्पन्न न करें जिससे स्थिति और अधिक गम्भीर होगी जो देश के इस भाग में उत्पन्न हुई है।

मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया यह आश्वासन तथा मैंने जो यहां वचन दिया है, वे इस समस्या के निपटान में सहायक होंगे तथा इस आंदोलन को शांत करने में सहायक होंगे जो इतने अधिक भावुकता पूर्ण ढंग से फैल गया है। हम इस मामले का समाधान करने में समर्थ होंगे। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जब न्यायाधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय दिया जाएगा तो निश्चय ही वह ऐसा होगा कि जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के साथ पूर्ण न्याय किया गया होगा।

मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर सरकार के विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किए जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, क्या यह सम्भव है कि एक ही रात में हम वर्षा ऋतु के दौरान पानी को इकट्ठा करने के लिए जलाशय बना ले और सूखे मास के दौरान तमिलनाडु तथा कर्नाटक दोनों राज्यों को वह पानी दिया जा सके ? क्या ऐसी योजना बनानी संभव है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, यह संभव है। ऐसे जलाशय बनाने की योजनायें हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बिजली के वितरण के अनुपात के बारे में कुछ समस्या है तथा हम यह प्रयास कर रहे हैं कि यह समझौता भी कराया जा सके।

श्री पी० एस० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सभा के रुख को तथा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए जा रहे नए कदम को और उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे ध्यान में रखते हुए, आप सभा की ओर से दोनों राज्यों से, विशेषरूप से कर्नाटक से, जहां हिंसा शुरू हो गई है, यह अनुरोध करने का विचार करें कि वे शांति बनाए रखें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि अन्तरिम निर्णय के स्थान पर अन्तिम निर्णय प्रभावी होगा। अन्तरिम निर्णय में विशेष रूप कहा गया है कि जब तक अन्तिम न्याय-निर्णयन किया जाता है, और अन्तिम निर्णय दिया जाता है यह अन्तरिम निर्णय प्रभावी रहेगा। इसलिए यदि अन्तिम निर्णय आने तक अन्तरिम निर्णय प्रभावी है तो कम वर्षा वाले वर्षों में क्या स्थिति होगी ? क्या सरकार कोई विशेष व्यवस्था करेगी अथवा वह न्यायाधिकरण से उसके निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए कहेगी।

महोदय, एक और बात यह है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित सात परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। इन सात परियोजनाओं में से हारांगी, काबीनी अथवा हेमावती से सम्बन्धित कौन-कौन सी परियोजनायें कावेरी बेसिन के अन्तर्गत आती हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, जिन परियोजनाओं का मैंने उल्लेख किया है उनकी कुल लागत 240 करोड़ रुपए है और यह कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित हैं और यह कावेरी बेसिन से सम्बन्धित नहीं हैं। श्री भोगेन्द्र झा द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा यदि इसमें संशोधन किया जाए तो बिजली उत्पादन, जल उपयोग की ये परियोजनायें कावेरी बेसिन से सम्बद्ध हैं। तत्पश्चात, श्री देवगौड़ा द्वारा उठाए गए अन्तिम मुद्दे का उत्तर देना बहुत सरल हो जाता है। वैधानिक रूप से अन्तरिम निर्णय प्रभावी रहेगा लेकिन ईश्वर की कृपा से वास्तव में यह प्रभावी नहीं रहेगा क्योंकि आगामी वर्षा ऋतु तक वहां जल आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। अतः, अन्तरिम निर्णय के कार्यान्वियन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जोकि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों को न्याय करेगा।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, मेरी चिंता का विषय यह है कि कल हमें जनता को मनवाना है। अन्यथा मैं अनावश्यक ही माननीय मंत्री महोदय को परेशान नहीं करता।

क्या अन्तिम निर्णय मई, 1992 से पहले दे दिया जाएगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह श्री देवगौड़ा जैसे नेताओं और तमिलनाडु के नेताओं पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि वे न्यायाधिकरण की निरंतर बैठकें आयोजित करने में और उचित प्रस्ताव रखने में न्यायाधिकरण को सहयोग देंगे। मुझे विश्वास है कि यदि अधिक विवाद नहीं हुआ और वाद-विवाद ठीक ढंग से चला है तो अन्तिम निर्णय बहुत शीघ्र ही दे दिया जाएगा लेकिन मैं न्यायाधिकरण की ओर से वचन नहीं दे सकता कि कितनी जल्दी वह अन्तिम निर्णय दे पाएगा। इसलिए मैं सभी सम्बन्धित पक्षों से अपील करता हूं कि इस प्रकार सहयोग दें कि निर्णय शीघ्र दिया जा सके।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, क्या मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? आपको अवश्य ही सरकार को निर्देश जारी करके उसे यह बताना चाहिए कि यह गलत है। आप गरीब किसानों को क्यों दण्ड देना चाहते हैं? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं ढोंगी बनना नहीं चाहता और मैं कायर भी नहीं बनना चाहता। जब तक केन्द्रीय सरकार की तरफ से धारा 6(क) के अन्तर्गत कोई आश्वासन नहीं दिया जाता और यह नहीं कह दिया जाता कि जब तक अन्तिम निर्णय नहीं आता, हम कोई प्राधिकरण बनाने वाले नहीं हैं, तब तक मैं नहीं समझता कि आप हमसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहूंगा कि जिन भी माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया, उन्होंने विषय को स्वतः समझकर बहुत ही प्रभावशाली ढंग से और जिम्मेदारी से अपनी बात कही। माननीय प्रधानमन्त्री ने कहा कि वह चर्चा के लिए सम्बद्ध सभी मुख्यमन्त्रियों को आमन्त्रित करेंगे। उन्होंने उत्तेजित लोगों से समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से और मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सहयोग देने के लिए भी अपील की है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वह आवश्यक कदम उठाएंगे।

मैं आशा करता हूं और मैं समझता हूं कि सभा यह महसूस करती है कि इससे सभी सम्बन्धित को सन्तुष्ट होना चाहिए और इस मामले को इस प्रकार निपटाने में मदद करनी चाहिए जिससे सभी सन्तुष्ट हों।

मैं समझता हूं कि क्या कर्नाटक और तमिलनाडु के सभी भागों में शान्ति कायम रखने और आपसी समझबूझ रखने के लिए अपील करने की इच्छुक हैं।

अब सभा सोमवार को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

9.41 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 16 दिसम्बर, 1991, 25 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली।